बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
विजया VIJAYA
देना DENA

# डिजिटल माध्यम से प्रभावी और सुविधाजनक बैंकिंग

# MAKING BANKING EFFECTIVE AND CONVENIENT DIGITALLY

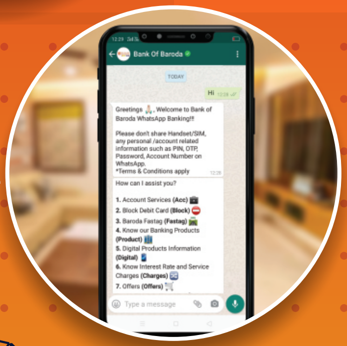

## वार्षिक रिपोर्ट
## ANNUAL REPORT
## 2020-21

# विषयसूची

# Index


| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| अध्यक्ष का संदेश | 06 |
| प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधकारी का वक्तव्य | 10 |
| निदेशकों की रिपोर्ट | 16 |
| कार्पोरेट गवर्नेनन्स पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण–पत्र | 68 |
| कार्पोरेट गवर्नेन्स रिपोर्ट | 70 |
| एमडी व सीईओ द्वारा घोषणा | 109 |
| सचिवालीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट | 110 |
| महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक | 113 |
| तुलन पत्र | 116 |
| लाभ व हानि खाता | 117 |
| महत्वपूर्ण लेखा नीतयां | 129 |
| नकदी–प्रवाह विवरण | 222 |
| लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट | 224 |
| अपरिवर्तित अभिमत सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की घोषणा | 239 |
| सीईओ / सीएफओ प्रमाणीकरण | 240 |
| समेकित वित्तीय विवरणियां | 241 |
| अपरिवर्तित अभिमत सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की घोषणा – समेकित | 316 |
| सीईओ / सीएफओ प्रमाणीकरण | 317 |
| लाभांश संवितरण नीति | 318 |
| नोटिस | 320 |
| हरित पहल – शेयरधारकों सेअपील | 370 |

| Contents | Page |
|---|---|
| Chairman's Statement | 08 |
| MD & CEO's Statement | 13 |
| Directors' Report | 42 |
| Auditors' Certificate on Corporate Governance | 68 |
| Corporate Governance Report | 70 |
| Declaration by MD & CEO | 109 |
| Secretarial Audit Report | 110 |
| Key Financial Indicators | 113 |
| Balance Sheet | 116 |
| Profit & Loss Account | 117 |
| Significant Accounting Policies | 129 |
| Cash Flow Statement | 222 |
| Auditors' Report | 224 |
| Declaration of Unmodified Opinion | 239 |
| CEO / CFO Certification | 240 |
| Consolidated Financial Statement | 241 |
| Declaration of Unmodified Opinion - Consolidated | 316 |
| CEO / CFO Certification | 317 |
| Dividend Distribution Policy | 318 |
| Notice | 320 |
| Green Initiative Appeal | 370 |


**नोट :** शेयरधारक "व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट" और "बासेल-III प्रकटीकरण" को बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर देख सकते हैं / डाउनलोड कर सकते हैं.

**Note:** The Shareholders can view / download "Business Responsibility Report" and "Basel–III Disclosures" from Bank's Website www.bankofbaroda.in

# DIGITAL BANKING

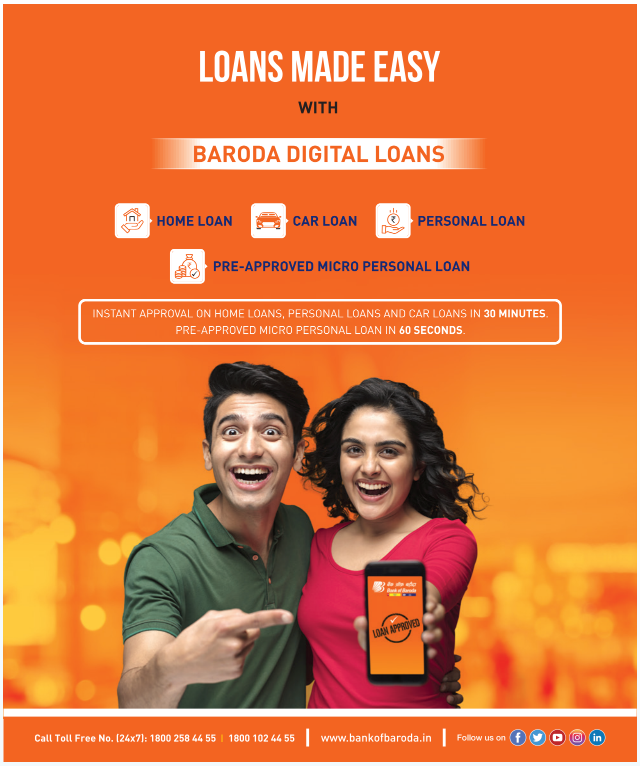


बैंक बैंकिंग सेवाओं के डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी समर्थित बैंकिंग को संवर्धित ग्राहक अनुभूति हेतु आवश्यक कदम मानता है. वर्ष के दौरान ग्राहकों को आवश्यकतानुसार सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई डिजिटल पहलें शुरू की गई हैं.

बैंक ने पूर्व-अनुमोदित वैयक्तिक ऋण, यूपीआई, पासबुक और अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने मोबाइल ऐप्लिकेशन को संवृद्ध किया है. अब मोबाइल बैंकिंग हमारे ग्राहकों को डिजिटल समाधान प्रदान करने का केंद्र बिंदु है. नए जमाने का बैंकिंग चैनल - 'व्हाट्सऐप बैंकिंग' भी तकनीकी जानकारी रखने वाले ग्राहकों के लिए एक और टच पॉइंट के रूप में आरंभ किया गया है.

टैबलेट (टैब बैंकिंग) का प्रयोग कर बचत बैंक ग्राहकों को कागज रहित फॉर्मेट में ऑनबोर्ड किया गया है और अब यह सुविधा चालू खाता ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध करा दी गई है. डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म के निर्माण के साथ ही अब आस्तियों के लिए भी डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं, जिसमें सोर्सिंग से लेकर मंजूरी और मंजूरी से संवितरण तक की ग्राहक सुविधाओं की पूरी प्रक्रिया डिजिटलीकृत की गई है.

प्रथम चरण के रूप में, काफी कम टर्नअराउंड समय सहित सूक्ष्म वैयक्तिक ऋणों के लिए अब एंड-टू-एंड डिजिटलीकृत ऋण प्रोसेसिंग हो रही है. और आगे इसी श्रृंखला में, रिटेल और एमएसएमई उत्पादों के लिए भी डिजिटल सुविधाएं प्रदान की जाएंगी.

The Bank considers digitisation of banking services and technology enabled banking as a necessary step for enhanced customer experience. A number of digital initiatives have been launched to provide tailor-made services to the customers during the year.

The Bank has revamped its mobile application to offer services such as pre-approved personal loans, UPI and passbook among others. Mobile banking is now the centrepiece for offering digital solutions to customers. New-age banking channel – 'WhatsApp Banking' has also been launched adding one more touchpoint for tech savvy customers.

Savings bank customers are on-boarded in paperless format using tablets (TAB Banking) and now this facility is extended to current account customers as well. On the asset side, digital journeys are being extended by building a digital lending platform wherein end-to-end customer journey from sourcing to sanction to disbursement is completely digitised.

As a first step, end-to-end digitised loan processing is now functional for Micro Personal Loans, with significantly reduced turnaround time. Going forward, digital journey will be extended to Retail and MSME products.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

## Bank of Baroda secures FIRST position in Top Performing Bank category under 'EASE Reforms Index Award - Overall' basis EASE 2.0 Index Rankings

भारत सरकार के ईज 2.0 सूचकांक में, बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों में "प्रथम" स्थान प्राप्त किया है. इस सूचकांक के अनुसार, बैंक में छह मानकों 'जिम्मेदारीपूर्ण बैंकिंग', 'गवर्नेंस और मानव संसाधन', 'एमएसएमई के लिए उद्यमी मित्र के रूप में पीएसबी', 'क्रेडिट ऑफ-टेक', 'वित्तीय समावेशन और डिजिटलीकरण' तथा 'त्वरित ग्राहक सेवा' पर महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है. बैंक द्वारा प्राप्त इस शीर्ष रैंक ने इस दिशा में वर्षों से किए गए प्रयासों को रेखांकित किया है.

ईज 1.0 के तहत भी बैंक "द्वितीय" स्थान पर रहा, जो यह दर्शाता है कि बैंक सभी क्षेत्रों में तकनीक समर्थित, स्मार्ट बैंकिंग को अपना रहा है. उदाहरण के लिए, रिटेल और एमएसएमई सेगमेंट हेतु बैंक की संवर्धित ऋण प्रबंधन प्रणाली से टर्नअराउंड टाइम में कमी आई है. बैंक डिजिटल लेंडिंग के लिए PSBloansin59minutes एवं TReDS प्लेटफॉर्म के अग्रणियों में से एक है. शाखा-आधारित अधिकांश सेवाएं अब घर और मोबाइल से स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध हैं.

In Government of India's EASE 2.0 index, Bank secured the "First" position among all Public Sector Banks. As per the index, significant progress is seen in the Bank across six themes 'Responsible Banking', 'Governance and HR', 'PSBs as Udyamimitra for MSMEs', 'Credit off-take', 'Financial Inclusion and Digitisation' and 'Customer Responsiveness'. The top rank secured by the Bank entrenches the efforts undertaken over the years in this direction.

Even under EASE 1.0, the Bank ranked "Second", which shows that the Bank is adopting tech-enabled, smart banking in all areas. For instance, the Bank's revamped loan management system for Retail and MSME segment has led to reduced turnaround time. The Bank is one of the leaders in the PSBloansin59minutes and TReDS platform for digital lending. Most branch-based services are now accessible from home and mobile in local languages.

# FINANCIAL INCLUSION

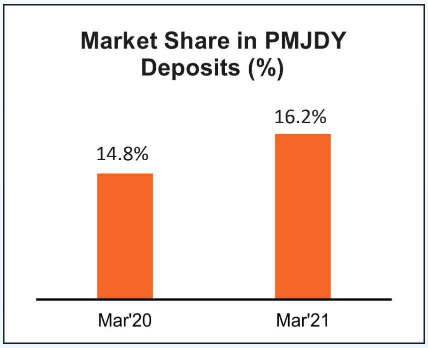


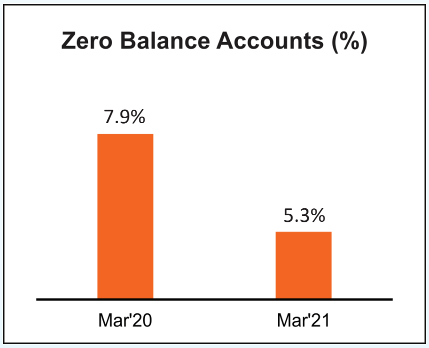


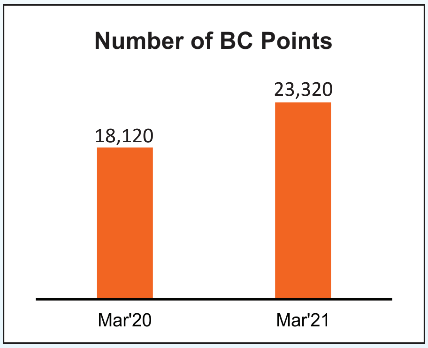


बैंक वित्तीय समावेशन (एफआई) को एक सामाजिक प्रतिबद्धता के साथ-साथ व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल के माध्यम से व्यवसाय सृजन हेतु एक महत्वपूर्ण उपाय मानता है. वर्ष के दौरान बीसी नेटवर्क में 5,200 की वृद्धि हुई है. वित्त वर्ष 2021 में एफआई खातों की कुल राशि में 26% की वृद्धि हुई है और इन खातों में औसत शेष राशि ₹ 3,985 है. बैंक समाज के सभी वर्गों विशेष रूप से ग्रामीण, अर्ध शहरी और शहरी गरीबों को सस्ती कीमत पर यूनिवर्सल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है. बैंक के पास व्यापक ग्रामीण और अर्ध-शहरी नेटवर्क है जो कुल शाखाओं का क्रमशः 35% और 25% है.

Bank considers Financial Inclusion (FI) as a social commitment as well as a value proposition to tap business through Business Correspondent (BC) Model. The BC network has increased by 5,200 during the year. The total balance in FI accounts has increased by 26% and the average balance in these accounts stands at ₹ 3,985 in FY 2021. The Bank provides universal banking services to all sections of the society especially to rural, semi urban and urban poor at an affordable cost. The Bank has an extensive rural and semi urban network constituting 35% and 25% of the total branches, respectively.

# BOB-NOWW – NEW OPERATING MODEL AND WAYS OF WORKING

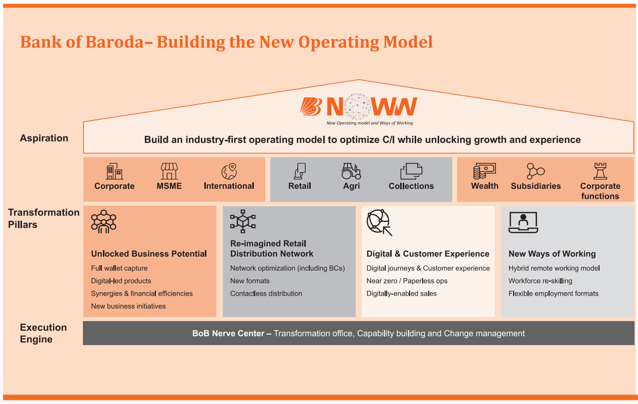


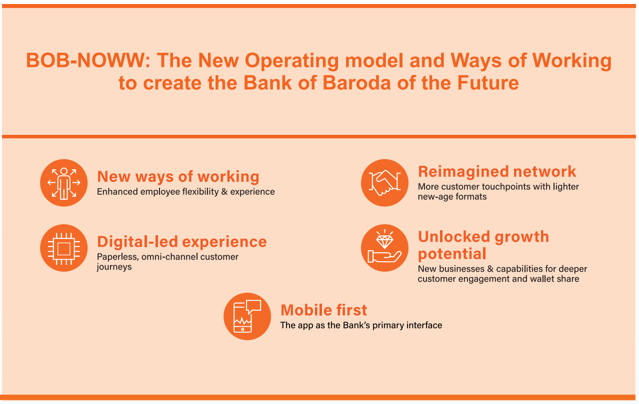


बॉब-नाऊ बैंक की रूपान्तरण यात्रा है जिसका उद्देश्य प्रत्येक ग्राहक को बेहतर सेवा प्रदान करना है. यह यात्रा पांच स्तंभों के माध्यम से संचालित हो रही है. ये चार स्तम्भ हैं 'मोबाइल प्रथम', 'डिजिटल संचालित अनुभूति, 'पुनर्कल्पित नेटवर्क', 'उन्मुक्त कारोबारी अवसर' और 'नई कार्य प्रणाली'.

ये पहलें कारोबारी अवसर को उन्मुक्त करने और सभी हितधारकों को महत्व देने पर केंद्रित हैं.

बैंक का मोबाइल ऐप्लिकेशन ग्राहकों का प्राथमिक इंटरफेस होगा. कुछ सेवाओं को छोड़कर, जोकि शाखा में सर्वोत्तम रूप से प्रदान की जाती हैं, ग्राहक बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु मोबाइल फोन का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे.

प्रयास यह है कि भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे का सही सम्मिश्रण हो. बैंक नए बीसी और सरल प्रारूपों के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर अपनी उपस्थिति का अधिक विस्तार करने पर विचार कर रहा है. कॉर्पोरेट बैंकिंग ग्राहकों के लिए, उनकी आवश्यकताओं की समग्र समझ के आधार पर बैंक के उपयुक्त उत्पाद और सेवाएं ऑफर की जाएंगी, जिससे पूर्ण सेवा समाधान उपलब्ध होगा.

कर्मचारियों को चुनिंदा भूमिकाओं हेतु रिमोट वर्किंग सहित एक फ्लेक्सिबल कामकाजी वातावरण का सुअवसर प्राप्त होगा. यह बैंक को सभी प्रकार के उपलब्ध कौशल समूह को आकर्षित करने और प्रतिस्पर्धी बने रहने में सहायक होगा.

BOB-NOWW is Bank's transformation journey aimed to better serve every customer. The journey is driven through five pillars. They are 'Mobile first', 'Digital-led experience', 'Reimagined network', 'Unlocked growth potential' and 'New ways of working'.

These initiatives are focused on unlocking the growth potential and creating value for all stakeholders.

Bank's mobile application will be the primary interface for customers. Apart from a few services which are best delivered at a branch, customers will increasingly be using mobile phones for meeting banking requirements.

The endeavour is to have a right mix of physical and digital infrastructure. The Bank is looking at significantly expanding its presence across locations through new BCs and lighter formats. For the corporate banking customers, suitable products and services would be offered based on holistic understanding of their needs, thereby providing a full-service solution.

Employees will enjoy a flexible working environment with remote working for select roles. This will also allow the Bank to attract all types of talent pool available and remain competitive.

## लेखापरीक्षक / AUDITORS

दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
Dass Gupta & Associates
Chartered Accountants

आर देवेन्द्र कुमार एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
R Devendra Kumar & Associates
Chartered Accountants

जे काला एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
J Kala & Associates
Chartered Accountants

व्यास एंड व्यास
सनदी लेखाकार
Vyas & Vyas
Chartered Accountants

दस्सानी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
Dassani & Associates
Chartered Accountants

### प्रधान कार्यालय
बड़ौदा भवन, अलकापुरी, वडोदरा 390 007

### कॉर्पोरेट कार्यालय
बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, जी-ब्लॉक,
बान्द्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बान्द्रा (पू.),
मुंबई 400051

### निवेशक सेवाएं विभाग
7वां तल, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर,
सी-26, जी-ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बान्द्रा (पू.),
मुंबई 400051

### रजिस्ट्रार एंड अंतरण एजेंट
**केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड**
(यूनिट: बैंक ऑफ़ बड़ौदा)
सेलेनियम बिल्डिंग, टावर बी, प्लाट नं. 31 व 32,
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली,
हैदराबाद 500032

### डिबेंचर न्यासी
**आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि.**
एशियन बिल्डिंग, भू-तल,17, आर कमानी मार्ग,
बेलार्ड एस्टेट, मुंबई – 400 001
टेलीफोन: 022-40807000, ई-मेल: itsl@idbitrustee.com

**केनरा बैंक**
एफ एम एवं एस विंग, प्रधान कार्यालय नं. 112,
जे सी रोड, बेंगलुरु – 560002
टेलीफोन: 080-22223165/080-22223170
ई-मेल: hoett@canarabank.com;

**कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप लि.**
जीडीए हाउस, प्लॉट नं. 85, भुसारी कॉलोनी (राइट),
पौड रोड, पुणे - 411 038
टेलीफोन: 020-2528 0081 ई-मेल: dt@ctltrustee.com

**सेंटबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि.**
सेंट्रल बैंक – एमएमओ बिल्डिंग, तीसरा तल (पूर्व विंग)
55 एमजी रोड, फोर्ट, मुंबई 400001
टेलीफोन: 022- 2261 6217, फैक्स: (022) 2261 6208
ई-मेल: hv.kamdar@cfsl.in; md@cfsl.in

### Head Office
Baroda Bhavan, Alkapuri, Vadodara 390 007

### Corporate Office
Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai 400051

### Investor Services Department
7th Floor, Baroda Corporate Centre,
C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai 400051

### Registrars & Transfer Agent
**KFin Technologies Private Limited**
(Unit: Bank of Baroda)
Selenium Building, Tower B, Plot Nos. 31 & 32,
Financial District, Nanakramguda, Serilingampally,
Hyderabad 500032

### Debenture Trustees
**IDBI Trusteeship Services Ltd.**
Asian Building, Ground Floor, 17, R Kamani Marg,
Ballard Estate, Mumbai – 400001.
Tel: 022-40807000 E-mail: itsl@idbitrustee.com

**Canara Bank**
FM&S Wing, Head Office, No. 112,
JC Road, Bangalore – 560002.
Tel: 080-22223165/080-22223170
E-mail: hoett@canarabank.com;

**Catalyst Trusteeship Ltd**
GDA House, Plot No. 85, Bhusari Colony (Right),
Paud Road, Pune - 411 038
Tel: 020 - 2528 0081 E-mail: dt@ctltrustee.com

**Centbank Financial Services Ltd**
Central Bank - MMO Bldg, 3rd Floor (East Wing)
55 MG Road, Fort, Mumbai 400001
Tel: 022- 2261 6217, Fax: (022) 2261 6208
E-mail: hv.kamdar@cfsl.in; md@cfsl.in

# निदेशक मंडल | BOARD OF DIRECTORS

डॉ. हसमुख अढिया
गैर–कार्यपालक अध्यक्ष
**Dr. Hasmukh Adhia**
Non-Executive Chairman

श्री संजीव चड्ढा
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
**Shri Sanjiv Chadha**
Managing Director & CEO

श्री शांति लाल जैन
कार्यपालक निदेशक
**Shri Shanti Lal Jain**
Executive Director

श्री विक्रमादित्य सिंह खीची
कार्यपालक निदेशक
**Shri Vikramaditya Singh Khichi**
Executive Director

श्री अजय के. खुराना
कार्यपालक निदेशक
**Shri Ajay K. Khurana**
Executive Director

श्री देबदत्त चाँद
कार्यपालक निदेशक
**Shri Debadatta Chand**
Executive Director

# निदेशक मंडल | BOARD OF DIRECTORS

**श्री अमित अग्रवाल**
भारत सरकार के नामित निदेशक
**Shri Amit Agrawal**
GOI Nominee Director

**श्री अजय कुमार**
भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक
**Shri Ajay Kumar**
RBI Nominee Director

**श्रीमती सौंदरा कुमार**
शेयरधारक निदेशक
**Smt. Soundara Kumar**
Shareholder Director

**श्री श्रीनिवासन श्रीधर**
शेयरधारक निदेशक
**Shri Srinivasan Sridhar**
Shareholder Director

| सीवीओ | CVO |
|---|---|
| श्री कौशिक शिव नारायण | MR. KAUSHIK SHIV NARAIN |
| **मुख्य महाप्रबंधक / कार्य प्रमुख** | **CGM/FUNCTIONAL HEADs** |
| श्री शर्मा रजनीश | MR. SHARMA RAJNEESH |
| डॉ. यादव रामजस | DR. YADAV RAMJASS |
| श्री मल्होत्रा राजेश | MR. MALHOTRA RAJESH |
| श्री श्रीवास्तव सुनील कुमार | MR. SRIVASTAVA SUNIL KUMAR |
| श्री रॉय जयदीप दत्ता | MR. ROY JOYDEEP DUTTA |
| श्री पुरुषोत्तम | MR. PURSHOTAM |
| श्री डुडेजा विनीत कुमार | MR. DUDEJA VINEET KUMAR |
| श्री कुमार सुब्रत | MR. KUMAR SUBRAT |
| श्री मेनन वेणुगोपाल | MR. MENON VENUGOPAL |
| श्री राठी प्रकाश वीर | MR. RATHI PRAKASH VIR |
| श्री एम जगन मोहन | MR. M JAGAN MOHAN |
| श्री एलांगो बालासुब्रमण्यम | MR. ELANGO BALASUBRAMANIAM |
| **महाप्रबंधक-मुख्य समन्वयन/महाप्रबंधक/कार्य प्रमुख** | **GM-CC/GMs/FUNCTIONAL HEADs** |
| सुश्री चक्रबर्ती डे जया | MS. CHAKRABORTY DE JAYA |
| श्रीमती रवि उषा - सीवीओ, आईडीबीआई बैंक (प्रतिनियुक्ति पर) | MRS. RAVI USHA - CVO, IDBI Bank (On Deputation) |
| श्री नामदेव दिनेश कुमार - सीवीओ, आईएफसीआई (प्रतिनियुक्ति पर) पीएफआरडीए एवं ओआईसीएल में सीवीओ के रूप में अतिरिक्त प्रभार | MR. NAMDEO DINESH KUMAR - CVO, IFCI (On Deputation) additional charge as CVO in PFRDA & OICL |
| श्री ए सुदर्शन एस | MR. A SUDARSAN S |
| श्री गुप्ता मन मोहन | MR. GUPTA MAN MOHAN |
| श्री देव हेमन्त कुमार | MR. DEO HEMANT KUMAR |
| श्री देवरकोण्डा आनंद कुमार | MR. DEVARAKONDA ANANDA KUMAR |
| श्री डोभाल संजीव | MR. DOBHAL SANJEEV |
| श्री खोसला अजय के | MR. KHOSLA AJAY K |
| श्री रमेश गोपालरत्नम | MR. RAMESH GOPALARATNAM |
| श्री ह्यांकी महिराज सिंह | MR. HYANKEY MAHIRAJ SINGH |
| श्री गुप्ता सर्वेश कुमार | MR. GUPTA SARVESH KUMAR |
| श्री ग्रोवर संजय कुमार | MR. GROVER SANJAY KUMAR |
| श्रीमती पाण्डेय अर्चना | MRS. PANDEY ARCHANA |
| श्री एल श्रीधर इनुमेल्ला वी | MR. L SRIDHAR INUMELLA V |
| श्री दास तपन कुमार | MR. DAS TAPAN KUMAR |
| श्री वेणुगोपाल एन | MR. VENUGOPAL N |
| श्री पानेरी गजेन्द्र कुमार | MR. PANERI GAJENDRA KUMAR |
| श्री गग्गड़ रमेश चंद्र | MR. GAGGAR RAMESH CHANDRA |
| श्री गुप्ता अमर नाथ | MR. GUPTA AMAR NATH |
| श्री बेहरा नित्यानंद | MR. BEHERA NITYANANDA |
| श्री ग्रोवर देवेन्दर पाल | MR. GROVER DEVINDER PAL |
| डॉ. एम कृष्णमचारी | DR M KRISHNAMACHARY |
| श्री रोहिल्ला मोहन लाल | MR. ROHILLA MOHAN LAL |
| श्री रंजन निशांत | MR. RANJAN NISHANT |
| श्री शर्मा प्रभात के | MR. SHARMA PRABHAT K |
| श्री पोलुरी श्रीनिवास रेड्डी | MR. POLURI SRINIVASA REDDY |
| श्री सिंह शैलेन्द्र एच | MR. SINGH SHAILENDRA H |

| | |
|---|---|
| श्री चौधरी कमलेश कुमार | MR. CHOUDHARY KAMLESH KUMAR |
| श्री धीरेंद्र सेट्टीपल्ली | MR. DHEERENDRA SETTIPALLI |
| श्री नायक ए सुधाकर डी | MR. NAYAK A SUDHAKARA D |
| श्री मुदलियार संजय विनायक | MR. MUDALIAR SANJAY VINAYAK |
| श्री कृष्णा एम वेंकट मुरली | MR. KRISHNA M VENKAT MURALI |
| श्री श्रीजित कोट्टाराथिल | MR. SREEJITH KOTTARATHIL |
| श्री महनोत महेन्द्र सिंह | MR. MAHANOT MAHENDRA SINGH |
| श्री के वेंकटेशन | MR. K VENKATESAN |
| श्री चोपड़ा जेठा नंद - सलाहकार, सीवीसी (प्रतिनियुक्ति पर) | MR. CHOPRA JETHA NAND - Advisor, CVC (On Deputation) |
| श्री कुमार मधुर | MR. KUMAR MADHUR |
| श्रीमती सचदेव सम्मिता | MRS. SACHDEV SAMMITA |
| श्री त्यागी ललित | MR. TYAGI LALIT |
| श्री दिनेश पंत | MR. DINESH PANT |
| श्री कुमार अश्विनी | MR. KUMAR ASHWINI |
| श्री डालाकोटी गिरीश सी | MR. DALAKOTI GIRISH C |
| श्रीमती गायत्री आर | MRS. GHAYATHRI R |
| श्री सिंह ब्रजेश कुमार | MR. SINGH BRAJESH KUMAR |
| श्री सिंह सुधांशु कुमार | MR. SINGH SUDHANSHU KUMAR |
| श्री सीताराम बुलुसु सूर्या | MR. SITARAM BULUSU SURYA |
| सुश्री केणी सविता दत्तात्रेय | MS. KENI SAVITA DATTATRAYA |
| श्री खंडेलवाल वीरेंद्र कुमार | MR. KHANDELWAL VIRENDRA KUMAR |
| श्री बंसल महेश मिठूलाल | MR. BANSAL MAHESH MITHOOLAL |
| श्री डी दास | MR. D DAS |
| श्री सुशांत कुमार मोहंती | MR. SUSHANTA KUMAR MOHANTY |
| श्री सिंह इंदर मोहन | MR. SINGH INDER MOHAN |
| श्री सोलंकी हर्षदकुमार टी | MR. SOLANKI HARSHADKUMAR T |
| श्री शर्मा सुनील कुमार | MR. SHARMA SUNIL KUMAR |
| श्री भगोलीवाल संजय | MR. BHAGOLIWAL SANJAY |
| श्री चयानी मनोज सुंदर | MR. CHAYANI MANOJ SUNDAR |
| श्री शुक्ल सौरभ रविशंकर | MR. SHUKLA SAURABH RAVISHANKAR |
| श्री नेगी रवीन्द्र सिंह | MR. NEGI RAVINDRA SINGH |
| सुश्री शेट्टी सुजया यू - एडिशनल सीवीओ, एसबीआई (प्रतिनियुक्ति पर) | MS. SHETTY SUJAYA U - Additional CVO, SBI (on Deputation) |
| श्री राव सिद्देला प्रसाद | MR. RAO SIDDELA PRASAD |
| श्री कौरा मनीष | MR. KAURA MANISH |
| श्री मित्तल पंकज | MR. MITTAL PANKAJ |
| सुश्री एम मिनी टी | MS. M MINI T |
| श्री तुली अमित | MR. TULI AMIT |
| **मुख्य वित्त अधिकारी** | **CHIEF FINANCIAL OFFICER** |
| श्री डिसूज़ा इयान गेरार्ड | MR. DESOUZA IAN GERARD |
| **निदेशक मंडल के सचिव** | **SECRETARY TO BOARD** |
| श्री डंगायच आनंद | MR. DANGAICH ANAND |
| **कंपनी सचिव** | **COMPANY SECRETARY** |
| श्री अग्रवाल प्रशांत कमल | MR. AGARWAL PRASHANT KAMAL |

## अध्यक्ष का संदेश

**डॉ. हसमुख अढ़िया**
अध्यक्ष

**प्रिय हितधारकों,**

मुझे आपके समक्ष वित्तीय वर्ष 2020-21 (विव 2021) के दौरान बैंक के कार्यनिष्पादन की प्रमुख विशेषताओं को प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है. वित्तीय वर्ष 2021 कई मायनों में एक असाधारण वर्ष रहा. कोविड-19 महामारी के प्रकोप ने इलाज के अभाव में स्वास्थ्य और आजीविका के लिए संकट उत्पन्न किया. हम उन सभी नागरिकों और सहयोगी बैंक कर्मचारियों के दु:ख की इस घड़ी में साथ खड़े हैं जिन्होंने इस महामारी में अपने प्रियजनों को खोया है. इस कठिन समय में लोगों को सेवाएं प्रदान करने में बैंक कर्मचारियों की भूमिका की मैं बड़े गर्व के साथ प्रशंसा करता हूं.

जब स्वास्थ्य संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रणालियों में सुधार किया जा रहा था उस समय दुनिया भर के देशों ने लॉकडाउन लगाए. लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियाँ प्रतिकूलत: प्रभावित हुईं. संपर्क आधारित सेवाओं को सबसे अधिक नुकसान हुआ. उपभोक्ताओं को बाहर से ज्यादा घर पर समय बिताना पड़ा. परिणामस्वरूप, घरेलू सामानों और डिजिटल रूप से दी जा रही सेवाओं की मांग बढ़ गई.

लॉकडाउन से पैदा हुए आउटपुट गैप को विस्तारवादी मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों से पूरा किया गया. विश्व स्तर पर, यूएस फेडरल रिजर्व की अगुवाई में केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों को कम किया और अर्थ-सुलभता को बढ़ाने के लिए आस्ति खरीदी कार्यक्रम आयोजित किए. महामारी के कारण उत्पन्न हुए आर्थिक प्रभावों को कम करने के लिए त्वरित रूप से राजकोषीय नीति लागू की गई.

भारत सरकार ने सीमांत परिवारों को नकद ट्रांसफर से लेकर खाद्यान्न बांटने, ग्रामीण रोजगार खर्च में वृद्धि, उच्च पूंजी निवेश और एमएसएमई तथा महामारी से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना जैसे आर्थिक उपायों की घोषणा की. अपनी काउंटर साइक्लिकल राजकोषीय नीति के हिस्से के रूप में केंद्र ने वित्त वर्ष 2021 में अपने राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 9.5% तक बढ़ा दिया.

भारतीय रिजर्व बैंक ने न केवल अपनी नीतिगत दर को 115 आधार अंक घटाकर 4% किया, बल्कि अर्थ-सुलभता बढ़ाने जैसे उपाय भी किए. भारतीय रिज़र्व बैंक ने कुल मिलाकर 15.7 लाख करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जो जीडीपी का 8% है. इसने बैंकों को महामारी से प्रभावित ग्राहकों को मॉरिटोरियम का विकल्प देने के लिए भी कहा. भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को महामारी से प्रभावित एमएसएमई और खुदरा ग्राहकों के ऋणों को पुनर्गठित करने की भी अनुमति प्रदान की. कामत समिति ने महामारी से प्रभावित ऐसे क्षेत्रों की पहचान की, जहां कॉर्पोरेट ऋणों का पुनर्गठन किया जा सकता है.

लॉकडाउन ने हमारे स्वास्थ्य संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का मौका दिया. सितंबर में चरम पर पहुंचने के बाद संक्रमितों की संख्या में भी कमी आने लगी. सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपायों और अर्थव्यवस्था के खुलने से अक्टूबर 2020 से विकास दर में सुधार हुआ. दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन विकसित किए जो कोविड-19 के प्रति काफी कारगर साबित हुई. भारत भी उन कुछ देशों में से एक है जो स्वदेशी वैक्सीन की खोज करने में सफल रहा.

### बैंकिंग क्षेत्र - महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन

इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान बैंकिंग सेवाएं चालू रही हैं और बैंकों ने भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित विभिन्न आर्थिक उपायों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. बैंक ऑफ़ बड़ौदा भी महामारी से प्रभावित ग्राहकों को मॉरिटोरियम और पुनर्गठन की सुविधा उपलब्ध कराने में आगे रहा. बैंक ने सॉवरेन क्रेडिट लिंक्ड गारंटी के तहत ग्राहकों को ऋण सुविधा भी प्रदान की. बैंक ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थियों को धनराशि भी ट्रांसफर की.

### डिजिटलीकरण

डिजिटल रूप से बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने की उतनी आवश्यकता कभी भी महसूस नहीं की गई जितनी कि यह वर्तमान समय में महसूस हुई. बैंक ऑफ़ बड़ौदा ग्राहक अनुभवों को बढ़ाने की योजना के तहत अपने परिचालनों और सेवाओं का डिजिटलीकरण कर रहा है. उदाहरण के लिए, शाखाओं द्वारा अधिकतम जमा खाते कागज रहित प्रक्रिया के माध्यम से

खोले गए हैं. मोबाइल हैंडसेट और मोबाइल ऐप्लिकेशन की सर्वव्यापकता को देखते हुए मोबाइल बैंकिंग अब हमारे ग्राहकों को डिजिटल समाधान उपलब्ध कराने के लिए केंद्र बिंदु के रूप में है. इस उद्देश्य से हमने अधिक से अधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने मोबाइल ऐप्लिकेशन में सुधार किए हैं.

बैंक ने अब एक डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म तैयार कर आस्ति पक्ष पर अपनी डिजिटल पेशकश का विस्तार किया है, जिसमें सोर्सिंग से लेकर मंजूरी और संवितरण तक की ग्राहक प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल किया जा रहा है. यह हमें बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने और अपने ग्राहकों को बेहतर उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाएगा.

## हमारे प्रयासों की सराहना – ईएएसई (EASE)

भारत सरकार द्वारा सभी छह विषयों अर्थात् 'जिम्मेदारीपूर्ण बैंकिंग', 'गवर्नेंस एवं मानव संसाधन', 'एमएसएमई हेतु उद्यमी मित्र के रूप में पीएसबी', 'क्रेडिट ऑफ-टेक', 'वित्तीय समावेशन एवं डिजिटलीकरण' और 'ग्राहकों के प्रति उत्तरदायित्व' से संबंधित मानदंडों के आधार पर (मार्च 2019 से मार्च 2020 आज तक) ईएएसई 2.0 पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की रैंकिंग की गई है.

यह बड़े गर्व की बात है कि भारत सरकार के ईएएसई 2.0 इंडेक्स में बैंक को "प्रथम" स्थान प्राप्त हुआ है. उल्लेखनीय है कि ईएएसई 1.0 में हम दूसरे स्थान पर थे. बैंक में रूपांतरण के प्रयास अपने परिणाम दिखा रहे हैं और मैं इन्हें हासिल करने में हमारी मदद करने के लिए अपने सभी हितधारकों, विशेष रूप से कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं.

## वित्तीय कार्यनिष्पादन

वित्त वर्ष 21 के दौरान चुनौतियों के बीच बैंक का वित्तीय कार्यनिष्पादन संतोषजनक रहा है. वर्ष-दर-वर्ष आधार पर आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है और जीएनपीए अनुपात पिछले वर्ष के 9.40% से घटकर 8.87% रहा है. वर्ष के दौरान आवास, ऑटो और कृषि जैसे चुनिंदा क्षेत्रों में ऋण वृद्धि बैंकिंग उद्योग से ऊपर रही है. 31 मार्च, 2021 को बैंक की घरेलू कासा जमा में 16.48% की वृद्धि हुई है और कासा अनुपात बढ़कर 42.87% हो गया है, जिसमें मार्च, 2020 की तुलना में 380 आधार अंकों की वृद्धि हुई है.

बैंक ने समामेलन के बाद अपने शाखा नेटवर्क में सुधार किया है. शाखाएं और एटीएम जो एक-दूसरे के बहुत नजदीक स्थित थे उन्हें मिलाकर एक जगह लाया गया है और इस प्रकार इस विलय की सहक्रियता का लाभ उठाया गया है. वर्ष के दौरान बैंक के अन्य परिचालन व्यय में गिरावट आई है.

बैंक ने आयकर की नई व्यवस्था के अंतर्गत अपेक्षाकृत कम टैक्स वाले स्ट्रक्चर को अपनाया है. तथापि, बैंक ने वित्त वर्ष 2020 में ₹ 546 करोड़ के मुकाबले ₹ 829 करोड़ का कर पश्चात लाभ दर्ज किया है.

बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) पिछले वर्ष के 13.30% से बढ़कर 31 मार्च, 2021 को 14.99% रहा है, क्योंकि बैंक ने वर्ष में इक्विटी पूंजी के माध्यम से रू. 4,500 करोड़ जुटाए थे. बैंक ने रू. 3,735 करोड़ के एटी-I बांड जारी कर अतिरिक्त निधियां भी जुटायी हैं.

## भविष्य के लिए रूपांतरण

भविष्य के बैंक के पास भौतिक और डिजिटल उपस्थिति का सही मिश्रण होगा. बैंक ने एक नई पहल "बॉब नाऊ– नई परिचालनगत संरचना एवं कार्य प्रणाली" की शुरूआत की है. इस पहल का उद्देश्य डिजिटल प्रारूपों और व्यवसाय प्रतिनिधि नेटवर्क के माध्यम से ग्राहक संपर्क बिंदुओं को बढ़ाकर अपने शाखा नेटवर्क को सही आकार देना है. ऋण प्रक्रिया सहित ग्राहक इंटरफेस अधिक डिजिटल होगा. नकदी प्रबंधन समाधान और सप्लाई चेन फाइनेंस जैसी बैंकिंग सेवाओं की क्रॉस बिक्री के माध्यम से संपूर्ण कॉर्पोरेट वैल्यू चैन को कैप्चर करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है. कर्मचारियों के लिए कार्य परिवेश अधिक लचीला होगा एवं चुनिंदा भूमिकाओं के लिए कहीं से भी काम करने का विकल्प होगा.

## आगे की राह

जब आर्थिक वृद्धि में तेजी आ रही थी, दुनिया और भारत दूसरी लहर की चपेट में आ गए. कई भारतीय राज्यों को महामारी के प्रसार को रोकने के लिए स्थानीय रोकथाम उपायों की घोषणा करनी पड़ी. भारतीय रिज़र्व बैंक दूसरी लहर से प्रभावित एमएसएमई, छोटे व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए समाधान फ्रेमवर्क 2.0 की घोषणा पहले ही कर चुका है.

दूसरी लहर कुछ समय के लिए विकास की संभावनाओं को प्रभावित करेगी किंतु भारत की दीर्घकालिक विकास यात्रा बरकरार रहेगी. सरकार ने कई सुधारों और आर्थिक उपायों की घोषणा की है जैसे कि निजीकरण नीति, डिजिटलीकरण पर जोर और कई विकास क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन.

हम बैंक ऑफ़ बड़ौदा में, सरकार द्वारा घोषित पहलों में भाग लेने और आगे बढ़ने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं. हमने पूंजी जुटाई है और 31 मार्च, 2021 को 81.80% का उच्च प्रावधान कवरेज अनुपात बनाए रखा है. हम एक ऐसा दक्ष संगठन बनाने के लिए अपनी प्रक्रियाओं, उत्पादों और सेवाओं को रूपांतरित कर रहे हैं जहां कर्मचारियों के लिए मिश्रित कार्यप्रणाली उपलब्ध होगी एवं चुनिंदा भूमिकाओं के पास कहीं से भी काम करने का विकल्प होगा. इस यात्रा का सहभागी बनना मेरे लिए हर्ष का विषय है.

**हसमुख अढ़िया**
अध्यक्ष

# CHAIRMAN'S STATEMENT

Dear Stakeholders,

It gives me great pleasure to place before you the highlights of the Bank's performance during the financial year 2020-21 (FY 2021). FY 2021 was an extraordinary year in many respects. The outbreak of the COVID-19 pandemic threatened the health and livelihoods, in absence of a cure. We share the grief of our fellow citizens and employees of the bank who have lost their near and dear ones in this pandemic. I admire with a sense of pride the role played by bank employees in giving services to people during these difficult times.

Countries all over the world imposed lockdowns while health infrastructure and systems were being ramped up. Lockdowns meant economic activity took a backseat. Contact intensive services suffered the most. Consumers had to spend more time at home than outside. As a result, demand for household goods and digitally delivered services soared.

The output gap created by lockdowns was filled in by expansionary monetary and fiscal policies. Globally, central banks reduced interest rates led by US Federal Reserve and conducted asset purchase programmes to inject liquidity. Fiscal policy moved hand-in-hand in order to mitigate the economic impact left by the pandemic.

Government of India announced economic measures ranging from cash transfers to allocation of food grains to marginal households, increase in rural employment spends, higher capital investments and credit guarantee scheme for MSMEs and sectors most impacted by the pandemic. As a part of its counter cyclical fiscal policy, Centre expanded its fiscal deficit to 9.3% of GDP in FY 2021.

RBI not only reduced its policy rate by 115bps to 4% but also took measures such as liquidity injection. Overall ₹ 15.7 lakh crore support was provided by RBI amounting to 8% of GDP. It also advised banks to offer moratorium to customers impacted by the pandemic. RBI also allowed banks to restructure loans to MSME and retail customers who have been impacted by the pandemic. The Kamath Committee identified sectors impacted by the pandemic where corporate loans could be restructured.

The lockdown gave time to ramp up our health infrastructure. The number of infections also started

Dr. Hasmukh Adhia
Chairman

falling after the peak reached in September. The measures announced by the Government and RBI and the opening up of the economy led to growth recovery from October 2020 onwards. Scientists all over the world developed vaccines which proved quite effective against COVID-19. India was one of the few countries able to discover an indigenous vaccine.

## Banking sector - playing instrumental role

During these challenging times, banking services have been operational and have played a key role in implementing various economic measures announced by Government of India and RBI. Bank of Baroda was instrumental in offering moratorium and restructuring to customers impacted by the pandemic. The Bank also extended credit lines to customers under sovereign credit linked guarantee. Bank also transferred funds to beneficiaries identified by Government of India.

## Digitisation

The need for digitally delivering banking services has never been felt as much as during the current times. Bank of Baroda has been digitising its operations and services as part of enhancing customer experience. For instance, a large proportion of deposit accounts opened by branches are in paperless format. Given the

ubiquity of a mobile handset and mobile application, mobile banking is now the centrepiece for offering digital solutions to our customers. For this, we have revamped our mobile application to offer more and more services.

The Bank has now extended its digital offering on the asset side as well by building a digital lending platform wherein end-to-end customer journey from sourcing to sanction to disbursement is being completely digitised. This will enable us to compete in the marketplace and offer superior products and services to our customers.

## Recognition of efforts - EASE

Government of India has been ranking Public Sector Banks on the EASE 2.0 parameters across six themes namely 'Responsible Banking', 'Governance and HR', 'PSBs as Udyamimitra for MSMEs', 'Credit off-take', 'Financial Inclusion and Digitisation' and 'Customer Responsiveness' .

It is a matter of great pride that the Bank has been ranked "First" in the Government of India's EASE 2.0 index. Notably, in EASE 1.0 we were ranked "Second". The transformation effort at the Bank is showing results and I thank all our stakeholders, especially employees, for helping us achieve this.

## Financial Performance

During FY 2021, the Bank's financial performance was resilient amidst the challenges. The asset quality has improved with GNPA ratio trending down to 8.87% from 9.40% in the previous year. The credit growth in select segments such as housing, auto and agriculture was above industry during the year. Bank's domestic CASA deposits increased by 16.48% as on March 31, 2021 and CASA ratio increased to 42.87%, an increase of 380 bps over March 2020.

The Bank has also optimised its branch network after amalgamation. Branches and ATMs which were in close proximity to each other have been brought together under one roof thus reaping synergies from the merger. The Bank's other operating expenses declined over the year.

Bank moved to lower tax structure under the new regime of Income Tax Act. Still, the Bank reported profit after tax of ₹ 829 crore as against ₹ 546 crore in FY 2020.

Bank has increased its capital adequacy ratio (CRAR) to 14.99% as of March 31, 2021 from 13.30% last year as the Bank has raised ₹ 4,500 crore by way of equity capital in the year. The Bank also raised additional funds through AT-I bond issuances of ₹ 3,735 crore.

## Transforming for the future

The Bank of the future will have the right mix of physical and digital presence. Bank has introduced a new initiative "BOB NOWW—New Operating model and Ways of Working". The initiative is aimed at rightsizing our branch network by increasing customer touch points through digital formats and business correspondent network. Customer interface for lending will be more digital. The focus is on capturing the entire corporate value chain by cross-selling banking services such as cash management solution and supply chain finance. For the employees, the work environment will be more flexible with option to work from anywhere for select roles.

## Looking ahead

As the economic recovery was gaining ground, the world and India have been gripped by a second wave. A number of Indian states had to announce local containment measures to curtail the spread of the pandemic. RBI has already announced Resolution Framework 2.0 for MSMEs, small businesses and individuals impacted by the second wave.

While the second wave will impact growth prospects in the short-term, India's long-term growth trajectory remains intact. Government has announced a series of reforms and economic measures such as privatisation policy, thrust on digitisation and production linked incentives for a number of growth sectors.

We at Bank of Baroda are well placed to grow and participate in the initiatives announced by the Government. We have raised capital and maintained a high Provision Coverage Ratio of 81.80% as of March 31, 2021. We are transforming our processes, products and services to create an agile organisation where employees will have hybrid working formats with select roles having the option to work from anywhere. I am pleased to be part of this journey.

**Hasmukh Adhia**
Chairman

# प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का वक्तव्य

**संजीव चड्ढा**
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रिय हितधारकों,

हम सभी के लिए यह वर्ष चुनौतीपूर्ण रहा है. मैं आशा करता हूं और यह मेरी कामना है कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे. पूरा विश्व महामारी से प्रभावित हो चुका है. आरंभ में, वायरस को रोकने का एकमात्र उपाय सामाजिक दूरी था. अतः सरकारों को आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने के लिए लॉक-डाउन घोषित करना पड़ा. तथापि, एक वर्ष के भीतर ही वैज्ञानिकों ने वायरस से लड़ने के लिए टीके विकसित कर लिए हैं. आबादी के बड़े हिस्से का टीकाकरण करने वाले देशों के शुरुआती परिणाम उत्साहवर्धक हैं.

बैंकिंग एक आवश्यक सेवा है और यह पूरे वर्ष परिचालनगत रही. हमारी शाखाओं ने लॉकडाउन और महामारी के सबसे बुरे दौर में भी निर्बाध रूप से कार्य किया. बैंक ने नकदी अंतरण, सॉवरेन क्रेडिट गारंटी के पेटे एमएसएमई ऋणकर्ताओं के खातों की पुनर्संरचना करके या ऋण देकर अर्थव्यवस्था को मजबूती देने हेतु सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के राहत उपायों को कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. हमारे कर्मचारियों ने अदम्य साहस का परिचय दिया और ग्राहकों को सेवाएं प्रदान की. हम अपने स्टाफ सदस्यों के द्वारा किए गए बलिदानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते है जो इस कठिन दौर में हमारे बैंक के मजबूत स्तंभ रहे है. बैंक ने अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य और हितों की रक्षा के लिए टीकाकरण अभियान चलाने सहित कई उपाय किए.

देश में अब दूसरी लहर का प्रभाव कम हो रहा है. इन चुनौतियों के बावजूद आस्ति गुणवत्ता, जमाराशियों, ऋण वृद्धि, लाभप्रदता और पूंजी के मामले में बैंक का प्रदर्शन सुदृढ़ रहा है. ग्राहकों को डिजिटल समाधान ऑफर करने के बैंक के प्रयासों से ग्राहकों को डिजिटल रूप से सेवा प्रदान करने में मदद मिली. बैंकिंग सेवाओं को ऑफर करने के लिए बैंक का मोबाइल ऐप्लिकेशन प्रमुख केंद्रबिंदु बन गया है. जमाकर्ता ग्राहकों को डिजिटल रूप से जोड़ा गया तथा बैंक डिजिटल रूप से ऋण मंजूर करने और संवितरित करने के लिए प्लेटफार्म तैयार कर रहा है.

विगत वर्ष की प्रमुख उपलब्धियां संक्षेप में निम्नानुसार हैं.

## सुदृढ़ आस्ति गुणवत्ता

महामारी के आर्थिक प्रभाव के बावजूद बैंक की आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है. बैंक का सकल अनर्जक अनुपात 31 मार्च, 2020 के 9.40% की तुलना में 31 मार्च, 2021 को गिरावट के साथ 8.87% हो गया है. यह उत्साहजनक है कि घरेलू कॉर्पोरेट ऋण चक्र में परिवर्तन के कारण घरेलू ऋण लागत पिछले वित्तीय वर्ष के 2.51% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान गिरावट के साथ 1.54% रही. 31 मार्च, 2021 को बैंक का समग्र प्रावधान कवरेज अनुपात (टेक्निकल राइट-ऑफ सहित) 81.80% पर स्थिर है.

## सुदृढ़ जमा फ्रैन्चाइज

वित्त वर्ष 2021 के दौरान बैंक के घरेलू कासा जमा में 16.48% की वृद्धि हुई. कासा जमाओं के तहत, बैंक की चालू खाता जमाओं में 24.09% और बचत जमाओं में 15.06% की वृद्धि हुई. इस प्रकार बैंक का कासा अनुपात 31 मार्च, 2020 के 39.07% से बढ़कर 31 मार्च, 2021 को 380बीपीएस की वृद्धि के साथ 42.87% हो गया. इसे ग्राहकों के डिजिटल ऑनबोर्डिंग, बैंक के अत्याधुनिक नकदी प्रबंधन समाधान की शुरूआत

और कई साझेदारियों, जिनमें से एक कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के साथ की गई साझेदारी है, के कारण हासिल किया जा सका है.

### ऋण व्यवसाय में बढ़त

वित्त वर्ष 2021 में बैंक की घरेलू ऋण बढ़त औद्योगिक बढ़त के 5% के अनुरूप रही. यद्यपि कॉर्पोरेट उधारकर्ता अपनी निधियन आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु बॉन्ड बाजार की ओर अग्रसर रहे, तथापि बैंक अपने एमएसएमई, खुदरा और कृषि पोर्टफोलियो में दोहरे अंक की बढ़त बनाने में सफल रहा. सरकारी सोवरेन गारंटी के कारण एमएसएमई पोर्टफोलियो में अच्छी वृद्धि हुई. स्वर्ण ऋण में 32.64% की वृद्धि के कारण कृषि सेगमेंट में उछाल आया. रिटेल ऋण पोर्टफोलियो के तहत प्रतिभूत और गैर-प्रतिभूत दोनों ऋणों में व्यापक वृद्धि देखी गई. उदाहरणस्वरूप, वित्त वर्ष 2021 में हमारी ऑटो और वैयक्तिक ऋण बही में क्रमशः 27.79% और 27.21% की वृद्धि हुई.

### बेहतर लाभप्रदता

बैंक वित्त वर्ष 2021 में अपने परिचालनगत लाभ में 9.17% की वृद्धि दर्ज करते हुए इसे ₹ 20,630 करोड़ करने में सफल रहा. यह अधिक लागत व्यय को सख़्ती से नियंत्रित करने से संभव हुआ. परिणामस्वरूप, बैंक का कर-पूर्व लाभ वित्त वर्ष 2020 में ₹ 1,802 करोड़ की हानि के सापेक्ष बढ़कर ₹ 5,556 करोड़ हो गया. बैंक ने न्यून कर दर संरचना को भी अपनाया है. आस्थगित कर आस्ति (डीटीए) के रिवर्सल होने के बावजूद, बैंक ने वित्त वर्ष 2020 में ₹ 546 करोड़ के सापेक्ष वित्त वर्ष 2021 में ₹ 829 करोड़ का कर-पश्चात लाभ अर्जित किया. यदि डीटीए के एकमुश्त प्रभाव को समायोजित किया गया होता तो कर के पश्चात बैंक का लाभ ₹ 4,143 करोड़ होता.

### सुदृढ़ पूंजी स्थिति

बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) 31 मार्च, 2020 के 13.30% के सापेक्ष 31 मार्च, 2021 को बढ़कर 14.99 % रहा. यह ₹ 4,143 करोड़ के आंतरिक उपचय, ₹ 4,500 करोड़ की नई इक्विटी जारी करने और ₹ 3,735 करोड़ के एटी-I बॉन्ड के कारण संभव हुआ. इसके परिणामस्वरूप, स्टैंडअलोन आधार पर बैंक का सीईटी-I अनुपात 31 मार्च, 2020 के 9.44% की तुलना में 31 मार्च, 2021 को बढ़कर 10.94% रहा. 31 मार्च, 2021 को समेकित आधार पर बैंक का सीआरएआर 15.74% और सीईटी-I 11.80% रहा.

### 'बॉब नाऊ' – नया परिचालन मॉडल और कार्यप्रणाली

पिछले वर्ष की उपलब्धियों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बैंक ने बॉब नाऊ नामक एक देशव्यापी रूपांतरण कार्यक्रम के अंतर्गत लाभप्रद तथा सुदृढ़ वृद्धि के लिए नया मार्ग प्रशस्त किया है. यह बैंक को भविष्य के लिए रूपांतरित करने का लक्ष्य रखता है. इसके मूल में, प्रत्येक ग्राहक को अनुकूल उत्पादों के साथ बेहतर सेवाएं प्रदान करना और ग्राहक केंद्रीयता को सुदृढ़ करना है. कर्मचारियों को कुछ भूमिकाओं तथा हाईब्रिड एम्प्लॉयमेंट फार्मेट के लिए दूरस्थ कार्य करने की सुविधा का विकल्प मिलेगा. बैंक द्वारा की जा रही पहलों का उद्देश्य सभी हितधारकों के लिए मूल्य सृजित कर बैंक की लागत को इष्टतम बनाना और विकास की संभावना को सुगम बनाना है.

### इसके अंतर्गत की जा रही महत्वपूर्ण पहलें निम्नानुसार है:

#### मोबाइल फर्स्ट

बैंक का मोबाइल ऐप्लिकेशन ग्राहकों के लिए प्राथमिक इंटरफेस होगा. हमारा मानना है कि शाखाओं में उत्कृष्टता के साथ प्रदान की जा रही कुछ सेवाओं को छोड़कर ग्राहक अपनी बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मोबाइल फोन का भरपूर उपयोग करेंगे. बैंक ने अपनी मोबाइल एप्लिकेशन और वर्धित सेवाओं को नया रूप दिया है ताकि ग्राहकों को अनावश्यक शाखा में न जाना पड़े. इससे ग्राहकों को डिजिटल और मोबाइल चैनलों की दिशा में माइग्रेट करने में मदद मिलेगी. यहां तक कि शाखा में ग्राहकों से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोधों को डिजिटल रूप से प्रोसेस करें. साथ ही, प्रारंभ की गई नई वीडियो केवाईसी प्रक्रिया डिजिटल ऑन बोर्डिंग को सुदृढ़ बनाएगी.

#### डिजिटल लेंडिंग

महामारी के इस दौर में डिजिटल लेंडिंग का महत्व स्पष्ट रूप से उभरकर आया है. बैंक ऋण देने के कारोबार में ग्राहकों को दी जाने वाली सुविधाओं को डिजिटल बना रहा है. यह प्रयास किया जा रहा है कि रिटेल एवं एमएसएमई क्षेत्रों में ऋण की सोर्सिंग से लेकर मंजूरी और संवितरण तक की सभी ऋण प्रक्रियाओं को पूर्ण रूप से डिजिटलीकृत किया जाए. छोटी राशियों वाले व्यक्तिगत ऋणों को पहले ही डिजिटलीकृत कर दिया गया है और अन्य क्षेत्रों को भी धीरे-धीरे इस प्लेटफॉर्म पर ले जाया जाएगा.

## पुनर्कल्पित नेटवर्क

बैंक ने पूर्ववर्ती देना और पूर्ववर्ती विजया बैंक के साथ एकीकरण का कार्य पूरा कर लिया है. एकीकरण के अंतर्गत बैंक ने वर्ष के दौरान 1,310 शाखाओं और 1,135 एटीएम का विलय किया है या उन्हें तर्कसंगत बनाया है. साथ ही, बैंक ने 31 मार्च, 2021 तक अपने व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) नेटवर्क को 5,200 से बढ़ाकर 23,320 किया है. पीएमजेडीवाई जमाराशियों में बैंक की बाजार हिस्सेदारी 16.24% है. बैंक की योजना आगामी 2 वर्षों में बीसी और नए प्रारूप (लघु शाखाएं और सर्विस आउटलेट) सहित 50,000 टच पॉइंट बनाने की है. ये टच पॉइंट देश भर में निर्बाध ग्राहक सेवा प्रदान करने हेतु आधुनिक, कॉम्पैक्ट और डिजिटल होंगे. इससे बैंक को उन भौगोलिक क्षेत्रों में अपने शाखा नेटवर्क को मजबूत करने में मदद मिलेगी जहां उसकी पहुंच कम है.

## बाधारहित कारोबारी अवसर

बैंक के ग्राहक आधार में व्यापार की अपार संभावनाएं हैं. उदाहरण के लिए, बैंक ग्राहकों की आवश्यकताओं को समग्र रूप से समझकर वित्तीय उत्पादों की संपूर्ण श्रृंखला ऑफर करने की पहल के साथ, पूर्ण-सेवा समाधान उपलब्ध करवाकर अपने कॉर्पोरेट व्यवसाय वॉलेट शेयर को बढ़ा सकता है. एमएसएमई और उच्च मालियत वाले ग्राहकों के बड़े आधार को देखते हुए बैंक के लिए धनसंपदा प्रबंधन व्यवसाय के क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं व्याप्त हैं. बैंक अपने धनसंपदा व्यवसाय में बदलाव कर सुविधाओं की गुणवता बेहतर बनाने के प्रयास कर रहा है.

## नई कार्यप्रणाली

महामारी के दौरान कार्य परिवेश में आमूल-चूल परिवर्तन हुए. कर्मचारी घर और कार्यालय से निर्बाध रूप से कार्य करने में सक्षम रहे. बैंक का मानना है कि "कहीं से भी कार्य" एक नए प्रकार की अवधारणा है और यह कर्मचारियों को बेहतर कार्य-जीवन संतुलन प्रदान करेगी तथा आगे चलकर उत्पादकता को बढ़ावा देगी. बैंक कुछ भूमिकाओं और हाइब्रिड इम्लॉयमेंट फॉर्मेट्स के लिए दूरस्थ कार्य करने के विकल्पों हेतु एक ऑपरेटिंग मॉडल पर काम कर रहा है जो कर्मचारियों को बेहतर विकल्प प्रदान करेगा.

## आगे की राह

बैंक में चल रही रूपांतरण पहलों का प्रभाव भारत सरकार की ईज 2.0 रैंकिंग के अंतर्गत बैंक को प्राप्त "प्रथम" स्थान के रूप में दिखाई दे रहा है. पिछले वर्ष ईज 1.0 में बैंक "द्वितीय" स्थान पर रहा था. इस प्रगति को बॉब-नाऊ के तहत और सुदृढ़ किया जाएगा क्योंकि बेहतर ग्राहक केंद्रियता के साथ बैंक डिजिटल यात्रा में आगे बढ़ रहा है.

मैं निदेशक मंडल के अध्यक्ष डॉ. हसमुख अढ़िया और निदेशक मंडल के सभी सदस्यों के प्रति हमारे प्रयासों में प्रबंधन को अमूल्य समर्थन, मार्गदर्शन और इनपुट प्रदान करने के लिए आभार प्रकट करता हूं. मैं समय-समय पर सहयोग और समर्थन प्रदान करने के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक को भी धन्यवाद देता हूं.

मैं अपने सभी कर्मचारियों को विशेष रूप से इस कठिन समय में उनके कड़े परिश्रम, समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद देता हूं. बैंक ऑफ बड़ौदा में हम उत्कृष्टता की दिशा में अपनी अविराम यात्रा में आप सभी के संरक्षण, सहयोग और सद्भावना की कामना करते हैं.

**संजीव चड्ढा**
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

# MD & CEO'S STATEMENT

**Sanjiv Chadha**
Managing Director and CEO

Dear Stakeholders,

It has been a difficult year for all of us. I hope and wish that each one of you is safe and well. Every corner of the world has been impacted by the pandemic. Initially, the only way to contain the virus was social distancing. Thus governments had to institute lockdowns to restrict movement. However, within a year scientists have developed vaccines to fight the virus. The initial results from countries which have been able to vaccinate a larger percentage of population are encouraging.

Banking is an essential service and was operational throughout the year. Our branches uninterruptedly functioned even during the lockdown and the most severe months of the pandemic. The Bank was instrumental in implementing Government's and RBI's relief measures to support the economy be it through cash transfers, restructuring or lending to MSME borrowers against sovereign credit guarantee. Our employees showed exceptional courage and served our customers. We gratefully acknowledge the sacrifices made by our staff members who have been the pillars of strength for our Bank in these trying times. The Bank took several measures to safeguard the health and well-being of its employees and their family members including conducting vaccination drives.

The country is now coming out of the second wave. Despite these challenges, the Bank's performance has been resilient in terms of asset quality, deposit franchise, credit growth, profitability and capital. The Bank's investments in offering digital solutions to customers helped it to serve customers digitally. The Bank's mobile application has become the centrepiece for offering banking services. Liabilities customers are on-boarded digitally and the Bank is investing in platforms to digitally sanction and disburse loans.

The highlights from the past year are summarised below.

## Resilient Asset Quality

The Bank's asset quality has improved despite the economic impact of the pandemic. Gross non-performing ratio of the Bank has declined to 8.87% as of March 31, 2021 from 9.40% as of March 31, 2020. Encouragingly, domestic corporate credit cycle seems to be turning because of which domestic credit cost has fallen to 1.54% during FY 2021 from 2.51% in the previous financial year. The Bank's overall provision coverage ratio (including technical write-offs) is stable at 81.80% as on March 31, 2021.

## Robust deposit franchise

The Bank's domestic CASA deposits increased by 16.48% during FY 2021. Within CASA deposits, the Bank's current account deposits increased by 24.09% and savings deposits by 15.06%. Thus Bank's CASA ratio increased to 42.87% as of March 31, 2021 from 39.07% as of March 31, 2020, an increase of 380bps. This has been achieved on the back of digital on boarding of customers, roll-out of Bank's state-of-the-

art cash management solution and partnerships such as the one with Ministry of Corporate Affairs (MCA).

### Growing the credit business

The Bank's domestic credit off-take was in line with industry growth of 5% in FY 2021. While corporate borrowers moved to bond markets to meet their funding requirements, the Bank was able to grow its MSME, retail and agriculture portfolio in double digits. MSME portfolio increased bolstered by the government's sovereign guarantee. Agriculture segment was catapulted by a 32.64% increase in gold loans. Retail loan portfolio saw a broad based increase in both secured and unsecured loans. For instance, our auto and personal loan book increased by 27.79% and 27.21% respectively in FY 2021.

### Improved Profitability

The Bank was able to increase its operating profit by 9.17% in FY 2021 to ₹ 20,630 crore. This was made possible by exercising strict control over cost overheads. As a result, Bank's profit before tax increased to ₹ 5,556 crore as against a loss of ₹ 1,802 crore in FY 2020. The Bank also moved to a lower tax rate structure. Despite reversal of Deferred Tax Asset (DTA), the Bank posted profit after tax of ₹ 829 crore in FY 2021 as against ₹ 546 crore in FY 2020. Adjusting for the one-time impact of DTA, Bank's profit after tax would have been at ₹ 4,143 crore.

### Strengthened capital position

The Bank's capital adequacy ratio (CRAR) increased to 14.99% as of March 31, 2021 as against 13.30% as of March 31, 2020. This was on account of internal accrual of ₹ 4,143 crore, fresh equity raise of ₹ 4,500 crore and AT-I bonds of ₹ 3,735 crore. As a result, Bank's CET-I ratio on a standalone basis rose to 10.94% as of March 31, 2021 as against 9.44% as on March 31, 2020. On a consolidated basis, the Bank's CRAR is at 15.74% and CET-I is at 11.80% as on March 31, 2021.

### 'BOB-NOWW' - New Operating model and Ways of Working

In order to build on the last year's achievements, the Bank has designed a new pathway for a profitable and sustainable growth under a Bank-wide transformation programme called BOB-NOWW. This envisages transforming the Bank for the future. At its core, the aim is to better serve every customer with tailored offerings and to enhance customer centricity. Employees will get remote working options for certain roles and hybrid employment formats. The initiatives being undertaken aim to help the Bank optimise costs and unlock growth potential by creating value for all stakeholders.

### The important initiatives being undertaken under this are:

### Mobile first

Bank's mobile application will be the primary interface with customers. Apart from a few services which are best delivered at a branch, we believe customers will increasingly be using mobile phones for meeting banking requirements. Bank has revamped its mobile application and added services so that customers don't have to visit the branch unless essential. This will help the customers to migrate to digital and mobile channels. Even at the branch, the focus will be to nudge customers to digitally process their requests. Further, the newly launched video KYC process will enable digital on boarding.

### Digital lending

A clear trend emerging from the pandemic is the importance of digital lending. The Bank is digitising customer journeys in the lending business. The endeavour is end-to-end digitisation of the loan process in retail and MSME segments from sourcing to sanction to disbursement. Small ticket personal loans have already been digitised and the other segments will be progressively moved to this platform.

## Reimagined network

The Bank completed the integration with erstwhile Dena and erstwhile Vijaya Bank. As part of the integration, the Bank has merged or rationalised 1,310 branches and 1,135 ATMs during the year. At the same time, the Bank has increased its Business Correspondent (BC) network by 5,200 to 23,320 as of March 31, 2021. The Bank has a market share of 16.24% in PMJDY deposits. In the next 2 years, the Bank plans to have 50,000 touch points – including BCs and new formats (mini branches and service outlets). These touch points would be new-age, compact and digital to offer seamless customer service across the country. This will help the Bank in strengthening its branch network in geographies where it is under-penetrated.

## Unlocked growth potential

There is immense business potential within the Bank's customer base. For instance, the Bank can grow its corporate business wallet share by offering full-service solutions, with initiatives to holistically understand customer needs and offer the entire gamut of financial products. The wealth management business too has immense potential within the Bank given the large base of MSME and high net worth clients. The Bank is overhauling its wealth business to enhance its value proposition.

## New ways of working

The work environment went through a sea change during the pandemic. Employees were able to seamlessly work from home and office. The Bank believes that "Work from Anywhere" is the new norm and will offer a better work-life balance to employees and boost productivity in the long run. The Bank is working on an operating model for remote working options for certain roles and hybrid employment formats which will offer greater flexibility to employees.

## Way forward

The impact of the transformation initiatives underway are visible with the Bank emerging at "First" position under the Government of India's EASE 2.0 rankings. In the previous year, Bank was ranked at "Second" position under EASE 1.0. These trends will be further strengthened under BOB-NOWW as the Bank is on a digital journey with enhanced customer centricity.

I would like to acknowledge and thank the Chairman of the Board, Dr. Hasmukh Adhia and all the members of the Board for their valuable support, guidance and inputs to the management in our endeavours. I also thank the Department of Financial Services, Ministry of Finance and the Reserve Bank of India for their support and guidance from time to time.

I acknowledge and thank all our employees for their hard work, dedication and commitment, particularly in these testing times. At Bank of Baroda, we look forward to your continued patronage, support and goodwill as we march ahead in our quest for excellence.

**Sanjiv Chadha**
Managing Director and CEO

# निदेशकों की रिपोर्ट

**"आपके निदेशकगण बैंक की एक सौ तेरहवीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (वित्तीय वर्ष 2021) के लेखा-परीक्षित तुलनपत्र, लाभ एवं हानि लेखा और व्यवसाय तथा परिचालन संबंधी रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत कर रहे हैं."**

## वित्तीय कार्यनिष्पादन

₹ करोड़

| विवरण | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| **जमा राशियां** | 9,45,984.4 | 9,66,996.9 |
| जिसमें से - अंतर्राष्ट्रीय जमा राशियां | 1,37,278.9 | 1,08,583.8 |
| **घरेलू जमा राशियां** | 8,08,705.5 | 8,58,413.1 |
| जिसमें से - चालू खाता जमा राशियां | 49,650.1 | 61,609.0 |
| बचत बैंक जमा राशियां | 2,66,301.3 | 3,06,418.5 |
| कासा जमा राशियां | 3,15,951.4 | 3,68,027.6 |
| **घरेलू जमाराशियों में घरेलू कासा (%)** | 39.07 | 42.87 |
| अग्रिम | 6,90,120.7 | 7,06,300.5 |
| जिसमें से - घरेलू अग्रिम | 5,70,340.8 | 6,05,615.8 |
| अंतर्राष्ट्रीय अग्रिम | 1,19,780.0 | 1,00,684.7 |
| **कुल आस्तियाँ** | 11,57,915.5 | 11,55,364.8 |
| **निवल ब्याज आय (एनआईआई)** | 27,451.3 | 28,809.0 |
| **अन्य आय** | 10,317.3 | 12,364.4 |
| जिसमें से - ट्रेडिंग अभिलाभ | 2,750.7 | 3,376.0 |
| **एनआईआई + अन्य आय** | 37,768.6 | 41,173.5 |
| **परिचालनगत व्यय** | 18,872.4 | 20,543.7 |
| **परिचालनगत लाभ** | 18,896.2 | 20,629.8 |
| **प्रावधान** | 20,698.3 | 15,073.8 |
| जिसमें से - एनपीए व बट्टाकृत अशोध्य ऋण हेतु प्रावधान | 16,404.9 | 12,407.7 |
| **कर पूर्व लाभ** | -1,802.1 | 5,556.0 |
| **कर हेतु प्रावधान** | -2,348.3 | 4,727.0 |
| **निवल लाभ** | 546.2 | 829.0 |
| **विनियोजन / अंतरण** | | |
| सांविधिक प्रारक्षित निधि | 136.5 | 207.2 |
| पूंजी प्रारक्षित निधि | 822.3 | 676.9 |
| राजस्व और अन्य प्रारक्षित निधि | | |
| I) सामान्य प्रारक्षित निधि | -560.3 | -341.8 |
| II) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (I) (viii) के तहत विशेष प्रारक्षित निधि | 180.0 | 286.6 |
| III) निवेश प्रारक्षित खाता | -41.6 | 0.0 |
| IV) सांविधिक प्रारक्षित निधि (विदेशी) | 9.3 | 0.1 |
| प्रस्तावित लाभांश | 0.0 | 0.0 |

₹ करोड़

| महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन सूचक | वित्त वर्ष 2020 | वित्त वर्ष 2021 |
|---|---|---|
| निधियों की औसत लागत (%) | 5.11 | 4.11 |
| निधियों पर औसत आय (%) | 7.55 | 6.62 |
| औसत ब्याज अर्जक आस्तियाँ | 10,07,058.7 | 10,64,844.0 |
| औसत ब्याज वहन करने वाली देयताएं | 9,49,179.9 | 10,14,761.9 |
| निवल ब्याज मार्जिन (%) | 2.73 | 2.71 |
| लागत-आय अनुपात (%) | 49.97 | 49.90 |
| औसत आस्तियों पर प्रतिफल (आरओएए) (%) | 0.06 | 0.07 |
| इक्विटी पर प्रतिफल (%) | 1.23 | 1.50 |
| प्रति शेयर बही मूल्य (रुपये) | 96.22 | 106.72 |
| मूल ईपीएस (रुपये) | 1.36 | 1.78 |

दिनांक 31 मार्च, 2021 तक बैंक की कुल जमा राशि बढ़कर ₹ 9,66,997 करोड़ हो गई. घरेलू खुदरा ऋण, कृषि और एमएसएमई ऋणों के योगदान से निवल अग्रिम बढ़कर ₹ 7,06,301 करोड़ हो गया. वित्त वर्ष 2021 में निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) 2.71% रहा. बैंक का परिचालन लाभ वित्त वर्ष 2020 के ₹ 18,896 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2021 में ₹ 20,630 करोड़ हो गया, जिसमें 9.17% की वृद्धि हुई. वित्त वर्ष 2020 में कुल प्रावधान (कर के अतिरिक्त) और आकस्मिकताओं में 27.17% की गिरावट आई, जो वित्त वर्ष 2020 में ₹ 20,698 करोड़ से घटकर वित्त वर्ष 2021 में ₹ 15,074 करोड़ हो गई. वित्त वर्ष 2021 में गैर-निष्पादक आस्तियों (एनपीए) हेतु प्रावधान भी घटकर ₹ 12,408 करोड़ रहे, जो वित्त वर्ष 2020 में ₹ 16,405 करोड़ था. बैंक ने ₹ 829 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया है यानि इसमें पिछले वित्त से वर्ष 51.83% की बढ़ोत्तरी हुई है.

## पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर)

अनुपात %

| | 31.03.2020 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| पूंजी पर्याप्तता अनुपात-बासेल III | 13.30 | 14.99 |
| सीईटी-I | 9.44 | 10.94 |
| टीयर-I | 10.71 | 12.67 |
| टीयर-II | 2.59 | 2.32 |

बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) दिनांक 31 मार्च, 2020 के 13.30% से बढ़कर 31 मार्च, 2021 को 14.99% हो गया. इसी अवधि के दौरान सीईटी-1 अनुपात भी 9.44 % से बढ़कर 10.94% हो गया. समेकित समूह पूंजी पर्याप्तता अनुपात 15.74% के स्तर पर रहा.

वित्त वर्ष 2021 के दौरान, बैंक ने अर्हताप्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट रूट (क्यूआईपी) के माध्यम से ₹ 4,500 करोड़ की पूंजी संग्रहित की. बैंक ने पात्र संस्थागत क्रेताओं को ₹ 81.70 प्रति इक्विटी शेयर मूल्य पर 55,07,95,593 इक्विटी शेयर जारी और आबंटित किए.

बैंक ने वित्त वर्ष 2021 के दौरान ₹ 3,735 करोड़ के अतिरिक्त टियर-I (एटी-I) पूँजीगत बॉन्ड जारी किए.

दिनांक 31 मार्च, 2021 को बैंक की निवल मालियत ₹ 55,191 करोड़ रही जिसमें प्रदत्त शेयर पूंजी ₹ 1036 करोड़ रही और प्रारक्षित निधि ₹ 54,155 करोड़ रही (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधियों, विदेशी मुद्रा अंतरण प्रारक्षित निधियों और अन्य अमूर्त आस्तियों को छोड़कर). शेयर (₹ 2 के अंकित मूल्य) का बही मूल्य 31 मार्च 2021 को ₹ 106.72 रहा.

### सेवानिवृत्ति और अन्य लाभों के लिए प्रावधान

वित्त वर्ष 2021 के दौरान, बैंक ने ग्रेच्युटी (₹ 669 करोड़), पेंशन फंड (₹ 2,188 करोड़), छुट्टी नकदीकरण, अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ और अन्य लाभों (₹ 13 करोड़) में अंशदान हेतु प्रावधान किया है. वित्त वर्ष 2021 के दौरान इन श्रेणियों के तहत कुल प्रावधान राशि ₹ 2,870 करोड़ रही.

### लाभांश

इस उद्देश्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करने के कारण बैंक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश के भुगतान हेतु पात्र नहीं है.

## प्रबंधन के विचार-विमर्श एवं विश्लेषण

### वैश्विक अर्थव्यवस्था

वर्ष 2020 में विश्व महामारी के रूप में एक अभूतपूर्व स्वास्थ्य संकट के दौर से गुजरा. वर्ष 2020 की शुरुआत में लगभग सभी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं ने लॉकडाउन की घोषणा की. विश्व में व्यापक स्तर पर लॉकडाउन किया गया. इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2020 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 3.3% की गिरावट आई है (स्रोत: आईएमएफ). वैश्विक गिरावट उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) के कारण हुआ है, जहां सकल घरेलू उत्पाद में 4.7% की गिरावट आई है. उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) के अंतर्गत यूके में 9.9% की सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई जबकि उसके बाद यूरो क्षेत्र में 6.6% और अमेरिका में 3.5% की गिरावट हुई. सभी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) ने संवृद्धि को सहयोग प्रदान करने के लिए राजकोषीय और मौद्रिक प्रोत्साहन की घोषणा की. परिणामस्वरूप, अमेरिका में राजकोषीय घाटा 2019 में सकल घरेलू उत्पाद के 4.6% से बढ़कर 2020 में सकल घरेलू उत्पाद के 14.9% होने का अनुमान लगाया गया. यूके और यूरो क्षेत्र ने भी विस्तारवादी राजकोषीय नीतियों का अनुपालन किया. विस्तारवादी राजकोषीय नीति मौद्रिक निभाव के साथ-साथ चली जिसमें महामारी के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए ब्याज दरों में कमी, आस्ति खरीद कार्यक्रम और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में चलनिधि का प्रावधान शामिल था.

उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के सकल घरेलू उत्पाद का आकलन 2.2% तक लगाया गया है जिसमें लैटिन अमेरिका वर्ष 2020 में 7% की गिरावट के साथ आगे रहा है. उभरती और विकासशील एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के कारण एशिया अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है जिसमें वर्ष 2020 में 1% की गिरावट दर्ज की गई है.

वैश्विक जीडीपी में कमी और प्रतिबंधों ने सप्लाई चेन को बाधित किया जिसके फलस्वरूप वर्ष 2020 में वैश्विक व्यापार की मात्रा में 8.5% की कमी आयी. वर्ष 2020 में तेल के कारण वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में भी भारी गिरावट आई है. हालांकि, टीकों की उपलब्धता और लॉकडाउन प्रतिबंधों के धीरे-धीरे हटने से मौजूदा आर्थिक स्थिति में अचानक परिवर्तन प्रतीत हुआ है. सरकारों और केंद्रीय बैंकों द्वारा दिए गए मौद्रिक और राजकोषीय प्रोत्साहन में, विशेष रूप से वस्तुओं की मांग फिर से बढ़ी है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टीकाकरण की महत्वपूर्ण प्रगति के कारण महामारी के फैलने में कमी आई है.

आईएमएफ को वर्ष 2021 में वैश्विक विकास दर 6% तक बढ़ने की उम्मीद है. जबकि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) से वर्ष 2021 में 5.1% की वृद्धि अपेक्षित है, उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से 6.7% की वृद्धि का अनुमान है. उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) के अंतर्गत, अमेरिका द्वारा 6.4% की वृद्धि जबकि यूरो क्षेत्र द्वारा 4.4% वृद्धि की संभावना है. उभरती अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत, एशियाई अर्थव्यवस्थाओं द्वारा 8.6% की वृद्धि जबकि लैटिन अमेरिका द्वारा 4.6% वृद्धि की संभावना है.

वैश्विक मांग में आई अचानक तेजी के कारण, वैश्विक कमोडिटी कीमतों और दीर्घकालीन विकास में वृद्धि हुई है. वर्ष 2022 में भी वैश्विक विकास, औसत से अधिक 4.4% पर रहने का अनुमान है.

### भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वित्त वर्ष 2020 में 4.0% की वृद्धि के सापेक्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था में देखी गई गिरावट के अनुरूप वित्त वर्ष 2021 में 7.3% की गिरावट होने का अनुमान है. यह गिरावट कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए वित्त वर्ष के आरंभ में ही लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन का परिणाम है. वित्त वर्ष 2020 में 5.4% की वृद्धि दर से निवेश की मांग थी जबकि इसमें 10.8% की कमी के कारण गिरावट आई है. वित्त वर्ष 2020 में खपत में 5.5% की वृद्धि के पश्चात उमसें भी 9.1% की गिरावट आने की उम्मीद है. इस वर्ष कृषि क्षेत्र में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं देखा गया.

भारतीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था में आए व्यवधान के फलस्वरूप वित्त वर्ष 2021 के दौरान भारत के औद्योगिक उत्पादन में 8.7% तक की गिरावट हुई. विनिर्माण और खनन क्षेत्र में क्रमश 9.8% और 7.8% की तेज गिरावट आयी. वित्त वर्ष 2021 के दौरान बिजली उत्पादन में केवल 0.5% की गिरावट हुई जोकि काफी बेहतर स्थिति थी. लॉकडाउन और प्रतिबंधों ने सेवा क्षेत्र को भी प्रभावित किया है. वित्त वर्ष 2021 में सेवा क्षेत्र में 8% से अधिक की गिरावट होने का अनुमान है. संपर्क प्रधान सेवाओं जैसे यात्रा, पर्यटन और शिक्षा में अधिकतम प्रभाव महसूस किया गया है.

महामारी के प्रभाव को कम करने हेतु, सरकार ने पूंजीगत खर्चों पर बड़े परिव्यय सहित एक विकास समर्थक बजट प्रस्तुत किया. केंद्र सरकार ने न केवल सीमित सुविधायुक्त परिवारों को प्रत्यक्ष नकदी अंतरण किया है, अपितु खाद्य सब्सिडी और रोजगार कार्यक्रमों पर परिव्यय भी बढ़ाया है. इससे वित्त वर्ष 2021 में राजकोषीय घाटा बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 9.3% हो गया, जो वित्त वर्ष 2020 में सकल घरेलू उत्पाद का 4.6% था.

महामारी को रोकने हेतु लगाए गए प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए व्यवधानों का प्रभाव आपूर्ति पक्ष और मांग पक्ष दोनों पर पड़ा. इसके फलस्वरूप, वित्त वर्ष 2021 में खुदरा मुद्रास्फीति 6.2% तक बढ़ गई, जोकि वित्त वर्ष 2020 में 4.8% थी. खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों के कारण मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई. वित्त वर्ष की पहली छमाही में खाद्य मुद्रास्फीति

में 9.8% की वृद्धि हुई, जबकि वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में केवल 5.8% की वृद्धि देखी गई. यहां तक कि खुदरा ईंधन की उच्च कीमतों के कारण गैर-खाद्य मुद्रास्फीति या मूल मुद्रास्फीति में भी वृद्धि हुई.

संक्रमण के प्रसार में कमी के साथ ही पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कई प्रतिबंध हटा लिए गए थे. तथापि, वित्त वर्ष 2020 के अंत तक और इस वित्तीय वर्ष में कोविड-19 के संक्रमण में वृद्धि हुई. राष्ट्रीय लॉकडाउन के बजाय राज्य सरकारों ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए स्थानीय लॉकडाउन लगाया है. इससे आर्थिक गतिविधियों में गिरावट हुई जिसे पिछले वित्त वर्ष के अंत में देखा गया. भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 के अपने विकास पूर्वानुमान को संशोधित कर 9.5% कर दिया है. वैश्विक अर्थव्यवस्था के पुनः बहाल होने के साथ ही, भारत की सॉफ्टवेयर सेवाओं और वाणिज्यिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि की संभावना है. सरकार स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही है और न्यूनतम समय में अधिकांश आबादी को टीका लगाने की दिशा में कार्य कर रही है.

## भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में विकास

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की ऋण वृद्धि मार्च 2021 को घटकर 5.6% रह गई, जो मार्च 2020 में 6.1% थी. महामारी का आर्थिक प्रभाव कमजोर ऋण वृद्धि को दर्शाता है. कृषि क्षेत्र के अपेक्षाकृत किसी भी व्यवधान से मुक्त रहने के साथ ही, मार्च 2021 में कृषि क्षेत्र के ऋण में 12.3% की वृद्धि हुई. दूसरी तरफ, उद्योग में ऋण वृद्धि कमजोर रही. इसके अंतर्गत मार्च 2021 तक मध्यम उद्योग के ऋण में 28.8% की वृद्धि दर्ज हुई. यह महामारी के आर्थिक प्रभाव से उबरने के लिए एमएसएमई को वृद्धिशील ऋण प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा दी गई ऋण गारंटी के कारण संभव हुआ. सेवा क्षेत्र और उपभोक्ता क्षेत्र में भी ऋण वृद्धि में गिरावट देखी गई. यद्यपि, मार्च 2021 तक उपभोक्ता ऋणों में 10.2% की वृद्धि हुई, तथापि इस सेगमेंट में यह वृद्धि पिछले वर्ष के 15% की तुलना में कम रही.

बैंक ऋण के लिए अपेक्षाकृत कम मांग का कारण कॉरपोरेट संस्थानों द्वारा अपने धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बॉन्ड बाजार का उपयोग करना रहा. वस्तुतः वित्तीय वर्ष 2021 में वित्तीय संस्थानों सहित कॉरपोरेट संस्थान बॉन्ड बाजार से वित्तीय वर्ष 2020 के ₹ 6.7 लाख करोड़ की तुलना में ₹ 7.7 लाख करोड़ जुटाने में सफल रहे.

अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च 2020 और मई 2020 के बीच रेपो दर में 115 आधार अंकों की कमी की. रिवर्स रेपो दर में पूर्वनिर्धारित 135 आधार अंकों के बजाय 155 आधार अंकों के रूप में तेजी से गिरावट हुई. भारतीय रिज़र्व बैंक ने लक्षित दीर्घकालिक पुनर्खरीद परिचालन (टीएलटीआरओ), खुला बाजार परिचालन (ओएमओ) और नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में कमी के रूप में चलनिधि भी बढ़ायी है.

इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को कोविड-19 से प्रभावित ग्राहकों के लिए अधिस्थगन की घोषणा करने हेतु सूचित किया. इससे बैंकों को आहरण शक्ति बढ़ाकर कार्यशील पूंजी ऋण विस्तार के लिए सहायता प्राप्त हुई. इसने बैंकों को भी राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) आदि को उधार देने के लिए ऋण व्यवस्था उपलब्ध करायी है. कामत समिति ने कुछ शर्तों के तहत महामारी से प्रभावित छब्बीस दबावग्रस्त क्षेत्रों की पुनर्संरचना की अनुमति दी.

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए उपायों ने बांड और मुद्रा बाजारों का व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित किया. राजकोषीय घाटे में भारी वृद्धि और भावी सरकारी उधारों में अत्यधिक वृद्धि के बावजूद प्रतिफल सीमित दायरे में रहा. वित्तीय वर्ष के दौरान 10-वर्षीय बेंचमार्क प्रतिफल 5.8% से 6.5% के बीच रहा. भारतीय रुपये में वित्तीय वर्ष 2020 में 8.5% की गिरावट के बाद वित्त वर्ष 2021 में 3.3% की वृद्धि हुई. अर्थव्यवस्था में कम ब्याज दर प्राप्त करने हेतु नए रुपये ऋण के लिए एससीबी हेतु भारित औसत उधार दर 79 आधार अंकों की गिरावट के साथ बेहतर हुआ. एससीबी के भारित औसत सावधि जमा दर में 100 आधार अंकों की गिरावट आई है.

महामारी के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने कई आर्थिक उपायों और सुधारों की घोषणा की. निजीकरण की दिशा में बड़े प्रयास के रूप में सरकार ने दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एक बीमा कंपनी के निजीकरण की घोषणा के साथ-साथ एयर इंडिया और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की रणनीतिक बिक्री की घोषणा की. उन्होंने अशोध्य ऋणों के निपटान के लिए आस्ति पुनर्संरचना और प्रबंधन कंपनी स्थापित करने की भी घोषणा की. इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्तपोषण के लिए प्रमुख विकास वित्तीय संस्थान (डीएफआई) के रूप में इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्तपोषण और विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है.

देश में महामारी की दूसरी लहर आने के साथ विभिन्न राज्य सरकारों ने स्थानीय नियंत्रण उपायों की घोषणा की है. स्थानीय प्रतिबंधों के कारण आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित हुई हैं. भारतीय रिज़र्व बैंक ने ₹ 50 करोड़ तक के एक्सपोजर वाले एमएसएमई, लघु व्यवसायों और वैयक्तिक ऋण के लिए निपटान फ्रेमवर्क की घोषणा की. इसके अलावा, इसने बैंकों और लघु वित्त बैंकों को स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण और अनौपचारिक क्षेत्र ऋण को आगे उधार देने के लिए पर्याप्त चलनिधि प्रदान की.

## एकीकरण

बैंक ने समामेलन यात्रा के दौरान प्रमुख उपलब्धि हासिल की और पूर्ववर्ती देना बैंक और पूर्ववर्ती विजया बैंक के आईटी एकीकरण का कार्य पूरा किया. बैंक के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) में पूर्ववर्ती देना बैंक की 1,770 शाखाओं और पूर्ववर्ती विजया बैंक की 2,128 शाखाओं के आईटी एकीकरण से समामेलन यात्रा पूरी हुई.

व्यवसाय निरंतरता और सेवाओं में न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित करते हुए संपूर्ण आईटी एकीकरण प्रक्रिया ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण के साथ पूरी की गई. आईटी एकीकरण के पश्चात ग्राहकों के पास भारत और विदेशों में बैंक के सुविधा संपन्न डिजिटल चैनलों और 8,214 शाखाओं के विस्तृत नेटवर्क तक पहुंच है. व्यापार वित्त बैंक ऑफिस (टीएफबीओ), रिटेल देयता बैंक ऑफिस (आरएलबीओ) के माध्यम से कासा संबंधी खाता खोलने, टैब बैंकिंग के माध्यम से खाता खोलने और ऋण ऑरिजिनेशन और प्रोसेसिंग एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर (एलएलपीएस) का उपयोग कर ऋण प्रोसेसिंग जैसी बैक-ऑफिस प्रोसेस के केंद्रीकरण के कारण टर्नअराउंड टाइम (टीएटी) सर्विस में कमी आई है.

## ईज 2.0

भारत सरकार के ईज 2.0 सूचकांक में, बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों में "प्रथम" स्थान प्राप्त किया है. इस सूचकांक के अनुसार, बैंक में छह मानकों 'जिम्मेदार बैंकिंग', 'गवर्नेंस और मानव संसाधन', 'एमएसएमई के लिए उद्यमी मित्र के रूप में पीएसबी', 'क्रेडिट ऑफ–टेक', 'वित्तीय समावेशन और डिजिटलीकरण' तथा 'त्वरित ग्राहक सेवा' पर महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है.

## प्रोजेक्ट बॉब–नाऊ

### भावी बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निर्माण की सामूहिक अभिलाषा

बैंक ने सभी हितधारकों के लिए मूल्य सृजन की प्रतिबद्धता के साथ एक नई रूपान्तरण यात्रा, बॉब–नाऊ की शुरुआत की है. नाऊ शब्द 'नया परिचालन मॉडल और नई कार्यप्रणाली' को आकार देने और अपनाने की बैंक की अभिलाषा को दर्शाता है.

इसका उद्देश्य कार्य करने के नए तरीकों के माध्यम से उद्योग में अपनी तरह का एक ऐसा परिचालनगत मॉडल तैयार करना और रिटेल नेटवर्क को पुर्नकल्पित करना है जो सभी व्यवसायों में वृद्धि की संभावनाओं को खोलेगा. यह प्रत्येक स्तर पर डिजिटलीकरण को भी अपनाएगा ताकि लागत को कम किया जा सके और उत्पादकता को बढ़ाया जा सके.

बैंक को भविष्य के लिए तैयार करने हेतु की जा रही मौजूदा पहलें निम्नानुसार है:.

**व्यावसायिक संभावनाओं को खोलना:** बैंक पूरे राजस्व श्रेणी में कॉर्पोरेट, एमएसएमई, अंतर्राष्ट्रीय और धन – संपदा वर्टिकलों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने के साथ बाजार में अपने व्यावसायिक उत्पादों में संवर्धन कर रहा है. बैंक अपने ग्राहकों को कॉर्पोरेट बैंकिंग सोल्यूशन की पूर्ण श्रृंखला की पेशकेश करने पर विचार कर रहा है. बैंक ने कई पहलें जैसे कॉर्पोरेट शुल्क बूस्टर अभियान, सेल्स वार रूम का शुभारंभ और ट्रेड फाईनेंस तथा सप्लाई चेन फाईनेंस व्यवस्था में सुधार किया है. साथ ही, बैंक मौजूदा ग्राहकों के साथ अपने सम्बन्धों को बनाए रखने, सक्रिय रखने और प्रगाढ़ करने के लिए धन – संपदा नीति को पुनर्गठित कर रहा है. बैंक अपने धन – संपदा के ऑफरों को बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रतिभाओं की भर्ती कर रहा है.

**रिटेल वितरण नेटवर्क को पुर्नकल्पित करना:** बैंक 'हर जगह बॉब' के ध्येय का पालन करते हुए व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) सहित अपने नेटवर्क में विस्तार कर रहा है और बड़े भौगोलिक क्षेत्रफल की बड़ी आबादी को सेवाएं दे रहा है. बैंक ने पूरे देश में निर्बाध ग्राहक अनुभव प्रदान करने के लिए नए युग की कॉम्पैक्ट और डिजिटल शाखा का शुभारंभ किया है. इससे विभिन्न माध्यमों से बैंकिंग सेवाओं को सहजता से एक्सेस करने में सहायता मिलेगी. नए माध्यम और बड़े नेटवर्क से ग्रामीण क्षेत्र में बैंक की उपस्थिति सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी.

**डिजिटल समर्थित अनुभव एवं मोबाइल प्रथम:** बैंकिंग प्रक्रियाओं और सेवाओं में डिजिटलीकरण को बढ़ाना बॉब नाऊ का एक महत्वपूर्ण भाग है. इसके लिए बैंक एक संस्थागत संरचना और परिचालन मॉडल का निर्माण कर रहा है जिसमें बैंक के महत्वपूर्ण विभागों के प्रतिनिधित्व के साथ अंतर कार्यात्मक ऊर्जावान कार्यदल शामिल है ताकि डिजिटल बैंकिंग सेवाओं और प्रक्रियाओं की गति में उसी स्तर की तेजी लायी जा सके जिस रूप में उन्हें आरंभ किया गया है.

बैंक सर्वश्रेष्ठ और आधुनिकतम सेवाएं देने के लिए अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप में मौजूदा ग्राहक सुविधाओं में सुधार कर उसे सुदृढ़ करने की योजना बना रहा है. मोबाइल फ़्लैटफार्म उपभोक्ताओं को बीमा प्रीमियम का भुगतान और म्यूच्यूल फंड में निवेश करने का विकल्प देगा. इसके अतिरिक्त बैंक, सेल्फ सर्विस कियोस्क के माध्यम से शाखा स्तर पर ग्राहक इंटरफेस को डिजिटलीकृत करने पर विचार कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप लेन–देनों के लिए त्वरित और सीधी प्रक्रिया अपनायी जा सके.

**कार्य करने के नए तरीके:** बैंक कुछ चयनित भूमिकाओं में अपने कर्मचारियों के लिए 'कहीं से भी कार्य करने' की संभवाना तलाश रहा है. इससे कार्य–जीवन शैली में बेहतर संतुलन बनेगा और कर्मचारियों की उत्पादकता में सुधार होगा. बैंक ने पहले से ही प्रायोगिक तौर पर हाइब्रिड कार्य मॉडल को कार्यान्वित कर दिया है. इससे प्राप्त अनुभवों को कार्यक्रम की डिजायनिंग में शामिल किया जाएगा.

बड़ी संख्या में सुझाव प्राप्त करने के लिए बैंक स्तर पर एक अभियान 'लेट्स सिम्प्लिफ़ाई' का शुभारंभ किया गया जिसमें लगभग 2,500 सुझाव प्राप्त हुए तथा उनमें से जो सबसे अधिक प्रभावी सुझाव थे उन्हें लागू करने पर विचार किया जा रहा है.

## व्यावसायिक कार्यनिष्पादन

बैंक के व्यावसायिक कार्यनिष्पादन की मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार है:

### परिचालनगत कार्यनिष्पादन

बैंक के परिचालनगत कार्यनिष्पादन की मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार है:

₹ करोड़

| विवरण | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| अर्जित ब्याज | 75983.7 | 70495.1 |
| दिया गया ब्याज | 48532.4 | 41686.0 |
| **निवल ब्याज आय (एनआईआई)** | 27451.3 | 28809.0 |
| **अन्य आय** | 10317.3 | 12364.4 |
| ट्रेडिंग अभिलाभ | 2750.7 | 3376.0 |
| परिचालनगत आय (एनआईआई + अन्य आय) | 37768.6 | 41173.5 |
| **परिचालनगत व्यय** | 18872.4 | 20543.7 |
| कर्मचारी व्यय | 9564.7 | 11445.5 |
| अन्य परिचालनगत व्यय | 9307.7 | 9098.1 |
| **परिचालनगत लाभ** | 18896.2 | 20629.8 |
| **प्रावधान** | 20698.3 | 15073.8 |
| जिसमें से – एनपीए और बट्टे खाते में डाले गये अशोध्य ऋण हेतु प्रावधान | 16404.9 | 12407.7 |
| मानक अग्रिमों हेतु प्रावधान | 3085.5 | 2158.0 |
| निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान | 986.7 | 309.9 |
| अन्य प्रावधान | 221.2 | 198.2 |
| **कर पूर्व लाभ** | -1802.1 | 5556.0 |
| **कर हेतु प्रावधान** | -2348.3 | 4727.0 |
| **निवल लाभ** | 546.2 | 829.0 |

| महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन सूचक | वित्त वर्ष 2020 | वित्त वर्ष 2021 |
|---|---|---|
| जमाराशियों की लागत – वैश्विक – (%) | 4.98 | 4.01 |
| जमाराशियों की लागत – घरेलू – (%) | 5.39 | 4.44 |
| जमाराशियों की लागत–अंतर्राष्ट्रीय–(%) | 2.03 | 0.95 |
| अग्रिम पर प्रतिफल – वैश्विक – (%) | 7.99 | 6.98 |
| अग्रिम पर प्रतिफल – घरेलू – (%) | 8.82 | 7.83 |
| अग्रिम पर प्रतिफल – अंतर्राष्ट्रीय – (%) | 3.77 | 2.48 |
| निवल ब्याज मार्जिन – वैश्विक – (%) | 2.73 | 2.71 |
| निवल ब्याज मार्जिन –घरेलू – (%) | 2.85 | 2.79 |
| निवल ब्याज मार्जिन –अंतर्राष्ट्रीय – (%) | 1.34 | 1.29 |
| लागत–आय अनुपात (%) | 49.97 | 49.90 |
| औसत आस्तियों पर प्रतिफल (आरओएए) (%) | 0.06 | 0.07 |
| इक्विटी पर प्रतिफल (%) | 1.23 | 1.50 |

बैंक की ब्याज आय वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान ₹ 70,495 करोड़ पर संकुचित रही. अग्रिमों पर वैश्विक अर्जन 7.99% से घटकर 6.98% रहा तथा घरेलू अग्रिमों पर अर्जन 8.82% से घटकर 7.83% रहा.

वित्तीय वर्ष 2021 में कुल ब्याज व्यय भी कम होकर ₹ 41,686 करोड़ रहा. जमाराशियों पर लागत घरेलू बही में 4.44% एवं अंतर्राष्ट्रीय बही में 0.95% तक के स्तर पर कम हुई है. वित्त वर्ष 2021 के दौरान बैंक की शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) बढ़कर ₹ 28,809 करोड़ हो गई. वैश्विक एनआईएम 2.71% पर स्थिर रहा.

ट्रेजरी अभिलाभ में ₹ 3,376 करोड़ की वृद्धि के कारण बैंक की अन्य आय बढ़कर ₹ 12,364 करोड़ रही. बट्टे खाते में डाले गए खातों से वसूली ₹ 2,985 करोड़ के उच्च स्तर पर रही.

कर्मचारी व्यय के कारण वित्तीय वर्ष 2021 में परिचालन व्यय बढ़कर ₹ 20,544 करोड़ रहा. वर्ष के दौरान कर्मचारी व्यय ₹ 11,446 करोड़ था जबकि अन्य परिचालन व्यय ₹ 9,098 करोड़ थे. अत: वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान बैंक का परिचालन लाभ बढ़कर ₹ 20,630 करोड़ रहा. कुल प्रावधान (कर के अलावा) और आकस्मिकता घटकर ₹ 15,074 करोड़ रही. वित्तीय वर्ष 2021 में बैंक को ₹ 829 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ.

वर्ष के दौरान, बैंक ने मौजूदा कर दर 34.95% की तुलना में कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा यथालागू आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 बीएए के तहत अनुमत निम्न कर दर 25.17% व्यवस्था में ट्रांजीशन के विकल्प का चयन किया. तदनुसार, बैंक ने 31 मार्च, 2020 को आस्थगित कर आस्ति एवं देयताओं का पुन: मूल्यांकन किया. इन परिवर्तनों का प्रभाव वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि खाते में एकबारगी प्रभारित किए गए ₹ 3,837 करोड़ के रूप में दिखा.

## संसाधन संग्रहण

₹ करोड़ में

| विवरण | 31.03.2020 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| जमा राशियां | 9,45,984.4 | 9,66,996.9 |
| जिसमें से – अंतर्राष्ट्रीय जमा राशियां | 1,37,278.9 | 1,08,583.8 |
| घरेलू जमा राशियां | 8,08,705.5 | 8,58,413.1 |
| जिसमें से – चालू खाता जमा राशियां | 49,650.1 | 61,609.0 |
| बचत बैंक जमा राशियां | 2,66,301.3 | 3,06,418.5 |
| कासा जमा राशियां | 3,15,951.4 | 3,68,027.6 |
| घरेलू जमाराशियां में घरेलू कासा (%) | 39.07 | 42.87 |
| अग्रिम | 6,90,120.7 | 7,06,300.5 |
| जिसमें से – घरेलू अग्रिम | 5,70,340.8 | 6,05,615.8 |
| अंतर्राष्ट्रीय अग्रिम | 1,19,780.0 | 1,00,684.7 |
| कुल आस्तियां | 11,57,915.5 | 11,55,364.8 |

31 मार्च, 2021 को बैंक का घरेलू कासा जमा 16.48 प्रतिशत बढ़कर ₹ 3,68,028 करोड़ रहा. 31 मार्च, 2021 को बैंक का घरेलू कासा अनुपात 42.87% था, जो 31 मार्च, 2020 के 39.07% की तुलना में 3.80% अधिक है. चालू जमाओं में 24.09% की वृद्धि दर्ज की गई और यह ₹ 61,609 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि बचत बैंक जमा 15.06% की वृद्धि के साथ ₹ 3 लाख करोड़ से अधिक रहा.

वर्ष के दौरान, बैंक ने 1.24 करोड़ नए कासा खाते खोले. इसके तहत टैबलेट (टैब) का उपयोग कर पेपरलेस तरीके से खाते खोलने पर जोर दिया गया था.

बैंक ने सैन्य सेवाओं के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए एक विशेष वेतन खाता उत्पाद– बड़ौदा डिफेंस सैलरी पैकेज का शुभारंभ किया. यह विशेषीकृत उत्पाद 50 लाख रुपये (कार्यरत) तक का व्यापक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और 1 करोड़ रुपये तक का हवाई दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करता है. इसके अलावा, बैंक ने पीएसबी एलायंस डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस के तहत वर्ष के दौरान 16,000 से अधिक डोरस्टेप अनुरोधों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया.

बड़ौदा सरकारी कर्मचारी वेतन खाता योजना के तहत, लगभग 30,000 वेतन खाते खोले गए और ₹ 1.41 लाख प्रति खाता औसत शेष के साथ ₹ 397 करोड़ जुटाए गए. निगमित नई कंपनियों के ऑनलाइन चालू खाता खोलने के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) पोर्टल के साथ एकीकरण के फलस्वरूप बैंक ने इस प्लेटफॉर्म के जरिए 7000 से अधिक चालू खाते खोले जिनमें 2.50 लाख प्रति खाता औसत शेष राशि प्राप्त हुई.

बैंक ने टाटा एआईजी, मैक्स बूपा और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी में बीमा उत्पादों से लिंक्ड बचत बैंक खातों की शुरुआत की और वित्त वर्ष 2021 के दौरान 1.73 लाख बीमा लिंक्ड एसबी खाते खोले. बैंक ने 2020 के दौरान जारी किए गए 2.47 लाख क्रेडिट कार्ड की तुलना में वित्त

वर्ष 2021 के दौरान सफलतापूर्वक 2.55 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए. बैंक ने डिजिटल और सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से ग्राहकों को अपने साथ जोड़ने के लिए लीड जनरेशन मॉड्यूल शुरू किया है.

### बड़ौदा नकदी प्रबंधन सेवाएं

बैंक का नकदी प्रबंधन व्यवसाय बड़ौदा डिजीनेक्स्ट ग्राहकों के लिए नकदी प्रवाह और तरलता के प्रबंधन के लिए ओमनी–चैनल डिजिटल समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराता है. बड़ौदा डिजीनेक्स्ट कैश मैनेजमेंट ने वित्त वर्ष 2021 में रिकॉर्ड 1,300+ नए बड़े कॉर्पोरेट और सरकारी विभागों को अपने साथ जोड़ते हुए तेजी से अपना विस्तार करना जारी रखा. बैंक के 3,500 से अधिक बड़े ग्राहकों ने वर्ष के दौरान 5 करोड़ से अधिक लेनदेन के लिए नकदी प्रबंधन सेवाओं का उपयोग किया.

बैंक का नकदी प्रबंधन समाधान इलेक्ट्रॉनिक, चेक और अपनी शाखाओं में नकद जमाओं के रूप में प्राप्त सभी रसीदों पर वास्तविक समय में मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है. इस समाधान का उपयोग प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) संग्रह जैसी प्रमुख सरकारी पहलों में किया जाता है. बैंक ऑफ़ बड़ौदा केवल दो प्रमुख बैंकों में से एक है जो एकीकृत वित्तीय प्रबंधन और मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (आईएफएचआरएमएस), जो राज्य सरकार की ट्रेजरी के खजाने के प्रबंधन के लिए एक प्रमुख पहल है, के साथ पूरी तरह से एकीकृत है.

### ऋण विस्तार:

31 मार्च, 2021 तक बैंक का शेष अग्रिम बढ़कर ₹ 7,06,301 करोड़ हो गया, जिसमें घरेलू अग्रिम ₹ 6,05,616 करोड़ रुपये था. घरेलू अग्रिमों में वृद्धि मुख्यतः खुदरा ऋण, एमएसएमई और कृषि ऋण के कारण हुई. ऑटो और वैयक्तिक ऋण के कारण ऑर्गेनिक रिटेल ऋण बढ़कर ₹ 1,20,256 करोड़ हो गया. इसके साथ, कुल घरेलू ऋणों में खुदरा ऋणों का अनुपात वर्ष के दौरान बढ़कर 20.68% हो गया. 31 मार्च, 2021 को अंतरराष्ट्रीय ऋण बही ₹ 1,00,685 करोड़ की हो गयी.

बेहतर ग्राहक अनुभव उपलब्ध कराने के लिए बैंक 'डिजिटल फर्स्ट ऑपरेटिंग मॉडल' अपनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है. इस उद्देश्य के लिए बैंक ने 'डिजिटल लेंडिंग' नाम से एक विशिष्ट वर्टिकल का गठन किया है जो बैंक के ऋण उत्पादों विशेष रूप से खुदरा और एमएसएमई ऋणों के लिए डिजिटल प्रक्रिया विकसित करेगा. इसे शुरू करने की एक प्रक्रिया के रूप में वैयक्तिक ऋण, कार ऋण और गृह ऋण जैसे रिटेल उत्पादों का डिजिटाईजेशन किया जा रहा है. एमएसएमई ऋण के ₹ 25 लाख तक के नवीनीकरण हेतु ऋण की प्रक्रिया को डिजिटल रूप से शुरू किया गया. बैंक ने स्ट्रीट वेंडरों को ऑनबोर्ड कराने और उन्हें यूनिफ़ाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) क्विक रिस्पॉन्स (क्यूआर) कोड उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्म–निर्भर निधि योजना (पीएम स्वनिधि) पोर्टल को एकीकृत किया.

31 मार्च, 2021 तक बैंक की कुल आस्तियां बढ़कर ₹ 11, 55, 365 करोड़ हो गई.

### कॉर्पोरेट क्रेडिट

बैंक में कॉर्पोरेट ऋण सेवाएं, 15 कॉर्पोरेट वित्त सेवा शाखाओं (सीएफएस) द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं जो बैंक के कुल कॉर्पोरेट क्रेडिट पोर्टफोलियो के लगभग 73% का प्रबंधन करती हैं. 31 मार्च, 2021 को बैंक का कॉर्पोरेट क्रेडिट पोर्टफोलियो बढ़कर ₹ 2,91,615 करोड़ हो गया.

कॉर्पोरेट क्रेडिट संवितरण की दिशा में नवीन दृष्टिकोण के साथ वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान इस पोर्टफोलियो के जोखिम प्रोफाइल में सुधार दर्ज किया गया है जो कि घरेलू ऋण पोर्टफोलियो में निम्नानुसार रेटिंग डिस्ट्रिब्यूशन के निर्धारण से प्रतीत होता है :

| क्रेडिट रेटिंग डिस्ट्रिब्यूशन* | 31.03.2020 को | 31.03.2021 को |
|---|---|---|
| ए और उससे ऊपर | 62% | 63% |
| बीबीबी | 13% | 11% |
| बीबीबी से नीचे | 13% | 9% |
| अनरेटेड | 11% | 16% |

* ₹ 5 करोड़ से अधिक के अग्रिमों का बाह्य रेटिंग डिस्ट्रिब्यूशन.

वित्तीय वर्ष 2021 में 'ए' और उससे ऊपर का कुल पोर्टफोलियो पिछले वर्ष के 62% के मुकाबले 63% रहा.

कोविड–19 से प्रभावित उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए, बैंक ने उदारीकृत कार्यशील पूंजीगत मूल्यांकन की शुरुआत की और निधि–आधारित राशि वाले उधारकर्ताओं को ₹ 4,931 करोड़ की सहायता प्रदान की. बैंक ने बड़ौदा कोविड आपातकालीन क्रेडिट लाइन (बीसीईसीएल) की भी शुरुआत की जिसके अंतर्गत 31 मार्च, 2021 तक कुल मिलाकर ₹ 2,417 करोड़ मंजूर किए गए और ₹ 1,398 करोड़ का संवितरण किया गया. सरकार की गारंटीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन के अंतर्गत बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान ₹ 849 करोड़ मंजूर किए और ₹ 382 करोड़ संवितरित किए.

इसके अलावा, बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शुरु की गई टीएलटीआरओ योजना के अंतर्गत कॉरपोरेट्स और एनबीएफसी को निधियां उपलब्ध करायी. ₹ 6,519 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई और 31 मार्च, 2021 तक समग्र राशि का नियोजन किया गया.

आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना के अंतर्गत, एनबीएफसी को ₹ 3,078 करोड़ उधार दिए गए.

### एमएसएमई क्रेडिट

31 मार्च, 2021 को एमएसएमई पोर्टफोलियो ₹ 96,200 करोड़ रहा. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021 में 2.72 लाख नए एमएसएमई ग्राहकों को जोड़ा है. बैंक ने विशेष एसएमई प्रोसेसिंग केंद्रों के नेटवर्क को 27 से बढ़ाकर 71 एसएमई लोन फैक्ट्री (एसएमईएलएफ) कर दिया. इसके अलावा, ग्राहकों की सभी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एकल समाधान केंद्र के रूप में 15 नई एसएमई शाखाएं खोली गईं जिनमें व्यक्तिगत ऋण, जमा, फॉरेक्स संबंधी सेवाएं और प्रवर्तकों के लिए वित्तीय समाधान शामिल हैं. इन लोन फैक्ट्री और एसएमई शाखाओं द्वारा कवर नहीं किए गए भौगोलिक क्षेत्रों के लिए बैंक ने एसएमई खातों की निगरानी के साथ–साथ केंद्रित दृष्टिकोण सहित कोविड राहत पैकेज के अंतर्गत ऋण प्रस्तावों को प्रोसेस करने के लिए 49 विशेषीकृत एसएमई कक्ष की स्थापना की.

बैंक ने कोविड–19 महामारी से प्रभावित एमएसएमई को चलनिधि सहायता उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित किया:

- आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के अंतर्गत, बैंक ने 31 मार्च, 2021 तक ₹ 8,725 करोड़ रुपये मंजूर किए और ₹ 7,765 करोड़ संवितरित किए. इसके अलावा, बैंक ने एमएसएमई ग्राहकों को किसी भी चलनिधि असंतुलन को पूरा करने के लिए अस्थायी क्रेडिट लाइन प्रदान किया. इस योजना के अंतर्गत बैंक ने ₹ 3,013 करोड़ मंजूर किए और ₹ 983 करोड़ संवितरित किए.
- इसके अतिरिक्त, बैंक ने अधीनस्थ ऋण योजना ऋण गारंटी योजना के तहत 799 एमएसएमई उधारकर्ताओं को ऋण स्वीकृत किए. बैंक ने कोविड–19 के कारण किसी भी चलनिधि आवश्यकता को पूरा करने के लिए अंतर्निहित नकदी प्रवाह के आधार पर चालू खाताधारकों के लिए पूर्व–अनुमोदित ऋण भी उपलब्ध कराया.
- बैंक ने महामारी के कारण आवश्यकता के आधार पर एमएसएमई उधारकर्ताओं की कार्यशील पूंजीगत आवश्यकता को भी पुनर्जीवित किया. बैंक ने माइक्रो युनिट्स डेवलपमेंट एण्ड रिफाइनांस एजंसी (मुद्रा) के तहत 1,05,793 शिशु मुद्रा ग्राहकों के लिए ब्याज अनुदान भी प्रदान किया.
- बैंक ने संपूर्ण डिजिटल समाधान के साथ सबसे पहले पीएम स्वनिधि योजना की शुरूआत की.

बैंक ने एमएसएमई उद्यमों को सहयोग प्रदान करने के लिए पुनरसंरचना प्रस्तावों की प्रस्तुति हेतु ऑनलाइन सुविधा हेतु सिडबी के साथ एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म 'एसेट रिस्ट्रक्चरिंग मॉड्यूल फॉर एमएसएमई (एआरएम – एमएसएमई)' के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं.

बैंक ने पब्लिक डिलिवरी प्रणाली में उपयोग किए जाने हेतु वाणिज्यिक वाहन खरीदने के लिए बेरोजगार युवाओं को मुद्रा ऋण उपलब्ध कराने हेतु आंध्र प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. इस समझौता ज्ञापन के तहत बैंक ने 9,100 लाभार्थियों को ₹ 476 करोड़ संवितरित किए.

बैंक में 31 मार्च, 2021 को ₹ 915 करोड़ के पोर्टफोलियो के साथ वाणिज्यिक वाहनों एवं विनिर्माण उपकरणों के वित्तपोषण के लिए एक समर्पित सेल है. बैंक ने इस सेगमेंट में कारोबार को बढ़ाने हेतु प्रमुख मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) के साथ करार किया है. वर्ष के दौरान बैंक ने डाइमलर इंडिया कमर्शियल व्हिकल प्राइवेट लिमिटेड (भारत बेंज) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं.

बैंक में एमएसएमई को तरलता सहयोग प्रदान करने हेतु सप्लाई चेन कारोबार के लिए एक विशेषीकृत वर्टिकल है. बैंक का सप्लाई चेन कारोबार एक डिजिटलीकृत सप्लाई चेन सोल्यूशन है, जो रियल टाइम अलर्ट, रिपोर्ट्स एवं एंड–टू–एंड ऑटोमेटेड रिकंसीलिएशन उपलब्ध कराता है. 31 मार्च, 2021 को सप्लाई चेन वित्तपोषण पोर्टफोलियो ₹ 1,430 करोड़ रहा.

## रिटेल ऋण

बैंक की रिटेल आस्तियां 31 मार्च, 2020 के ₹ 1,20,822 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2021 को 9.72% की समग्र वृद्धि के साथ ₹ 1,32,565 करोड़ रही. तथापि, ऑरगेनिक रिटेल ऋण (पोर्टफोलियो खरीद को छोड़कर) पिछले वर्ष की तुलना में 14.35% की वृद्धि के साथ ₹ 120,256 करोड़ रहा. 31 मार्च, 2021 को रिटेल आस्तियों में घरेलू अग्रिमों का हिस्सा 20.68% रहा.

वित्तीय वर्ष 2021 में रिटेल कारोबार की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:–

- बैंक की बंधक आधारित ऋण बही (आवास, बंधक एवं किराया प्राप्य) 31 मार्च, 2021 को ₹ 99,630 करोड़ रही.
- रिटेल खंड के अंतर्गत वैयक्तिक, आवास और शिक्षा ऋण में क्रमशः 27.21%, 11.10% और 9.06% की वृद्धि दर्ज की गई.
- 9.50% की उद्योग वृद्धि के सापेक्ष बैंक के ऑटो ऋण में 27.79% की वृद्धि हुई.
- बैंक ने –27– नए विशेषीकृत मोर्टगेज स्टोर (एसएमएस) खोले हैं जिससे 31 मार्च, 2021 को एसएमएस की कुल संख्या 126 हो गई है. ये स्टोर विशेषीकृत एवं तत्काल रूप से मोर्टगेज आधारित क्रेडिट प्रदान करने के लिए पूरे देश में स्थित हैं.
- डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म के तहत रिटेल ऋण उत्पादों जैसे आवास ऋण, व्यक्तिगत ऋण एवं वाहन ऋण का सैद्धान्तिक अनुमोदन अब ऑनलाइन किया जा रहा है. बैंक अपने देयता ग्राहकों को ₹ 50,000 तक एंड–टू–एंड ऑनलाइन सूक्ष्म व्यक्तिगत ऋण ऑफ़र कर रहा है.

वर्ष के दौरान वैयक्तिक मौजूदा उधारकर्ताओं के लिए कोविड–19 योजना के तहत वैयक्तिक ऋण, वेतन खाताधारक सरकारी कर्मचारी ग्राहकों के लिए बड़ौदा वैयक्तिक ऋण तथा देयता ग्राहकों के लिए पूर्व–अनुमोदित ऋण जैसे नए रिटेल आस्ति उत्पादों का शुभारंभ किया गया.

## ग्रामीण और कृषि ऋण

बैंक के पास ग्रामीण क्षेत्रों में 2,852 और अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में 2,090 शाखाओं का नेटवर्क है जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और कृषि क्षेत्र ऋण के लिए लाभप्रद है. वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान बैंक के कृषि अग्रिम बढ़कर ₹ 99,543 करोड़ हो गए.

बैंक 3 राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) और 1 केंद्र शासित प्रदेश अर्थात दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय बैंकर्स समिति (यूटीएलबीसी) का संयोजक है और पूरे देश के 67 जिलों में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा है.

बैंक कृषि क्षेत्र को ऋण देने में लगातार अग्रणी बना हुआ है जिसे वित्तीय वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के सरकार के लक्ष्य से और गति मिली है. छोटे किसानों और समुदायों के लिए बैंक अपने सर्वोत्कृष्ट उत्पाद किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के साथ सामान्य कृषि ऋण प्रदान करने से आगे बढ़कर व्यापक ऋण की नीति पर कार्य करते हुए सभी ग्रामीण ग्राहक वर्ग के लिए जैसे कृषि यांत्रिकीकरण (ट्रैक्टर ऋण), बागवानी ऋण, गोदाम रसीद के पेटे वित्त पोषण, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को वित्तपोषण, खाद्य और कृषि प्रसंस्करण, स्वर्ण ऋण उपलब्ध करा रहा है. बैंक ने अपने ट्रैक्टर ऋण पोर्टफोलियो में वृद्धि के लिए ग्रोमेक्स एग्री इक्विपमेंट लिमिटेड, आइशर मोटर्स, ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड (टीएएफई) तथा महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं.

वर्ष के दौरान, बैंक ने 3.91 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं और पशुपालन एवं मत्स्य पालन गतिविधियों से संबद्ध किसानों को केसीसी प्रणाली से जोड़ने के लिए नई योजनाएं लागू की हैं. बैंक ने अपनी माइक्रोफाइनेंस पहलों के हिस्से के रूप में, वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान ₹ 1,671 करोड़ की राशि के ऋण प्रदान कर 77,722 एसएचजी को क्रेडिट लिंक किया है.

1 अक्टूबर, 2020 से 15 अक्टूबर, 2020 तक पूरे देश में बैंक द्वारा विशिष्ट वार्षिक किसान आउटरिच कार्यक्रम 'बड़ौदा किसान पखवाड़ा' का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम का उद्देश्य कोविड के समय डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधिक से अधिक किसानों को वर्चुअली जोड़ना था. 'बड़ौदा किसान पखवाड़ा' के दौरान कुल 13,811 गतिविधियों/ कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 3.57 लाख किसानों ने सहभागिता की.

बैंक ने एग्रिकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ), एनिमल हसबेंडरी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम (एएचआईडीएफ), पीएम फॉरमलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज़ (पीएमएफएमई), प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान योजना (पीएम कुसुम), प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) और कंप्रेसड बायो गैस जैसी इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास योजनाएं भी शुरू की हैं ताकि कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के विकास को प्रोत्साहित किया जा सके.

वर्टिकल ने एसएचजी, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), बड़ौदा किसान क्रेडिट कार्ड (बीकेसीसी) एवं निवेश ऋण उधारकर्ताओं को ऋण सहयोग प्रदान करने के लिए कई पहलें की हैं. वित्तीय वर्ष 2021 में कोविड-19 योजनाओं के तहत विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ₹ 2,378 करोड़ की राशि मंजूर की गई.

### प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण

बैंक का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण 31 मार्च, 2020 के ₹ 2,26,336 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2021 को 10.14% बढ़कर ₹ 2,49,285 करोड़ रहा. बैंक ने दिनांक 31 मार्च, 2021 को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण सेगमेंट की सभी श्रेणियों के अंतर्गत अनिवार्य लक्ष्यों को प्राप्त किया है.

### अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति समुदायों को ऋण

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (एससी/ एसटी) समुदायों को बकाया ऋण 31 मार्च, 2021 को 12,633 करोड़ हो गया. बैंक द्वारा कमजोर वर्गों को मंजूर किए गए अग्रिम का 18.68% हिस्सा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किया गया.

इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), मुद्रा ऋण, स्टार्ट-अप इंडिया एवं स्टैंड-अप इंडिया जैसी विभिन्न प्रकार की सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति समुदायों के वित्त पोषण के लिए बैंक द्वारा विशेष बल दिया गया. बैंक ने महिला सशक्तिकरण मिशन को आगे बढ़ाने हेतु महिला स्वयं सहायता समूहों को वित्त उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न राज्यों की राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के साथ करार करने की संभावनाएं तलाश रहा है.

### स्वर्ण ऋण

बैंक का स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो पिछले वर्ष के ₹ 17,393 करोड़ के मुकाबले 31 मार्च, 2021 को 35.64% बढ़कर ₹ 23,593 करोड़ रहा. वित्तीय वर्ष 2021 में स्वर्ण ऋण के अंतर्गत कृषि स्वर्ण ऋण 32.64% बढ़कर ₹ 22,492 करोड़ रहा. रिटेल स्वर्ण ऋण 31 मार्च, 2020 के ₹ 436 करोड़ की तुलना में दोगुने से भी अधिक होकर 31 मार्च, 2021 को 1,101 करोड़ रहा. यह बढ़ोतरी स्वर्ण ऋण शोपी में बढ़त के कारण हुई जो इस अवधि में 185 से बढ़कर 984 हो गई.

कृषि ऋणों में स्वर्ण ऋणों का हिस्सा वित्तीय वर्ष 2020 के 19.13% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2021 में 22.30% रहा. औसत स्वर्ण ऋण टिकट साइज़ ₹ 1.05 लाख से बढ़कर ₹ 1.36 लाख रहा. यह बढ़ोतरी दक्षिण भारत के अलावा पूरे देश के भौगोलिक हिस्से से हुई जो पिछले वर्ष के 18.96% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021 में 22.65% रही. 31 मार्च, 2021 को केवल 0.19% के जीएनपीए अनुपात के साथ पोर्टफोलियो की ऋण गुणवत्ता अच्छी रही.

### वित्तीय समावेशन (एफआई)

किफायती लागत पर समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से ग्रामीण, अर्द्ध शहरी और शहरी गरीबों को यूनिवर्सल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक ने वित्तीय समावेशन को सामाजिक बचनबद्धता के रूप में और कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल के माध्यम से कारोबार प्राप्त करने के लिए एक अवसर के रूप में अपनाया है. बैंक अपनी शाखा और बीसी नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश में वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है. तकनीक के आगमन के साथ बैंकिंग रहित क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने के लिए अभिनव कदम उठाए जा रहे हैं. बैंक ने देश भर में ग्रामीण, अर्द्ध शहरी और शहरी क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने के लिए अपने बीसी नेटवर्क में 5,200 अतिरिक्त बीसी जोड़कर 31 मार्च, 2021 को 23,320 से अधिक बीसी नियुक्त किए हैं.

बैंक ने वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित पहलें आरंभ की हैः

- विभिन्न चैनलों जैसे कि मिस्ड कॉल/ नेट बैंकिंग/ मोबाइल बैंकिंग/ एसएमएस/ बीसी/ शाखा के माध्यम से माइक्रो इंश्योरेंस नामांकन.
- बीसी केन्द्रों पर विभिन्न सेवाओं जैसे कि एसएमएस सब्स्क्रिप्शन, ई-मेल से विवरणी प्राप्त करने एवं डेबिट कार्ड हॉट-लिस्टिंग की उपलब्धता. लेनदेन के दौरान बीसी एजेंट को आधार लुक-अप सुविधा एवं आधार ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण. बीसी केन्द्रों पर नामांकन के लिए आधार सीडिंग हेतु द्विभाषी सहमति-पत्र एवं सूक्ष्म बीमा के लिए तत्काल पॉप-अप की सुविधा.

### वित्तीय समावेशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021 के महत्वपूर्ण कार्य निष्पादन

- बेसिक बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खातों में 78.13 लाख (15.26%) से वृद्धि हुई है और जमाराशियों में ₹ 4,791 (25.58%) करोड़ से बढ़ोतरी हुई है.
- पीएमजेडीवाई खातों में 83.34 लाख (20.30%) से वृद्धि हुई है और पीएमजेडीवाई जमाराशियों में ₹ 4340 करोड़( 30.36%) से बढ़ोतरी हुई है.

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में बैंक की हिस्सेदारी पीएमजेडीवाई खातों की संख्या में 14.79% और पीएमजेडीवाई खातों के अंतर्गत जमाराशियों में 16.47% रही.
- 31 मार्च 2021 को बैंक में शून्य शेष वाले पीएमजेडीवाई खातों के हिस्से को जो 31 मार्च 2020 को 7.88% था, घटाकर 5.30% पर लाया गया.
- वर्ष के दौरान माइक्रो इंश्योरेंस नामांकन में 48 लाख की वृद्धि हुई और 31 मार्च, 2021 को 2.60 करोड़ रहा.

**बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्यनिष्पादन**

बैंक ने तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) जिनके नाम बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक तथा बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक हैं, को प्रायोजित किया है. तीनों आरआरबी का समग्र व्यवसाय 31 मार्च, 2020 के ₹ 76,278 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2021 को 123,579 करोड़ रहा. तीनों आरआरबी ने समेकित रूप से वित्तीय वर्ष 2021 में ₹ 322 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया. तीनों आरआरबी की समेकित निवल संपत्ति 31 मार्च, 2021 को बढ़कर ₹ 4289 करोड़ हो गई है.

भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ़. संख्या 7/8/2017–आरआरबी (उत्तरप्रदेश III) दिनांक 26 नवंबर 2019 के संदर्भ में दिनांक 1 अप्रैल 2020 से बैंक ऑफ़ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित क्रमशः बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक (बीयूपीजीबी), काशी गोमती समयुत ग्रामीण बैंक (केजीएसजीबी) और पूर्वान्चल बैंक (पीबी) के समामेलन को प्रभावी किया गया है और नई संस्था बड़ौदा उत्तरप्रदेश बैंक ने अंतरिती संस्था के रूप में उसी तारीख से कार्य करना आरंभ कर दिया है. इसका प्रधान कार्यालय, गोरखपुर में है. बैंक की पूरे राज्य भर में 1,983 शाखाएं हैं.

## अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

हमारे बैंक की 19 देशों में 96 विदेशी शाखाएं/ कार्यालय हैं, जिनमें 44 विदेशी शाखा/कार्यालय (यूएई में 9 इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवा यूनिट, मॉरीशस में 1 मोबाइल यूनिट और गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात, भारत में 1 अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग यूनिट सहित) और बैंक की 7 विदेशी अनुषंगियों की 52 शाखाएं कार्यरत हैं. इसके अलावा, बैंक का एक संयुक्त उद्यम मलेशिया में इंडिया इंटरनेशल बैंक (मलेशिया) बीएचडी है और एक सहयोगी बैंक जांबिया में इंडो जांबिया बैंक लि. है जिसकी 30 शाखाएं हैं.

बैंक की विश्व के प्रमुख वित्तीय केंद्रों न्यूयॉर्क, लंदन, सिंगापुर और दुबई में उपस्थिति है. अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारा बैंक भारतीय कॉर्पोरेट्स की अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करके, भारतीय और स्थानीय रूप से निगमित कंपनियों/ फर्मों के लिए इंडिया– लिंक्ड क्रॉस बार्डर व्यापार प्रवाह आवश्यकताओं को पूरा करके और अनिवासी भारतीय (एनआरआई) / भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) के लिए पसंदीदा बैंक बनकर संवृद्धि और मूल्यवर्धन की नीति अपना रहा है.

बैंक ने विदेशी केन्द्रों में एंड टु एंड व्यवसाय समाधान के लिए डिजिटाइजेशन और केन्द्रीकरण के उद्देश्य से आईटी उन्नयन में भी ठोस प्रगति की है ताकि उत्पादकता एवं ग्राहक सेवा में वृद्धि की जा सके.

बैंक ने व्यापक मूल्यांकन फ्रेमवर्क के आधार पर कार्यनीतिक दृष्टि से अपनी विदेशी उपस्थिति को युक्तिसंगत बनाया है. इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में वर्ष के दौरान बैंक ने चीन में होलसेल शाखा को बंद कर दिया है और सोहर शाखा को ग्रेटर मुटराह शाखा के साथ विलय कर दिया गया है और त्रिनिदाद और टोबैगो में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी अर्थात् बैंक ऑफ़ बड़ौदा (त्रिनिदाद और टोबैगो) लि. की पूरी हिस्सेदारी को अनसा मर्चेन्ट बैंक को बेचकर विनियोजित कर दिया.

बैंक अपने अंतर्राष्ट्रीय परिचालन को नए वैश्विक परिवेश के अनुरूप निरंतर समेकित और पुनर्गठित कर रहा है और जोखिम प्रबंधन, अल्प लाभ आस्तियों को कम करने और लाभप्रदाता में वृद्धि के उद्देश्य से पोर्टफोलियो को पुनर्संतुलित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है.

31 मार्च, 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय शाखाओं से बैंक का कुल व्यवसाय (निवल) ₹ 2,09,269 करोड़ रहा जो वैश्विक व्यवसाय का 12.51% रहा. कुल जमाराशियां ₹ 1,08,584 करोड़ रहीं जबकि निवल अग्रिम ₹ 1,00,685 करोड़ रहा.

## ट्रेज़री परिचालन

हमारा बैंक मुंबई में स्थित अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में स्थापित अत्याधुनिक डीलिंग रूम से ट्रेज़री परिचालनों का संचालन करता है. ट्रेज़री विभिन्न बाजारों जैसे विदेशी विनिमय, ब्याज दर, स्थायी आय, मुद्रा बाजार, डेरिवेटिव्स, इक्विटी, मुद्रा एवं ब्याज दर फ्यूचर्स एवं अन्य वैकल्पिक आस्ति श्रेणियों में प्रमुख भूमिका निभा रही है. बैंक आधुनिक डीलिंग पद्धतियों और पूरे देश में विदेशी मुद्रा में डीलिंग करने के लिए प्राधिकृत शाखाओं के माध्यम से ब्याज दर स्वैप, मुद्रा स्वैप, मुद्रा विकल्प और वायदा संविदा जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहा है.

ट्रेज़री बैंक की सीआरआर / सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) संबंधी सांविधिक आवश्यकताओं की देखरेख करती है और निधि की आधिकता / कमी का प्रबंधन करती है. ट्रेज़री निधि प्रबंधन कार्यों के एक भाग के रूप में मनी मार्केट और कॉर्पोरेट मार्केट लिखतों में ऋण लेता/निवेश करता है.

31 मार्च, 2021 को बैंक की कुल घरेलू निवेश बही ₹ 2,51,708 करोड़ रही. कुल निवेश में एसएलआर प्रतिभूतियों का शेयर 81.10% रहा. 31 मार्च, 2021 को शुद्ध मांग एवं मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के सापेक्ष एसएलआर प्रतिभूतियां (भारमुक्त) 20.77% रहीं. बैंक यील्ड मूवमेंट द्वारा उपलब्ध कराए गए अवसरों को भुनाने में सक्षम रहा है. बैंक ने अपने पोर्टफोलियो को कुशलता से प्रबंधित किया है और वित्त वर्ष 2021 के लिए ब्याज–युक्त निवेश पर 7.69% (बिक्री पर लाभ सहित) औसत लाभ बनाए रखा है. वित्त वर्ष 2021 के दौरान बैंक द्वारा निवेश की बिक्री पर लाभ और विदेशी मुद्रा आय क्रमशः ₹ 3326 करोड़ और ₹ 658 करोड़ रही.

महामारी के कारण लॉकडाउन अवधि के दौरान निर्बाध व्यावसायिक परिचालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आकस्मिक उपाय किए गए हैं. कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) के अलावा मुंबई में एक वैकल्पिक साइट सेट– अप किया गया और कर्मचारियों को रिमोट एक्सेस प्रदान किया गया जिससे ट्रेज़री के बैक और फ्रंट ऑफिस के सभी कार्य कवर हो गए. अतः इन व्यवस्थाओं के साथ संपूर्ण ट्रेज़री परिचालन को सफलतापूर्वक और कुशलतापूर्वक चलाया गया.

### सरकारी कारोबार

सरकारी कारोबार बैंक की व्यावसायिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. यह कम लागत जमाराशि और शुल्क आधारित आय में उल्लेखनीय रूप से योगदान करता है. यह अखिल भारत स्तर पर केन्द्र/ राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करता है.

बैंक अपनी नामित शाखाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष कर संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है और यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं विधि कार्य मंत्रालय का एक मान्य सहयोगी बैंकर है. बैंक वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा शुरू की गई विभिन्न लघु बचत योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का कार्यान्वयन/ प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करता है. बैंक भारत सरकार की डिजिटल पहल के अनुरूप ई-सोल्यूशन विकसित करने में केंद्र और राज्य स्तर पर विभिन्न विभागों के साथ भागीदार है.

वर्ष के दौरान बैंक ने भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के साथ डिफेंस सैलरी पैकेज के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया. बड़ौदा डिफेंस सैलरी पैकेज में संवर्धित विशेषताओं के साथ भारतीय सेना से समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया गया. बैंक ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के प्रतिष्ठित खाते को भी कैनवास किया.

वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) योजना के कार्यान्वयन में बैंक के सराहनीय कार्यनिष्पादन की वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशंसा की गई. साथ ही, बैंक ने अटल पेंशन योजना कैनवास करने हेतु पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा आरंभ किए गए विभिन्न अभियानों में अर्हता प्राप्त की है.

### धनसंपदा प्रबंधन

पूर्ववर्ती देना और विजया बैंक की शाखाओं के निर्बाध एकीकरण के साथ धन सम्पदा संबंधी उत्पादों के वितरण के लिए बैंक के ग्राहक आधार में बड़ी वृद्धि देखी गई. धनसंपदा प्रबंधन वितरण प्लैटफ़ार्म को 14 करोड़ से अधिक ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए शाखाओं के व्यापक वितरण नेटवर्क को विकसित करने के उद्देश्य से रिटेल वितरण (क्रॉस-सेल) और रेडियंस चैनल (उच्च मालियत वाले व्यक्तियों के लिए आकर्षक खंड) को अलग-अलग किया गया है. इस व्यवसाय मॉडल को समृद्ध करने का अंतर्निहित सिद्धांत, विकास के अवसरों का लाभ लेने और डिजिटल रूपान्तरण के अनुरूप आगे बढ़ने और शुल्क आय को बढ़ाने के लिए 'भविष्य के लिए तैयार' होना है. इस व्यवसाय मॉडल में विभिन्न संपर्क केन्द्रों जैसे शाखाओं, मोबाइल और नेट बैंकिंग के माध्यम से निवेश और बीमा उत्पादों को वितरित करने की परिकल्पना की गई है ताकि सभी भौगोलिक क्षेत्रों में सभी ग्राहकों तक पहुंचा जा सके.

साथ ही, रिलेशनशिप मैनेजर-आधारित व्यापार मॉडल, रेडियंस, इंडस्ट्री बेंचमार्क के अनुसार इस उत्पाद ऑफ़र को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाकर समृद्ध किया गया और इसमें विभिन्न प्रगति निम्नानुसार है :

- ग्राहकों को विभिन्न निवेश और बीमा उत्पादों को ऑफ़र करने के लिए आवश्यक कौशल के साथ वैल्थ पेशेवरों को जोड़ा गया है.
- डिजिटल बैक-एंड प्रक्रियायों को रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंटों (आरटीए) के साथ धन सम्पदा व्यवसाय प्लैटफ़ार्म को एकीकृत कर तथा मोबाइल और नेट बैंकिंग पर म्यूचुअल फंड निवेशों के वर्तमान मूल्य की उपलब्धता से मजबूत किया गया है.
- बैंक ने बीमा भागीदारों के माध्यम से प्रतिस्पर्धी मूल्य पर व्यापक स्तर पर ग्राहकों को मूलभूत स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करने के लिए कोविड 19 सहित विभिन्न स्वास्थ्य बीमा उत्पाद ऑफ़र किए हैं.
- वेतन खातों के अंतर्गत उत्पाद ऑफ़र के रूप में निवेश और बीमा उत्पाद डिफेंस कार्मिकों को उपलब्ध कराये गए हैं.
- ग्राहक रिलेशनशिप प्रबंधन (सीआरएम) टूल को सभी ग्राहकों की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने और व्यापार के अवसरों को कैप्चर करने के लिए किया जाता है.

### दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन

बैंक यह मानता है कि निरंतर दैनिक निगरानी अनर्जक ऋणों में कमी और अच्छी वसूली सुनिश्चित करने के प्रति पहला चरण है. इस के लिए बैंक ने विभिन्न कार्रवाई की है तथा वसूली बढ़ाने और स्लिपेज को कम करने के लिए रणनीति बनाई है.

बैंक के पास ने सभी एनपीए खातों की निगरानी के लिए 'दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल' है. एनपीए खातों की बेहतर निगरानी और वसूली के लिए, पांच दबावग्रस्त आस्ति शाखाओं की स्थापना की गई और एनसीएलटी के तहत सभी खातों को इन विशेष शाखाओं में अंतरित कर दिया गया. इसके अलावा, ₹ 5 करोड़ से अधिक बकाया शेषराशि के साथ राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के इतर एनपीए खातों को संभालने के लिए अंचल स्तर पर 16 दबावग्रस्त आस्ति वसूली शाखाओं (एसएआरबी शाखा) की स्थापना की गई.

पिछले दो वर्षों के दौरान एनपीए की स्थिति निम्नानुसार है:

**₹ करोड़ में**

| **विवरण** | **वित्त वर्ष 2020** | **वित्त वर्ष 2021** |
|---|---|---|
| सकल एनपीए | 69,381 | 66,671 |
| सकल एनपीए (%) | 9.40 | 8.87 |
| निवल एनपीए | 21,577 | 21,800 |
| निवल एनपीए (%) | 3.13 | 3.09 |
| एनपीए में जोड़ | 23,315 | 20,005 |
| वसूली/ उन्नयन | 7,942 | 7,290 |
| टीडबल्यूओ सहित बट्टे खाते | 15,806 | 14,878 |
| बट्टे खातों में वसूली | 1,532 | 2,985 |
| प्रावधान कवरेज अनुपात (टीडबल्यूओ सहित) (%) | 81.33 | 81.80 |
| प्रावधान कवरेज अनुपात (टीडबल्यूओ को छोड़कर) (%) | 68.90 | 67.30 |

आस्ति वर्गीकरण के अनुसार, ऋण बही का विभाजन निम्नानुसार है:

**₹ करोड़ में**

| **आस्ति वर्गीकरण** | **वित्त वर्ष 2020** | **वित्त वर्ष 2021** |
|---|---|---|
| मानक अग्रिम | 6,68,715 | 6,84,919 |
| सकल एनपीए | 69,381 | 66,671 |
| कुल सकल अग्रिम | 7,38,096 | 7,51,590 |
| सकल एनपीए जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं | | |
| अवमानक | 14,311 | 15,056 |
| संदिग्ध | 37,005 | 35,527 |
| हानि | 18,065 | 16,088 |
| कुल सकल एनपीए | 69,381 | 66,671 |

बड़ी संख्या में छोटे एनपीए खातों का निपटान करने के उद्देश्य से बैंक ने इन खंडों में एनपीए के निपटान के लिए अपनी मौजूदा विशेष एकबारगी निपटान (ओटीएस) योजना "लक्ष्य- II – एमएसएमई, रिटेल और कृषि को जारी रखा है. बैंक द्वारा इन योजनाओं के तहत ₹ 694 करोड़ की राशि के एनपीए खातों में वसूली और अपग्रेड किया गया.

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्संरचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम के तहत **संपत्तियों की बिक्री के लिए नया ई-नीलामी मंच, ई-बिक्रय का उपयोग किया गया.**

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 मार्च, 2020, 17 अप्रैल, 2020 और 23 मई, 2020 के अपने परिपत्र द्वारा कोविड-19 के लिए विनियामक पैकेज के तहत उपायों की घोषणा की है. इन दिशानिर्देशों के तहत मौजूदा ऋणकर्ताओं को अधिस्थगन अवधि का विकल्प दिया गया. दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक को ऋणकर्ता खाते जहां आस्ति वर्गीकरण लाभ प्रदान किया गया है, के संबंध में बकाया अग्रिमों का न्यूनतम 10% प्रावधान करना अपेक्षित था. बैंक ने दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही के दौरान ₹ 811 करोड़ और साथ ही, दिनांक 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के दौरान ₹ 1,065 करोड़ की राशि का कोविड-19 के लिए पर्याप्त प्रावधान किया और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही के दौरान ₹ 1,309 करोड़ के शेष प्रावधान की राशि को बट्टे खाते में डाला गया/समायोजित किया गया.

उपर्युक्त अधिस्थगन अवधि के तहत कार्यशील पूंजी सुविधाओं के संबंध में बैंक ने वित्तपोषित ब्याज मीयादी ऋण में दिनांक 31 अगस्त, 2020 तक की इस अधिस्थगन अवधि के लिए संचित ब्याज को परिवर्तित कर दिया, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मार्च 2021 तक चुकाया जा सकता था.

बैंक ने रिजॉल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0 समाधान – कोविड-19 से संबंधित दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के तहत पुनर्संरचना लागू की और दिनांक 6 अगस्त, 2020 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार ₹ 3,774 करोड़ औसत एक्सपोजर वाले 7,861 खातों में प्रावधान किया. बैंक ने एमएसएमई के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की एकबारगी पुनर्संरचना सुविधा का विस्तार किया जिसमें कुल ₹ 9,039 करोड़ की कुल राशि के साथ 1,25,906 ऋणकर्ताओं को एमएसएमई आस्ति पुनर्संरचना सुविधा प्रदान की गई.

बैंक में शुरुआती दौर में दबावग्रस्त आस्तियों की पहचान करने के लिए सुदृढ़ स्वचालित अर्ली वार्निंग प्रणाली है जिससे दबाव को दूर करने के लिए समय पर सुधारात्मक उपाय किए जा सकें. बैंक के पास सशक्त संग्रहण प्रणाली भी है.

### डिजिटल बैंकिंग उत्पाद

बैंक डिजिटलीकरण के लिए प्रतिबद्ध है और नियमित रूप से लेनदेन को डिजिटल चैनलों में माइग्रेट करने का प्रयास करता है जिससे बेहतर ग्राहक अनुभव प्राप्त होता है. डिजिटल बैंकिंग का प्रमुख उद्देश्य डिजिटल और वैकल्पिक वितरण चैनलों के माध्यम से ग्राहकों को बैंक के उत्पाद उपलब्ध कराना है. डिजिटल बैंकिंग में प्रमुख सुविधाएं भीम बड़ौदा पे, बड़ौदा एम-कनेक्ट प्लस, बड़ौदा कनेक्ट, डेबिट कार्ड, प्री-पेड कार्ड, भीम आधार, एटीएम और कैश रिसाइक्लर मशीन, सेल्फ सर्विस पासबुक प्रिंटर, टैब बैंकिंग, इंटरनेट पेमेंट गेटवे (आईपीजी), भारत बिल भुगतान सेवाएं (बीबीपीएस), बड़ौदा फास्टैग, भारत क्यूआर, पॉइंट ऑफ़ सेल (पीओएस) आदि हैं.

- **मोबाइल बैंकिंग:** बैंक ने अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन में वर्ष के दौरान 40 नई सुविधाएँ और सेवाएँ जैसे पूर्व-अनुमोदित सूक्ष्म वैयक्तिक ऋण, यूपीआई सुविधा, पासबुक, डेबिट कार्ड प्रबंधन, लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) खाता खोलना, आवक चेक के लिए पॉज़िटिव पे पुष्टि, खर्च विश्लेषक, बिना लॉगिन किए मिनी-स्टेटमेंट, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट मोड को सक्षम/ अक्षम करना, इंटरेक्टिव कस्टमर फीडबैक, अन्य बैंक ट्रांसफर के लिए तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) पेमेंट मोड, डिपॉजिट के पेटे ऋण, डिपॉजिट कैलकुलेटर, मुद्रा और एमएसएमई ऋण के लिए आवेदन आदि शुरू किया है.

  उपर्युक्त के अलावा दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं की संख्या में 2.84 गुना वृद्धि हुई, जो अप्रैल 2020 में 11 लाख से बढ़कर मार्च 2021 में 31 लाख हो गई. इसके अलावा, वित्तीय लेनदेन में 44% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि गैर-वित्तीय लेनदेन में 96% की वृद्धि दर्ज की गई.

- **एटीएम:** यूजर-फ्रेंडली ग्राफिक स्क्रीन और ग्राहकों की पसंद की भाषा में अनुदेशों के पालन की सहजता, बैंक के एटीएम के उपयोग को आरामदायक बनाता है. एटीएम को ग्रीन-पिन जनरेशन, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी), बिल भुगतान आदि जैसी सुविधाओं से समृद्ध किया गया है. बैंक ने सफलतापूर्वक 9,578 एटीएम के लिए एटीएम जीएल वार प्रोजेक्ट को पूरा किया. 31 मार्च, 2021 को बैंक के पास कैश रिसाइक्लर्स सहित 11,633 एटीएम है.

- **डेबिट कार्ड:** 31.03.2021 को बैंक के पास सक्रिय कार्ड आधार 21% की वृद्धि के साथ 6.54 करोड़ रहा, ई-कॉमर्स/पीओएस संव्यवहारों को बढ़ाने और ग्राहकों के लिए बैंक के डेबिट कार्ड को

वरीयतः, पसंदीदा कार्ड बनाने के लिए बैंक ने डेबिट कार्ड ग्राहकों को आकर्षक ऑफ़र उपलब्ध करवाने हेतु विविध मर्चेंटों के साथ टाई अप किए. पांच माह की अवधि (नवंबर 2020 से मार्च 2021) के अंदर विभिन्न प्रचलित मर्चेंटों जैसे जियो मार्ट, इक्सिगो, मिंत्रा, स्विगी, ईज़ माई ट्रिप, यात्रा, ज़ोमैटों, ऊबर, ग्रोफर्स, गोआईबीबो, फ़्लिपकार्ट, सिनियॉरिटी आदि के साथ मिलकर कुल 31 अभियान चलाए गए.

- **इंटरनेट पेमेंट गेटवे (आईपीजी)** अपने ग्राहकों को अपनी वेबसाइट / ई– कॉमर्स व्यवसाय के माध्यम से क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग का उपयोग कर भुगतान संग्रहण को सक्रियकरण द्वारा भुगतान प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लैटफार्म, बड़ौदा ई–गेटवे उपलब्ध करवाने हेतु बैंक ने आईपीजी नेटवर्क की स्थापना की है. बाधारहित और अनुकूलित सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक ने 18 एग्रीगेटरों/ मास्टर मर्चेन्टों के साथ टाई–अप किए हैं और लगभग 1500 मर्चेंटों को ऑनबोर्ड किया है. बैंक ने वित्त वर्ष 20–21 में आईपीजी मर्चेंट ऑन–बोर्डिंग में 57% की वृद्धि हासिल की.
- **बड़ौदा फास्टैग (नेशनल इलेक्ट्रानिक टोल कलेक्शन – NETC):** बैंक ने फास्टैग की बिक्री बढ़ाने के लिए वित्त वर्ष 2021 के दौरान विभिन्न अभियान चलाए जिनके परिणामस्वरूप 2.68 लाख फास्टैग जारी किए. बैंक का फास्टैग अब अन्य बैंकों के ग्राहकों के लिए ऑनलाइन मोड और टैब बैंकिंग के माध्यम से उपलब्ध है.
- **भीम बड़ौदा पे:** यूपीआई एक ऐसा सिस्टम है जो विभिन्न बैंक खातों को एक मोबाइल एप्लिकेशन (किसी भी भागीदार बैंक का) पर संग्रहित करता है, विभिन्न बैंकिंग विशेषताओं, बाधारहित निधि रुटिंग एवं मर्चेंट भुगतान को एक प्लैटफार्म पर समेकित करता है. यह 'पीयर टू पीयर' संग्रहण अनुरोध को भी पूरा करता है जिसे आवश्यकता और सुविधा अनुसार शेड्यूल कर भुगतान किया जा सकता है. वित्त वर्ष 2021 के दौरान यूपीआई के अंतर्गत वित्तीय लेन–देन (आउटवर्ड), बढ़कर ₹ 110 करोड़ रहा, जिसमें 100% की वृद्धि हुई.
- **यूपीआई ऑटो पे:** यूपीआई 2.0 के अंतर्गत शुरू की गई इस नई सुविधा के साथ ग्राहक आवर्ती भुगतान जैसे मोबाइल बिल, बिजली बिल, ईएमआई भुगतान, मनोरंजन/ ओटीटी सब्स्क्रिप्शन, म्यूचुअल फंड आदि के लिए किसी भी यूपीआई ऐप्लिकेशन का उपयोग कर आवर्ती ई–मैंडेट को सक्रिय कर सकता है. वर्तमान में बैंक यूपीआई ऑटो पे में इश्यूर के तौर पर लाइव है.
- **यूपीआई इंटरनेशनल:** यूपीआई ऐप्लिकेशन के माध्यम से सिंगापुर डॉलर (एसजीडी) में क्यूआर आधारित भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए यूपीआई इंटरनेशनल को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) और एनईटीएस (नेटवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर) सिंगापुर ने संयुक्त रूप से विकसित किया है. खाते से कटौती भारतीय रूपया (आईएनआर) में होगी लेकिन मर्चेंट को भुगतान एसजीडी में होगा. वर्तमान में बैंक जारीकर्ता के रूप में लाइव है और उन छः बैंकों में से हैं जो इस सुविधा में लाइव हैं.
- **यूपीआई के माध्यम से जीएसटी भुगतान:** डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डायनमिक क्यूआर कोड के माध्यम से बिजनेस टू कस्टमर (बी2सी) लेनदेन करने का बहुत बड़ा निर्णय लेते हुए, भारत सरकार ने यूपीआई में माल और सेवा कर (जीएसटी) सक्षम करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं. यह निर्देश दिया गया है कि कार्पोरेट मर्चेंट जिनका वार्षिक टर्नओवर रू. 500 करोड़ और अधिक है उन्हें ग्राहकों को जीएसटी घटकों के साथ डायनमिक क्यूआर कोड इनवॉयसिंग सॉल्यूशन के लिए क्यूआर कोड के प्रावधानों को अपनाना होगा.

  बैंक के अधिग्रहित मर्चेंट जीएसटी घटक के साथ डायनमिक क्यूआर कोड की सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं. भीम बड़ौदा पे एप्लिकेशन जीएसटी संबंधी परिवर्तनों के साथ अनुपालित है और जीएसटी समर्थित क्यूआर कोड को स्कैन, डीकोड कर सकता है और अनुरोध संदेश में एनपीसीआई द्वारा अपेक्षित जानकारी प्रदान करता है.
- **व्हाट्सैप बैंकिंग:** बैंक ने अपने ग्राहकों और अन्य बैंक के ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं देने के लिए नए युग के डिलीवरी चैनल के रूप में व्हाट्सैप बैंकिंग प्रारंभ की है जो सोशल मीडिया प्लैटफार्म अर्थात् व्हाट्सैप मैसेंजर एप्लिकेशन का उपयोग करता है. इसके प्रारंभ के तीन माह के अंदर 6.25 लाख उपयोगकर्ताओं को व्हाट्सैप बैंकिंग पर ऑनबोर्ड किया गया है. वर्ष के दौरान, बैंक ने अपने ग्राहकों को 13 सेवाएं और अन्य बैंकों के ग्राहकों को 5 सेवाएं उपलब्ध करवायी. अगले चरण में इस प्लेटफार्म पर 11 अतिरिक्त सेवाओं को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है जो ग्राहक सुविधा में और अधिक संवर्धन होगा और उनके बैंकिंग अनुभव में सुधार होगा.
- **बड़ौदा कनेक्ट:** वर्ष के दौरान अतिरिक्त सुविधाओं, क्षमताओं और ग्राहक अनुकूल इंटरफेस के साथ इंटरनेट बैंकिंग (एफ़ईबीए) का एक नया संस्करण कार्यान्वित किया गया. वर्ष के दौरान बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर 11.65 लाख उपयोगकर्ताओं को जोड़ा है.
- **बड़ौदा टैबिट :** बैंक ने अपने टैब बैंकिंग प्लेटफॉर्म–बड़ौदा टैबिट के माध्यम से विभिन्न सेवाओं (वैयक्तिक चेक बुक, वैयक्तिक डेबिट कार्ड, एमपिन के साथ मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई आदि) के साथ त्वरित रूप से बचत खाता और चालू खाता खोलने हेतु टैबलेट के माध्यम से अपनी ग्राहक ऑन–बोर्डिंग प्रक्रिया को डिजिटलीकृत करने की शुरुआत की. बैंक ने वर्ष के दौरान इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगभग 27 लाख बचत खाते खोले हैं. अब टैब बैंकिंग के माध्यम से वैयक्तिकों, स्वामित्व और साझेदारी फर्मों के चालू खाते खोले जा रहे हैं. टैब ऑन–बोर्डिंग प्लेटफॉर्म पर अब फास्टैग जारी करने और यूपीआई सेवाओं का लाभ उठाने के लिए मर्चेन्टों की ऑन–बोर्डिंग के लिए भी उपलब्ध है.

## एनालिटिक्स सेंटर ऑफ़ एक्सिलेंस (एसीओई)

एसीओई ने बिग डेटा लेक (बीडीएल) प्लैटफार्म का पेटा बाइट स्थापित किया है जिसे जनवरी 2020 में और अधिक विस्तार दिया गया. यह बिग डेट लेक प्लैटफार्म वर्तमान में विभिन्न स्रोत सिस्टमों से डेटा प्राप्त कर रहा है जिसमें प्रमुख आंतरिक स्रोत जैसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कोर बैंकिंग, ट्रेजरी प्रबंधन सिस्टम, एलएलपीएस, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग आदि तथा बाह्य

स्रोत जैसे भारतीय साख सूचना ब्यूरो लिमिटेड (सिबिल), सीआरआईएफ हाई मार्क क्रेडिट इनफॉरमेशन सर्विस पाइवेट लिमिटेड (सीआरआईएफ), कार्पोजिटरी, कैपिटल लाइन आदि शामिल हैं.

विभिन्न वर्टिकलों को समृद्ध दृष्टिकोण, बृहद प्रमुख कार्यनिष्पादक सूचक (केपीआई) और आयामों के माध्यम से कार्रवाई योग्य इनसाइट प्रदान करने के लिए विविध डैशबोर्ड विकसित किए गए. ये डैशबोर्ड शाखा स्तर तक व्यवसाय और नियामक/ अनुपालन दोनों से संबन्धित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं.

एसीओई कार्यक्रम का मुख्य कार्य विश्लेषण आधारित भावी और विस्तृत दृष्टिकोण प्रदान करना है जिससे रिटेल / एमएसएमई / धन संपदा क्रॉस सेल, वसूली प्रबंधन, एटीएम पूर्वानुमान, ट्रेजरी अस्ति एवं देयता प्रबंधन (एएलएम) और वित्तीय लिखतों से संबंधित भारतीय लेखांकन मानक (आईएनडी एएस) 109 के लिए विभिन्न भावी मॉडलों के साथ बैंक को राजस्व, लागत और जोखिम पहलों में सहायता की जा सके. एसीओई ने ग्राहकों के लिए क्रॉस-सेल आस्ति (आवास ऋण, वैयक्तिक ऋण, कार ऋण) और देयता उत्पादों (बचत बैंक खाता, सावधि जमा) मॉडल विकसित किए हैं.

## सूचना प्रद्यौगिकी (आईटी)

बैंक ग्राहकों की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने उत्पादों, प्रणालियों और संरचनाओं में लगातार सुधार कर रहा है. डिजिटलीकरण में आईटी संबंधी आधारभूत सुविधाओं को लगातार विकसित और अपग्रेड करना आवश्यक है. वर्ष के दौरान शुरू की गई कुछ प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं :

- बैंक ने कोविड 19 की चुनौतियों के बावजूद पूर्ववर्ती देना बैंक और विजया बैंक के तकनीकी एकीकरण के कार्य को निर्धारित समय मार्च, 2021 से काफी पहले पूरा कर लिया.
- बैंक ने सभी 17 अंतर्राष्ट्रीय टेरीटरीज के सीबीएस ऐप्लिकेशन को फिनेकल 10 में अपग्रेड करने के कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है.
- बैंक ने चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) क्लीयरिंग के लिए केन्द्रीकृत पॉजिटिव पे प्रणाली (सीपीपीएस) का शुभारंभ किया है. ग्राहक जारी चेकों के प्रमुख विवरणों की पुनः पुष्टि विभिन्न वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से कर सकते हैं.
- सभी चैनलों पर लेनदेन में खासी वृद्धि के बावजूद वित्त वर्ष 2020 में 0.67% के सापेक्ष वित्त वर्ष 2021 में सभी चैनलों में समग्र तकनीकी गिरावट में 0.42% की लगातार कमी आ रही है, विशेषकर मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई में.
- यूपीआई के अंतर्गत विभिन्न तकनीकी मानदंडों पर कार्यनिष्पादन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, जो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में बैंक के स्कोरकार्ड में परिलक्षित होता है.

## साइबर सुरक्षा

आज की दुनिया में दिन में हर घंटे में एक नया जोखिम उत्पन्न होता है. साइबर अपराध के बढ़ते जोखिमों के कारण उभरते साइबर जोखिम को कम करने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है. मौद्रिक और साख जोखिम अधिक है और इसे साइबर सुरक्षा नीति और साइबर सुरक्षा संकट योजना के माध्यम से कम किया गया है. बैंक के पास पूर्ण परिभाषित साइबर सुरक्षा कार्यनीति फ्रेमवर्क है जो प्रबंधन संरचना, नीतिगत फ्रेमवर्क और परिचालन नियंत्रण के समन्वय में परिचालित होता है. बैंक एनआईएसटी (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ साइन्स एंड टेक्नोलोजी, यूएसए) साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क और भारतीय रिज़र्व बैंक के साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क दोनों का अनुपालन करता है.

मौजूदा जांच और नियंत्रण के अतिरिक्त बैंक ने साइबर सुरक्षा के संवर्धन के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:.

- डिसेप्शन तकनीक, जिसका उद्देश्य है साइबर अपराधी, जो बैंक के नेटवर्क में अवैध रूप से प्रवेश करते हैं उनको बैंक को किसी भी प्रकार का नुकसान करने से रोकना.
- सुरक्षा में कमी और इसके प्रभावों के बारे में महत्वपूर्ण और उद्देश्यपरक दृष्टिकोण प्रदान करने और पहले से स्थापित नियंत्रणों को कम करने के लिए नियमित रूप से रेंडम अर्ली डिटेक्शन (आरईडी) टीम प्रक्रिया की जाती है.
- इंटरनेट आधारित जोखिम और धोखाधड़ी से व्यवसाय और व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए प्रतिष्ठित बीमाकर्ता से साइबर बीमा पॉलिसी.

## फिनटेक

बैंक फिनटेक साझेदारी विकसित करने, नए उत्पादों के शुभारंभ और व्यावसायिक प्रक्रियाओं को पुनर्गठित करने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है.

वर्ष के दौरान प्रमुख उपलब्धियां और पहलें

- ऑनलाइन बिल डिस्काउंटिंग टीआरईडीएस प्लेटफार्म पर बैंक की बाजार हिस्सेदारी 11% है. बैंक इस प्लेटफार्म के माध्यम से 3000 से अधिक एमएसएमई की क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करता है.
- ऋण प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बैंक ने रिटेल, मुद्रा और एमएसएमई उत्पादों के लिए ऑनलाइन पीएसबी 59 लोन पोर्टल को अपने आंतरिक ऋण प्रोसेसिंग सिस्टम अर्थात् एलएलपीएस के साथ इंटीग्रेट किया है. यह सभी सूचनाओं का निर्बाध प्रवाह सक्षम करता है जिससे वस्तुतः टीएटी में सुधार होता है.
- फरवरी 2020 में शुरू किया गया बड़ौदा स्टार्टअप कार्यक्रम अब गति पकड़ रहा है. बैंक ने उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) पंजीकृत स्टार्टअप में 4% की बाजार हिस्सेदारी के साथ अपनी विशिष्ट सेवाओं की श्रृंखला के माध्यम से मार्च, 2021 तक लगभग 1500 स्टार्टअप को ऑनबोर्ड किया है. बैंक स्टार्टअप की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विनिर्दिष्ट क्रेडिट उत्पाद डिजाइन पर भी कार्य कर रहा है.
- आईआईटी मुंबई के सहयोग से उनके पवई कैम्पस में बॉब इनोवेशन सेंटर (बॉबआईसी) की स्थापना की गई है जो लगातार संतोषजनक प्रगति दिखा रहा है. यह बैंकिंग, फाइनेंसिएल सर्विस एंड इंश्योरेंस (बीएफएसआई) स्पेस में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और तकनीकी

संस्थान के बीच ऐसी पहली साझेदारी है. आईआईटी प्रोफेसरों द्वारा रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए बैंकिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पांच बड़ी परियोजनाओं की पहचान की गई है. वर्ष के दौरान बैंक ने आईआईटी, मुंबई में "डिजिटल उद्यमिता" पर एक चेयर प्रोफेसरशिप भी स्थापित किया है.

## विपणन

बैंक ने नियमित टीवी और रेडियो अभियानों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रभावशाली उपस्थिति सुनिश्चित की है. बैंक ने उदयस्वर – पृथ्वी कंसर्ट, 'फेसबुक लाइव म्यूजिकल इवेंट्स' ऑफ़ सृजन–द स्पार्क, जश्न–ए–रेख्ता सीजन 1 और इंडिया बनाम इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज जैसे सिग्नेचर कार्यक्रमों पर अपना फोकस बढ़ाया जिसमें 4 टेस्ट मैच, 5 टी20 और 3 वनडे शामिल थे.

अभियान अवधि और त्यौहारों के अवसर पर बैंक के लोकप्रिय उत्पादों जैसे कार ऋण, आवास ऋण, बचत खाते, एनआरआई खाते, स्वर्ण ऋण और डिजिटल ऋण योजनाओं के लाभों पर आधारित विज्ञापन जारी किए गए थे. बैंक ने एक बड़े अभियान 'हम करें मुमकिन' का आयोजन किया जिसे बैंक के ब्रांड एंडोर्सर पी.वी. सिंधु द्वारा प्रचारित किया गया. यह अभियान त्यौहारों के अवसर पर सकारात्मकता का सृजन करने के लिए डिजाइन किया गया था.

कोविड–19 महामारी के प्रभाव और डिजिटल विपणन चैनलों की बढ़ती मांग के साथ, बैंक ने सभी डाटा और ग्राहक जुड़ाव के लिए कन्वर्जन्स प्वाइंट के रूप में बैंक के सोशल मीडिया चैनलों और वेबसाइट के साथ भौतिक से डिजिटल मार्केटिंग तक अपनी रूपान्तरण यात्रा को जारी रखा है.

कार ऋण, आवास ऋण, शिक्षा ऋण और अन्य डिजिटल उत्पादों के लिए विशेष डिजिटल अभियान 'एक फॉरइवर रिश्ता' शुरू किया गया. इसके अतिरिक्त कार ऋण और आवास ऋण लीड जनरेशन के लिए विशेष लीड जनरेशन डिजिटल अभियान शुरू किए गए. बैंक के डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग कर लीड एकत्रित की जाती हैं. इस अभियान में फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल सर्च एंड डिस्प्ले, हॉटस्टार, इनशॉर्ट्स, टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स और अन्य न्यूज़ वेबसाइट्स, वेबसाइट एग्रीगेटर्स, नेटिव और एफिलिएट चैनल्स जैसे विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया है.

बैंक की सोशल मीडिया उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

| सोशल मीडिया माध्यम | 31 मार्च, 2021 तक के आंकड़े (लाइक / फॉलोअर्स की संख्या) |
|---|---|
| फेसबुक लाइक | 16,80,000+ |
| ट्विटर फॉलोअर्स | 1,37,000+ |
| यूट्यूब सब्सक्राइबर | 69,000+ |
| लिंक्डइन फॉलोअर्स | 1,23,000+ |
| इन्स्टाग्राम फॉलोअर्स | 1,65,000+ |

बैंक ने कोविड –19 महामारी के दौरान जनता के लिए कई जागरूकता संदेश जारी किए.

## ग्राहक सेवा

बैंक का निरंतर प्रयास रहा है कि हम इस उद्योग में बेंचमार्क स्थापित करें तथा उत्पादों की प्रक्रियाओं एवं सेवा सुपुर्दगी के रूप में अग्रणी नवोन्मेषी बनें जो कि हमारे ग्राहकों को निर्बाध सेवा प्रदान करने के लिए अनिवार्य है. सभी चैनलों में ग्राहक संवाद की लगातार निगरानी की जाती है और चैनल की क्षमताओं (फंक्शनैलिटी और उपयोगकर्ता अनुभव) को संवृद्ध किया जाता है ताकि घर से बैंकिंग की सरलता सुनिश्चित की जा सके जो महामारी के कारण समय की मांग बन गई है. बैंक ने यह सुनिश्चित किया कि ग्राहकों द्वारा अक्सर उपयोग की जाने वाली फंक्शनैलिटी डिजिटल चैनलों और संपर्क केंद्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए.

24x7 कार्यरत संपर्क केंद्र ग्राहकों से उनकी पसंदीदा भाषा में संवाद करने की क्षमता रखता है. अंग्रेजी एवं हिंदी के अलावा 9 क्षेत्रीय भाषाओं में भी सुविधा उपलब्ध करायी गई है. इस संपर्क केंद्र ने वर्ष के दौरान 3.95 करोड़ ग्राहक कॉल हैंडल किए.

विभिन्न क्षेत्रों में ग्राहकों की संतुष्टि के स्तर का आकलन करने के लिए संपर्क केंद्र द्वारा विविध सर्वेक्षण किए जाते हैं.

समयबद्ध ऑटो एस्केलेशन, दस्तावेजों को संलग्न करने के विकल्प, निपटान गुणवत्ता पर फीडबैक उपलब्ध कराने और शिकायतों को दोबारा शुरु करने के साथ ग्राहक शिकायत निवारण प्रणाली (सीआरएम पैकेज का मॉड्यूल) का ग्राहकों द्वारा अब बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है. वित्त वर्ष 2021 के दौरान, बैंक ने शिकायतों के प्रबंधन के लिए रिमोट चैनलों के उपयोग में महत्वपूर्ण सुधार देखा. लगभग 80% शिकायतों का समाधान पूर्व–निर्धारित समय में किया गया था. बैंक ने न केवल शिकायत निवारण के मात्रात्मक प्रदर्शन संकेतकों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया बल्कि ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार के लिए समाधान की गुणवत्ता में सुधार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया.

सभी शाखाओं के सेवा संबंधी स्तर की निगरानी मिस्ट्री शॉपिंग / सेवा लेखा परीक्षा और कार्यशालाओं के माध्यम से की जाती है, महामारी के कारण ये ऑडिट वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किए गए. महाप्रबंधक (परिचालन एवं सेवाएं) बैंक में ग्राहकों की शिकायतों हेतु प्रमुख नोडल अधिकारी के रूप में नामित हैं. इसके अलावा, सभी अंचल प्रमुखों और क्षेत्रीय प्रमुखों को उनके संबंधित अंचलों और क्षेत्रों के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है. इसके अलावा, बैंक की सभी शाखाओं में संबंधित नोडल अधिकारियों के नाम उनके संपर्क नंबर के साथ प्रदर्शित किए गए हैं.

बैंक ने एक आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति की है जो ग्राहकों के लिए उपलब्ध ऐसा फोरम है, जिसका उपयोग बैंकिंग लोकपाल को संपर्क करने से पहले शिकायत निवारण के लिए किया जा सकता है. ऐसी सभी शिकायतें, जो बैंक द्वारा अस्वीकृत या आंशिक रूप से स्वीकृत की जाती हैं, उन्हें समीक्षा के लिए आंतरिक लोकपाल को व्यवस्थित रूप से एस्कलेट किया जाता है. यह बैंक की व्यवस्था में ग्राहक के विश्वास को बढ़ाता है और शिकायत निवारण की प्रक्रिया में गति लाता है और फलस्वरूप इसे अधिक पारदर्शी बनाता है.

विविध उत्पादों, सेवाओं और नीतियों में पारदर्शिता बरतते हुए निष्पक्ष बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए ग्राहकों एवं एमएसएमई के प्रति बैंक की

प्रतिबद्धता का कोड, नागरिक चार्टर, शिकायत निवारण नीति और बैंकिंग लोकपाल योजना बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.

निदेशक मण्डल स्तर पर, ग्राहक सेवा के लिए निदेशक मण्डल की उप-समिति ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सतत सुधार के उद्देश्य के साथ नीतियां बनाने संबंधी मामलों का निपटान करती है और उसके अनुपालन का मूल्यांकन करती है. उप समिति वॉयस ऑफ़ कस्टमर्स के माध्यम से ग्राहकों से प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण भी करती है और ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए विभिन्न मापदंडों पर अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ बैंक की तुलना करती है.

वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान, बैंक ने यह सुनिश्चित किया कि सभी शाखाओं, एटीएम और ई-लॉबी में रैंप सुविधा, व्यापक नोटिस बोर्ड (संबंधित और अद्यतन जानकारी प्रदर्शित करना), वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष कतार की उपलब्धता हो. शाखाओं का भी नवीनीकरण किया गया और बेहतर माहौल, वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांग ग्राहकों पर विशेष ध्यान देते हुए बैठने की बेहतर व्यवस्था के माध्यम से ग्राहक अनुभव की वृद्धि के लिए इसे डिज़ाइन किया गया.

## शाखा नेटवर्क

31 मार्च, 2021 को बैंक का शाखा नेटवर्क निम्नानुसार है:

| | 31 मार्च, 2020 | | 31 मार्च, 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| घरेलू शाखाएँ | शाखाओं की संख्या | कुल में% हिस्सा | शाखाओं की संख्या | कुल में% हिस्सा |
| मेट्रो | 2,163 | 22.81 | 1,794 | 21.84 |
| शहरी | 1,860 | 19.62 | 1,478 | 17.99 |
| अर्ध शहरी | 2,525 | 26.63 | 2,090 | 25.44 |
| ग्रामीण | 2,934 | 30.94 | 2,852 | 34.72 |
| कुल | 9,482 | 100.00 | 8,214 | 100.00 |
| विदेशी शाखाएं / कार्यालय (विदेशी अनुषंगियों की शाखाओं सहित) | 101 | | 96 | |

वित्त वर्ष 2021 के दौरान बैंक ने 13 नई घरेलू शाखाएं खोली और 1,281 शाखाओं को मौजूदा शाखाओं के साथ विलय किया गया.

## करेंसी चेस्ट

दिनांक 31 मार्च, 2021 को करेंसी चेस्ट की संख्या 145 थी. ये चेस्ट बैंक में प्रभावी नकदी प्रबंधन के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से नकदी को तिजोरी में रखने में सहयोग प्रदान करते हैं. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप सभी करेंसी चेस्टों के साथ-साथ शाखाओं को भी नोट सॉर्टिंग मशीन (एनएसएम) उपलब्ध करवाई गई है.

## जोखिम गवर्नेंस एवं आंतरिक नियंत्रण

जोखिम पर अधिक ध्यान केंद्रण और गवर्नेंस फ्रेमवर्क का समर्थन के तहत जोखिम से निपटने और उसका प्रबंध करने हेतु बैंक के स्तर पर विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्धारण करना शामिल है. प्राय: जिसका उल्लेख 'बचाव की तीन पंक्तियों' के रूप में किया जाता है, इन तीनों पंक्तियों में से प्रत्येक की महत्वपूर्ण भूमिका है. ये निम्नानुसार हैं:

i. बचाव की प्रथम पंक्ति – इसमें बैंक के सभी कर्मचारियों का समावेश है, क्योंकि उन्हें जोखिम का प्रभावी प्रबंधन एवं विनियमों, बैंक की पॉलिसियों और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना है.

ii. बचाव की दूसरी पंक्ति – इसमें जोखिम नियंत्रण के स्वामियों, जोखिम प्रबंधन कार्यों एवं अनुपालन कार्यों का समावेश है. यह बचाव की प्रथम पंक्ति से स्वतंत्र रूप से इंटरप्राइज़ आधार पर जोखिम की पहचान, आकलन, निगरानी एवं रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार है.

iii. बचाव की तीसरी पंक्ति – यह आंतरिक जोखिम आधारित और अन्य लेखापरीक्षा कार्य द्वारा उपलब्ध कराया गया स्वतंत्र आश्वासन है. इसकी समीक्षा निदेशक मंडल को यह आश्वासन देती है कि जोखिम गवर्नेंस फ्रेमवर्क सहित समग्र गवर्नेन्स फ्रेमवर्क प्रभावी है और पॉलिसियां और प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं तथा उन्हें निरंतर लागू किया जाता है. लेखापरीक्षा कार्य की भूमिका सुपरिभाषित है और उनका निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति द्वारा अवलोकन किया जाता है.

## जोखिम प्रबंधन और अनुपालन

जोखिम बैंकिंग व्यवसाय का एक अविभाज्य अंग है और बैंक का लक्ष्य जोखिम और रिटर्न के बीच एक उचित संबंध स्थापित करना है. सतत एवं निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए, बैंक ने एक सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन ढांचा विकसित किया है ताकि बैंक द्वारा माने गए जोखिमों का सही मूल्यांकन और निगरानी की जा सके. बैंक परिभाषित जोखिम क्षमता सीमा और बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों के अंदर ही व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करता है. विभिन्न जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करने की सुविधा हेतु निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है. इसमें क्षेत्र विशेष से जुड़े विशेषज्ञों की सहायता ली जाती है. प्रत्येक प्रकार के जोखिम के लिए निदेशक मंडल अथवा निदेशक मंडल की समिति द्वारा समय – समय पर गवर्निंग फ्रेमवर्क बनायी जाती है.

बैंक की एक व्यापक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया और दबाव परीक्षण नीति है. पिलर 2 जोखिम जैसे तरलता जोखिम, ब्याज दर जोखिम, संकेन्द्रण जोखिम, व्यवसाय और नीतिपरक जोखिम, साख संबंधी जोखिम, पेंशन दायित्व जोखिम आदि और सामान्य एवं दबावग्रस्त दोनों स्थितियों के तहत पूंजी पर्याप्तता का आकलन मौजूदा नीतियों के अनुसार किया जाता है. बैंक के भीतर विभिन्न जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए तैयार की गई व्यवस्था की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नानुसार है:

### उद्यम जोखिम प्रबंधन

बैंक के व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं के लिए सशक्त जोखिम प्रबंधन संस्कृति को बढ़ावा देने, सभी जोखिमों की जल्द पहचान, मूल्यांकन, मापन, एकत्रीकरण और प्रबंधन में मदद करने और पूंजी आबंटन की सुविधा के लिए एक व्यापक उद्यम जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण की आवश्यकता है. सभी जोखिम अति महत्वपूर्ण जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क द्वारा स्वीकृत हैं और पर्याप्त रूप से सुरक्षित किए गए हैं.

बैंक सभी स्तरों पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करके और विभिन्न स्थानीय कार्यशालाओं का आयोजन करके एक मजबूत जोखिम जागरूकता संस्कृति विकसित करने का प्रयास कर रहा है.

### ऋण जोखिम

ऋण जोखिम का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित फ्रेमवर्क के माध्यम से किया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरुप नीतियां, प्रक्रियाओं तथा रिपोर्टिंग पद्धति को निर्धारित करते हैं. बेहतर ऋण संस्कृति और एक सुगठित ऋण अनुमोदन प्रक्रिया की स्थापना के लिए जोखिम मूल्यांकनकर्ताओं और व्यावसायिक कार्यों की स्वतंत्रता पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है.

बैंक को इन कुछ वर्षों में आंतरिक रेटिंग में अच्छा अनुभव रहा है, जिससे 31 मार्च, 2013 से बेसल II दिशानिर्देशों के तहत क्रेडिट जोखिम के लिए फाउंडेशन आंतरिक रेटिंग – आधारित दृष्टिकोण (एफ–आईआरबी) को चलाने के लिए नियामक की स्वीकृति प्राप्त करना संभव हुआ. आईआरबी दृष्टिकोण के अंतर्गत बैंक ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता के निर्धारण हेतु अपना अनुभव सिद्ध मॉडल विकसित करते हैं.

बैंक ने उधारकर्ताओं को आंतरिक रेटिंग देने के लिए सुदृढ़ मॉडल स्थापित किया है और इन मॉडलों को समय–समय पर समर्पित आंतरिक टीम के साथ–साथ बाहरी एजेंसियों द्वारा सत्यापित कराया जाता है. बैंक ने क्रेडिट संकेन्द्रण प्रबंधन करने हेतु उद्योगों, क्षेत्रों और ऋणकर्ताओं के लिए विवेकशील उच्च सीमाएं तय कर रखी हैं. पोर्टफोलियो समीक्षा कक्ष, क्षेत्रवार एक्सपोजर, ऋण संकेन्द्रण, रेटिंग विभाजन तथा माइग्रेशन की समीक्षा करता है. बैंक ने देशगत जोखिम मूल्यांकन के लिए आंतरिक रेटिंग मॉडल विभिन्न मापदंडों पर मूल्यांकन करके उधारकर्ता की जोखिम का मूल्यांकन करने हेतु राज्य सरकार एक्सपोजर मॉडल विकसित किया है तथा इन मॉडलों द्वारा अनुमानित जोखिम को ध्यान में रखते हुए एक्सपोजर कैप निर्धारित किए जाते हैं.

बैंक ने शेयरधारकों को 'आर्थिक मूल्यवर्धन' की दृष्टि से ऋण जोखिम एक्सपोज़र का मूल्यांकन करने के लिए कॉर्पोरेट क्रेडिट एक्स्पोज़र के लिए 'रिस्क अडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल (आरएआरओसी)' फ्रेमवर्क को क्रियान्वित किया है.

बैंक ने बैंक के जोखिम वर्टिकल द्वारा क्रेडिट प्रस्तावों की जोखिम आधारित स्वतंत्र समीक्षा के लिए इन्हेंस एक्सेस एंड सर्विस एक्सिलेंश (ईज) जोखिम स्कोरिंग मॉडल भी लागू किया है जिसमें जोखिम लेने / नहीं लेने के निर्णयों के साथ–साथ ऋण प्रस्तावों का उच्च / मध्यम / निम्न जोखिम में वर्गीकरण शामिल है.

### बाजार जोखिम

बाज़ार जोखिम का अर्थ बाजार दरों या ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के मूल्यों में प्रतिकूल परिवर्तन के कारण अर्जन या आर्थिक मूल्य के नुकसान का जोखिम है. विभिन्न बाजार उत्पादों के आर्थिक मूल्य में बदलाव के मुख्य कारकों में ब्याज आदि की दरें, विनिमय दरें, आर्थिक विकास तथा कारोबार विश्वास में परिवर्तन शामिल हैं. बैंक ने अपने ट्रेजरी–कार्यो को नियंत्रित करने और उनकी निगरानी करने के लिए व्यवस्थित नीतियां बनाई हैं जो बाजार जोखिम स्थितियों को सम्हालती है.

बैंक दैनिक आधार पर अवधि, संशोधित अवधि, पीवी 01 और जोखिम पर मूल्य (वीएआर) के माध्यम से अपनी ट्रेडिंग बुक में ब्याज दर के जोखिम का आकलन करता है और निगरानी करता है. विदेशी मुद्रा जोखिम का दैनिक आधार पर नेटओवर नाईट ओपन पोजिशन लिमिट (एनओओपीएल), वीएआर सीमा, कुल गैप सीमाएं (एजीएल), इंडिविजुअल गैप लिमिट (आईजीएल) के संदर्भ में आकलन किया जाता है और निगरानी की जाती है. इक्विटी मूल्य जोखिम का वीएआर सीमाओं और पोर्टफोलियो आकार सीमाओं के माध्यम से आकलन किया जाता है और उसकी निगरानी की जाती है. लेनदेन स्तर पर, स्टॉप हानि सीमा और डीलर–वार सीमा निर्धारित और कार्यान्वित की गई है. अपने दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क के तहत, बैंक त्रैमासिक आधार पर अपनी व्यापारिक बही–पोर्टफोलियो और ट्रेजरी ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के रिस्क रिटर्न का व्यापक दबाव विश्लेषण करता है.

### आस्ति देयता प्रबंधन

तरलता जोखिम उचित लागत पर अपेक्षित और अप्रत्याशित नकदी और संपार्श्विक दायित्वों को पूरा करने में एक असमर्थता है. बैंक में प्रवाह दृष्टिकोण तथा स्टॉक दृष्टिकोण और भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य विवेकपूर्ण माध्यमों से तरलता जोखिम निर्धारण किया जाता है एवं इसे मॉनीटर किया जाता है. बैंक ने तरलता मानकों पर बेसल III फ्रेमवर्क, तरलता कवरेज अनुपात(एलसीआर), तरलता जोखिम मॉनीटरिंग टूल्स और एलसीआर घोषणा मानकों को कार्यान्वित कर दिया है. एलसीआर मानकों का ध्येय यह सुनिश्चित करना है कि बैंक पर्याप्त भार रहित उच्च कोटि की आस्तियां रखे जिन्हें नकदी में बदला जा सके, जो महत्वपूर्ण गंभीर तरलता दबाव की स्थिति में 30 कैलेंडर दिनों की आवश्यकता को पूरा कर सके. बैंक हमेशा एकल के साथ–साथ समेकित आधार पर भी एलसीआर के निर्धारित स्तर से ऊपर रहा है.

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) संवेदनशील आस्तियों और देयताओं के बीच अंतर के कारण उत्पन्न होता है, जो बाजार में ब्याज दरों में बदलाव के साथ बैंक की इक्विटी की आय / आर्थिक मूल्य पर काफी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है. बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम के आकलन और निगरानी के लिए बैंक जोखिम प्रबंधन माध्यमों का उपयोग करता है जैसे कि पारंपरिक अंतर विश्लेषण, जोखिम पर आय और इक्विटी की परिवर्तित अवधि निवल ब्याज आय (एनआईआई) पर ब्याज दर संचलन का अल्पकालिक प्रभाव 'जोखिम पर आय' दृष्टिकोण के माध्यम से निर्धारित होता है, जिसमें आय वक्र जोखिम, बेसिस जोखिम और निहित ऑप्शन्स जोखिम में समानांतर रूप से परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए दृष्टिकोण को अपनाया जाता है. ब्याज दर संचलन के दीर्घकालीन प्रभाव को इक्विटि के

बाज़ार मूल्य (एमवीई) में परिवर्तन के माध्यम से आकलन किया जाता है एवं उसकी निगरानी की जाती है.

### परिचालन जोखिम

संगठन में परिचालन जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए बैंक के पास एक सुपरिभाषित परिचालन जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क (ओआरएमएफ) और परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रणाली (ओआरएमएस) है. ओआरएमएफ में परिचालन जोखिम, शासकीय संरचना, नीतियां, प्रक्रिया और प्रबंधन के लिए संगठनात्मक संरचना शामिल है, जबकि ओआरएफएस में बैंक द्वारा परिचालन जोखिम की पहचान, आकलन, निगरानी, नियंत्रण और इसे कम करने संबंधी प्रणालियां शामिल हैं.

परिचालनगत जोखिम के व्यवस्थित और एकीकृत प्रबंधन के लिए हमारे बैंक ने वेब आधारित परिचालनगत जोखिम प्रबंधन सिस्टम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम (एसएएस) एंटरप्राइज गवर्नेंस, जोखिम और अनुपालन (एसएएस ईजीआरसी) को लागू किया है.

मुख्य जोखिम संकेतक कार्यक्रम (केआरआई), रिस्क कंट्रोल एंड सेल्फ असेसमेंट प्रोग्राम (आरसीएसए) की निगरानी और मूल कारण विश्लेषण ने नियंत्रण वातावरण को और मजबूत किया है. बैंक ने परिचालन जोखिम प्रबंधन के हिस्से के रूप में तथा मूलकारण विश्लेषण हेतु आंतरिक क्षति डेटा का भंडार बनाया है.

संव्यवहार स्तर पर परिचालनगत जोखिम को कम और नियंत्रित करने के लिए बैंक ने अपने ग्राहक को जानिए/धन-शोधन निवारण/ आतंकवाद वित्तपोषण का मुकाबला करने (केवायसी/एएमएल/सीएफटी) के दृष्टिकोण से सभी घरेलू संव्यवहारों की निगरानी करने के लिए सीटीएमयू की स्थापना की गयी है. बैंक ने कई बैक ऑफिस गतिविधियों को केंद्रीकृत कर संव्यवहारों के निष्पादन (बैक ऑफिस) को कार्यान्वित करते हुए ग्राहक इंटरफेस (फ्रंट ऑफिस) को अलग किया है. फॉरेक्स लेनदेन में परिचालनगत जोखिम को कम करने के लिए केंद्रीकृत ट्रेड फ़ाइनेंस बैक ऑफिस (टीएफबीओ) की स्थापना की गयी है.

बैंक ने उद्यम व्यापी स्तर पर जोखिम संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन योजना की व्यवस्था की है. जोखिम से बचाव (नियर मिस इवेंट) संबंधी रिपोर्टिंग के लिए कर्मचारियों हेतु वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन की घोषणा की गई है.

परिचालनगत रिजिल्यंस सुनिश्चित करने के लिए बैंक के पास विभिन्न स्तरों पर मामलों के प्रभावी निपटान हेतु कारोबार निरंतरता योजना के रूप में एक सुपरिभाषित नीति है.

### जलवायु जोखिम

हाल के दिनों में जलवायु परिवर्तन जोखिम वित्तीय उद्योग के लिए महत्वपूर्ण चुनौती बन गया है. बैंक जलवायु परिवर्तन जोखिम के प्रभाव को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है और अपने बैंकिंग परिचालनों के सतत विकास की दिशा में सतर्कता के साथ काम कर रहा है ताकि पर्यावरण और समाजिक इकोसिस्टम की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए आर्थिक विकास को प्राप्त किया जा सके.

ग्रीनहाउस प्रभाव को कम करने के लिए, एक नीतिगत मामले के रूप में, बैंक ओजोन पराबैंगनी पदार्थ (ओडीएस) का उत्पादन / खपत करने वाली नई इकाइयों की स्थापना के लिए उधारकर्ताओं को और क्लोरोफ़्लोरोकार्बन (सीएफएस) जो ग्रीनहाउस प्रभाव को कम करने में सक्षम बनाता है, का उपयोग करते हुए एयरोसोल इकाइयों के निर्माण में कार्यरत सूक्ष्म/ लघु स्तर की इकाइयों को वित्तपोषण नहीं कर रहा है.

### अनुपालन

अनुपालन कार्य बैंक की कॉर्पोरेट गवर्नेंस संरचना में एक महत्वपूर्ण घटक है. बैंक में अनुपालन कार्य पर्याप्त रूप से सक्षम एवं स्वतंत्र कार्य है. अनुपालन कार्य बैंककारी विनियमन अधिनियम, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, और धन शोधन निवारण अधिनियम आदि के साथ-साथ समय-समय पर जारी किए गए अन्य विनियामक दिशानिर्देशों जैसे विभिन्न कानूनों में निहित सभी वैधानिक प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करता है. यह बैंक की आंतरिक नीतियों और निष्पक्ष व्यवहार संहिता के अनुपालन को भी सुनिश्चित करता है. बैंक के पास सुपरिभाषित अनुपालन नीति के साथ-साथ एक सुदृढ़ अनुपालन प्रणाली है जो बैंक के अनुपालन दर्शन, भूमिका और अनुपालन वर्टिकल के गठन, उसके स्टाफ की संरचना और उनकी विशेष जिम्मेदारियों को रेखांकित करती है.

अनुपालन प्रणाली वरिष्ठ प्रबन्धन और निदेशक मंडल को बैंक की अनुपालन स्थिति के साथ-साथ लागू कानूनों, नियमों और वैश्विक मानकों पर सलाह देती है तथा इस क्षेत्र में हो रही प्रगति से उनको अवगत कराती है. यह बैंक के व्यवसाय स्टाफ और नामित अनुपालन अधिकारियों के साथ-साथ कर्मचारियों के लिए आवधिक प्रशिक्षण एवं कार्यशाला के द्वारा अनुपालन के मामलों पर उन्हें शिक्षित करती है. इस उद्देश्य के लिए बैंक की वेबसाइट पर नॉलेज मैनेजमेंट टूल को भी अपलोड किया गया है. बैंक ने अनुपालन प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने के लिए बैंक में प्रत्येक स्तर पर प्रमाणीकरण और विभिन्न विनियामक, सांविधिक और आंतरिक दिशानिर्देशों की निगरानी के लिए एक वेब आधारित अनुपालन प्रबन्धन समाधान को कार्यान्वित किया है. बैंक ने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के निष्पक्ष प्रकटीकरण और आचरण कोड में परिभाषित 'इंसाइडर्स' से जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया को भी स्वचालित किया है.

अन्य गतिविधियों के तहत क्षेत्रीय अनुपालन अधिकारियों (आरसीओ) के माध्यम से केवाईसी-एएमएल से संबंधित 65 मानदंडों एवं अनुपालन के अन्य मानदंडो पर ऑन-साइट अनुपालन जांच संबंधी घरेलू अनुपालन कार्य पूरे किए गए. तिमाही आधार पर लगभग 25% शाखाओं का रैंडम रूप से चयन किया जाता है. बैंक छमाही आधार पर विभिन्न कार्यो की ऑन-साइट अनुपालन लेखा परीक्षा भी करता है. केवाईसी/एएमएल दिशानिर्देशों और अनुपालन के अन्य मानदंडों से संबंधित लगभग 30 मानदंडों पर वेब आधारित टूल-ऑफ़साइट कंप्लायंस रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (ओसीआरएमएस) के माध्यम से मासिक आधार पर ऑफ़ साइट अनुपालन जांच कार्य पूरा किया गया.

एक वार्षिक समूह व्यापी अनुपालन योजना तैयार की गयी है और इस योजना का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इसकी नियमित निगरानी की जाती है. इसके अतिरिक्त, वार्षिक आधार पर अनुपालन जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है और अनुपालन मूल्यांकन के लिए एक जोखिम उन्मुख गतिविधि योजना विकसित की गयी है.

क्षमता निर्माण की प्रक्रिया में, बैंक ने सभी अनुपालन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया और अपने अधिकारियों को अनुपालन के क्षेत्रों में नवीनतम बदलावों पर प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित किया. पेशेवर दक्षता को बढ़ावा देने के लिए, बैंक ने स्टाफ सदस्यों को प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकिंग एंड फायनेंस-(आईआईबीएफ), एसोसिएशन ऑफ़ सर्टिफाइड एंटी-मनी लांड्रिंग स्पेशलिस्ट - (एसीएएमएस) आदि से पेशेवर पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया.

वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान अनुपालन की विफलता से संबंधित कोई महत्वपूर्ण घटना रिपोर्ट नहीं की गई.

### केवाईसी/एएमएल अनुपालन

बैंक के पास एक सुव्यवस्थित केवायसी-एएमएल-सीएफटी नीति है. इस नीति के आधार पर, धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के अंतर्गत बैंक के केवायसी मानदंडों, एएमएल मानकों एवं सीएफटी उपायों तथा बैंक के दायित्वों को कार्यान्वित किया जाता है. बैंक के पास वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआईयू-आईएनडी) को प्रस्तुत करने के लिए नकदी लेन-देन रिपोर्ट (सीटीआर) को इलेक्ट्रॉनिक रुप से जनरेट करने हेतु विस्तृत प्रणाली है. बैंक इलेक्ट्रॉनिक रुप से जाली मुद्रा रिपोर्ट (सीसीआर), गैर लाभकारी संगठनों की लेन-देन रिपोर्ट (एनटीआर) और क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर (ईएफटी) रिपोर्ट को एफआईयू - आईएनडी, नई दिल्ली के पोर्टल पर प्रत्येक माह निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुत करता है. बैंक ने केन्द्रीय लेन-देन निगरानी इकाई (सीटीएमयू) की स्थापना की है और ग्राहकों के खातों में संदिग्ध लेन-देन पैटर्न की निगरानी और पहचान तथा सिस्टम में पूर्व निर्धारित अलर्ट मानदंडों के आधार पर सिस्टम आधारित लेन-देन अलर्ट जनरेट करने के लिए एक एएमएल सॉल्यूशन स्थापित किया है. ग्राहकों के खातों का अर्धवार्षिक आधार पर सिस्टम आधारित जोखिम वर्गीकरण (धन शोधन निवारण जोखिम वर्गीकरण) किया जाता है. भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुरूप धन शोधन जोखिम वर्गीकरण प्रकिया के पश्चात सभी पात्र ग्राहकों का अर्धवार्षिक आधार पर पुनः केवाईसी किया जाता है. इस उद्देश्य से, बैंक ने ऐसे ग्राहकों की पहचान एवं उनके लिए सूचना जनरेट करने/एसएमएस/ई-मेल भेजने तथा उन्हें अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज जमा करने संबंधी सूचना प्रेषित करने हेतु स्वचालित प्रक्रिया विकसित की है.

बैंक ने सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री पर नए ऑन-बोर्ड वैयक्तिक ग्राहकों की केवायसी जानकारी के पंजीकरण के लिए सेंट्रल केवायसी (सीकेवायसी) प्रक्रिया को क्रियान्वित किया है. 31 मार्च, 2021 तक 399 लाख ग्राहकों को सीकेवायसी नंबर आवंटित किया गया.

### आंतरिक लेखा परीक्षा

बैंक का केंद्रीय आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग (सीआईएडी) आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी है. सीआईएडी शाखाओं और कार्यालयों की जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) के अलावा विभिन्न प्रकार की लेखापरीक्षा करता है. निदेशक मण्डल की लेखापरीक्षा समिति समग्र आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यकलापों की निगरानी करती है और बैंक की आंतरिक लेखापरीक्षा, समवर्ती लेखापरीक्षा, आईएस लेखापरीक्षा और अन्य सभी लेखापरीक्षा कार्यकलापों को प्रभावी बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है. समिति बैंक में कार्यपालकों की लेखापरीक्षा समिति और आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के कार्यकलापों की निगरानी करती है.

सीआईएडी जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) नीति द्वारा लिए गए निर्णय की आवधिकता के अनुसार अठारह अंचल आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभागों के माध्यम से शाखाओं/कार्यालयों के आंतरिक लेखापरीक्षण का कार्य करता है. बैंक की सभी शाखाएं जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा के अंतर्गत कवर की जाती हैं. वित्त वर्ष 2021 के दौरान लेखापरीक्षित 8,214 शाखाओं में से 7,536 शाखाएं (91.87%) न्यूनतम जोखिम में थीं, 572 शाखाएं (6.57%) मध्यम जोखिम में थीं, 94 शाखाएं (1.15%) उच्च जोखिम में थीं, 1 शाखा (0.01%) अत्यधिक उच्च जोखिम वर्ग में थी. कुल शाखाओं में से 11 शाखाओं की कोई रेटिंग नहीं है क्योंकि वे नई शाखाएं/ट्रेजरी हैं.

बैंक ने प्रौद्योगिकी के प्रयोग, इमेजिंग सोल्यूशन और डिजिटलीकरण के उपयोग द्वारा गतिविधियों के केंद्रीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ लेखापरीक्षा की व्यापक समीक्षा के लिए नॉलेज पार्टनर के रूप में एक स्वतंत्र फर्म की सेवाएं ली हैं. लेखापरीक्षा रूपांतरण प्रक्रिया पूरी की गयी और वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत लेखापरीक्षा पद्धति की शुरुआत की गई तथा समय के साथ अब यह व्यवस्था स्थायी हो गई है.

वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान ऋण लेखापरीक्षा (01 सितम्बर 2019 से) और यूनिवर्सल शाखा (01 फरवरी 2020 से) के लिए स्वचालित रुप से लेखापरीक्षा शुरू की गई है और इसका स्थायीकरण किया गया है जिसके बाद संपूर्ण लेखापरीक्षा प्रक्रिया तकनीक, विश्लेषण, नमूना और उन्नत लेखापरीक्षा पद्धति के व्यापक उपयोग के साथ परिवर्तन के दौर से गुजर रही है.

### सतर्कता

बैंक में सतर्कता प्रशासन में विभिन्न सतर्कता कार्यों के नियंत्रण, निगरानी और पर्यवेक्षण के अलावा धोखाधड़ी की निगरानी/रिपोर्टिंग शामिल है. बैंक में सतर्कता तंत्र, सतर्कता कार्यों के बारे में सभी स्तरों पर मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराता है, विभिन्न अनुशासनात्मक अधिकारियों और नियुक्तिकर्ता अधिकारियों को धोखाधड़ी, शिकायतों और शाखाओं/ कार्यालयों की विभिन्न निरीक्षण रिपोर्टों में बताई गई गंभीर अनियमितताओं से उत्पन्न होने वाले मामलों की जांच में त्वरित और सही कार्रवाई करने की सुविधा उपलब्ध करवाता है.

बैंक ने नियमित अंतराल पर सभी शाखाओं की निवारक लेखा परीक्षा करवाने और प्राप्त सूचना पर पूरी सक्रियता से कार्य करते हुए क्षति को न्यूनतम स्तर पर नियंत्रित करने के लिए अंचल स्तर पर सतर्कता व्यवस्था को मजबूत बनाया है. सतर्कता टीम निवारक उपायों पर ही ध्यान केंद्रित करेगी.

बैंक में सतर्कता कार्यों के अंतर्गत तीन खंड होते हैं:

1. निवारक सतर्कता: भ्रष्ट और अन्य कदाचारों का पता लगाने और दंड की तुलना में क्षति को रोकने में निवारक उपायों का अधिक महत्व है. निवारक उपाय जैसे व्यवसाय के संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण, संवेदनशील पदों की पहचान और उन पर पदस्थ कर्मचारियों की जांच, आचरण नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना, शाखा विशिष्ट अतिसंवेदनशील विषयों पर चर्चा करने के लिए शाखा स्तर पर मासिक बैठकें, कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, सतर्कता मामलों की संख्या को कम करने के लिए निरीक्षण और लेखा परीक्षा रिपोर्ट

की जांच और विभिन्न व्यावसायिक वर्टिकलों द्वारा नियमित रूप से निवारक सतर्कता परिपत्र जारी और परिचालित करना.

2. खोजी सतर्कता: खोजी सतर्कता में संवेदनशील क्षेत्र का नियमित और औचक निरीक्षण करना ताकि यह पता लगाया जा सके कि कर्मचारियों द्वारा कोई भ्रष्ट या अनुचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है, वार्षिक संपत्ति रिटर्न की त्वरित जांच करना और यदि आवश्यक हो तो आगे की कार्रवाई करना, अपने स्रोत से गलत आचरण/कदाचार के बारे में खुफिया जानकारी एकत्र करना, उचित प्रक्रिया के बाद समुचित कार्रवाई के माध्यम से तार्किक निष्कर्ष के लिए उसकी जांच करना शामिल हैं.

3. दंडात्मक सतर्कता : यह सुनिश्चित करने के अलावा कि सभी स्तरों पर नियमों और प्रावधानों के जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण उल्लंघन में शामिल कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से दंडित किया जाए, बैंक यह भी सुनिश्चित करता है कि व्यवसाय के सामान्य संचालन के दौरान लिए गए वास्तविक निर्णयों का मूल्यांकन निष्पक्ष और आवश्यक विवेक के साथ किया जाता है.

बैंक में सतर्कता कार्य, निवारक सतर्कता प्रशासन के माध्यम से प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मजबूत करने पर जोर देकर सक्रिय निर्णय लेने में सक्षम बनाता है. यह कमियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने तथा धोखाधड़ी के निवारण के लिए नीतियों को तैयार करने में शीर्ष प्रबंधन को सुझाव प्रदान करने में भी एक प्रमुख भूमिका निभाता है. सक्रिय संप्रेषण के कारण अनुशासनात्मक मामलों के टर्नअराउंड समय में सुधार हुआ है जिसने त्वरित निवारण के साथ कर्मचारियों को प्रेरित करने में मदद की है.

## मानव संसाधन

बैंक के पास 82,000+ प्रतिभाशाली कर्मचारियों का समृद्ध समूह है. बैंक अपने मानव संसाधन को मजबूत बनाने के लिए निरंतर नई पहलें करता है जैसे कि भर्ती, कर्मचारियों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना, कर्मचारी नियोजन और क्षमता निर्माण.

बैंक नई अवधारणाओं, प्रथाओं और प्रक्रियाओं को अपनाने और कुछ नया करने में हमेशा अग्रणी रहा है. समामेलन के पश्चात समामेलित इकाई में मानव संसाधन नीतियों और योजनाओं को तैयार करने के लिए 'तीनों में श्रेष्ठ' दृष्टिकोण अपनाया गया था. सभी गतिविधियों के मूल में 'कर्मचारी' हैं जो प्रमुख व्यवसाय प्रवर्तक हैं. कर्मचारीयों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों की परिकल्पना करते हुए बैंक की संगठनात्मक रूपांतरण पहल के तहत, बैंक ने विभिन्न नवीन कर्मचारी केंद्रित पहलें शुरू की हैं और प्रमुख प्रणालियों और पद्धतियों को बेहतर बनाने के लिए गतिविधियां भी शुरू की हैं.

विभिन्न कर्मचारी केंद्रित पहलों के कारण बैंक को प्रतिष्ठित 'गोल्डन पीकॉक एचआर एक्सीलेंस अवार्ड 2020' से सम्मानित किया गया. यह पुरस्कार 'इंस्टीट्यूट ऑफ़ डायरेक्टर्स' द्वारा शुरु किया गया है और उन संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने मानव संसाधन और लोक प्रबंधन पद्धतियों में समग्रतया उत्कृष्टता हासिल की है और इस प्रकार व्यवसाय, पेशे, कर्मचारियों, उद्योग और राष्ट्र की जरूरतों में योगदान किया है. वर्ष के दौरान निम्नलिखित पहलें की गईं जिनका हमारे बैंक के कार्यनिष्पादन पर प्रत्यक्ष एवं महत्वपूर्ण प्रभाव रहा:

### श्रमशक्ति योजना और भर्ती

बैंक ने विभिन्न स्तरों पर कौशल-आधारित श्रम शक्ति आवश्यकताओं के आकलन के लिए एक नया वैज्ञानिक श्रमशक्ति आयोजना मॉडल तैयार किया है. इससे बैंक को भर्ती, तैनाती, पदोन्नति, प्रशिक्षण आदि जैसे महत्वपूर्ण रणनीतिक फैसले लेने में मदद मिलेगी.

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से 63 अधिकारियों और 2,360 व्यवसाय सहयोगियों की भर्ती की है. बैंक ने विभिन्न कार्यक्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए मुख्य क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले विशेषज्ञ स्टाफ सदस्यों की भर्ती की है.

### बड़ौदा जेम्स 'विकास और सशक्तीकरण प्रबंधन प्रणाली'

बैंक ने अपनी मानव पूंजी की क्षमताओं को उजागर करने के लिए एक महत्वाकांक्षी यात्रा शुरू की थी. इस रूपान्तरण यात्रा में बड़ौदा जेम्स 'विकास और सशक्तीकरण प्रबंधन प्रणाली' नामक एक नई वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) शामिल थी जो विकासात्मक भी है और कर्मचारियों को सुधार के क्षेत्रों का सुझाव देने के लिए भी डिज़ाइन की गई है. इस मजबूत पीएमएस ने रूपांतरण पहलों के कई चरणों का मार्ग प्रशस्त किया है, इनमें से प्रत्येक का उद्देश्य अप्रयुक्त उत्पादकता को उभारना है:

- बिल्ट-इन बाजार दृष्टिकोण के साथ वैज्ञानिक और वैयक्तिक लक्ष्य निर्धारण
- इनसाइट (INSIGHT), उद्योग का पहला ऐसा टूल है जो कर्मचारियों को अपने कार्यनिष्पादन को बेहतर बनाने के लिए सिस्टम जनरेटेड फीडबैक प्राप्त करने हेतु वैयक्तिक कार्यनिष्पादन विश्लेषण और भविष्योन्मुखी प्राथमिकताएं उपलब्ध कराता है.
- जॉब फैमिली और कॅरियर पाथ डिजाइन कर्मचारियों के लिए अपनी पसंद के आधार पर करियर बनाने और एक केंद्रित कॅरियर पथ को सक्षम करने का अवसर है.
- ब्राइट एक समग्र पुरस्कार और सम्मान कार्यक्रम है जो निष्पादन को परिणाम से जोड़ता है.

### एम्पलॉयी असिस्टेंस प्रोग्राम

बैंक ने 'कार्यस्थल परामर्श' की शुरुआत की है जिसे 'एम्पलॉयी असिस्टेंस प्रोग्राम' (ईएपी) कहा जाता है. इस पहल के तहत, बैंक ने पेशेवर ईएपी सेवा प्रदाता की सेवाएं ली है, जो प्रत्यक्ष रूप से परामर्श, फोन-कॉल और वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल तथा चैट जैसे कई चैनलों के माध्यम से परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं.

कर्मचारी चिंता, अवसाद, तनाव, असुरक्षा, भय, अकेलापन, आत्मविश्वास की कमी, पारस्परिक संबंधों एवं संवाद संबंधी मुद्दे, पारिवारिक समस्याएं, शोक, किसी दर्दनाक स्थिति, बीमारी (जैसे कैंसर आदि), व्यसन, प्रेरणा, व्यक्तिगत विकास, कार्य-जीवन संतुलन या कोई अन्य समस्याएं जो मन को अशांत करती हों सहित किसी भी समस्या के लिए परामर्श सहायता प्राप्त कर सकते हैं.

### बड़ौदा अनुभूति कार्यक्रम

यह एक कर्मचारी इंगेजमेंट कार्यक्रम है, जिसे टीम एकजुटता की भावना और सहयोग तथा कार्यस्थल को खुशनुमा बनाने के लिए तैयार किया गया है. समग्र

रूप से कर्मचारी जुड़ाव के स्तरों को सशक्त बनाने हेतु विभिन्न पहलें जैसे सभी शाखाओं/कार्यालयों में माह का सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी, स्पॉट रिकॉग्निशन–'वॉव' मूवमेंट को कैप्चर करना, मनोरंजन का समय, स्थानीय सामुदायिक सेवा/सामाजिक गतिविधियां आदि प्रारंभ की गईं हैं. सभी शाखाओं/कार्यालयों के माध्यम से छः महीनों में एक बार अनिवार्य रूप से सामुदायिक सेवा कार्यक्रम चलाए जाते हैं.

### विश्वव्यापी कोविड–19 महामारी के बीच उपाय

बैंकिंग को 'आवश्यक सेवाओं' के तहत वर्गीकृत करने के साथ ही, बैंक को कर्मचारियों को सुरक्षित रखने, ग्राहकों / सामान्य जनता को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने और व्यावसायिक परिचालनों की निरंतरता को बनाए रखने जैसे तत्काल मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ी.

बैंक की प्राथमिकता हमेशा से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को महत्व देते हुए उन सभी देशों में, जहां बैंक परिचालित है अपने 82000 से अधिक की श्रमशक्ति के स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा करना रही है. इस चुनौतीपूर्ण समय में बड़ौदियनों ने एकजुट होकर कार्य किया है और **कोविड** के आकस्मिक प्रकोप के बीच संक्रमित होने संबंधी तनाव और चिंता के बावजूद भी अपनी ईमानदारी, समर्पित और अथक प्रयासों के माध्यम से राष्ट्र के आह्वान पर शानदार कार्य निष्पादन किया है.

महामारी के दौरान अपने कर्मचारियों को समय पर सहायता और सहयोग प्रदान करने हेतु बैंक द्वारा किए गए कुछ उपायों के विवरण निम्नानुसार हैं:–

- उन शहरों में कोविड पॉजिटिव स्टाफ सदस्यों के लिए आइसोलेशन रूम की व्यवस्था करना जहां गंभीर संक्रमण की स्थिति थी और अस्पताल में बिस्तरों की उपलब्धता में कमी का सामना कर रहे थे.
- कोविड–19 उपचार के लिए कर्मचारियों द्वारा हॉस्पिटलाइजेशन/ होम क्वारंटीन पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करना.
- उपचार आदि हेतु किए गए विविध व्यय की चुकौती के लिए कोविड संक्रमित स्टाफ सदस्यों को ₹ 25,000/– की एकमुश्त राशि का भुगतान.
- कोविड–19 के कारण हुई मृत्यु के मामले में कर्मचारियों के आश्रितों को ₹ 30 लाख की अनुग्रह राशि/अतिरिक्त वित्तीय सहायता का भुगतान करना.
- उन कर्मचारियों के बच्चों के लिए स्नातक स्तर तक की छात्रवृत्ति, जिनकी सेवा के दौरान कोविड–19 के कारण मृत्यु हो गई है.
- कोविड से संबंधित किसी भी आपात स्थिति / स्पष्टीकरण के मामले में कर्मचारियों तक पहुंच स्थापित करने हेतु अंचल केंद्रों और कॉर्पोरेट कार्यालय में कोविड हेल्पलाइन स्थापित की गई है.
- बैंक ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए सामान्य स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित किसी भी समस्या के लिए 'डॉक्टर–ऑन–कॉल' सुविधा उपलब्ध कराई है.

### ज्ञानार्जन और विकास

बैंक ने हमेशा माना है कि ज्ञानार्जन और विकास, किसी संगठन की मानव पूंजी को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. बड़ौदा गुरुकुल जोकि बैंक की व्यापक ज्ञानार्जन प्रबंधन प्रणाली है, ई–लर्निंग मॉड्यूल, बड़ौदा ट्यूब, बड़ौदा रेडियो, मार्गदर्शक, डिजिटल लाइब्रेरी, साप्ताहिक क्विज़ आदि जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से ज्ञानार्जन सुविधा उपलब्ध कराती है.

बड़ौदा एपेक्स अकादमी ने निम्नलिखित पहलें करते हुए कोविड–19 महामारी के कठिन समय में भी अपने प्रशिक्षण प्रयासों को जारी रखा है और प्रशिक्षण प्रदान करने में उत्कृष्टता हासिल की है.

- बड़ौदा ई – अकादमी का शुभारंभ , माइक्रोसॉफ्ट टीम्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से वर्चुअल प्रशिक्षण.
- पीयर टू पीयर लर्निंग को अपनाने के लिए लर्नर डे पर बड़ौदा ट्यूबर 'इच वन टीच मेनी' अभियान का शुभारम्भ.
- एक नये ऑन–बोर्डिंग और मिड कैरियर कार्यक्रम का विकास.

### 'वी लीड' – एक व्यापक नेतृत्व विकास कार्यक्रम

- बैंक ऑफ़ बड़ौदा अपने कर्मचारियों के सर्वांगीण विकास के लिए बेहतर मानव संसाधन नीति एवं प्रक्रिया स्थापित करने में हमेशा अग्रणी रहा है. अपनी रूपांतरण प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, बैंक ऐसे संभावित नेतृत्व की पीढ़ी तैयार करने के लिए प्रयासरत है जो नेतृत्व करने और बैंक के भावी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम हों.
- वीलीड नेतृत्व विकास कार्यक्रम की निरंतरता और भावना को बनाए रखने के उद्देश्य से, कोविड–19 के प्रकोप के उपरांत, वर्चुअल अथवा केवल डिजिटल प्रारूप को अपनाने हेतु क्या आवश्यक होगा, इस आशय से प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए मूल डिजाइन की तुलना में प्रस्तावित लर्निंग के सम्पूर्ण पोर्टफोलियो पर पुनर्विचार किया गया.
- निर्बाध रूप से क्षमता निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए तेजी से बदलते परिवेश में प्रतिभागियों के लिए सबसे प्रभावशाली और सुखद अनुभूति प्रदान करने वाले समकालिक और अतुल्यकालिक संयुक्त चैनलों के साथ एक मिश्रित लर्निंग मॉडल को एकीकृत किया गया था ताकि वी–लीड के प्रतिभागियों की शिक्षण अनुभूति से समझौता किए बिना व्यावसायिक परिणामों और दीर्घकालिक क्षमता निर्माण की कड़ी को मजबूत किया जा सके और उल्लेखनीय व्यावसायिक परिणाम प्राप्त किए जा सकें.

### आरक्षण कक्ष

अनु.जाति/अनु.जनजाति/दिव्यांग(पीडब्ल्यूडी)/भूतपूर्व सैनिकों और अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) कर्मचारियों के लिए आरक्षण व अन्य क्षमतादायी प्रावधानों को लागू करने के लिए एक विशेष आरक्षण कक्ष की स्थापना की गई है. महाप्रबंधक स्तर के कार्यपालक को क्रमशः अनु.जाति/अनु.जनजाति दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिकों और अपिव कर्मचारियों के लिए मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो उनसे संबंधित विभिन्न दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं.

1 फरवरी, 2019 से बैंक में सभी सीधी भर्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% का आरक्षण लागू किया गया था. सरकारी

दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक अधिकारी (निर्धारित पद), लिपिक और सब-स्टाफ संवर्ग में वर्ष में होने वाली कुल रिक्तियों के 4% के अनुपात में दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को आरक्षण प्रदान कर करता है.

| 31.03.2021 तक जाति वर्गवार संख्या | | | | |
|---|---|---|---|---|
| संवर्ग | अजा | अजजा | अपिव | भू. पू. सैनिक |
| अधिकारी | 7,488 | 3,388 | 12,088 | - |
| लिपिक | 4,709 | 2,915 | 8,228 | 95 |
| सब-स्टाफ | 3,041 | 1,028 | 2,811 | - |
| कुल | 15,238 | 7,331 | 23,127 | 95 |
| कुल कर्मचारियों का % | 18.58% | 8.94% | 28.20% | 0.12% |

**आवधिक बैठकें**: बैंक सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार हर तिमाही में अखिल भारतीय बैंक ऑफ़ बड़ौदा एससी / एसटी (एआईबीओबीएससीएसटी) कर्मचारी कल्याण संघ के प्रतिनिधियों के साथ तिमाही बैठकें और अखिल भारतीय बैंक ऑफ़ बड़ौदा ओबीसी कर्मचारी (एआईबीओबीओबीसी) कल्याण संघ के प्रतिनिधियों के साथ छमाही बैठक आयोजित करता है.

**कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम**: बैंक एआईबीओबीएससीएसटी एम्पलॉइ वेल्फेअर एसोसिएशन और एआईबीओबीओबीसी एम्पलॉइ वेल्फेअर एसोसिएशन के सदस्यों तथा एससी/ एसटी एवं ओबीसी संपर्क अधिकारियों के लिए हर वर्ष एपेक्स अकादमी, गांधीनगर में निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है.

- एससी/ एसटी उम्मीदवारों के लिए पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण
- आरक्षण नीति के संबध में कार्यशाला
- अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम

## कॅरियर विकास

बैंक ने कर्मचारियों को कॅरियर विकास के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने, उनके कार्य-निष्पादन को पुरस्कृत करने और उन्हें प्रेरित करने के लिए लगातार प्रयास किए हैं. कर्मचारियों को व्यापक एक्सपोज़र प्रदान करने के लिए अधिकारियों को अलग-अलग कार्यों के लिए कार्यदायित्व सौंपा जाता है और उन्हें विदेशों में भी नियुक्ति दी जाती है.

## विविधता पर जोर

बैंक अपने सभी कर्मचारियों के लिए भेदभाव रहित और समान अवसर नीति का पालन करता है और पदोन्नति, कॅरियर-पाथ, स्थानांतरण नीति और कर्मचारी लाभ / कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित सभी मुद्दों में पारदर्शी है. बैंक ने दृष्टिबाधित कर्मचारियों के लिए 'जॉब रोल्स' आरम्भ किया है. सभी स्तरों पर महिला कर्मचारियों की सेवा जारी रखने के लिए तथा महिलाओं की सहगामी जिम्मेदारियों को मान्यता देने हेतु बैंक ने महिला कर्मचारियों की सहायता के लिए अन्य पहलों के साथ-साथ कई सुविधाएं जैसे महिला कर्मचारियों के लिए विराम-अवकाश, स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम, शिशुगृह की सुविधा आदि की व्यवस्था की है.

## परिसर पुनर्संरचना

कार्बन उत्सर्जन को कम करने के प्रयास में बैंक की कुछ मुख्य उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

- बैंक ने इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) के माध्यम से ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट (बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर के लिए गोल्ड रेटिंग और बड़ौदा सन टॉवर बिल्डिंग के लिए सिल्वर रेटिंग) प्राप्त किया है.
- ग्रामीण/ अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में 120 से अधिक शाखाएं सौर ऊर्जा से संचालित हैं. हरित ऊर्जा/नवीकरणीय/सौर ऊर्जा का उपयोग करने के परिणामस्वरूप कुल 344 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आई.
- बैंक का लक्ष्य प्रस्तावित बड़ौदा एपेक्स अकादमी भवन, अहमदाबाद के लिए आईजीबीसी के अनुसार प्लैटिनम रेटिंग प्राप्त करना है.
- सभी शाखाओं और कार्यालयों में पारंपरिक लाइट फिटिंग को ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटों से बदल दिया गया जिससे पारंपरिक लाइटों से आधी ऊर्जा की खपत होती है.

## राजभाषा (रा.भा) नीति का कार्यान्वयन

बैंक ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में निरंतर अनुकरणीय प्रगति की है. व्यावसायिक विकास के साथ-साथ ग्राहकों को डिजिटल उत्पाद प्रदान करने के लिए हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं का उपयोग हमारे बैंक द्वारा अपनाई गई भाषा नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है तथा भारत सरकार एवं विनियामक प्राधिकारियों द्वारा इसे समय-समय पर सराहा गया है.

वर्ष के दौरान की गई विभिन्न पहलों के तहत बैंक द्वारा 'बैंकिंग में अनुपालन संस्कृति' विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया. 'भारतीय भाषाएं-एक नजर में', 'अपनी भाषा- अपनी बात' (11 भारतीय भाषाओं में ग्राहक बैंकर संवाद) और 'भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका' जैसे अन्य विभिन्न विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित की गई. भारत एवं विदेशों में स्थित विभिन्न कार्यालयों / शाखाओं में हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस एवं मातृभाषा दिवस मनाया गया. साथ ही डिजिटल माध्यम से एक कवि सम्मेलन 'गीत, ग़ज़ल एवं हास्य की एक सुहानी शाम' का आयोजन किया गया. विभिन्न भारतीय भाषाओं में उपलब्ध बैंक की सेवाओं / ऐप के प्रचार-प्रसार के लिए इन-हाउस एक लघु फिल्म 'बैंकिंग आपकी भाषा में' तैयार की गई. इन सुविधाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए बैंक के सोशल मीडिया चैनलों जैसे फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब आदि पर #Bankingapkibhashamein के तहत एक अभियान चलाया गया.

बैंक द्वारा अपनी 'महाराजा सयाजीराव लोकभाषा सम्मान योजना' के अंतर्गत गुजरात की आदिवासी भाषाओं जैसे चौधरी, घोड़िया, गामित और कुंकाना को संरक्षण देने के लिए प्रो. बिक्रम चौधरी को सम्मानित किया गया. बैंक ने 'महाराजा सयाजीराव भाषा सम्मान' के लिए प्रसिद्ध ग़ज़ल गायक पद्मश्री पंकज उधास और 'महाराजा सयाजीराव लोकभाषा सम्मान' के लिए भारतीय लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी का चयन किया है.

बैंक ने देश के 69 विश्वविद्यालयों में हिंदी को प्रचारित करने के लिए अपनी विशिष्ट योजना "मेधावी विद्यार्थी सम्मान योजना" को जारी रखा है.

## कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

बैंक की विरासत में, सामाजिक और आर्थिक विकास हेतु अपने विभिन्न विकास कार्यों के जरिए समाज सेवा का एक लंबा इतिहास है. एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में बैंक समाज कल्याण में, विशेष रूप से समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए और उनके जीवन में सतत सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए सदैव प्रयासरत रहता है. लाभदायक रोजगार के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण, मानव कल्याण और महिलाओं एवं किसानों के उत्थान के लिए अन्य सामाजिक गतिविधियां बैंक के प्रमुख केन्द्र बिन्दु हैं. बैंक कमजोर वर्ग और ग्रामीण नागरिकों के लाभार्थ विभिन्न सामुदायिक विकास और सामाजिक-आर्थिक कल्याण गतिविधियों में लगे विभिन्न संगठनों की मदद कर रहा है.

बैंक के पास देश के 10 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में 64 ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) केंद्र हैं जो ग्रामीण एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों के नवयुवकों को कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से स्व-रोजगार सृजित करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करते हैं. इन केंद्रों ने 19,188 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं और 5.35 लाख युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया है जिनमें से 3.52 लाख ने पहले ही रोजगार प्राप्त कर लिया है या अपने स्वयं के उद्यम स्थापित किए हैं. 64 आरसेटी केंद्रों में से 59 आरसेटी केंद्रों को आरसेटी के समग्र प्रदर्शन/ कार्यप्रणाली के आधार पर "एए/ए" (उत्कृष्ट) के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

बैंक ने बारह राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में 85 वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केंद्र (एफएलसीसी) भी स्थापित किए हैं जो औपचारिक वित्तीय क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के बारे में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के व्यक्तियों को वित्तीय परामर्श सेवाएं और शिक्षा प्रदान करते हैं. ये केंद्र वित्तीय साक्षरता, बैंकिंग सेवाओं के बारे में जागरूकता, डिजिटल बैंकिंग, वित्तीय आयोजना और किसी व्यक्ति के ऋण से संबंधित संकट को दूर करने संबंधी कार्य को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां करते हैं.

## घरेलू अनुषंगियां और संयुक्त उद्यम

### बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड

बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड (बीएफ़एसएल, जिसे पहले बॉबकाड्र्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है. यह जमा स्वीकार नहीं करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफ़सी) है. बीएफ़एसएल की स्थापना वर्ष 1994 में तेजी से बढ़ते क्रेडिट कार्ड उद्योग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए की गई थी. बीएफ़एसएल क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली भारत की पहली गैर बैंकिंग कंपनी थी. कंपनी का मुख्य व्यवसाय क्रेडिट कार्ड जारी करना है. यह अपने मर्चेंट अधिग्रहण परिचालनों के माध्यम से बैंक को सहायता प्रदान करती है.

वित्त वर्ष 2021 में बीएफ़एसएल ने 2.55 लाख नए क्रेडिट कार्ड संग्रहीत किए जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2021 की समाप्ति पर सक्रिय कार्ड आधार 6.44 लाख हो गया. भारतीय रिज़र्व बैंक के डेटा के अनुसार बीएफएसएल, 55,000 से अधिक नए क्रेडिट कार्ड जारी करके मार्च, 2021 में देश के (कुल 32 क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं में से) 5 शीर्ष जारीकर्ताओं में से एक रहा.

वित्तीय वर्ष 2021 में, बड़ौदा रेडिएन्स एवं अन्य उच्च मालियत वाले ग्राहकों के लिए एक सुपर-प्रीमियम क्रेडिट कार्ड 'इटर्ना' की शुरुआत की गई है. बीएफ़एसएल ने द इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया (आईसीएआई), द इंस्टीट्यूट ऑफ़ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया (आईसीएमएआई) और द इंस्टीट्यूट ऑफ़ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ़ इंडिया (आईसीएसआई) जैसे प्रतिष्ठित पेशेवर संस्थानों के साथ तीन सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्डों की शुरुआत की है.

वित्त वर्ष 2020 की तुलना में खुदरा व्यय में 51% से अधिक की वृद्धि हुई, जो दोनों ऑफ़लाइन और ऑनलाइन व्यय श्रेणियों में शीर्ष ब्रांडों के साथ विपणन गठजोड़ और साझेदारी द्वारा समर्थित है.

बीएफ़एसएल ने ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी पहलों (अर्थात् बीबीपीएस और विज़न प्लस, प्रमुख कार्ड प्रबंधन प्रणाली परियोजना शीघ्र ही लाइव होगी) में निवेश करना जारी रखा है. बीएफ़एसएल ने वीडियो केवाईसी, केंद्रीकृत केवाईसी, आईवीआर सहित सम्पूर्ण सुविधा युक्त संपर्क-केंद्र, ई- हस्ताक्षर के एकीकृत संशोधित प्रवाह के साथ ग्राहक डीआईवाई प्रक्रिया को क्रियान्वित किया. ग्राहक केन्द्रित कार्यनीति बैंक के सभी हितधारकों के लिए मूल्य सृजित करेगी.

**₹ करोड़**

| बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड | | |
|---|---|---|
| **विवरण** | **वित्तीय वर्ष 2020** | **वित्तीय वर्ष 2021** |
| कुल आस्तियां | 572.17 | 972.16 |
| प्रमुख राजस्व स्रोत | क्रेडिट कार्ड जारी करना और मर्चेंट अधिग्रहण परिचालन | |
| निवल लाभ/ (हानि) | (31.53) | 10.73 |
| क्रेडिट रेटिंग | क्रिसिल ए1+ इंडिया रेटिंग ए1+ | क्रिसिल ए1+ इंडिया रेटिंग ए1+ |
| निवल एनपीए स्तर | - | - |
| आस्तियों पर प्रतिफल | -5.69% | 1.14% |

### बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड

बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (बॉबकैप्स), बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है, जो सेबी पंजीकृत श्रेणी- I मर्चेंट बैंकर है और साथ ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) की सदस्यता के साथ स्टॉक ब्रोकर भी है.

बॉबकैप्स वित्तीय सेवाओं का विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रदान करता है जिसमें प्राइमरी मार्केट/ पीई फंड, ऋण समूहन, दबावग्रस्त आस्तियों का निपटान, इक्विटी मूल्यांकन, विलय एवं अधिग्रहण एडवाइजरी तथा स्टॉक ब्रोकिंग शामिल हैं. वर्तमान में, इसमें पाँच प्रकार के व्यवसाय अर्थात् निवेश बैंकिंग - इक्विटी; निवेश बैंकिंग - ऋण; संस्थागत ब्रोकिंग, रिटेल ब्रोकिंग और धन-संपदा प्रबंधन शामिल हैं. फर्म की निवेश सलाहकार टीम बैंक के धन-संपदा प्रबंधन वर्टिकल का सहयोग करती है. 31 मार्च, 2021 को ग्राहक आधार 26,715 है.

कोविड़-19 महामारी के कारण आर्थिक क्षेत्र में आई रुकावटों के कारण कारोबारी परिदृश्य में उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद बॉबकैप्स अपने व्यावसायिक वर्टिकल की भविष्य की संभावनाओं के संबंध में; मुख्यतः भारतीय पूंजी बाजार में वृद्धि की प्रकृति, कॅपिटल स्ट्रक्चरिंग तथा वित्तीय साक्षरता / निवेश जागरुकता की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए, सतर्क रूप से आशावादी

है. अतः स्वयं को सुदृढ़तर बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाते हुए बॉबकैप्स का फोकस रिटेल एवं संस्थानिक फ्रंट पर प्रभावी ढंग से व्यावसायिक वृद्धि करते हुए लागत पर केंद्रित है.

₹ करोड़

| बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड | | |
|---|---|---|
| विवरण | वित्तीय वर्ष 2020 | वित्तीय वर्ष 2021 |
| कुल आस्तियां | 160.71 | 175.59 |
| निवल लाभ | -0.80 | 9.34 |

## बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लि.

बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज को वर्ष 2017 में बैंक द्वारा लिए गए एक नीतिपरक निर्णय के परिणामस्वरूप स्थापित किया गया था जिसका उद्देश्य सेवा संबंधी कार्यों को एकल इकाई में एकीकृत करना था ताकि सेवा कार्यों के डुप्लीकेशन और व्यावसायिक इकाई साइलो को कम किया जा सके तथा बेहतर तालमेल स्थापित किया जा सके और लागत को कम किया जा सके.

बीजीएसएस केंद्रीकरण के आधार पर लागत में कमी करने में सफल रहा है. इस प्रक्रिया में शाखाओं से एक बडे कार्यदल को उन भूमिकाओं में अभिनियोजित करना शामिल है जिन्हें ऑटोमेट किया जा सकता है. यह शाखा का ध्यान बिक्री और सेवा पर केंद्रित करता है. इस सेटअप ने बैंक के लिए क्रॉस-सेल देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

शेयर्ड सर्विसेस केंद्रीय स्तर से निष्पादन एवं सामान्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से डेटा की उपलब्धता का लाभ उठाते हुए समय समय पर आंतरिक एवं बाह्य आकलनों के द्वारा सुदृढ़ एवं सख्त नियंत्रण रखना सुनिश्चित करता है.

बीजीएसएस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नानुसार हैं-

1. ग्राहकों की सुविधा और सभी पहलों को राजस्व जनरेट करने वाले मॉडल के रूप में रूपांतरित करने हेतु पूरे देश में 998 से अधिक आधार नामांकन केन्द्र शुरू किए गए.
2. अखिल भारतीय स्तर पर सभी ट्रेड और फॉरेक्स उत्पादों को ट्रेड फ़ाइनेंस बैक ऑफिस (टीएफबीओ) में माइग्रेट किया गया और इस प्रकार घरेलू ट्रेड प्रक्रियाओं को केंद्रीकृत किया गया.
3. ग्राहकों से प्राप्त पूछताछ/ समस्याओं/ शिकायतों के निपटान हेतु एक समर्पित सोशल मीडिया शिकायत निपटान इकाई का शुभारंभ किया गया.
4. पेंशन प्रोसेसिंग गतिविधियों को बीजीएसएस में केंद्रीकृत किया गया है.
5. विविध पहलों के माध्यम से सभी वर्टिकलों में उत्पादकता, फ़र्स्ट टाइम राइट (एफटीआर), टर्न अराउंड टाइम, एटीएम अपटाइम जैसे मेट्रिक्स में महत्वपूर्ण सुधार किए गए.
6. ग्राहकों और शाखाओं के लिए बड़ौदा इंस्टा ट्रेड स्मार्ट नामक डिजिटल प्लैटफार्म का शुभारंभ किया गया जो ग्राहक द्वारा स्वयं किए गए लेनदेनों एवं व्यापार वित्त गतिविधियों की प्रोसेसिंग हेतु एंड टू एंड एकीकृत चैनल उपलब्ध कराता है.
7. नकदी प्रबंधन सेवाओं के तहत सभी बैकएंड गतिविधियों को माइग्रेट किया गया है जिनका प्रबंधन बीजीएसएस में किया जा रहा है.

## बड़ौदा सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

बड़ौदा सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को बैंक ऑफ़ बड़ौदा की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी के रूप में निगमित किया गया है. कंपनी 5 जुलाई, 2017 को रजिस्ट्रार ऑफ़ कंपनीज, मुंबई और महाराष्ट्र में पंजीकृत हुई. कंपनी को बैंक के लिए विभिन्न प्रकार के व्यापार में आईटी समर्थित व्यापार समाधान/ आईटी सॉफ्टवेयर उत्पाद कार्यान्वयन से संबंधित मामलों पर सिस्टम इंटीग्रेटर सेवाएं, परामर्श और आईटी संवर्धन सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित गया है.

कंपनी ने अभी तक पूर्ण परिचालन शुरू नहीं किया है और यह बैंक के विभिन्न व्यावसायिक वर्टिकलों में विभिन्न व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उद्यमवार आईटी परियोजनाओं और वित्तीय उत्पादों के विकास और समाधानों को कार्यान्वित करने के लिए कार्यक्रम प्रबंधन/ परियोजना प्रबंधन जैसी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करेगी.

## दि नैनीताल बैंक लि.

दि नैनीताल बैंक लिमिटेड (एनबीएल) मूल रूप से 1922 में स्वर्गीय भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत और अन्य द्वारा प्रवर्तित है जो वर्ष 1973 में बैंक ऑफ़ बड़ौदा की अनुषंगी बनी. नैनीताल बैंक लिमिटेड में बैंक की धारिता 98.57% है. एनबीएल का नैनीताल में अपना पंजीकृत कार्यालय है और पांच राज्यों अर्थात् उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर), हरियाणा और राजस्थान में इसका परिचालन करती है. 31 मार्च, 2021 तक एनबीएल की 160 शाखाएं हैं. बल्क जमाराशिओं में जानबूझकर की गई कमी और अपनी ऋण बहियों की संरचना में परिवर्तन के कारण एनबीएल का कुल कारोबार 31 मार्च, 2020 के रू. 11,797 करोड़ से घटकर 31 मार्च, 2021 को रू. 11,441 करोड़ रह गया. बैंक ने पिछले वर्ष के दौरान ₹ 68 करोड़ के निवल घाटे के सापेक्ष वित्त वर्ष 2021 में रू. 1.26 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया है और इस तरह अपनी लाभप्रदता की स्थिति को बदलने में सक्षम रहा है.

## बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड

बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड (बड़ौदा एएमसी) 28 सितंबर, 2018 से बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है. बड़ौदा एएमसी, बड़ौदा म्युचुअल फंड (बड़ौदा एमएफ) में निवेश प्रबंधक के रूप में कार्य करता है जो कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ पंजीकृत म्युचुअल फंड है.

वित्त वर्ष 2021 के लिए बड़ौदा म्युचुअल फंड के प्रबंधन (एयूएम) के तहत औसत आस्तियां ₹ 8,220 करोड़ थीं जिनमें पिछले वर्ष की तुलना में 26% की गिरावट आई है. बाजार की स्थिति और महामारी के कारण लिक्विड और फिक्स्ड आय श्रेणी में प्रवाह प्रमुख रूप से प्रभावित हुए. तथापि, पिछले वर्ष की तुलना में इक्विटी एयूएम में निरंतर वृद्धि हुई और (प्रबंधन के अधीन औसत आस्तियां) एएयूएम में 29% की वृद्धि हुई. बड़ौदा एएमसी ने मुख्यतः स्वतंत्र वित्तीय सलाहकारों (आईएफए) पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ अपने अन्य-पक्ष वितरण नेटवर्क का विस्तार करना जारी रखा है. कंपनी ने साल के दौरान दो नए फंड - एक इक्विटी और एक फिक्स्ड इन्कम लॉन्च किए और प्रत्येक ने रू. 500 करोड़ से अधिक संग्रहित किए.

बैंक और बीएनपी परिबास एसेट मैनेजमेंट एशिया लिमिटेड (बीएनपी एशिया) ने दिनांक 11 अक्टूबर 2019 को भारत में अपनी एसेट मैनेजमेंट और ट्रस्टी कंपनियों का विलय करने के लिए बाध्यकारी करार पर हस्ताक्षर किए हैं.

यह समामेलन समामेलित इकाई की मौजूदा 0.3% बाजार हिस्सेदारी के स्तर को उच्च बाजार हिस्सेदारी अर्जित करने में सहायक होगा. बड़ौदा ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रबंधित म्यूचुअल फंड के लिए समर्पित ट्रस्टी कंपनी है. एकीकरण का कार्य चल रहा है और वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान पूरा होने की उम्मीद है, जो नियामक अनुमोदन प्राप्त होने के अधीन है. एनसीएलटी ने 12 फरवरी, 2021 को समामेलन को मंजूरी दे दी है.

₹ करोड़

| बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड | | |
|---|---|---|
| विवरण | वित्त वर्ष 2020 | वित्त वर्ष 2021 |
| कुल आस्ति | 77.58 | 78.39 |
| चालू वित्त वर्ष के लिए निवल लाभ(पीबीटी) | 0.85 | 1.76 |
| प्रबंधन के तहत आस्तियां | 11204.42 | 8220.15 |
| गैर–इक्विटी उन्मुख आस्तियों के लिए इक्विटी का अनुपात (%) | 0.26 | 0.58 |
| आस्तियों पर प्रतिफल (%) | 2.25 | 3.00 |

### इंडिया फ़र्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.

इंडिया फ़र्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि., जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, देश की सबसे नवीनतम बीमा कंपनियों में से एक है जिसकी प्रदत्त शेयर पूंजी ₹ 663 करोड़ है. कंपनी भारत के दो सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक – बैंक ऑफ़ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया की क्रमशः 44% और 30% के साथ कार्मल प्वाइंट इनवेस्टमेंट्स लि. द्वारा निगमित कार्मल प्वाइंट इनवेस्टमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की 26% की हिस्सेदारी द्वारा प्रवर्तित है और मॉरीशस के कानूनों के तहत शामिल एक निकाय कॉर्पोरेट और वारबर्ग पिंकस एलएलसी द्वारा प्रबंधित निजी इक्विटी फंडों के स्वामित्व में है.

वित्त वर्ष 2021 में इंडिया फर्स्ट लाइफ ने 3% की जीवन बीमा वृद्धि की तुलना में व्यक्तिगत नए व्यवसाय एपीई (वार्षिक प्रीमियम समतुल्य) में 5% वृद्धि के साथ समग्र जीवन बीमा उद्योग (एलआईसी सहित) से 1.75 गुना वृद्धि दर्ज की. इंडिया फर्स्ट लाइफ पिछले लगातार 7 वर्षों से संपूर्ण उद्योग में तीव्रतर दर से वृद्धि कर रहा है. कंपनी निजी कंपनियों के बीच ₹ 31 मार्च, 2021 को ₹ 17,109 करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) के साथ वर्तमान में व्यक्तिगत नए व्यापार एपीई (वार्षिक प्रीमियम समतुल्य) में 12 वें स्थान पर है.

इंडिया फर्स्ट लाइफ को चौथी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क (जीपीटीडब्ल्यू) के रूप में प्रमाणीकृत किया गया. यह सम्मान व्यावसायिक, शैक्षणिक और सरकारी संगठनों में सर्वश्रेष्ठ मानक के रूप में देखा जाता है. इसे जीपीटीडब्ल्यू बीएफ़एसआई सर्वेक्षण द्वारा लगातार तीसरी बार 'बीएफएसआई में बेस्ट कार्यस्थल' और एनडीटीवी प्राइम प्रॉफिट पर ब्रांड स्टोरी द्वारा भारत की अत्यंत सराहनीय ब्रांड 2020 से भी सम्मानित किया गया.

### इंडिया इंफ्राडेब्ट लिमिटेड

भारत इंफ्राडेब्ट लिमिटेड (इंफ्राडेब्ट) पहली इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड (आईडीएफ़) – एनबीएफसी है. बैंक ऑफ़ बड़ौदा और आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड इस इंफ्राडेब्ट के प्रायोजक हैं और सिटी कॉर्प फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड एवं भारतीय जीवम बीमा निगम इसके अन्य शेयरधारकों में शामिल हैं. यह इंफ्राडेब्ट अपेक्षाकृत ऐसी सुरक्षित, पूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का वित्तपोषण करती है जिन्होंने एक वर्ष का वाणिज्यिक परिचालन पूर्ण कर लिया हो. इसकी स्थापना के बाद से इसे क्रिसिल, आईसीआरए और भारत रेटिंग द्वारा एएए/ स्टेबल के रूप में रेट किया गया है. इंफ्राडेब्ट को इसकी सभी आय पर 100% आयकर रियायत प्राप्त है.

मजबूत, स्थायी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं – विशेष रूप से सड़क परियोजनाओं और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण देने पर इंफ्राडेब्ट का ध्यान केंद्रित होने के कारण बैंक में सहक्रियता उत्पन्न होती है और इस प्रकार राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया जाता है. इन्फ्राडेब्ट का व्यवसाय लगातार बढ़ रहा है 31 मार्च, 2021 को इसकी ऋण बही ₹ 12,782 करोड़ रही और वित्त वर्ष 2021 के लिए शुद्ध लाभ ₹ 283 करोड़ (भारतीय जीएएपी के अनुसार) और इक्विटी पर रिटर्न 14% रहा. इंफ्राडेट पिछले चार साल से लगातार लाभांश भी दे रही है.

घरेलू अनुषंगियों और संयुक्त उद्यम का एक संक्षिप्त सारांश निम्नानुसार है:

₹ करोड़

| इकाई | स्वामित्व वाली धनराशि | कुल आस्तियां | निवल लाभ | कार्यालय | कर्मचारी |
|---|---|---|---|---|---|
| बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड | 187.6 | 972.2 | 10.7 | 38 | 546 |
| बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड | 162.3 | 175.6 | 9.3 | 1 | 109 |
| बड़ौदा सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड | 4.6 | 4.4 | -0.1 | 1 | 3 |
| बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लि. | 21.7 | 22.9 | 5.7 | 5 | 1,981 |
| दि नैनीताल बैंक लि. | 574.6 | 8,182.3 | 1.3 | 4 | 992 |
| बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड | 66.6 | 78.4 | 1.8 | 5 | 94 |
| बड़ौदा ट्रस्टी इंडिया प्रा. लिमिटेड | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 1 | 1 |
| इंडिया फ़र्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. | 775.5 | 17,651.3 | 30.2 | 29 | 3,102 |
| इंडिया इंफ्राडेब्ट लिमिटेड | 2,127.8 | 14,692.6 | 283.2 | 1 | 22 |

| तारीख | पुरस्कार 2020-21 |
|---|---|
| जून 2020 | • भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति एम. एन. वेंकटचेलैया, भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा भारतीय संविधान सुधार राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में अवार्ड जूरी द्वारा बड़ौदा एपेक्स अकादमी को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक नेशनल ट्रेनिंग अवार्ड 2020 के लिए विजेता घोषित किया गया. |
| अगस्त 2020 | • बैंक की डिजिटल मार्केटिंग इंट्री ने चौथे वार्षिक मास्टर्स ऑफ़ मॉडर्न मार्केटिंग अवार्ड्स एमक्यूब 2020 में गोल्ड अवार्ड जीता.<br>• वित्तीय सेवाओं/ बैंकिंग उद्यम द्वारा/के लिए सर्वश्रेष्ठ मल्टी-चैनल अभियान - बैंक ऑफ़ बड़ौदा के लिए '3 की शक्ति' समामेलन अभियान. |
| सितंबर 2020 | • भारतीय बैंक संघ द्वारा 'डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं का शुभारंभ और ईएएसई 2.0 इंडेक्स परिणामों की घोषणा' के दौरान बैंक को 'श्रेष्ठ कार्यनिष्पादक बैंक' अवार्ड प्रदान किया गया.<br>• बैंक ने "जिम्मेदार बैंकिंग" और "वित्तीय समावेशन एवं डिजिटलीकरण के विस्तार" की श्रेणियों में ईएएसई 2.0 इंडेक्स के तहत प्रथम स्थान प्राप्त किया.<br>• बैंक ने ईएएसई 2.0 इंडेक्स के तहत 'गवर्नेंस एवं एचआर' में द्वितीय स्थान और 'ग्राहक प्रतिक्रिया' श्रेणियों में तीसरा स्थान हासिल किया.<br>• बैंक को लर्निंग में प्रौद्योगिकी के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए लर्नएक्स अवार्ड 2020 प्राप्त हुआ.<br>• राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए बैंक को भारत सरकार की "राजभाषा कीर्ति पुरस्कार" योजना के अंतर्गत भाषाई क्षेत्र 'ख' में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ.<br>• बैंक की हिंदी पत्रिका 'अक्षय्यम्' को भी भारत सरकार की "राजभाषा कीर्ति पुरस्कार" योजना के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया.<br>• बैंक के संयोजन में वाराणसी और बड़ौदा में कार्यरत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टीओएलआईसी) को भी भारत सरकार के संबंधित क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों द्वारा पुरस्कारों के लिए चुना गया. |
| अक्टूबर 2020 | • बैंक को ऑप्टिमल मीडिया सॉल्यूशन (ए टाइम्स ग्रुप कंपनीज) द्वारा "शीर्ष गृह ऋण प्रदाता" का सम्मान सर्टिफिकेट प्रदान कर सम्मानित किया गया. |
| मार्च 2021 | • बैंक को आईबीए की वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कारों की एक प्रतिष्ठित जूरी द्वारा "वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक" घोषित किया गया.<br>• बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित 'बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक' को आईबीए बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2021 में बड़े बैंकों के बीच सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार प्राप्त हुआ. बैंक को बड़े बैंकों के बीच सर्वश्रेष्ठ आईटी जोखिम और साइबर सुरक्षा पहलों और सर्वश्रेष्ठ भुगतान पहलों के लिए संयुक्त उपविजेता घोषित किया गया.<br>• बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित 'बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक' को आईबीए बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2021 में बड़े बैंकों के बीच संयुक्त उपविजेता पुरस्कार प्राप्त हुआ. बैंक को सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक ऑफ़ ईयर के लिए संयुक्त उपविजेता घोषित किया गया. बैंक को 2020 के लिए एफई बेस्ट बैंक अवार्ड में 'होम लोन' श्रेणी में विजेता घोषित किया गया था.<br>• बैंक को वित्तीय वर्ष 2021 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच "एसएचजी क्रेडिट लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ बैंक" के रूप में सम्मानित किया गया. ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), भारत सरकार द्वारा इस पुरस्कार की घोषणा कर बैंकों को सम्मानित किया जाता है. |

## लाभांश वितरण नीति

बैंक लाभांश के उद्देश्य हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करने के कारण 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश का भुगतान करने हेतु पात्र नहीं है. यह नीति इस वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है और बैंक की वेब साइट पर उपलब्ध है.

## निदेशक मंडल (वर्ष के दौरान निदेशकों की नियुक्ति / उनके कार्यकाल की समाप्ति)

### नियुक्तियां

श्री अजय खुराना को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(ए) के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से दिनांक 19 सितंबर, 2021 तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.

श्रीमती सौंदरा कुमार को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (i) के तहत 24 दिसंबर, 2020 से 23 दिसंबर, 2023 तक तीन साल की अवधि के लिए शेयरधारक निदेशक के रूप में चुना गया.

श्री देबदत्त चांद को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(ए) के तहत केंद्र सरकार द्वारा 10 मार्च, 2021 से तीन वर्ष तक की अवधि के लिए, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो श्री मुरली रामास्वामी के स्थान पर कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.

### कार्यकाल की समाप्ति

31 दिसंबर, 2020 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री मुरली रामास्वामी का कार्यकाल 1 जनवरी, 2021 से समाप्त हो गया.

अपने तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के पश्चात् दिनांक 24 दिसंबर, 2020 से शेयरधारक निदेशक के रूप में डॉ भरतकुमार डी डांगर का कार्यकाल समाप्त हो गया.

दिनांक 20 अक्टूबर, 2020 को अपनी नियुक्ति की अवधि पूरी होने पर दिनांक 21 अक्टूबर, 2020 से गैर-कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री बिजू वर्क्की का कार्यकाल समाप्त हो गया.

### बोर्ड का मूल्यांकन

बैंक, पीएसबी गवर्नेंस सुधार – गैर-सरकारी निदेशकों की बेहतर प्रभावशीलता के माध्यम से गवर्नेंस में वृद्धि हेतु भारत सरकार के दिशानिर्देश दिनांक 30 अगस्त, 2018 का पालन कर रहा है.

### कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर लेखापरीक्षकों का अनुपालन प्रमाणपत्र

सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की अनुसूची V के 'भाग ई' के अनुसरण में इस रिपोर्ट के साथ वर्ष 2020-21 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के संबंध में लेखापरीक्षकों का अनुपालन प्रमाणपत्र संलग्न है.

### व्यावसायिक दायित्व संबंधी रिपोर्ट

सेबी द्वारा आवश्यक, व्यावसायिक दायित्व संबंधी रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट (www.bankofbaroda.co.in) पर उपलब्ध है. यदि कोई सदस्य उसकी भौतिक प्रति चाहते हैं तो वे बैंक के कंपनी सचिव को लिख सकते हैं.

### निदेशकों का दायित्व संबंधी अभिकथन

निदेशकगण, इस आशय की पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक लेखों को तैयार करते समय:

ए) तथ्यात्मक विसंगतियां, यदि कोई हो, से संबंधित समुचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखा मानकों का पूर्णतः अनुपालन किया गया है;

बी) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई लेखांकन नीतियों का पालन किया गया तथा निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया और उन्हें विवेकपूर्ण, तर्कसंगत एवं न्यायोचित बनाया गया ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बैंक की सत्य एवं वास्तविक स्थिति तथा उस अवधि हेतु बैंक के लाभ और हानि की वास्तविक एवं सुस्पष्ट स्थिति प्रस्तुत हो सके;

सी) निदेशकों ने, बैंक की आस्तियों की सुरक्षा और विभिन्न प्रकार की जालसाजी तथा अन्य अनियमितताओं से बचने तथा उनका पता लगाने हेतु बैंक के लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप लेखा-अभिलेखों के रखरखाव में समुचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है;

डी) निदेशकों ने, लेखों को कार्यशील संस्था के आधार पर तैयार किया है; और

ई) निदेशकों द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि बैंक द्वारा अपनाया जा रहा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप है और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावी ढंग से परिचालित हो रहे हैं. स्पष्टीकरण: इस खंड के उद्देश्यों के अनुरूप 'आंतरिक वित्तीय नियंत्रण' शब्दावली का अर्थ बैंक द्वारा अपने व्यवसाय का व्यवस्थित एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए अपनायी गई नीतियों और प्रक्रियाओं से है. इसमें बैंक की नीतियों का अनुपालन, इसकी आस्तियों को सुरक्षित रखना, धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाना तथा उन्हें रोकना, लेखा रिकार्डों की शुद्धता और संपूर्णता तथा समय पर विश्वसनीय वित्तीय सूचना तैयार करना शामिल है;

एफ़) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उचित प्रणालियां बनाई थी और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं तथा प्रभावी ढंग से परिचालित हो रही थीं.

### आभार

निदेशक मंडल पूर्व कार्यपालक निदेशक श्री मुरली रामास्वामी और अन्य पूर्व निदेशकों जैसे डॉ. भरतकुमार डी डांगर तथा श्री बिजू वर्क्की के योगदान की सराहना करता है. निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, अन्य विनियामक प्राधिकरणों और विदेशी विनियामकों के प्रति उनके सहयोग, मार्गदर्शन और समर्थन के लिए सम्मानपूर्वक अपना आभार प्रकट करता है. निदेशक मंडल अपने मूल्यवान ग्राहकों के प्रति बैंक के साथ उनके विश्वसनीय नियमित बैंकिंग संबंधों के लिए सम्मानपूर्वक अपना आभार प्रकट करता है.

निदेशक मण्डल सभी शेयरधारकों, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं, रेटिंग एजेंसियों, स्टॉक एक्सचेंजों और भारत और विदेश स्थित अपने हितैषियों के प्रति उनके द्वारा प्रदान की गई सहायता एवं समर्थन के लिए अपना आभार प्रकट करता है.

निदेशक मंडल बैंक के कर्मचारियों का उनके कठिन परिश्रम और निष्ठापूर्ण समर्पण के लिए तहे-दिल प्रशंसा व्यक्त करता है.

कृते और निदेशक मंडल की ओर से,

**संजीव चड्ढा**
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

## DIRECTORS' REPORT

**Your Directors have pleasure in presenting the One Hundred and Thirteenth Annual Report of the Bank with the audited Balance Sheet, Profit & Loss Account and the Report on Business and Operations for the year ended March 31, 2021 (FY 2021).**

### Financial Performance

₹ crore

| Particulars | Year ended March 31, 2020 | Year ended March 31, 2021 |
|---|---|---|
| **Deposits** | 9,45,984.4 | 9,66,996.9 |
| *of which* - International Deposits | 1,37,278.9 | 1,08,583.8 |
| **Domestic Deposits** | 8,08,705.5 | 8,58,413.1 |
| *of which* - Current Account Deposits | 49,650.1 | 61,609.0 |
| Savings Bank Deposits | 2,66,301.3 | 3,06,418.5 |
| CASA Deposits | 3,15,951.4 | 3,68,027.6 |
| **Domestic CASA to Domestic Deposits (%)** | 39.07 | 42.87 |
| Advances | 6,90,120.7 | 7,06,300.5 |
| *of which* - Domestic Advances | 5,70,340.8 | 6,05,615.8 |
| International Advances | 1,19,780.0 | 1,00,684.7 |
| **Total Assets** | 11,57,915.5 | 11,55,364.8 |
| **Net Interest Income (NII)** | 27,451.3 | 28,809.0 |
| **Other Income** | 10,317.3 | 12,364.4 |
| *of which* - Trading Gains | 2,750.7 | 3,376.0 |
| **NII + Other Income** | 37,768.6 | 41,173.5 |
| **Operating Expenses** | 18,872.4 | 20,543.7 |
| **Operating Profit** | 18,896.2 | 20,629.8 |
| **Provisions** | 20,698.3 | 15,073.8 |
| *of which* - Provisions for NPAs and Bad debts written off | 16,404.9 | 12,407.7 |
| **Profit Before Tax** | -1,802.1 | 5,556.0 |
| **Provision for Tax** | -2,348.3 | 4,727.0 |
| **Net Profit** | 546.2 | 829.0 |
| **Appropriations/Transfers** | | |
| Statutory Reserve | 136.5 | 207.2 |
| Capital Reserve | 822.3 | 676.9 |
| Revenue and Other Reserves | | |
| I) General Reserve | -560.3 | -341.8 |
| II) Special Reserve u/s 36 (I) (viii) of the Income Tax Act 1961 | 180.0 | 286.6 |
| III) Investment Reserve Account | -41.6 | 0.0 |
| IV) Statutory Reserve (Foreign) | 9.3 | 0.1 |
| Proposed Dividend | 0.0 | 0.0 |

₹ crore

| Key Performance Indicators | FY 2020 | FY 2021 |
|---|---|---|
| Average Cost of Funds (%) | 5.11 | 4.11 |
| Average Yield on Funds (%) | 7.55 | 6.62 |
| Average Interest Earning Assets | 10,07,058.7 | 10,64,844.0 |
| Average Interest Bearing Liabilities | 9,49,179.9 | 10,14,761.9 |
| Net Interest Margin (%) | 2.73 | 2.71 |
| Cost-Income Ratio (%) | 49.97 | 49.90 |
| Return on Average Assets (ROAA) (%) | 0.06 | 0.07 |
| Return on Equity (%) | 1.23 | 1.50 |
| Book Value per Share (₹) | 96.22 | 106.72 |
| Basic EPS (₹) | 1.36 | 1.78 |

Total deposits of the Bank increased to ₹ 9,66,997 crore as on March 31, 2021. Net advances increased to ₹ 7,06,301 crore led by domestic retail loans, agriculture and MSME loans. The net interest margin (NIM) was at 2.71% in FY 2021. Operating profit for the Bank rose to ₹ 20,630 crore in FY 2021 from ₹ 18,896 crore in FY 2020, an increase of 9.17%. Total provisions (other than tax) and contingencies declined by 27.17% from ₹ 20,698 crore in FY 2020 to ₹ 15,074 crore in FY 2021. Provisions for Non- Performing Assets (NPA) also declined to ₹ 12,408 crore in FY 2021 from ₹ 16,405 crore in FY 2020. The Bank posted a net profit of ₹ 829 crore, an increase of 51.83% over the previous financial year.

### Capital Adequacy Ratio (CAR)

Ratios in %

| Particulars | As on 31.03.2020 | As on 31.03.2021 |
|---|---|---|
| Capital Adequacy Ratio – Basel III | 13.30 | 14.99 |
| CET-I | 9.44 | 10.94 |
| Tier – I | 10.71 | 12.67 |
| Tier – II | 2.59 | 2.32 |

The Capital Adequacy Ratio (CAR) of the Bank increased from 13.30% as on March 31, 2020 to 14.99% as on March 31, 2021. CET-1 ratio also increased from 9.44% to 10.94% during the same period. The consolidated group capital adequacy ratio stood at 15.74%.

During FY 2021, Bank raised capital through the Qualified Institutional Placement route (QIP) amounting to ₹ 4,500 crore. Bank issued and allotted 55.08 crore equity shares to eligible qualified institutional buyers at the issue price of ₹ 81.70 per equity share.

The Bank issued Additional Tier I (AT-I) capital bonds of ₹ 3,735 crore during FY 2021.

The Bank's net worth as of March 31, 2021 was ₹ 55,191 crore comprising of paid-up equity capital of ₹ 1,036 crore and reserves of ₹ 54,155 crore (excluding revaluation reserves, foreign currency translation reserves and other intangible assets). The book value of the share (Face Value ₹ 2) was ₹ 106.72 as on March 31, 2021.

### Provisions towards Retirement and other benefits

During FY 2021, the Bank made provision towards contribution to gratuity (₹ 669 crore), pension funds (₹ 2,188 crore), leave encashment, additional retirement benefits and other benefits (₹ 13 crore). Total provisions under these categories amounted to ₹ 2,870 crore during FY 2021.

### Dividend

Bank is not eligible to pay dividend for the financial year ended March 31, 2021 on account of not meeting the eligibility criteria stipulated by Reserve Bank of India (RBI) for this purpose.

## Management Discussion and Analysis

### Global Economy

The world went through an unprecedented health crisis in the form of a pandemic in 2020. Almost all global economies announced a lockdown starting in early 2020. The world entered into a lockdown. This resulted in a contraction in global GDP by 3.3% in 2020 (Source: IMF). The global contraction was led by Advanced Economies (AEs) where GDP contracted by 4.7%. Within AEs, the highest decline was seen in UK at 9.9% followed by Euro Area at 6.6% and US at 3.5%. All AEs announced fiscal and monetary stimulus to support growth. As a result, fiscal deficit in US is estimated to have increased to 14.9% of GDP in 2020 from 4.6% of GDP in 2019. UK and Euro Area too followed expansionary fiscal policies. Expansionary fiscal policy went hand-in-hand with monetary accommodation which included reduction in interest rates, asset purchase programmes and provision of liquidity to different segments of the economy to mitigate the economic impact of the pandemic.

GDP of Emerging and Developing Economies is estimated to have contracted by 2.2% led by Latin America with a decline of 7% in 2020. Asia seems to have been relatively better placed with Emerging and Developing Asian economies reporting a decline of 1% in 2020.

The decline in global GDP led to 8.5% reduction in world trade volumes in 2020 as restrictions disrupted supply chains. Global commodity prices also fell sharply in 2020 led by oil. However, the underlying economic situation seems to have changed dramatically with availability of vaccines and gradual opening of lockdown restrictions. The monetary and fiscal stimulus given by governments and central banks seems to have led to resurgence in demand, in particular for goods. More importantly, there has been a significant progress in terms of vaccinations being able to reduce the spread of pandemic.

IMF expects global growth to rebound to 6% in 2021. While AEs are expected to grow by 5.1% in 2021, Emerging and Developing Economies are estimated to grow by 6.7%. Within AEs, growth is driven by US at 6.4% followed by Euro Area at 4.4%. Within Emerging economies, Asian economies are slated to grow by 8.6% followed by Latin America at 4.6%.

The sudden rebound in world demand led to sharp increase in global commodity prices and long-term growth outlook. Global growth even in 2022 is estimated to maintain above average momentum at 4.4%.

### Indian Economy

In-line with the decline seen in the world economy, India's GDP is estimated to have contracted by 7.3% in FY 2021 following a 4.0% increase in FY 2020. The contraction is a result of nationwide lockdown imposed at the beginning of the financial year to control the spread of COVID-19 pandemic. The decline is led by 10.8% drop in investment demand from an increase of 5.4% in FY 2020. Even consumption is expected to have fallen by 9.1% after reporting an increase of 5.5% in FY 2020. The bright spot in the year was the agriculture sector and which did not see any disruption.

The disruption to the Indian and global economy resulted in India's industrial production falling by 8.7% during FY 2021. Manufacturing and mining sector declined sharply by 9.8% and 7.8% respectively. Electricity output reported a much better picture with a decline of only 0.5% during FY 2021. The lockdowns and restrictions have impacted the services sector as well. Services sector is estimated to report a decline of more than 8% in FY 2021. The maximum impact has been felt in contact intensive services such as travel, tourism and education.

In order to mitigate the impact of the pandemic, the Government presented a pro-growth Budget with a large outlay on capital spending. The Central Government not only made direct cash transfers to the marginal households, but also increased outlay on food subsidies and employment programmes. This led to increase in fiscal deficit to 9.3% of GDP in FY 2021 from 4.6% of GDP in FY 2020.

The restrictions imposed to contain the pandemic resulted in disruptions in both demand and supply side. As a result, retail inflation edged up to 6.2% in FY 2021 from 4.8% in FY 2020. The increase in inflation was led by higher food prices. Food inflation increased by 9.8% in the first half of the financial

year compared with only 5.8% increase seen in second half of the financial year. Even non-food inflation or core inflation increased on the back of higher retail fuel prices.

With reduction in spread of infection, more and more restrictions were lifted from the middle of last financial year. However, COVID-19 infections increased towards the end of FY 2020. Instead of a national lockdown, state governments have imposed local lockdowns to contain the spread of the virus. The same has led to a decline in economic momentum seen towards the end of last financial year. RBI has revised its growth forecast to 9.5% in FY 2022. With global economy reviving, demand for India's software services and merchandise goods is likely to do well. The Government is ramping up health infrastructure and working towards vaccinating maximum percentage of population in the shortest possible time.

### Developments in Indian Banking

Credit growth of Scheduled Commercial Banks (SCBs) declined to 5.6% as of March 2021 from 6.1% as of March 2020. The economic impact of the pandemic explains the muted credit off-take. With agriculture sector remaining relatively free of any disruption, credit off-take to agriculture increased by 12.3% as of March 2021. On the other hand, credit off-take to industry remained muted. Within this, credit off-take to medium industry reported an increase of 28.8% as of March 2021. This can be explained by credit guarantee given by Government of India for incremental lending to MSMEs to tide over the economic impact of the pandemic. Credit off-take to services sector and consumer sector too saw a decline in momentum. While consumer loans did increase by 10.2% as of March 2021, the growth was lower than last year when this segment witnessed an increase of 15%.

Relatively muted demand for bank credit is also attributable to corporate institutions tapping the bond market to meet the need for their funds. In fact, in FY 2021, corporate institutions including financial institutions were able to raise ₹ 7.7 lakh crore from bond market compared with ₹ 6.7 lakh crore in FY 2020.

In order to mitigate the impact of the pandemic on the economy, RBI reduced repo rate by 115bps between March 2020 and May 2020. The reverse repo rate was reduced by an even sharper 155bps. RBI also injected liquidity in the form of targeted long term repurchase operations (TLTROs), open market operations (OMOs) and reduction in cash reserve ratio (CRR).

In addition to this, RBI advised banks to announce moratorium for customers impacted by COVID-19. It also gave banks flexibility to extend working capital loans by increasing drawing power. It also provided credit lines to banks to on-lend to National Housing Bank (NHB), National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), etc. The Kamath Committee allowed restructuring for twenty-six stressed sectors impacted by pandemic under certain conditions.

The measures taken by RBI ensured an orderly conduct of bond and currency markets. Despite a large increase in fiscal deficit and ensuing government borrowing, yields remained in a tight range. The benchmark 10-year yield traded in a range of 5.8% to 6.5% during the financial year. INR gained 3.3% in FY 2021 after depreciating by 8.5% in FY 2020. Transmission of lower interest rates into the economy improved with weighted average lending rate for fresh rupee loans for SCBs falling by 79bps and weighted average term deposit rate of SCBs fell by 100bps.

In order to mitigate the impact of the pandemic, Indian Government announced a number of economic measures and reforms. In a major push towards privatisation, Government announced privatisation of two public sector banks and an insurance company along with earlier announcement of strategic sale of Air India and Bharat Petroleum Corporation Limited. It also announced creation of an asset reconstruction and management company to dispose of bad debts. National Bank for Financing Infrastructure and Development was proposed to be set up as the principal development financial institution (DFI) for infrastructure financing.

With the second wave hitting the country, various state governments have announced local containment measures. Economic activity has also been impacted due to local restrictions. RBI announced resolution framework for MSMEs, small businesses and individual loans with exposure up to ₹ 50 crore. In addition, it gave ample liquidity to banks and small finance banks for onward lending to healthcare, rural and informal sectors.

### Integration

The Bank achieved a major milestone in the amalgamation journey and concluded the IT integration of erstwhile Dena Bank and erstwhile Vijaya Bank. The IT integration of 1,770 erstwhile Dena Bank branches and 2,128 erstwhile Vijaya Bank branches to Bank's core banking solution (CBS) heralded the completion of the amalgamation journey.

The entire IT integration exercise was carried out with a customer centric approach while ensuring business continuity and minimum disruption to services. Post IT integration, customers have access to Bank's feature rich digital channels and wide network of 8,214 branches in India and abroad. The centralisation of back-office processes such as trade finance back office (TFBO), CASA account opening through retail liabilities back office (RLBO), account opening through TAB Banking and loan processing using loan origination and processing application software (LLPS) have led to reduction in service turnaround time (TAT).

## EASE 2.0

In Government of India's EASE 2.0 index, Bank secured the "First" position among all Public Sector Banks. As per the index, significant progress is seen in the Bank across six themes 'Responsible Banking', 'Governance and HR', 'PSBs as Udyamimitra for MSMEs', 'Credit off-take', 'Financial Inclusion and Digitisation' and 'Customer Responsiveness'.

## Project BOB-NOWW

### A collective aspiration to shape the future Bank of Baroda

The Bank embarked on a new transformation journey, BOB-NOWW with a commitment to create value for all stakeholders. The word NOWW represents the Bank's aspiration to shape and embrace 'New Operating model and Ways of Working'.

The objective is to build an industry-first operating model through new ways of working and a reimagined retail network which will unlock growth potential across businesses. It will also encompass adoption of digitisation at every level so as to optimise costs and increase productivity.

Initiatives currently underway to reshape the Bank for the future are:

**Unlocking business potential:** The Bank is enhancing its business offerings in the marketplace across revenue lines with a special focus on corporate, MSME, international and wealth verticals. The Bank is looking at offering a full-stack corporate banking solution to its customers. The Bank launched initiatives such as corporate fee booster campaign, sales war room and revamping the trade finance and supply chain finance platforms. The Bank is reshaping its wealth management strategy as well to retain, activate and deepen relationships with existing customers. The Bank is hiring the requisite talent to scale up its wealth management offering.

**Reimagined retail distribution network:** The Bank is following the motto of 'BOB Everywhere' by expanding its network, including Business Correspondents (BC), and services to a larger pool of customers and bigger geographical spread. The Bank is also introducing new-age, compact and digital branch formats to offer seamless customer experience across the country. This will also enable easy accessibility of banking services through multiple formats. The new formats and bigger network will enable the Bank to deepen its presence in rural areas.

**Digital led experience and Mobile first:** A critical part of BOB-NOWW is to increase digitisation of banking processes and services. For this, the Bank is building an organisation structure and operating model which includes cross-functional agile squads with representatives from critical departments of the Bank to accelerate the pace at which new digital banking services and journeys are rolled out.

The Bank plans to bolster its mobile banking app by revamping existing customer journeys to offer best-in-class and latest banking services. The mobile platform will also give option to consumers to pay insurance premium and invest in mutual funds. In addition, the Bank is looking at digitising customer interface at branch level through self-service kiosks thus enabling faster and straight-through processing for transactions.

**New ways of working:** The Bank is exploring "Work from Anywhere" for its employees in select roles. This will enable a better work-life balance and improve employee productivity. The Bank has already implemented hybrid working model on pilot basis and learnings from the pilot will be incorporated into the programme design.

A Bank-wide campaign called "Let's Simplify" was launched to crowd source ideas and close to 2,500 ideas were received and the most impactful ones are under consideration for implementation.

## Business Performance

The highlights of business performance of the Bank are as below:

## Operating Performance

The highlights of operating performance of the Bank are as below:

₹ crore

| Particulars | Year ended March 31, 2020 | Year ended March 31, 2021 |
|---|---|---|
| Interest Earned | 75,983.7 | 70,495.1 |
| Interest Expended | 48,532.4 | 4,1686.0 |
| **Net Interest Income (NII)** | 27,451.3 | 28,809.0 |
| **Other Income** | 10,317.3 | 12,364.4 |
| Trading Gains | 2,750.7 | 3,376.0 |
| Operating Income (NII + Other Income) | 37,768.6 | 41,173.5 |
| **Operating Expenses** | 18,872.4 | 20,543.7 |
| Employee Expenses | 9,564.7 | 11,445.5 |
| Other Operating Expenses | 9,307.7 | 9,098.1 |
| **Operating Profit** | 18,896.2 | 20,629.8 |
| **Provisions** | 20,698.3 | 15,073.8 |
| *of which* - Provisions for NPAs and Bad debts written off | 16,404.9 | 12,407.7 |
| Provision for Standard Advances | 3,085.5 | 2,158.0 |
| Provision for Depreciation on Investment | 986.7 | 309.9 |
| Other Provisions | 221.2 | 198.2 |
| **Profit Before Tax** | -1,802.1 | 5,556.0 |
| **Provision for Tax** | -2,348.3 | 4,727.0 |
| **Net Profit** | 546.2 | 829.0 |

| Key Performance Indicators | FY 2020 | FY 2021 |
|---|---|---|
| Cost of Deposits - Global (%) | 4.98 | 4.01 |
| Cost of Deposits - Domestic (%) | 5.39 | 4.44 |
| Cost of Deposits - International (%) | 2.03 | 0.95 |
| Yield on Advances – Global (%) | 7.99 | 6.98 |
| Yield on Advances (Domestic) (%) | 8.82 | 7.83 |
| Yield on Advances (International) (%) | 3.77 | 2.48 |
| Net Interest Margin – Global (%) | 2.73 | 2.71 |
| Net Interest Margin – Domestic (%) | 2.85 | 2.79 |
| Net Interest Margin – International (%) | 1.34 | 1.29 |
| Cost-Income Ratio (%) | 49.97 | 49.90 |
| Return on Average Assets (ROAA) (%) | 0.06 | 0.07 |
| Return on Equity (%) | 1.23 | 1.50 |

The interest income of the Bank contracted to ₹ 70,495 crore during FY 2021. Global yield on advances fell to 6.98% from 7.99% and yield on domestic advances decreased to 7.83% from 8.82%.

Total interest expenses also declined to ₹ 41,686 crore in FY 2021. The cost of deposits in domestic book fell to 4.44% and to 0.95% in the international book. Net Interest Income (NII) for the Bank increased to ₹ 28,809 crore during FY 2021. Global NIM remained stable at 2.71%.

Other income of the Bank increased to ₹ 12,364 crore on account of increase in treasury gains to ₹ 3,376 crore. Recovery from written-off accounts was higher at ₹ 2,985 crore.

Operating expenses increased to ₹ 20,544 crore in FY 2021 on account of employee expenses. Employee costs during the year was ₹ 11,446 crore whereas other operating expenses were ₹ 9,098 crore. Hence, operating profit of the Bank increased to ₹ 20,630 crore during FY 2021. Total provisions (other than tax) and contingencies decreased to ₹ 15,074 crore. The Bank posted a net profit of ₹ 829 crore in FY 2021.

During the year, the Bank exercised the option to transition to the lower tax rate regime i.e. 25.17% permitted under Section 115 BAA of the Income Tax Act, 1961 as introduced by the Taxation Law (Amendment) Act, 2019 as against existing tax rate of 34.95%. Accordingly, the Bank re-measured the Deferred Tax Asset and Liabilities at March 31, 2020. The impact of these changes is a one-time charge of ₹ 3,837 crore to Profit and Loss account made during the year.

## Resource Mobilisation

₹ crore

| Particulars | As on 31.03.2020 | As on 31.03.2021 |
|---|---|---|
| Deposits | 9,45,984.4 | 9,66,996.9 |
| *of which* - International Deposits | 1,37,278.9 | 1,08,583.8 |
| Domestic Deposits | 8,08,705.5 | 8,58,413.1 |
| of which- Current Account Deposits | 49,650.1 | 61,609.0 |
| Savings Bank Deposits | 2,66,301.3 | 3,06,418.5 |
| CASA Deposits | 3,15,951.4 | 3,68,027.6 |
| Domestic CASA to Domestic Deposits (%) | 39.07 | 42.87 |
| Advances | 6,90,120.7 | 7,06,300.5 |
| of which- Domestic Advances | 5,70,340.8 | 6,05,615.8 |
| International Advances | 1,19,780.0 | 1,00,684.7 |
| Total Assets | 11,57,915.5 | 11,55,364.8 |

Bank's domestic CASA deposits increased by 16.48% and rose to ₹ 3,68,028 crore as on March 31, 2021. Domestic CASA ratio of the Bank was at 42.87% as of March 31, 2021, an increase of 3.80% compared to March 31, 2020 level of 39.07%. Current deposits registered growth of 24.09% and reached ₹ 61,609 crore, while savings bank deposits crossed ₹ 3 lakh crore with an increase of 15.06%.

During the year, Bank opened 1.24 crore new CASA accounts. Within this, the thrust was for opening accounts in paperless mode using Tablets (TAB).

Bank also launched a tailor-made salary account product, Baroda Defence Salary Package for serving and retired defence forces personnel. This customised product offers in-built comprehensive personal accident insurance upto ₹ 50 lakh (on duty) and air accident insurance cover upto ₹ 1 crore. In addition, Bank successfully serviced more than 16,000 doorstep requests during the year under the PSB Alliance Doorstep Banking Service.

Under Baroda Government Employees' Salary Account Scheme, close to 30,000 salary accounts were opened and ₹ 397 crore was mobilised with an average balance of ₹ 1.41 lakh per account. The integration with Ministry of Corporate Affairs (MCA) portal for online current account opening of new companies incorporated through the platform brought in more than 7,000 current accounts of companies for the Bank with an average balance of ₹ 2.50 lakh.

The Bank introduced SB account linked insurance products in partnership with TATA AIG, Max Bupa and Star Health Insurance Company and opened 1.73 lakh insurance linked SB accounts during FY 2021. Bank successfully issued 2.55 lakh credit cards during FY 2021 compared to 2.47 lakh credit

cards during FY 2020. Bank initiated lead generation module for acquiring customers through digital and social media channels.

### Baroda Cash Management Services

The Bank's cash management business, Baroda DigiNext, provides a wide range of omni-channel digital solutions for customers for management of cash flows and liquidity. Baroda DigiNext Cash Management continued to rapidly expand its footprint acquiring a record 1,300+ new large corporate and government relationships in FY 2021. Over 3,500 large customers of the Bank utilised the cash management services for over 5 crore transactions during the year.

The Bank's cash management solutions provide valuable information on real-time basis of all receipts - electronic, cheques and cash deposits at all its branches. The solution is used in key Government initiatives like Pradhan Mantri Bhartiya Jan Aushadhi Pariyojana, digitisation of land records and Agricultural Produce Market Committee (APMC) collections. Bank of Baroda is amongst the only two major banks that are fully integrated with Integrated Financial Management and Human Resource Management System (IFHRMS) a key initiative for management of State Government treasury.

### Credit Expansion

Outstanding net credit of the Bank increased to ₹ 7,06,301 crore as on March 31, 2021 within which domestic advances were ₹ 6,05,616 crore. The increase in domestic advances was led by retail, MSME and agriculture sector. Organic retail loans increased to ₹ 1,20,256 crore led by auto and personal loans. With this, the ratio of retail loans to total domestic loans increased to 20.68% during the year. The international loan book stood at ₹ 1,00,685 crore as on March 31, 2021.

The Bank is focussed on adopting 'Digital First operating model' to deliver enhanced customer experience. Towards this objective, the Bank established a dedicated vertical known as 'Digital Lending Department' responsible for developing digital journey for Bank's lending products particularly in Retail and MSME segments. As part of roll-out, retail products such as personal loans, car loans and home loans are being digitised. The MSME loan renewal for loans upto ₹ 25 lakh was launched digitally. The Bank integrated Pradhan Mantri Street Vendor's Atmanirbhar Nidhi scheme (PM SVANidhi) portal for on-boarding the street vendors and providing them with Unified Payments Interface (UPI) Quick Response (QR) codes.

The total assets of the Bank increased to ₹ 11,55,365 crore as on March 31, 2021.

### Corporate Credit

Corporate credit in the Bank is serviced through 15 Corporate Financial Services (CFS) branches which manage about 73% of the total corporate credit portfolio of the Bank. The corporate credit portfolio of the Bank increased to ₹ 2,91,615 crore as on March 31, 2021.

With revamp in approach towards corporate credit delivery, the risk profile of the portfolio further improved during FY 2021 as observed in the rating distribution of domestic credit portfolio as below:

| Credit Rating Distribution* | As on 31.03.2020 | As on 31.03.2021 |
|---|---|---|
| A and above | 62% | 63% |
| BBB | 13% | 11% |
| Below BBB | 13% | 9% |
| Unrated | 11% | 16% |

*External rating distribution of advances above ₹ 5 crore.

Total portfolio comprising of A and above in FY 2021 was 63% as against 62% in the previous year.

To provide relief to the borrowers impacted by COVID-19, Bank introduced Liberalised Working Capital Assessment and extended support to borrowers with fund-based balance of ₹ 4,931 crore. The Bank also launched Baroda COVID Emergency Credit Line (BCECL) under which overall ₹ 2,417 crore was sanctioned and ₹ 1,398 crore was disbursed as of March 31, 2021. Under the Government's Guaranteed Emergency Credit Line, Bank sanctioned ₹ 849 crore and disbursed ₹ 382 crore during FY 2021. Bank offered funds to corporates and NBFCs under the TLTRO scheme introduced by RBI. Funds worth ₹ 6,519 crore were sanctioned and the entire amount was deployed as on March 31, 2021. Under the Partial Credit Guarantee Scheme, ₹ 3,078 crore was lent to NBFCs.

### MSME Credit

The MSME portfolio as on March 31, 2021 stood at ₹ 96,200 crore. The Bank added 2.72 lakh new MSME customers in FY 2021. The Bank increased the network of dedicated SME processing centres from 27 to 71 SME Loan Factories (SMELF). In addition, 15 new SME branches were opened to cater to customers as one-stop solution for all financial needs which include personal loans, deposits, forex related services and financial solutions to promoters. For the geographical areas not covered by these loan factories and SME branches, the Bank established specialised 49 SME cells to process loan proposals under COVID relief package with focussed approach along with monitoring of SME accounts.

Bank implemented various schemes to provide liquidity support to MSMEs affected by COVID-19 pandemic:

- Under Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS), Bank sanctioned ₹ 8,725 crore and disbursed ₹ 7,765 crore, as on March 31, 2021. In addition, Bank provided temporary credit lines to MSME customers to meet any liquidity mismatch. Under this scheme, Bank sanctioned ₹ 3,013 crore and disbursed ₹ 983 crore.
- Additionally, Bank sanctioned loans to 799 MSME borrowers under Credit Guarantee Scheme for subordinate debt. Bank also offered pre-approved loan for current account holders based on underlying cash flows to meet any liquidity requirement due to COVID -19.
- Bank also revived working capital requirement of MSME borrowers based upon need because of pandemic. Bank also provided interest subvention for 1,05,793 Shishu customers under Micro Units Development and Refinance Agency (MUDRA).
- Bank was the first to launch PM SVANidhi with end-to-end digital solution.

To support MSME enterprises with an online facility for submitting restructuring proposal, Bank entered into Memorandum of Understanding (MoU) arrangement with SIDBI for a web-based platform named 'Asset Restructuring Module for MSMEs (ARM-MSME)'. A MoU arrangement with Andhra Pradesh State Civil Supplies Corporation Ltd was also entered into to provide MUDRA loans to unemployed youth for purchasing commercial vehicles to be used in public delivery system. Under this MoU, Bank disbursed ₹ 476 crore to 9,100 beneficiaries.

Bank has a dedicated cell for Commercial Vehicle and Construction Equipment Finance with portfolio of ₹ 915 crore as on March 31, 2021. Bank tied up with major Original Equipment Manufacturers (OEM) to enhance the business in this segment. During the year, Bank entered into MoU arrangement with Daimler India Commercial Vehicles Pvt. Ltd. (Bharat Benz).

Bank has a specialised vertical for supply chain business for providing liquidity support to MSMEs. Bank's supply chain business is a digitised supply chain solution, providing real time alerts, reports and end-to-end automated reconciliation. The supply chain finance portfolio stood at ₹ 1,430 crore as on March 31, 2021.

## Retail Credit

The retail assets of the Bank increased to ₹ 1,32,565 crore as on March 31, 2021 from ₹ 1,20,822 crore as on March 31, 2020 thereby posting an overall growth of 9.72%. Organic retail loans (excluding portfolio purchase) increased to ₹ 1,20,256 crore, an increase of 14.35% over the previous year. Retail assets formed 20.68% of domestic advances as of March 31, 2021.

The key highlights of retail business in FY 2021 include:

- Bank's mortgage-based loan book (home, mortgage and rent receivables) stood at ₹ 99,630 crore as on March 31, 2021.
- Within retail segment, personal, home and education loans posted an increase of 27.21%, 11.10% and 9.06%, respectively.
- Auto loans for the Bank increased at 27.79% against industry growth of 9.50%.
- Bank opened 27 new Specialised Mortgage Stores (SMS) with a total of 126 SMSs as on March 31, 2021. These stores are located all across the country to deliver specialised and faster mortgage-based retail credit delivery.
- Under the Digital Lending platform, in-principle approval for retail loan products such as home loan, personal loan and auto loan is now being done online. Bank is offering end-to-end online micro personal loans upto ₹ 50,000 to its liabililty customers.

New retail asset products such as Personal Loan under COVID-19 Scheme for individual existing borrowers, Baroda Personal Loan to Government Employees Salary Account customers and pre-approved loan for liability customers were launched during the year.

## Rural and Agricultural Lending

Bank has a network of 2,852 branches in rural and 2,090 branches in semi urban areas which are leveraged for priority sector and agriculture lending. The Bank's agriculture advances increased to ₹ 99,543 crore as on March 31, 2021.

Bank is the convener of State Level Bankers' Committee (SLBC) in 3 states i.e. Uttar Pradesh, Gujarat and Rajasthan and Union Territory Level Bankers' Committee (UTLBC) in 1 Union Territory i.e. New Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. Bank also shoulders the Lead Bank responsibility in 67 districts across the country.

Bank continues to be the leader in lending to agriculture sector which received an impetus with the Government's vision of doubling farmers' income by 2022. The Bank has moved beyond granting simple farm credit to a more diversified rural lending strategy by focusing on new products like farm mechanisation (tractor loans), horticulture loans, warehouse receipt financing, financing to Self Help Groups (SHGs), food and agro-processing, gold loans and flagship product Kisan Credit Card (KCC). Bank entered into MoU with tractor manufacturers such as Gromax Agri Equipment Limited, Eicher Motors, Tractors and Farm Equipment Limited (TAFE) and Mahindra and Mahindra Tractors Ltd. for increasing the tractor loan portfolio.

During the year, the Bank issued 3.91 lakh new KCC and devised new scheme for bringing farmers engaged in animal husbandry and fisheries activities under the ambit of KCC mechanism. As a part of its microfinance initiatives, Bank has credit linked 77,722 SHGs by granting loans amounting to ₹ 1,671 crore during FY 2021.

The Bank's unique annual farmer outreach programme "Baroda Kisan Pakhwada" was organised across the country from October 1, 2020 to October 15, 2020. The focus was to reach out to maximum farmers virtually through digital platform in view of the COVID scenario. A total of 13,811 activities/ events were organised during the "Baroda Kisan Pakhwada" and 3.57 lakh farmers participated.

The Bank also introduced Infrastructure Development Schemes such as Agriculture Infrastructure Fund (AIF), Animal Husbandry Infrastructure Development Fund Scheme (AHIDF), PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME), Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evem Utthan Mahabhiyan Scheme (PM Kusum), Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana Scheme (PMMSY) and compressed biogas to encourage growth of agriculture infrastructure projects.

The vertical rolled out a number of initiatives to offer credit support to SHGs, Farmer Producer Organisations (FPO), Baroda Kisan Credit Card (BKCC) and investment credit borrowers. Overall, amount sanctioned under different schemes were ₹ 2,378 crore under various COVID-19 schemes in FY 2021.

**Priority Sector Lending**

Priority sector advances of the Bank grew at 10.14% during FY 2021, from ₹ 2,26,336 crore as on March 31, 2020 to ₹ 2,49,285 crore as of March 31, 2021. Bank achieved the mandatory targets under all the categories of Priority Sector Lending segments as on March 31, 2021.

**Advances to SC/ST Communities**

The outstanding advances to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe (SC/ST) communities went up to ₹ 12,633 crore as of March 31, 2021. The SC/ST communities accounted for 18.68% share in total advances granted to weaker sections by the Bank.

Furthermore, special thrust is laid by the Bank in financing SC/ST communities under various Government sponsored schemes such as National Rural Livelihood Mission (NRLM), MUDRA Loan, Startup India and Stand-Up India. Bank is exploring possibilities of entering into tie-ups with various State Rural Livelihood Missions (SRLMs) for providing finance to women SHGs to further the mission of women empowerment.

## Gold Loans

Bank's gold loan portfolio increased to ₹ 23,593 crore as on March 31, 2021 from ₹ 17,393 crore in the previous year, an increase of 35.64%. Within gold loans, agriculture gold loans grew at 32.64% in FY 2021 to ₹ 22,492 crore. Retail gold loans more than doubled from ₹ 436 crore as on March 31, 2020 to ₹ 1,101 crore as on March 31, 2021. The increase is led by Gold Loan Shoppes which increased from 185 to 984 during the same period.

Share of gold loans in agriculture loans increased from 19.13% in FY 2020 to 22.30% in FY 2021. Average gold loan ticket size increased from ₹ 1.05 lakh to ₹ 1.36 lakh. The increase was spread across the country with share of geographies other than South India now at 22.65% in FY 2021 compared with 18.96 % in the previous year. Credit quality of the portfolio remains healthy with GNPA ratio of only 0.19% as of March 31, 2021.

## Financial Inclusion (FI)

In order to provide universal banking services to all sections of the society especially to rural, semi urban and urban poor at an affordable cost, Bank has taken financial inclusion as a social commitment and also an opportunity to tap business through BC model. The Bank has been actively working towards ensuring financial inclusion in the country through its branch and BC network. With advent of technology, innovative steps are being taken for serving in unbanked areas. Bank expanded its BC network by additional 5,200 BCs to 23,320 BCs as on March 31, 2021 to cater to rural, semi urban and urban areas across the country.

The Bank took the following initiatives towards promoting financial inclusion:

- Micro insurance enrolment through various channels such as missed call / net banking / mobile banking/ SMS/ BC / branch.
- Availability of services such as initiation of request for SMS subscription, initiation of email statement and debit card hot-listing at BC point. Aadhaar look-up facility and Aadhaar OTP based authentication of BC agent during transactions. Bilingual consent for Aadhaar seeding and instant pop-up for micro insurance for enrolment at BC point.

**Performance highlights under financial inclusion during FY 2021**

- Basic Saving Bank Deposit (BSBD) accounts increased by 78.13 lakh (15.26%) and deposits increased by ₹ 4,791 crore (25.58%).
- Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) accounts increased by 83.34 lakh (20.30%) and PMJDY deposits increased by ₹ 4,340 crore (30.36%).

- The Bank's share in comparison with PSBs stood at 14.79% for PMJDY accounts and 16.47% for deposits under PMJDY accounts.
- The share of zero balance PMJDY accounts of the Bank reduced to 5.30% as on March 31, 2021 from 7.88% as on March 31, 2020
- Enrolment in micro insurance during the year increased by 48 lakh and was 2.60 crore as on March 31, 2021.

**Performance of RRBs sponsored by Bank of Baroda**

The Bank sponsored three Regional Rural Banks (RRBs) namely Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank, Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank and Baroda Gujarat Gramin Bank. The aggregate business of these three RRBs rose to ₹ 1,23,579 crore as on March 31, 2021 from ₹ 76,278 crore as of March 31, 2020. The three RRBs together posted a net profit of ₹ 322 crore during FY 2021. The net worth of these RRBs put together improved to ₹ 4,289 crore as of March 31, 2021.

In terms of Government of India notification no. F. No. 07/08/2017-RRB (Uttar Pradesh III) dated November 26, 2019, amalgamation of Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank (BUPGB), Kashi Gomti Samyut Gramin Bank (KGSGB) and Purvanchal Bank (PB) sponsored by Bank of Baroda, Union Bank of India and State Bank of India respectively was made effective on April 1, 2020 and new entity namely Baroda U. P. Bank as transferee bank started functioning from the same date with its head office at Gorakhpur. The Bank has 1,983 branches across the state.

## International Operations

The Bank has 96 overseas branches/offices across 19 countries. Out of this, 44 overseas branches/offices (including 9 EBSUs in UAE, 1 Mobile Banking Unit in Mauritius and 1 International Banking Unit in GIFT City, Gandhinagar, Gujarat, India) belong to the Bank and 52 branches are part of the Bank's 7 overseas subsidiaries. In addition, the Bank has one Joint Venture viz. India International Bank (Malaysia) Bhd. in Malaysia and one associate bank viz. Indo Zambia Bank Ltd. in Zambia with 30 branches.

The Bank has presence in the world's major financial centres of New York, London, Singapore and Dubai. In the international arena, Bank pursues a strategy of driving growth and value by meeting the international banking requirements of Indian corporates; catering to India linked cross-border trade flows for Indian and locally incorporated companies or firms and being the preferred Bank for Non-Resident Indian (NRI)/ Persons of Indian Origin (PIO).

In overseas centres, substantial progress was made in IT upgradation for end-to-end business solution, with a focus on digitisation and centralisation, to improve productivity and customer experience.

The Bank has strategically undertaken rationalisation of its overseas presence based on a comprehensive evaluation framework. As part of this exercise, during the year, wholesale branch in China was closed, Sohar branch was merged with Greater Muttrah branch in Oman and the entire stake in wholly owned overseas subsidiary at Trinidad and Tobago viz. Bank of Baroda (Trinidad and Tobago) Ltd was divested by the way of sale to Ansa Merchant Bank Limited.

The Bank is continuously consolidating and re-organising its international operations in-line with the new global environment and focussed on rebalancing the portfolio with a view to manage risks, shed low-yield assets and increase profitability.

As of March 31, 2021, the Bank's total business from international branches was ₹ 2,09,269 crore and constituted 12.51% of the global business. Total deposits were at ₹ 1,08,584 crore while net advances were ₹ 1,00,685 crore.

## Treasury Operations

The Bank operates its treasury operations from a state-of-the-art dealing room at its Corporate Office in Mumbai. The treasury is a prominent player in various markets such as foreign exchange, interest rates, fixed income, money market, derivatives, equity, currency and interest rate futures and other alternate asset classes. The Bank offers various services like interest rate swaps, currency swaps, currency options and forward contracts through authorised branches dealing in foreign exchange across India.

Treasury maintains the regulatory requirements of CRR and Statutory Liquidity Ratio (SLR) and manages the surplus/ deficit funds. Treasury borrows/invests in money market and capital market instruments as part of fund management operations.

The total size of the Bank's domestic investment book as of March 31, 2021 stood at ₹ 2,51,708 crore. The share of SLR securities in total investments was 81.10%. The percentage of SLR securities (unencumbered) to Net Demand and Time Liabilities (NDTL) as of March 31, 2021 was at 20.77%. The Bank capitalised on the opportunities offered by yield movements. The Bank managed its portfolio efficiently and maintained average yields on investment for FY 2021 at 7.69% (including profit on sale). During FY 2021, the profit on sale of investment and foreign exchange earnings were ₹ 3,326 crore and ₹ 658 crore respectively.

Various contingency measures were undertaken to ensure uninterrupted business operations during the lockdown period caused by the pandemic. In addition to a Business Continuity Plan (BCP) setup of an alternate site in Mumbai, remote access was enabled for staff, thus covering all functions of front and back office of treasury. Hence, the entire treasury operations were run successfully and efficiently with these setups.

### Government Business

Government Business forms an important part of the business strategy of the Bank. It contributes significantly to low cost deposits and fee based income. It caters to the banking requirements of Central/State Government and PSUs across India.

The Bank is authorised to collect direct taxes through its designated branches and is an accredited banker to the Ministry of Health and Family Welfare and Ministry of Legal Affairs. The Bank ensures implementation/promotion of various small savings schemes and social security schemes launched by various departments of Ministry of Finance, Government of India. The Bank partners with various departments at Central and State levels in developing e-solutions in line with the digital initiatives of the Government of India.

During the year, the Bank signed MoU for defence salary package with the Indian Navy and the Indian Coast Guard. The MoU with Indian Army was renewed with added features in Baroda Defence Salary Package. The Bank also canvassed the prestigious account of Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra.

During FY 2021, the commendable performance of the Bank in implementation of the Public Financial Management System (PFMS) scheme was appreciated by the Ministry of Finance. Further the Bank also qualified in various campaigns launched by Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) for canvassing Atal Pension Yojana.

### Wealth Management

With the seamless integration of erstwhile Dena and Vijaya Bank branches, Bank's customer base for distribution of wealth products has seen a large increase. The wealth management distribution platform is segregated into retail distribution (cross-sell) and Radiance channel (a niche segment for High Net Worth Individuals) with the objective of developing a comprehensive distribution network across the branches catering to more than 14 crore customers. The underlying tenet of revamping this business model is to be 'future ready' to leverage growth opportunities and ride on digital transformations and scale up fee income. This business model envisages delivering investment and insurance products through various touch points like branches, mobile and net banking to reach out to last-mile customer across geographies.

Further, relationship manager-based business model, Radiance was revamped by making this product offering more competitive as per industry benchmark and some of the developments are:

- Wealth professionals have been on-boarded with requisite skill set to offer bouquet of investment and insurance products to the customers.
- Digital back-end processes have been strengthened by integrating wealth business platform with Registrar and Transfer Agents (RTAs) and availability of current value of mutual fund investments on mobile and net banking.
- The Bank offered various health insurance products including COVID-19 policies to provide basic health cover to the customers at the bottom of the pyramid at competitive pricing through insurance partners.
- Investment and insurance products were made available to the defence personnel as one of product offerings under salary accounts.
- Customer Relationship Management (CRM) tool is used effectively to attend to all customer complaints on priority and capture the business opportunities.

### Stressed Asset Management

The Bank believes that continuous day-to-day monitoring is the first step towards reduction in non-performing loans and in ensuring good recovery. For this, the Bank undertook various steps and formulated strategies to augment recoveries and reduce slippages.

The Bank has a 'Stressed Assets Management Vertical', to monitor all NPA accounts. For improved monitoring and recovery of NPA accounts, five Stressed Assets Branches (SAM) were set up and all accounts under National Company Law Tribunal (NCLT) were transferred to these specialised branches. Further, 16 Stressed Assets Recovery Branches (SARB Branch) at zonal level were established to handle NPA accounts other than NCLT with outstanding balance above ₹ 5 crore.

The movement of NPAs during the last two years is as under:

**₹ crore**

| Particulars | FY 2020 | FY 2021 |
|---|---|---|
| Gross NPA | 69,381 | 66,671 |
| Gross NPA (%) | 9.40 | 8.87 |
| Net NPA | 21,577 | 21,800 |
| Net NPA (%) | 3.13 | 3.09 |
| Additions to NPAs | 23,315 | 20,005 |
| Recovery/ Upgradations | 7,942 | 7290 |
| Write offs including TWOs | 15,806 | 14,878 |
| Recoveries in write off accounts | 1,532 | 2,985 |
| Provisional Coverage Ratio (including TWO) (%) | 81.33 | 81.80 |
| Provisional Coverage Ratio (excluding TWO) (%) | 68.90 | 67.30 |

As per asset classification, the bifurcation of loan book is as given below:

**₹ crore**

| Asset Category | FY 2020 | FY 2021 |
|---|---|---|
| Standard Advances | 6,68,715 | 6,84,919 |
| Gross NPA | 69,381 | 66,671 |
| Total Gross Advances | 7,38,096 | 7,51,590 |
| Gross NPAs comprising | | |
| Sub-standard | 14,311 | 15,056 |
| Doubtful | 37,005 | 35,527 |
| Loss | 18,065 | 16,088 |
| Total Gross NPA | 69,381 | 66,671 |

In order to address the large number of small NPA accounts, Bank continued with its existing special One-Time Settlement (OTS) scheme "Lakshya-II - MSME, Retail and Agriculture" for settlement of NPAs in these segments. The Bank recovered and upgraded NPA accounts amounting to ₹ 694 crore under these schemes.

A new e-auction platform, eBkray was used for sale of properties under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act (SARFAESI).

RBI announced measures under Regulatory Package for COVID-19 vide its circular dated March 27, 2020, April 17, 2020 and May 23, 2020. Under these guidelines, moratorium was offered to existing borrowers. In accordance with RBI Guidelines dated April 17, 2020, the Bank was required to make provision not less than 10% of the outstanding advances in respect of borrower accounts where asset classification benefit was granted. The Bank recognised adequate provision for COVID-19 amounting to ₹ 811 crore during the quarter ended March 31, 2020 and further provision of ₹ 1,065 crore during the quarter ended June 30, 2020 and the amount of residual provision of ₹ 1,309 crore is written back/ adjusted as on March 31, 2021 in line with RBI guidelines.

In respect of working capital facilities under the above moratorium period, Bank had converted the accumulated interest for this moratorium period up to August 31, 2020 into a funded interest term loan, which was repayable by March 2021, as per RBI guidelines.

The Bank implemented restructuring under Resolution framework 1.0 - Resolution of COVID-19 related stress in 7,861 accounts with aggregate exposure of ₹ 3,774 crore as per RBI circular dated August 6, 2020. The Bank extended RBI's One-Time Restructuring facility to MSMEs under which 1,25,906 borrowers were supported with MSME Asset Restructuring facility with overall amount of ₹ 9,039 crore.

Bank has an automated early warning system to identify the stress at the earlier stage so as to take timely remedial measures to address the stress and has a robust collection mechanism.

### Digital Banking products

The Bank is committed to digitisation and continuously strives to migrate transactions to digital channels which leads to better customer experience. The major focus of digital banking is to make Bank's products available to customers through digital and alternate delivery channels. The key instruments in digital banking are Mobile banking, BHIM Baroda Pay, Baroda M-connect Plus, Baroda Connect, Debit Cards, Prepaid Cards, BHIM Aadhaar, ATM and Cash Recycler machines, Self Service Passbook Printers(SSPBP), TAB Banking, Internet Payment Gateway (IPG), Bharat Bill Payment Services (BBPS), Baroda FASTag, Bharat QR, Point of Sale (POS), etc.

- **Mobile Banking:** The Bank added 40 new features and services during the year to its mobile banking application such as pre-approved Micro Personal Loan, UPI facility, passbook, debit card management, opening of Public Provident Fund (PPF) account, positive pay confirmation for inward cheques, spend analyser, mini-statement without login, enabling/disabling contactless payment mode, interactive customer feedback, Real Time Gross Settlement (RTGS) payment mode for other bank transfers, loan against deposits, deposit calculator, applications for MUDRA and MSME loans etc.

  In addition to the above, daily active users increased 2.84 times, from 11 lakh in April 2020 to 31 lakh in March 2021. In addition, financial transactions recorded an increase of 44%, while non-financial transactions registered an increase of 96%.

- **ATM:** User-friendly graphic screens and easy to follow instructions in a language of customer's choice makes using the Bank's ATMs a smooth experience. ATMs are enriched with features such as green pin generation, National Electronic Fund Transfer (NEFT), bill payment etc. The Bank successfully completed ATM GL wise project for 9,578 ATMs. Bank has 11,633 ATMs, including cash recyclers as on March 31, 2021.

- **Debit cards:** The Bank has an active card base of 6.54 crore as on March 31, 2021, an increase of 21%. To increase e-commerce / POS transactions and to make

Bank's debit card as the preferred card of choice for the customer, the Bank tied up with various merchants for providing lucrative offers to debit card customers. Within a duration of five months (from November 2020 to March 2021), a total of 31 campaigns were launched with various popular merchants such as Jio Mart, Ixigo, Myntra, Swiggy, EaseMyTrip, Yatra, Zomato, Uber, Grofers, Goibibo, Flipkart, Seniority etc.

- **Internet Payment Gateway (IPG):** The Bank's IPG infrastructure was set up to provide an electronic payment platform, Baroda e-Gateway for its customers to enable them to collect payments through their own website / e-commerce business by enabling payment collection using credit card/ debit card and net banking. To provide a seamless and customisable service, Bank tied up with 18 aggregators/master merchants and on-boarded around 1,500 merchants. Bank achieved a growth of 57% in IPG merchant on-boarding in FY 2021.
- **Baroda FASTag (National Electronic Toll Collection - NETC):** Bank issued 2.68 lakh FASTag. The Bank's FASTag is now available of FASTag to other banks' customers through online mode and TAB banking.
- **BHIM Baroda Pay:** UPI is a system that powers multiple bank accounts into a single mobile application (of any participating bank), merging several banking features, seamless fund routing and merchant payments into one hood. It also caters to the "Peer to Peer" collect requests which can be scheduled and paid as per requirement and convenience. During FY 2021, financial transactions (outward) under UPI rose to ₹ 110 crore, an increase of 100%.
  - **UPI Autopay:** With this new facility introduced under UPI 2.0, customers can now enable recurring e-mandate using any UPI application for recurring payments such as mobile bills, electricity bills, EMI payments, entertainment/ over the top (OTT) subscriptions, mutual funds etc. Presently Bank is live in UPI Autopay as an issuer.
  - **UPI International:** UPI International is jointly developed by National Payments Corporation of India (NPCI) and NETS (Network for Electronic Transfers) of Singapore for promoting QR based payment through UPI application in Singapore Dollar (SGD). The account shall be debited in INR but the amount paid to the merchant will be in SGD. Presently, Bank is live as an issuer.
  - **GST payments through UPI:** In a momentous decision to promote digital payments in Business to Customer (B2C) transactions through Dynamic QR Code, Government of India laid down guidelines for Goods and Services Tax (GST) enablement in UPI. It was mandated that corporate merchants with annual turnover of ₹ 500 crore and above, have to follow QR code provisions for Dynamic QR Code invoicing solution with GST components to customers.

    Acquired merchants of the Bank can avail the facility of Dynamic QR Code with GST components. BHIM Baroda Pay application is compliant with the GST related changes and can scan the GST enabled QR Code, decode and provide the requisite information required by NPCI in request message.
- **WhatsApp Banking :** Bank launched WhatsApp Banking as a new age delivery channel that uses social media platform, i.e. WhatsApp Messenger application, for providing banking services to Bank's customers and non-customers. Within three months of its launch, more than 6.25 lakh users have been on-boarded on WhatsApp Banking. During the year, Bank provided 13 services to its customers and 5 services to non-customers. In the next phase, 11 additional services are proposed to be incorporated into this platform which would further enhance customer convenience and improve their banking experience.
- **Baroda Connect :** During the year, a new version of Internet Banking (FEBA) was implemented with additional features, capabilities and customer friendly interface. During the year, the Bank on-boarded 11.65 lakh users on the internet banking platform.
- **Baroda TabIT:** The Bank embarked upon digitising its customer on boarding process through tablet for instant CASA opening along with host of services (Personalised Cheque Book, Personalised Debit Card, Mobile Banking with MPIN, UPI etc.) through its TAB banking platform - Baroda TabIT. Bank opened around 27 lakh savings account through this platform during the year. Current accounts of individuals, proprietorship and partnership firms are now being opened through TAB Banking. The TAB on-boarding platform is now extended for FASTag issuances and on-boarding of merchants for availing UPI services.

## Analytics Centre of Excellence (ACoE)

ACoE set up the Peta Bytes of Big Data Lake (BDL) platform which was further expanded in January 2020. The Big Data Lake platform is currently ingesting data from multiple source systems which include key internal sources such as domestic and international core banking, treasury management systems, LLPS, mobile banking, internet banking etc. and

external sources such as Credit Information Bureau (India) Limited (CIBIL), CRIF High Mark Credit Information Services Pvt. Ltd (CRIF), Corpository, Capital Line etc.

Multiple dashboards were developed to provide actionable insights to various verticals through rich visualisations, exhaustive Key Performance Indicators (KPI) and dimensions. These dashboards cater to both business and regulatory/ compliance needs up to branch level.

One of the key focus areas of the ACoE programme has been the development of predictive and descriptive analytics use-cases to help the Bank across revenue, cost and risk initiatives with multiple predictive models across retail/ MSME/ wealth cross-sell, collection management, ATM forecasting, treasury asset and liability management (ALM) and Indian Accounting Standard (Ind AS) 109 pertaining to financial instruments. ACOE developed models to cross-sell asset (home loans, personal loans, car loans) and liability products (saving bank accounts, fixed deposits) to customers.

### Information Technology (IT)

The Bank continuously improves its products, systems and structure to meet the growing aspirations of the customers. Digitisation requires constant evolution and upgradation of IT infrastructure. Some of the major initiatives undertaken during the year are:

- Bank successfully completed the technology integration of erstwhile Dena Bank and Vijaya Bank well ahead of the set timeline of March 2021, in spite of the challenges due to COVID-19.
- Bank successfully completed the CBS application upgrade of Finacle 10 for all 17 international territories of the Bank.
- Bank introduced Centralised Positive Pay System (CPPS) for Cheque Truncation System (CTS) clearing. Customers can reconfirm the key details of issued cheques through various alternate delivery channels and through branches.
- There is consistent reduction in overall technical declines across all channels to 0.42% in FY 2021 from 0.67% in FY 2020 in spite of considerable growth in transactions across all channels, particularly through Mobile Banking and UPI.
- Significant improvement in performance under UPI on many technology related parameters, which reflected in Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) scorecard of the Bank.

### Cyber Security

In today's world, new risks emerge every hour of the day. Increased risk of cybercrime has led to a focussed approach to mitigate the emerging cyber risk. Monetary and reputational risks are high and have been mitigated with appropriate Cyber Security Policy and Cyber Security Crises Plan. The Bank has a well-defined Cyber Security Governance framework in place that is operated through a combination of management structure, policy framework and operational controls. The Bank follows both NIST (National Institute of Science and Technology, USA) Cyber Security Framework and RBI Cyber Security Framework.

In addition to the existing checks and controls, Bank undertook the following measures to enhance cyber security:

- Deception Technology, which aims at preventing cybercriminals who have managed to infiltrate network from doing any damage to the Bank.
- Regular Random Early Detection (RED) team exercise carried out to provide valuable and objective insights about vulnerabilities and the efficacy of defenses and mitigating controls already in place.
- Cyber Insurance Policy from a reputed insurance provider to protect business and individuals from Internet-based risks and frauds.

### FinTech

The Bank has been instrumental in developing fintech partnerships, launching new products and reinventing business processes.

Major achievements and initiatives during the year:

- The Bank has a market share of 11% on the online bill discounting TReDS platforms. The Bank served the credit needs of over 3,000 MSMEs through this platform.
- As a step aimed at strengthening the loan processing, Bank integrated the online PSB59 loan portal with its internal Loan processing system i.e. LLPS for retail, MUDRA and MSME products. This enabled seamless flow of all information, thus improving the TAT.
- The Baroda StartUp programme launched in February 2020 has been gaining momentum. The Bank on-boarded about 1,500 startups by March 2021 through its unique bouquet of services with a market share of 4% in Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) registered startups. The Bank is also working on a specific credit product designed to meet the financial needs of the startups.
- The BOB Innovation Centre (BOBIC) set up in collaboration with IIT, Mumbai at its Powai campus continues to show satisfactory progress. This is the first of its kind partnership between a PSB and technology institute in the Banking, Financial Services and

Insurance (BFSI) space. Five major projects in the field of banking technology have been identified for research and development by IIT professors. During the year, the Bank also instituted a Chair Professorship on "Digital Entrepreneurship" in IIT, Mumbai.

### Marketing

The Bank has ensured impactful presence in electronic media through regular TV and radio campaigns. The Bank increased its focus on signature events such as Udayswar – Prithvi Concert, "Facebook Live musical events" of Srajan – the spark, Jashn-e-Rekhta Season 1 and India v/s England cricket series which consisted of 4 Test matches, 5 Twenty20s and 3 One Day Internationals among others.

Advertorials were released on benefits of Bank's popular products such as car loans, home loans, savings accounts, NRI accounts, gold loans and digital lending schemes during campaign periods and festival season. Bank conducted major campaign "Hum Kare Mumkin" promoted by the Bank's Brand endorser P.V Sindhu. The campaign was designed to build positivity during festival season.

With COVID-19 pandemic impact and increased consumption of digital marketing channels, Bank strengthened its transformation journey from physical to digital marketing with the Bank's social media channels and website as the convergence point for all the data and customer engagement.

Special digital campaign 'Ek Forever Rishta' was launched for car loan, home loan, education loan and other digital products. Also special lead generation digital campaigns were launched for car loan and home loan lead generation. The leads are collected using the Digital Lending Platform of the Bank. The campaign uses various digital platforms like Facebook, Instagram, Google Search and Display, Hotstar, Inshorts, Times, Hindustan Times and other news websites, website aggregators, native and affiliate channels.

The details of Bank's social media presence are as below:

| Social Media Channels | Statistics (No of likes / Followers) as on March 31, 2021 |
|---|---|
| Facebook Likes | 16,80,000+ |
| Twitter Followers | 1,37,000+ |
| YouTube Subscribers | 69,000+ |
| LinkedIn Followers | 1,23,000+ |
| Instagram Followers | 1,65,000+ |

The Bank released a number of awareness messages for the public during COVID-19 pandemic.

### Customer Service

The Bank constantly endeavours to set industry benchmarks and pioneer innovations across products, processes and service delivery that are imperative to providing seamless experiences to its customers. Customer interactions are continuously monitored across channels and channel capabilities (functionalities and the user experience) were enhanced to ensure ease of banking from home which has become the need of the hour due to the pandemic. The Bank ensured that frequently used functionalities by customers were made available through digital channels and contact centre.

The 24*7 contact centre has the capability to connect with customers in their preferred language. Apart from Hindi and English, the language capability was increased to nine regional languages. The contact centre handled 3.95 crore customer calls during the year. To assess customer satisfaction levels across segments various surveys are conducted by the contact centre.

Customer Grievance Redressal System (a module of the CRM package) with time bound auto escalation, options to attach documents, provide feedback on resolution quality and reopen complaints is now widely used by customers. During FY 2021, the Bank saw significant improvement in the usage of remote channels for managing grievances. Approximately 80% of the grievances were resolved within the pre-defined turnaround time. The Bank not only focussed on improving the quantitative performance indicators of grievance redressal but also on improving the quality of resolution to improve customer satisfaction.

Service levels across the network of branches are monitored through mystery shopping/service audits and workshops, these audits were conducted through video conferencing due to the pandemic. The General Manager, Operations and Services, is designated as Principal Nodal Officer for customer complaints in the Bank. Moreover, all zonal heads and regional heads are designated as nodal officers for their respective zones and regions. Further, the names of respective nodal officers along with their contact numbers are displayed in all the branches of the Bank.

The Bank has appointed an Internal Ombudsman which is a forum made available to customers for grievance redressal prior to approaching the Banking Ombudsman. All complaints, which are rejected or partially accepted by the Bank, are systematically escalated to the Internal Ombudsman for review. This enhances the customer confidence in the Bank's systems and expedites the process of grievance redressal, thus making it more transparent.

The Bank's code of commitment to customers and MSME's, citizen charter, grievance redressal policy, and banking

ombudsman scheme are available on the Bank's website to promote fair banking practices by maintaining transparency in various products, services and policies.

At the Board level, the subcommittee of Board for Customer addresses the issues relating to the formulation of policies and assessment of compliance with same with the aim of consistent improvement in the quality of customer service. The subcommittee also analyses the feedback received from customers through Voice of Customers and compares the Bank with its peers on various parameters to enhance the customer experience.

During FY 2021, the Bank ensured that ramp facility, comprehensive notice boards (displaying relevant and updated information), special queue for senior citizens were available in all the branches, ATMs and e-lobbies. Branches also underwent a facelift and were designed to enhance customer experience through better ambience, increased seating area with special focus for senior citizens and the differently abled customers.

## Branch Network

As of March 31, 2021, the branch network of the Bank is as under:

| | March 31, 2020 | | March 31, 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| **Domestic Branches** | **Number of Branches** | **% Share in Total** | **Number of Branches** | **% Share in Total** |
| Metro | 2,163 | 22.81 | 1,794 | 21.84 |
| Urban | 1,860 | 19.62 | 1,478 | 17.99 |
| Semi urban | 2,525 | 26.63 | 2,090 | 25.44 |
| Rural | 2,934 | 30.94 | 2,852 | 34.72 |
| Total | 9,482 | 100.00 | 8,214 | 100.00 |
| Overseas Branches/ Offices (including branches of overseas subsidiaries) | 101 | | 96 | |

The Bank opened 13 new domestic branches and merged 1,281 branches with existing branches during FY 2021.

## Currency Chests

The number of currency chests stood at 145 as on March 31, 2021. These chests support effective cash management in the Bank as well as vaulting cash on behalf of RBI. All the currency chests as well as branches are provided with Note Sorting Machine (NSMs) as per RBI guidelines.

## Risk Governance and Internal Controls

The increased focus on risk and the supporting governance framework includes identifying the responsibilities of different parts of the Bank for addressing and managing risk. Often referred to as the "three lines of defence", each of the three lines has an important role to play. These are:

i. First line of defence – This comprises of all the Bank's employees as they are required to own and ensure the effective management of risk and compliance with regulations, Bank's policies and guidelines.

ii. Second line of defence – This comprises of the risk control owners, the risk management function and compliance function. It is responsible for identifying, measuring, monitoring and reporting risk on an enterprise-wide basis independently from the first line of defence.

iii. Third line of defence - An independent assurance is provided by the internal audit function by conducting internal risk-based and other audits. The reviews provide assurance to the Board that the overall governance framework, including the risk governance framework, is effective and that policies and processes are in place and consistently applied. The role of audit function is defined and overseen by the Audit Committee of the Board.

## Risk Management and Compliance

Risk is an integral part of the banking business and the Bank aims to achieve an appropriate trade-off between risk and returns. To ensure sustainable and consistent growth, the Bank has developed a sound risk management framework so that the risks assumed by the Bank are properly assessed and monitored. The Bank undertakes business activities within the defined risk appetite limits and policies approved by the Board of Directors of the Bank. Specific committees of the Board have been constituted to facilitate focussed oversight on various risks. The Board has also constituted a Risk Management Committee of the Board which oversees the different type of risks. It is supported by on- boarding specialists in the area. Policies approved from time to time by the Board of Directors or committees of the Board form the governing framework for each type of risk.

The Bank has a comprehensive Internal Capital Adequacy Assessment Process and stress test policy. The Pillar 2 risks such as Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Concentration Risk, Business and Strategic Risk, Reputation Risk, Pension Obligation Risk etc. and Capital Adequacy under both normal and stressed conditions are assessed as per the extant policies. A brief outline of the mechanism for identifying, evaluating and managing various risks within the Bank is given below:

### Enterprise Risk Management

The diversity of the Bank's business lines requires a comprehensive Enterprise Risk Management approach to promote a strong risk management culture to help in the early identification, assessment, measurement, aggregation and management of all risks and to facilitate capital allocation among various business lines. All risks are approved within the overarching Risk Appetite Framework and are adequately hedged.

The Bank is constantly endeavoring to create a strong risk culture by imparting trainings to the employees at all levels.

### Credit Risk

Credit risk is managed through a Board approved framework that sets out policies, procedures and reporting which is in-line with international best practices. Adequate attention is given to the independence of the risk evaluators and business functions for establishing a sound credit culture and a well-structured credit approval process.

The Bank's experience in internal ratings over the years has enabled the Bank to obtain the regulator's approval for running the foundation internal rating-based approach (F-IRB) approach of credit risk under Basel II guidelines from March 31, 2013. Under the IRB approach, banks develop their own empirical model to quantify required capital for credit risk.

Bank has well established models for awarding internal rating to the borrowers and these models are calibrated and validated periodically by dedicated internal team as well as external agencies. The Bank has put in place prudential caps across industries, sectors and borrowers to manage credit concentration risk. The portfolio review cell carries out detailed reviews on sectoral exposure, credit concentration, rating distributions and migration. The Bank has developed in-house internal rating model for Country Risk assessment and State Government exposure model for assessing the riskiness of the borrower by assessing various parameters and exposure caps are fixed considering the riskiness estimated by these models.

The Bank has implemented 'Risk Adjusted Return on Capital (RAROC)' framework for corporate credit exposures for evaluating credit risk exposures from the point of 'economic value addition' to the shareholders.

The Bank has also implemented Enhanced Access and Service Excellence (EASE) Risk Scoring Model for independent risk-based review of the credit proposals by risk vertical of the Bank, including classification of credit proposals into high/ medium/ low risk along with risk decisions of go/ no go.

### Market Risk

Market Risk implies the risk of loss of earnings or economic value due to adverse changes in market rates or prices of trading portfolio. The change in economic value of different market products is largely a function of change in factors such as interest rates, exchange rates, economic growth and business confidence. The Bank has well defined policies to control and monitor its treasury functions which undertake market risk positions.

The Bank measures and monitors interest rate risk in its trading book through duration, modified duration, PV01 and Value at Risk (VaR) on a daily basis. The foreign exchange risk is measured and monitored in terms of Net Overnight Open Position limits (NOOPL), VaR limits, Aggregate Gap Limits (AGL), Individual Gap Limits (IGL) on a daily basis. Equity price risk is measured and monitored through VaR limits and portfolio size limits, etc. At a transaction level, stop loss limits and dealer wise limits have been prescribed and implemented. Under its stress testing framework, the Bank conducts comprehensive stress tests of its trading book portfolio on a quarterly basis and risk-return analysis of treasury trading portfolio on quarterly basis.

### Asset Liability Management

Liquidity Risk is the inability to meet expected and unexpected cash and collateral obligations at reasonable cost. In the Bank, the liquidity risk is measured and monitored through Flow Approach and Stock Approach and other prudential stipulations as per the latest guidelines of the RBI. The Bank has implemented the Basel III Framework on Liquidity Standards - Liquidity Coverage Ratio (LCR), Liquidity Risk Monitoring Tools and LCR Disclosure Standards. The LCR Standard aims to ensure that banks maintain an adequate level of unencumbered High - Quality Liquid Assets that can be converted into cash to meet liquidity needs for a 30-calendar days' time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario. The Bank has always been well above the stipulated level of LCR on a solo basis as well as on a consolidated basis.

Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) arises due to mismatch between rate sensitive assets and liabilities which may adversely impact the earnings/economic value of equity of the Bank with the change in interest rates in the market. For measurement and monitoring of interest rate risk in banking book, the Bank uses risk management tools such as Traditional Gap Analysis, Earning at Risk and Modified Duration of Equity. The short-term impact of interest rate movements on net interest income (NII) is worked out through the 'Earnings at Risk' approach by taking into consideration parallel shift in yield curve, yield curve risk, basis risk and embedded options risk. The long-term impact of interest rate

movements is measured and monitored through change in Market Value of Equity (MVE).

## Operational Risk

The Bank has a well-defined Operational Risk Management Framework (ORMF) and Operational Risk Management System (ORMS) for effective management of Operational Risk in the organisation. ORMF comprises of the organisational structure for management of operational risk, governance structures, policies, procedures and processes whereas ORMF consists of the systems used by the Bank in identifying, measuring, monitoring, controlling and mitigating operational risk.

The Bank implemented a web based Operational Risk Management System Statistical Analysis System (SAS) Enterprise Governance, Risk and Compliance (SAS EGRC) for systemic and integrated management of Operational Risk.

Monitoring of Key Risk Indicators Programme (KRI), Risk Control and Self-Assessment Programme (RCSA) and root cause analysis further strengthened the control environment. The Bank created a repository of Internal Loss Data as part of Operational Risk Management and carrying out Root Cause Analysis.

To mitigate and control operational risk at a transaction level, the Bank has established a CTMU for monitoring of all domestic transactions from the Know Your Customer/Anti-Money Laundering/ Combating the Financing of Terrorism (KYC/ AML/ CFT) perspective. The Bank segregated customer interface (front office) from the execution of transactions (back office) by centralising a number of back-office functions. The Centralised Trade Finance Back Office has been set up to minimise operational risk in forex transactions.

The Bank has put in place an incentive scheme to promote Risk Culture at Enterprise wide level. Financial and non -financial incentives were announced for the employees for reporting of near miss events.

In order to ensure the operational resilience, Bank has a well-defined Policy on Business Continuity Planning in place to address issues in efficient manner at different levels.

## Climate Risk

Climate change risk has become crucial challenge to the financial industry of late. The Bank is committed to reduce the impact of climate change risk and is consciously working towards sustainable development of its banking operations so as to achieve the economic development while maintaining the quality of environmental and social ecosystems.

As a policy matter, to reduce the greenhouse effect, the Bank does not finance borrowers for setting up new units producing / consuming Ozone Depleting Substances (ODS) and small / medium scale units engaged in the manufacturing of aerosol units using Chlorofluorocarbons (CFC) which enables reduction in greenhouse effect.

## Compliance

Compliance function in the Bank is one of the key elements in its corporate governance structure. The compliance function in the Bank is adequately enabled and an independent function. The compliance function ensures strict observance of all statutory provisions contained in various legislations such as Banking Regulation Act, Reserve Bank of India Act, Foreign Exchange Management Act, and Prevention of Money Laundering Act etc. as well as other regulatory guidelines issued from time to time. It also ensures adherence to the Bank's internal policies and fair practices code. The Bank has a robust compliance system including a well-documented compliance policy, outlining the compliance philosophy of the Bank, role and set-up of the compliance vertical, composition of its staff and their specific responsibilities.

The compliance function advises senior management and the Board on the position of Bank's compliance with applicable laws, rules and global standards and keeps them informed of developments in the area. It also educates employees about compliance issues by conducting periodic trainings and workshops for business staff and designated compliance officers. Knowledge management tools for this purpose have also been uploaded on the Bank's website. The Bank has implemented a web-based compliance management solution for certification and monitoring of various regulatory, statutory and internal guidelines at each level in the Bank for further strengthening the compliance function. The Bank has also automated the process for obtaining information from the "Insiders" as defined in the Securities and Exchange Board of India (SEBI) Code of Fair Disclosure and Conduct.

Amongst several activities, the domestic compliance function conducts on-site compliance test checks on more than 65 parameters on KYC-AML carried out through Regional Compliance Officers (RCOs). As many as 25% of branches are randomly selected on a quarterly basis. Bank conducts on-site compliance audit of various functions on half yearly basis. Off-site compliance test check of around 30 parameters on issues related to KYC/AML guidelines and other parameters of compliance is carried out on a monthly basis through the web based tool-Offsite Compliance Reporting and Monitoring System (OCRMS).

An annual group wide compliance plan is prepared and regular monitoring is carried out for ensuring adherence to the plan. Additionally, compliance risk is assessed annually and a risk-oriented activity plan developed is for compliance assessment.

In the process of capacity building, the Bank imparted training to all compliance officers and nominated officials to various external training programmes conducted by reputed institutions on latest developments in the areas of compliance. In order to promote professionalism, the Bank encouraged staff members to pursue professional courses from reputed institutes like Indian Institute of Banking and Finance (IIBF), Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) etc.

There were no significant incidents reported during FY 2021 relating to compliance failure.

### KYC/ AML Compliance

The Bank has a well-defined KYC-AML-CFT policy. On the basis of this policy, KYC norms, AML standards and CFT Measures and obligations of the Bank under Prevention of Money Laundering Act (PMLA) 2002, are implemented. The Bank has elaborate systems to generate Cash Transaction Reports (CTRs) electronically for submission to Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND). The Bank electronically files Counterfeit Currency Reports (CCRs), Non-profit organisations Transaction Reports (NTRs) and cross border wire transfer (EFT) reports to FIU-IND, New Delhi on its portal every month within prescribed timelines. The Bank established a Central Transaction Monitoring Unit (CTMU) and put in place an AML Solution for monitoring and detection of unusual transaction patterns in customers' accounts and generation of system based transaction alerts on the basis of predefined alert parameters in the system. System based risk categorisation (money laundering risk categorisation) of customers' accounts is done on half yearly basis. Re-KYC of all eligible customers is done on half yearly basis after carrying out money laundering risk categorisation exercise, as per extant guidelines of the RBI. For this purpose, the Bank has developed automated process for identification and generation of notices/ sending SMS/email to such customers to notify them for submission of requisite KYC documents.

The Bank implemented Central KYC (CKYC) process for registration of newly on-boarded individual customers' KYC information on Central KYC Registry. CKYC number was allotted to 399 lakh customers as of March 31, 2021.

### Internal Audit

The Bank's Central Internal Audit Division (CIAD) is responsible for Internal Audit. CIAD administers various streams of audits besides Risk Based Internal Audit (RBIA) of branches and offices. The Audit Committee of the Board oversees overall internal audit function and guides in developing effective internal audit, concurrent audit, IS Audit and all other audit functions of the Bank. The committee monitors the functioning of the Audit Committee of Executives and Internal Audit Department in the Bank.

CIAD operates through eighteen Zonal Internal Audit Divisions to carry out internal audit of branches/offices as per the periodicity decided by the RBIA Policy. All branches of the Bank are covered under RBIA. During the audit carried out for 8,214 branches in FY 2021, 7,536 branches (91.87%) were in Low Risk, 572 branches (6.57%) were in Medium Risk, 94 branches (1.15%) were in High Risk, 1 branch (0.01%) was in Very High Risk. Out of the total, 11 branches had no rating as they were new branches/ treasury.

The Bank engaged an independent firm as a knowledge partner for comprehensive review of audit function in-line with the processes focusing on centralisation of activities by use of technology, imaging solutions and digitisation. The audit transformation process was completed and audits under the revised approach commenced during FY 2020 and now has stabilised over the period.

The Audit execution under automated environment commenced for Credit Audit (from September 1, 2019) and Universal Branch (from February 1, 2020) during FY 2020 and has stabilised, post which whole gamut of audit approach is undergoing a change with extensive use of technology, analytics, sampling and advanced audit methodology.

### Vigilance

The vigilance administration in the Bank includes monitoring/ reporting of frauds apart from control, monitor and supervision of various vigilance functions. The vigilance machinery in the Bank also imparts knowledge at all levels about vigilance functions, extends help to various disciplinary authorities and appointing authorities to act swiftly and correctly in examining issues arising out of frauds, complaints and serious irregularities pointed out in various inspection reports of branches/ offices.

The Bank has beefed up its vigilance setup at zonal level to conduct preventive audit of all branches at regular intervals and to act proactively on information to control the damage at bare minimum level. The vigilance team shall focus on preventive measures.

The vigilance function in the Bank consists of three sections:

1. Preventive Vigilance: Preventive measures hold greater significance in containing damage than detection and punishment of corrupt and other malpractices. Preventive measures such as inspections of sensitive areas of business, identification of sensitive posts and scrutiny of personnel posted thereon, ensuring observance of conduct rules, monthly meetings at branch level to discuss branch specific vulnerabilities, training programmes for staff, regular scrutiny of inspections and audit reports and circulars on preventive vigilance regularly issued and circulated by

various business verticals were undertaken to reduce the number of vigilance cases.

2. Detective Vigilance: Detective Vigilance includes conducting regular and surprise inspection in sensitive areas to detect if there have been any instances of corrupt or improper practices by the staff, undertaking prompt scrutiny of annual property returns and take further action if called for, gathering intelligence from own source about the misconduct / malpractices, examining the same for logical conclusion through appropriate action after due process.

3. Punitive Vigilance: In addition to ensuring that employees at all levels indulging in wilful and mala fide transgressions of rules and provisions are not allowed to go unpunished, the Bank also ensures that bona fide decisions taken in normal course of business are evaluated objectively and with required prudence.

The vigilance function in the Bank enables proactive decisions by stressing on strengthening systems and procedures through preventive vigilance administration. It also plays a major role in identifying and plugging loopholes and providing inputs to the top management in framing policies in fraud prevention. The turnaround time of disciplinary cases improved due to proactive communication which helped in motivating the employees with quick redressals.

### Human Resources

The Bank has a rich talent pool with over 82,000+ employees on its rolls. The Bank continuously undertakes multiple initiatives for strengthening and developing its human resources such as recruitment, addressing training needs of employees, employee engagement and capability building.

The Bank has always been a forerunner in adopting and innovating new concepts, practices and processes. Post amalgamation "Best of Three" approach was adopted in framing the HR policies and schemes in the amalgamated entity. At the core of all activities are 'PEOPLE' who are the key business enablers. Under the Bank's organisational transformation initiatives envisaging people, processes and systems, the Bank launched various innovative employee centric initiatives and has also undertaken activities to revamp key systems and practices.

The various employee centric initiatives propelled the Bank to be bestowed with the prestigious 'Golden Peacock HR Excellence Award 2020'. The award is instituted by the 'Institute of Directors' and is bestowed upon organisations that have achieved overall excellence in HR and people management practices, thus contributing to the needs of business, the profession, employees, industry and the nation. The following initiatives have been taken during the year which have had a direct and significant impact on Bank's performance:

### Manpower Planning and Recruitment

The Bank has built a new scientific manpower planning model designed to estimate skill-based manpower needs at various levels. The model helps the Bank in taking key strategic decisions such as recruitment, deployment, promotions and trainings.

The Bank recruited 63 officers and 2,360 business associates through direct recruitment during FY 2021. The Bank also hired specialised staff with expertise in niche and key focus areas to strengthen its capabilities in different domain areas.

### Baroda GEMS "Growth and Empowerment Management System"

The Bank had embarked upon an ambitious journey to unlock the potential of its human capital. The transformation included a new scientific and objective Performance Management System (PMS) named Baroda GEMS, which is also developmental and is designed to suggest areas of improvement to employees as well. This robust PMS paved the way for several waves of transformational initiatives, each intended to realise untapped productivity benefits:

- Scientific and personalised target setting with built-in market outlook
- INSIGHT, a first in the industry tool delivering personalised performance analytics and forward looking priorities for employees to get system generated feedback for improving their performance.
- Job family and career path design is an opportunity for employees to pursue a career based on their choice and enabling a focussed career path.
- BRITE is a holistic rewards and recognition programme that links performance to outcome.

### Employee Assistance Programme

Bank introduced 'workplace counselling' called 'Employee Assistance Programme' (EAP). Under this initiative, Bank has hired the services of professional EAP service provider, who provide counselling services through multiple channels such as face-to-face counselling, phone-call and video-conferencing, emails and chats.

Employees can seek counselling support for any issues including anxiety, depression, stress, insecurity, fears, loneliness, loss of self-confidence, inter-personal relationships and communication issues, family problems, bereavement, any traumatic situation, disease (like cancer, etc.), addiction, motivation, personal development, work-life balance or any other issues which disturbs peace of mind.

### Baroda Anubhuti Programme

It is an employee engagement programme designed to foster the spirit of team bonding and collaboration, and creating a

happy and fun workplace. Various initiatives like employee of the month, spot recognition–capturing 'WoW' moments, fun hour at all branches/offices, local community service/ social activities are undertaken to enhance the overall employee engagement levels. Mandatory community service programmes are carried out through all branches/offices once in six months.

### Measures amid COVID-19 worldwide pandemic

With the classification of banking under 'essential services', the Bank had to gear up to address immediate issues of keeping employees safe, provide banking facilities to customers/ general public and maintain continuity of business operations.

The Bank's priority has always been to safeguard the health and well-being of its 82000+ workforce in all the countries that it operates while continuing to support the national priorities. Barodians have risen to the occasion in these challenging times and responded splendidly to the call of nation through their sincere, dedicated and tireless efforts alongside the stress and anxiety of being exposed to the infection amid the sudden outbreak of COVID.

Some of the measures put in place by the Bank for providing timely help and support to its employees during the pandemic situation is detailed under:

- Provision of isolation rooms for COVID positive staff members in cities which were in severe grip of the infection and facing dearth of availability of hospital beds.
- Reimbursement of hospitalisation/ home quarantine expenses incurred by employees for COVID-19 treatment.
- Payment of lumpsum amount of ₹ 25,000 to COVID infected staff members for defraying the miscellaneous expenses incurred for treatment etc.
- Payment of ex-gratia/ additional financial assistance of ₹ 30 lakh to dependents of employees in case of fatality due to COVID-19.
- Scholarship up to graduation level for children of employees who died in harness due to COVID-19.
- COVID helpline put in place at zonal centres and Corporate Office for enabling the employees to reach out in case of any emergency/ clarification related to COVID.
- Bank provided 'Doctor-on-call' facility for all its employees for any concerns related to general health and wellness.

### Learning and Development

The Bank always believed that learning and development plays a vital role in shaping the organisation's human capital. Baroda Gurukul, the Bank's comprehensive learning management system provides learning through various channels like e-learning modules, Baroda Tube, Baroda Radio, Margdarshak, Digital Library, Weekly Quizzes etc.

Baroda Apex Academy continued their training efforts and excelled in the training delivery also in difficult times of COVID-19 pandemic by taking following initiatives:

- Launch of Baroda e-Academy, virtual training through Microsoft Teams platform.
- Launch of Baroda Tuber 'Each One Teach Many' campaign on Learners' day for adoption of peer-to-peer learning
- Development of a new on-boarding and mid-career programme.

### 'We Lead' – Comprehensive Leadership Development Programme

- Bank of Baroda has been at the forefront in instituting leading HR policies and processes aimed at all-round development of its talent. As a part of its ongoing transformation, the Bank aspires to build a pipeline of leaders with the potential to take on leadership roles and play an instrumental role in driving the future growth of the Bank.
- With a view to maintain continuity and spirit of the WeLead Leadership Development Programme, post outbreak of COVID-19, a re-look at the entire portfolio of learning offerings vis-à-vis the original design was undertaken to set priorities for what will be necessary to adapt to a virtual or digital-only format.
- To ensure uninterrupted capacity building, a hybrid learning model with a blend of synchronous and asynchronous channels that can deliver most impactful and enjoyable experience for participants was put together in the rapidly evolving times to reinforce the link between business outcomes and long-term capability building without compromising on the learning experience and developmental journey envisaged for the participants of WeLead.

### Reservation Cell

An exclusive reservation cell has been functioning to monitor the reservation and other enabling provisions for SC/ST/ Person with Disabilities (PWD) /Ex-Serviceman and Other Backward Castes

(OBC) employees. Executives in the rank of General Manager are appointed as Chief Liaison Officers for SC/ST/PWD and ex-serviceman employees and OBC employees, respectively, who ensure compliance of various guidelines pertaining to them.

With effect from February 1, 2019, reservation of 10% for Economically Weaker Sections (EWSs) in all exercises for direct recruitment in the Bank was implemented. The Bank

provides reservations for Persons with Disabilities (PWDs) at the rate of 4% of the total vacancies arising in officer, (identified posts) clerical and sub-staff cadre in a year, as per Government guidelines.

| Caste category wise count as on March 31, 2021 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cadre | SC | ST | OBC | Ex-SM |
| Officer | 7,488 | 3,388 | 12,088 | - |
| Clerk | 4,709 | 2,915 | 8,228 | 95 |
| Sub staff | 3,041 | 1,028 | 2,811 | - |
| Total | 15,238 | 7,331 | 23,127 | 95 |
| % to total staff strength | 18.58% | 8.94% | 28.20% | 0.12% |

**Periodical Meetings:** The Bank holds quarterly meetings with the representatives of All India Bank of Baroda SC/ST (AIBOBSCST) Employees' Welfare Association and half-yearly meetings with the representatives of All India Bank of Baroda OBC Employees' (AIBOBOBC) Welfare Association, as per the Government guidelines.

**Workshops and Training Programmes:** Bank conducts following training programmes every year for members of AIBOBSCST Employees' Welfare Association and AIBOBOBC Employees' Welfare Association and Liaison Officers of SC/STs and OBCs at Apex Academy, Gandhinagar:

- Pre-promotion training for SC/ST candidates
- Workshop on reservation policy
- Training programme on disciplinary proceedings.

## Career Progression

Concerted efforts have been taken by Bank for fostering career progression of employees for rewarding them for their performance and motivation. Horizontal movement of officers across different functions and overseas placements are encouraged to provide employees with wider exposure.

## Thrust On Diversity

The Bank follows a non-discriminatory and equal opportunity policy for all its employees and is transparent in all issues relating to promotion, career path, transfer policy and employee benefit / welfare schemes. The Bank introduced 'Job Roles' for visually impaired employees. In order to retain women employees at all levels and in recognition of the concomitant responsibilities of women, the Bank put in place various facilities to support women employees such as sabbatical leave, health check-up programme for women employees, establishment of crèche facility etc. among other initiatives.

## Premises Re-engineering

Following are some of the highlights of the Bank in an attempt to reduce carbon footprint:

- Bank obtained Green Building Certificate, GOLD rating for Baroda Corporate Centre and SILVER rating for Baroda Sun Tower Building in Mumbai through Indian Green Building Council (IGBC).
- More than 120 branches in rural/semi urban areas are run on solar energy. Total carbon dioxide emission of 344 tonnes was reduced as a result of using green energy/renewable/solar energy.
- The Bank is aiming to obtain platinum rating as per IGBC for proposed Baroda Apex Academy Building in Ahmedabad.
- Conventional lights fittings in all branches and offices were replaced with energy efficient LED lights which consumes half the power of conventional lights.

## Implementation of Official Language (OL) Policy

The Bank continued to make exemplary progress in the implementation of the Official Language Policy of the Government of India. Use of Hindi and other Indian languages for business growth as well as for providing digital products to the customers is a significant characteristic of the language policy adopted by the Bank and has been well appreciated by Government of India and regulatory authorities from time to time.

Bank organised a webinar on 'Compliance Culture in Banking'. Books such as 'Bhartiya Bhashaen- Ek Nazar Mein', 'Apni Bhasha – Apni Baat (Grahak Banker Sanwad in 11 Indian languages)' and 'Role of Public Sector Banks in making India a $5 trillion Economy' and on other various topics were published. Hindi Diwas, Vishwa Hindi Diwas and Matribhasha Diwas were celebrated at various offices/ branches across India and overseas. A 'Kavi Sammelan-Geet, Gazalevam, Hasya ki ek Suhani Sham' was also organised through digital mode. To promote the availability of Bank services/ apps in various Indian languages, a short film 'Banking Apki Bhasha Mein' was made in-house. A campaign to popularise these facilities was launched through Bank's social media channels like Facebook, Twitter and YouTube under #Bankingapkibhashamein.

For FY 2021, the Bank, under its 'Maharaja Sayajirao Lokbhasha Samman Yojana', felicitated Prof. Bikaram Chaudhary for patronising the tribal languages of Gujarat like Chaudhary, Ghodia, Gaamit and Kunkanaa. Bank selected renowned ghazal singer Padmashri Pankaj Udhas for 'Maharaja Sayajirao Bhasha Samman' and Indian folk singer Padmashri Malini Awasthi for 'Maharaja Sayajirao Lokbhasha Samman'.

Bank continued with its unique scheme "Medhavi Vidyarthi Samman Yojana" for popularising Hindi in 69 universities of the country.

## Corporate Social Responsibility (CSR)

The Bank has a long legacy and tradition of actively contributing to the social and economic development of the communities through various developmental activities. The Bank as a responsible corporate citizen, continuously strives to contribute to the welfare of the society, particularly for the upliftment of the underprivileged sections of the society to make sustainable social changes in their lives. Skill development through training for gainful employment, human welfare and other social activities for women and farmers continue to remain the Bank's key focus areas. The Bank is helping different organisations engaged in various community development and socio-economic welfare activities for the benefit of weaker sections and rural citizens.

The Bank has 64 Rural Self Employment Training Institutes (RSETI) centres in 10 states/ UTs across the country to impart skill development training programmes to the youth of rural and semi urban areas for generating self employment. These centres have conducted 19,188 training programmes and imparted training to 5.35 lakh youth, out of which 3.52 lakh have already secured employment or have setup their own ventures. Out of 64 RSETI centres, 59 RSETI centres were graded as "AA/A" (outstanding) based on the overall performance/functioning of the RSETIs.

The Bank has also set up 85 Financial Literacy and Credit Counseling Centres (FLCCs) in twelve states/ UTs which provide financial counseling services and education to the people in rural and urban areas about various financial products and services available from the formal financial sector. These centres also take up activities that promote financial literacy, awareness about banking services, digital banking, financial planning and amelioration of debt-related distress of an individual.

## Domestic Subsidiaries and Joint Ventures

### BOB Financial Solutions Ltd.

BOB Financial Solutions Limited (BFSL), formerly known as BOBCARDS Limited, is a wholly owned subsidiary of the Bank. It is a non-deposit accepting Non-Banking Finance Company (NBFC). BFSL was established in the year 1994 to cater to the need of rapidly growing credit card industry. BFSL was the first non-banking company in India to issue credit cards. The company's core business is credit card issuance and also provides support to the Bank by carrying out its merchant acquiring operations.

New credit card acquisition by BFSL in FY 2021 stood at 2.55 lakh which resulted into an active card base of 6.44 lakh ending March 31, 2021. BFSL is among the top 5 issuers in the country (out of a total of 32 credit card issuers) for March 2021, by issuing more than 55,000 new credit cards as per RBI data.

In FY 2021, a super-premium credit card, 'Eterna' was launched for Baroda Radiance and other high net worth customers. BFSL also launched three co-branded credit cards with esteemed professional institutions such as The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), The Institute of Cost and Management Accountants of India (ICMAI) and The Institute of Company Secretaries of India (ICSI).

Retail spends grew by more than 51% over FY 2020, backed by marketing alliances and partnerships with top brands in both offline and online spend categories.

BFSL continues to invest in technology initiatives to improve customer experience viz. BBPS and Vision Plus, the leading Card Management System project to go live soon. BFSL implemented video KYC, Central KYC, full-fledged contact centre along with IVR, customer DIY journey with revised flow integrated with e-signatures. The strategic intent of the firm is to be a top ranking customer centric credit card issuer, creating value for all its stakeholders.

**₹ crore**

| BOB Financial Solutions Ltd. | | |
|---|---|---|
| **Particulars** | **FY 2020** | **FY 2021** |
| Total Assets | 572.17 | 972.16 |
| Net Profit/(Loss) | (31.53) | 10.73 |
| Credit rating | Crisil A1+ India rating A1+ | Crisil A1+ India rating A1+ |
| Net NPA levels | NIL | NIL |
| Return on Assets | -5.69% | 1.14% |

### BOB Capital Markets Ltd.

BOB Capital Markets Ltd. (BOBCAPS), a wholly owned subsidiary of Bank of Baroda is a SEBI registered Category-I Merchant Banker and also a Stock Broker with memberships of National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE).

BOBCAPS offers a wide spectrum of financial services that includes fund raising from primary markets / PE funds, debt syndication, stressed asset resolution, equity valuation, mergers and acquisitions advisory and stock broking. It has currently five lines of business viz. investment banking – equity; investment banking – debt; institutional broking, retail broking and wealth management. The customer base as of March 31, 2021 stands at 26,715. BOBCAPS achieved a turnaround in its profits during FY 2021.

Notwithstanding the challenges in the business environment due to economic disruptions on account of COVID-19 pandemic, BOBCAPS remains cautiously optimistic about the future potential of its business verticals, primarily on account of growth trends in Indian capital markets, enhanced need for capital structuring and rise in financial literacy /investment awareness. Hence, while taking necessary measures to effectively emerge stronger, BOBCAPS remains focussed on

cost while effectively growing its businesses both on the retail and institutional fronts.

₹ crore

| BOB Capital Markets Ltd | | |
|---|---|---|
| **Particulars** | **FY 2020** | **FY 2021** |
| Total Assets | 160.71 | 175.59 |
| Net Profit | -0.80 | 9.34 |

## Baroda Global Shared Services Ltd (BGSS)

Baroda Global Shared Services, Bank's wholly owned subsidiary resulted from a strategic decision made by the Bank in 2017, with an intention of integrating service functions into a single entity thus reducing service duplication and business unit silos, thus creating synergies and economies of scale.

BGSS has been able to achieve cost saves because of centralisation. It has also led to redeployment of large workforce from branches in job roles that could be automated. This implies that focus at the branch is on sales and service. The setup has contributed significantly to delivering cross-sell for the Bank.

The Shared Services also ensures robust and stringent controls in place through various internal and external assessments conducted from time to time, leveraging the centralised execution and availability of data sets through common platforms.

Some of the key achievements of BGSS are as follows:

1. More than 998 Aadhar enrolment centres across country were operationalised for ease of customers and transforming the whole initiative into revenue generating model as well.
2. All trade and forex products pan India have been migrated to Trade Finance Back Office (TFBO) and hence domestic trade processes have been centralised.
3. A dedicated social media complaint handling unit was rolled out which handles queries / grievances / complaints from customers
4. Pension processing activities were centralised at BGSS.
5. There has been significant improvement across metrics like productivity, First Time Right (FTR), turnaround time, ATM uptime across verticals through various initiatives.
6. A digital platform, Baroda Insta Trade Smart was rolled out to customers and branches, which enables end-to-end integrated channel for customer self-initiated transactions and processing of trade finance activities.
7. All the backend activities under cash management services have been migrated and are being managed at BGSS.

## Barodasun Technologies Ltd.

Barodasun Technologies Limited has been incorporated as a wholly owned subsidiary of Bank of Baroda. The company was registered on July 5, 2017 with the Registrar of Companies, Mumbai, Maharashtra. The company has been formed to provide system integrator services, consultancy and IT development services on matters relating to IT enabled business solutions / IT software product implementation across various lines of business for the Bank.

The Company is yet to commence full-fledged operations and it is envisaged to initiate activities like programme management / project management services to implement enterprise-wide IT projects and development of financial products and solutions to cater to various business needs across different business verticals of the Bank.

## The Nainital Bank Ltd.

The Nainital Bank Limited (NBL), originally promoted by Late Bharat Ratna Pandit Govind Ballabh Pant and others in 1922, became a subsidiary of Bank of Baroda in the year 1973. The Bank's holding in Nainital Bank Ltd is 98.57%. NBL has its registered office at Nainital and has operations in five states: Uttarakhand, Uttar Pradesh, Delhi and National Capital Region (NCR), Haryana and Rajasthan. NBL has 160 branches as on March 31, 2021. The total business of NBL decreased to ₹ 11,441 crore on March 31, 2021 from ₹ 11,797 crore as on March 31, 2020, on account of conscious shedding of bulk deposits and change in composition of its lending book. The Bank posted a net profit of ₹ 1.26 crore in FY 2021 against a net loss of ₹ 68 crore during the previous year and thereby has been able to turnaround its profit position.

## Baroda Asset Management India Ltd.

Baroda Asset Management India Limited (Baroda AMC) is a wholly owned subsidiary of the Bank with effect from September 28, 2018. Baroda AMC acts as the investment manager to Baroda Mutual Fund (Baroda MF), a mutual fund registered with the Securities and Exchange Board of India.

The average assets under management (AUM) of Baroda MF for FY 2021 were ₹ 8,220 crore, which was lower by 26% as compared to previous year. The flows were impacted primarily in liquid and fixed income category owing to market conditions and the pandemic. However, the equity AUM continued to grow, registering an increase of 29% in Average Assets under Management (AAUM), over last year. Baroda AMC continues to expand its third-party distribution network, with particular focus on Independent Financial Advisors (IFA). The company launched two new funds during the year – one equity and one fixed income, each collecting over ₹ 500 crore.

The Bank and BNP Paribas Asset Management Asia Ltd (BNP Asia) have signed binding agreements on October 11, 2019 to merge their Asset Management and Trustee Companies

in India. This merger will enable the merged entity to have higher market share from the current level of market share which is around 0.3%. Baroda Trustee India Private Ltd is the dedicated trustee company for the mutual funds managed by Baroda Asset Management India Limited. The integration is under progress and is expected to be completed during FY 2022, subject to receipt of regulatory approvals. The NCLT has approved the amalgamation on February 12, 2021.

**₹ crore**

| Baroda Asset Management India Ltd | | |
|---|---|---|
| **Particulars** | **FY 2020** | **FY 2021** |
| Total Assets | 77.58 | 78.39 |
| Net Profit | 0.85 | 1.76 |
| Assets under Management | 11204.42 | 8220.15 |
| Ratio of equity to non-equity oriented assets (%) | 0.26 | 0.58 |
| Return on Assets (%) | 2.25 | 3.00 |

### IndiaFirst Life Insurance Company Ltd.

Headquartered in Mumbai, IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd., is one of the country's youngest life insurance companies, with a paid-up share capital of ₹ 663 crore. The company is promoted by two of India's largest public-sector banks – Bank of Baroda and Union Bank of India, which hold 44% and 30% stake in the company respectively along with 26% stake held by Carmel Point Investments India Private Limited incorporated by Carmel Point Investment Ltd, a body corporate incorporated under the laws of Mauritius and owned by private equity funds managed by Warburg Pincus LLC.

In FY 2021, IndiaFirst Life grew at 1.75 times the overall Life Insurance Industry (including LIC) with 5% growth in Individual New Business APE (Annual Premium Equivalent) compared to Life Insurance growth of 3%. IndiaFirst Life has been growing at a faster rate than overall industry for the last consecutive seven years which is a record in the insurance industry. The company is currently ranked 12th in Individual New Business APE (Annual Premium Equivalent) among the private players with assets under management (AUM) at Rs 17,109 crore as on March 31, 2021.

IndiaFirst Life was certified as a Great Place to Work (GPTW) for the fourth time, a recognition considered as the gold standard for defining great workplaces across business, academia and government organisations along with being recognised among the 'Best Workplaces in BFSI' by GPTW BFSI Survey third time in a row and India's Most Admirable Brands 2020 by The Brand Story on NDTV Prime Profit.

### India Infradebt Ltd.

India Infradebt Limited (Infradebt) is the first Infrastructure Debt Fund (IDF) – NBFC. Bank of Baroda and ICICI Bank are the Sponsors of Infradebt, while other shareholders include Citicorp Finance (India) Limited and Life Insurance Corporation of India. Infradebt finances the relatively safe, completed infrastructure projects which have achieved at least one year of commercial operations. Infradebt has been rated AAA/Stable outlook by CRISIL, ICRA and India Ratings since inception. Infradebt also enjoys 100% income-tax exemption on all its income.

The synergy with the Bank arises from Infradebt's focus on lending to strong, stable infrastructure projects - mainly road projects and renewable energy projects, thus contributing to nation building. Infradebt business has grown steadily, with a loan book as on March 31, 2021 of Rs 12,782 crore, net profit for FY 2021 of Rs 283 crore (as per Indian GAAP) and Return on Equity of 14%. Infradebt has also been paying dividends continuously for the past four years.

A brief summary of domestic subsidiaries and Joint Ventures is as below:

**₹ crore**

| Entity | Owned funds | Total assets | Net profit | No. of offices | No. of Staff |
|---|---|---|---|---|---|
| BOB Financial Solutions Ltd | 187.6 | 972.2 | 10.7 | 38 | 546 |
| BOB Capital Markets Ltd. | 162.3 | 175.6 | 9.3 | 1 | 109 |
| BarodaSun Technologies Limited | 4.6 | 4.4 | -0.1 | 1 | 3 |
| Baroda Global Shared Services Ltd. | 21.7 | 22.9 | 5.7 | 5 | 1,981 |
| The Nainital Bank Ltd. | 574.6 | 8,182.3 | 1.3 | 4 | 992 |
| Baroda Asset Management India Ltd. | 66.6 | 78.4 | 1.8 | 5 | 94 |
| Baroda Trustee India Pvt. Ltd. | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 1 | 1 |
| IndiaFirst Life Insurance Company Ltd. | 775.5 | 17,651.3 | 30.2 | 29 | 3,102 |
| India Infradebt Limited | 2,127.8 | 14,692.6 | 283.2 | 1 | 22 |

| Date | Awards 2020-21 |
|---|---|
| June 2020 | • Baroda Apex Academy was declared as the winner of the prestigious Golden Peacock National Training Awards 2020, by the awards jury under the Chairmanship of Hon'ble Justice M. N. Venkatachaliah, former Chief Justice of India, Chairman, National Human Rights Commission of India and National Commission for Constitution of India Reforms. |
| August 2020 | • Bank's Digital Marketing entry won the Gold Award in the 4th Annual Masters of Modern Marketing Awards mCube 2020<br>• Best Multi-Channel Campaign by/for a Financial Services/Banking enterprise - The 'Power of 3' Amalgamation Campaign for Bank of Baroda. |
| September 2020 | • Bank was awarded the `Top Performing Bank' by the Indian Banks' Association for "Launch of Doorstep Banking Services and Declaration of EASE 2.0 Index Results".<br>• Bank ranked 'First' in categories of "Responsible Banking" and "Deepening Financial Inclusion and Digitisation" under EASE 2.0 Index.<br>• Bank secured the second place in 'Governance and HR' and third place in 'Customer Responsiveness' categories under EASE 2.0 Index.<br>• Bank won the LearnX Award 2020 for Best use of Technology in Learning.<br>• Bank received the second prize under "Rajbhasha Kirti Puraskar" scheme of Government of India for outstanding performance in the area of Official Language Implementation under linguistic Region 'B'.<br>• Bank's Hindi magazine 'Akshayyam' was also selected for Second Prize under "Rajbhasha Kirti Puraskar" scheme of Government of India.<br>• Town Official Language Implementation Committee (TOLIC) functioning under the auspices of the Bank at Varanasi and Baroda were selected for awards by the respective regional implementation offices of Government of India. |
| October 2020 | • Bank was recognised by Optimal Media Solution (A Times Group Companies) by conferring Certificate of recognition "Top Home Loan Provider". |
| March 2021 | • Bank was adjudged as "Best Technology Bank of the year" by an eminent jury of IBA Annual Banking Technology Awards.<br>• 'Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank' sponsored by Bank of Baroda received Best Technology Bank award amongst the large banks at IBA Banking Technology Awards 2021. Bank was also declared as the Joint Runner up for Best IT Risk and Cyber Security Initiatives amongst large banks and Best Payment Initiatives.<br>• 'Baroda Gujarat Gramin Bank' sponsored by Bank of Baroda received Joint Runner up award amongst the large banks at IBA Banking Technology Awards 2021. Bank was declared as the Joint Runner up for Best Technology Bank of Year.<br>• Bank was adjudged as the winner in the 'Home Loan' category as part of the FE Best Bank awards for 2020.<br>• Bank was awarded as the "Best Bank in SHG Credit Linkage" among the Public Sector Banks for FY 2021. This award is announced and awarded to Banks by (MoRD) Ministry of Rural Development, Government of India. |

## Dividend Distribution Policy

Bank is not eligible to pay dividend for the financial year ended March 31, 2021 on account of not meeting the eligibility criteria stipulated by RBI for this purpose. The policy is given in this Annual Report and is also available on the Bank's website.

## Board of Directors (Appointment /Cessation of Directors during the year)

### Appointments

Shri Ajay Khurana was appointed as Executive Director w.e.f. April 1, 2020 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of The Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, till September, 19, 2021, or until further orders, whichever is earlier.

Smt. Soundara Kumar was elected as Shareholder Director under section 9 (3) (i) of The Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of three years from December 24, 2020 to December 23, 2023.

Shri Debadatta Chand was appointed as Executive Director w.e.f. March 10, 2021 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of The Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of three years, or until further orders, whichever is earlier, vice Shri Murali Ramaswami.

## Cessations

Shri Murali Ramaswami ceased to be Executive Director w.e.f. January 1, 2021 upon attaining the age of superannuation on December 31, 2020.

Dr. Bharatkumar D. Dangar ceased to be a Shareholders Director w.e.f. December 24, 2020 on completion of his tenure of three years.

Shri Biju Varkkey ceased to be Non-Executive Director w.e.f. October 21, 2020 on completion of his term of appointment on October 20, 2020.

## Board Evaluation

Bank is following Government of India guidelines dated August 30, 2018 for PSB Governance Reforms – Enhancing governance through improved effectiveness of non-official directors.

## Auditors' Compliance Certificate on Corporate Governance:

The Auditors' Compliance Certificate regarding the compliance of the conditions of Corporate Governance for the year 2020-21 is annexed with this report pursuant to "Part E" of Schedule V of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

## Business Responsibility Report

Business Responsibility Report as required by SEBI has been hosted on the website of the Bank (www.bankofbaroda.co.in). Any member interested in obtaining a physical copy of the same may write to the Company Secretary of the Bank.

## Directors' Responsibility Statement

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the Financial Year ended March 31, 2021:

a) The applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;

b) The accounting policies framed in accordance with the guidelines of RBI were followed and the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit and loss of the Bank for that period;

c) The directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws to the Bank for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

d) The directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and

e) The directors had ensured that internal financial controls followed by the Bank are in accordance with guidelines issued by RBI in this regard and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively. Explanation: For the purposes of this clause, the term "internal financial controls" means the policies and procedures adopted by the Bank for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information;

f) The directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

## Acknowledgements

The Directors place on record their appreciation for the contributions made by the outgoing Executive Director Shri Murali Ramaswami and other outgoing Directors viz. Dr. Bharatkumar D. Dangar and Shri Biju Varkkey. The Directors express their sincere thanks to the Government of India, RBI, Securities and Exchange Board of India, other regulatory authorities and the overseas regulators for their continued co-operation, guidance and support. The Directors would like to take this opportunity to express sincere thanks to our valued clients for their continued patronage and support.

The Directors acknowledge with deep appreciation for the co-operation extended by all shareholders, banks and financial institutions, rating agencies, stock exchanges and all well-wishers in India and abroad.

The Directors also take this opportunity to place on record deep appreciation for the hard work and dedication of the employees of the Bank.

For and on behalf of the Board of Directors,

**Sanjiv Chadha**

Managing Director and CEO

## सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के तहत कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आवश्यकताओं के अनुपालन पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

सेवा में

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के सदस्यगण

हमने भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 यथासंशोधित ('सूचीयन विनियम') के विनियम 17 से 27 और विनियम 46(2) के उपबंध (बी) से (आई) तथा अनुसूची V के पैराग्राफ सी और डी के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बैंक) द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के शर्तों के अनुपालन की जांच की हैं.

कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस के प्रमाणन पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार की गई हमारी जांच, कॉर्पोरेट गोवेर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन तक सीमित रही है. यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है.

प्रासंगिक अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर तथा हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकारणों के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए विनियम 17 से 27 और विनियम 46(2) की खंड (बी) से (आई) और सूचीयन विनियमन की अनुसूची V के पैराग्राफ सी और डी में यथा निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है जो कि निम्नलिखित के अधीन है :

बैंक ने क्रमशः निदेशक मंडल और लेखा परीक्षा समिति की संरचना में स्वतंत्र निदेशकों की न्यूनतम संख्या के संबंध में सूचीयन विनियमन के विनियम 17 (1) (बी) और 18 (1) (बी) का और बैंक की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना में निदेशकों की न्यूनतम संख्या के संबंध में सूचीयन विनियमन के विनियम 19 (1) (ए) का अनुपालन नहीं किया है.

हम स्पष्ट करते हैं कि यह अनुपालन न तो बैंक की भविष्य में व्यवहार्यता पर और न ही प्रबंध तंत्र द्वारा बैंक के कार्य निर्वाह की दक्षता या प्रभाविकता पर कोई आश्वासन है.

यह प्रमाणपत्र बैंक के सदस्यों को संबोधित और जारी किया गया है जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि बैंक सूचीयन विनियम का पालन कर सके और इसका उपयोग किसी अन्य व्यक्ति अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए. तदनुसार, किसी अन्य प्रयोजन के लिए या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा

## Independent Auditor's Certificate on Compliance With Corporate Governance Requirements under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

To
The Members of
Bank of Baroda

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Bank of Baroda ("the Bank") for the year ended on March 31, 2021, as stipulated in Regulation 17 to 27 and clauses (b) to (i) of Regulation 46 (2) and paragraphs C and D of Schedule V of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("Listing Regulations").

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination, as carried out in accordance with the Guidance Note on Certification of Corporate Governance issued by the Institute of the Chartered Accountants of India (the "ICAI"), was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

Based on our examination of the relevant records and in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in Regulations 17 to 27 and clauses (b) to (i) of Regulation 46(2) and Paragraphs C and D of Schedule V to the Listing Regulations for the year ended March 31, 2021 subject to the following:

The Bank has not complied with, Regulation 17 (1)(b) & 18(1)(b) of the Listing Regulations regarding the minimum number of Independent Directors in the composition of Board of Directors and Audit Committee respectively and Regulation 19 (1) (a) of the Listing Regulations regarding minimum number of Directors in the composition of Nomination and Remuneration Committee of the Bank.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

This certificate is addressed and provided to the members of the Bank solely for the purpose to enable the Bank to comply with the Listing Regulations, and it should not be used by any other person or for any other purpose. Accordingly, we do not accept or assume any liability or duty of care for any

बिना पूर्व लिखित सहमति के इस प्रमाणपत्र को दिखा कर/किसी के हाथ लगने पर इससे उत्पन्न किसी प्रकार की देयता या असावधानी के लिए हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते.

other purpose or to any other person to whom this certificate is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing.

**कृते आर. देवेन्द्र कुमार एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 114207W
**For R. Devendra Kumar & Associates**
Chartered Accountants
**FRN: 114207W**

**(नीरज गोलास)**
साझेदार
एम एन.: 074392
यूडीआयएन:
21074392AAAABH6115
**(Neeraj Golas)**
Partner
M. No.: 074392
UDIN:
21074392AAAABH6115

**कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000112N
**For Dass Gupta & Associates**
Chartered Accountants
**FRN: 000112N**

**(अशोक कुमार जैन)**
साझेदार
एम एन.: 090563
यूडीआयएन:
21090563AAAAAW1163
**(Ashok Kumar Jain)**
Partner
M. No.: 090563
UDIN:
21090563AAAAAW1163

**कृते व्यास एंड व्यास**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000590C
**For Vyas & Vyas**
Chartered Accountants
**FRN: 000590C**

**(ओ.पी.व्यास)**
साझेदार
एम एन.: 014081
यूडीआयएन:
21014081AAAAEV3158
**(O. P. Vyas)**
Partner
M. No.: 014081
UDIN:
21014081AAAAEV3158

**कृते दस्सानी एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
**एफआरएन: 009096C**
**For Dassani & Associates**
Chartered Accountants
**FRN: 009096C**

**(उदेश दस्सानी)**
साझेदार
एम एन.: 078588
यूडीआयएन:
21078588AAAACE2679
**(Udesh Dassani)**
Partner
M. No.: 078588
UDIN:
21078588AAAACE2679

**कृते जे. कला एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 118769W
**For J. Kala & Associates**
Chartered Accountants
**FRN: 118769W**

**(जयेश काला)**
साझेदार
म एन.: 101686
यूडीआयएन:
21101686AAAABK6046
**(Jayesh Kala)**
Partner
M. No.: 101686
UDIN:
21101686AAAABK6046

दिनांक : 29 मई , 2021
स्थान : मुंबई
Date: May 29, 2021
Place : Mumbai

# कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट 2020-21
# Corporate Governance Report 2020-21

## गवर्नेंस संहिता पर बैंक की मान्यता

- बैंक ऑफ़ बड़ौदा कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने के प्रति प्रतिबद्ध है और ऐसी हर पद्धति पर खरा उतरने के लिए निरंतर प्रयासरत है. उत्कृष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अनुपालन बैंक के परिचालनों का एक अभिन्न अंग है.
- विश्व भर में कॉर्पोरेट गवर्नेंस संगठनात्मक प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरा है. सुदृढ़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पद्धतियां, स्पर्धात्मक बढ़त बनाने और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गई हैं.
- बैंक की कॉर्पोरेट गवर्नेंस मान्यता पारदर्शिता, व्यावसायिकता और जवाबदेहिता जैसे मूल्यों में प्रतिबिम्बित होती है.
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा यह मानता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मात्र एक नियामक आवश्यकता की दृष्टि से न देखा जाए क्योंकि कारोबार के संगठन, कॉर्पोरेट दायित्व और शेयरधारकों की आय को अधिकाधिक बढ़ाना, यह सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं.

बैंक ने अपनी सभी गतिविधियों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांत को सर्वव्यापी रुप से अपनाया है. बैंक इन आयामों में निरंतर उत्कृष्टता लाने में सदैव प्रयासरत रहता है और अपने शेयरधारकों, ग्राहकों, कर्मचारियों और समाज के अन्य सदस्यों सहित सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक आर्थिक मूल्य में अविरत वृद्धि करता रहता है. बैंक का कॉर्पोरेट गवर्नेंस निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा शासित होता है:

- शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाना और उन्हें अधिकतम स्तर पर पहुंचाना.
- सभी हितधारकों के साथ संव्यवहार में निष्पक्ष, नैतिक एवं पारदर्शिता.
- ग्राहकों, कर्मचारियों एवं बृहद् समाज सहित सभी हितधारकों के हितों का संरक्षण.
- कार्यनिष्पादन एवं ग्राहक सेवा हेतु जवाबदेही सुनिश्चित करना और सभी स्तरों पर उत्कृष्टता प्राप्त करना.
- बैंक के कार्यनिष्पादन एवं परिचालनों से संबंधित सभी मामलों में समय पर एवं सटीक प्रकटीकरण.
- हमारे बुनियादी मूल्यों का पालन करते हुए व्यवसाय करना.
- उत्कृष्ट स्तर का कॉर्पोरेट नेतृत्व तैयार करना.

बैंक के बुनियादी मूल्य इस प्रकार हैं:

1. सत्यनिष्ठा: हम अपने सभी हितधारकों के साथ वाणी, कार्यों और संव्यवहार में नैतिक और पारदर्शी हैं.
2. ग्राहक केन्द्रीयता: हमारी सभी गतिविधियों का केंद्र हमारे ग्राहकों का हित है.
3. साहस: हम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखते हैं और अपने मूल्यों पर विश्वास करते हैं.
4. उत्साहपूर्ण स्वामित्व: हम अपने बैंक के प्रति ऊर्जा, उत्साह एवं अपनत्व का भाव रखते हैं और एक साथ मिल कर बैंक के लिए कार्य करते हैं.
5. नवोन्मेषिता: हम नवीन विचारों से मूल्य संवर्धन करते हैं.

## BANK'S PHILOSOPHY ON CODE OF GOVERNANCE

- Bank of Baroda is committed to adopting best recognized corporate governance practices and continuously benchmarking itself against each such practice. The adherence to best corporate governance practices is an integral part of Bank's operations.
- Corporate Governance is emerged as an essential tool in the organizational management globally. Strong corporate governance practices have become crucial in achieving competitive advantage and positively impacting profitability.
- Bank's corporate governance philosophy is reflected by the values of transparency, professionalism and accountability.
- Bank of Baroda believes that there is a need to view Corporate Governance as more than just regulatory requirements as there is a generic connection among the organization of business, corporate responsibility and shareholder's wealth maximization.

The Bank has infused the philosophy of corporate governance into all its activities. The Bank constantly strives towards betterment of these aspects and thereby perpetuates it into generating long term economic value for all its stakeholders including shareholders, customers, employees and other society members. Bank's corporate governance is governed by the following principles:

- Enhance and maximize the shareholders value
- Fair, ethical and transparent in dealings with all the stake holders
- Protection of the interest of all stake holders including customers, employees and society at large
- Ensuring accountability for performance and customer service and to achieve excellence at all levels
- Timely and accurate disclosures on all matters pertaining to the performance and operations of the Bank
- Carrying the business adhering to our core values
- Creating corporate leadership of highest standard

The core cardinal values of the Bank are:

1. Integrity: We are ethical and transparent in our words, actions and dealings with all stakeholders.
2. Customer Centricity: Our customers' interests lie at the core of all our actions.
3. Courage: We are resilient in the face of adversity and having faith in our beliefs.
4. Passionate Ownership: We display energy, enthusiasm and commitment towards our Bank and we work together for the Bank.
5. Innovation: We create value with break-through ideas.

6. उत्कृष्टता: हम अपनी नीतियों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं में लगातार सुधार करने का प्रयत्न करते हैं.

बैंक यह मानता है कि मजबूत कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक जिम्मेदारी, निष्पक्षता, पारदर्शिता, निरंतरता एवं प्रभावोत्पादकता की संस्कृति है जो संगठन में सर्वत्र प्रचलित है. बैंक एक सूचीबद्ध एंटीटी है; जो एक कम्पनी नहीं है, अपितु बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के तहत निकाय कॉर्पोरेट है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित होता है. अतः बैंक सेबी (सूचीयन करार एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के प्रावधानों का उस सीमा तक पालन किया है, सिवाय उसके कि जो विनियमन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधान और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक तथा भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के साथ सुसंगत नहीं होते हैं.

बैंक में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रावधानों के अनुपालन पर एक रिपोर्ट निम्नानुसार है:

## निदेशक मंडल

### कार्यदायित्व एवं गठन

निदेशक मंडल का कार्यदायित्व अन्य दायित्वों के साथ निम्नानुसार है:

- नीतियां और नीतिगत फ्रेमवर्क को स्थापित करना,
- सार्थक एवं नीतिपरक निर्णय लेना,
- लक्ष्य प्राप्ति का अवलोकन,
- हितधारकों के हितों की रक्षा करना और उसमें वृद्धि करना,
- बैंक के जोखिम प्रोफाइल की निगरानी रखना

निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 यथा संशोधित तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970; यथा संशोधित के प्रावधानों द्वारा शासित होता है. 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार निदेशक मण्डल का स्वरूप **अनुबंध-1 एवं 1ए** में प्रस्तुत है.

प्रत्येक निदेशक एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों अर्थात् कोर प्रबंधन टीम जिसमें सभी महाप्रबंधक तथा विभाग प्रमुख शामिल हैं, वे आचार संहिता के अंतर्गत शासित होते हैं, जिसे निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा जिसे बैंक की बेबसाइट www.bankofbaroda.in पर प्रदर्शित किया गया है. निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि कर दी है.

## निदेशक मंडल की बैठकें :

बैंक को एक वर्ष में कम से कम छह बैठकें आयोजित करनी होती है. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निदेशक मंडल की -15- बैठकें संपन्न हुई. बैठकों की तारीखें और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकें: 15

बैठकों की तारीखें: 24.04.2020, 29.05.2020, 23.06.2020, 25.06.2020, 10.07.2020 एवं 11.07.2020, 31.07.2020, 10.08.2020, 24.09.2020, 29.10.2020, 25.11.2020, 23.12.2020, 27.01.2021, 28.01.2021 एवं 29.01.2021, 25.02.2021, 25.03.2021

6. Excellence: We strive for continuous improvement in our policies, systems and processes.

Bank believes that sound corporate governance is a culture of accountability, fairness, transparency, consistency and effectiveness which is practiced across the organization. The Bank is a listed entity; not a company but body corporate under The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and is regulated by Reserve Bank of India. Bank has complied with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 except where the provisions of these regulations are not in conformity with The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the guidelines issued by Reserve Bank of India and Government of India.

A report on implementation on provisions of Corporate Governance in the Bank is as below:

## BOARD OF DIRECTORS

### Role and Composition

The role of the Board includes amongst others:

- To establish policies and policy framework,
- To make significant and strategic decisions,
- To oversee the pursuit of objectives,
- To protect and maximize the interest of the stakeholders
- To oversee the risk profile of the Bank

The composition of Board of Directors is governed by the provisions of The Banking Regulation Act, 1949, The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, as amended and The Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended. The composition of the Board as on 31st March, 2021 is as per **Annexure-1 and 1A.**

Each Director and Senior Management Personnel i.e. Core Management Team comprising all General Managers and Departmental Heads are governed by Code of Conduct approved by the Board which is posted on Bank's website i.e. www.bankofbaroda.in . All the Board Members and Senior Management Personnel have affirmed the compliance of the Code.

## MEETINGS OF BOARD

Board is required to meet a minimum of six times a year. During the Financial Year 2020-21, Fifteen meetings were held. The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 15

Dates of Meetings: 24.04.2020, 29.05.2020, 23.06.2020, 25.06.2020, 10.07.2020 & 11.07.2020, 31.07.2020, 10.08.2020, 24.09.2020, 29.10.2020, 25.11.2020, 23.12.2020, 27.01.2021, 28.01.2021 & 29.01.2021, 25.02.2021, 25.03.2021

| निदेशक का नाम | Name of the Director | उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their Tenure | बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended |
|---|---|---|---|
| डॉ. हसमुख अढ़िया | Dr. Hasmukh Adhia | 15 | 15 |
| श्री संजीव चड्ढा | Shri Sanjiv Chadha | 15 | 15 |
| श्री मुरली रामास्वामी* | Shri Murali Ramaswami* | 11 | 11 |
| श्री शांति लाल जैन | Shri Shanti Lal Jain | 15 | 15 |
| श्री विक्रमादित्य सिंह खीची | Shri Vikramaditya Singh Khichi | 15 | 14 |
| श्री अजय के. खुराना | Shri Ajay K. Khurana | 15 | 15 |
| श्री देबदत्त चाँद | Shri Debadatta Chand | 1 | 1 |
| श्री अमित अग्रवाल | Shri Amit Agrawal | 15 | 10 |
| श्री अजय कुमार | Shri Ajay Kumar | 15 | 15 |
| डॉ. भरत कुमार डी डांगर* | Dr. Bharatkumar D. Dangar* | 11 | 11 |
| श्रीमती सौंदरा कुमार | Smt. Soundara Kumar | 15 | 15 |
| श्री श्रीनिवासन श्रीधर | Shri Srinivasan Sridhar | 15 | 15 |
| प्रो. बिजू वर्क्की | Shri Biju Varkkey* | 8 | 8 |

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई

## निदेशकों / कार्यपालकों की समितियां / उप-समितियां

निदेशक मण्डल ने कार्यनीति के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर निगरानी रखने हेतु निदेशकों और / अथवा कार्यपालकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है. महत्त्वपूर्ण समितियां निम्नानुसार हैं:

1. निदेशक मण्डल की प्रबंधन समिति (एमसीबी)
2. निदेश क मण्डल की ऋण अनुमोदन समिति (सीएसीबी)
3. निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)
4. निदेशक मण्डल की जोखिम प्रबंधन समिति
5. हितधारक संबंधपरक समिति
6. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
7. ग्राहक सेवा समिति
8. बड़ी राशि की धोखाधड़ी संबंधी समिति
9. सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति संबंधी समिति
10. निदेशक मण्डल की मानव संसाधन पर नीतिपरक सलाहकार समिति
11. निदेशकों की समिति
12. वसूली निगरानी समिति
13. ग्रामीण-वित्तीय समावेशन एवं सीएसआर पर निदेशक मंडल की स्टियरिंग समिति
14. इरादतन चूककर्ताओं संबंधी समीक्षा समिति
15. पूर्णकालिक निदेशकों के एपीएआर के कार्य निष्पादन मूल्यांकन संबंधी समिति

*ceased to be member during the year.

## COMMITTEES / SUB-COMMITTEE OF DIRECTORS / EXECUTIVES

Board has constituted various Committees of Directors and / or Executives to look into different areas of strategic importance. The important Committees are as under:

1. Management Committee of the Board (MCB)
2. Credit Approval Committee of the Board (CACB)
3. Audit Committee of the Board (ACB)
4. Risk Management Committee of the Board
5. Stakeholders Relationship Committee
6. Nomination & Remuneration Committee
7. Customer Service Committee
8. Committee on High Value Frauds
9. IT Strategy Committee
10. Strategic Advisory Committee of the Board on HR
11. Committee of Directors
12. Committee for Monitoring of Recovery
13. Steering Committee of the Board on Rural – FI & CSR
14. Review Committee on Wilful Defaulters
15. Committee on Performance Evaluation of APAR of Wholetime Directors

16. ग्रेड/वेतनमान – VII और VIII के उच्च प्रबंधन कार्यपालकों के अनुशासनात्मक मामलों के संबंध में अपीलों पर विचार करने के लिए समिति

**1. निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति (एमसीबी)**

समिति व्यवसाय संबंधी महत्वपूर्ण मामलों जैसे उच्च मूल्य के ऋण प्रस्ताव की मंजूरी, समझौता/बट्टे खाते वाले प्रस्ताव, पूंजीगत एवं राजस्व संबंधी खर्चों की मंजूरी, परिसर, निवेश, दान आदि पर विचार करती है.

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (सी) के तहत नामित निदेशकों में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक (गण) तथा भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा 9(3) की उप धारा (डी) (ई) (एफ) (एच) तथा (आई) के तहत नियुक्त किए गए निदेशकों में से एक निदेशक होते हैं. बैठकों की तारीखें एवं निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकें: 41

बैठकों की तारीखें: 13.04.2020, 24.04.2020, 02.05.2020, 18.05.2020, 27.05.2020, 05.06.2020, 12.06.2020, 18.06.2020, 26.06.2020, 03.07.2020, 09.07.2020, 17.07.2020, 24.07.2020, 30.07.2020, 07.08.2020, 14.08.2020, 25.08.2020, 04.09.2020, 11.09.2020, 19.09.2020, 30.09.2020, 08.10.2020, 16.10.2020, 23.10.2020, 07.11.2020, 13.11.2020, 20.11.2020, 01.12.2020, 09.12.2020, 22.12.2020, 29.12.2020, 05.01.2020, 12.01.2021, 21.01.2021, 05.02.2021, 16.02.2021, 23.02.2021, 04.03.2021, 09.03.2021, 19.03.2021, 30.03.2021.

16. Committee to consider Appeals in respect of Disciplinary Cases of Top Management Executives in Grade / Scales – VII and VIII

**1. Management Committee of the Board (MCB)**

The Committee considers various business matters of material significance like sanction of high value credit proposals, compromise / write-off proposals, sanction of capital and revenue expenditure, premises, investments, donations etc.

It consists of Managing Director & CEO, Executive Director(s) and Directors nominated by Government of India under Section 9(3)(c) and One Directors from amongst those appointed under sub section (d) (e) (f) (h) and (i) of section 9(3) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 41

Dates of Meetings: 13.04.2020, 24.04.2020, 02.05.2020, 18.05.2020, 27.05.2020, 05.06.2020, 12.06.2020, 18.06.2020, 26.06.2020, 03.07.2020, 09.07.2020, 17.07.2020, 24.07.2020, 30.07.2020, 07.08.2020, 14.08.2020, 25.08.2020, 04.09.2020, 11.09.2020, 19.09.2020, 30.09.2020, 08.10.2020, 16.10.2020, 23.10.2020, 07.11.2020, 13.11.2020, 20.11.2020, 01.12.2020, 09.12.2020, 22.12.2020, 29.12.2020, 05.01.2020, 12.01.2021, 21.01.2021, 05.02.2021, 16.02.2021, 23.02.2021, 04.03.2021, 09.03.2021, 19.03.2021, 30.03.2021.

| निदेशक का नाम | Name of the Director | उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their Tenure | बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended |
|---|---|---|---|
| श्री संजीव चड्ढा (अध्यक्ष) | Shri Sanjiv Chadha (Chairman) | 41 | 40 |
| श्री मुरली रामास्वामी* | Shri Murali Ramaswami * | 31 | 30 |
| श्री शांति लाल जैन | Shri Shanti Lal Jain | 41 | 30 |
| श्री विक्रमादित्य सिंह खीची | Shri Vikramaditya Singh Khichi | 41 | 37 |
| श्री अजय के. खुराना | Shri Ajay K. Khurana | 41 | 38 |
| श्री देबदत्त चाँद | Shri. Debadatta Chand | 2 | 2 |
| श्री अजय कुमार | Shri Ajay Kumar | 41 | 34 |
| श्रीमती सौंदरा कुमार | Smt. Soundara Kumar | 41 | 41 |

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई

* Ceased to be member during the year.

**2. निदेशक मंडल की ऋण अनुमोदन समिति (सीएसीबी)**

ऐसे ऋण प्रस्ताव जो प्रबंध निदेशक व सीईओ को प्रत्यायोजित शक्तियों से अधिक है तथा ₹ 800/- करोड़ तक के ऋण प्रस्तावों को सीएसीबी द्वारा मंजूर किया जाता है. समिति में सभी पूर्णकालिक निदेशक, सीएफओ, सीआरओ एवं संबद्ध वर्टिकल के प्रमुखों का समावेश है. बैठकों की तारीखें एवं निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं.

**2. Credit Approval Committee of the Board (CACB)**

The credit proposals which exceed the powers delegated to Managing Director & CEO and are upto ₹ 800 crores are considered for approval by the CACB. The Committee comprises of all Whole Time Directors, CFO, CRO and respective Heads of verticals. The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

आयोजित बैठकें: 27

बैठकों की तारीखें: 13.04.2020, 29.04.2020, 14.05.2020, 18.05.2020, 27.05.2020, 06.06.2020, 11.06.2020, 19.06.2020, 30.06.2020, 07.07.2020, 18.07.2020, 24.07.2020, 11.08.2020, 01.09.2020, 21.09.2020, 12.10.2020, 11.11.2020 & 13.11.2020, 01.12.2020, 04.12.2020, 28.12.2020, 30.12.2020, 31.12.2020, 18.01.2021, 11.02.2021 & 12.02.2021, 08.03.2021, 12.03.2021, 30.03.2021.

No. of Meetings held: 27

Dates of Meetings: 13.04.2020, 29.04.2020, 14.05.2020, 18.05.2020, 27.05.2020, 06.06.2020, 11.06.2020, 19.06.2020, 30.06.2020, 07.07.2020, 18.07.2020, 24.07.2020, 11.08.2020, 01.09.2020, 21.09.2020, 12.10.2020, 11.11.2020 & 13.11.2020, 01.12.2020, 04.12.2020, 28.12.2020, 30.12.2020, 31.12.2020, 18.01.2021, 11.02.2021 & 12.02.2021, 08.03.2021, 12.03.2021, 30.03.2021.

| निदेशक / सदस्य का नाम | Name of the Director / Member | उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings Held During Their Tenure | बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended |
|---|---|---|---|
| श्री संजीव चड्ढा (अध्यक्ष) | Shri Sanjiv Chadha (Chairman) | 27 | 27 |
| श्री मुरली रामास्वामी* | Shri Murali Ramaswami* | 22 | 22 |
| श्री शांति लाल जैन | Shri Shanti Lal Jain | 27 | 19 |
| श्री विक्रमादित्य सिंह खीची | Shri Vikramaditya Singh Khichi | 27 | 25 |
| श्री अजय के. खुराना | Shri Ajay K. Khurana | 27 | 21 |
| श्री देबदत्त चाँद | Shri Debadatta Chand | 2 | 2 |
| श्री रमेश गोपालरत्नम - सीएफओ* | Shri Ramesh Gopalratnam – CFO* | 10 | 10 |
| श्री सुब्रत कुमार – सीएफओ* | Shri Subrat Kumar – CFO* | 9 | 7 |
| श्री इयान डिसूजा – सीएफओ | Shri Ian Desouza - CFO | 8 | 7 |
| श्री सिद्धेस्वर पात्रा – सीआरओ* | Shri Sidheswar Patra – CRO* | 24 | 22 |
| श्री जगन मोहन – सीआरओ | Shri Jagan Mohan - CRO | 3 | 3 |

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई

*ceased to be member during the year

## 3. निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)

एसीबी के कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं-

- लेखापरीक्षा समिति समग्र बैंक की लेखापरीक्षा संबंधी कार्यों के परिचालनों को तथा लेखापरीक्षा आयोजना को दिशा देती है तथा उनकी देखरेख करती है, जिसमें आन्तरिक लेखापरीक्षा आयोजित करना, उनका परिचालन एवं गुणवत्ता, आंतरिक नियंत्रण संस्तुतियों और बैंक के आंतरिक/ समवर्ती/ सांविधिक/ बाहरी लेखापरीक्षकों के सुझावों का अनुवर्तन शामिल है. यह बैंक द्वारा केवाईसी - एएमएल अनुपालन, हाउसकीपिंग के प्रमुख क्षेत्र, नियामक एवं सांविधिक दिशानिर्देशों की अपवादात्मक रिपोर्टिंग एवं अनुपालन की समीक्षा भी करती है.
- यह, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा बैंक के वित्तीय, जोखिम प्रबंधन, आईएस लेखापरीक्षा एवं बैंक की लेखा नीतियों/ प्रणाली नीतियों की समीक्षा करती है.
- लेखापरीक्षा समिति बैंक के वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धति का निर्धारण एवं उसकी समीक्षा करती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरण सही हैं एवं संबंधित दिशानिर्देशों के अनुपालन किया गया है. यह समिति तिमाही/ वार्षिक वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप देने से

## 3. Audit Committee of the Board (ACB)

The functions of ACB, interalia, include

- ACB provides directions and oversees the operations of audit function and audit plan of the Bank including the internal audit organization, its operation and quality, internal control recommendations and follow-up the suggestions of Internal / Concurrent/ Statutory / External Auditors of the Bank. It also reviews KYC-AML compliance by the Bank, major areas of housekeeping, exception reporting and compliance of regulatory and statutory guidelines.
- It review the adequacy of internal control systems and reviews the Financial, Risk Management, IS Audit, and Accounting Policies / System Policies of the Bank.
- The committee assesses and reviews the financial reporting system of the Bank to ensure that the financial statements are accurate and in compliance with relevant guidelines. It interacts with Statutory Auditors before finalization of quarterly / annual financial statements;

पहले सांविधिक लेखापरीक्षकों से विचार-विमर्श करती है; समीक्षा करती है तथा बोर्ड को अनुमोदन के लिए संस्तुत करती है.

- लेखापरीक्षा समिति बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अंतर्गत बैंक के जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों के अनुपालन के लिए फॉलो-अप करती है. यह लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर भी फॉलो-अप करती है.

समिति में कुल पांच सदस्य हैं (i) भारत सरकार के नामित निदेशक (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक (iii) बैंक के कार्यपालक निदेशक- आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों के प्रभारी (iv) गैर-कार्यपालक निदेशक (सीए) (v) एक गैर- कार्यपालक निदेशक.

आयोजित बैठकें: 14

बैठकों की तारीखें: 23.04.2020, 22.06.2020, 23.06.2020, 30.07.2020, 07.08.2020, 10.08.2020, 02.09.2020, 17.09.2020, 28.10.2020, 29.10.2020, 26.11.2020, 25.01.2021, 27.01.2021, 26.02.2021,

reviews them and recommends to the Board for approval.

- ACB follows up for compliance of all the issues raised by RBI, during Risk Based Supervision of the Bank under Section 35 of B. R. Act 1949. It also follows up on various issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR)

The Committee comprises of -5- members (i) GOI Nominee Director (ii) RBI Nominee Director (iii) Bank's Executive Director- In charge of Internal Audit Function (iv) Non-Executive Director (CA) (v) One Non-Executive Director

No. of Meetings held: 14

Dates of Meetings: 23.04.2020, 22.06.2020, 23.06.2020, 30.07.2020, 07.08.2020, 10.08.2020, 02.09.2020, 17.09.2020, 28.10.2020, 29.10.2020, 26.11.2020, 25.01.2021, 27.01.2021, 26.02.2021,

| निदेशक का नाम | Name of Director | उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings Held During Their Tenure | बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended |
|---|---|---|---|
| श्री श्रीनिवासन श्रीधर (अध्यक्ष) | Shri Srinivasan Sridhar (Chairperson) | 14 | 14 |
| डॉ. हसमुख अढ़िया | Dr Hasmukh Adhia | 1 | 1 |
| श्री शांति लाल जैन* | Shri Shanti Lal Jain* | 14 | 14 |
| श्री देबदत्त चाँद | Shri Debadatta Chand | 0 | 0 |
| श्री अजय कुमार | Shri Ajay Kumar | 14 | 14 |
| डॉ. भरत कुमार डी डांगर* | Dr. Bharatkumar D. Dangar* | 11 | 11 |
| श्री अमित अग्रवाल | Shri Amit Agrawal | 14 | 3 |
| श्री मुरली रामास्वामी (आमंत्रिती)* | Shri Murali Ramaswami (Invitee)* | 11 | 11 |
| श्री विक्रमादित्य सिंह खीची (आमंत्रिती) | Shri Vikramaditya Singh Khichi (Invitee) | 14 | 14 |
| श्री अजय के. खुराना (आमंत्रिती) | Shri Ajay K. Khurana (Invitee) | 14 | 13 |

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, एसीबी ने नियमित कार्यसूची के साथ-साथ निम्नलिखित का अनुमोदन/ समीक्षा की:

- आरबीआईए नीति-घरेलू, आरबीआईए नीति-अंतर्राष्ट्रीय, ऋण लेखापरीक्षा नीति, संगामी लेखापरीक्षा नीति, आईएस लेखापरीक्षा नीति का अनुमोदन/समीक्षा.
- संबद्ध पार्टी लेनदेन एवं महत्वपूर्ण अनुषंगियों संबंधी नीति के अंतर्गत बहुप्रयोजन लेनदेन का अनुमोदन.
- बैंक के लिए सीएफओ की नियुक्ति का अनुमोदन.
- घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों दोनों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति.
- लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट - मार्च 2020 पर बैंक के अनुपालन का अनुमोदन.

*ceased to be member during the year.

During the FY 2020-21, ACB inter-alia approved/ reviewed the following besides regular Agenda:

- Approval/ Review of RBIA Policy-Domestic, RBIA Policy-International, Credit Audit Policy, Concurrent Audit Policy.
- Approval of Omnibus Transactions under Policy on Related Party Transactions & Material Subsidiaries
- Approval of appointment of CFO for the Bank
- Appointment of Statutory Auditors for both Domestic & International operations.
- Approve Bank's compliance on Long Form Audit Report –March 2020

- विदेशी विनियामक द्वारा अनुषंगियों/शाखाओं का विनियामक निरीक्षण.
- जोखिम अल्पीकरण योजना (आरएमपी-2019) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गई टिप्पणियों की समीक्षा.
- वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा हेतु बजटीय योजना का अनुमोदन.
- घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों के लिए धोखाधड़ी के मामलों को बंद करने के लिए अनुमोदन.
- एक्सिक्यूटिव ऑडिट समिति (एसीई) की संरचना की समीक्षा करें.
- दिनांक 07.01.2021 को जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार शासन व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु संशोधित जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) फ्रेमवर्क की समीक्षा.
- वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं तिमाही (जून-2020 से दिसंबर-2020) के लिए बैंक के स्टैंडअलोन/समेकित परिणाम के अनुमोदन के लिए निदेशक मण्डल की अनुशंसा.

### 4. निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति:

जोखिम प्रबंधन समिति, बैंक द्वारा उठाए जा रहे समग्र जोखिम की समीक्षा एवं मूल्यांकन करती है. बैंक ने जोखिम प्रबंधन संगठनात्मक ढांचा, जोखिम सिद्धांत, जोखिम प्रक्रिया, जोखिम नियंत्रण और जोखिम लेखापरीक्षा इन सभी को शामिल कर सभी के लिए समुचित जोखिम प्रबंधन संरचना इस दृष्टि से तैयार की है कि विभिन्न श्रेणियों के जोखिमों अर्थात् ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालनात्मक जोखिमों का निर्धारण, प्रबंधन, निगरानी तथा नियंत्रण किया जा सके.

बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) इस समिति के संयोजक हैं. जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दृढ़ बनाने के लिए बैंक ने जोखिम प्रबंधन क्षेत्र के विशेषज्ञों को निदेशक मंडल के सलाहकार के रूप में शामिल किया है. इन बैठकों की तारीखें और समिति सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 6

बैठकों की तारीखें: 23.04.2020, 27.07.2020, 20.10.2020, 26.11.2020, 18.12.2020, 26.02.2021,

- Regulatory examination of Subsidiaries / Branches by Overseas Regulators
- Review of observations made by RBI under Risk Mitigation Plan (RMP-2019)
- Approval of Budgeted Plan for Internal Audit for FY 2021-22
- Approval for closure of Fraud cases both for Domestic & International
- Review the structure of Audit Committee of Executive (ACE)
- Review the revised Risk Based internal Audit (RBIA) Framework for Strengthening Governance arrangements as per RBI Guidelines issued dated 07.01.2021
- Recommended to the Board for approval of the Standalone / Consolidated Financial results of the Bank for the FY 2019-20 and Quarter (June -2020 to Dec-2020).

### 4. Risk Management Committee of the Board:

Risk Management Committee reviews and evaluates the overall risks assumed by the Bank. Bank has set up risk management architecture comprising Risk Management Organizational Structure, Risk Principles, Risk Processes, Risk Controls and Risk Audit all with a view to identify, manage, monitor and control various categories of risks, viz. Credit Risk, Market Risk and Operational Risk.

Chief Risk Officer (CRO) of the Bank is the Convener of the Committee. To strengthen the expertise on Risk Management, the Bank has also inducted specialist in the area of risk management as advisor to the Board who is part of this Committee. The dates of the meetings and attendance of the members of Committee are as under:

No. of Meetings held: 6

Dates of Meetings: 23.04.2020, 27.07.2020, 20.10.2020, 26.11.2020, 18.12.2020, 26.02.2021,

| निदेशक / सदस्य का नाम | Name of the Director / Member | उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings Held During Their Tenure | बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended |
|---|---|---|---|
| डॉ. हसमुख अढ़िया | Dr. Hasmukh Adhia | 6 | 6 |
| श्री संजीव चड्ढा | Shri Sanjiv Chadha | 6 | 5 |
| श्री मुरली रामास्वामी* | Shri Murali Ramaswami* | 5 | 5 |
| श्री शांति लाल जैन | Shri Shanti Lal Jain | 6 | 6 |
| श्री विक्रमादित्य सिंह खीची | Shri Vikramaditya Singh Khichi | 6 | 5 |
| श्री अजय के. खुराना | Shri Ajay K Khurana | 6 | 6 |
| श्री देबदत्त चाँद | Shri Debadatta Chand | 0 | 0 |
| श्रीमती सौंदरा कुमार | Smt. Soundara Kumar | 6 | 6 |
| श्री श्रीनिवासन श्रीधर | Shri Srinivasan Sridhar | 6 | 6 |
| श्री हिमाद्रि भट्टाचार्य - सलाहकार | Shri Himadri Bhattacharya - Advisor | 6 | 6 |

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई

*ceased to be member during the year.

वर्ष के दौरान, समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का अनुमोदन/समीक्षा की:

- वित्त वर्ष 2020-21 के लिए विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों पर विवेकसम्मत वैश्विक सीमा निर्धारण.
- मिस्र की देश जोखिम एक्सपोजर सीमा में वृद्धि
- गैर-निष्पादित आस्तियों की वसूली और प्रबंधन संबंधी कॉर्पोरेट नीति (घरेलू और विदेशी शाखाएं), काउंटरपार्टी बैंकों पर एक्सपोजर सीमा संबंधी नीति, दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली और रिकॉर्ड डिजिटलीकरण संबंधी नीति, बैंक की ग्राहक सुरक्षा नीति, विदेशी विनिमय, स्वर्ण और डेरिवेटिव प्रबंधन नीति, घरेलू परिचालनों के लिए बैंक की मोबाइल बैंकिंग नीति, बैंक की इंटरनेट बैंकिंग नीति, उद्यम जोखिम प्रबंधन नीति, समूह आस्ति देयता प्रबंधन नीति.
- एमसीएलआर की गणना के लिए कार्य प्रणाली में संशोधन.
- कॉर्पोरेट कार्यालय स्तर पर ऋण समितियों में संशोधन.
- कारोबार निरंतरता योजना पर संशोधित नीति.
- जी-सेक पर प्रतिफल से जुड़े ऋणों के लिए ब्याज दर के निर्धारण की कार्यप्रणाली व शर्तें.
- डिजिटल ऋण नीति.
- व्हाट्सएप बैंकिंग से संबंधित उत्पाद नीति.

## 5. हितधारक संबंधपरक समिति

यह समिति शेयरों के ट्रांसफर/ट्रांसमिशन, वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति न होने, घोषित लाभांश की प्राप्ति न होने, नए/डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करने, सामान्य बैठकों आदि सहित सूचीबद्ध इकाइयों के प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों से संबंधित निगरानी करती है. यह समिति निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए समयबद्ध रूप से निगरानी भी करती है.

इस समिति में कार्यपालक निदेशक (निदेशकगण) एवं दो गैर-कार्यपालक निदेशक सदस्य के रूप में शामिल हैं तथा एक गैर-कार्यपालक निदेशक इसके अध्यक्ष हैं. इन बैठकों की तारीखें और समिति सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 3

बैठकों की तारीखें: 26.06.2020, 71.08.2020, 26.03.2021

During the year, the Committee inter-alia approved/reviewed following:

- Global Prudential Exposure caps on various Industries and Sectors for the financial year 2020-21
- Enhancement of Country Risk Exposure Limit of Egypt
- Corporate Policy of Management and Recovery of Non-Performing Assets (Domestic & Overseas Braches), Policy on Exposure Limits on Counterparty banks, Policy on Document Management Systems and Records Digitisation, Bank's Customer Protection Policy, Foreign Exchange, Gold and Derivatives Management Policy, Bank's Mobile Banking Policy for Domestic Operations, Banks Internet Banking Policy, Enterprise Risk Management Policy, Group Asset Liability Management Policy
- Amendment in the methodogy for computation of MCLR
- Revision in Corporate Office Level Credit Committees
- Revamped policy on Business Continuity Plan
- Methodology and terms of fixation for interet rate for loans linked to G-Sec par yield
- Digital Lending Policy
- Product Policy related to WhatsApp Banking

## 5. Stakeholders Relationship Committee

The Committee monitors grievances of the security holders of the listed entity including complaints related to transfer/transmission of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of declared dividends, issue of new/duplicate certificates, general meetings etc.. The Committee further monitors the redressal of investors' complaints in a time bound manner.

The Committee consists of Executive Director (s) and one non-Executive Director as its members with a Non-Executive Director as its Chairman. The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 3

Dates of Meetings: 26.06.2020, 17.08.2020, 26.03.2021,

| निदेशक का नाम | Name of the Director | उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings Held During Their Tenure | बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended |
|---|---|---|---|
| श्री श्रीनिवासन श्रीधर (अध्यक्ष) | Shri Srinivasan Sridhar (Chairman) | 3 | 3 |
| डॉ. भरत कुमार डी डांगर* | Dr. Bharatkumar D. Dangar* | 2 | 2 |
| श्री मुरली रामास्वामी | Shri Murali Ramaswami* | 2 | 2 |
| श्री शांति लाल जैन | Shri Shanti Lal Jain | 3 | 3 |
| श्री विक्रमादित्य सिंह खीची | Shri Vikramaditya Singh Khichi | 3 | 3 |
| श्री अजय के. खुराना | Shri Ajay K Khurana | 3 | 3 |
| श्री देबदत्त चाँद | Shri Debadatta Chand | 0 | 0 |

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई

*ceased to be member during the year.

वर्ष के दौरान प्राप्त एवं निवारण की गई निम्नलिखित शिकायतों / अनुरोधों को समिति द्वारा नोट किया गया:

Following requests/complaints received and resolved during the year were noted by the Committee:

| दि. 01.04.20 तक लंबित Pending as on 01.04.2020 | वर्ष के दौरान प्राप्त Received during the year | वर्ष के दौरान निस्तारित Resolved during the year | दि. 31.03.2021 तक लंबित Pending as on 31.03.2021 |
|---|---|---|---|
| 0 | 319 | 319 | 0 |

श्री पी के अग्रवाल, कम्पनी सचिव को सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, 2015 के विनियम 6 के तहत बैंक के "अनुपालन अधिकारी" के रूप में नामित किया गया है.

Shri P K Agarwal, Company Secretary is the designated "Compliance Officer" of the Bank under Regulation 6 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015.

## 6. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

यह समिति बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के अंतर्गत निदेशक मंडल में शेयरधारक निदेशक के रुप में निर्वाचन हेतु व्यक्तियों के लिए तथा इन निदेशकों हेतु वार्षिक आधार पर "फिट एण्ड प्रॉपर" स्टेटस भी सुनिश्चित करती है. इन बैठकों की तारीखें और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 1

बैठकों की तारीखें: 11.12.2020

## 6. Nomination & Remuneration Committee

The Committee ascertains 'Fit and Proper' status of persons to be elected as shareholder director on the Board as per the provisions of Section 9(3) (i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and also on annual basis for these directors. The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 1

Dates of Meetings: 11.12.2020

| निदेशक का नाम | Name of the Director | उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings Held During Their Tenure | बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended |
|---|---|---|---|
| डॉ. भरत कुमार डी डांगर (अध्यक्ष)* | Dr. Bharatkumar D. Dangar (Chairman)* | 1 | 1 |
| डॉ. हसमुख अढ़िया | Dr. Hasmukh Adhia | 1 | 1 |
| श्री श्रीनिवासन श्रीधर | Shri Srinivasan Sridhar | 1 | 1 |

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई

*ceased to be member during the year

## 7. ग्राहक सेवा समितियां

समिति के कार्यों में ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देने हेतु प्लेटफॉर्म का सृजन करना तथा सभी श्रेणी के ग्राहकों के लिए हर समय संतुष्टि स्तर में सुधार करना शामिल है.

समिति निम्नलिखित कार्यों का भी निष्पादन करती है:

- सेवा के वर्तमान स्तर को बेंचमार्क करना और उस स्तर में सुधार करने के लिए कदम उठाना.
- विभिन्न पोर्टलों पर दर्ज शिकायतों की स्थिति की समय-समय पर समीक्षा करना, पुनरावर्ती स्वरूप की शिकायतों के मूल कारणों का विश्लेषण करना और ऐसी शिकायतों को कम करने के लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव देना.
- अधिनिर्णय की तारीख से तीन महीने से अधिक बीत जाने पर भी लागू न किए गए बकाया अधिनिर्णयों तथा बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में पाई गई कमियों की स्थिति की समीक्षा करना.

## 7. Customer Service Committee

The functions of the Committee include creating a platform for making suggestions for enhancing the quality of customer services and improving the level of satisfaction for all categories of clientele at all times.

The Committee has also the following tasks:

- To benchmark the current level of service and initiate steps to further improve the level.
- To review the status of complaints lodged on various portals periodically, conducting Root Cause Analysis of complaints of repetitive nature and suggesting remedial measures to minimize such complaints.
- To review the status of the Awards remaining unimplemented for more than 3 months from the date of Awards and also deficiencies in providing banking services as observed by the Banking Ombudsman.

- मृत जमाकर्ताओं/ लॉकर किराएदारों/ सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं के जमाकर्ताओं से सम्बन्धित निपटान हेतु 15 दिनों की अवधि से अधिक समय से लंबित / बकाया मृतक दावों की संख्या की स्थिति संबंधी समीक्षा करना.
- लंबित सीओपीआरए मामलों के स्थिति की समीक्षा करना.
- विवादित एटीएम लेनदेनों की स्थिति पर चर्चा करना और ग्राहक फीडबैक सर्वेक्षण रिपोर्ट का विश्लेषण करना.

इन बैठकों की तारीखें और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 4

बैठकों की तारीखें: 28.05.2020, 25.09.2020, 19.12.2020, 26.03.2021.

- To review the status of the number of deceased claims remaining pending /outstanding for settlement beyond 15 days pertaining to deceased depositors /locker hirers / depositor of safe custody articles.
- To review the status of the COPRA cases remaining pending.
- To discuss the status of disputed ATM transactions and analyse the Customer Feedback Survey report.

The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 4

Dates of Meetings: 28.05.2020, 25.09.2020, 19.12.2020, 26.03.2021.

| निदेशक का नाम | Name of the Director | उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें<br>Meetings Held During Their Tenure | बैठकों में उनकी उपस्थिति<br>Meetings Attended |
|---|---|---|---|
| श्री संजीव चड्ढा (अध्यक्ष) | Shri Sanjiv Chadha (Chairman) | 4 | 4 |
| श्री मुरली रामास्वामी* | Shri Murali Ramaswami * | 3 | 3 |
| श्री शांति लाल जैन | Shri Shanti Lal Jain | 4 | 4 |
| श्री विक्रमादित्य सिंह खीची | Shri Vikramaditya Singh Khichi | 4 | 4 |
| श्री अजय के. खुराना | Shri Ajay K Khurana | 4 | 4 |
| श्री श्रीनिवासन श्रीधर | Shri Srinivasan Sridhar | 4 | 4 |
| श्री देबदत्त चाँद | Shri Debadatta Chand | 0 | 0 |

*वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई

*ceased to be member during the year.

## 8. बड़ी राशि की धोखाधड़ी संबंधी समिति

समिति बैंक में रु 1.00 करोड़ और उससे अधिक की राशि के धोखाधड़ी संबंधी मामलों की निगरानी करती है ताकि:

(क) धोखाधड़ी के आपराधिक कृत्य में प्रणालीगत खामियों, यदि कोई हो, का पता लगाने और उन पर नियंत्रण करने के लिए उपाय करना.

(ख) धोखाधड़ी का पता लगाने में विलम्ब के कारणों की पहचान, यदि कोई हो, तथा उच्च प्रबंधन और भारतीय रिज़र्व बैंक को उसकी रिपोर्टिंग.

(ग) सीबीआई/ पुलिस जांच पड़ताल की प्रगति तथा वसूली की स्थिति की निगरानी.

(घ) यह सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में सभी स्तरों पर स्टाफ जवाबदेही का परीक्षण हो और जहां स्टाफ पर कार्रवाई अपेक्षित हो, अविलम्ब पूरी की जाए.

(ङ) धोखाधड़ी की पुनरावृति के निवारण के लिए की गई सुधारात्मक कार्रवाई की प्रभावोत्पादकता की समीक्षा यथा आंतरिक नियंत्रण को सशक्त करना.

(च) ऐसे अन्य उपाय करना जो धोखाधड़ी के विरूद्ध निवारक उपायों को सुदृढ़ करने के लिए उपयुक्त समझे जाएं.

## 8. Committee on High Value Frauds

The Committee monitors high value frauds of ₹1.00 crore and above in the Bank so as to:

a) Identify the systemic lacunae if any that facilitated perpetration of the fraud and put in place remedial measures to plug the same.

b) Identify the reasons for delay in detection, if any, and reporting to the Top Management and RBI.

c) Monitor progress of CBI / Police Investigation, and recovery position.

d) Ensure that staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds and staff side action, if required, is completed quickly without loss of time.

e) Review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls etc.

f) Put in place other measures as may be considered relevant to strengthen preventive measures against frauds.

इन बैठकों की तारीखें और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 4

बैठकों की तारीखें: 23.04.2020, 27.07.2020, 25.11.2020, 25.02.2021

The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 4

Dates of Meetings: 23.04.2020, 27.07.2020, 25.11.2020, 25.02.2021

| निदेशक / सदस्य का नाम | Name of the Director / Member | उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings Held During Their Tenure | बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended |
|---|---|---|---|
| डॉ. हसमुख अढ़िया (अध्यक्ष) | Dr. Hasmukh Adhia (Chairman) | 4 | 4 |
| श्री संजीव चड्ढा | Shri Sanjiv Chadha | 4 | 4 |
| श्री श्रीनिवासन श्रीधर | Shri Srinivasan Sridhar | 4 | 4 |
| प्रो. बिजू वर्क्की* | Prof. Biju Varkkey* | 2 | 2 |
| श्री मुरली रामास्वामी (आमंत्रिती)* | Shri Murali Ramaswami (Invitee)* | 3 | 3 |
| श्री शांति लाल जैन (आमंत्रिती) | Shri Shanti Lal Jain (Invitee) | 4 | 4 |
| श्री विक्रमादित्य सिंह खीची (आमंत्रिती) | Shri Vikramaditya Singh Khichi (Invitee) | 4 | 3 |
| श्री अजय के. खुराना (आमंत्रिती) | Shri Ajay K Khurana (Invitee) | 4 | 4 |
| श्री देबदत्त चाँद (आमंत्रिती) | Shri Debadatta Chand (Invitee) | 0 | 0 |
| श्री शिव नारायण कौशिक (सीवीओ) (आमंत्रिती) | Shri Shiv Narain Kaushik (CVO) (Invitee) | 4 | 4 |

*वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई

*ceased to be member during the year

## 9. बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति

सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, तकनीकी जोखिम प्रबंधन एवं साइबर धोखाधड़ियों पर भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यदल की सिफारिशों के अनुसार, बैंक ने अपने निदेशक मंडल की दिनांक 27 फरवरी, 2012 की बैठक में आईटी कार्यनीति समिति का गठन किया. इन बैठकों की तारीखें और सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 6

बैठकों की तारीखें: 24.04.2020, 08.05.2020, 28.08.2020, 29.09.2020, 26.11.2020, 02.03.2021

## 9. IT Strategy Committee of the Bank

In accordance with the recommendations of Reserve Bank of India Working Group on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management & Cyber Frauds, the Bank at its Board meeting held on 27th February, 2012, constituted an IT Strategy Committee. The dates of the meetings and attendance of the members are as under:

No. of Meetings held: 6

Dates of Meetings: 24.04.2020, 08.05.2020, 28.08.2020, 29.09.2020, 26.11.2020, 02.03.2021

| निदेशक / सदस्य का नाम | Name of the Director / Member | उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings Held During Their Tenure | बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended |
|---|---|---|---|
| डॉ. भरत कुमार डी. डांगर* | Dr. Bharatkumar D. Dangar* | 5 | 5 |
| श्री संजीव चड्ढा | Shri Sanjiv Chadha | 6 | 6 |
| श्री अजय के. खुराना | Shri Ajay K Khurana | 6 | 6 |
| प्रो. बिजू वर्क्की* | Prof. Biju Varkkey* | 4 | 4 |
| श्री श्रीनिवासन श्रीधर | Shri Srinivasan Sridhar | 1 | 1 |
| डॉ. दीपक बी पाठक – सलाहकार | Dr. Deepak B Pathak - Advisor | 6 | 6 |

*वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई

*ceased to be member during the year

बैंक, ग्राहकों की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए निरंतर अपने उत्पाद, प्रणाली व संरचना में सुधार कर रहा है. बैंकिंग सेवाओं के डिजिटल होने पर ग्राहकों की अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं जिससे कि सूचना प्रौद्योगिकी संरचना का निरंतर उन्नयन करना पड़ता है.

### 10. मानव संसाधन पर निदेशक मंडल की कार्यनीति सलाहकार समिति

मानव संसाधन पर निदेशक मंडल की रणनीतिक सलाहकार समिति मानव संसाधन से संबंधित विभिन्न मामलों/ मुद्दों पर चर्चा करती है. बैंक ने एक एचआर विशेषज्ञ को समिति के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है. इन बैठकों की तारीखें और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 6

बैठकों की तारीखें: 22.04.2020, 05.08.2020, 24.09.2020, 09.11.2020, 18.12.2020, 10.03.2021

Bank is constantly evolving its products, systems and structure to meet the growing aspirations of the customers. Digitization of banking services has raised the expectations of the customers thus driving continuous upgradation of the IT infrastructure.

### 10. Strategic Advisory Committee of the Board on HR

The Strategic Advisory Committee of the Board on HR discusses various matters/issues related to Human Resources. The Bank has inducted one specialist in the area of HR as Advisors to the Committee. The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 6

Dates of Meetings: 22.04.2020, 05.08.2020, 24.09.2020, 09.11.2020, 18.12.2020, 10.03.2021

| निदेशक / सदस्य का नाम | Name of the Director / Member | उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings Held During Their Tenure | बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended |
|---|---|---|---|
| डॉ. हसमुख अढ़िया | Dr. Hasmukh Adhia | 6 | 6 |
| श्री संजीव चड्ढा | Shri Sanjiv Chadha | 6 | 5 |
| प्रो. बिजू वर्क्की* | Prof. Biju Varkkey* | 3 | 3 |
| श्री शांति लाल जैन* | Shri Shanti Lal Jain* | 6 | 6 |
| श्री देबदत्त चाँद | Shri Debadatta Chand | 0 | 0 |
| श्री श्रीनिवासन श्रीधर | Shri Srinivasan Sridhar | 6 | 6 |
| श्री कृष शंकर - सलाहकार | Shri Krish Shankar - Advisor | 6 | 4 |

*वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित की समीक्षा/अनुमोदन किया है:

- कोविड -19 का प्रकोप – कर्मचारी - केंद्रित पहले.
- बैंक में मानव संसाधन संबंधी जोखिम की पहचान और मानव संसाधन जोखिम के विभिन्न तत्वों हेतु फ्रेमवर्क,
- बैंक कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया नीति की समीक्षा.
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा अधिकारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1976 में संशोधन.
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुपालन संबंधी कार्यों हेतु कर्मचारी संबंधी आवश्यकताओं, कौशल इन्वेंट्री और प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं की समीक्षा.
- वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कर्मचारी कल्याण कोष के अंतर्गत व्यय और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बजट.
- मुख्य महाप्रबंधक के नए वेतनमान (संवर्ग) की शुरुआत के दृष्टिगत अनुशासनात्मक प्राधिकारियों/ सक्षम प्राधिकारियों की अनुसूची में संशोधन.
- संवेदनशील पदों सहित कर्मचारियों के रोटेशन के ओवरड्यू पोजीशन संबंधी स्थिति.

*ceased to be member during the year

During FY 2020-21, the Committee inter-alia approved/ reviewed the following:

- Outbreak of COVID -19 – Employee-centric initiatives.
- Framework for reckoning HR Risk and various elements of HR Risk in the Bank
- Review of Social Media Policy for Bank Employees
- Amendment to the Bank of Baroda Officers (Discipline & Appeal) Regulations, 1976
- Reviewing Manpower Requirements, Skill Inventory and Training Needs for Compliance Function – Mandated by RBI
- Expenses under Staff Welfare Fund for the FY 2019-20 and budget for the FY 2020-21
- Revision of Schedule of Disciplinary Authorities/ Competent Authorities in the light of introduction of new Scale (Cadre) of Chief General Manager
- Status on overdue position of rotation of staff including in Sensitive positions

- धनसंपदा प्रबंधन सेवाएं (बड़ौदा रेडियंस) हेतु अनुबंध आधार पर निर्धारित अवधि के लिए मानव संसाधन की आवश्यकता.

## 11. निदेशकों की समिति

यह समिति वित्त मंत्रालय के अनुरुप सतर्कता/ गैर-सतर्कता संबंधी अनुशासनिक मामलों और विभागीय जांचों की समीक्षा का कार्य करती है. इन बैठकों की तारीखें और सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 2

बैठकों की तारीखें: 29.05.2020, 23.12.2020

- Requirement of Human Resources on Fixed Term Engagement on Contract Basis for Wealth Management Services (Baroda Radiance)

## 11. Committee of Directors

This Committee deals with review of vigilance/non-vigilance disciplinary cases and departmental enquiries in line with MOF guidelines. The dates of the meetings and attendance of the members are as under:

No. of Meetings held: 2

Dates of Meetings: 29.05.2020, 23.12.2020

| निदेशक का नाम | Name of the Director | उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings Held During Their Tenure | बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended |
|---|---|---|---|
| श्री संजीव चड्ढा (अध्यक्ष) | Shri Sanjiv Chadha (Chairman) | 2 | 2 |
| श्री अजय कुमार | Shri Ajay Kumar | 2 | 2 |
| श्री अमित अग्रवाल | Shri Amit Agrawal | 2 | 1 |
| श्री शांति लाल जैन (आमंत्रिती)* | Shri Shanti Lal Jain (Invitee)* | 2 | 1 |
| श्री देबदत्त चाँद (आमंत्रिती) | Shri Debadatta Chand (Invitee) | 0 | 0 |

*वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई

*ceased to be member during the year

## 12. वसूली निगरानी के लिए समिति

यह समिति बैंक में एनपीए प्रबंधन की समीक्षा करती है; ऋण एवं अग्रिमों की वसूली प्रणाली एवं वसूली तथा बड़ी राशि के एनपीए खातों में वसूली कार्य निष्पादन की निगरानी करती है. इन बैठकों की तारीखें और सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 6

बैठकों की तारीखें: 24.04.2020, 28.05.2020, 05.08.2020, 23.09.2020, 25.11.2020, 26.02.2021

## 12. Committee for Monitoring of Recovery

The Committee reviews NPA management in the Bank; provides oversight on collection system and recovery of loans & advances and monitors recovery performance in large value NPA accounts. The dates of the meetings and attendance of the members are as under:

No. of Meetings held: 06

Dates of Meetings: 24.04.2020, 28.05.2020, 05.08.2020, 23.09.2020, 25.11.2020, 26.02.2021

| निदेशक/ सदस्य का नाम | Name of the Director / Member | उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings Held During Their Tenure | बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended |
|---|---|---|---|
| डॉ. हसमुख अढ़िया (अध्यक्ष) | Dr. Hasmukh Adhia (Chairman) | 2 | 2 |
| श्री संजीव चड्ढा | Shri Sanjiv Chadha | 6 | 6 |
| श्री शांति लाल जैन | Shri Shanti Lal Jain | 6 | 6 |
| श्री विक्रमादित्य सिंह खीची | Shri Vikramaditya Singh Khichi | 6 | 6 |
| श्री मुरली रामास्वामी* | Shri Murali Ramaswami* | 5 | 5 |
| श्री अजय के. खुराना | Shri Ajay K. Khurana | 6 | 6 |
| श्री देबदत्त चाँद | Shri Debadatta Chand | 0 | 0 |
| डॉ. भरतकुमार डी. डांगर* | Dr. Bharatkumar D. Dangar* | 5 | 5 |
| प्रो. बिजू वर्क्की* | Prof. Biju Varkkey* | 4 | 4 |

*वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई

*ceased to be member during the year.

समिति ने एनपीए एवं बट्टाकृत खातों में वसूली की समग्र स्थिति, एनपीए खातों में वसूली कार्रवाई की स्थिति, इरादतन चूककर्ता, आईबीसी के अंतर्गत प्रगति एवं वसूली में वृद्धि हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई विभिन्न कार्यनीतियों/ पहलों के समग्र कार्यान्वयन/ प्रगति की समीक्षा की.

### 13. ग्रामीण-वित्तीय समावेशन एवं कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पर निदेशक मंडल की संचालन समिति

समिति बैंक ऑफ़ बड़ौदा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति के अंतर्गत सभी गतिविधियों का पर्यवेक्षण करती है तथा बैंक द्वारा की जाने वाली सीएसआर परियोजना या कार्यक्रम या गतिविधियों के कार्यान्वयन तथा उसके सामाजिक प्रभाव हेतु पारदर्शी निगरानी प्रणाली स्थापित करती है. इन बैठकों की तारीखें एवं सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 4

बैठकों की तारीखें: 29.05.2020, 24.09.2020, 18.12.2020, 25.03.2021

The Committee reviewed overall position of recovery in NPA and written off accounts, status of recovery actions in NPA accounts, wilful defaulters, progress under IBC and overall implementation/progress of various strategies/initiatives taken by the Bank for maximization of recovery.

### 13. Steering Committee of the Board on Rural – FI & CSR

The Committee oversees all activities under the Bank's Corporate Social Responsibility Policy and institutes a transparent monitoring mechanism for implementation of CSR projects or programs or activities undertaken by the Bank and social impact of the same. The dates of the meetings and attendance of the members are as under:

No. of Meetings held: 4

Dates of Meetings: 29.05.2020, 24.09.2020, 18.12.2020, 25.03.2021

| निदेशक का नाम | Name of the Director | उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings Held During Their Tenure | बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended |
|---|---|---|---|
| डॉ. हसमुख अढ़िया (अध्यक्ष) | Dr. Hasmukh Adhia (Chairman) | 4 | 4 |
| श्री संजीव चड्ढा | Shri Sanjiv Chadha | 4 | 2 |
| श्री मुरली रामास्वामी* | Shri. Murali Ramaswami* | 3 | 3 |
| श्री शांति लाल जैन | Shri Shanti Lal Jain | 4 | 4 |
| श्री विक्रमादित्य सिंह खीची | Shri Vikramaditya Singh Khichi | 4 | 4 |
| श्री अजय के. खुराना | Shri. Ajay Khurana | 4 | 4 |
| श्री देबदत्त चाँद | Shri Debadatta Chand | 1 | 1 |
| डॉ. भरतकुमार डी. डांगर* | Dr. Bharatkumar D Dangar* | 3 | 3 |
| प्रो. बिजू वर्क्की* | Prof. Biju Varkkey* | 2 | 2 |

*वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई

*ceased to be member during the year

### 14. इरादतन चूककर्ताओं पर समीक्षा समिति

यह समिति भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 7 जनवरी, 2015 के दिशानिर्देशों के अनुरूप इरादतन चूककर्ताओं की पहचान संबंधी प्रणाली में संशोधन के अनुसार गठित की गई है.

आयोजित बैठकें: 07

बैठकों की तारीखें: 24.04.2020, 28.05.2020, 05.08.2020, 26.08.2020, 23.09.2020, 09.11.2020, 26.03.2021

### 14. Review Committee on Wilful Defaulters

This Committee is constituted as per modification in the Mechanism for identification of Wilful Defaulters as per Reserve Bank of India guidelines dated 7th January, 2015.:

No. of Meetings held: 07

Dates of Meetings: 24.04.2020, 28.05.2020, 05.08.2020, 26.08.2020, 23.09.2020, 09.11.2020, 26.03.2021

| निदेशक का नाम | Name of the Director | उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings Held During Their Tenure | बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended |
|---|---|---|---|
| श्री संजीव चड्ढा (अध्यक्ष) | Shri Sanjiv Chadha (Chairman) | 7 | 7 |
| डॉ. भरतकुमार डी. डांगर* | Dr. Bharatkumar D. Dangar* | 6 | 6 |
| प्रो. बिजू वर्क्की* | Prof. Biju Varkkey* | 5 | 5 |
| श्री श्रीनिवासन श्रीधर | Shri Srinivasan Sridhar | 2 | 2 |
| श्रीमती सौंदरा कुमार | Smt Soundara Kumar | 1 | 1 |

*वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई

*ceased to be member during the year

### 15. पूर्णकालिक निदेशकों के एपीएआर के कार्य निष्पादन मूल्यांकन संबंधी समिति

यह समिति भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकों, मुख्य महाप्रबंधकों और महाप्रबंधकों के वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन के संबंध में गठित की गई है:

आयोजित बैठकें: 02

बैठकों की तारीखें: 08.05.2020, 09.10.2020

### 15. Committee on Performance Evaluation of APAR of Wholetime Directors

This Committee is constituted as per Government of India guidelines with regarding to annual performance evaluation of Managing Director & CEO, Executive Directors, Chief General Managers and General Managers:

No. of Meetings held: 02

Dates of Meetings: 08.05.2020, 09.10.2020

| निदेशक का नाम | Name of the Director | उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings Held During Their Tenure | बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended |
|---|---|---|---|
| डॉ. हसमुख अढ़िया (अध्यक्ष) | Dr. Hasmukh Adhia (Chairman) | 2 | 2 |
| श्री अमित अग्रवाल | Shri Amit Agarwal | 2 | 1 |
| डॉ. भरतकुमार डी. डांगर | Shri Bharatkumar D. Dangar | 2 | 2 |
| प्रो. बिजू वर्क्की* | Prof. Biju Varkkey* | 2 | 2 |

*वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई

*ceased to be member during the year

### 16. ग्रेड/ वेतनमान – VII और VIII के उच्च प्रबंधन कार्यपालकों के अनुशासनात्मक मामलों के संबंध में अपीलों पर विचार करने के लिए समिति

यह समिति टीईजी/एस- VII में महाप्रबंधकों और टीईजी/एस- VIII में मुख्य महाप्रबंधकों के अनुशासनात्मक मामलों में अपीलों से निपटने के लिए गठित है.

आयोजित बैठकें: 02

बैठकों की तारीखें: 26.06.2020, 28.12.2020

### 16. Committee to consider Appeals in respect of Disciplinary Cases of Top Management Executives in Grade / Scales – VII and VIII

This Committee is constituted to deal with appeals in the matters of disciplinary cases of General Managers in TEG/S-VII and Chief General Managers in TEG/S-VIII.

No. of Meetings held: 02

Dates of Meetings: 26.06.2020, 28.12.2020

| निदेशक का नाम | Name of the Director | उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings Held During Their Tenure | बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended |
|---|---|---|---|
| **श्री अमित अग्रवाल (अध्यक्ष)** | Shri Amit Agarwal (Chairman) | **2** | **2** |
| **श्री अजय कुमार** | Shri Ajay Kumar | **2** | **2** |
| **श्री श्रीनिवासन श्रीधर** | Shri Srinivasan Sridhar | **2** | **2** |

## निदेशकों का पारिश्रमिक

गैर- कार्यपालक निदेशकों की यात्रा तथा ठहरने पर होने वाले व्यय सहित पारिश्रमिक का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (यथा संशोधित) की धारा 17 में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से यथा निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाता है.

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशकों (पूर्णकालिक निदेशक) को पारिश्रमिक का भुगतान भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप वेतन के रूप में किया जाता है. इस समय बैंक में कोई स्टॉक ऑप्शन योजना नहीं है. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का ब्यौरा निम्नानुसार है:

### वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भुगतान किया गया पारिश्रमिक:

| नाम | पदनाम | वित्त वर्ष 2020-21 में पारिश्रमिक (₹) |
|---|---|---|
| श्री संजीव चड्ढा | प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (20.01.2020 से) | ₹ 35,39,380/- |
| श्री शांति लाल जैन | कार्यपालक निदेशक | ₹ 31,57,372/- |
| श्री विक्रमादित्य सिंह खीची | कार्यपालक निदेशक | ₹ 35,64,623/- |
| श्री मुरली रामास्वामी* | कार्यपालक निदेशक (दिनांक 31.12.2020 तक) | ₹ 23,96,828/-# |
| श्री अजय के खुराना | कार्यपालक निदेशक | ₹ 29,90,055/- |
| श्री देबदत्त चाँद | कार्यपालक निदेशक (दिनांक 10.03.2021 से) | ₹ 1,55,527/- |

*कार्यकाल की समाप्ति होने पर वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे.

#Retirement benefit of ₹ 85,43,022/- not included.

वर्ष 2020-21 के दौरान कार्यनिष्पादन से जुड़े प्रदत्त प्रोत्साहन – शून्य

### गैर-कार्यपालक निदेशकों को भुगतान किया गया बैठक शुल्क:

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970, सरकारी दिशानिर्देशों के साथ पठित, के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल एवं निदेशक मंडल समितियों में भाग लेने हेतु गैर कार्यपालक निदेशकों को बैठक शुल्क दिया जाता है. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भुगतान किए गए बैठक शुल्क का विवरण निम्नानुसार है: (पूर्णकालिक निदेशकों तथा भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशकों को किसी प्रकार का बैठक शुल्क देय नहीं है):

## REMUNERATION OF DIRECTORS

The remuneration including travelling and halting expenses to non-Executive Directors are paid as stipulated by the Central Government in consultation with Reserve Bank of India from time to time in terms of Clause 17 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended).

The Managing Director & CEO and Executive Directors (whole time directors) are paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Government of India. At present the Bank has no Stock Option Scheme. The details of remuneration paid to the Managing Director & CEO and Executive Director/s are detailed below

### Remuneration paid during the Financial Year 2020-21:

| Name | Designation | Remuneration in FY 2020-21 (₹) |
|---|---|---|
| Shri Sanjiv Chadha | MD & CEO (w.e.f. 20.01.2020) | 35,39,380/- |
| Shri Shanti Lal Jain | Executive Director | 31,57,372/- |
| Shri Vikramaditya Singh Khichi | Executive Director | 35,64,623/- |
| Shri Murali Ramaswami * | Executive Director (upto 31.12.2020) | 23,96,828/-# |
| Shri Ajay Kumar Khurana | Executive Director | 29,90,055/- |
| Shri Debadatta Chand | Executive Director (w.e.f. 10.03.2021) | 1,55,527/- |

*ceased during the year on completion of tenor.

#Retirement benefit of ₹ 85,43,022/- not included.

Performance Linked Incentives paid during 2020-21: Nil

### Sitting Fee paid to Non-executive Directors:

The Sitting Fee is paid to the non-Executive Directors as per the provisions of Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, read with Government guidelines for attending Board and Board Committee meetings. Details of sitting fee paid during the Year 2020-21 are as under (No sitting fee is payable to Whole Time Directors and Directors representing Government of India & RBI):

| क्र.सं. | निदेशक का नाम | राशि (₹) |
|---|---|---|
| 1 | डॉ. हसमुख अढ़िया | 25,00,000/- |
| 2 | डॉ. भरत कुमार डांगर* | 18,75,000/- |
| 3 | श्री श्रीधर श्रीनिवासन | 25,00,000/- |
| 4 | श्रीमती सौंदरा कुमार | 25,00,000/- |
| 5 | प्रो. बिजू वर्क्की* | 13,30,000/- |

*कार्यकाल की समाप्ति होने पर वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई

## सामान्य सभा की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बैंक के शेयरधारकों की 24वीं वार्षिक सामान्य बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से दिनांक 31 जुलाई, 2020 को आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | डॉ. हसमुख अढ़िया | अध्यक्ष |
| 2. | श्री संजीव चड्ढा | प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी |
| 3. | श्री मुरली रामास्वामी | कार्यपालक निदेशक |
| 4. | श्री शांति लाल जैन | कार्यपालक निदेशक |
| 5. | श्री विक्रमादित्य सिंह खीची | कार्यपालक निदेशक |
| 6. | श्री अजय के खुराना | कार्यपालक निदेशक |
| 7. | श्री अजय कुमार | निदेशक (भारतीय रिज़र्व बैंक) |
| 8. | श्री श्रीधर श्रीनिवासन | निदेशक (शेयरधारक)-अध्यक्ष एसआरसी एवं एसीबी |
| 9. | डॉ. भरतकुमार डी. डांगर | निदेशक (शेयरधारक) |
| 10. | श्रीमती सौंदरा कुमार | निदेशक (शेयरधारक) |
| 11. | प्रो. बिजू वर्क्की | निदेशक |

| Sr. No. | Name of the Director | Amount (₹) |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Hasmukh Adhia | 25,00,000/- |
| 2 | Dr. Bharatkumar Dangar* | 18,75,000/- |
| 3 | Shri Sridhar Srinivasan | 25,00,000/- |
| 4 | Smt. Soundara Kumar | 25,00,000/- |
| 5 | Prof. Biju Varkkey* | 13,30,000/- |

*ceased during the year on completion of tenor

## GENERAL BODY MEETINGS

The 24th Annual General Meeting of the shareholders of the Bank for FY 2019-20 was held on 31st July, 2020 through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM), in which following directors participated.

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Dr. Hasmukh Adhia | Chairman |
| 2. | Shri Sanjiv Chadha | Managing Director & CEO |
| 3. | Shri Murali Ramaswami | Executive Director |
| 4. | Shri Shanti Lal Jain | Executive Director |
| 5. | Shri Vikramaditya Singh Khichi | Executive Director |
| 6. | Shri Ajay K. Khurana | Executive Director |
| 7. | Shri Ajay Kumar | Director (RBI) |
| 8. | Shri Srinivasan Sridhar | Director (Shareholder) - Chairman SRC & ACB |
| 9. | Dr. Bharatkumar D. Dangar | Director (Shareholder) |
| 10. | Smt. Soundara Kumar | Director (Shareholder) |
| 11. | Prof. Biju Varkkey | Director |

गत तीन वर्षों के दौरान सामान्य सभा/ पोस्टल बैलट की आयोजित बैठकों का विवरण निम्नानुसर है:

The details of General Body Meetings held / postal ballot conducted during the last three years are given below:

| बैठक का स्वरूप<br>**Nature of Meeting** | दिनांक एवं समय<br>**Date & Time** | स्थान<br>**Venue** | कार्यवाही<br>**Business Performed** |
|---|---|---|---|
| ईजीएम<br>EGM | 23 दिसंबर 2020 को सुबह 11.00 बजे<br>23rd December 2020 at 11.00 a.m. | वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से<br>Through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) | बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में श्रीमती सौंदरा कुमार का पुनः निर्वाचन<br>Re-elected Smt. Soundara Kumar as Shareholder Director of the Bank. |
| 24वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम)<br>24th Annual General Meeting (AGM) | 31 जुलाई, 2020 को सुबह 10.00 बजे<br>31st July, 2020 at 10.00 a.m. | वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से<br>Through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) | ♦ वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक वित्तीय परिणामों का अनुमोदन<br>♦ विशेष संकल्प द्वारा विभिन्न माध्यमों से ₹ 9,000/- करोड़ तक इक्विटी पूंजी जुटाने का अनुमोदन<br>♦ Approved Annual Financial Results for the year 2019-20.<br>♦ Approved raising of Equity Capital upto ₹ 9,000/- crore by way of various modes by Special Resolution. |
| 23वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम)<br>23rd Annual General Meeting (AGM) | दिनांक 27 जून, 2019 को सुबह 10.00 बजे<br>27th June, 2019 at 10.00 a.m. | पंडित दीनदायल उपाध्याय नगर गृह, कैलाश पार्टी प्लॉट के सामने, आजवा चोकड़ी के पास, आजवा रोड, वडोदरा - 390019<br>Pandit Deendayal Upadhyay Nagar Gruh, Opp. Kailash Party Plot, Near Ajwa Chowkdi, Ajwa Road, Vadodara - 390019 | ♦ वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक वित्तीय परिणाम का अनुमोदन<br>♦ विशेष संकल्प द्वारा कई प्रणालियों से ₹ 11,900/- करोड़ तक इक्विटी पूंजी प्राप्त करने के लिए अनुमोदन<br>♦ बैंक ऑफ़ बड़ौदा कर्मचारी शेयर खरीद योजना (बीओबी-ईएसपीएस) के अंतर्गत कर्मचारियों और पूर्ण कालिक निदेशकों को 15,00,00,000 इक्विटी शेयर जारी करना.<br>♦ Approved Annual Financial Results for the year 2018-19.<br>♦ Approved raising of Equity Capital upto ₹ 11,900/- crore by way of various modes by Special Resolution.<br>♦ Issue of 15,00,00,000 Equity Shares to Employees and Whole Time Directors of the Bank under Bank of Baroda Employee Share Purchase Scheme ("BOB-ESPS") |
| पोस्टल बैलट<br>Postal Ballot | 10 दिसंबर, 2019<br>10th December 2019 | पोस्टल बैलट<br>Postal Ballot | विशेष संकल्प द्वारा भारत सरकार को अधिमानी आधार पर प्रत्येक ₹ 2/- के अंकित मूल्य की दर से ₹ 107.45 प्रति शेयर पर 65,14,65,798 तक के इक्विटी शेयर जारी करने हेतु अनुमोदन<br>पोस्टल बैलट की प्रक्रिया कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार / सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार की गई और मेसर्स एस एन अनंतासुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सचिव, मुंबई द्वारा आयोजन/ संवीक्षा की गई<br>Approved by Special Resolution to issue upto 65,14,65,798 equity shares of the FV of ₹ 2/- each @ ₹ 107.45 per share to GOI on preferential basis.<br>Postal Ballot exercise has been taken in accordance with guidelines issued by Ministry of Corporate Affairs, GOI / SEBI and conducted / scrutinized by M/s S N Ananthasubramanian & Co, Company Secretaries, Mumbai. |

| बैठक का स्वरूप<br>**Nature of Meeting** | दिनांक एवं समय<br>**Date & Time** | स्थान<br>**Venue** | कार्यवाही<br>**Business Performed** |
|---|---|---|---|
| पोस्टल बैलट<br>Postal Ballot | 8 जून, 2019<br>08th June 2019 | पोस्टल बैलट<br>Postal Ballot | विशेष संकल्प द्वारा भारत सरकार को अधिमानी आधार पर प्रत्येक ₹ 2/- के अंकित मूल्य की दर से ₹ 117.65 प्रति शेयर पर 42,85,59,286 तक के इक्विटी शेयर जारी करने हेतु अनुमोदन<br>पोस्टल बैलट की प्रक्रिया कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार / सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार की गई और मेसर्स एस एन अनंतासुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सचिव, मुंबई द्वारा आयोजन/ संवीक्षा की गई<br>Approved by Special Resolution to issue upto 42,85,59,286 equity shares of the FV of ₹ 2/- each @ ₹ 117.65 per share to GOI on preferential basis.<br>Postal Ballot exercise has been taken in accordance with guidelines issued by Ministry of Corporate Affairs, GOI / SEBI and conducted / scrutinized by M/s S N Ananthasubramanian & Co, Company Secretaries, Mumbai. |
| असाधारण आम बैठक (ईजीएम)<br>Extra Ordinary General Meeting (EGM) | दिनांक 21 जनवरी, 2019 को सुबह 10.00 बजे<br>21st January 2019<br>at 10.00 a.m. | बैंक ऑफ़ बड़ौदा, "बड़ौदा भवन", सर सयाजी सभागार, भू-तल, प्रधान कार्यालय, आर सी दत्त रोड, अलकापुरी, वडोदरा - 390007<br>Bank of Baroda, "Baroda Bhavan", Sir Sayaji Hall, Ground Floor, Head Office, R C Dutt Road, Alkapuri, Vadodara 390007 | बैंक ऑफ़ बड़ौदा कर्मचारी शेयर खरीद योजना (बीओबी-ईएसपीएस) के अंतर्गत कर्मचारियों और पूर्ण कालिक निदेशकों को इक्विटी शेयर जारी करना<br>Issue of Equity Shares to Employees and Whole Time Directors of the Bank under Bank of Baroda Employee Share Purchase Scheme ("BOB-ESPS") |
| असाधारण आम बैठक<br>EGM | दिनांक 10 दिसंबर, 2018 को सुबह 10.00 बजे<br>10th December 2018<br>at 10.00 a.m. | सर सयाजीराव नगर गृह, वडोदरा<br>महानगर सेवा सदन, बैंक ऑफ़ बड़ौदा टी.पी.-I एफ.पी.549/1 जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, अकोटा, वडोदरा - 390020<br>Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, Bank of Baroda T.P.-1, F.P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara – 390 020 | श्री श्रीनिवासन श्रीधर का बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में चयन किया गया.<br>Elected Shri Srinivasan Sridhar as Shareholder Director of the Bank. |
| 22वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम)<br>22nd Annual General Meeting (AGM) | दिनांक 13 जुलाई, 2018 को सुबह 10.00 बजे<br>13th July, 2018 at 10.00 a.m. | | ♦ वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक वित्तीय परिणाम का अनुमोदन<br>♦ विशेष संकल्प द्वारा कई प्रणालियों से ₹ 6,000/- करोड़ तक इक्विटी पूंजी बढ़ाने के लिए अनुमोदन<br>♦ Approved Annual Financial Results for the year 2017-18.<br>♦ Approved raising of Equity Capital upto ₹ 6,000/- crore by way of various modes by Special Resolution. |

## संप्रेषण के साधन

बैंक मौजूदा संचार साधनों के माध्यम से अपने सदस्यों और हितधारकों को उनके हितों से संबद्ध जानकारियों के बारे में सूचित करने की आवश्यकता समझता है. निवेशकों एवं हितधारकों को समय पर, पारदर्शी तरीके से एवं व्यापक स्तर पर सूचनाओं का प्रकटीकरण सुनिश्चित किया जाता है. शेयरधारकों की सहभागिता में सुविधा हो इसके लिए बैंक इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है और प्रॉक्सी एवं प्रतिनिधियों को शेयरधारकों की अनुपस्थिति में उनकी ओर से मतदान की अनुमति देता है.

बैंक के वित्तीय परिणामों को निदेशक मंडल की बैठक में उनके अनुमोदन के पश्चात बैठक की समाप्ति पर तत्काल उन स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया जाता है जहां पर बैंक की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं. ये परिणाम कम से कम एक अंग्रेजी भाषा के राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र, जिसका प्रसार पूरे भारत या भारत के महत्वपूर्ण स्थानों पर हो और दूसरा समाचार पत्र उस राज्य की भाषा, जहां बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है अर्थात गुजरात (गुजराती में), में प्रकाशित करवाए जाते हैं. बैंक छमाही आधार पर शेयरधारकों को परिणामों और प्रबंधन परिप्रेक्ष्य का सार प्रस्तुत करता है. बैंक वित्तीय परिणामों तथा प्रबंधन के दृष्टिकोण के संबंध में विश्लेषकों की बैठकें, मीडिया मीट, निवेशकों/ विश्लेषकों आदि के साथ भी बैठकें आयोजित करता है.

बैंक के तिमाही/ ईयर टू डेट/ वार्षिक वित्तीय परिणामों के साथ-साथ विश्लेषकों को दी गई प्रेजेंटेशन की प्रति तथा अन्य आधिकारिक घोषणाएं बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर उपलब्ध रहते हैं. विश्लेषक बैठक में की गई प्रस्तुति के वेबकास्ट का सीधा प्रसारण देखने हेतु वेबसाइट में लिंक उपलब्ध कराया जाता है और संग्रहीत वेबकास्ट भी 30 दिनों तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहता है.

## वित्तीय कैलेंडर

| | |
|---|---|
| वित्तीय वर्ष | 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 |
| खातों (स्टैंडअलोन एवं समेकित) पर विचार विमर्श करने हेतु निदेशक मंडल की बैठक | 29 मई 2021 |
| 25वीं वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख, समय एवं स्थान | दिनांक : 08 जुलाई 2021<br>समय : सुबह 11.00<br>वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से |

## शेयरधारकों से संबद्ध सूचना

बैंक के शेयर भारत में निम्नलिखित प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं:

| | |
|---|---|
| नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.<br>“एक्सचेंज प्लाजा”<br>बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,<br>बांद्रा (पूर्व),<br>मुंबई - 400051<br>एनएसई कोड : BANKBARODA | बीएसई लि.<br>फिरोज जीजीभोय टॉवर्स,<br>25वां तल,<br>दलाल स्ट्रीट, फोर्ट<br>मुंबई - 400 001<br>बीएसई कोड : 532134 |

एक्सचेंजों में सूचीबद्ध सभी प्रतिभूतियों के संबंध में वार्षिक सूचीयन शुल्क का भुगतान कर दिया गया है.

## MEANS OF COMMUNICATION

The Bank recognizes the need for keeping its members and stakeholders informed of the events of their interests through present means of communication. Timely, transparent and enhanced level of disclosures to investors and stakeholders is ensured. To facilitate shareholders' participation, Bank is using Electronic voting platform and allowing proxies and authorized representatives to vote on behalf of shareholders in absentia.

The financial results of the Bank are submitted to the stock exchanges, where the securities of the Bank are listed, immediately after the conclusion of the Board Meeting approving the same. The results are also published in at least one English language national daily newspaper circulating in the whole or substantially the whole of India and in one daily newspaper published in the language of the region, where the registered office of the Bank is situated i.e. Gujarat (in Gujarati). The Bank furnishes gist of results and management perspective to the Shareholders on Half Yearly basis. The Bank also organizes analyst meets, media meets, meetings with investors/analysts etc. on Bank's financial results and management outlook on the same.

The Quarterly / Year to Date / Annual Financial Results of the Bank as well as the copy of presentation made to Analysts and other official announcements are posted on the Bank's Website - www.bankofbaroda.in. The live web cast of presentation made to Analysts' Meet is made accessible from links uploaded in the website and the archived webcast is also made available on the website for 30 days.

## FINANCIAL CALENDAR

| | |
|---|---|
| Financial Year | 1st April, 2020 to 31st March, 2021 |
| Board Meeting for considering of Accounts (Standalone & Consolidated) | 29th May 2021 |
| Date, Time & Venue of the 25th AGM | Date: 08th July 2021<br>Time: 11.00 A.M.<br>Through Video Conference |

## SHAREHOLDERS' INFORMATION

The Bank's shares are listed on the following major Stock Exchanges in India:

| | |
|---|---|
| National Stock Exchange of India Ltd.,<br>“Exchange Plaza”<br>Bandra Kurla Complex,<br>Bandra,(East),<br>Mumbai - 400 051<br>NSE CODE : BANKBARODA | B S E Ltd.,<br>Phiroze Jeejeebhoy Towers<br>25th Floor,<br>Dalal Street, Fort,<br>Mumbai - 400 001<br>BSE CODE : 532134 |

The annual listing fees in respect of all the securities listed with the exchange(s) has been paid.

## शेयर का मूल्य, स्टॉक एक्सचेंजों में शेयरों के सौदों की मात्रा और इंडेक्स डाटा

## SHARE PRICE, VOLUME OF SHARES TRADED IN STOCK EXCHANGES AND INDEX DATA

**ए. शेयर मूल्य तथा स्टॉक एक्सचेंजों में शेयरों के सौदों की मात्रा (01.04.2020 से 31.03.2021 तक) (प्रत्येक ₹ 2/- के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर)**

**a. Share Price, Volume of Shares Traded in Stock Exchanges (From 01.04.2020 to 31.03.2021) (Equity Share of the Face Value of ₹ 2/- each)**

| अवधि/ Period | नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) National Stock Exchange of India Limited (NSE) | | | बीएसई लिमिटेड BSE LTD. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | उच्चतम (₹) Highest (₹) | न्यूनतम (₹) Lowest (₹) | व्यापार मात्रा (सं.) Volume Traded (Nos.) | उच्चतम (₹) Highest (₹) | न्यूनतम (₹) Lowest (₹) | व्यापार मात्रा (सं.) Volume Traded (Nos.) |
| अप्रैल-20/Apr-20 | 54.35 | 46.10 | 44,04,62,717 | 54.00 | 46.15 | 2,45,86,882 |
| मई-20/May-20 | 48.00 | 36.00 | 64,60,28,604 | 48.50 | 36.05 | 3,29,07,064 |
| जून-20/Jun-20 | 54.80 | 39.40 | 1,27,56,27,118 | 55.00 | 39.55 | 7,46,97,658 |
| जुलाई-20/Jul-20 | 54.10 | 45.45 | 77,86,08,516 | 54.10 | 45.45 | 4,29,98,277 |
| अगस्त-20/Aug-20 | 53.95 | 45.65 | 76,39,30,286 | 53.55 | 45.65 | 3,91,56,638 |
| सितंबर-20/Sep-20 | 49.80 | 39.50 | 50,99,35,832 | 49.85 | 39.50 | 4,81,29,356 |
| अक्तूबर-20/Oct-20 | 45.55 | 39.90 | 58,38,10,431 | 45.55 | 40.00 | 5,98,43,430 |
| नवंबर-20/Nov-20 | 52.50 | 41.85 | 74,18,54,234 | 52.45 | 41.85 | 5,13,52,963 |
| दिसंबर-20/Dec-20 | 68.25 | 51.15 | 1,23,07,37,451 | 68.20 | 51.20 | 8,30,08,118 |
| जनवरी-21/Jan-21 | 80.80 | 61.60 | 1,18,91,33,596 | 80.85 | 61.50 | 7,96,11,511 |
| फरवरी-21/Feb-21 | 99.85 | 67.70 | 1,66,34,73,094 | 99.80 | 67.70 | 11,89,73,606 |
| मार्च-21/Mar-21 | 87.80 | 68.00 | 1,19,22,41,600 | 87.80 | 68.00 | 7,83,29,184 |

**बी. अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक इंडेक्स डेटा (मासिक अंतिम मूल्य)**

**b. Index Data from April 2020 to March 2021 (Monthly Closing Values)**

| तारीख DATE | निफ्टी 50 NIFTY 50 | % परिवर्तन % Change | निफ्टी बैंक NIFTY BANK | % परिवर्तन % Change | बीओबी एनएसई (प्रत्येक 2 रुपए के अंकित मूल्य के इक्विटि शेयर) BOB NSE (Equity Share of FV of ₹2/- each) | % परिवर्तन % Change | एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स S&P BSE SENSEX | % परिवर्तन % Change | एस एंड पी बीएसई बैंकेक्स S&P BSE BANKEX | % परिवर्तन % Change | बीओबी बीएसई (प्रत्येक 2 रुपए के अंकित मूल्य के इक्विटि शेयर) BOB BSE (Equity Share of FV of ₹2/- each) | % परिवर्तन % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 अप्रैल 20/30-Apr-20 | 9859.90 | - | 21534.50 | - | 49.20 | - | 33717.62 | - | 24724.52 | - | 49.20 | - |
| 29 मई 20/29-May-20 | 9580.30 | -2.84 | 19297.25 | -10.39 | 38.95 | -20.83 | 32424.10 | -3.84 | 22135.67 | -10.47 | 38.90 | -20.93 |
| 30 जून 20/30-Jun-20 | 10302.10 | 7.53 | 21370.15 | 10.74 | 48.60 | 24.78 | 34915.80 | 7.68 | 24293.83 | 9.75 | 48.60 | 24.94 |
| 31 जुलाई 20/31-Jul-20 | 11073.45 | 7.49 | 21640.05 | 1.26 | 46.80 | -3.70 | 37606.89 | 7.71 | 24599.48 | 1.26 | 46.80 | -3.70 |
| 31 अगस्त 20/31-Aug-20 | 11387.50 | 2.84 | 23754.35 | 9.77 | 48.95 | 4.59 | 38628.29 | 2.72 | 26972.91 | 9.65 | 48.90 | 4.49 |
| 30 सितंबर 20/30-Sep-20 | 11247.55 | -1.23 | 21451.80 | -9.69 | 41.05 | -16.14 | 38067.93 | -1.45 | 24354.07 | -9.71 | 41.05 | -16.05 |
| 30 अक्तूबर 20/30-Oct-20 | 11642.40 | 3.51 | 23900.90 | 11.42 | 41.70 | 1.58 | 39614.07 | 4.06 | 27388.62 | 12.46 | 41.65 | 1.46 |
| 27 नवंबर 20/27-Nov-20 | 12968.95 | 11.39 | 29609.05 | 23.88 | 51.35 | 23.14 | 44149.72 | 11.45 | 33884.04 | 23.72 | 51.30 | 23.17 |
| 31 दिसंबर 20/31-Dec-20 | 13981.75 | 7.81 | 31264.05 | 5.59 | 61.45 | 19.67 | 47751.33 | 8.16 | 35888.42 | 5.92 | 61.50 | 19.88 |
| 29 जनवरी 21/29-Jan-21 | 13634.60 | -2.48 | 30565.50 | -2.23 | 68.05 | 10.74 | 46285.77 | -3.07 | 34662.51 | -3.42 | 68.05 | 10.65 |
| 26 फरवरी 21/26-Feb-21 | 14529.15 | 6.56 | 34803.60 | 13.87 | 85.40 | 25.50 | 49099.99 | 6.08 | 38981.16 | 12.46 | 85.40 | 25.50 |
| 31 मार्च 21/31-Mar-21 | 14690.70 | 1.11 | 33303.90 | -4.31 | 74.19 | -13.13 | 49509.15 | 0.83 | 37547.91 | -3.68 | 74.15 | -13.17 |

## रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट, शेयर अंतरण पद्धति तथा निवेशकों की शिकायतों का निपटान

बैंक ने मेसर्स केफिन टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड को अपने रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) के रूप में नियुक्त किया है जिसका कार्य शेयर/बॉण्ड अंतरण, लाभांश/ब्याज भुगतान को प्रोसेस करना, शेयरधारकों के अनुरोध दर्ज करना, निवेशकों की शिकायतों का समाधान तथा शेयर/बॉण्ड जारी करने संबंधी अन्य गतिविधियों/ कार्यों को सुनिश्चित करना है. निवेशक अपने अंतरण विलेख/ अनुरोध/ शिकायतें निम्नलिखित पते पर आरटीए को भेज सकते हैं:-

**केफिन टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड**
(यूनिट: बैंक ऑफ़ बड़ौदा)
सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32,
फाइनांशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल,
हैदराबाद – 500 032, तेलंगाना
ई मेल : einward.ris@kfintech.com
वेबसाइट : https://www.kfintech.com
टोल फ्री नं. - 1- 800-309-4001

सदस्यों को यह नोट करने हेतु सूचित किया जाता है कि हमारे रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंटों ने हमारे निवेशकों के लिए एक नया मोबाइल ऐप केपीआरआईएसएम और वेबसाइट https://kprism.kfintech.com/ का शुभारंभ किया है. अब आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और केफिनटेक द्वारा संभाले जा रहे अपने पोर्टफोलियो को देख सकते हैं. लाभांश की स्थिति की जांच करें, वार्षिक रिपोर्ट के लिए अनुरोध, पते में परिवर्तन, बैंक मैंडेट में परिवर्तन/अपडेट करें और मानक फॉर्म डाउनलोड करें. एंड्रायड मोबाइल एप्लिकेशन को प्ले स्टोर (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karvy.kprismv3) से डाउनलोड किया जा सकता है.

निजी रूप से रखे गए बाँड़ों के लिए बैंक ने डिबेंचर न्यासी की भी नियुक्ति की है, जिनके पते निम्नानुसार हैं :-

## REGISTRAR & SHARE TRANSFER AGENT, SHARE TRANSFER SYSTEM AND REDRESSAL OF INVESTORS' GRIEVANCES

The Bank has appointed M/s. KFin Technologies Private Limited as its Registrars and Share Transfer Agent (RTA) with a mandate to process transfer of shares / bonds, dividend / interest payments, recording of shareholders' requests, solution of investors' grievances amongst other activities connected with the issue of shares / bonds. The investors may lodge their transfer deeds / requests / complaints with the RTA at following address:

**KFin Technologies Private Limited**
(Unit: Bank of Baroda)
Selenium Tower B, Plot 31 & 32,
Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal,
Hyderabad - 500 032, Telangana
Email id - einward.ris@kfintech.com
Website: https://www.kfintech.com
Toll free number - 1- 800-309-4001

Members are requested to note that, our Registrar and Share Transfer Agents have launched a new mobile app KPRISM and website https://kprism.kfintech.com/ for our investors. Now you can download the mobile app and see your portfolios serviced by KFINTECH. Check Dividend status , request for annual reports , change of address, change / update Bank mandate and download standard forms. The android mobile application can be downloaded from Play Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karvy.kprismv3)

For privately placed Bonds, the Bank has also appointed Debenture Trustee as follows:

| बैंक ऑफ़ बड़ौदा के लिए<br>**For Bank of Baroda** | पूर्ववर्ती विजया बैंक के लिए<br>**For eVijaya Bank** | पूर्ववर्ती देना बैंक के लिए<br>**For eDena Bank** |
|---|---|---|
| आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि.<br>एशियन बिल्डिंग, भू – तल,<br>17, आर कमानी मार्ग, बेलार्ड एस्टेट<br>मुंबई – 400 001<br>टेलीफोन : (022) 40807000<br>ई मेल : itsl@idbitrustee.com<br><br>IDBI Trusteeship Services Ltd.<br>Asian Building, Ground Floor,<br>17, R Kamani Marg, Ballard Estate<br>Mumbai – 400 001<br>Tel: (022) 40807000;<br>Email: itsl@idbitrustee.com | मेसर्स केटेलिस्ट ट्रस्टीशिप लि.:<br>जीडीए हाउस, प्लॉट नं. 85, भूसारी कलोनी (दाएं), पौड़ रोड, पुणे - 411 038<br>टेलीफोन : (022) 2528 0081 ई मेल : dt@ctltrustee.com<br>मेसर्स केनरा बैंक:<br>मेसर्स केनरा बैंक: ईटी एवं टी सेक्शन, एफएम एवं एस विंग, हेड ऑफिस, सं. 11-2, जे. सी. रोड, बेंगलुरु – 5460002<br>टेलीफोन : 080-22223165<br>ई मेल : hoett@canarabank.com<br>M/s. Catalyst Trusteeship Ltd:<br>GDA House, Plot No. 85, Bhusari Colony (Right), Paud Road, Pune - 411 038, Tel: (020) 2528 0081;<br>Email: dt@ctltrustee.com<br>M/s. Canara Bank:<br>M/s. Canara Bank: ET & T Section, FM&S Wing, Head Office, No. 112, JC Road, Bangalore – 560002<br>Tel: 080-22223165; Email: hoett@canarabank.com | सेंटबैंक फ़ाइनेंशियल सर्विसेज लि.<br>सेंट्रल बैंक – एमएमओ बिल्डिंग,<br>तृतीय तल (ईस्ट विंग), 55 एमजी रोड,<br>फोर्ट, मुंबई – 400001<br>टेलीफोन : (022) 2261 6217<br>ई मेल : hv.kamdar@cfsl.in<br><br>Centbank Financial Services Ltd<br>Central Bank - MMO Bldg,<br>3rd Floor (East Wing)<br>55 MG Road, Fort,<br>Mumbai 400001<br>Tel: (022) 2261 6217;<br>Email: hv.kamdar@cfsl.in |

बैंक ने कॉर्पोरेट कार्यालय, मुंबई में निवेशक सेवाएं विभाग भी स्थापित किया है, जिसके प्रभारी कंपनी सचिव हैं, जहां शेयरधारक अपने अनुरोध / शिकायतों के समाधान हेतु निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं. वे अपनी शिकायतें / अनुरोध

The Bank has also established Investors' Services Department, headed by the Company Secretary at Corporate Office, Mumbai wherein Shareholders can mail their requests / complaints for resolution at the address given below. They

प्रधान कार्यालय, बड़ौदा को निम्नलिखित पते पर भी भेज सकते हैं:

| बैंक ऑफ़ बडौदा<br>निवेशक सेवाएं विभाग<br>7वां तल, बडौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400 051<br>दूरभाष : (022) 6698 5733 / 5743<br>ई-मेल: investerservices@bankofbaroda.com | महाप्रबंधक,<br>परिचालन एवं सेवाएं<br>बैंक ऑफ़ बड़ौदा, प्रधान कार्यालय<br>7 वां तल, बड़ौदा भवन<br>आर.सी. दत्त रोड, अल्कापुरी, वड़ोदरा 390 007<br>टेलीफोन : (0265) 2316792<br>ई-मेल : cs.ho@bankofbaroda.com |
|---|---|
| (उपरोक्त ई-मेल आईडी विशेष रूप से सेबी (सूचीयन करार एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के विनियम 6(2) (डी) के अनुपालन में निवेशकों की शिकायतों के लिए बनाई गई है.<br>इसके अलावा यदि कोई शेयरधारक निदेशक मंडल से किसी प्रकार का प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वे अपने प्रश्न निम्नलिखित मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं –shareholedrdirectors@bankofbaroda.com | |

बैंक सुनिश्चित करता है कि प्रस्तुत किए गये सभी भौतिक शेयरों के अंतरण, अनुरोध किए जाने के 15 दिन की अवधि के भीतर प्रभावी हो जाएं.

can also send their complaints/requests at the address given below at Head Office, Vadodara:

| Bank of Baroda<br>Investors' Services Department, 7th Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051<br>Telephone : (022) 6698 5733/5743 ,<br>E – mail : investorservices@bankofbaroda.com | General Manager<br>Operations and Services<br>Bank of Baroda, Head Office, 7th Floor, Baroda Bhavan, R C Dutt Road, Alkapuri, Vadodara 390 007<br>Telephone : (0265) 2316792<br>E–mail: cs.ho@bankofbaroda.com |
|---|---|
| (The aforesaid e-mail ID is exclusively designated for investors' complaints pursuant to Regulation 6(2)(d) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015.<br>Further, Shareholders who wish to ask questions to the Board of Directors of the Bank can mail their questions at – shareholedrdirectors@bankofbaroda.com | |

The Bank ensures that transfer of all the physical shares tendered are duly effected within a period of -15- days from the date of their lodgment.

## शेयरधारिता का वितरण

### ए. 31 मार्च 2021 को शेयरधारिता का पैटर्न:

## DISTRIBUTION OF SHAREHOLDING

### a. Shareholding Pattern as on 31st March 2021

| क्र.सं.<br>Sr. No. | विवरण | Description | कुल मामले<br>Total Cases | कुल शेयर<br>Total Shares | कुल मामले %<br>Total Cases % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | भारत सरकार | Government of India | 1 | 3,30,81,84,689 | 63.97 |
| 2 | निवासी व्यक्ति | Resident Individuals | 1168245 | 50,95,84,755 | 9.85 |
| 3 | म्यूचुअल फंड | Mutual Funds | 121 | 47,59,29,039 | 9.20 |
| 4 | विदेशी पोर्टफोलियो-कॉर्प | Foreign Portfolio - Corp | 163 | 35,61,90,394 | 6.89 |
| 5 | बीमा कंपनियाँ | Insurance Companies | 31 | 25,86,52,480 | 5.00 |
| 6 | पात्र संस्थागत क्रेता | Qualified Institutional Buyer | 29 | 12,17,43,559 | 2.35 |
| 7 | कॉर्पोरेट निकाय | Bodies Corporates | 3031 | 4,83,52,784 | 0.94 |
| 8 | समाशोधन सदस्य | Clearing Members | 554 | 4,26,37,336 | 0.82 |
| 9 | बैंक | Banks | 22 | 1,52,34,960 | 0.29 |
| 10 | अनिवासी भारतीय | Non Resident Indians | 7258 | 1,35,65,197 | 0.26 |
| 11 | एचयूएफ़ | H U F | 12234 | 1,05,26,323 | 0.20 |
| 12 | वैकल्पिक निवेश निधि | Alternative Investment Fund | 4 | 36,21,124 | 0.07 |
| 13 | अनिवासी भारतीय-गैर प्रत्यावर्तनयोग्य | Non Resident Indian Non Repatriable | 3520 | 34,84,062 | 0.07 |
| 14 | कर्मचारी | Employees | 1859 | 18,90,650 | 0.04 |
| 15 | ट्रस्ट | Trusts | 38 | 11,77,246 | 0.02 |
| 16 | भारतीय वित्तीय संस्थान | Indian Financial Institutions | 2 | 2,55,752 | 0.00 |
| 17 | एनबीएफ़सी | Nbfc | 6 | 1,61,439 | 0.00 |
| 18 | विदेशी कॉर्पोरेट निकाय | Overseas Corporate Bodies | 4 | 1,10,700 | 0.00 |
| 19 | विदेशी संस्थागत निवेशक | Foreign Institutional Investors | 25 | 55,000 | 0.00 |
| 20 | विदेशी नागरिक | Foreign Nationals | 5 | 4,146 | 0.00 |
| 21 | यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया | Unit Trust Of India | 2 | 544 | 0.00 |
| | कुल | | 1197154 | 5,17,13,62,179 | 100 |

## बी. शेयरधारकों का वितरण - 31 मार्च 2021 को श्रेणीवार

## b. Distribution of Shareholders – Category Wise as on 31st Marth 2021

| क्र. सं. Sr. No | श्रेणी Category | धारकों की संख्या No. of Holders | धारकों का % % of Holders | शेयरों की संख्या No of Shares | राशि Amount | % राशि % Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 5000 | 1183056 | 98.82% | 37,71,22,887 | 75,42,45,774 | 7.29% |
| 2 | 5001 - 10000 | 10253 | 0.86% | 7,04,18,301 | 14,08,36,602 | 1.36% |
| 3 | 10001 - 20000 | 2093 | 0.17% | 2,93,35,939 | 5,86,71,878 | 0.57% |
| 4 | 20001 - 30000 | 594 | 0.05% | 1,47,29,562 | 2,94,59,124 | 0.28% |
| 5 | 30001 - 40000 | 229 | 0.02% | 79,77,654 | 1,59,55,308 | 0.15% |
| 6 | 40001 - 50000 | 200 | 0.02% | 92,94,053 | 1,85,88,106 | 0.18% |
| 7 | 50001 - 100000 | 301 | 0.03% | 2,17,60,318 | 4,35,20,636 | 0.42% |
| 8 | 100001 and above | 428 | 0.04% | 4,64,07,23,465 | 9,28,14,46,930 | 89.74% |
| | कुल : | 1197154 | 100.00% | 5,17,13,62,179 | 10,34,27,24,358 | 100.00% |

## सी . प्रतिभूतियों का डिमटेरियलाइज

बैंक के शेयर अनिवार्य रूप से सेबी की डीमेट लिस्ट के अंतर्गत आते है एवं बैंक ने नेशनल सिक्यूरिटी डिपॉजिटरी लि. (एनएसडीएल) एवं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि.(सीडीएसएल) के साथ बैंक के शेयरों के डिमटेरियलाइज के लिए करार किया है. शेयरधारक अपने शेयर एन.एस.डी.एल अथवा सी.डी.एस.एल. के माध्यम से डिमटेरियलाइज कर सकते हैं.

31 मार्च 2021 को बैंक के पास भौतिक एवं अभौतिक रूप में इक्विटी शेयरों की संख्या निम्नानुसार है :

## c. Dematerialization of Securities:

The shares of the Bank are under compulsory demat list of SEBI and the Bank has entered in to Agreements with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL.

As on March 31, 2021 the Bank has following number of Equity Shares in physical and dematerialized form, as per the detail given below:

| क्र.सं. Sr No | धारिता का प्रकार | Nature of holding | धारकों की संख्या No. of Holders | शेयरों की संख्या No. of Shares | प्रतिशत % Percentage % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | भौतिक | PHYSICAL | 1,26,001 | 3,59,76,072 | 0.70 |
| 2 | एनएसडीएल | NSDL | 5,07,212 | 1,57,81,91,926 | 30.52 |
| 3 | सीडीएसएल | CDSL | 5,63,941 | 3,55,71,94,181 | 68.79 |
| | कुल : | **Total:** | **11,97,154** | **5,17,13,62,179** | **100.00** |

बैंक ने वर्ष 2003 में 1,36,91,500 शेयर (उप-विभाजन से पूर्व 27,38,300 शेयर) जब्त किए जिनमें से 24000 इक्विटि शेयर (उप-विभाजन से पूर्व 4800 शेयर) 31 मार्च 2021 तक रद्द कर दिए गए.

**31 मार्च 2021 को एस्क्रो / उचंत खाते में उपलब्ध शेयरों की स्थिति:**

ए. उचंत खाते में उपलब्ध शेयरों की स्थिति (भौतिक शेयर – बिना सुपुर्दगी के वापस किए गए)

The Bank had forfeited 1,36,91,500 equity shares (27,38,300 shares before sub-division) in the year 2003 and out of the same 24000 equity shares (4800 shares before sub-division) were annulled up to 31st March 2021.

**STATUS OF SHARES LYING IN ESCROW/SUSPENSE ACCOUNT AS ON 31st MARCH, 2021**

a. Status of shares lying in Suspense A/c (Physical Shares – returned undelivered)

| 01अप्रैल 2020 को प्रारम्भिक शेष Opening Balance as on 01 April 2020 | | वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त अनुरोधों की संख्या No. of requests received during the Financial Year 2020-21 | वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान नामे किए गए शेयर Shares debited during the Financial Year 2020-21 | | 31 मार्च 2021 को उपलब्ध अंतिम शेष Closing Balance as on 31st March 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders | शेयरों की संख्या No. of Shares | शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders | शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders | शेयरों की संख्या No. of Shares | शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders | शेयरों की संख्या No. of Shares |
| 69 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 69 | 86000 |

बी. एस्क्रो / उचंत खाते में उपलब्ध शेयरों की स्थिति ( डीमेट शेयर - बिना सुपुर्दगी के वापस किए गए)

b. Status of Shares lying in Escrow / Suspense A/c (Demat Shares – returned undelivered)

| 01अप्रैल 2020 को प्रारम्भिक शेष Opening Balance as on 01 April 2020 | | वित्तीय वर्ष 21-2020 के दौरान प्राप्त अनुरोधों की संख्या No. of requests received during the Financial Year 2020-21 | वित्तीय वर्ष 21-2020 के दौरान नामे किए गए शेयर Shares debited during the Financial Year 2020-21 | | 31 मार्च 2021 को उपलब्ध अंतिम शेष Closing Balance as on 31st March 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders | शेयरों की संख्या No. of Shares | शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders | शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders | शेयरों की संख्या No. of Shares | शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders | शेयरों की संख्या No. of Shares |
| 155 | 92690 | 0 | 0 | 0 | 155 | 92690 |

हम पुष्टि करते हैं कि जब तक उक्त शेयरों के वास्तविक दावेदार इनके लिए दावा नहीं करते तब तक उपर्युक्त अंतिम कॉलम (ए) तथा (बी) के शेयरों के लिए मताधिकार पर रोक जारी रहेगी.

### लाभांश / ब्याज का इलेक्ट्रोनिक मोड के माध्यम से भुगतान:

बैंक निवेशकों को, जहां निवेशकों द्वारा मेंडेट दिए गए हैं, शेयरों पर लाभांश / बाँडों पर ब्याज का भुगतान विभिन्न इलेक्ट्रोनिक माध्यमों से कर रहा है, इस उद्देश्य के लिए बैंक नेशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाऊस (एनएसीएच), नेशनल इलेक्टॉनिक क्लीयरिंग सर्विस (एनईसीएस), आरटीजीएस, एनईएफटी तथा सीधे जमा आदि की सेवाओं का उपयोग कर रहा है.

निवेशक अपने मेंडेट बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट अर्थात मे. केफिन टेक्नोलॉजिज प्रा. लि. के पास इस रिपोर्ट में दिए पते पर दर्ज करा सकते हैं.

### सचिवालीय लेखा परीक्षा

बैंक द्वारा 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए मे. रागिनी चोकशी एंड कंपनी को वार्षिक सचिवालयीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट एवं वार्षिक सचिवालयीय अनुपालन रिपोर्ट से संबंधित कार्य हेतु कंपनी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है. वार्षिक सचिवालयीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इसके साथ संलग्न है.

### प्रकटीकरण :

1. यहां भौतिक रूप से किसी भी प्रकार का कोई महत्वपूर्ण पार्टी संव्यवहार नहीं होता है जिसका व्यापक स्तर पर बैंक के हितों के साथ कोई टकराव हो. इस सम्बंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों का अनुपालन करते हुए लेखांकन संबंधी टिप्पणियों में पार्टी संबंधी प्रकटीकरण किया गया है.
2. बैंक पर पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से सम्बद्ध किसी भी मामले में किसी भी विनियामक प्राधिकारी अर्थात स्टॉक एक्सचेंज और / अथवा सेबी द्वारा किसी नियम, निर्देशों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए न तो कोई दंड लगाया गया और न ही किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध लगाया गया है.
3. हम सेबी द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट पर सूचीबद्ध नियमों की अनुसूची V के उपभाग (2) से (10) के अनुपालन की पुष्टि करते है.
4. सभी निदेशकों द्वारा ये घोषणा की गई है कि 31 मार्च 2021 तक उनका परस्पर किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है.
5. बकाया ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीदें अथवा अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीदें अथवा वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन तिथि एवं इक्विटी पर संभावित प्रभाव – शून्य.

We confirm that the voting rights on the shares stated at the last column of table (a) and (b) above shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares.

### DIVIDEND / INTEREST PAYMENT THROUGH ELECTRONIC MODES

The Bank is paying Dividend on Shares / Interest on Bonds to the Investors through various electronic modes, wherever mandate is given by the investors. For the purpose, the Bank is using the services of National Automated Clearing House (NACH), National Electronic Clearing Services (NECS), RTGS, NEFT and Direct Credit etc.

Investors may lodge their mandate with Bank's Registrar & Share Transfer Agent i.e. M/s. KFin Technologies Private Limited, at the address given in this report.

### SECRETARIAL AUDIT

Bank has appointed M/s. Ragini Chokshi & Co, Practicing Company Secretaries for Annual Secretarial Audit Report and Annual Secretarial Compliance Report for the year ended 31.03.2021. Annual Secretarial Audit Report has been annexed herewith.

### DISCLOSURES

1. There is no materially significant Related Party Transaction that has potential conflict with interests of the Bank at large. The Related Party Disclosure is made in the Notes on Accounts in compliance with RBI Guidelines in this regard.
2. There is no non-compliance by the Bank in respect of Regulations/ Guidelines issued by SEBI / Stock Exchanges / any Statutory Authority on any matter related to capital markets during the last 3 years and as such no penalties / strictures imposed on the Bank.
3. We confirm the compliance of the requirement of Corporate Governance Report of sub-paras (2) to (10) of Schedule V of SEBI Listing Regulations
4. All the Directors have disclosed that they have no relationship inter-se as on 31st March 2021.
5. Outstanding global depository receipts or american depository receipts or warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity - NIL.

6. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कॉमोडिटी में कोई व्यापार नहीं किया है, अत: "कॉमोडिटी कीमत जोखिम और कॉमोडिटी बचाव गतिविधियां" शून्य हैं.

7. **स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम:**

बैंक के स्वतंत्र निदेशकों के लाभार्थ आयोजित किए गए परिचय-कार्यक्रम का ब्यौरा बैंक की वेबसाइट https://www.bankofbaroda.in/writereaddata/Images/pdf/Details-of-familiarization-programmes-as-on-31-03-2021.pdf पर उपलब्ध है.

8. **व्हीसल ब्लोअर दिशानिर्देश**

भारत सरकार के जनहित प्रकटीकरण एवं सूचना प्रदाता की सुरक्षा संबंधी संकल्प (पीआईडीपीआई) के आधार पर लोगों के लिए व्हीसल ब्लोअर दिशानिर्देश संबंधी विवरण बैंक की वेबसाइट https://www.bankofbaroda.in/writereaddata/Images/pdf/whistle-blower-guidelines-for-website-new.pdf पर उपलब्ध है. इस संबंध में किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति को एक्सेस करने से मना नहीं किया गया है.

9. **संबद्ध पार्टी लेनदेन एवं महत्वपूर्ण अनुषंगियों संबंधी नीति**

संबद्ध पार्टी लेनदेन एवं महत्वपूर्ण अनुषंगियों संबंधी नीति बैंक की वेबसाइट https://www.bankofbaroda.in/writereaddata/images/pdf/policy-on-related-party-transaction-material-subsidiaries-16-01-2020.pdf पर उपलब्ध है.

10. **महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध व निपटान) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण**

6. The Bank has not traded in commodities during the F.Y. 2020-21 and hence the information on "Commodity price risks and commodity hedging activities" is NIL.

7. **Familiarization programme for Independent Directors**

The details of the Familiarization Programme conducted for the Independent Director of the Bank are available on the Bank's website at https://www.bankofbaroda.in/writereaddata/Images/pdf/Details-of-familiarization-programmes-as-on-31-03-2021.pdf

8. **Whistle Blower Guidelines**

The details of the Bank's Whistle Blower Guidelines for the public based on Government of India Resolution on Public Interest Disclosure & Protection of Informer (PIDPI) are available on the Bank's website at https://www.bankofbaroda.in/writereaddata/Images/pdf/whistle-blower-guidelines-for-website-new.pdf No personnel has been denied access to the audit committee.

9. **Policy on Related Party Transactions and Material Subsidiaries**

The details of the Bank's Policy on Related Party Transactions and Material Subsidiaries are available on the Bank's website at https://www.bankofbaroda.in/writereaddata/images/pdf/policy-on-related-party-transaction-material-subsidiaries-16-01-2020.pdf

10. **Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013**

| क्र. सं.<br>Sr No | वित्त वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या<br>Number of Complaints filed during the financial year | वित्त वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या<br>Number of Complaints disposed off during the year | वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या<br>Number of Complaints pending as on end of the financial year |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 3 |

11. संबंधित वित्तीय वर्ष अर्थात् 2020-21 के दौरान संस्था द्वारा प्राप्त क्रेडिट रेटिंग, संशोधन सहित, यदि कोई हो, जिसमें उस संस्था के सभी नामे लिखत या सावधि जमा कार्यक्रम या निधियों के संग्रहण के लिए सूचीबद्ध संस्था की योजना या प्रस्ताव, चाहे भारत में हो या विदेश में, उनकी सूची:

11. **List of all credit ratings obtained by the entity along with any revisions thereto during the relevant financial year i.e. 2020-21, for all debt instruments of such entity or any fixed deposit programme or any scheme or proposal of the listed entity involving mobilization of funds, whether in India or abroad**

| लिखत का स्वरुप / Type of Instrument | क्रिसिल / CRISIL | केयर / CARE | आईसीआरए / ICRA | इंडिया रेटिंग / INDIA Rating | ब्रिकवर्क / Brickwork | मूडी / Moody | फिच / Fitch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बासेल II लोअर टियर II / Basel II Lower Tier II | AAA/Stable | AAA/Stable | | | | | |
| बासेल II अपर टियर II / Basel II Upper Tier II | AAA/Stable | AA+/Stable | | | AAA/Stable | | |
| आईपीडीआई (बासेल II) / IPDI (Basel II) | AAA/Stable | AA+/Stable | | | | | |
| बासेल III टियर II / Basel III Tier II | AAA/Stable | AAA/Stable | AAA/Stable | AAA/Stable | AAA/Stable | | |
| एटी-1 (बासेल III) / AT-1 (Basel III) | AA+/Negative | AA/Stable | AA/Stable | AA+/Stable | | | |
| जमा प्रमाणपत्र / Certificate of Deposit | | | | A1+ | | | |
| मध्यम सावधि जमा / Medium Term Deposits | | | MAAA | | | | |
| बैंक ऑफ़ बड़ौदा व बैंक ऑफ़ बड़ौदा (लंदन) नामे लिखत के प्रतिपक्षी जोखिम मूल्यांकन – नामे लिखत Counterparty Risk Assessment of Bank of Baroda and Bank of Baroda (London) - debt instruments | | | | | | Ba1(cr)/NP-(cr) | |
| व्यावहार्यता रेटिंग – नामे लिखत Viability Rating - debt instruments | | | | | | | bb- |
| बैंक ऑफ़ बड़ौदा व बैंक ऑफ़ बड़ौदा (लंदन) सावधि जमा कार्यक्रम के प्रतिपक्षी जोखिम मूल्यांकन – सावधि जमा कार्यक्रम Counterparty Risk Assessment of Bank of Baroda and Bank of Baroda (London) - fixed deposit programme | | | | | | Ba1(cr)/NP-(cr) | |

**वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान रेटिंग में संशोधन:**

दिनांक 4 सितंबर, 2020 को मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने बैंक ऑफ़ बड़ौदा के बेसलाइन क्रेडिट एसेसमेंट को डाउनग्रेड कर और बीए3 से बी1 समायोजित को किया और बैंक ऑफ़ बड़ौदा (लंदन) के काउंटरपार्टी रिस्क एसेसमेंट को बीएए3 (सीआर)/पी-3 (सीआर) से बीए1[सीआर)/एनपी-(सीआर) किया. आउटलुक को डाउनग्रेड कर नेगेटिव कर दिया गया.

फिच रेटिंग ने 30 अप्रैल, 2020 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा की वाएबिलिटी रेटिंग को बीबी से बीबी- और 19 जून, 2020 को दीर्घावधि इश्युअर डिफॉल्ट रेटिंग (आईडीआर) को स्टेबल से नेगेटिव में आउटलुक को डाउनग्रेड किया है.

**Revision in rating during FY 2020-21:**

Moody's Investor Service on September 4, 2020 downgraded the Baseline Credit assessment and Adjusted BCA to b1 from ba3, Counterparty Risk Assessment of Bank of Baroda and Bank of Baroda (London) to Ba1(cr)/NP-(cr) from Baa3(cr)/P-3(cr). The outlook was downgraded to Negative.

Fitch Ratings on April 30, 2020 downgraded the Viability Rating of Bank of Baroda to bb- from bb and on June 19, 2020, downgraded outlook on the Long-Term Issuer Default Ratings (IDR) to Negative from Stable.

12. इसका पुष्टीकरण कि निदेशक मंडल की राय में स्वतंत्र निदेशक इन विनियमों में दी गई शर्तों का पूरा पालन करते हैं और प्रबंध तंत्र पर निर्भर नहीं हैं – हां
13. जहां वित्तीय वर्ष 2020-21 में निदेशक मंडल ने, अनिवार्य रूप से अपेक्षित निदेशक मंडल की किसी समिति की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया - शून्य
14. **विनियम 32 (7ए) के अधीन निर्दिष्ट अधिमान्य आबंटन या अर्हक संस्थागत प्लेसमेंट के जरिए निधियों के उपयोग के ब्यौरे –** बैंक ने निधियों का प्रयोग टियर 1 पूंजी पर्याप्तता को बेहतर बनाने, बासेल III का अनुपालन करने एवं वृद्धी योजना को आबंटन देने एवं बैंक के व्यवसाय को बढाने के लिए किया हैं.
15. सूचीबद्ध संस्था व उसकी अनुषंगियों द्वारा समेकित आधार पर सांविधिक लेखा परीक्षकों और उन सभी नेटवर्क फर्म/ नेटवर्क संस्थाओं, जिसमें लेखा परीक्षक एक भागीदार है, सभी सेवाओं के लिए प्रदत्त कुल फीस हैं - ₹74.10 करोड़
16. कंपनी सचिव से प्राय: इस आशय का प्रमाण पत्र कि निदेशक मण्डल के किसी भी निदेशक को कंपनी के निदेशक/ कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या ऐसी किसी वैधानिक स्वायत्तत्ता द्वारा नियुक्त अथवा जारी रखे जाने से वंचित अथवा अयोग्य नहीं ठहराया गया है. – प्राप्त किया गया.

## गैर-अनिवार्य अपेक्षाएं

बैंक द्वारा सेबी (सूचीयन करार तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के तहत उपलब्ध कराई गई सभी लागू अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है.

गैर अनिवार्य आवश्यकताओं के कार्यान्वयन का विवरण निम्नानुसार हैं -

12. Confirmation that in the opinion of the board, the independent directors fulfill the conditions specified in these regulations and are independent of the management. - Yes
13. Where the board had not accepted any recommendation of any committee of the board which is mandatorily required, in the FY2020-21 – NIL
14. Details of utilization of funds raised through preferential allotment or qualified institutions placement as specified under Regulation 32 (7A) – The Bank has utilised the net proceeds towards augmenting Tier I capital to meet the Basel III and to support growth plans and to enhance the business of the Bank.
15. Total fees for all services paid by the listed entity and its subsidiaries, on a consolidated basis, to the statutory auditor and all entities in the network firm/network entity of which the statutory auditor is a part. - ₹ 74.10 crore.
16. certificate from a company secretary in practice that none of the directors on the board of the company have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as directors of companies by the Board/ Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority.- obtained

## NON-MANDATORY REQUIREMENTS

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The extent of implementation of non-mandatory requirements is as under:

| क्र. सं.<br>Sr. No. | गैर- अनिवार्य आवश्यकताएं<br>**Non-mandatory requirements** | कार्यान्वयन की स्थिति<br>**Status of Implementation** |
|---|---|---|
| 1. | **बोर्ड**<br>सूचीबद्ध कम्पनी के खर्च पर अध्यक्ष का कार्यभार सम्भालने के लिए गैर कार्यपालक अध्यक्ष अधिकृत किए जा सकते हैं और उनकी ड्यूटी संबंधी खर्च की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जा सकती है.<br>**The Board**<br>A non-executive chairperson may be entitled to maintain a chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties. | अनुपालन किया गया.<br>भारत सरकार ने डॉ. हसमुख अढ़िया की नियुक्ति बोर्ड के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में की है. भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया.<br>Complied with.<br>The Government of India has appointed Dr. Hasmukh Adhia as Non-Executive Chairman of the Board.<br>The guidelines issued by GOI are complied with. |
| 2. | **लेखा परीक्षा रिपोर्ट में आशोधित अभिमत**<br>कंपनी अयोग्य वित्तीय विवरणों की व्यवस्था को अपना सकती है.<br>**Modified opinion(s) in audit report**<br>Company may move towards a regime of unqualified financial statements. | बैंक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कोई अर्हता नहीं है.<br>There is no qualification in Auditors report of the Bank. |
| 3. | **आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टिंग**<br>आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं .<br>**Reporting of Internal Auditor**<br>The Internal Auditor may report directly to the Audit Committee. | बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की संरचना एवं इसकी संदर्भ शर्तें सदैव विनियामकों अर्थात भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गए निर्देशों एवं परिपत्रों के माध्यम से संचालित की जाती है, जिनका बैंक अनुपालन करता है.<br>The composition & terms of reference of the Audit Committee of the Board inter-alia covering Internal Audit function is governed through the guidelines / circulars issued by the Regulator i.e. Reserve Bank of India, which the Bank complies with. |

**कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आवश्यकताओं के अनुपालन का प्रकटीकरण:**

**Disclosure of the compliance with Corporate Governance requirements**

| **नियम क्र. Regu No.** | **संक्षिप्त विवरण Title / Brief description** | **अनुपालन स्थिति Compliance Status** |
|---|---|---|
| 17 | निदेशक मंडल<br>Board of Directors | बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक मंडल का गठन और इसकी संदर्भ शर्तें "बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1970" अर्थात अधिनियम के अधीन है. कम्पनी एक्ट 1956/2013 में किया गया संशोधन इस संबंध में लागू नहीं होता है. अधिनियम की धारा 9 (3)(i) के अनुसरण में केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित तीन निदेशकों के अतिरिक्त सभी निदेशकों की नियुक्ति / नामांकन, केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 9(3) के अधीन किया जाता है. बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित है.<br>बोर्ड का अधिकांश समय व्यवसाय की रणनीति और निष्पादन, अनुपालन, गवर्नेंस एवं बैंक के प्रोफाइल पर चर्चा करने में व्यतीत होता है.<br>यह सुनिश्चित किया जाता है की बोर्ड की कार्यप्रणाली पारदर्शी एवं स्वतंत्र रहे.<br>**बोर्ड का मूल्यांकन**<br>बैंक पीएसबी गवर्नेंस सुधार - गैर-आधिकारिक निदेशकों की बेहतर प्रभावशीलता के माध्यम से गवर्नेंस में वृद्धि संबंधी भारत सरकार के दिनांक 30.08.2019 के दिशानिर्देश का अनुसरण कर रहा है.<br>The Composition & terms of reference of Board of Directors of Bank of Baroda is governed through "Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970" i.e. the Act, meaning thereby the provisions of the Companies Act, 1956/2013 in this regard are Not Applicable. All the Directors, except 3 directors elected amongst the Shareholders' other than Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act, are appointed / Nominated by Government of India pursuant to the provisions under Section 9(3) of the Act. The Bank is regulated by Reserve Bank of India.<br>Major time of the Board discussions is spent on business strategy and execution, compliance, governance and profile of the Bank.<br>Transparency and independence in functioning of the Board is ensured.<br>**Board Evaluation**<br>Bank is following GOI guidelines dated 30.08.2019 for PSB Governance Reforms – Enhancing governance through improved effectiveness of non-official directors. |
| 18. | लेखा समिति<br>Audit Committee | बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति के गठन एवं इसके संदर्भ की शर्तें भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार अधिशासित होती हैं, जिनका अनुपालन किया गया है.<br>The composition & terms of reference of the Audit Committee of the Board of Bank of Baroda is governed through RBI's directives / guidelines, which are complied with. |
| 19. | नामांकन एवं पारितोषिक समिति<br>Nomination and remuneration committee | इसकी सरंचना एवं संदर्भ शर्तें भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार अधिशासित होती हैं.<br>The composition and terms of reference of which are governed through RBI / GOI directives. |
| 20. | हितधारक संबंध समिति<br>Stakeholders Relationship Committee | अनुपालन किया गया है.<br>Complied with |
| 21. | जोखिम प्रबंधन समिति<br>Risk Management Committee | अनुपालन किया गया है.<br>Complied with |
| 22. | सतर्कता प्रणाली<br>Vigil Mechanism | अनुपालन किया गया है.<br>Complied with |

| नियम क्र. Regu No. | संक्षिप्त विवरण Title / Brief description | अनुपालन स्थिति Compliance Status |
|---|---|---|
| 23. | संबंधित पार्टी लेनदेन<br>Related party transactions | अनुपालन किया गया है.<br>Complied with |
| 24. | सूचीबद्ध इकाइयों की अनुषंगियों के लिए कॉर्पोरेट गर्वर्नेंस की आवश्यकता<br>Corporate governance requirements with respect to subsidiary of listed entity | अनुपालन किया गया है.<br>Complied with |
| 25. | स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में दायित्व<br>Obligations with respect to independent directors | विनियमन 17 के अनुसार – यथा उपर्युक्त<br>As per Regulation 17, as above. |
| 26. | वरिष्ठ प्रबंधन, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों, निदेशकों एवं प्रवर्तकों सहित कर्मचारियों के संबंध में दायित्व<br>Obligations with respect to employees including senior management, key managerial persons, directors and promoters | अनुपालन किया गया है.<br>Complied with |
| 27. | अन्य कॉर्पोरेट गर्वर्नेंस आवश्यकताएं<br>Other corporate governance requirements | अनुपालन किया गया है.<br>Complied with |
| 46 (2) (बी) से (आई)<br>46 (2) (b) to (i) | वेबसाइट<br>Website | अनुपालन किया गया है.<br>Complied with |

## भौतिक शेयरों को अभौतीकृत करना- एक विशेष अनुरोध:

सेबी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 12/2019 दिनांक 27.03.2019 के जरिए यह निर्णय लिया है कि संप्रेषण या पुर्नव्यवस्थापन के मामले छोड़कर प्रतिभूतियों के अंतरण करने के लिए अनुरोध तब तक स्वीकृत नहीं किए जाएंगे जब तक कि वे किसी डिपॉजिटरी के साथ उन्हें डिमैट रूप में धारित न हों, जोकि 01.04.2019 से प्रभावी होगा. अतः हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे तुरंत अपने भौतिक शेयरों को डिमैट करवा लें.

डिमैट करवाने के लिए शेयरधारक अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी से संपर्क करें जहां उनका डिमैट खाता है. डिमैट करवाने के निम्न लाभ हैं. i) बाधारहित अंतरण ii) शेयर प्रमाणपत्र के खोने का कोई भय नहीं iii) लाभांश/कंपनी से प्राप्य लाभ का सीधे और तत्काल खाते में जमा हो जाना iv) नामांकन सुविधा v) एएसबीए/आईपीओ आदि के माध्यम से सीधा आवेदन.

भौतिक/डिमैट के रूप में धारित शेयर के शेयरधारक जिन्होंने अपना ईमेल आईडी दर्ज नहीं करवाया है उनसे अनुरोध है कि वे, भारत सरकार के पर्यावरण संरक्षण पहल (गो ग्रीन) के समर्थन में अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी/बैंक के आरटीए में अपना ईमेल आईडी दर्ज करवाएं.

## DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS – A SPECIAL REQUEST:

SEBI vide its Press Release No. 12/2019 dated 27.03.2019 has decided that except in case of transmission or transposition of securities, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository w.e.f. 01.04.2019. Hence, we request the shareholders to kindly Demat their physical holding immediately.

For dematerialization, shareholders may contact their respective Depository Participant, where they maintain their respective de-mat account. Benefits of dematerialization are as follows: i) Hassle free transfer ii) No threat of loss of share certificate iii) Direct and prompt credit of Dividend / Corporate benefits iv) Nomination facility v) Direct application through ASBA/IPO, etc.

Shareholders holding shares in Physical / Demat form and not yet registered their email IDs are requested to register their e-mail ID with RTA of Bank / their respective Depository Participant to support GOI's green initiatives.

## पारदर्शिता एवं अनुपालन अधिकारी

साथ ही, निम्नलिखित अतिरिक्त कार्यकलापों भी बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रणाली के तहत अधिक से अधिक प्रकटीकरण के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं.

### पारदर्शिता अधिकारी

केंद्रीय सूचना आयुक्त (सीआईसी) के दिशानिर्देशों के अनुपालन स्वरूप फरवरी 2011 से बैंक ने अपने एक वरिष्ठ अधिकारी को पारदर्शिता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है.

पारदर्शिता अधिकारी निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए उत्तरदाई हैं:

ए) सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) की धारा 4, जो सार्वजनिक प्राधिकारणों के दायित्व से संबंधित है, के क्रियान्वयन की निगरानी करना तथा इसकी प्रगति से उच्च प्रबंधन को अवगत कराना.

बी) सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति के संबंध में, केंद्रीय सूचना आयुक्त (सीआईसी) के साथ इंटरफेस के रूप में कार्य करना.

सी) केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ), मानद सीपीआईओ द्वारा आरटीआई अनुरोधों पर सकारात्मक एवं समयबद्ध कार्रवाई के लिए अनुकूल परिवेश तैयार करने में मदद करना.

डी) आरटीआई संबंधित सभी विषयों में आम जन के लिए संपर्क केंद्र के रूप में कार्य करना. बैंक ने इस अधिनियम के निर्देशानुसार अपनी वेबसाइट पर निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित सूचना अपलोड किया है जिसे समय समय पर अद्यतन किया जाता है.

### अनुपालन संबंधी कार्य

बैंक में अनुपालन संबंधी कार्य, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्य है. बैंक में अनुपालन कार्य को पर्याप्त रूप से सुचारू बनाया गया है और इसे स्वतंत्रता दी गई है. निदेशक मंडल, बैंक के अनुपालन जोखिम के प्रबंधन पर निगरानी रखता है. बैंक ने अनुपालन संबंधी कार्यों को स्पष्ट करते हुए अनुपालन नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित करवाकर एक प्रभावी और सक्रिय अनुपालन प्रणाली लागू किया है.

अनुपालन कार्य, विभिन्न अधिनियमों अर्थात् बैंकिंग विनियमन अधिनियम, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम तथा धनशोधन निवारक अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों के साथ-साथ समय-समय पर जारी अन्य नियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है. विदेशों में जहां पर बैंक के कार्यालय/शाखाएं स्थित हैं वहां पर भी बैंक वहां के विभिन्न नियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है. बैंक भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड का सदस्य है और बीसीएसबीआई द्वारा निर्धारित मानकों और संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करता है. साथ ही बैंक आईबीए (भारतीय बैंक संघ), फेडाई (भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ) तथा फिम्डा (भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ), राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय निकाय के नियमों द्वारा जारी दिशानिर्देशों/अनुदेशों तथा आवश्यकतों का अनुपालन भी सुनिश्चित करता है.

## TRANSPARENCY & COMPLIANCE OFFICER

Further, the following additional functions also enhance the Bank's commitment to more and more disclosures and compliance under the Corporate Governance mechanism of the Bank.

### Transparency Officer

In Compliance with the directions of Central Information Commissioner (CIC), the Bank has appointed one of the Senior Officers as Transparency Officer, since February 2011.

The transparency officer is responsible for the following functions:

a) To oversee the implementation of Section 4 of Right to Information (RTI) Act detailing with obligations of public authorities and to apprise the top management of its progress.

b) To be the interface for the Central Information Commissioner (CIC) regarding the progress in implementation of the RTI Act.

c) To help promote congenial conditions for positive and timely response to RTI requests by Central Public Information Officers (CPIS), deemed CPIOs.

d) To be a contact point for the public in all RTI- related matters. The Bank has uploaded all the required information as required by the Act in the specified format/s on Bank's website and information is updated from time to time.

### Compliance Function

Compliance function in the Bank is one of the key elements in its corporate governance structure. The compliance function in the Bank is adequately enabled and an independent function. The Board of Directors of the Bank oversees the management of the Bank's compliance risk. The Bank has put in place a robust compliance system including a well-documented and Board approved Compliance Policy outlining the Compliance philosophy of the Bank.

The Compliance function ensures strict observance of all statutory provisions contained in various legislations such as Banking Regulation Act, Reserve Bank of India Act, Foreign Exchange Management Act, Securities and Exchange Board of India Act and Prevention of Money Laundering Act etc. as well as ensures observance of other regulatory guidelines issued from time to time. Bank also ensures adherence to regulations of various Regulatory Authorities where the Bank is having its Offices/ Branches at overseas Centres. The Bank is a member of Banking Codes and Standards Board of India and ensures compliance of Standards and Codes prescribed by BCSBI. It also ensures adherence of various guidelines/ instructions issued by IBA (Indian Banks Association), FEDAI (Foreign Exchange Dealers Association of India), FIMMDA (Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India), National, State and Local Body laws and requirements.

अनुबंध 1

## निदेशक मण्डल का गठन

### डॉ. हसमुख अढ़िया – अध्यक्ष (गैर कार्यपालक)

(जन्मतिथि: 3 नवंबर, 1958)

डॉ. हसमुख अढ़िया को भारत सरकार ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के तहत गैर कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में दिनांक 01.03.2019 से 3 वर्षों की अवधि या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया है.

डॉ. हसमुख अढ़िया भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं जो भारत सरकार के केन्द्रीय वित्त सचिव एवं राजस्व सचिव के रूप में 30.11.2018 को सेवानिवृत्त हुए. वे गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति भी हैं. वे इंडियन इंस्टिच्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट, बेंगलुरु के बोर्ड ऑफ़ गवर्नर के सदस्य भी हैं.

डॉ. हसमुख अढ़िया ने एकाउंटेंसी में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है. इंडियन इंस्टिच्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट, बेंगलुरु से स्वर्ण पदक प्राप्त किया है और साथ ही स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय, बेंगलुरु से योग में पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की है.

वित्त सचिव बनने से पहले वे नवंबर, 2014 से अगस्त, 2015 के दौरान भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिव थे. सचिव, वित्तीय सेवाएं के रूप में इन्हें कई नई कार्यनीतियां लागू करने का श्रेय प्राप्त है जैसे कि बैंकिंग सुधार के लिए ज्ञान संगम व इंद्रधनुष कार्यक्रम और साथ ही सामाजिक सुरक्षा योजनाएं- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना और लघु वित्तपोषण के लिए मुद्रा योजना.

वित्त/राजस्व सचिव के रूप में उन्हें, आयकर, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर में कर अनुकूल पहल करने का श्रेय प्राप्त है. साथ ही उन्होंने विधिवत जीएसटी लागू करने का कार्य संचालन भी किया जिससे जीएसटी सुचारू रूप से लागू हो सकी. उन्हें, कालाधन के खिलाफ निरंतर प्रयासरत रहने के लिए भी जाना जाता है.

वित्त मंत्रालय में पदस्थापना से पहले उन्होंने कई अन्य पद संभाले जैसे कि गुजरात के मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव (2003-06), प्रधान सचिव (शिक्षा), गुजरात (2008-13), अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) गुजरात (2013-14), उद्योग आयुक्त, गुजरात (2001-02), गुजरात औद्योगिक निवेश निगम और गुजरात औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध निदेशक.

### श्री संजीव चड्ढा – प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (कार्यपालक)

(जन्मतिथि: 25 जून 1963)

श्री संजीव चड्ढा को भारत सरकार ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के तहत प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में दिनांक 20.01.2020 से 3 वर्षों की अवधि या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया है.

श्री संजीव चड्ढा को बैंकिंग में 33 वर्षों का अनुभव है और उन्होनें 1987 में भारतीय स्टेट बैंक में अपने करियर की शुरुआत की थी. बैंक ऑफ़ बड़ौदा में नियुक्ति से पूर्व श्री संजीव चड्ढा भारतीय स्टेट बैंक में उप प्रबंध निदेशक

ANNEXURE 1

## COMPOSITION OF THE BOARD

### Dr. Hasmukh Adhia - Chairman (Non-Executive)

(DoB: 3rd November, 1958)

Dr. Hasmukh Adhia was appointed as Non-Executive Chairman by the Central Government u/s 9(3)(h) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, w.e.f. 01.03.2019, for a period of 3 years or until further orders, whichever is earlier.

Dr. Hasmukh Adhia, an officer of Indian Administrative Service, retired on 30.11.2018 as Union Finance Secretary & Revenue Secretary in Government of India. He is also the Chancellor of Central University of Gujarat. He also serves as a member of Board of Governors of Indian Institute of Management, Bangaluru.

Dr. Hasmukh Adhia has Post-Graduate degree in Accountancy. He is a Gold medalist from Indian Institute of Management, Bangalore and holds a Ph.D. in Yoga from Swami Vivekanand Yoga University, Bangalore.

Prior to his posting as Finance Secretary, he was Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India for the period from November, 2014 till August, 2015. As Secretary, Financial Services, he was credited with many new strategies for banking reforms such as Gyan Sangam and Indradhanush as well as social security schemes of Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna, Jivan Jyoti Bima Yojna and Atal Pension Yojna, as also for the scheme of micro-financing of Mudra.

As Finance/Revenue Secretary, he was credited with bringing in many tax-friendly initiatives in the Income-Tax as well as Excise Duty and Service Tax. Also he pursued the agenda of GST systematically as a result of which GST was implemented smoothly. He is also known for his relentless drive against the black money.

Prior to posting in the Ministry of Finance, some of the other positions held by him include Principal Secretary to Chief Minister of Gujarat (2003-06), Principal Secretary (Education), Gujarat (2008-13), Additional Chief Secretary (Finance), Gujarat (2013-14), Industries Commissioner, Gujarat (2001-02), Managing Director of Gujarat Industrial Investment Corporation and Gujarat Industrial Development Corporation.

### Shri Sanjiv Chadha - Managing Director & CEO (Executive)

(DoB: 25th June, 1963)

Shri Sanjiv Chadha was appointed as Managing Director & CEO by the Central Government u/s 9(3)(a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, w.e.f. 20.01.2020, for a period of 3 years or until further orders, whichever is earlier. Shri Sanjiv Chadha has over 33 years' experience in Banking having started his career

एवं एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, जो कि भारतीय स्टेट बैंक की मर्चेन्ट एवं इनवेस्टमेंट बैंकिंग इकाई है, के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्यरत थे.

उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक के देश भर में विस्तृत विभिन्न मंडलों एवं विदेशी कार्यालयों में कार्य किया है. उनके कुछ विगत कार्यदायित्वों में भारतीय स्टेट बैंक समूह के अध्यक्ष के कार्यपालक सचिव का दायित्व शामिल है. उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक के लॉस एंजिलिस कार्यालय में भी कार्य किया है और यू.के. में क्षेत्रीय प्रमुख भी रहे हैं.

उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में खुदरा बैंकिंग, कॉर्पोरेट वित्त, निवेश बैंकिंग, विलय और अधिग्रहण, संरचित वित्त एवं प्राइवेट इक्विटी शामिल हैं.

### श्री शांति लाल जैन- कार्यपालक निदेशक

(जन्मतिथि: 1 जनवरी, 1965)

श्री शांति लाल जैन की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (ए) के तहत पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक के पद पर) के रूप में 20.09.2018 से अपने कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, तब तक के लिए की गई है.

श्री शांति लाल जैन वाणिज्य में स्नातकोत्तर होने के साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव और सीएआईआईबी की व्यवसायिक योग्यता प्राप्त हैं. इलाहाबाद बैंक में शामिल होने से पूर्व, आपने लगभग 6 वर्ष विभिन्न उद्योगों में कार्य किया. उन्होंने इलाहाबाद बैंक में 1993 में मध्यम प्रबंधन श्रेणी/वेतनमान- II में ज्वाइन किया और महाप्रबंधक पद तक पहुचें. उन्होंने शाखाओं, अंचल कार्यालय, फील्ड महाप्रबंधक कार्यालय, स्टाफ महाविद्यालय और प्रधान कार्यालय में कार्य किया है. उन्होंने इलाहाबाद बैंक में अंचल प्रबंधक, आगरा अंचल के रूप में भी कार्य किया है और साथ ही बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी, मुख्य जोखिम अधिकारी और महाप्रबंधक- आईटी का दायित्व भी संभाला है.

### श्री विक्रमादित्य सिंह खीची - कार्यपालक निदेशक

(जन्मतिथि: 24 जुलाई, 1962)

श्री खीची की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (ए) के तहत पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक के पद पर) के रूप में 01 अक्टूबर, 2018 को अपने कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए की गई है.

श्री खीची ने एमबीए (वित्त एवं मार्केटिंग) किया है. साथ ही उन्होंने सीएआईआईबी और बीमा में एसोसिएट की व्यावसायिक योग्यता भी प्राप्त की है. बैंक ऑफ़ बड़ौदा में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यग्रहण करने से पूर्व देना बैंक में उनका करियर उल्लेखनीय था जहां दिसंबर, 1985 में प्रोबेशनरी अधिकारी के रूप में जॉइन कर वर्ष 2015 में महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नत हुए.

देना बैंक में अपनी 33 वर्षों की सेवा के दौरान उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया और विभिन्न शाखाओं में फील्ड स्तर पर अपने व्यापक परिचालन अनुभव के साथ-साथ नियंत्रक और कॉर्पोरेट कार्यालय के विभिन्न विभागों

with SBI in 1987. Prior to joining Bank of Baroda, Shri Sanjiv Chadha was working as DMD, SBI and MD & CEO of SBI Capital Markets Ltd., the Merchant and Investment Banking arm of SBI.

He served in various geographical locations of SBI spread across different circles and abroad. Some of his previous assignments includes Executive Secretary to the Chairman of the SBI Group. He has worked in SBI's Los Angeles Office and was also UK Regional Head.

His areas of specialism include Retail Banking, Corporate Finance, Investment Banking, Mergers & Acquisitions, Structured Finance and Private Equity.

### Shri Shanti Lal Jain – Executive Director

(DoB: 1st January, 1965)

Shri Jain was appointed as a Whole Time Director (designated as Executive Director) w.e.f. 20.09.2018 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of three years with effect from the date of assumption of office, or until further orders, whichever is earlier.

Shri Shanti Lal Jain is a Post Graduate in Commerce, with Professional Qualification of Chartered Accountant, Company Secretary and CAIIB. Prior to joining Allahabad Bank, he worked in various Industries for about 6 years. He joined Allahabad Bank in 1993 in Middle Management Grade/ Scale-II and reached upto General Manager. He worked in Branches, Zonal Office, Field General Manager Office, Staff College and Head Office. He also worked as Zonal Manager, Agra Zone in Allahabad Bank. He also worked as Chief Financial Officer, Chief Risk Officer and General Manager-IT of the Allahabad Bank.

### Shri Vikramaditya Singh Khichi – Executive Director

(DoB: 24th July, 1962)

Shri Khichi was appointed as a Whole Time Director (designated as Executive Director ) w.e.f. 01.10.2018 by the Central Government u/s 9(3)(a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of three years with effect from the date of assumption of office on 1st October, 2018, or until further orders, whichever is earlier.

Shri Vikramaditya Singh Khichi is an MBA (Finance and Marketing), with Professional Qualifications of CAIIB and Associate in Insurance. Prior to joining Bank of Baroda as Executive Director, he had a distinguished career in Dena Bank, having joined as a Probationary Officer in December, 1985 and gradually climbing up the ladder to the rank of General Manager in 2015.

During his long tenure of 33 years in Dena Bank, he served in varying capacities and blended his vast operational experience at the field level in various Branches with

में आयोजना/ नीति निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी उनका अहम योगदान रहा है.

उनके पास रिटेल बैंकिंग, डब्ल्यूएमएस, मार्केटिंग (नई पहल और उत्पाद विकास), कृषि, वसूली प्रबंधन, आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों सहित बैंकिंग परिचालन के व्यापक स्पेक्ट्रम में काम करने का गहन अनुभव है.

श्री खीची ने फील्ड महाप्रबंधक और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, गुजरात के संयोजक जैसी महत्वपूर्ण लीडरशिप भूमिकाएं निभाई हैं.

### श्री अजय के खुराना – कार्यपालक निदेशक

(जन्मतिथि : 17 मार्च, 1964)

श्री अजय के खुराना ने दिनांक 01.04.2020 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा में कार्यपालक निदेशक के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है. उन्होंने सीएआईआईबी की व्यावसायिक योग्यता के साथ बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट किया है. दिनांक 01.04.2020 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के कार्यपालक निदेशक के पद का दायित्व संभालने से पूर्व उन्होंने दिनांक 20.09.2018 से 31.03.2020 तक सिंडिकेट बैंक के निदेशक मंडल में कार्यपालक निदेशक के तौर पर सेवाएं प्रदान की.

उन्होंने दिनांक 15.11.1988 को विजया बैंक में अधिकारी के रूप में सेवा ग्रहण की. उनके पास 17 वर्षों तक फील्ड स्तर के विभिन्न पदों पर तथा 4 वर्षों तक विजया बैंक के क्षेत्रीय प्रमुख के रूप में कार्य करने का व्यापक परिचालन अनुभव है. वे बैंक में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नत हुए. श्री अजय के खुराना को बैंक के महत्वपूर्ण विभागों जैसे कि ऑडिट, एनपीए वसूली, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, परिचालन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं कॉर्पोरेट क्रेडिट में कार्य करने का गहन अनुभव है.

उन्होंने दिनांक 20.09.2018 को कार्यपालक निदेशक के रूप पदोन्नति प्राप्त कर विभिन्न पोर्टफोलियो यथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, ट्रेजरी एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, वसूली, एमएसएमई, मिड कॉर्पोरेट एवं केंद्रीय लेखा विभाग के कार्यों को संभाला है.

### श्री देबदत्त चाँद - कार्यपालक निदेशक

(जन्मतिथि : 31 जनवरी, 1971)

श्री देबदत्त चाँद को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और उन्होंने दिनांक 10.03.2021 को कार्यदायित्व संभाला है. श्री चाँद बीटेक, एमबीए सीएआईआईबी, पीजी डिप्लोमा इन इक्विटी रिसर्च एण्ड सर्टिफाइड पोर्टफोलियो मैनेजर की योग्यता से युक्त कुशल बैंकर हैं. उनके पास वाणिज्यिक बैंकों एवं विकास वित्त संस्थानों में कार्य करने का 27 वर्षों से अधिक का अनुभव है. उन्होंने वर्ष 1994 में इलाहाबाद बैंक में अधिकारी के रूप में अपना करियर आरंभ किया एवं तदुपरांत लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) में वर्ष 1998 से 2005 तक प्रबंधक के रूप में कार्य किया. वे वर्ष 2005 में मुख्य प्रबंधक के रूप में पंजाब नैशनल बैंक से जुड़े तथा आगे बढ़ते हुए मुख्य महाप्रबंधक के स्तर तक पहुंचे. बैंक ऑफ़ बड़ौदा में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यदायित्व संभालने के पूर्व वे पंजाब नैशनल बैंक के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में मुंबई अंचल के प्रमुख की भूमिका का निर्वाह कर रहे थे.

planning/policy formulation in different Departments at the Controlling and Corporate Offices.

He brings with him an enriched experience gained from working across the broad spectrum of Banking operations including key segments like Retail Banking, WMS, Marketing (New Initiative & Product Development), Agriculture, Recovery Management etc.

Shri Khichi performed important leadership roles like Field General Manager (Gujarat Operations) in Dena Bank and Convenor of State Level Bankers' Committee, Gujarat.

### Shri Ajay K. Khurana – Executive Director

(DoB: 17th March, 1964)

Shri Ajay K Khurana joined as Executive Director in Bank of Baroda on 01.04.2020. He is a Post graduate in Business Management with Professional Qualification of CAIIB. Prior to joining the Board of Bank of Baroda as Executive Director on 01.04.2020, he served on the Board of Syndicate Bank as an Executive Director from 20.09.2018 till 31.03.2020.

He joined Vijaya Bank as an Officer on 15.11.1988. He has a vast operational experience at field level covering 17 years in various capacities and 4 years as Regional Head at Vijaya Bank. He climbed up the ladder of Management and was promoted as General Manager. Shri. Ajay K Khurana has acquired rich experience while working in various key areas such as Audit, NPA Recovery, International Banking, Operations, Information Technology Dept. and Corporate Credit.

He was elevated to the rank of Executive Director on 20.09.2018 and handled various portfolios such as Information Technology Dept., Treasury & International Banking, Recovery, MSME, Mid Corporate and Central Accounts Dept.

### Shri Debadatta Chand – Executive Director

(DoB: 31st January, 1971)

Shri Debadatta Chand has been appointed as Executive Director of Bank of Baroda and assumed charge on 10.03.2021. Shri Chand is a B.Tech, MBA, CAIIB qualified Banker with PG Diploma in Equity Research and Certified Portfolio Manager. He has over 27 years of experience in Commercial Banks and Developmental Financial Institution. He started his career in Allahabad Bank as Officer in 1994 and subsequently worked as Manager in Small Industries Development Bank of India [SIDBI] from 1998 to 2005. He joined Punjab National Bank in the year 2005 as Chief Manager, rose to the level of Chief General Manager. Prior to joining Bank of Baroda as an Executive Director, he was heading Mumbai Zone as CGM, PNB.

बैंकिंग उद्योग में अपनी लंबी यात्रा के दौरान उन्होंने ट्रेजरी एवं निवेश बैंकिंग और बाजार जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ परिचालन और नीतिपरक बैंकिंग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य किया है. उन्होंने अंचल लेखा परीक्षा कार्यालय, पटना के प्रमुख, बरेली मंडल के प्रमुख, बैंक के एकीकृत ट्रेजरी परिचालन के प्रमुख और मुंबई अंचल, जो कि बैंक के सबसे बड़े अंचलों में से एक है, के प्रमुख के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वाह किया.

वे पीएनबी प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड, स्विफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं भारत के अनेक प्राइवेट इक्विटी फंड तथा पंजाब नैशनल बैंक की एक विदेशी अनुषंगी के निदेशक मण्डल में भी रहे हैं.

### श्री अमित अग्रवाल- निदेशक (गैर- कार्यपालक) – केंद्र सरकार के प्रतिनिधि

(जन्मतिथि: 27 जून, 1970)

श्री अमित अग्रवाल भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (बी) के तहत सरकार के मनोनीत निदेशक के रूप में 25.01.2020 से अगले आदेश तक के लिए नियुक्त किए गए हैं.

श्री अमित अग्रवाल 1993 से भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य हैं. वर्ष 2016 से आप वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय में भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रूप में कार्य मुक्त कर वर्तमान में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं.

आप भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के पूर्ववर्ती छात्र रहे हैं. आपने भारत सरकार तथा छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों में विशेष रूप से वित्त, तकनीक और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष पदों पर कार्य किया है.

आपके पूर्व दायित्वों में प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद कार्यालय में सलाहकार एवं निदेशक, राष्ट्रीय नवोन्मेषिता परिषद के अध्यक्ष के साथ विशेष पदाधिकारी, विभिन्न राज्य सरकारों के विभागों और एजेंसियों के प्रमुख तथा जिला स्तर पर स्थानीय सरकारी कार्यालयों के प्रमुख के दायित्व शामिल हैं.

### श्री अजय कुमार - निदेशक (गैर- कार्यपालक) भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि

(जन्मतिथि: 20 मई, 1969)

श्री अजय कुमार की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (सी) के तहत नामित निदेशक के रूप में 13.01.2017 से अगले आदेश तक के लिए की गई है.

आपने अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर और बैंकिंग में एमएस की डिग्री प्राप्त की है. आप भारतीय बैंकिंग संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट सदस्य (सीएआईआईबी) भी हैं.

श्री अजय कुमार भारतीय रिजर्व बैंक में दिसंबर 1991 में सेवा ग्रहण की और आपके पास मुद्रा प्रबंधन, ग्रामीण ऋण एवं आयोजना, विदेशी मुद्रा प्रबंधन तथा बैंकिंग पर्यवेक्षण के क्षेत्र में विभिन्न पदों पर कार्य करने का 28 वर्षों का व्यापक अनुभव है. आपने एचडीएफसी बैंक तथा कोटक महिन्द्रा बैंक के वरिष्ठ पर्यवेक्षण प्रबंधक के रूप में भी कार्य किया है. आप इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक तथा यूको बैंक की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के लिए प्रिंसिपल निरीक्षणकर्ता अधिकारी (पीआईओ) भी थे और आपने अपने नेतृत्व में यूको बैंक की व्यापक

During his long stint in the Banking Industry, he gained varied exposures in all important spheres of operational and strategic Banking with special expertise in Treasury & Investment Banking and Market Risk Management. He successfully handled the responsibilities such as Head of Zonal Audit Office, Patna, Circle Head of Bareilly, Head of Integrated Treasury Operation of the Bank and Zonal Head of Mumbai Zone – one of the Biggest Zones of the Bank.

He was also on the Board of PNB Principal Mutual Fund, SWIFT India Pvt. Ltd and many of the Private Equity funds in ex officio capacity in India and also in one of the overseas subsidiaries of the Punjab National Bank.

### Shri Amit Agrawal - Director (Non-Executive) - Representing Central Government

(DoB: 27th June 1970)

Shri Amit Agrawal was appointed as Government Nominee Director by the Central Government u/s 9(3)(b) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, w.e.f. 25.01.2020, until further order.

Mr. Agrawal is a member of the Indian Administrative Service since 1993. Since 2016, he has served in the Ministry of Finance, Department of Financial Services, initially as Joint Secretary to the Government of India and currently as Additional Secretary.

An alumnus of Indian Institute of Technology Kanpur, he has served in top positions in the Government of India and the State Governments of Chhattisgarh and Madhya Pradesh, broadly in the areas of finance, technology and technical education.

His earlier charges include that of Director in the Prime Minister's Office; Adviser and Director in the Office of Prime Minister's Economic Advisory Council; Officer on Special Duty with the Chairman of the National Innovation Council; Head of various State Government departments and agencies; and Head of District-level Local Governments.

### Shri Ajay Kumar - Director (Non-Executive) - Representing Reserve Bank of India

(DoB: 20th May, 1969)

Shri Ajay Kumar is nominated as a Director w.e.f. 13.01.2017 by the Central Government u/s 9 (3) (c) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 to hold the post until further orders. He has done his Masters in Economics and MS in Banking. He is also a Certified Associate of the Indian Institute of Banking (CAIIB).

Shri Ajay Kumar joined RBI in December 1991 and has had a wide experience of 28 years of working in various capacities in the areas of currency management, rural credit and planning, foreign exchange management and banking supervision. He has worked as the Senior Supervisory Manager for the HDFC Bank and the Kotak Mahindra Bank. He was also the

आस्ति गुणवत्ता समीक्षा भी की थी. आपको भारत में विदेशी बैंकों के व्यवहार की निगरानी की जिम्मेदारी भी सौंपी गयी. विदेशी मुद्रा प्रबंधन के क्षेत्र में, बैंकों हेतु जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देशों तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति रूपरेखा को प्रमाणित करने का कार्य भी आपके संचालन के अधीन हुआ है. पूर्व में ग्रामीण ऋण और आयोजना में अपने कार्यकाल के दौरान आप चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में नामित निदेशक के रूप में भी कार्यरत रहे हैं. वर्तमान में आप भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में मार्च 2019 से नई दिल्ली में कार्यरत हैं और नई दिल्ली में समग्र बैंकिंग ढांचे के विकास के लिए अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं.

**श्रीमती सौंदरा कुमार - निदेशक (गैर-कार्यपालक)- शेयरधारक निदेशक**

(जन्म तिथि: 15 अगस्त, 1954)

श्रीमती सौंदरा कुमार का चयन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं हस्तांतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (i) के तहत दिनांक 24.12.2020 से 23.12.2023 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए शेयरधारक निदेशक के रूप में किया गया है.

आपने स्टेला मैरिस कॉलेज, चेन्नई से गणित में स्नातक किया है. आपने सीएआईआईबी भी किया है. उन्होंने 1975 में भारतीय स्टेट बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और 2014 में अपनी सेवानृवित्त तक कार्यरत रही. इस अवधि के दौरान उन्होंने एसएमई, रिटेल और कृषि एवं ग्रामीण (वित्तीय समावेशन) शाखाओं के शाखा प्रमुख सहित विभिन्न पदों पर कार्य किया. आप तिरुचिरापल्ली में बैंक के प्रशिक्षण केन्द्र में संकाय सदस्य के रूप में, चेन्नै सर्कल में क्षेत्रीय प्रमुख के पद पर, वरिष्ठ वाइस प्रेसिडेंट, आर्टेसिया शाखा, कैलिफोर्निया यूएस, बाद में प्रेसिडेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया) एवं बैंक के लॉस एंजल्स एजेंसी के सीईओ के रूप में कार्यरत रही हैं. आप अक्तूबर 2008 से बैंक के स्टेट बैंक ऑफ इंदौर की प्रबंध निदेशक भी रहीं जहां उन्होंने 2010 में इसका सफलतापूर्वक विलय मूल बैंक में करवाया. वर्ष 2014 में अपनी सेवानिवृति तक आप भारतीय स्टेट बैंक में दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन प्रभारी के रूप में उप प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत रहीं.

आपने 3 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए एसबीआई के होलसेल बैंकिंग क्रेडिट समिति की अध्यक्षता भी की है एवं कॉर्पोरेट सेंटर निवेश समिति एवं क्रेडिट नीति व प्रक्रिया समिति की भी स्थायी सदस्य रही हैं. आपने वित्तीय समावेशन हेतु कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल को ऊपर उठाने हेतु उपाय सिफारिश करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक कार्यकारी समूह के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है. आप भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्थापित कॉर्पोरेट ऋण पुनर्गठन तंत्र के कोर समूह की भी सदस्य रही हैं. आपने एआरसीआईएल, सरसाई, सिडबी वेंचर कैपिटल आदि के निदेशक मंडल में एसबीआई के नामित निदेशक के रूप में भी कार्य किया है.

**श्री श्रीनिवासन श्रीधर - निदेशक (गैर-कार्यपालक) - शेयरधारक निदेशक**

(जन्मतिथि 3 मई, 1960)

श्री श्रीनिवासन श्रीधर शेयरधारक निदेशक के रूप में, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं हस्तांतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (i) के तहत दिनांक 12.12.2018 से 11.12.2021 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए चुने गए हैं.

Principal Inspecting Officer (PIO) for the annual supervisory process of the Allahabad Bank, the United Bank of India and the UCO Bank and also conducted the comprehensive Asset Quality Review of the latter under his stewardship. He was also assigned the responsibility of monitoring the conduct of foreign banks in India. In the area of foreign exchange management, he has been at the helm of formulating Risk Management Guidelines for banks and also Foreign Direct Investment Policy Framework. Earlier, he has also served as Nominee Director in four Regional Rural Banks during his stint in rural credit and planning. Currently, he is posted as the Regional Director, Reserve Bank of India at New Delhi since March 2019 and is fulfilling his responsibilities towards development of the overall banking infrastructure in New Delhi.

**Smt. Soundara Kumar - Director (Non-Executive) - Shareholder Director**

(DoB: 15th August, 1954)

Smt. Soundara Kumar is an elected Shareholder Director under section 9 (3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years from 24.12.2020 to 23.12.2023.

She has done her graduation in Mathematics from Stella Maris College, Chennai. She is also CAIIB. She joined State Bank of India as a Probationary Officer in 1975 and continued till her retirement in 2014. During this period she held various assignments including heading branches, SME, Retail and Rural & Agriculture (Financial Inclusion). She was also a faculty member in the Bank's Training Centre, at Tiruchirapalli; Regional Manager, Chennai Circle; Senior Vice President, Artesia branch, California US; later as President State Bank of India (California) and CEO of the Los Angeles Agency of the Bank. She was Managing Director of the State Bank of Indore from October, 2008, where she successfully steered the merger of the Bank with the Parent Bank in 2010. She held the position of Dy. Managing Director, in charge of Stressed Assets Management, in SBI till her retirement in 2014.

She has also headed Wholesale Banking Credit Committee of SBI for over -3- years and was a permanent member of Corporate Centre Investment Committee and Credit Policies and Procedures Committee. She served as member of RBI Working Group to recommend measures for scaling up the Business Correspondent (BC) model for Financial Inclusion. She was also a member of Core Group of Corporate Debt Restructuring mechanism set up by RBI. She also served as a nominee director of SBI on the Boards of ARCIL, CERSAI, SIDBI Venture Capital etc.

**Shri Srinivasan Sridhar - Director (Non-Executive) - Shareholder Director**

(DoB: 3rd May, 1960)

Shri Srinivasan Sridhar is an elected Shareholder Director under section 9 (3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years from 12.12.2018 to 11.12.2021.

आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.कॉम (ऑनर्स) किया है और एक सनदी लेखाकार हैं.

श्री श्रीधर को देश-विदेश में वित्तीय सेवा विशेषज्ञ के रूप में सिटीग्रुप के साथ पूरे एशिया, अफ्रीका और यूरोप में लगभग 30 वर्षों का अनुभव है. इस अवधि के दौरान तीने देशों में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारत के लिए कार्पोरेट प्रमुख, अफ्रीका के लिए लेन-देन सेवाएं प्रमुख तथा केन्द्रीय, पूर्वी यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका के लिए बैंक सर्विस ग्रूप प्रमुख सहित राष्ट्रीय, क्षेत्रीय कार्यपालक जैसे प्रमुख पदों पर रहते हुए उन्होंने व्यवसाय के विकास, संवर्धन और रूपांतरण का कार्य किया. सिटी में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद श्री श्रीधर ने ऑलिवर वायमैन के साथ पार्टनर तथा भारत के प्रमुख के रूप में कार्य किया और वर्तमान में ग्लोबल मैनेजमेंट फर्म के साथ वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं. आपने व्यक्तिगत निष्ठा, जुनून और रिलेशनशिप कौशल के साथ कई विजेता टीमों को गठित किया है जिसमें विभिन्न संस्कृति और प्रोफेशनल बैकग्राउंड के लोग हैं.

अब आप स्टार्ट अप से लेकर भारत के सबसे बड़े कार्पोरेशनों, विभिन्न कंपनियों के निदेशक मंडल में प्रतिष्ठित गैर – कार्यपालक/ सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं. उनका बृहद अनुभव और ट्रैक रिकॉर्ड उन्हें मुख्य कार्यापालक अधिकारियों एवं निदेशक मंडल के साथ नीतिपरक प्रबंधन, व्यवसाय रूपांतरण, गवर्नेंस, शेयरधारक हितों, जोखिम तथा नियामक अनुपालन के क्षेत्र में कार्य करने में सहायता करता है. आप एक सक्रिय एंजल निवेशक और ऐसे स्टार्ट अप जो प्रारंभिक स्तर में हैं के लिए मेंटर हैं.

Shri Sridhar is a B.Com (Hons.) from Delhi University and a Chartered Accountant.

Shri Sridhar is a financial services expert with nearly 30 years of experience at Citigroup across Asia, Africa and Europe. During this period he built, grew and transformed businesses, holding key country and regional executive positions including CEO for three countries, Corporate Bank Head for India, Transaction Services Head for Africa and Bank Services Group Head for Central, Eastern Europe, Middle East and Africa. After his time with Citi, Shri Sridhar joined Oliver Wyman as Partner and India Head, and is currently a senior advisor at the leading global management consulting firm. With strong personal integrity, passion, and relationship skills, he has built several winning teams comprising people from diverse cultural and professional backgrounds.

He is now an established non-executive board director/ advisor with companies ranging from startups to the largest corporations in India. His deep experience and track record helps him to work with CEOs and boards in areas such as management strategy, business transformation, governance, shareholder interests, risk, and regulatory compliance. He is also an active angel investor and mentor for early stage startups.

## अनुलग्नक - 1ए
## निदेशकों से संबन्धित अन्य विवरण:
(यथास्थिति 31.03.2021)

## Annexure – 1A
## OTHER DETAILS OF DIRECTORS:
(Position as on 31.03.2021)

| निदेशक का नाम<br>Name of Director | बैंक के शेयरों की संख्या<br>No. of shares of Bank | बैंक की उप समितियों की संख्या जिनमें वे सदस्य हैं<br>No. of membership in Sub -Committees of the Bank | अन्य कंपनियों में सदस्य/ अध्यक्ष के रूप में निदेशक मण्डल की उप समितियों की संख्या जिनमें वे सदस्य हैं. (*)<br>No. of Membership / Chairmanship held in Sub - Committees of the Board in other Companies (*) | बैंक के अलावा अन्य कंपनियों/ इकाइयों के निदेशक मण्डल में निदेशक स्वरूप शामिल<br>Directorship held in other Companies / entities i.e. Other than the Bank |
|---|---|---|---|---|
| डॉ. हसमुख अढ़िया<br>Dr. Hasmukh Adhia | शून्य<br>Nil | 8 | 0 | शून्य<br>NIL |
| श्री संजीव चड्ढा<br>Shri Sanjiv Chadha | शून्य<br>NIL | 11 | 1 | 1. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड<br>2. बॉबकैप्स लिमिटेड<br>3. बॉब फाइनेंसियल लिमिटेड<br>4. बॉब यूके लिमिटेड<br>5. इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेस कंपनी लिमिटेड<br>1. National Insurance Company Limited<br>2. BOBCAPS Limited<br>3. BOB Financials Limited<br>4. BOB UK Limited<br>5. IndiaFirst Life Insurance Company Limited |
| श्री शांति लाल जैन<br>Shri Shanti Lal Jain | 6500 | 10 | 0 | 1. बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड<br>2. बड़ौदा सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड<br>3. बैंक ऑफ बड़ौदा (यूगांडा) लिमिटेड<br>4. बैंक ऑफ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड<br>1. Baroda Global Shared Services Limited<br>2. Baroda Sun Technologies Limited<br>3. Bank of Baroda (Uganda) Limited<br>4. Bank of Baroda (Tanzania) Limited |
| श्री विक्रमादित्य सिंह खीची<br>Shri Vikramaditya Singh Khichi | 6500 | 10 | 0 | 1. इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.<br>2. बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड<br>3. बॉब फायनेंशियल सॉल्यूशन्स लिमिटेड<br>4. इंडो ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड<br>5. बैंक ऑफ बड़ौदा (केन्या) लिमिटेड<br>1. IndiaFirst Life Insurance Company Limited<br>2. Baroda Asset Management India Limited<br>3. BOB Financial Solutions Limited<br>4. Indo Zambia Bank Limited<br>5. Bank of Baroda (Kenya) Limited |
| श्री अजय के खुराना<br>Shri Ajay K. Khurana | 481 | 11 | 0 | 1. नेशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ़ इंडिया<br>1. National Payments Corporation of India |

| निदेशक का नाम<br>Name of Director | बैंक के शेयरों की संख्या<br>No. of shares of Bank | बैंक की उप समितियों की संख्या जिनमें वे सदस्य हैं<br>No. of membership in Sub -Committees of the Bank | अन्य कंपनियों में सदस्य/ अध्यक्ष के रूप में निदेशक मण्डल की उप समितियों की संख्या जिनमें वे सदस्य हैं. (*)<br>No. of Membership / Chairmanship held in Sub - Committees of the Board in other Companies (*) | बैंक के अलावा अन्य कंपनियों/ इकाइयों के निदेशक मण्डल में निदेशक स्वरूप शामिल<br>Directorship held in other Companies / entities i.e. Other than the Bank |
|---|---|---|---|---|
| श्री देबदत्त चांद<br>Shri Debadatta Chand | शून्य<br>Nil | 11 | 0 | शून्य<br>NIL |
| श्री अमित अग्रवाल<br>Shri Amit Agrawal | शून्य<br>Nil | 4 | 2 | 1. यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड<br>2. जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड<br>1. United India Insurance Company Limited<br>2. General Insurance Corporation of India |
| श्री अजय कुमार<br>Shri Ajay Kumar | शून्य<br>Nil | 4 | 0 | शून्य<br>NIL |
| श्रीमती सौंदरा कुमार<br>Smt. Soundara Kumar | 200 | 3 | 5 | 1. राजपल्लयम मिल्स लिमिटेड<br>2. तामिलनाडु न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड<br>3. शांति गियर्स लिमिटेड<br>4. रामको सिस्टम्स लिमिटेड<br>5. सुंदरम ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड<br>6. कार्बोरैंडम यूनिवर्सल लिमिटेड<br>1. Rajapalayam Mills Limited<br>2. Tamilnadu Newsprint and Papers Limited<br>3. Shanthi Gears<br>4. Ramco Systems Limited<br>5. Sundaram Trustee Company Limited<br>6. Carborandum Universal Limited |
| श्री श्रीनिवासन श्रीधर<br>Shri Srinivasan Sridhar | 500 | 10 | 7 | 1. ओरेकल फायनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड<br>2. इंडिया फैक्ट्रींग एवं फायनेंस सॉल्यूशन्स प्रा. लिमिटेड<br>3. एफआईएनसीए बैंक जॉर्जिया<br>4. एफआईएनसीए अजरबाइजान<br>5. निर्लोन लिमिटेड<br>1. Oracle Financial Services Software Limited<br>2. India Factoring and Finance Solutions Private Limited<br>3. FINCA Bank Georgia<br>4. FINCA Azerbaijan<br>5. Nirlon Limited |

(*) एसीबी और हितधारक समिति के संबंध में सूचना प्रदान की गई है.

(*) Information provided in respect of ACB and Stakeholders Committee

## घोषणा

**सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 की अनुसूची V - भाग (डी) के अनुसार प्रबंधक निदेशक एवं सीईओ का घोषणा- पत्र.**

यह घोषित किया जाता है कि बोर्ड के सभी सदस्यों एवं बैंक के उच्च प्रबंधन कार्मिक, 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष हेतु सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के विनियमन 26 (3) के अनुसार "बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशकों एवं उच्च प्रबंधन कार्मिक हेतु निर्धारित आचार संहिता" के अनुपालन हेतु वचनबद्ध हैं. यह आचार संहिता बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है.

कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा

**श्री संजीव चड्ढा**

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान: मुंबई

दिनांक: 07 जून, 2021

## DECLARATION

**Declaration of the Managing Director & CEO pursuant to Schedule V – Part (D) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.**

It is to declare that all the Board Members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance of the "Bank of Baroda - Code of Conduct for Directors and Senior Management Personnel" for the Financial Year ended on 31st March, 2021 in accordance with Regulation 26(3) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The said Code of Conduct has been posted on the Bank's website.

For Bank of Baroda

**Sanjiv Chadha**

Managing Director & CEO

Place : Mumbai

Date 07 June 2021

## फॉर्म संख्या. एमआर- 3
## सचिवालीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में]

## Form No. MR – 3
## Secretarial Audit Report

For the financial year ended March 31, 2021

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule 9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]

प्रति,
सदस्य
**बैंक ऑफ बड़ौदा**
बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर,
सी-26, जी-ब्लॉक
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400051

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और **बैंक ऑफ बड़ौदा** (इसके बाद जिसे बैंक के नाम से संदर्भित किया जाएगा) द्वारा श्रेष्ठ कॉर्पोरेट पद्धतियों के पालन हेतु 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए सचिवालीय लेखापरीक्षा करवाई थी. सचिवालय लेखापरीक्षा इस तरह से की गई थी कि कॉर्पोरेट आचरणों/ सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और उस पर हमारे विचारों को प्रस्तुत करने के लिए व्यवहार्य आधार उपलब्ध हो सके.

बैंक की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त संबंधी कागजातों, फॉर्मों और फाइल किए गए रिटर्नों और बैंक द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्डों तथा सचिवालय लेखा परीक्षा के दौरान बैंक, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के सत्यापन के आधार पर हम एतदद्वारा सूचित करते हैं कि हमारी राय में बैंक ने 31 मार्च, 2021 (लेखा परीक्षा अवधि) को समाप्त वित्त वर्ष को कवर करते हुए लेखा परीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा यह कि बैंक के पास निम्नलिखित तरीके और रिपोर्टिंग के अधीन उचित बोर्ड प्रक्रिया और अनुपालन प्रणाली भी है:

हमने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए बैंक की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त से संबंधित कागजातों, फॉर्मो, फाइल किए गए रिटर्नों और बैंक द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्डों की जांच निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुसार की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसमें उल्लिखित नियमों (जहां तक लागू हो);

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और इसमें उल्लिखित नियमों;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम 1996 और उसमें उल्लिखित विनियमों और उप कानूनों;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों, विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों और बाह्य वाणिज्यिक उधारों के संबध में बनाए गए विनियमन;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश:-

  ए. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम (शेयरों का अधिक मात्रा में अधिग्रहण एवं टेकओवर) विनियम, 2011.

  बी. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार निषेध) विनियम, 2015

  सी. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018

  डी. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014;

To,
The Members
**BANK OF BARODA**
Baroda Corporate Centre,
C-26, G-Block
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400051

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Bank of Baroda** (hereinafter called the Bank) for the year ended on March 31, 2021. Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Bank's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended on March 31, 2021 (Audit Period) complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the financial year ended March 31, 2021 according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder *( to the extent applicable);*

(ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;

(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

(iv) Foreign Exchange Management Act,1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;

(v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-

  a. The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;

  b. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015

  c. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018

  d. The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014;

ई. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीयन) विनियम, 2008

एफ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम करने वाले रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम एवं क्लाइंटों से डील करने के संदर्भ में (जहां तक लागू हो)

जी. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का गैर सूचीयन) विनियम, 2009 **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**; और

एच. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सिक्योरिटीज बायबैक विनियम, 1998) **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**;

आई. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015; तथा

(vi) हमने बैंक के लिए अन्य लागू अधिनियमों, कानूनों और विनियमों के अनुपालन के लिए बैंक द्वारा स्थापित सिस्टम एवं पद्धतियों हेतु बैंक और उसके अधिकारियों द्वारा दिए गए प्रतिवेदन पर विश्वास किया है.

हमारा यह मानना है कि प्रबंधन ने विशेष तौर से बैंक के लिए लागू होने वाले निम्नलिखित कानूनों का अनुपालन किया है.

1) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 एवं बैंककारी कंपनी नियम, 1949 (समय-समय पर यथा संशोधित)
2) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी मास्टर निदेश, अधिसूचना एवं दिशानिर्देश
3) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934
4) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970

हमने लागू निम्नलिखित धाराओं के अनुपालन की भी जांच की है:

i. भारतीय सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालीय मानक.

*यह लागू नहीं है क्योंकि बैंक कंपनी अधिनियम के तहत शामिल नहीं है*

ii. बैंक द्वारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ किए गए सूचीयन करार.

समीक्षा अवधि के दौरान बैंक नें उपर्युक्त उल्लिखित अधिनियम, नियम, विनियम, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है.

**हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:**

बैंक का निदेशक मंडल कार्यपालक निदेशकों, गैर-कार्यपालक निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ विधिवत रूप से गठित किया गया है. समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में किए गए बदलाव भारत सरकार की अधिसूचनाओं और अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए हैं.

वर्ष के दौरान बैंक के प्रबंधन में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

**नियुक्तियां:**

- **श्री अजय खुराना** को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ए) के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से दिनांक 19 सितंबर, 2021 तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.
- **श्रीमती सौंदरा कुमार** को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (आई) के तहत दिनांक 24 दिसंबर, 2020 से 23 दिसंबर 2023 तक तीन वर्षों के लिए शेयरधारक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.
- **श्री देबदत्त चाँद** को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (ए) के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2021 से तीन वर्षों के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, श्री मुरली रामास्वामी के स्थान पर कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.

**कार्यकाल समाप्ति:**

- **श्री मुरली रामास्वामी** दिनांक 31 दिसंबर, 2020 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के पश्चात दिनांक 1 जनवरी, 2021 से कार्यपालक निदेशक नहीं रहे.
- **डॉ. भरत कुमार डी डांगर** अपने तीन वर्षों का कार्यकाल पूरा करने के पश्चात दिनांक 24 दिसंबर, 2020 से शेयरधारक निदेशक नहीं रहे.

e. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008

f. The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client *(to the extent applicable.)*

g. The Securities and Exchange Board of India (Delisting of equity shares) Regulations, 2009 **(Not applicable to the Bank during the Audit Period)**; and

h. The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities Regulations, 1998; **(Not applicable to the Bank during the Audit Period);**

i. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015; and

(vi) We have relied on the representation made by the Bank and its Officers for systems and mechanism formed by the Bank for compliances under other applicable Acts, Laws and Regulations to the Bank.

We are of the opinion that the management has complied with the following laws specifically applicable to the Bank:

1) The Banking Regulation Act, 1949 & The Banking Companies Rules, 1949 (as amended from time to time)
2) Master Direction, Notifications, and Guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time.
3) The Reserve Bank of India Act, 1934
4) The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970

We have also examined compliance with applicable clauses of the following:

(i) Secretarial Standards issued by The Institute of Secretaries of India;

*This is not applicable as Bank is not incorporated under the Companies Act*

(ii) The Listing Agreements entered into by the Bank with BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited.

During the period under review, the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above,

**We further report that:**

The Board of Directors of the Bank is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out vide Government of India notifications and in compliance with the provisions of the Act.

During the year following changes took place in the Management of the Bank:

**Appointments:**

- **Shri Ajay Khurana** was appointed as Executive Director w.e.f. April 1, 2020 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of The Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, till September, 19, 2021, or until further orders, whichever is earlier.
- **Smt. Soundara Kumar** was elected as Shareholder Director under section 9 (3) (i) of The Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of three years from December 24, 2020 to December 23, 2023.
- **Shri Debadatta Chand** was appointed as Executive Director w.e.f. March 10, 2021 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of The Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of three years, or until further orders, whichever is earlier, vice Shri Murali Ramaswami.

**Cessations:**

- **Shri Murali Ramaswami** ceased to be Executive Director w.e.f. January 1, 2021 upon attaining the age of superannuation on December 31, 2020.
- **Dr. Bharatkumar D. Dangar** ceased to be a Shareholders Director w.e.f. December 24, 2020 on completion of his tenure of three years.

- **श्री बिजू वर्क्की** दिनांक 20 अक्टूबर, 2020 को अपनी नियुक्ति की अवधि पूरी करने के पश्चात दिनांक 21 अक्टूबर, 2020 से गैर-कार्यपालक निदेशक नहीं रहे.

बोर्ड द्वारा बैठकों को शिड्यूल करने हेतु सभी निदेशकों को यथोचित सूचना दी गई और एजेंडा तथा एजेंडा पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजा गया और बैठक से पहले और एजेंडा आइटम पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और सार्थक भागीदारी के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली उपलब्ध है.

अधिकांश निर्णयों पर सहमति बनी, जबकि असहमत सदस्यों के विचारों को कार्यवृत्त के हिस्से के रुप में रिकॉर्ड किया गया है.

हम इसके अलावा रिपोर्ट करते हैं कि बैंक में इसके आकार और परिचालन के अनुरुप पर्याप्त सिस्टम और प्रक्रियाएं हैं जो लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी को सुनिश्चित करते हैं, अपवाद स्वरुप निम्नलिखित को छोड़ :

दिनांक 25 जनवरी, 2021 के सार्वजनिक नोटिस के बारे में स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई जानकारी के अनुसार:

- संयुक्त अरब अमीरात के सेंट्रल बैंक द्वारा धन शोधन निवारण और आतंकवाद के वित्तपोषण और गैर-कानूनी संगठनों के वित्तपोषण का मुकाबला करने पर 2018 के फेडरल डिक्री कानून नं. (20) के अनुपालन में पाई गई कमियों के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा, जीसीसी ऑपरेशंस, दुबई पर एईडी 6,833,333.00 (लगभग ₹ 13.56 करोड़ की राशि) की वित्तीय प्रतिबंध लगाया गया.

हम इसके अतिरिक्त रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, बैंक में ऐसी विशिष्ट घटनाएं या कार्य रहे हैं जो उपरोक्त उल्लिखित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों, आदि के अनुसरण से संबंधित हैं:

1) बैंक ने एक शेयरधारक निदेशक के निर्वाचन के उद्देश्य से दिनांक 23 दिसंबर, 2020 को असाधारण आम बैठक आयोजित की.
2) दिनांक 01.06.2020 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा का टीयर II बॉन्ड सीरीज XIII के कॉल ऑप्शन/ रिडेम्पशन की कुल राशि ₹ 500.00 करोड़ है.
3) दिनांक 30.06.2020 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा का टीयर II बॉन्ड सीरीज XIV के कॉल ऑप्शन/ रिडेम्पशन की कुल राशि ₹ 500.00 करोड़ है.
4) दिनांक 17.07.2020 को ₹ 10,00,000 / - प्रत्येक (बेजमानती, बेमीयादी) के अंकित मूल्य के 764 8.25% - बैंक ऑफ़ बड़ौदा - बेसल III कंप्लायंट एटी I बांड - सीरीज XII का आबंटन किया गया.
5) दिनांक 28.07.2020 को ₹ 10,00,000 / - प्रत्येक (बेजमानती, बेमीयादी) के अंकित मूल्य के 981 8.50% - बैंक ऑफ़ बड़ौदा - बेसल III कंप्लायंट एटी I बांड - सीरीज XIII का आबंटन किया गया.
6) दिनांक 10.08.2020 को टियर II बॉन्ड सीरीज XV के कॉल ऑप्शन/रिडेम्पशन की कुल राशि ₹ 500.00 करोड़ है.
7) दिनांक 27.08.2020 को आईपीडीआई बॉन्ड सीरीज IV के कॉल ऑप्शन/ रिडेम्पशन की कुल राशि ₹ 711.50 करोड़ है.
8) दिनांक 17.11.2020 को ₹ 10,00,000 / - प्रत्येक (बेजमानती, बेमीयादी) के अंकित मूल्य के 833 8.50% - बैंक ऑफ़ बड़ौदा - बेसल III कंप्लायंट एटी I बांड - सीरीज XIV का आबंटन किया गया.
9) दिनांक 13.01.2021 को ₹ 10,00,000 / - प्रत्येक (बेजमानती, बेमीयादी) के अंकित मूल्य के 969 8.15% - बैंक ऑफ़ बड़ौदा - बेसल III कंप्लायंट एटी I बांड - सीरीज XV का आबंटन किया गया.
10) दिनांक 28.01.2021 को ₹ 10,00,000 / - प्रत्येक (बेजमानती, बेमीयादी) के अंकित मूल्य के 188 8.15% - बैंक ऑफ़ बड़ौदा - बेसल III कंप्लायंट एटी I बांड - सीरीज XVI का आबंटन किया गया.
11) बैंक ने 03.03.2021 को क्यूआईपी के तहत क्यूआईबी को प्रत्येक रू 2/- के 55,07,95,593 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं.
12) दिनांक 30.03.2021 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के बेसल III कंप्लायंट एटी I बांड - सीरीज III के कॉल ऑप्शन/रिडेम्पशन की कुल राशि ₹ 500.00 करोड़ है.

**कृते रागिनी चोकशी एंड कंपनी**
(कंपनी सचिव)
**रागिनी चोकशी**
(साझेदार)
सी.पी.नंबर 1436
एफसीएस नंबर. 2390
यूडीआईएन : F002390C000210400

स्थानः मुंबई
दिनांकः अप्रैल 29, 2021

- **Shri Biju Varkkey** ceased to be Non-Executive Director w.e.f. October 21, 2020 on completion of his term of appointment on October 20, 2020.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines, except:

As per the information given to the Stock Exchanges about the public notice dated 25th January 2021:

- The Central Bank of the United Arab Emirates has imposed a financial sanction of AED 6,833,333.00 (Amounting to ₹ 13.56 crores approx.) on Bank of Baroda, GCC Operations, Dubai for deficiencies in compliance of Federal Decree Law No. (20) of 2018 on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Financing of Illegal Organizations.

We further report that during the audit period, the Bank had following specific events or actions which might have a bearing on the Bank's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc.:

1) The Bank held its Extraordinary General Meeting on 23rd December 2020 for the purpose of Election of One Shareholder Director.
2) Call option/Redemption of Tier II Bond Series XIII aggregating ₹ 500.00 Cr. of Bank of Baroda on 01.06.2020.
3) Call option/Redemption of Tier II Bond Series XIV aggregating ₹ 500.00 Cr. of Bank of Baroda on 30.06.2020.
4) Allotment of 764 8.25% - Bank of Baroda – Basel III Compliant AT 1 Bonds – Series XII of face value of ₹ 10,00,000/- each (Unsecured, Perpetual) on 17.07.2020.
5) Allotment of 981 8.50% - Bank of Baroda – Basel III Compliant AT 1 Bonds – Series XIII of face value of ₹ 10,00,000/- each (Unsecured, Perpetual) on 28.07.2020.
6) Call option/Redemption of Tier II Bond Series XV aggregating ₹ 500.00 Cr. of Bank of Baroda on 10.08.2020.
7) Call option/Redemption of IPDI Bond Series IV aggregating ₹ 711.50 Cr. of Bank of Baroda on 27.08.2020.
8) Allotment of 833 8.50% - Bank of Baroda – Basel III Compliant AT 1 Bonds – Series XIV of face value of ₹ 10,00,000/- each (Unsecured, Perpetual) on 17.11.2020.
9) Allotment of 969 8.15% - Bank of Baroda – Basel III Compliant AT 1 Bonds – Series XV of face value of ₹ 10,00,000/- each (Unsecured, Perpetual) on 13.01.2021.
10) Allotment of 188 8.15% - Bank of Baroda – Basel III Compliant AT 1 Bonds – Series XVI of face value of ₹ 10,00,000/- each (Unsecured, Perpetual) on 28.01.2021.
11) Allotment of 55,07,95,593 Equity Shares of ₹ 2/- each to QIBs under QIP on 03.03.2021.
12) Call option/Redemption of Basel III AT I Bond Series III aggregating ₹ 500.00 Cr. of Bank of Baroda on 30.03.2021.

**For Ragini Chokshi & Co.**
(Company Secretaries)
**Ragini Chokshi**
(Partner)
C.P.NO.1436
FCS NO. 2390
UDIN: F002390C000210400

Place: Mumbai
Date: April 29, 2021

# महत्त्वपूर्ण वित्तीय सूचक
# Key Financial Indicators

| क्र. सं.<br>S.No. | विवरण (प्रतिशत में)<br>**Particulars (In Percentage)** | **31.03.2019** | **31.03.2020** | **31.03.2021** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ब्याज आय / औसत कार्यशील निधियां (एडब्ल्यूएफ)<br>**Interest Income / Average Working Funds (AWF)** | 7.26% | 5.92% | 5.34% |
| 2 | ब्याज व्यय / एडब्ल्यूएफ<br>**Interest expenses / AWF** | 4.54% | 3.78% | 3.16% |
| 3 | निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम)<br>**Net Interest Margin (NIM)** | 2.72% | 2.73% | 2.71% |
| 4 | ब्याज विस्तार / एडब्ल्यूएफ<br>**Interest spread / AWF** | 2.71% | 2.14% | 2.18% |
| 5 | गैर-ब्याज आय / एडब्ल्यूएफ<br>**Non-Interest Income / AWF** | 0.88% | 0.80% | 0.94% |
| 6 | परिचालन व्यय / एडब्ल्यूएफ<br>**Operating expenses / AWF** | 1.64% | 1.47% | 1.56% |
| 7 | लागत-आय अनुपात<br>**Cost Income Ratio** | 45.56% | 49.97% | 49.90% |
| 8 | सकल (परिचालन) लाभ / एडब्ल्यूएफ<br>**Gross (Operating) profit / AWF** | 1.96% | 1.47% | 1.56% |
| 9 | निवल लाभ / एडब्ल्यूएफ<br>**Net profit / AWF** | 0.06% | 0.04% | 0.06% |
| 10 | निवल मालियत पर प्रतिलाभ<br>**Return on Net Worth** | 1.18% | 1.23% | 1.50% |
| 11 | आस्तियों पर प्रतिलाभ<br>**Return on Assets** | 0.06% | 0.05% | 0.07% |
| 12 | औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ<br>**Return on Average Assets** | 0.06% | 0.06% | 0.07% |
| 13 | अग्रिमों पर प्रतिफल<br>**Yield on Advances** | 7.65% | 7.99% | 6.98% |
| 14 | जमाराशियों की लागत<br>**Cost of Deposits** | 4.68% | 4.98% | 4.01% |
| 15 | लाभांश भुगतान अनुपात (कॉर्पोरेट लाभांश कर सहित)<br>**Dividend payout Ratio (including Corporate Dividend Tax)** | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 16 | ऋण-जमा अनुपात<br>**Credit -- Deposit Ratio** | 80.27% | 77.38% | 77.15% |
| 17 | ऋण + गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश (अनुषंगियों में निवेश को छोड़कर) / जमा अनुपात<br>**Credit + Non SLR Investment (excluding Investments in Subsidiaries) /Deposit Ratio** | 83.01% | 79.96% | 80.03% |
| 18 | पूंजी पर्याप्तता अनुपात – बासेल II<br>**Capital Adequacy Ratio - BASEL II** | - | - | |
| | टीयर – I **Tier - I** | - | | |
| | टीयर – II **Tier - II** | - | | |
| 19 | पूंजी पर्याप्तता अनुपात – बासेल III<br>**Capital Adequacy Ratio - BASEL III** | 13.42% | 13.30% | 14.99% |
| | टीयर – I **Tier - I** | 11.55% | 10.71% | 12.67% |
| | टीयर – II **Tier - II** | 1.87% | 2.59% | 2.32% |

| क्र. सं.<br>S.No. | विवरण<br>**Particulars** | 31.03.2019 | 31.03.2020 | 31.03.2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कर्मचारी (संख्या)<br>**Employees (number)** | 55754 | 84283 | 82886 |
| 2 | शाखाएं (संख्या)<br>Branches (number) | 5598 | 9528 | 8258 |
| 3 | प्रति कर्मचारी व्यवसाय (₹ करोड़ में)<br>Business per employee (₹ in crore) | 18.88 | 18.77 | 19.57 |
| 4 | प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय (₹ करोड़ में)<br>Average Business per employee (Rs in crore) | 18.65 | 18.44 | 19.96 |
| 5 | प्रति कर्मचारी सकल लाभ (₹ लाख में)<br>Gross Profit per employee (₹ in lakhs) | 24.19 | 22.42 | 24.89 |
| 6 | प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ लाख में)<br>Net Profit per employee (₹ in lakhs) | 0.78 | 0.65 | 1.00 |
| 7 | प्रति शाखा व्यवसाय (₹ करोड़ में)<br>Business per branch (₹ in crore) | 197.84 | 171.72 | 202.63 |
| 8 | प्रति शाखा सकल लाभ (₹ करोड़ में)<br>Gross Profit per branch (₹ in crore) | 2.41 | 1.98 | 2.50 |
| 9 | प्रति शाखा निवल लाभ (₹ करोड़ में)<br>Net Profit per branch (₹ in crore) | 0.08 | 0.06 | 0.10 |
| 10 | प्रति शेयर अर्जन (₹)<br>Earnings per share (Rupees) | 1.64 | 1.36 | 1.78 |
| 11 | प्रति शेयर बहीमूल्य (₹)<br>Book Value per share (Rupees) | 138.42 | 96.22 | 106.72 |

स्रोत: विभिन्न वर्षो की वार्षिक रिपोर्ट (जहां उपयुक्त लगा, पिछले वर्षों के आंकड़ों को पुनर्समूहीकृत/ पुन:वर्गीकृत किया गया है)

@ ₹ 2/– प्रति शेयर के अंकित मूल्य पर

Source: Annual Reports of various years. (previous year's figures are regrouped and reclassified, where appropriate)

@ after equlisation of face value to ₹ 2.00

## परिभाषाएं / Definitions:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| औसत कार्यशील निधियां (एडब्ल्यूएफ) | : | कुल आस्तियों का मासिक/ दैनिक औसत | **Average Working Funds (AWF)** | : | Monthly/Daily average of total assets |
| औसत जमाराशियां | : | कुल जमाराशियों का पाक्षिक/ दैनिक औसत | **Average Deposits** | : | Fortnightly/Daily average of total deposits |
| औसत अग्रिम | : | कुल अग्रिमों का पाक्षिक/ दैनिक औसत | **Average Advances** | : | Fortnightly/Daily average of total advances |
| औसत व्यवसाय | : | औसत जमाराशियों और औसत अग्रिमों का योग | **Average Business** | : | Total of Average Deposits & Average Advances |
| औसत निवेश | : | कुल निवेशों का पाक्षिक/ दैनिक औसत | **Average Investments** | : | Fortnightly/Daily average of total investments |
| ब्याज आय/ एडब्ल्यूएफ | : | एडब्ल्यूएफ से विभाजित कुल ब्याज आय | **Interest Income/AWF** | : | Total Interest Income Divided by AWF |
| ब्याज व्यय/ एडब्ल्यूएफ | : | एडब्ल्यूएफ से विभाजित कुल ब्याज व्यय | **Interest Expenses/AWF** | : | Total interest expenses Divided by AWF |
| ब्याज स्प्रेड/ एडब्लूएफ | : | एडब्ल्यूएफ से विभाजित (कुल ब्याज व्यय घटाकर कुल ब्याज आय) | **Interest Spread/AWF** | : | (Total Interest Income minus Total Interest Expenses) Divided by AWF |
| गैर-ब्याज आय/ एडब्ल्यूएफ | : | एडब्ल्यूएफ से विभाजित कुल गैर-ब्याज आय | **Non-Interest Income/ AWF** | : | Total Non-Interest Income Divided by AWF |
| परिचालनगत व्यय | : | ब्याज व्यय घटाकर कुल व्यय | **Operating Expenses** | : | Total Expenses minus Interest Expenses |
| परिचालनगत व्यय/ एडब्ल्यूएफ | : | एडब्ल्यूएफ से विभाजित परिचालनगत व्यय | **Operating expenses/ AWF** | : | Operating expenses Divided by AWF |
| लागत आय अनुपात | : | (गैर-ब्याज आय + ब्याज स्प्रेड) से विभाजित परिचालनगत व्यय | **Cost Income Ratio** | : | Operating Expenses Divided by (Non Interest Income plus Interest Spread) |
| सकल (परिचालन) लाभ/ एडब्ल्यूएफ | : | एडब्ल्यूएफ से विभाजित परिचालनगत लाभ | **Gross (Operating) Profit/ AWF** | : | Operating profit divided by AWF |
| शुद्ध लाभ/ एडब्ल्यूएफ | : | एडब्ल्यूएफ से विभाजित शुद्ध लाभ | **Net Profit/AWF** | : | Net Profit Divided by AWF |
| शुद्ध मालियत पर प्रतिलाभ | : | शुद्ध मालियत (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि, एफसीटीआर, आस्थगित कर आस्तियों एवं समामेलन प्रारक्षित निधियों को छोड़कर) से विभाजित शुद्ध लाभ | **Return on Net Worth** | : | Net Profit Divided by Net Worth (excluding revaluation reserves, FCTR, Deferred Tax Assets & Amalgamation Reserves); |
| आस्तियों पर प्रतिलाभ | : | कुल आस्तियों से विभाजित शुद्ध लाभ | **Return on Assets** | : | Net Profit Divided by Total Assets; |
| औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ | : | औसत आस्तियों से विभाजित शुद्ध लाभ | **Return on Average Assets** | : | Net Profit Divided by Average Assets; |
| अग्रिमों पर प्रतिफल | : | औसत अग्रिम से विभाजित अग्रिमों पर अर्जित ब्याज | **Yield on Advances** | : | Interest earned on Advances Divided by Average Advances; |
| जमाराशियों की लागत | : | औसत जमाराशियों से विभाजित जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज | **Cost of Deposits** | : | Interest paid on Deposits Divided by average deposits; |
| लाभांश भुगतान अनुपात (कॉर्पोरेट लाभांश कर सहित) | : | शुद्ध लाभ से विभाजित कॉर्पोरेट लाभांश कर सहित लाभांश | **Dividend Payout Ratio (including corporate Dividend Tax)** | : | Dividend including corporate Dividend Tax Divided by Net Profit; |
| ऋण- जमा अनुपात | : | ग्राहकों की जमाराशियों (अर्थात् कुल जमाराशियां घटाकर अंतर बैंक जमा राशियां) से विभाजित कुल अग्रिम | **Credit - Deposit Ratio** | : | Total advances Divided by Customer Deposits (i.e Total Deposits minus Inter Bank Deposits); |
| ऋण + गैर एसएलआर निवेश (अनुषंगियों में निवेश को छोड़कर) - जमाराशि अनुपात | : | ग्राहकों की जमाओं से विभाजित (कुल अग्रिम + गैर एसएलआर निवेश - अनुषंगियों में निवेश) | **Credit + Non SLR Investments (excluding Investments in Subsidiaries) - Deposit Ratio** | : | (Total Advances Plus Non-SLR Investments minus Investments in subsidiaries) Divided by Customer Deposits; |
| प्रति कर्मचारी व्यवसाय | : | कर्मचारियों की कुल संख्या से विभाजित (मूल जमाराशियां + शुद्ध अग्रिम) | **Business Per Employee** | : | Core Deposits plus Net Advances Divided by Total No. of employees; |
| प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय | : | कर्मचारियों की कुल संख्या से विभाजित (औसत जमाराशियां + औसत अग्रिम) | **Average Business Per employee** | : | Average Deposits plus average advances divided by Total No. of employees; |
| प्रति कर्मचारी सकल लाभ | : | कर्मचारियों की कुल संख्या से विभाजित सकल लाभ | **Gross Profit Per Employee** | : | Gross Profit Divided by Total No. of employees |
| प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ | : | कर्मचारियों की कुल संख्या से विभाजित शुद्ध लाभ | **Net Profit Per Employee** | : | Net Profit Divided by total No. of employees; |
| प्रति शाखा व्यवसाय | : | शाखाओं की संख्या से विभाजित (कुल जमाराशियां + कुल अग्रिम) | **Business Per Branch** | : | Total Deposits plus total advances divided by No. of Branches; |
| प्रति शाखा सकल लाभ | : | शाखाओं की संख्या से विभाजित सकल लाभ | **Gross Profit Per Branch** | : | Gross Profit Divided by No. of Branches; |
| प्रति शाखा शुद्ध लाभ | : | शाखाओं की संख्या से विभाजित शुद्ध लाभ | **Net Profit Per Branch** | : | Net Profit Divided by No. of Branches |
| प्रति शेयर आय | : | अंकित मूल्य हेतु समायोजित भारित औसत बकाया शेयरों की संख्या से विभाजित शुद्ध लाभ | **Earning Per Share** | : | Net Profit divided by number of weighted average outstanding shares adjusted for face value; |
| प्रति शेयर बही मूल्य | : | अंकित मूल्य हेतु समायोजित बकाया शेयरों की संख्या से विभाजित शुद्ध मालियत [पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित राशि + एफसीटीआर + डीटीए + समामेलन प्रारक्षित निधि (वित्तीय वर्ष'20 एवं 21 के लिए) को छोड़कर] | **Book Value Per Share** | : | Net Worth [excluding revaluation reserves + FCTR + DTA + Amalgamation Reserves (for FY'20 & 21) divided by number of outstanding shares adjusted for face value. |

# 31 मार्च, 2021 का तुलन-पत्र
# Balance Sheet as at 31st March, 2021

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

| | | अनुसूची SCHEDULE | 31 मार्च 2021 को As at 31st March 2021 | 31 मार्च 2020 को As at 31st March 2020 |
|---|---|---|---|---|
| **पूंजी और देयताएं** | **CAPITAL & LIABILITIES** | | | |
| पूंजी | Capital | 1 | **1035,53,36** | 925,37,45 |
| प्रारक्षित निधियां और अधिशेष | Reserves and Surplus | 2 | **76010,18,78** | 70930,84,48 |
| जमाराशियां | Deposits | 3 | **966996,92,66** | 945984,42,56 |
| उधार ली गई राशियां | Borrowings | 4 | **66847,92,94** | 93069,30,58 |
| अन्य देयताएं एवं प्रावधान | Other Liabilities and Provisions | 5 | **44474,19,40** | 47005,56,44 |
| कुल | TOTAL | | **1155364,77,14** | 1157915,51,51 |
| **आस्तियां** | **ASSETS** | | | |
| भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि | Cash and Balances with Reserve Bank of India | 6 | **38841,03,76** | 32645,85,26 |
| बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि | Balances with Banks and Money at Call and Short Notice | 7 | **81571,77,93** | 89255,26,75 |
| निवेश | Investments | 8 | **261220,26,62** | 274614,61,39 |
| अग्रिम | Advances | 9 | **706300,51,15** | 690120,73,40 |
| अचल आस्तियां | Fixed Assets | 10 | **8016,24,55** | 8889,29,11 |
| अन्य आस्तियां | Other Assets | 11 | **59414,93,13** | 62389,75,60 |
| कुल | TOTAL | | **1155364,77,14** | 1157915,51,51 |
| आकस्मिक देयताएं | Contingent Liabilities | 12 | **395655,76,27** | 379610,40,46 |
| वसूली के लिए बिल | Bills for Collection | | **65233,83,25** | 52009,73,51 |
| उल्लेखनीय लेखा नीतियां | Significant Accounting Policies | 17 | | |
| लेखों पर टिप्पणियां | Notes on Accounts | 18 | | |

ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां तुलन-पत्र का एक अभिन्न भाग हैं.
The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

**संजीव चड्ढा**
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

**शांति लाल जैन**
कार्यपालक निदेशक

**विक्रमादित्य सिंह खीची**
कार्यपालक निदेशक

**अजय के खुराना**
कार्यपालक निदेशक

**देवदत्त चाँद**
कार्यपालक निदेशक

**इयान डिसूज़ा**
मुख्य वित्त अधिकारी

**जी. रमेश**
महाप्रबंधक
कॉर्पोरेट खाते एवं कराधान

**हमारी अलग रिपोर्ट के संदर्भ में.**

**कृते आर. देवेन्द्र कुमार एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 114207W

(नीरज गोलस)
साझेदार
एम. नं.: 074392

**कृते दास गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000112N

(अशोक कुमार जैन)
साझेदार
एम. नं.: 090563

**कृते व्यास एण्ड व्यास**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000590C

(ओ. पी. व्यास)
साझेदार
एम. नं.: 014081

**कृते दस्साणी एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 009096C

(उदेश दस्साणी)
साझेदार
एम. नं.: 078588

**कृते जे. काला एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 118769W

(जयेश काला)
साझेदार
एम. नं.: 101686

स्थान: मुंबई
दिनांक: 29 मई, 2021

# 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा
# Profit & Loss Account for the year ended 31st March, 2021

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

| | | अनुसूची SCHEDULE | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year Ended 31st March 2021 | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year Ended 31st March 2020 |
|---|---|---|---|---|
| I. आय | I. INCOME | | | |
| अर्जित ब्याज | Interest Earned | 13 | 70495,06,21 | 75983,65,50 |
| अन्य आय | Other Income | 14 | 12364,43,72 | 10317,32,38 |
| कुल | TOTAL | | 82859,49,93 | 86300,97,88 |
| II. व्यय | II. EXPENDITURE | | | |
| खर्च किया गया ब्याज | Interest Expended | 15 | 41686,03,59 | 48532,36,95 |
| परिचालन व्यय | Operating Expenses | 16 | 20543,65,60 | 18872,39,09 |
| प्रावधान और आकस्मिक व्यय | Provisions and Contingencies | | 19800,84,92 | 18350,03,09 |
| कुल | TOTAL | | 82030,54,11 | 85754,79,13 |
| III. लाभ / हानि | III. PROFIT / LOSS | | | |
| वर्ष के लिए निवल लाभ / (हानि) | Net Profit/ (Loss) for the year | | 828,95,82 | 546,18,75 |
| विनियोजन हेतु उपलब्ध राशि | Available for Appropriation | | 828,95,82 | 546,18,75 |
| विनियोजन / अंतरण | IV. Appropriations / Transfers | | | |
| ए) सांविधिक आरक्षित निधि | a) Statutory Reserve | | 207,22,49 | 136,54,69 |
| बी) पूंजीगत आरक्षित निधि | b) Capital Reserve | | 676,89,87 | 822,24,62 |
| सी) राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियां | c) Revenue and Other Reserves | | | |
| I) निवेश उतार- चढ़ाव प्रारक्षित निधि | I) Investment Fluctuation Reserve | | - | - |
| II) सामान्य प्रारक्षित निधि | II) General Reserve | | (341,78,39) | (560,32,75) |
| III) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधि | III) Special Reserve u/s 36 (1) (viii) of the Income Tax Act 1961 | | 286,56,00 | 180,00,00 |
| IV) निवेश प्रारक्षित निधि खाता | IV) Investment Reserve Account | | - | (41,58,33) |
| V) सांविधिक प्रारक्षित निधि (विदेशी) | V) Statutory Reserve (Foreign) | | 5,85 | 9,30,52 |
| कुल | TOTAL | | 828,95,82 | 546,18,75 |
| V. प्रति इक्विटी शेयर अर्जन | V. Earning Per Equity Share | | | |
| (प्रति शेयर का अंकित मूल्य ₹ 2/-) | (Face Value of ₹ 2 /- per share) | | | |
| प्रति शेयर मूल अर्जन (₹) | Basic Earnings per Share (₹) | | 1.78 | 1.36 |
| प्रति शेयर डायल्यूटेड अर्जन (₹) | Diluted Earnings per Share (₹) | | 1.78 | 1.36 |
| उल्लेखनीय लेखा नीतियां | Significant Accounting Policies | 17 | | |
| लेखों पर टिप्पणियां | Notes on Accounts | 18 | | |

ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां लाभ एवं हानि खाते का एक अभिन्न भाग है.
The Schedules referred to above form an integral part of the Profit & Loss Account.

**Sanjiv Chadha**
Managing Director & CEO

**Shanti Lal Jain**
Executive Director

**Vikramaditya Singh Khichi**
Executive Director

**Ajay K Khurana**
Executive Director

**Debadatta Chand**
Executive Director

**Ian Desouza**
Chief Financial Officer

**G. Ramesh**
General Manager
Corporate Accounts & Taxation

**In terms of our seperate report.**

**For R. Devendra Kumar & Associates**
Chartered Accountants
FRN: 114207W
(Neeraj Golas)
Partner
M. No.: 074392

**For Dass Gupta & Associates**
Chartered Accountants
FRN: 000112N
(Ashok Kumar Jain)
Partner
M. No.: 090563

**For Vyas & Vyas**
Chartered Accountants
FRN: 000590C
(O.P. Vyas)
Partner
M. No.: 014081

**For Dassani & Associates**
Chartered Accountants
FRN: 009096C
(Udesh Dassani)
Partner
M. No.: 078588

**For J. Kala & Associates**
Chartered Accountants
FRN: 118769W
(Jayesh Kala)
Partner
M. No.: 101686

Place: Mumbai
Date: May 29th, 2021

# तुलन-पत्र की अनुसूचियां
# Schedules to Balance Sheet

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

| | | 31 मार्च 2021 को As at 31st March 2021 | 31 मार्च 2020 को As at 31st March 2020 |
|---|---|---|---|
| **अनुसूची -1 पूंजी** | **SCHEDULE - 1 CAPITAL** | | |
| प्राधिकृत पूंजी | AUTHORISED CAPITAL | | |
| प्रति ₹ 2/- के 1500,00,00,000 शेयर | 1500,00,00,000 Shares of ₹ 2/- each | | |
| (पिछली अवधि प्रति शेयर ₹ 2/- के 1500,00,00,000/- ) | (previous period 1500,00,00,000/- shares of ₹ 2/- each) | **3000,00,00** | 3000,00,00 |
| **निर्गमित तथा अभिदत्त पूंजी** | **ISSUED AND SUBSCRIBED CAPITAL** | | |
| प्रति ₹ 2/- के 518,50,29,679 इक्विटी शेयर | 518,50,29,679 Equity Shares of ₹ 2/- each | | |
| (पिछली अवधि प्रति ₹ 2/- के 463,42,34,086 शेयर) | (previous period 463,42,34,086 shares of ₹ 2/- each) | **1037,00,59** | **926,84,68** |
| **मांगी गयी पूंजी एवं प्रदत्त पूंजी** | **CALLED-UP & PAID-UP CAPITAL** | | |
| प्रति ₹ 2/- के 517,13,62,179 इक्विटी शेयर (पिछली अवधि 462,05,66,586) जिसमें केंद्र सरकार द्वारा धारित कुल ₹ 661.64 करोड़ राशि के 330,81,84,689 इक्विटी शेयर शामिल हैं. (पिछली अवधि के कुल ₹ 661.64 करोड़ राशि के 330,81,84,689 इक्विटी शेयर) | 517,13,62,179 (previous period 462,05,66,586) Equity Shares of ₹ 2/- each including 330,81,84,689 Equity Shares amounting to ₹ 661.64 crores held by Central Government (previous period 330,81,84,689 Equity Shares amounting to ₹ 661.64 crores ) | **1034,27,24** | **924,11,33** |
| जोड़ें : जब्त किए गए शेयर 136,67,500 | Add: Forfeited Shares 136,67,500 | **1,26,12** | **1,26,12** |
| कुल | TOTAL | **1035,53,36** | **925,37,45** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची-2** | **SCHEDULE - 2** | | | | |
| **प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष** | **RESERVES & SURPLUS** | | | | |
| I **सांविधिक आरक्षित निधियां** | I **Statutory Reserves** | | | | |
| प्रारंभिक शेष | Opening Balance | **13128,98,26** | | **9423,13,75** | |
| अवधि के दौरान परिवर्धन | Additions during the period | **207,22,49** | **13336,20,75** | **3705,84,51** | **13128,98,26** |
| II **प्रारक्षित पूंजी** | II **Capital Reserves** | | | | |
| (₹ 5177.08 करोड़ की पुर्नमूल्यांकित आरक्षित निधि सहित (पिछली अवधि ₹ 6079.52 करोड़) | (including Revaluation Reserve of ₹ 5177.08 crore (previous periods ₹ 6079.52 crore) | | | | |
| प्रारंभिक शेष | Opening Balance | **12882,96,07** | | 6077,67,16 | |

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

| | | | | 31 मार्च 2021 को As at 31st March 2021 | | 31 मार्च 2020 को As at 31st March 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | अवधि के दौरान परिवर्धन | | Additions during the period | 676,89,87 | | 7822,65,36 | |
| | अवधि के दौरान समायोजन | | Adjustments during the period | (245,05,37) | | (224,39,68) | |
| | | | | 13314,80,57 | | 13675,92,84 | |
| | कटौतियां: | | Deductions: | | | | |
| | सामान्य प्रारक्षित निधियों में अंतरित पुर्नमूल्यांकित अचल आस्तियों पर मूल्यहास | | Depreciation on revalued fixed assets transferred to General Reserve | 657,38,00 | 12657,42,57 | 792,96,77 | 12882,96,07 |
| III | **शेयर प्रीमियम** | III | **Share Premium** | | | | |
| | प्रारंभिक शेष | | Opening Balance | 37985,40,30 | | 16035,73,80 | |
| | अवधि के दौरान परिवर्धन | | Additions during the period | 4375,16,49 | 42360,56,79 | 21949,66,50 | 37985,40,30 |
| IV | **राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां** | IV | **Revenue and other Reserves** | | | | |
| | ए) सांविधिक प्रारक्षित निधि (विदेशी) | | a) Statutory Reserve (Foreign) | | | | |
| | प्रारंभिक शेष | | Opening Balance | 115,70,44 | | 106,39,92 | |
| | अवधि के दौरान परिवर्धन | | Additions during the period | 68,72,68 | | 9,30,52 | |
| | | | | 184,43,12 | | 115,70,44 | |
| | बी) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधियां | | b) Special Reserve u/s 36(1) (viii) of Income Tax Act, 1961 | | | | |
| | प्रारंभिक शेष | | Opening Balance | 6107,45,77 | | 4948,20,03 | |
| | अवधि के दौरान परिवर्धन | | Additions during the period | 286,56,00 | | 1159,25,74 | |
| | | | | 6394,01,77 | | 6107,45,77 | |
| | सी) विदेशी मुद्रा रूपांतरित प्रारक्षित निधियां | | c) Foreign Currency Translation Reserve | | | | |
| | प्रारंभिक शेष | | Opening Balance | 3373,89,71 | | 2441,03,50 | |
| | अवधि के दौरान समायोजन | | Adjustments during the period | (312,84,15) | | 932,86,21 | |
| | | | | 3061,05,56 | | 3373,89,71 | |
| | डी) निवेश प्रारक्षित लेखा | | d) Investment Reserve Account | | | | |
| | प्रारंभिक शेष | | Opening Balance | - | | 41,58,33 | |
| | अवधि के दौरान समायोजन | | Adjustments during the period | - | | (41,58,33) | |
| | | | | - | | - | |
| | ई) निवेश उतार–चढ़ाव प्रारक्षित निधि | | e) Investment Fluctuation Reserve | | | | |
| | प्रारंभिक शेष | | Opening Balance | 21,57,83 | | 21,57,83 | |
| | अवधि के दौरान परिवर्धन | | Additions during the period | - | | - | |
| | | | | 21,57,83 | | 21,57,83 | |

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

| | | 31 मार्च 2021 को As at 31st March 2021 | | 31 मार्च 2020 को As at 31st March 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| एफ) अन्य राजस्व प्रारक्षित निधि प्रारंभिक शेष | f) Other Revenue Reserves Opening Balance | **8363,30,31** | | 6315,38,97 | |
| अवधि के दौरान समायोजन | Adjustments during the period | **680,04,29** | | 2047,91,34 | |
| | | **9043,34,60** | | 8363,30,31 | |
| **कुल – IV (ए, बी, सी, डी, ई और एफ)** | **TOTAL - IV (a, b, c, d, e & f)** | | **18704,42,88** | | 17981,94,06 |
| लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष | V Debit Balance in Profit & Loss Account | | **(11048,44,21)** | | (11048,44,21) |
| **कुल (I से V)** | **TOTAL (I to V)** | | **76010,18,78** | | 70930,84,48 |

पिछले वर्ष के दौरान परिवर्धन में सांविधिक प्रारक्षित निधि में पूर्ववर्ती देना बैंक और पूर्ववर्ती विजया बैंक से प्राप्त शेष राशि ₹ 3569.30 करोड़, पूंजीगत प्रारक्षित निधि में ₹ 3593.48 करोड़, शेयर प्रीमियम में ₹ 8993.67 करोड़, विशेष प्रारक्षित निधि में ₹ 979.26 करोड़, अन्य राजस्व निधियों में ₹ 2141.61 करोड़ और लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष के अंतर्गत ₹ (–) 11048.44 शामिल है.

Additions during the previous year includes balances carried forward from erstwhile Dena Bank and erstwhile Vijaya Bank of ₹ 3569.30 crore in Statutory reserve, ₹ 3593.48 crore in Capital reseves, ₹ 8993.67 crore in Share Premium, ₹ 979.26 crore in Special Reserve, ₹ 2141.61 crore in Other Revenue Reserves and ₹ (-) 11048.44 crore in Debit Balance in P&L Account.

पिछले वर्ष की पूंजीगत प्रारक्षित निधि में परिवर्धन में समामेलन के कारण समामेलित प्रारक्षित निधि ₹ 3406.93 करोड़ शामिल है.
Addition to previous year capital reserve also includes Amalgamation reserve of ₹ 3406.93 crore on account of Amalgamation.

## अनुसूची–3 जमाराशियां — SCHEDULE - 3 DEPOSITS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ए. I मांग–जमाराशियां | A. I Demand Deposits | | | | |
| i) बैंकों से | i) From Banks | **2868,95,68** | | 2419,75,88 | |
| ii) अन्य से | ii) From Others | **75802,46,25** | **78671,41,93** | 62160,86,13 | 64580,62,01 |
| II बचत बैंक जमाराशियां | II Savings Bank Deposits | | **309610,80,17** | | 269243,04,60 |
| III मीयादी जमाराशियां | III Term Deposits | | | | |
| i) बैंकों से | i) From Banks | **48610,16,30** | | 51752,88,55 | |
| ii) अन्य से | ii) From Others | **530104,54,26** | **578714,70,56** | 560407,87,40 | 612160,75,95 |
| **कुल (I से III)** | **TOTAL (I to III)** | | **966996,92,66** | | 945984,42,56 |
| बी. I भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां | B. I Deposits of branches in India | **858413,11,97** | | 808705,49,45 | |
| II भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां | II Deposits of branches outside India | **108583,80,69** | | 137278,93,11 | |
| **कुल (I और II)** | **TOTAL (I & II)** | **966996,92,66** | | 945984,42,56 | |

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

| | | | 31 मार्च 2021 को As at 31st March 2021 | | 31 मार्च 2020 को As at 31st March 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची – 4 उधार ली गयी राशियां** | **SCHEDULE - 4 BORROWINGS** | | | | | |
| I. भारत में उधार ली गयी राशियां | **I Borrowings in India** | | | | | |
| i) भारतीय रिज़र्व बैंक | i) Reserve Bank of India | | - | | 45792,00,00 | |
| ii) अन्य बैंक | ii) Other Banks | | 14123,53,13 | | 9243,77,77 | |
| iii) अन्य संस्थान एवं एजेंसियां | iii) Other Institutions and Agencies | | 22522,64,29 | | 4611,68,49 | |
| iv) नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आईपीडीआई) एवं एटी 1 | iv) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) & AT1 | | 10807,00,00 | | 8283,50,00 | |
| v) गौण बांड | v) Subordinated Bonds | | 11606,50,00 | | 13106,50,00 | |
| कुल (i to v) | **TOTAL (I to V)** | | | 59059,67,42 | | 81037,46,26 |
| II. भारत के बाहर उधार ली गयी राशियां | **II Borrowings outside India** | | | 7788,25,52 | | 12031,84,32 |
| कुल-उधार ली गयी राशियां (I एवं II) | **Total - Borrowings (I & II)** | | | 66847,92,94 | | 93069,30,58 |
| उपरोक्त में शामिल जमानती उधार ली गयी राशियां | Secured Borrowings included in above | | | 7725,47,91 | | 48723,21,68 |
| **अनुसूची – 5 अन्य देयताएं और प्रावधान :** | **SCHEDULE - 5 OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS** | | | | | |
| I देय बिल | I Bills Payable | | | 2659,23,08 | | 2122,48,61 |
| II अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) | II Inter Office Adjustments (Net) | | | 180,78,03 | | 3609,37,80 |
| III उपचित ब्याज | III Interest Accrued | | | 4178,80,12 | | 4856,20,78 |
| IV मानक अग्रिमों की एवज में आकस्मिक प्रावधान | IV Contingent Provision against Standard Advances | | | 9607,89,56 | | 7403,64,12 |
| V अन्य (प्रावधानों सहित) | V Others (including provisions) | | | 27847,48,61 | | 29013,85,13 |
| कुल (I से V) | **TOTAL (I to V)** | | | 44474,19,40 | | 47005,56,44 |
| **अनुसूची – 6 भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष** | **SCHEDULE - 6 CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA** | | | | | |
| I उपलब्ध नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित) | I Cash in hand (including foreign currency notes) | | | 4178,20,33 | | 4761,60,20 |
| II भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि | II Balances with Reserve Bank of India | | | | | |
| चालू खाते में | in Current Account | | | 34662,79,25 | | 27884,20,77 |
| अन्य खाते में | In Other Account | | | 4,18 | | 4,29 |
| कुल (I और II) | **TOTAL (I & II)** | | | 38841,03,76 | | 32645,85,26 |

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

| | | 31 मार्च 2021 को As at 31st March 2021 | | 31 मार्च 2020 को As at 31st March 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची -7** | **SCHEDULE - 7** | | | | |
| **बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि** | **BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE** | | | | |
| **I भारत में** | **I In India** | | | | |
| i) बैंकों के पास शेष राशि | i) Balances with Banks | | | | |
| ए) चालू खातों में | a) in Current Accounts | **66,35,92** | | **262,51,30** | |
| बी) अन्य जमा खातों में | b) in Other Deposit Accounts | **4277,14,20** | **4343,50,12** | **4434,12,47** | **4696,63,77** |
| ii) मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि | ii) Money at call and short notice with | | | | |
| ए) बैंकों के पास | a) Banks | **7285,00,00** | | **17000,00,00** | |
| बी) अन्य संस्थानों के पास | b) Other institutions | **29,40,36** | **7314,40,36** | **-** | **170,000,000** |
| **कुल(i और ii )** | **TOTAL (i and ii)** | | **11657,90,48** | | **21696,63,77** |
| **II भारत से बाहर** | **II Outside India** | | | | |
| i) चालू खातों में | i) in Current Accounts | **35082,81,80** | | **28077,32,37** | |
| ii) अन्य जमा खातों में | ii) in Other Deposit Accounts | **24839,26,11** | | **32738,63,81** | |
| iii) बैंकों के पास मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि | iii) Money at Call and Short Notice with Banks | **9991,79,54** | | **6742,66,80** | |
| **कुल (i, ii और iii)** | **TOTAL (i, ii and iii)** | | **69913,87,45** | | **67558,62,98** |
| **कुल (I और II)** | **TOTAL (I and II)** | | **81571,77,93** | | **89255,26,75** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची-8** | **SCHEDULE - 8** | | | | |
| **निवेश** | **INVESTMENTS** | | | | |
| I भारत में निवेश (सकल) | I Investments in India (Gross) | **251708,42,57** | | 265015,61,09 | |
| घटायें : मूल्यह्रास के लिए प्रावधान | Less: Provision for Depreciation | **3433,88,82** | | 2998,17,23 | |
| भारत में निवल निवेश | Net Investments in India | | **248274,53,75** | | 262017,43,86 |
| अलग-अलग विवरण | B R E A K - U P | | | | |
| i) सरकारी प्रतिभूतियां [क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ़ इंडिया में लॉज किए गए ₹ 3517.47 करोड़ के अंकित मूल्य (पिछले वर्ष ₹ 3589.17 करोड़) के ₹ 3548.58 करोड़ सहित (पिछले वर्ष ₹ 3552.37 करोड़ शामिल हैं)] | i) Government Securities [Includes ₹ 3548.58 Crores (Previous Year ₹ 3,589.17 Crores) face value of ₹ 3517.47 Crores (Previous Year ₹ 3,552.37 Crores) lodged with Clg. Corp. of India] | **226796,48,01** | | 244056,07,16 | |

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 31 मार्च 2021 को As at 31st March 2021 | | 31 मार्च 2020 को As at 31st March 2020 | |
| [एमसीएक्स के साथ लॉज किए गए ₹ 1.00 करोड़ के अंकित मूल्य (पिछले वर्ष के ₹ 1.02 करोड़) के ₹ 0.94 करोड़ सहित (पिछले वर्ष के ₹ 1.00 करोड़ शामिल हैं)]. | [Includes ₹ 0.94 Crores (Previous Year ₹ 1.02 Crores) face value of ₹ 1.00 Crores (Previous Year ₹ 1.00 Crores) lodged with MCX] | | | | |
| [एनएसई के साथ लॉज किए गए ₹ 158.98 करोड़ के अंकित मूल्य (पिछले वर्ष के ₹ 6.08 करोड़) के ₹ 161.19 करोड़ सहित (पिछले वर्ष के ₹ 5.98 करोड़ शामिल हैं)] | [Includes ₹ 161.19 Crores (Previous Year ₹ 6.08 Crores) face value of ₹ 158.98 Crores (Previous Year ₹ 5.98 Crores) lodged with NSE] | | | | |
| [बीएसई के साथ लॉज किए गए ₹ 1.00 करोड़ के अंकित मूल्य (पिछले वर्ष के 1.02 करोड़) के ₹ 1.01 करोड़ सहित (पिछली अवधि के ₹ 1.00 करोड़ शामिल हैं)] | [Includes ₹ 1.01 Crores (Previous Year ₹ 1.02 Crores) face value of ₹ 1.00 Crores (Previous Year ₹ 1.00 Crores) lodged with BSE] | | | | |
| ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां | ii) Other Approved Securities | 1,41,40 | | 1,41,40 | |
| iii) शेयर | iii) Shares | 2842,71,13 | | 2788,90,75 | |
| iv) डिबेंचर और बांड | iv) Debentures and Bonds | 15536,45,94 | | 10028,85,24 | |
| v) अनुषंगियां और / या संयुक्त उद्यम | v) Subsidiaries and/or Joint Ventures | 1487,58,69 | | 1444,92,01 | |
| vi) अन्य निवेश (वाणिज्यिक पत्रों, यूटीआई व अन्य म्यूचुअल फंड की यूनिटें, पास-थ्रू प्रमाणपत्र आदि) | vi) Other Investments (Commercial Papers, Units of UTI & Other Mutual Funds, Pass Through Certificates etc.) | 1609,88,58 | | 3697,27,30 | |
| | | 248274,53,75 | | 262017,43,86 | |
| **II भारत के बाहर निवेश (सकल)** | **II Investments Outside India (Gross)** | 13185,52,79 | | 13032,45,94 | |
| घटायें : मूल्यह्रास के लिए प्रावधान | Less: Provision for Depreciation | 239,79,92 | | 435,28,41 | |
| भारत के बाहर निवल निवेश | Net Investments Outside India | | 12945,72,87 | | 12597,17,53 |
| **अलग-अलग विवरण** | B R E A K - U P | | | | |
| i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) | i) Government Securities (Including Local Authorities) | 4498,79,38 | | 4113,40,65 | |
| ii) विदेशों में अनुषंगियां और/या संयुक्त उद्यम | ii) Subsidiaries and/or joint ventures abroad | 2034,31,06 | | 2023,86,62 | |
| iii) अन्य निवेश (डिबेंचर, बांड आदि) | iii) Other Investments (Debentures, Bonds etc.) | 6412,62,43 | | 6459,90,26 | |
| | | 12945,72,87 | | 12597,17,53 | |
| कुल (I और II) | **TOTAL (I and II)** | | 261220,26,62 | | 274614,61,39 |

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

| | | 31 मार्च 2021 को As at 31st March 2021 | | 31 मार्च 2020 को As at 31st March 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची-9 अग्रिम** | **SCHEDULE - 9 ADVANCES** | | | | |
| ए i) खरीदे और भुनाए गए बिल | A. i) Bills Purchased and Discounted | 21687,85,30 | | 33167,54,17 | |
| ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकौती योग्य ऋण | ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans Repayable on Demand | 282739,46,18 | | 264833,95,09 | |
| iii) मीयादी ऋण | iii) Term Loans | 401873,19,67 | | 392119,24,14 | |
| कुल ए (i से iii) | TOTAL A (i to iii ) | | 706300,51,15 | | 690120,73,40 |
| बी. i) मूर्त आस्तियों से प्रतिभूत (बही ऋण के सापेक्ष अग्रिमों सहित) | B. i) Secured by Tangible Assets (includes advances against Book Debts) | 552294,51,70 | | 537210,90,70 | |
| ii) बैंक/सरकारी गारंटी से रक्षित | ii) Covered by Bank/ Government Guarantees | 61311,67,95 | | 68184,11,14 | |
| iii) गैर-जमानती | iii) Unsecured | 92694,31,50 | | 84725,71,56 | |
| कुल बी (i से iii) | TOTAL B (i to iii) | | 706300,51,15 | | 690120,73,40 |
| सी. I भारत में अग्रिम | C. I Advances in India | | | | |
| i प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र | i. Priority Sector | 219473,30,21 | | 195316,53,51 | |
| ii सार्वजनिक क्षेत्र | ii. Public Sector | 99631,32,82 | | 69456,52,38 | |
| iii बैंक | iii. Banks | 1499,20,38 | | 490,76,06 | |
| iv अन्य | iv. Others | 285011,96,94 | 605615,80,35 | 305076,94,91 | 570340,76,86 |
| II भारत से बाहर अग्रिम | II Advances Outside India | | | | |
| i बैंकों से प्राप्य | i Due from Banks | 27887,94,53 | | 39331,50,23 | |
| ii अन्य से प्राप्य | ii Due from Others | | | | |
| a) खरीदे और भुनाए गए बिल | a) Bills Purchased & Discounted | 2614,10,75 | | 3870,92,98 | |
| b) सिंडीकेट ऋण | b) Syndicated Loans | 38503,31,80 | | 39368,99,34 | |
| c) अन्य | c) Others | 31679,33,72 | 100684,70,80 | 37208,53,99 | 119779,96,54 |
| कुल सी (I एवं II) | TOTAL C (I & II) | | 706300,51,15 | | 690120,73,40 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची-10 अचल आस्तियां** | **SCHEDULE - 10 FIXED ASSETS** | | | | |
| I **परिसर** | I **Premises** | | | | |
| पिछले वर्ष के 31 मार्च की लागत पर | At cost as on 31st March of the preceding year | 11970,40,57 | | 8284,72,34 | |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन | Additions/adjustments during the period | 128,87,61 | | 4037,43,62 | |
| (पुनर्मूल्यांकित राशि सहित) | (Includes revalued amount) | 12099,28,18 | | 12322,15,96 | |

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

| | | | | 31 मार्च 2021 को As at 31st March 2021 | | 31 मार्च 2020 को As at 31st March 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | वर्ष के दौरान कटौतियां/समायोजन | | Deductions/adjustments during the period | 392,69,83 | | 351,75,39 | |
| | | | | 11706,58,35 | | 11970,40,57 | |
| | घटाएं – आज की तारीख तक मूल्यह्रास/परिशोधन | | Less:- Depreciation/ Amortisation to date | 5180,93,20 | 6525,65,15 | 4556,81,19 | 7413,59,38 |
| II | **अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर एवं फिक्सचर को मिलाकर)** | II | **Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)** | | | | |
| | पिछले वर्ष के 31 मार्च की लागत पर | | At cost as on 31st March of the preceding year | 7907,07,32 | | 5525,84,64 | |
| | अवधि के दौरान परिवर्धन/समायोजन | | Additions/adjustments during the period | 2553,74,14 | | 2666,29,52 | |
| | | | | 10460,81,46 | | 8192,14,16 | |
| | अवधि के दौरान कटौती/ समायोजन | | Deductions/adjustments during the period | 2136,16,94 | | 285,06,84 | |
| | | | | 8324,64,52 | | 7907,07,32 | |
| | घटाएं: आज की तारीख तक मूल्यह्रास | | Less:- Depreciation to date | 6834,05,12 | 1490,59,40 | 6431,37,59 | 1475,69,73 |
| | **कुल (I से II)** | | **TOTAL (I to II)** | | 8016,24,55 | | 8889,29,11 |

विलय के पश्चात पूर्ववर्ती देना बैंक और पूर्ववर्ती विजया बैंक से अंतरित ₹ 3456.49 करोड़ के निवल बही मूल्य को पिछले वर्ष के आंकड़ों में शामिल किया गया है.

Previous year figure includes Net Book value of ₹ 3456.49 crore transferred from erstwhile Dena Bank and erstwhile Vijaya Bank on merger.

## अनुसूची –11 / SCHEDULE - 11

## अन्य आस्तियां / OTHER ASSETS

| | | | | As at 31st March 2021 | As at 31st March 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| I | उपचित ब्याज | I | Interest Accrued | 7251,36,32 | 6678,18,26 |
| II | अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर कर कटौती (प्रावधानों का निवल) | II | Tax paid in advance/tax deducted at source (net of provisions) | 8675,31,86 | 8274,91,93 |
| III | लेखन सामग्री और स्टांप | III | Stationery & Stamps | 8,21,86 | 9,32,09 |
| IV | अन्य | IV | Others | 43480,03,09 | 47427,33,32 |
| | **कुल (I से IV)** | | **TOTAL (I to IV)** | 59414,93,13 | 62389,75,60 |

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

| | | | | 31 मार्च 2021 को As at 31st March 2021 | | 31 मार्च 2020 को As at 31st March 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची -12** | **SCHEDULE - 12** | | | | | |
| **आकस्मिक देयताएं** | **CONTINGENT LIABILITIES** | | | | | |
| I बैंक के सापेक्ष दावे जिन्हें कर्ज नहीं माना गया | I Claims against the Bank not acknowledged as Debts | | | **20802,42,69** | | 19006,16,01 |
| II आंशिक रूप से चुकता निवेशों के लिये देयता | II Liability for partly paid Investments | | | **15,28,00** | | 15,28,00 |
| III बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता | III Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts | | | **203129,17,11** | | 165443,29,61 |
| IV संघटकों की ओर से दी गयी गारंटियां : | IV Guarantees given on behalf of Constituents : | | | | | |
| ए) भारत में | a) In India | | **44505,27,53** | | 43233,14,65 | |
| बी) भारत से बाहर | b) Outside India | | **6937,18,84** | **51442,46,37** | 5939,17,22 | 49172,31,87 |
| V स्वीकृतियां, परांकन एवं अन्य दायित्व | V Acceptances, Endorsements and Other Obligations | | | **26225,40,87** | | 25854,22,86 |
| VI अन्य मदें, जिनके लिए बैंक की आकस्मिक देयता हैं, | VI Other items for which the Bank is Contingently liable | | | **94041,01,23** | | 120119,12,11 |
| **कुल (I से VI)** | **TOTAL (I to VI)** | | | **395655,76,27** | | 379610,40,46 |

* त्रुटिवश वित्तीय वर्ष 20 के वित्तीय विवरण में ₹ 320747.63 करोड़ रिपोर्ट किया गया.

* Inadvertently reported in financials as ₹ 320747.63 crores in FY20.

| | | 31 मार्च 2021 को For the Year Ended 31st March 2021 | 31 मार्च 2020 को For the Year Ended 31st March 2020 |
|---|---|---|---|
| **अनुसूची-13** | **SCHEDULE - 13** | | |
| **अर्जित ब्याज** | **INTEREST EARNED** | | |
| I अग्रिमों/ बिलों पर ब्याज/ बट्टा | I Interest / Discount on Advances / Bills | **50052,12,10** | 54115,77,25 |
| II निवेशों पर आय | II Income on Investments | **17077,11,72** | 18097,35,72 |
| III भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष राशियां और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज | III Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds | **1450,92,47** | 1768,73,25 |
| IV अन्य | IV Others | **1914,89,92** | 2001,79,28 |
| **कुल (I से IV)** | **TOTAL (I to IV)** | **70495,06,21** | 75983,65,50 |

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

| | | | 31 मार्च 2021 को For the Year Ended 31st March 2021 | | 31 मार्च 2020 को For the Year Ended 31st March 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची -14** | **SCHEDULE - 14** | | | | | |
| **अन्य आय** | **OTHER INCOME** | | | | | |
| I कमीशन, विनिमय और ब्रोकरेज | I Commission, Exchange and Brokerage | | | **2520,90,96** | | 2590,26,78 |
| II निवेशों के विक्रय पर लाभ | II Profit on sale of Investments | | **3459,00,94** | | 2864,96,32 | |
| घटाएं : निवेशों की बिक्री पर हानि | Less: Loss on sale of Investments | | **83,04,18** | **3375,96,76** | 114,25,34 | 2750,70,98 |
| III भूमि, इमारतों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ | III Profit on sale of Land, Buildings and Other Assets | | **98,63,95** | | 6,87,16 | |
| घटाएं : भूमि, इमारतों और अन्य आस्तियों की बिक्री पर हानि | Less: Loss on sale of Land, Buildings and Other Assets | | **4,54,14** | **94,09,81** | 3,17,56 | 3,69,60 |
| IV विनिमय लेन-देन पर लाभ | IV Profit on Exchange Transactions | | **1049,13,61** | | 1020,82,43 | |
| घटाएं : विनिमय लेन-देन पर हानि | Less: Loss on Exchange Transactions | | **-** | **1049,13,61** | 4,67,46 | 1016,14,97 |
| V विदेशों/भारत में अनुषंगियों / कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय | V Income Earned by way of Dividends etc. from Subsidiaries/Companies and/or Joint Ventures abroad/ in India | | | **131,70,07** | | 99,90,62 |
| VI विविध आय | VI Miscellaneous Income | | | **5192,62,51** | | 3856,59,43 |
| **कुल (I से VI)** | **TOTAL (I to VI)** | | | **12364,43,72** | | 10317,32,38 |
| **अनुसूची-15** | **SCHEDULE - 15** | | | | | |
| **खर्च किया गया ब्याज** | **INTEREST EXPENDED** | | | | | |
| I जमाराशियों पर ब्याज | I Interest on Deposits | | | **37564,40,39** | | 43656,58,97 |
| II भारतीय रिज़र्व बैंक/ अंतर बैंक उधार राशियों पर ब्याज | II Interest on Reserve Bank of India / Inter Bank Borrowings | | | **1863,76,79** | | 2685,93,66 |
| III अन्य | III Others | | | **2257,86,41** | | 2189,84,32 |
| **कुल (I से III)** | **TOTAL (I to III)** | | | **41686,03,59** | | 48532,36,95 |

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

| | | | | 31 मार्च 2021 को For the Year Ended 31st March 2021 | 31 मार्च 2020 को For the Year Ended 31st March 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **अनुसूची-16 परिचालन व्यय** | | **SCHEDULE - 16 OPERATING EXPENSES** | | |
| I | कर्मचारियों को भुगतान और तत्संबंधी प्रावधान | I | Payments to and Provisions for Employees | **11445,53,03** | 9564,72,30 |
| II | किराया, कर और बिजली | II | Rent, Taxes and Lighting | **1505,92,01** | 1517,52,22 |
| III | मुद्रण और लेखन-सामग्री | III | Printing and Stationery | **126,30,18** | 116,78,19 |
| IV | विज्ञापन एवं प्रचार | IV | Advertisement and Publicity | **87,08,56** | 206,57,75 |
| V | बैंक की सम्पत्ति पर मूल्यह्रास | V | Depreciation on Bank's Property | **1314,54,17** | 1659,64,55 |
| VI | निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्च | VI | Directors' Fees, Allowances and Expenses | **1,22,46** | 1,87,44 |
| VII | लेखापरीक्षकों की फीस और खर्चे (शाखा लेखापरीक्षकों की फीस एवं खर्चे सहित) | VII | Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors' Fees and Expenses) | **73,86,63** | 100,15,74 |
| VIII | विधि प्रभार | VIII | Law Charges | **164,08,28** | 159,29,69 |
| IX | डाक, तार और टेलीफोन आदि | IX | Postages, Telegrams, Telephones etc. | **193,79,48** | 197,44,48 |
| X | मरम्मत और रखरखाव | X | Repairs and Maintenance | **1109,63,65** | 1132,51,07 |
| XI | बीमा | XI | Insurance | **1353,87,13** | 1062,01,13 |
| XII | अन्य खर्च | XII | Other Expenditure | **3167,80,02** | 3153,84,53 |
| | **कुल (I से XII)** | | **TOTAL (I to XII)** | **20543,65,60** | 18872,39,09 |

# अनुसूची - 17 - 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

## 1. तैयारी का आधार

वित्तीय विवरण, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो, परम्परागत लागत आधार पर तैयार किए गये हैं. ये भारत में सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार हैं जिनमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक/मार्गदर्शी नोट्स तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित कार्यप्रणाली समाविष्ट है. विदेशी कार्यालयों के संदर्भ में संबंधित देशों के प्रचलित सांविधिक प्रावधानों और कार्यप्रणालियों का अनुपालन किया गया है.

## 2. आकलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में वित्तीय विवरणों की तारीख को रिपोर्ट की गयी आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्ट की गयी अवधि की आय एवं व्यय संबंधी राशि को रिपोर्ट करने हेतु प्रबंधन को अनुमानों और आकलनों की मदद लेनी पड़ती है. प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रयुक्त आकलन विवेकपूर्ण और उचित हैं. वास्तविक परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं. लेखा अनुमानों में कोई भी संशोधन वर्तमान एवं भविष्य की अवधि में मान्य होगा जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो.

## 3. निवेश

बैंक निपटान की तारीख के आधार पर निवेशों के लिए लेखांकन की एक समान पद्धतियों का अनुसरण करता है. बैंक के निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीबीआर.सं. बीसी.6/21.04.141/2015-16 दिनांक 1 जुलाई, 2015 के अनुसार किया गया है.

### 3.1 वर्गीकरण

ए) वर्गीकरण का आधार

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुरूप बैंक के निवेश पोर्टफोलियों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया गया है, जिसमें–

i) "परिपक्वता तक धारित" (एचटीएम) में वे निवेश शामिल हैं जिन्हें परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है.

ii) "व्यापार हेतु धारित" (एचएफटी) में वे निवेश शामिल हैं, जिन्हें व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है. ऐसी प्रतिभूतियां, जिन्हें सैद्धांतिक रूप से खरीद की तारीख से 90 दिनों के अंदर पुनः बिक्री हेतु रखा गया है, उन्हें एचएफटी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है.

iii) "बिक्री हेतु उपलब्ध" (एएफएस) में वे निवेश शामिल हैं, जो उपर्युक्त (ए) तथा (बी) में शामिल नहीं हैं, अर्थात् जो न तो व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं और न ही परिपक्वता तक धारित करने के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं.

# Schedule - 17 - Significant Accounting Policies for the year ended March 31, 2021

## 1 BASIS OF PREPARATION

The financial statements have been prepared under the historical cost convention unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprises statutory provisions, regulatory/ Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards/ guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

## 2 USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilites (including contingent liabilites) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognised prospectively in the current and future periods unless otherwise stated.

## 3 INVESTMENTS:

The Bank is following uniform methodology of accounting for investments on settlement date basis. Classification and valuation of the Bank's investments are carried out in accordance with RBI Circular DBR. No. BP. BC.6/21.04.141/2015-16 dated July 1, 2015.

### 3.1 Classification

a) Basis of classification

In compliance with the Reserve Bank of India guidelines, the investment portfolio of the Bank is classified into

i) "Held to Maturity" (HTM) comprising Investments acquired with the intention to hold them till maturity.

ii) "Held for Trading" (HFT) comprising Investments acquired with the intention to trade. Securities that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified under the HFT category.

iii) "Available for Sale" (AFS) comprising Investments not covered by (a) and (b) above i.e. those which are acquired neither for trading purposes nor for being held till maturity.

तुलन पत्र में प्रकटीकरण के उद्देश्य से निवेशों को अनुसूची 8 ('निवेश') में प्रकटीकृत के रूप में 6 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है (ए) सरकारी प्रतिभूतियां (बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (सी) शेयर (डी) बॉण्ड और डिबेंचर (ई) अनुषंगियां और संयुक्त उद्यम (एफ) अन्य.

बी) अधिग्रहण लागत

अधिग्रहण के समय प्रदत्त लागत, निवेश संबंधी ब्रोकरेज और आंशिक अवधि के लिए ब्याज जैसी लागत भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार लाभ एवं हानि खाते में डाली जाती है.

सी) वर्गों के बीच अंतरण

एक वर्ग से दूसरे वर्ग में निवेशों का पुनःवर्गीकरण, यदि किया गया हो तो, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरुप है. एएफएस/एचएफटी वर्ग से एचटीएम वर्ग में स्क्रिप्ट का अंतरण बही मूल्य या बाजार मूल्य में से जो कम हो, उस पर किया जाता है. एचटीएम से एएफएस/एचएफटी वर्ग में अंतरित प्रतिभूतियों के अंतरण के मामले डिस्काउंट पर एचटीएम के अंतर्गत धारित निवेशों को अधिग्रहण दर पर एएफएस/एचएफटी वर्ग में अंतरित किया जाता है और एचटीएम वर्ग में प्रीमियम पर धारित निवेशों को एमौरटाइज्ड लागत पर एएफएस/एचएफटी में अंतरित किया जाता है.

एएफएस से एचएफटी के बीच आपस में निवेशों का अंतरण बही मूल्य पर किया जाता है. ऐसे निवेशों पर मूल्यह्रास, यदि हो तो एक वर्ग से दूसरे वर्ग में अंतरित किया जाता है.

इन वर्गों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण अधिग्रहण लागत/ बही मूल्य/ बाजार मूल्य पर, जो भी कम हो, अंतरण की तारीख को लेखाकृत किया जाता है और यदि अंतरण पर मूल्यह्रास हो तो उसके लिए पूरा प्रावधान किया जाता है.

## 3.2 मूल्यांकन

"परिपक्वता तक धारित" के रूप में वर्गीकृत निवेशों को भारित औसत अधिग्रहण लागत पर लिया गया है अन्यथा कि वह अंकित मूल्य से अधिक हो. इस स्थिति में प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि तक एमौरटाइज्ड किया गया है. एचटीएम वर्ग के निवेशों पर प्रीमियम के एमौरटाइजेशन व्यय को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 1 जुलाई 2015 के परिपत्र सं. डीबीआर.सं. बीपी.बीसी.6/21.04.141/2015-16 के अनुरुप ब्याज आय में से घटाया जाता है.

"परिपक्वता तक धारित" के रूप में वर्गीकृत निवेशों में डिबेंचर/बॉण्ड, जिन्हें स्वरूप / प्रकृति की दृष्टि से अग्रिम माना जाता है, शामिल हैं (जिनके लिए आस्ति वर्गीकरण संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड तथा अग्रिमों पर लागू प्रावधान के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं).

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, ट्रेजरी बिलों, कॉमर्शियल पेपर्स और जमा प्रमाणपत्र पर किए गए निवेश शामिल हैं और जिनके मूल्य का निर्धारण रखाव लागत पर किया गया है.

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की अपेक्षाओं के लिए खरीदे गए पास थ्रू प्रमाणपत्र का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बही मूल्य पर किया जाता है.

For the purpose of disclosure in the balance sheet, investments are classified as disclosed in Schedule 8 ('Investments') under six groups (a) government securities (b) other approved securities (c) shares (d) bonds and debentures (e) subsidiaries and joint ventures and (f) others.

b) Cost of acquisition

Cost such as brokerage pertaining to investments, paid at the time of acquisition and broken period interest are charged to the profit & loss account as per the RBI guidelines.

c) Transfer between categories

Reclassification of investments from one category to the other, if done, is in accordance with RBI guidelines. Transfer of scrip from AFS / HFT category to HTM category is made at the lower of book value or market value. In the case of transfer of securities from HTM to AFS / HFT category, the investments held under HTM at a discount are transferred to AFS / HFT category at the acquisition price and investments placed in the HTM category at a premium are transferred to AFS / HFT at the amortized cost.

Transfer of investments from AFS to HFT or vice-a-versa is done at the book value. Depreciation carried, if any, on such investments is also transferred from one category to another.

The transfer of a security between these categories is accounted for at the acquisition cost / book value / market value on the date of transfer, whichever is the least, and the depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

## 3.2 Valuation

Investments classified as "Held to Maturity" are carried at weighted average acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized over the period remaining to maturity. Amortization expense of premium on investments in the HTM category is deducted from interest income in accordance with RBI Circular DBR. No.BP. BC.6/21.04.141/2015-16 dated July 1, 2015.

Investments classified as "Held to Maturity" includes debentures / bonds which are deemed to be in the nature of / treated as advances (for which provision is made by applying the Reserve Bank of India prudential norms of assets classification and provisioning applicable to Advances).

Investments in Regional Rural Banks, Treasury Bills, Commercial Papers and Certificates of Deposit which have been valued at carrying cost.

Pass through Certificates purchased for priority sector lending requirements are valued at Book Value in accordance with RBI guidelines.

अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों, और सहयोगी कंपनियों में (भारत तथा विदेश दोनों में) अस्थायी प्रकार के निवेशों को छोड़कर, निवेशों का मूल्यांकन, मूल्यह्रास मूल्य को घटाकर अधिग्रहण लागत पर किया जाता है.

जोखिम पूंजी निधि (वीसीएफ) इकाइयों में दिनांक 23 अगस्त 2006 के बाद किए गए बैंक निवेशों को प्रारंभिक तीन वर्ष की अवधि के लिए परिपक्वता तक धारित संवर्ग में वर्गीकृत किया जाता है और लागत पर मूल्यांकित किया जाता है. संवितरण के तीन वर्ष पश्चात इसे ब्रिक्री के लिए उपलब्ध में अंतरित कर दिया जाता है. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय विवरणों में वीसीएफ द्वारा दर्शाए गए निवल आस्ति मूल्य या घोषित एनएवी पर मूल्यांकन किया जाता है. यदि एनएवी/लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण 18 महीनों से अधिक समय से उपलब्ध न हो तो प्रति वीसीएफ रु 1/– पर मूल्यांकन किया जाएगा.

एएफएस और एचएफटी श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश, भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार समय–समय पर मार्कड–टू–मार्केट (एमटीएम) होते हैं. अनुसूची 8 (निवेश) में उल्लिखित वर्गीकरण के अंतर्गत वर्ग में निवल मूल्यह्रास, यदि हो तो, लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है. प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत श्रेणी में निवल मूल्य वृद्धि, यदि हो तो, उसे पहले प्रावधान किए गए मूल्यह्रास की राशि को छोड़कर शेष को अनदेखा कर दिया जाता है. निवेश के आवधिक मूल्यांकन के परिणामस्वरूप एकल प्रतिभूतियों का बही मूल्य बदला नहीं जाता.

पुनर्गठित अग्रिम योजना के बदले में प्राप्त निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है. इन निवेशों के मूल्य में आई कमी के लिए प्रावधान किया जाता है और इसका उपयोग उस श्रेणी में अन्य निष्पादक प्रतिभूतियों में मूल्य वृद्धि के साथ समायोजित नहीं किया जाता. बैंक द्वारा पुनर्गठन योजना के अंतर्गत अर्जित इक्विटी शेयरों पर मूल्यह्रास भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध कराया जाता है.

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ऐसे लिखतों के लिए समय–समय पर विनिर्दिष्ट एवं लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है. तदनुसार, ऐसे मामलों में जहां आस्ति पुनर्संरचना कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद से नकदी प्रवाह को संबंधित योजना के तहत लिखत को समनुदेशित वित्तीय आस्तियों के वास्तविक प्राप्य राशियों तक सीमित किया जाता है तो बैंक प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख को इस तरह के लिखतों के मूल्यांकन के लिए आस्ति पुनर्संरचना कंपनी से समय –समय पर प्राप्त निवल आस्ति मूल्य की गणना करेगा. 01 अप्रैल, 2017 को या इसके बाद प्रतिभूति रसीद में किए गए निवेश जो बैंक द्वारा 50% से ज्यादा बेची गई दबावग्रस्त आस्तियों द्वारा समर्थित हो, मूल्य में अवमूल्यन के लिए प्रावधान आस्ति पुनर्संरचना कंपनी (आरसी) और प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य के मानदंडों के अनुसार अपेक्षित प्रावधान दर से अधिक होगी या मूल ऋण के लिए लागू मौजूदा आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान मानदंड के अनुसार होगी और ऐसा माना जाएगा कि बैंक की बही में ऋण अनुमानतः जारी रहेगा. प्रतिभूति रसीद में अन्य दूसरे निवेश का मूल्यांकन जारीकर्ता आरसी/एससी से प्राप्त एनएवी के अनुसार होगा.

Investments in subsidiaries, joint ventures and associates (both in India and abroad) are valued at acquisition cost less diminution, other than temporary in nature.

Bank's investments in units of Venture Capital Funds (VCFs) made after August 23, 2006 are classified under HTM category for initial period of three years and are valued at cost. After period of three years from date of disbursement, it will be shifted to AFS category. These are valued using Net Assets Value shown by VCF as per the financial statements or declared NAV as per Reserve Bank of India guidelines. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at Re. 1/- per VCF

Investments categorized under AFS and HFT categories are Marked-to-Market (MTM) on a periodical basis as per relevant RBI guidelines. Net depreciation, if any, in the category under the classification mentioned in Schedule 8 ('Investments') is recognized in the profit and loss account. The net appreciation, if any, in the category under each classification is ignored, except to the extent of depreciation previously provided. The book value of individual securities is not changed consequent to periodic valuation of investments.

Investments received in lieu of restructured advances scheme are valued in accordance with RBI guidelines. Any diminution in value on these investments is provided for and is not used to set off against appreciation in respect of other performing securities in that category. Depreciation on equity shares acquired and held by the Bank under restructuring scheme is provided as per RBI guidelines.

At the end of each reporting period, security receipts issued by the asset reconstruction company are valued in accordance with the guidelines applicable to such instruments, prescribed by RBI from time to time. Accordingly, in cases where the cash flows from security receipts issued by the asset reconstruction company are limited to the actual realization of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Bank reckons the net asset value obtained from the asset reconstruction company from time to time, for valuation of such investments at each reporting date. In case of investment in Security Receipts on or after April 1, 2017 which are backed by more than 50% of the stressed assets sold by the bank, provision for depreciation in value is made at higher of – provisioning rate required in terms of net assets value declared by Reconstruction Company (RC)/ Securitization Company (SC) or the provisioning rate as per the extant asset classification and provisioning norms as applicable to the underlying loans, assuming that the loan notionally continue in the books of the Bank. All other investments in the Security Receipts are valued as per the NAV obtained from issuing RC / SC.

रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) / इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (आईएनवीआईटी) के सूचीबद्ध लिखतों में निवेश अधिक मात्रा में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में समापन मूल्य पर होता है. यदि मूल्यांकन की तारीख से 15 दिनों के भीतर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर इनका क्रय-विक्रय नहीं होता है तो, उनका मूल्यांकन, मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित नवीनतम एनएवी (जो 1 वर्ष से पुरानी न हो) के आधार पर किया जाता है.

प्राथमिक डीलर के रूप में बैंक द्वारा एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत ट्रेजरी बिलों में किए गए निवेश का मूल्यांकन वहन लागत पर किया जा रहा है.

बैंक केंद्र सरकार की पुरानी प्रतिभूतियों में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अल्प बिक्री लेनदेन करता है. शॉर्ट पोजीशन, बिक्री पर प्राप्त राशि के रूप में परिलक्षित होती है और निवेश अनुसूची में समायोजित होती है. शॉर्ट पोजीशन को बाजार और हानि के लिए चिन्हित किया जाता है और उसे लाभ और हानि खाते में डाला जाता है जबकि उससे लाभ हो, तो उसे छोड़ दिया जाता है. शॉर्ट पोजीशन के निपटान से हुई लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाता है.

विशेष बांड जैसे कि तेल बांड, उर्वरक बांड, यूडीएवाय बांड आदि जो सीधे भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, का मूल्यांकन एफआईबीएल मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है.

"क्रय-विक्रय के लिए धारित" और "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणियों में कोटेड निवेश के मूल्यांकन के लिए दरें, स्टॉक एक्सचेंजों पर बाजार दरों / उद्धरण, वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा घोषित दरों की तर्ज पर ली जाती हैं.

जिन निवेशों के लिए दरें/ कोट उपलब्ध न हों, उनके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार दरें ली जाती हैं, जो निम्नानुसार हैं:

| | | |
|---|---|---|
| ए | सरकार/स्वीकृत प्रतिभूतियां | - परिपक्वता पर यील्ड के आधार पर |
| बी | इक्विटी शेयर, पीएसयू और ट्रस्टी शेयर | - ब्रेक अप मूल्य पर (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि, यदि है पर विचार किए बिना) अद्यतन तुलन पत्र के अनुसार (12 महीनों से अधिक पुराना न हो) नहीं तो रु 1/- प्रति कंपनी |
| सी | अधिमानी शेयर एवं पास थ्रू प्रमाणपत्र (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को छोड़कर) | - उपयुक्त क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप सहित परिपक्वता पर यील्ड के आधार पर |
| डी | पीएसयू बॉन्ड्स | - उपयुक्त क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप सहित परिपक्वता पर यील्ड के आधार पर |
| ई | म्यूचुअल फंड की यूनिट | - प्रत्येक योजना के संबंध में निधि द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य/ एनएवी पर |

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर अनर्जक निवेश निर्धारित किए जाते हैं और इसमें मूल्यह्रास/ प्रावधान किए जाते हैं.

Investment in listed instruments of Real Estate Investment Trust (REIT) / Infrastructure Investment Trust (INVIT) is valued at closing price on a recognized stock exchange with the higher volumes. In case the instruments were not traded on any stock exchange within 15 days prior to date of valuation, valuation is done based on the latest NAV (not older than 1 year) submitted by the valuer.

Investments made by the Bank as Primary Dealer in Treasury Bills under HFT category is being valued at carrying cost.

The Bank undertakes short sale transactions in Central Government dated securities in accordance with RBI guidelines. The short position is reflected as the amount received on sale and is netted in the Investment schedule. The short position is marked to market and loss, if any, is charged to the Profit and Loss account while gain, if any, is ignored. Profit /Loss on settlement of the short position is recognized in the Profit and Loss account.

Special bonds such as Oil bonds, fertilizer bonds, UDAY bonds etc which are directly issued by Government of India, is valued based on FIBL valuation.

For the purpose of valuation of quoted investments in "Held for Trading" and "Available for Sale" categories, the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Financial Benchmarks India Pvt. Ltd(FBIL) are used.

Investments for which such rates / quotes are not available are valued as per norms laid down by Reserve Bank of India, which are as under:

| | | |
|---|---|---|
| a | Government / Approved securities | - On Yield to Maturity basis. |
| b | Equity Shares, PSU and Trustee shares | - At break-up value (without considering 'Revaluation reserves', if any) as per the latest Balance Sheet (not more than 12 months old), otherwise Re.1 per company. |
| c | Preference Shares & Pass through Certificates (other than priority sector) | - On Yield to Maturity basis. with appropriate Credit spread mark-up. |
| d | PSU Bonds | - On Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up. |
| e | Units of Mutual Funds | - At the latest repurchase price / NAV declared by the Fund in respect of each scheme. |

Non-performing investments are identified and depreciation/provision are made thereon based on the RBI

क्षति के प्रबंधन मूल्यांकन के आधार पर, बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अलावा भी अतिरिक्त प्रावधान करता है. अन्य अर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में ऐसे अनर्जक निवेशों पर मूल्यह्रास / प्रावधान, मूल्यवृद्धि के एवज में सेट ऑफ नही हैं. जब तक लाभ और हानि खाते में ब्याज प्राप्त नहीं हो जाता, अनर्जक निवेशों पर ब्याज नहीं माना जाता है.

विदेशी शाखाओं में निवेशों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के या उन मेजबान देशों के दिशानिर्देशों, में से जो भी सख्त हो, उनका पालन किया जाता है. उन शाखाओं के मामले में, जो ऐसे देशों में मौजूद हैं जहां कोई विनिर्दिष्ट दिशानिर्देश नहीं हैं, वहां भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है.

### 3.3 निवेशों का निस्तारण

एचटीएम के रुप में वर्गीकृत किए गए निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ/हानि को, निवेश से संबंधित भारित औसत लागत/बही मूल्य के आधार पर लाभ एवं हानि लेखा में लिया जाता है तथा 'परिपक्वता तक धारित' वर्गीकरण में निवेश की बिक्री पर समतुल्य लाभ के समान राशि पूंजीगत आरक्षित खाते में समायोजित की गयी है.

एएफएस/एचएफटी श्रेणी में निवेशों की बिक्री से होने वाले लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.

### 3.4 रेपो/ रिवर्स रेपो के लिए लेखांकन

बैंक ने मार्केट रेपो तथा रिवर्स रेपो लेनदेनों [भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या आरबीआई/2016-17 एफएमओडी.एमएओजी. नं./01.01.001/2016-17 दिनांक 15-09-2016 द्वारा जारी चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) सहित] के लेखांकन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित की गयी समान लेखा प्रणाली को अपनाया है. सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद के करार के साथ रेपो / रिवर्स रेपो संव्यवहारों को संपार्श्विक उधार/ ऋण परिचालन के अंतर्गत माना जाता है. रेपो के अन्तर्गत बिक्री की प्रतिभूतियों को निवेश के अन्तर्गत दर्शाया जाता है और रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीद की प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया जाता है. लागत एवं राजस्व का लेखांकन ब्याज व्यय/ आय के लिए किया जाता है, जैसा भी मामला हो.

### 3.5 निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि

यील्ड में बढ़ोतरी के मद्देनज़र संरक्षण हेतु पर्याप्त प्रारक्षित निधि तैयार करने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र सं. आरबीआई/2017-18/147 डीबीआर नं. बीपी.बीसी.102/ 21.04.048/ 2017-18 दिनांक 2 अप्रैल, 2018 के माध्यम से सभी बैंकों को वित्तीय वर्ष 2018-19 से आईएफ़आर बनाने की सूचना दी है.

आईएफ़आर में अंतरित राशि निम्नलिखित से कम होगी: (i) वर्ष के दौरान निवेशों की बिक्री पर निवल लाभ (ii) वर्ष के निवल लाभ में से अनिवार्य विनियोजन घटाया जाए, जब तक आईएफआर की राशि निरंतर आधार पर एचएफटी एवं एएफएस पोर्टफोलियो का कम से कम 2% तक नहीं रहती.

### 3.6 डेरिवेटिव्स

बैंक वर्तमान में ब्याज दरों तथा मुद्रा डेरिवेटिव्स में डील करता है. बैंक द्वारा व्यवहारित ब्याज दर डेरिवेटिव्स में रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज-दर स्वैप, विनिमय ट्रेड रुपए ब्याज दर फ्यूचर्स तथा

guidelines. Based on management assessment of impairment, the Bank additionally creates provision over and above the RBI guidelines. The depreciation/provision on such non-performing investments are not set off against the appreciation in respect of other performing securities. Interest on non-performing investments is not recognized in the Profit and Loss account until received.

In respect of Investments at Overseas Branches, Reserve Bank of India guidelines or those of the host countries, whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of the Reserve Bank of India are followed.

### 3.3 Disposal of Investments

Profit / Loss on sale of Investments classified as HTM category is recognized in the Profit & Loss Account based on the weighted average cost / book value of the related Investments and an amount equivalent of profit on sale of Investments in "Held to Maturity" classification is appropriated to Capital Reserve Account.

Profit/loss on sale of Investment in AFS/HFT category is recognized in profit and loss account.

### 3.4 Accounting for repo/reverse repo

The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of Market Repo and Reverse Repo transactions [Including the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI vide circular no. RBI/2016-17/FMOD.MAOG. No. /01.01.001/2016-17 Dated September 15, 2016. Repo and Reverse Repo Transactions are treated as Collaterised Borrowing / Lending Operations with an agreement to repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investments and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investments. Costs and Revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

### 3.5 Investment fluctuation reserve

With a view to building up of adequate reserves to protect against increase in yields, RBI through circular number RBI/2017-18/147 DBR.No.BP. BC.102/21.04.048/2017-18 dated April 2, 2018, advised all banks to create an IFR with effect from the FY 2018-19.

Transferred to IFR will be lower of the following (i) net profit on sale of investments during the year or (ii) net profit for the year less mandatory appropriations, until the amount of IFR is at least 2 percent of the HFT and AFS portfolio, on a continuing basis.

### 3.6 Derivatives

The Bank presently deals in interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign

वायदा दर करार शामिल हैं. बैंक द्वारा व्यवहार में लाये जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स में ऑप्शन तथा मुद्रा स्वैप और विनिमय ट्रेडेड मुद्रा फ्यूचर हैं. बैंक तुलन-पत्र की आस्तियों एवं देयताओं मार्केट मेकिंग/ ट्रेडिंग एवं हेजिंग के लिए डेरिवेटिव लेनदेन करता है.

### 3.7 मूल्यांकन

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश के आधार पर, डेरिवेटिव्स का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है:

हेज/ नॉन हेज संव्यवहार अलग - अलग रिकॉर्ड किए जाते है. हेजिंग के रूप में नामित डेरिवेटिव अनुबंध को मार्क्ड-टू-मार्केट के रूप में तब तक चिन्हित नहीं किया जाता है, जब तक उनकी अंडरलाइनिंग आस्तियों को मार्क्ड-टू-मार्केट के रूप में चिन्हित नहीं किया जाता, जहां हेजिंग की अंडरलाइंग आस्तियों के मामले मार्क-टू-मार्केट के अधीन नहीं हैं, हेजिंग लिखत की गणना उपचय के आधार पर की जानी है. ट्रेडिंग डेरिवेटिव पोजिशन्स मार्क्ड-टू-मार्केट है तथा किसी भी प्रकार की हानि, यदि कोई हो, लाभ-हानि खाते में दर्ज की जाती है. लाभ, यदि कोई हो, को दर्ज नहीं किया जाता. ब्याज दर स्वैप से संबंधित आय तथा व्यय दैनिक आधार पर दर्ज होता है. ट्रेडिंग स्वैप की समाप्ति पर लाभ/ हानि समाप्ति तिथि पर आय/ व्यय के रूप में दर्ज की जाती है.

मूल्यांकन के उद्देश्य से कुल स्वैप के वास्तविक मूल्य की गणना तुलन-पत्र की तिथि को स्वैप करारों के कारोबार समाप्ति पर प्राप्य या देय राशि के आधार पर की जाती है, संबंधित हानियों, यदि कोई हो, के लिए पूर्णतः प्रावधान किया गया है, जबकि लाभों को छोड़ दिया गया है.

बैंक फेडाई द्वारा निर्धारित ऑप्शन प्रीमियम लेखांकन सिद्धांत का पालन करता है. ऑप्शन ट्रांजेक्शन पर प्रीमियम को ट्रांजेक्शन की समाप्ति या समय पूर्व समाप्ति पर आय/व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है.

ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के रद्द होने पर प्राप्त/ प्रदत्त राशि को ऑप्शन पर वसूली गई प्राप्तियों/ हानियों के रुप में माना जाता है. विदेशी मुद्रा वायदा संविदा और स्वैप्स के रद्द होने/ समाप्ति पर प्राप्य/ देय प्रभारों को रद्द होने/ समाप्ति की तारीख को आय/व्यय के रुप में स्वीकृत किया जाता है.

ब्याज दर फ्यूचर्स (आईआरएफ) का मूल्यांकन एक्सचेंज द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रत्येक निविदा के दैनिक समझौता मूल्य के आधार पर किया जाएगा.

तुलन-पत्र की तिथि को 'फेडाई' द्वारा अधिसूचित विनिमय दर के बंद भाव पर विदेशी मुद्रा में डेरिवेटिव संविदाओं को आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

## 4. अग्रिम

4.1 भारत में अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध या हानि आस्तियों के रुप में वर्गीकृत किया जाता है तथा इसके लिए पैरा 4.3 में दर्शाये प्रावधानों को छोड़कर भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानक निर्देशों के अनुसार किया जाता है. विदेशी शाखाओं द्वारा दिए गए अग्रिमों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानक निर्देशों के अनुसार अथवा उस देश, जिसमें अग्रिम दिए गए हैं, में विद्यमान मानदंडों में से जो भी कड़े मानदंड हो, के अनुरूप वर्गीकृत किया जाता है.

Currency Interest Rate Swaps, Exchange traded Rupee Interest Rate Future and Forward Rate Agreements. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency swaps and Exchange traded Currency Future. The Bank undertakes derivative transactions for market making/trading and hedging on-balance sheet assets and liabilities.

### 3.7 Valuation

Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

The hedge/ non-hedge transactions are recorded separately. Derivative contracts designated as hedges are not marked to market unless their underlying is marked to market. In cases where the underlying of the hedge is not subject to mark to market, the hedging instrument is to be accounted for on accrual basis. Trading derivative positions are marked to market and the resulting losses, if any, are recognized in the Profit and Loss Account and Profit, if any, is ignored. Income and expenditure relating to interest rate swaps are recognized on the settlement date. Gains/ Losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as immediate income/expenditure.

For the purpose of valuation, the fair value of the total swap is computed on the basis of the amount that would be receivable or payable on termination of the swap agreements as on the Balance sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for, while the profits, if any, are ignored.

The Bank follows the option premium accounting principle prescribed by FEDAI. Premium on option transaction is recognized as income/expense on expiry or early termination of the transaction.

The amounts received/paid on cancellation of option contracts are recognized as realized gains/losses on options. Charges receivable/payable on cancellation/ termination of foreign exchange forward contracts and swaps are recognized as income/expense on the date of cancellation/ termination.

Valuation of Interest Rate Futures (IRF) is carried out on the basis of the daily settlement price of each contract provided by the exchange.

Contingent Liabilities on account of derivative contracts denominated in foreign currencies are reported at closing rates of exchange notified by FEDAI at the Balance Sheet date.

## 4. ADVANCES

4.1 Advances in India are classified as Standard, Sub-standard, Doubtful or Loss assets and provision for advances are made as per the Prudential Norms of the RBI except as stated in para 4.3. In respect of Advances made in overseas branches, Advances are classified in accordance with Prudential Norms prescribed by the RBI or local laws of the host country in which advances are made, whichever is more stringent.

4.2 अग्रिम, विनिर्दिष्ट ऋणों पर हानि के प्रावधानों, उचंत ब्याज, वादग्रस्त विविध जमा में प्राप्त एवं धारित राशि एवं प्राप्त दावा राशि का निवल हैं.

4.3 सतत व्यवहार के रुप में बैंक ने निम्नलिखित प्रावधानों का समावेश किया है–

- जमानती सब–स्टैंडर्ड अग्रिमों के लिए 15% की नियामक आवश्यकता की जगह पर 20% का प्रावधान.
- एनपीए ऋणधारकों की गैर निधि आधारित सुविधाओं पर 50% क्रेडिट कनवर्जन फैक्टर (सीसीएफ़) का प्रावधान किया गया. प्रावधान ऋणकर्ता की निधि आधारित सुविधाओं की आस्तियों की श्रेणी पर आधारित है.
- बैंक ने उन मौजूदा एनपीए खातों के लिए 100% प्रावधान भी किए हैं जो 6 माह से अधिक पुराने थे और संपार्श्विक मुक्त हैं जैसे कि ऑटो ऋण, शिक्षा ऋण, व्यक्तिगत ऋण.
- संपत्ति गिरवी रख कर लिए गए ऋण जो प्रत्याभूत (संपार्श्विक) हैं तथा 2 वर्ष से अधिक समय से अनर्जक हैं, के लिए बैंक ने 100% प्रावधान किए हैं.
- मौजूदा अनर्जक खाते जैसे ट्रैक्टर्स/ टिलर/ पावर टिलर हेतु ऋण जो 6 माह पुराने हैं, के लिए भी बैंक ने 100% प्रावधान किए हैं.

4.4 पुनर्निर्धारित/ पुनर्गठित खातों के संबंध में जहां बैंक को देय कुल राशि रु. 1 करोड़ एवं अधिक है. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्गठित अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान विद्यमान मूल्य शर्तों पर आकलन करते हुए किया जाता है. अन्य खातों के संबंध में उचित मूल्य में कमी हेतु प्रावधान की गणना भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमानतः कुल एक्सपोजर के 5% के रुप में की जाती है.

4.5 आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी)/ प्रतिभूतिकरण (सिक्योरिटाइजेशन) कंपनी (एससी) को बेची गयी वित्तीय आस्तियों के मामले में, बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है. वर्तमान में बैंक द्वारा अनुपालन किये जा रहे दिशानिर्देशों के अनुसार यदि बिक्री निवल बही मूल्य से कम मूल्य (एनबीवी) पर की गयी हो (अर्थात् बही मूल्य में से प्रावधान घटा कर) तो हानि (कमी) को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाता है. यदि बिक्री मूल्य एनबीवी से ज्यादा है तो जिस वर्ष के दौरान राशि प्राप्त होती है, अधिक्य प्रावधान राशि लाभ एवं हानि खाते में रिवर्स कर दी जाती है.

बैंकों को वित्तीय आस्तियों की बिक्री के मामले में और यह बिक्री निवल बही मूल्य से कम मूल्य (एनबीवी), (अर्थात् बही मूल्य में से प्रावधान हटा कर) पर हो, तो हानि को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाता है. यदि बिक्री मूल्य एनबीवी से ज्यादा है तो आधिक्य प्रावधान राशि रिवर्स नहीं की जाएगी बल्कि अन्य अनर्जक वित्तीय आस्तियों की बिक्री के कारण हुई हानि/ कमी को पूरा करने लिए उसका उपयोग किया जाएगा.

## 5. अस्थायी प्रावधान

बैंक के पास अग्रिमों, निवेशों एवं अन्य सामान्य प्रयोजनों के लिए अस्थायी प्रावधानों की एक पॉलिसी है. प्रति वर्ष किए जाने वाले

4.2 Advances are net of specific loan loss provisions, interest suspense, amount received and held in suit-filed Sundry Deposits and Claims Received.

4.3 As a constant practice, the Bank has made the additional provision on the following:

- Provision @ 20% on the Secured Sub-standard Advances as against the Regulatory requirement of 15%.
- Provision is made on Non-fund based facilities of NPA Borrowers by applying 50% Credit conversion factor (CCF). The provision is based on the Asset class of fund based facility of the Borrower
- Bank has also made 100% provision in respect of existing NPA accounts which are more than 6 months old and collateral free viz Auto Loan, Education Loan and Personal Loan .
- With respect to Loan against mortgage of properties which are secured (collateral) and are NPA for more than 2 years, Bank has made 100% provision
- Bank has also made 100% provision in respect of existing NPA accounts viz Loan for Tractors/ tiller/ Power tillers which are 6 month old.

4.4 In respect of Restructured accounts, Provision for diminution in fair value of restructured advances is measured at net present value terms as per RBI guidelines for accounts where total dues to bank are Rupees One crore and above. For other accounts, the provision for diminution in fair value is computed notionally at 5% of total exposure to the bank as per RBI Guidelines.

4.5 In case of sale of financial assets to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitization Company (SC), the bank is following the guidelines issued by Reserve Bank of India. At present, the guideline followed by the Bank is that if the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. Book value less provisions held) the shortfall is debited to the profit and loss account in the same year. If the sale value is higher than the NBV, excess provision is reversed to profit & loss account in the year the amounts are received.

In case of sale of financial assets to banks, and the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. Book value less provisions held) the shortfall is debited to the profit and loss account in the same year. If the sale value is higher than the NBV, excess provision shall be not reversed but will be utilised to meet the shortfall / loss on account of sale of other non-performing financial assets.

## 5 FLOATING PROVISIONS:

The Bank has a policy for creation and utilisation of floating provisions separately for advances, investments and general purposes. The quantum of floating

प्रावधानों की मात्रा का आकलन किया जाता है. इन अस्थायी प्रावधानों का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति से केवल पॉलिसी में दर्शाई गई असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत आकस्मिकताओं के लिए ही किया जाता है.

## 6. अचल आस्तियां

6.1 परिसर व अन्य अचल आस्तियां परंपरागत मूल्य [या पुनर्मूल्यांकित राशियों, जैसा भी मामला हो) में से संचित मूल्यह्रास और अक्षत हानियों, यदि कोई हो, को घटा कर दर्शाया गया है. लागत में खरीद मूल्य तथा आस्ति को उसके अभीष्ट उपयोग के लिए चालू स्थिति में लाने हेतु की गई कोई खरीद लागत समाविष्ट है. जब ऐसी आस्ति का/ से भविष्य में लाभ/ कार्यशील दक्षता बढ़ती है, तो आस्तियों पर किए गए बाद के व्यय को पूंजीगत किया जाता है. अचल संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त लाभ बैंक के लाभ एवं हानि खाते का भाग होता है.

6.2 अचल आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन

चालू बाजार मूल्यांकन दर्शाने हेतु अचल संपत्तियों के पोर्टफोलियो का पुनर्मूल्यांकन स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा आवधिक आधार पर किया जाता है. अचल आस्तियों की श्रेणी में बैंक के स्वामित्व वाले और शाखाओं, प्रशासनिक कार्यालयों, स्टाफ के आवासों आदि के रूप में उपयोग की गई सभी भूमि और बिल्डिंग को बैंक के अपने परिसरों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है. नवीनतम मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार मूल्यांकन, यदि कोई हो, पुनर्मूल्यांकन पर प्रारक्षित निधि के तहत पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में जमा किया जाता है. पुनर्मूल्यांकित आस्ति पर अतिरिक्त मूल्यह्रास को लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है तथा पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि से अन्य राजस्व प्रारक्षित निधि में विनियोजित किया जाता है.

6.3 परिसरों में भूमि एवं निर्माणाधीन परिसरों को शामिल किया गया है.

## 7. प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष

राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियों में सम्बद्ध देशों के प्रचलित स्थानीय कानूनों के अनुसार विदेशी शाखाओं/ अनुषंगियों द्वारा सृजित सांविधिक प्रारक्षित निधियों को शामिल किया गया है.

## 8. राजस्व का निर्धारण

8.1 आय (पैराग्राफ 8.2 में दी गई मदों को छोड़कर)/ व्यय की गणना सामान्यतः उपचय आधार पर की गई है. विदेशी कार्यालयों के मामले में आय/ व्यय की गणना उस देश के कानून के अनुसार की गयी है, जहां पर विदेशी कार्यालय स्थित है.

8.2 गारंटियों, साख पत्रों, विनिमय, दलाली आदि पर कमीशन, अग्रिम बिलों पर ब्याज, शुल्क आय, सभी प्रकार के कमीशन (सरकारी कारोबार और तृतीय पक्ष उत्पादों की बिक्री से प्राप्त कमीशन के अलावा) के माध्यम से आय को वसूली आधार पर हिसाब में लिया जाता है. अनुषंगियों, संयुक्त उपक्रमों तथा सहयोगी कंपनियों के शेयरों पर लाभांश वास्तविक प्राप्ति के आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं.

8.3 अनर्जक आस्तियों/ निवेशों पर आय के संग्रह की अनिश्चितता की दृष्टि से, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ऐसी आय सिर्फ वसूल होने पर ही लेखांकित होती है.

8.4 जहां स्वामित्व का जोखिम एवं लाभ पट्टेदार अपने पास रखता है उस लीज को लेखा मानक 19 (लीज) के अनुसार परिचालन लीज के रुप में वर्गीकृत किया गया है. ऐसे लीज पर लीज भुगतानों को लेखा मानक 19 (लीज) के अनुसार लीज शर्त पर स्ट्रेट लाइन आधार पर लाभ और हानि खाते में स्वीकार किया जाता है.

provisions to be created is assessed every year. The floating provisions are utilised only for contingencies under extraordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India.

## 6 FIXED ASSETS

6.1 Premises and other fixed assets are stated at historical cost (or revalued amounts, as the case may be), less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Cost comprises the purchase price and any attributable cost of bringing the asset to its working condition for its intended use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalised only when it increases the future benefit / functioning capability from / of such assets. Profit on sale of immovable properties are being formed part of profit and loss account of the Bank.

6.2 Revaluation of Fixed Assets

Portfolio of immovable properties is revalued periodically by an independent valuer to reflect current market valuation. All land and building owned by the Bank and used as branches, administrative offices, staff quarters etc. are grouped under Bank's own premises in fixed assets category. Appreciation as per latest valuation report, if any, on revaluation is credited to Revaluation Reserve under Capital Reserves. Additional Depreciation on the revalued asset is charged to the Profit and Loss Account and appropriated from the Revaluation Reserves to Other Revenue Reserve.

6.3 Premises include land and building under construction.

## 7 RESERVES AND SURPLUS

Revenue and other Reserves include Statutory Reserves created by foreign branches/ subsidiaries as per applicable local laws of the respective countries.

## 8 REVENUE RECOGNITION

8.1 Income (other than item referred in Paragraph 8.2)/ expenditure is generally recognised on accrual basis. In case of foreign offices, income/ expenditure is recognised as per the local laws of the country in which the respective foreign office is located.

8.2 Income by way of Fees, all Commissions (other than on Government business and commission from sale of third party products), Commission on Guarantees, Letter of Credits, Exchange and Brokerage and Interest on Advance Bills are accounted for on realisation basis. Dividend on shares in Subsidiaries, joint ventures and associates is accounted on realisation basis.

8.3 In view of uncertainty of collection of income in cases of Non-performing Assets/Investments, such income is accounted for only on realisation in terms of the RBI guidelines.

8.4 Lease where risks & rewards of ownership are retained by lessor are classified as Operating Lease as per AS 19 (Leases). Lease payments on such lease are recognised in Profit & Loss Account on a straight line basis over the lease tern in accordance with AS 19.

8.5 एनपीए खातों में वसूली का समायोजनः

खातों में समय–समय पर हुई वसूलियों (जनधन वसूली अधिनियम के तहत वसूली सहित) को निम्नानुसार समायोजित किया जाना चाहिये

- बैंक द्वारा सभी लागतों, कमीशन, प्रभारों एवं प्रदत्त या अदत्त व्ययों के प्रति
- बैंक पर बकाया ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, आगामी ब्याज, दंडात्मक ब्याज के प्रति
- मूलधन के भुगतान के लिए

दावा–दायर/ डिक्री खातों में वसूली को विनियोजित किया जाना चाहिए:

- संबंधित अदालत के निर्देशों के अनुसार.
- अदालत के विनिर्दिष्ट निर्देशों के अभाव में, गैर वाद–दायर खातों पर यथा लागू.

कॉम्प्रोमाइज/ एनसीएलटी समाधान के माध्यम से समझौता द्वारा वसूली.

एनसीएलटी या कॉम्प्रोमाइज मंजूर खाते के माध्यम से संकल्प/ समझौते के मामले में, वसूली को कॉम्प्रोमाइज मंजूरी/ समाधान समझौते की शर्तों के अनुसार समायोजित किया जाना चाहिए.

## 9. कर्मचारियों को लाभ

9.1 भविष्य निधि

बैंक ऑफ़ बड़ौदा पीएफ नियमों के अनुसार भविष्य निधि अंशदान योजना एक सांविधिक दायित्व है और बैंक पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है. बैंक का दायित्व निश्चित अंशदान तक सीमित है. अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है. निधियों का प्रबंधन बैंक ऑफ़ बड़ौदा भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है.

9.2 उपदान

बैंक ऑफ़ बड़ौदा उपदान निधि नियमों एवं विनियमों तथा उपदान भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार उपदान देयता एक सांविधिक दायित्व है. यह वित्तीय वर्ष के अंत में संचित मूल्य आधार पर प्रावधान किया जाता है. बैंक द्वारा उपदान देयता के लिए राशि उपलब्ध करवायी जाती है और बैंक ऑफ़ बडौदा उपदान निधि न्यास इसका प्रबंधन करता है.

9.3 पेंशन

बैंक ऑफ़ बड़ौदा कर्मचारी पेंशन विनिमय, 1995 के अंतर्गत पेंशन देयता बाध्यता के रुप में व्याख्या की गयी है और वर्ष के अंत में संचित मूल्य आधार पर इसका प्रावधान किया जाता है. यह उन कर्मचारियों के लिए है, जिन्होंने 31.03.2010 तक बैंक सेवा ग्रहण की और पेंशन का विकल्प लिया है. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन फंड न्यास द्वारा इस योजना के लिए राशि उपलब्ध करवायी जाती है.

जिन कर्मचारियों ने बैंक सेवा 01.04.2010 को या उसके बाद ग्रहण की है, उनके लिए नई पेंशन योजना परिभाषित अंशदान आधार पर लागू है. बैंक द्वारा पूर्व निर्धारित निश्चित अंशदान का भुगतान किया जाता है. बैंक का दायित्व ऐसे पूर्व निर्धारित अंशदान तक ही सीमित है. अंशदान लाभ एवं हानि खाते से प्रभारित किया जाता है.

8.5 Appropriation of recoveries in NPA accounts :

Recoveries effected in the account (including recovery under Public Money Recovery Act) from time to time should be appropriated in the following manner:

- towards all costs, commission, charges and expenses paid or incurred by the Bank
- towards interest, additional interest, further interest, penal interest due to the Bank
- towards payment of the principal money

Recovery in suit filed/ decreed accounts should be appropriated:

- As per the directives of the concerned Court.
- In the absence of specific directives from the Court, as applicable to non-suit filed accounts.

Recovery by settlement through compromise/NCLT Resolution:

In case of Resolution/Settlement through NCLT or compromise sanctioned account, recovery should be appropriated as per the terms of compromise sanction/ resolution settlement.

## 9 EMPLOYEE BENEFITS

9.1 PROVIDENT FUND

Provident fund is a statutory obligation as per Bank of Baroda PF Rules as the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates.The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Bank of Baroda Provident Fund Trust.

9.2 Gratuity

Gratuity liability is a statutory obligation being higher of gratuity payment as per Bank of Baroda Gratuity Fund Rules and Regulations and Payment of Gratuity Act 1972. This is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The gratuity liability is funded by the bank and is managed by Bank of Baroda Gratuity Fund Trust.

9.3 Pension

Pension liability is a defined benefit obligation under Bank of Baroda Employees Pension Regulations 1995 and is provided for on the basis of actuarial valuation made at the end of the financial year, for the employees who have joined Bank up to March 31, 2010 and opted for pension. The pension liability is funded by Bank of Baroda (Employees) Pension Fund Trust.

New Pension Scheme which is applicable to employees who joined bank on or after April 1, 2010 is a defined contribution scheme, Bank pays fixed contribution at pre determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

9.4 प्रतिपूरित अनुपस्थिति

संचित प्रतिपूरित अनुपस्थितियां यथा उपार्जित अवकाश (पीएल) और चिकित्सा अवकाश के लिए संचित मूल्य के आधार पर प्रावधान किया जाता है.

9.5 अन्य कर्मचारी लाभ

अन्य कर्मचारी लाभ यथा छुट्टी नकदीकरण, छुट्टी यात्रा रियायत, अतिरिक्त सेवांत लाभ आदि के लिए संचित मूल्य के आधार पर प्रावधान किया जाता है.

विदेशी शाखाओं/ कार्यालयों के संदर्भ में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों के लिए संबंधित देश में विद्यमान नियमों के अनुसार लाभों का आकलन किया जाता है.

## 10. मूल्यह्रास

10.1 भारत में अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान [पैराग्राफ 10.3 व 10.4 में जिनका उल्लेख किया गया है, के अलावा] निम्नलिखित टेबल के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार प्रावधान किया जाता है, सिवाय पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के, जिनके लिए अनुमानित उपयोग अवधि के आधार पर मूल्यह्रास प्रावधान किया जाता है.

| क्र. सं. | श्रेणी | मूल्यह्रास के प्रभावी दर | मूल्यह्रास प्रक्रिया |
|---|---|---|---|
| **1.** | **फर्नीचर एवं फिटिंग्स** | | |
| | ए. फर्नीचर एवं फिटिंग्स | 25.89% | अवलिखित मूल्य |
| | बी. वातानुकूलक प्लांट, अन्य प्लांट आदि. | 18.1% | अवलिखित मूल्य |
| | सी. सुरक्षित जमा वॉल्ट उपकरण | 18.1% | अवलिखित मूल्य |
| | डी. कैश वैन, जीप, स्कूटर एवं अन्य वाहन | | अवलिखित मूल्य |
| | – दो पहिया वाहन | 25.89% | अवलिखित मूल्य |
| | – चार पहिया वाहन | 31.23% | अवलिखित मूल्य |
| | ई. कार्यालय के उपकरण | 45.07% | अवलिखित मूल्य |
| **2.** | **बैंक का अपना परिसर** | | अवलिखित मूल्य |
| | – आरसीसी फ्रेम संरचना | 4.87% | अवलिखित मूल्य |
| | – आरसीसी फ्रेम संरचना के बिना | 9.50% | अवलिखित मूल्य |

9.4 Compensated Absences

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave and unavailed sick leave are provided for based on actuarial valuation.

9.5 Other Employee Benefits

Other Employee benefits such as Leave Encashment, Leave Fare Concession and Additional Retirement Benefit on Retirement are provided for based on actuarial valuation.

In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

## 10 DEPRECIATION

10.1 Depreciation on Fixed Assets in India [other than those referred in Paragraph 10.3 and 10.4] is provided in accordance with Schedule II to the Companies Act, 2013, as per following table, except in case of revalued assets, in respect of which depreciation is provided on the basis of estimated useful life of these revalued assets

| Sr. No. | Category | Effective Rate of Depreciation | Depreciation Method |
|---|---|---|---|
| **1.** | **FURNITURE & FITTINGS** | | |
| | a. Furniture & Fittings | 25.89% | Written Down Value |
| | b. Air-conditioning Plants, Other Plant etc. | 18.1% | Written Down Value |
| | c. Safe Deposit Vault Equipments | 18.1% | Written Down Value |
| | d. Cash Vans, Jeeps, Scooters & Other Vehicles | | Written Down Value |
| | - Two wheelers | 25.89% | Written Down Value |
| | - Four Wheelers | 31.23% | Written Down Value |
| | e. Office Equipment | 45.07% | Written Down Value |
| **2.** | **BANK'S OWN PREMISES** | | |
| | - RCC Frame Structure | 4.87% | Written Down Value |
| | - Without RCC Frame Structure | 9.50% | Written Down Value |

10.2 भारत से बाहर अचल आस्तियों पर, (नीचे पैरा 10.3 में वर्णित को छोड़कर) मूल्यह्रास स्थानीय कानूनों या संबंधित देश में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है.

10.3 भारत और भारत के बाहर कंप्यूटरों व सॉफ्टवेयरों जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर के अभिन्न अंग है, पर मूल्यह्रास भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्ट्रेट लाइन विधि से 33.33% प्रति वर्ष की दर से किया गया है. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो कि हार्डवेयर का अनिवार्य अंग नहीं है, को सीधे ही लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.

10.4 एटीएम पर मूल्यह्रास का प्रावधान स्ट्रेट लाइन पद्धति से 20% प्रतिवर्ष की दर से किया जाता है.

10.5 परिवर्द्धनों पर मूल्यह्रास खरीद / उपयोग की तारीख से अनुपातिक आधार पर लिया जाता है.

10.6 पट्टे पर धारित जमीन और पट्टे पर धारित जमीन पर किए गए विकास की लागत पट्टा अवधि में चुकता (एमोर्टाईज) की जाती है.

10.7 नवीनतम उपलब्ध पुनर्मूल्यांकन के कारण आस्ति के निवल बही मूल्य में वृद्धि को लाभ और हानि खाते के माध्यम से रूट किए बिना पुनर्मूल्यांकन रिजर्व खाते में जमा किया जाता है. पुनर्मूल्यांकन आस्ति पर अतिरिक्त मूल्यह्रास लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है और पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से अन्य राजस्व रिजर्व में विनियोजित किया जाता है.

10.8 पुनर्मूल्यांकन के समय मूल्यांकन के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आस्ति का मूल्यह्रास परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर आधारित होता है.

## 11. आस्तियों का मूल्यह्रास

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) पर मूल्यह्रास हानियों (यदि कोई हो) को आस्तियों के मूल्यह्रास के संबंध में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक 28 (आस्तियों का मूल्यह्रास) के अनुसार किया जाता है तथा इसे लाभ एवं हानि खाते से प्रभारित किया जाता है.

यदि आंतरिक/ बाहरी कारकों के आधार पर मूल्यह्रास का कोई लक्षण दिखाई देता है तो आस्तियों की वहन लागत राशि की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है. मूल्यह्रास हानि की पहचान वहाँ की जाती है जहां आस्तियों की वहन लागत राशि वसूली की राशि से अधिक हो जाती है. वसूली योग्य राशि आस्तियों की निवल बिक्री राशि और उपयोग में लायी जा रही आस्ति के मूल्य से अधिक होती है. उपयोग में लायी जा रही आस्ति के मूल्य का निर्धारण करते समय अनुमानित नकदी प्रवाह को उनके वर्तमान मूल्य में से बट्टा काट कर किया जाता है. इसके लिए पूर्व-कर बट्टा दर का उपयोग किया जाता है जो राशि के समय आधारित मूल्य और आस्ति से संबंधित विशेष जोखिम के वर्तमान बाज़ार मूल्यांकन को प्रदर्शित करता है. मूल्यह्रास के बाद आस्तियों की शेष बची हुई उपयोग अवधि के ऊपर अवमूल्यन उपलब्ध कराया जाता है.

## 12. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

12.1 विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित संव्यवहारों का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखामानक (एएस) 11 "विदेशी मुद्रा विनिमय दरों के परिवर्तन का प्रभाव" के अनुरुप किया गया है.

12.2 लेखा मानक - एएस-11 के अनुसार बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों को ए) एकीकृत परिचालनों एवं बी) गैर-एकीकृत परिचालनों के रुप में

10.2 Depreciation on Fixed Assets outside India [other than those referred to in Para 10.3 below] is provided as per local laws or prevailing practices of the respective territories.

10.3 Depreciation on Computers and Software forming an integral part of Computer Hardware, in and outside India is provided on Straight Line Method at the rate of 33.33% p.a., as per the guidelines of RBI. Computer software not forming part of an integral part of hardware is charged directly to Profit and Loss Account.

10.4 Depreciation on ATMs is provided on Straight Line Method at the rate of 20% p.a.

10.5 Depreciation on additions is provided proportionately from the date of purchase/put to use.

10.6 Cost of leasehold land and leasehold improvements are amortised over the period of lease

10.7 The increase in Net Book Value of the asset due to latest available revaluation is credited to the Revaluation Reserve Account without routing through the Profit and Loss Account. Additional Depreciation on the revalued asset is charged to the Profit and Loss Account and appropriated from the Revaluation Reserves to Other Revenue Reserve.

10.8 The Revalued Asset is depreciated over the balance useful life of the asset as assessed at the time of revaluation.

## 11 IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment losses (if any) on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised in accordance with AS 28 (Impairment of Assets) issued by the ICAI and charged off to Profit and Loss Account.

The carrying amount of assets is reviewed at each Balance Sheet date if there is any indication of impairment based on internal/external factors. An impairment loss is recognised wherever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risks specific to the asset. After impairment, depreciation is provided on the revised carrying amount of the asset over remaining useful life.

## 12 FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

12.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with Accounting Standard (AS) 11, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

12.2 As stipulated in AS-11, the foreign currency operations of the Bank are classified as a) Integral Operations and b) Non Integral Operations. All Overseas Branches, Off-

वर्गीकृत किया गया है. सभी विदेशी शाखाओं, ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों, विदेशी अनुषंगियों को गैर-एकीकृत परिचालन एवं विदेशी मुद्रा में घरेलू परिचालनों एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन के रुप में माना जाता है.

12.3 एकीकृत परिचालनों के संबंध में अंतरण:

ए) संव्यवहारों को प्राथमिक तौर पर फेडाई द्वारा सूचित की गयी साप्ताहिक औसत दरों पर रिकार्ड किया जाता है.

बी) विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गयी क्लोजिंग स्पॉट दरों पर अंतरित किया जाता है.

सी) परिणामी विनिमय अंतरों की गणना आय अथवा व्यय के रुप में की गयी है तथा इन्हें तदनुसार लाभ हानि खाते में लेखांकित किया गया है. विदेशी मुद्रा आस्ति देयताओं संबंधी किसी भी भुगतान अथवा रिवर्सल को पिछले सप्ताह की औसत क्लोजिंग दरों के आधार पर किया गया है तथा बकाया राशि एवं उस राशि, जिसके लिए भुगतान किया गया है/रिवर्सल किया गया है, के बीच के अंतर को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया गया है.

डी) व्यापार हेतु धारित बकाया विदेशी मुद्रा हाज़िर एवं वायदा संविदाओं के तुलन-पत्र की तिथि को 'फेडाई' द्वारा अधिसूचित बंद हाजिर एवं वायदा बाजार संविदा दरों एवं अन्तरिम परिपक्वता संविदाओं को 'इन्टरपालेटेड' दरों पर बाजार को चिन्हित किया जाता है. इस प्रकार प्राप्त किए गए एमटीएम मूल्य को, एमटीएम के मौजूदा मूल्य पर भुनाया जाता है. इस एमटीएम का पीवी आधार पर हाजिर एवं वायदा संव्यवहारों के पुनर्मूल्यांकन हेतु उपयोग किया जाता है. इसके फलस्वरूप वायदा मूल्यांकन लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में शामिल किया जाता है.

## 13. आय पर कर

इसमें भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के लेखांकन मानदंड 22 (आय पर करों का लेखांकन) के अनुसार निर्धारित (सम्बद्ध अवधि के लिए लेखा आय तथा कर योग्य आय के बीच भिन्नता से करों के प्रभाव को दर्शाते हुए) आयकर के लिए प्रावधान, आस्थगित कर अथवा क्रेडिट शामिल हैं. आस्थगित कर का आकलन आमदनी एवं खर्च की उन मदों के संबंध में, जो किसी एक अवधि में निर्धारित होती है और जो एक अथवा अधिक परवर्ती अवधियों में प्रत्यावर्तन योग्य हैं, को ध्यान में रखकर किया जाता है. आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं पर कर की गणना अधिनियमित कर दरों पर उन वर्षों की अपेक्षित दरों पर की जाती है जिन वर्षों में इनकी प्राप्ति, रिवर्सल अथवा निस्तारण की संभावना होती है. आस्थगित कर देयताओं एवं आस्तियों पर कर की दरों में परिवर्तन के प्रभाव को उस अवधि की आय विवरणी, जिसमें ऐसे परिवर्तन को अधिनियमित किया गया हो, में हिसाब में लिया जाता है.

## 14. प्रति शेयर अर्जन

बैंक, आधारभूत एवं डाइल्यूटेड प्रति इक्विटी शेयर अर्जन को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक एएस 20 (प्रति शेयर आय) के अनुसार रिपोर्ट करता है. आधारभूत प्रति शेयर अर्जन की गणना, निवल आय की उस अवधि के लिए बकाया

shore Banking Units, Overseas Subsidiaries are treated as Non Integral Operations and domestic operations in foreign exchange and Representative Offices are treated as Integral Operations.

12.3 Translation in respect of Integral Operations:

a) The transactions are initially recorded on weekly average rate as advised by FEDAI.

b) Foreign Currency Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

c) The resulting exchange differences are recognized as income or expenses and are accounted through Profit & Loss Account. Any reversal / payment of foreign currency assets & liabilities is done at the weekly average closing rate of the preceding week and the difference between the outstanding figure and the amount for which reversal / payment is made, is reflected in profit and loss account.

d) Foreign exchange spot and forward contracts outstanding as at the balance sheet date and held for trading, are marked to market at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities. The MTM values thus obtained are discounted to arrive at present value of MTM. This MTM is used to revalue the spot and forward transactions on PV basis. The resulting Forward Valuation profit or loss is included in the Profit & Loss Account.

## 13 TAXES ON INCOME

This comprise of provision for Income tax and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period) as determined in accordance with AS 22 (Accounting for taxes on Income) issued by ICAI. Deferred tax is recognised subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets and liabilities are measured using enacted tax rates expected to apply to taxable income in the years in which the timing differences are expected to be reversed. The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in tax rates is recognised in the income statement in the period of enactment of the change.

## 14 EARNINGS PER SHARE

The bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the AS 20 (Earnings Per Share) issued by the ICAI. Basic earnings per equity share has been computed by dividing net income by the weighted average number of equity shares

भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित कर की गयी है. डाइल्यूटेड प्रति शेयर अर्जन की गणना निवल आय को उस अवधि के लिए बकाया भारित औसत इक्विटी शेयरों एवं उस अवधि के दौरान डाइल्यूटिव सम्भाव्य इक्विटी शेयरों की संख्या के आधार पर की गयी है.

## 15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक 29 (आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान) के अनुसार बैंक द्वारा आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान केवल विगत में हुई किसी घटना के लिए उत्पन्न हुए वर्तमान दायित्व के लिए किया जाता है. यह संभव है कि इस दायित्व के निस्तारण के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता हो और तब दायित्व निर्वहन हेतु ऐसी राशि का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है.

आर्थिक हित युक्त संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना के लगभग न होने की स्थिति तक आकस्मिक देयताओं को प्रकट किया जाता है.

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरण में निर्धारित नही किया गया है क्योंकि इससे आय के निर्धारण की संभावना बनेगी जो कभी प्राप्त ही न हो.

## 16. सेगमेंट रिपोर्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुपालन में बैंक व्यवसाय सेगमेंट को प्राथमिक रिपोर्टिंग सेगमेंट के रुप में और भौगोलिक सेगमेंट को द्वितीयक रिपोर्टिंग सेगमेंट के रुप में मान्यता देता है.

## 17. नकद एवं नकद के समतुल्य

नकद एवं नकद के समतुल्य में उपलब्ध नकदी और एटीएम में नकदी, भारतीय रिजर्व बैंक के पास अधिशेष राशि, अन्य बैंकों के पास अधिशेष राशि और मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि (विदेशी मुद्रा में नकद एवं नकद के समतुल्य में प्रभावी विनिमय दरों में परिवर्तन को शामिल करते हुए) शामिल है.

outstanding for the period. Diluted earnings per equity share has been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

## 15 PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

As per AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) issued by the ICAI, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent Assets are not recognised in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.

## 16. SEGMENT REPORTING

The Bank recognizes the Business Segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

## 17. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents include cash in hand and ATMs, balances with the Reserve Bank of India, balances with other banks and money at call and short notice (including effect of changes in exchange rates on cash and cash equivalents in foreign currency).

# अनुसूची -18 लेखों पर टिप्पणियां
# Schedule-18 Notes on Accounts

## ए. भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार प्रकटीकरण / A. Disclosure in terms of RBI requirements

### ए-1 पूंजी / A-1 Capital

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| | विवरण | Particulars | 31 मार्च 2021 को As on March 31, 2021 | 31 मार्च 2020 को As on March 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | | | बेसेल III Basel III | |
| i) | कॉमन इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (%) | Common Equity Tier 1 Capital Ratio (%) | 10.94% | 9.44% |
| ii) | टियर 1 पूंजी अनुपात (%) | Tier 1 Capital Ratio (%) | 12.67% | 10.71% |
| iii) | टियर 2 पूंजी अनुपात (%) | Tier 2 Capital Ratio (%) | 2.32% | 2.59% |
| iv) | कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%) | Total Capital Ratio (CRAR) (%) | 14.99% | 13.30% |
| v) | भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत | Percentage of the shareholding of the Govt. of India | 63.97% | 71.60% |
| vi) | अर्जित इक्विटी पूंजी की राशि | Amount of Equity Capital Raised | 110.16* | 395.01 |
| vii) | आवेदन पत्र राशि लंबित आबंटन | Application Money Pending allotment | 0.00 | 0.00 |
| viii) | अर्जित अतिरिक्त टियर 1 पूंजी की राशि, जिसमें से स्थायी ऋण लिखत (पीडीआई) | Amount of Additional Tier 1 capital raised, of which Perpetual Debt Instrument (PDI) | 3,735.00<br>3,735.00 | 3,397.00<br>3,397.00 |
| | अर्जित अतिरिक्त टियर 2 पूंजी की राशि, जिसमें से ऋण पूंजी लिखत | Amount of Additional Tier 2 capital raised, of which Debt Capital Instrument | --<br>-- | 3,420.00<br>3,420.00 |

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने परिपत्र संख्या डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.83/21.06.201/2015-16 दिनांक 1 मार्च, 2016 के माध्यम से बैंकों को सीईटी-1 पूंजी अनुपात के रूप में पूंजी पर्याप्तता की गणना करने के उद्देश्य से पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि, विदेशी मुद्रा रूपांतरित आरक्षित निधि और आस्थगित कर आस्ति को स्वीकार करने हेतु विवेकाधिकार दिया है. बैंक ने उपर्युक्त गणना में इस विकल्प का प्रयोग किया है.
- RBI vide circular No. DBR.No.BP.BC.83/21.06.201/2015-16 dated 1 March 2016 has given discretion to Banks to consider Revaluation reserve, foreign currency translation reserve and Deferred tax asset for the purpose of computation of Capital Adequacy as CET-I capital ratio. The Bank has exercised this option in above computation.
- *वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, बैंक ने बैंक की विकास योजनाओं को सहायता प्रदान करने और अन्य सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए बैंक की टियर I पूंजी को बढ़ाने हेतु सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के तहत कुल ₹ 4500.00 करोड़ के ₹ 81.70 प्रति इक्विटी शेयर (₹79.70 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम सहित) के निर्गम मूल्य पर ₹ 2 के अंकित मूल्य वाले 55,07,95,593 इक्विटी शेयर, जारी और आबंटित किए हैं. समिति द्वारा क्यूआईपी के तहत इक्विटी शेयरों के आबंटन को दिनांक 03.03.2021 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया है.
- *During the FY 2020-21, the Bank has issued and allotted 55,07,95,593 equity shares having face value of ₹ 2 each at an issue price of ₹ 81.70 per equity shares (including premium of ₹ 79.70 per equity share), under Qualified Institutional Placement (QIP) in accordance with the provisions of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 aggregating to ₹ 4500.00 Crores for augmenting Bank's Tier I capital to support growth plans of the Bank and for other general corporate purposes. The allotment of equity shares under QIP is approved by the committee in its meeting held on 03.03.2021.

ए) बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में संचलन का विवरण निम्नानुसार है:

A) The details of the movement in the paid-up equity share capital of the Bank are given below:

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| विवरण | Particulars | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
|---|---|---|---|
| प्रारंभिक शेष | Opening balance | 924.11 | 529.10 |
| समामेलन के कारण योग | Addition pursuant to Amalgamation | 0.00 | 154.53 |
| अधिमानी आबंटन के कारण योग | Addition pursuant to Preferential allotment | 0.00 | 216.00 |
| स्टॉक विकल्प के प्रयोग के कारण योग | Addition pursuant to stock options exercised | 0.00 | 24.48 |
| क्यूआईपी के उपरांत योग | Addition pursuant to QIP | 110.16 | 0.00 |
| अंतिम शेष | Closing Balance | 1,034.27 | 924.11 |
| जोड़ें: ज़ब्त किए गए शेयर | Add: Forfeited Shares | 1.26 | 1.26 |
| कुल | Total | 1,035.53 | 925.37 |

बी) 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने ऋण लिखत पात्र टीयर I पूंजी अर्जित किया है जिसका विवरण निम्नानुसार है :

B) During the year ended 31 March 2021, the Bank raised Debt Instruments eligible Tier I Capital, the details of which are as under:

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| पूंजी (टियर I/ टियर II/ अतिरिक्त) | Capital (Tier I/TierII/Additional) | लिखत (सिरीज़) Instrument (Series) | परिपक्वता की तारीख Date of Maturity | अवधि Period | कूपन Coupon | राशि Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बासेल III अनुपालित एटी 1 | Basel III Compliant AT 1 | XII | लागू नहीं/NA | स्थाई/Perpetual | 8.25% | 764.00 |
| बासेल III अनुपालित एटी 1 | Basel III Compliant AT 1 | XIII | लागू नहीं/NA | स्थाई/Perpetual | 8.50% | 981.00 |
| बासेल III अनुपालित एटी 1 | Basel III Compliant AT 1 | XIV | लागू नहीं/NA | स्थाई/Perpetual | 8.50% | 833.00 |
| बासेल III अनुपालित एटी 1 | Basel III Compliant AT 1 | XV | लागू नहीं/NA | स्थाई/Perpetual | 8.15% | 969.00 |
| बासेल III अनुपालित एटी 1 | Basel III Compliant AT 1 | XVI | लागू नहीं/NA | स्थाई/Perpetual | 8.15% | 188.00 |
| | | | | | | 3,735.00 |

As on 31.03.2020 / 31.03.2020 को

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| पूंजी (टियर I/ टियर II/ अतिरिक्त) | Capital (Tier I/TierII/ Additional) | लिखत (सिरीज़) Instrument (Series) | जारी करने की तारीख Date of Issue | परिपक्वता की तारीख Date of Maturity | अवधि Period | कूपन Coupon | राशि Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बासेल III अनुपालित एटी 1 | Basel III Compliant AT 1 | X | 28-नवं-19 28-Nov-19 | लागू नहीं NA | स्थाई Perpetual | 8.70% | 1,650.00 |
| बासेल III अनुपालित एटी 1 | Basel III Compliant AT 1 | XI | 18-दिसं -19 18-Dec-19 | लागू नहीं NA | स्थाई Perpetual | 8.99% | 1,747.00 |
| | | | | | | | 3,397.00 |

सी) 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने गौण बॉन्ड / ऋण लिखत पात्र टियर II पूंजी अर्जित की –– शून्य

C) During the year ended 31 March 2021, the Bank raised Subordinated Bonds/Debt Instruments eligible Tier II Capital - NIL

डी) 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने गौण बॉन्ड / ऋण लिखत पात्र टियर II पूंजी अर्जित किया है जिसके विवरण निम्नानुसार हैं :

D) During the year ended 31 March 2020, the Bank raised Subordinated Bonds/Debt Instruments eligible Tier II Capital - the details of which are as under:

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| पूंजी (टियर I/ टियर II/ अतिरिक्त) | Capital (Tier I/TierII/Additional) | लिखत (सिरीज़) Instrument (Series) | जारी करने की तारीख Date of Issue | परिपक्वता की तारीख Date of Maturity | अवधि Period | कूपन Coupon | राशि Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बासेल III अनुपालित टियर II | Basel III Compliant Tier II | XXII | 11-सितं-19<br>11-Sep-19 | 11-सितं-34<br>11-Sep-34 | 15 वर्ष<br>15 years | 7.75% | 500.00 |
| बासेल III अनुपालित टियर II | Basel III Compliant Tier II | XXIII | 03-जन-20<br>03-Jan-20 | 03-जन-30<br>03-Jan-30 | 10 वर्ष<br>10 years | 7.44% | 920.00 |
| बासेल III अनुपालित टियर II | Basel III Compliant Tier II | XXIV | 15-जन-20<br>15-Jan-20 | 15-जन-35<br>15-Jan-35 | 15 वर्ष<br>15 years | 7.84% | 2,000.00 |
| | | | | | | | 3,420.00 |

ई) 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने टियर I / टियर II पूंजी के लिए पात्र ऋण लिखतों का मोचन किया जिसका विवरण निम्नानुसार है:

E) During the year ended 31 March 2021, the Bank redeemed Debt Instruments eligible for Tier I /Tier II Capital, the details of which are as under:

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| पूंजी (टियर I/ टियर II/ अतिरिक्त) | Capital (Tier I/Tier II/ Additional) | लिखत (सिरीज़) Instrument (Series) | परिपक्वता की तारीख Date of Maturity | अवधि Period | कूपन Coupon | राशि Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बासेल III अनुपालित टियर II | IPDI | IV | लागू नहीं / Not Applicable<br>(कॉल की तारीख 8-जून-19)<br>(Date of call 27-Aug-20) | स्थायी<br>Perpetual | 9.05% | 711.50 |
| बासेल III अनुपालित टियर II | Basel III Compliant AT 1 | III<br>(EVB) | लागू नहीं / Not Applicable<br>(कॉल की तारीख 30-मार्च-21)<br>(Date of call 30-Mar-21) | स्थायी<br>Perpetual | 11.25% | 500.00 |
| बासेल III अनुपालित टियर II | Basel II Upper Tier II | XIII | 31-May-25<br>(कॉल की तारीख 31-00-20)<br>(Date of call 31-May-20) | 15 वर्ष<br>15 years | 8.48% | 500.00 |
| | Basel II Upper Tier II | XIV | 30-Jun-25<br>(कॉल की तारीख 30-जून-20)<br>(Date of call 30-Jun-20) | 15 वर्ष<br>15 years | 8.48% | 500.00 |
| बासेल III अनुपालित टियर II | Basel II Upper Tier II | XV | 10-Aug-25<br>(Date of call 10-Aug-20) | 15 वर्ष<br>15 years | 8.52% | 500.00 |
| | | | | | | 2,711.50 |

एफ़) 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने टियर I / टियर II पूंजी के लिए पात्र ऋण लिखतों का मोचन किया, जिसका विवरण निम्नानुसार है

F) During the year ended 31 March 2020, the Bank redeemed Debt Instruments eligible for Tier I /Tier II Capital, the details of which are as under:

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| पूंजी (टियर I/ टियर II/ अतिरिक्त) | Capital (Tier I/TierII/ Additional) | लिखत (सिरीज़) Instrument (Series) | परिपक्वता की तारीख Date of Maturity | अवधि Period | कूपन Coupon | राशि Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बासेल II अपर टीयर II | Basel II Upper Tier II | XI | 8-जून-24 (कॉल की तारीख 8-जून -19) 8-Jun-24 (Date of call 8-Jun-19) | 15 वर्ष 15 years | 8.38% | 500.00 |
| बासेल III एटी- I | BASEL III AT-I | V | लागू नहीं (कॉल की तारीख 9-जन -20) NA (Date of call 9-Jan-20) | स्थायी Perpetual | 9.48% | 1,000.00 |
| बासेल III एटी- I | BASEL III AT-I | I- (eVB) | लागू नहीं (कॉल की तारीख 1-फरवरी -20) NA (Date of call 1-Feb-20) | स्थायी Perpetual | 9.54% | 100.00 |
| बासेल III एटी- I | BASEL III AT-I | II (eVB) | लागू नहीं (कॉल की तारीख 27-मार्च-20) NA (Date of call 27-Mar-20) | स्थायी Perpetual | 10.40% | 400.00 |
| बासेल II टियर I | Basel II Tier I | II (eDB) | लागू नहीं (कॉल की तारीख 28-मई-19) NA (Date of call 28-May-19) | स्थायी Perpetual | 9.00% | 125.00 |
| बासेल II टियर I | Basel II Tier I | II | लागू नहीं (कॉल की तारीख 9-अक्टूबर -19) NA (Date of call 9-Oct-19) | स्थायी Perpetual | 9.20% | 300.00 |
| बासेल II टियर I | Basel II Tier I | III | लागू नहीं (कॉल की तारीख 23-नवं -19) NA (Date of call 23-Nov-19) | स्थायी Perpetual | 9.15% | 600.00 |
| | | | | | | 3,025.00 |

## ए- 2 निवेश
## A-2 Investments

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| विवरण | Particulars | 31 मार्च 2021 को As on March 31, 2021 | 31 मार्च 2020 को As on March 31, 2020 |
|---|---|---|---|
| (1) निवेशों का मूल्य | (1) Value of Investments | | |
| (i) निवेशों का सकल मूल्य | (i) Gross Value of Investments | | |
| (ए) भारत में | (a) In India | 2,51,708.43 | 2,65,015.61 |
| (बी) भारत से बाहर | (b) Outside India | 13,185.53 | 13,032.46 |
| (ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान | (ii) Provisions for Depreciation | | |
| (ए) भारत में | (a) In India | 3,433.89 | 2,998.17 |
| (बी) भारत से बाहर | (b) Outside India | 239.80 | 435.28 |
| (iii) निवेशों का निवल मूल्य | (iii) Net Value of Investments | | |
| (ए) भारत में | (a) In India | 2,48,274.54 | 2,62,017.44 |
| (बी) भारत से बाहर | (b) Outside India | 12,945.73 | 12,597.18 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (2) निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों का संचलन | (2) | Movement of provisions held towards depreciation on investments | | | |
| (i) प्रारम्भिक शेष | (i) | Opening balance | | 3,433.45 | 1,962.15 |
| (ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान | (ii) | Add: Provisions made during the year | | 987.50 | 1,641.59 |
| (iii) जोड़ें/(घटाएं):-विदेशी विनिमय पुनर्मूल्यांकन समायोजन | (iii) | Add /(Less): Foreign Exchange revaluation adjustment | | 13.48 | 14.79 |
| (iv) घटाएं: अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन | (iv) | Less: Write-back of excess provisions | | 760.74 | 185.08 |
| (v) अंतिम शेष | (v) | Closing balance | | 3,673.69 | 3,433.45 |

### ए-2.1 रेपो संव्यवहार: (अंकित मूल्य के संदर्भ में) -

### A-2.1 Repo Transactions: (in face value terms) -

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान रेपो और रिवर्स रेपो के तहत बेची एवं खरीदी गई प्रतिभूतियों का विवरण:

The details of securities sold and purchased under repos and reverse repos during the year ending March 31, 2021:

(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| विवरण | Particulars | वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया शेष Minimum outstanding during the year | वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया शेष Maximum outstanding during the year | वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया शेष Daily Average outstanding during the year | 31 मार्च, 2021 को बकाया शेष Outstanding as on March 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां | Securities sold under repo | | | | |
| i सरकारी प्रतिभूतियां | i. Government securities | 1,499.99 | 47,233.90 | 17,315.29 | 5,901.94 |
| ii कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां | ii. Corporate debt securities | 1,823.25 | 2,650.40 | 2,027.75 | 1,823.25 |
| रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां | Securities purchased under reverse repo | | | | |
| i सरकारी प्रतिभूतियां | i. Government securities | 0.00 | 60,700.00 | 24,847.25 | 7,314.40 |
| ii कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां | ii. Corporate debt securities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान रेपो और रिवर्स रेपो के तहत बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियों का विवरण

The details of securities sold and purchased under repos and reverse repos during the year ending March 31, 2020:

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| विवरण | Particulars | वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया शेष Minimum outstanding during the year | वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया शेष Maximum outstanding during the year | वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया शेष Daily Average outstanding during the year | 31 मार्च, 2020 को बकाया शेष Outstanding as on March 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां | Securities sold under repo | | | | |
| i सरकारी प्रतिभूतियां | i. Government securities | 3,203.00 | 46,132.79 | 16,439.40 | 45,979.90 |
| ii कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां | ii. Corporate debt securities | 1,886.96 | 3,551.07 | 2,516.12 | 2,743.02 |
| रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां | Securities purchased under reverse repo | | | | |
| i सरकारी प्रतिभूतियां | i. Government securities | 0.00 | 31,500.00 | 4,225.41 | 17,000.00 |
| ii कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां | ii. Corporate debt securities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ए-2.2 त्रिपक्षीय रेपो / रिवर्स रेपो संव्यहार ऐसे रेपो / रिवर्स रेपो संव्यवहार हैं जिसमें एक त्रिपक्षीय एजेंट रेपो / रिवर्स रेपो की दोनों पार्टियों के बीच संव्यवहार साइकल के दौरान संपार्श्विक चयन, भुगतान एवं निपटान तथा रख-रखाव और प्रबंधन जैसी सेवाओं की सुविधा प्रदान करने हेतु मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक द्वारा किए गए त्रिपक्षीय रेपो / रिवर्स रेपो संव्यवहारों का विवरण निम्नानुसार है. ऋण अथवा उधार ली गई धनराशि की गणना नीचे दिए गए टेबल के उद्देश्य से की गई है.

A-2.2 Triparty repo / reverse repo transactions are repo / reverse repo transactions where a triparty agent acts as an intermediary between the two parties to the repo / reverse repo to facilitate services such as collateral selection, payment and settlement and custody and management during the life of the transaction. The details of triparty repo / reverse repo transactions undertaken by the Bank during the year ended March 31, 2021 are given below. Amount of funds borrowed or lent have been reckoned for the purpose of the below table.

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| विवरण | Particulars | वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया शेष Minimum outstanding during the year | वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया शेष Maximum outstanding during the year | वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया शेष Daily Average outstanding during the year | 31 मार्च, 2021 को बकाया शेष Outstanding as on March 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **त्रिपक्षीय रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां** | **Securities sold under triparty repo** | | | | |
| i सरकारी प्रतिभूतियां | i. Government securities | 0.00 | 43,360.15 | 24,872.89 | 18,506.44 |
| ii कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां | ii. Corporate debt securities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **त्रिपक्षीय रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां** | **Securities purchased under triparty repo** | | | | |
| i सरकारी प्रतिभूतियां | i. Government securities | 0.00 | 1,999.83 | 38.25 | 0.00 |
| ii कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां | ii. Corporate debt securities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| विवरण | Particulars | वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया शेष Minimum outstanding during the year | वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया शेष Maximum outstanding during the year | वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया शेष Daily Average outstanding during the year | 31 मार्च, 2020 को बकाया शेष Outstanding as on March 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **त्रिपक्षीय रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूति** | **Securities sold under triparty repo** | | | | |
| i सरकारी प्रतिभूतियां | i. Government securities | 0.00 | 38,092.52 | 21,579.62 | 0.00 |
| ii कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां | ii. Corporate debt securities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **त्रिपक्षीय रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूति** | **Securities purchased under triparty repo** | | | | |
| i सरकारी प्रतिभूतियां | i. Government securities | 0.00 | 2,370.27 | 59.64 | 0.00 |
| ii कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां | ii. Corporate debt securities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ए -2.3 गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

A-2.3 Non SLR Investment Portfolio

i) गैर-एसएलआर निवेशों के जारीकर्ता घटक

i) Issuer composition of Non SLR investments

मार्च 31, 2021 को गैर-एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता संरचना निम्नानुसार है:

Issuer Composition of non- SLR investments as on March 31, 2021 is given below:

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| क्र. सं. S No | जारीकर्ता | Issuer | राशि Amount | निजी प्लेसमेंट की सीमा Extent of Private Placement | 'निवेश ग्रेड के नीचे' की प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Below Investment Grade' securities | 'अनरेटेड प्रतिभूतियों' की सीमा Extent of 'Unrated' Securities | 'असूचीबद्ध प्रतिभूतियों' की सीमा Extent of 'Unlisted' Securities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| (i) | पीएसयू | PSUs | 4,052.87 | 1,493.42 | 529.56 | 715.77 | 0.00 |
| (ii) | एफआई | FIs | 9,670.13 | 8,532.06 | 3,208.10 | 50.08 | 123.10 |
| (iii) | बैंक | Banks | 6,061.55 | 2,685.50 | 821.43 | 139.24 | 73.11 |
| (iv) | निजी कार्पोरेट | Private Corporate | 7,705.37 | 4,767.56 | 1,116.64 | 1,705.40 | 4.20 |
| (v) | अनुषंगियां / संयुक्त उद्यम ✻ | Subsidiaries/ Joint Ventures * | 3,521.90 | 3,521.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (vi) | अन्य # | Others # | 29,751.70 | 24,676.78 | 0.00 | 455.55 | 455.55 |
| (vii) | मूल्यह्रास हेतु धारित प्रावधान | Provision held towards depreciation | 3,673.69 | 0.00 | 0.00 | 200.98 | 23.66 |
| | कुल | Total | 57,089.83 | 45,677.22 | 5,675.73 | 2,865.06 | 632.30 |

✻ इसमें ₹ 2,034.31 करोड़ का विदेशी अनुषंगी में निवेश शामिल है. (पिछले वर्ष: ₹ 2,023.87 करोड़)

* Includes Investments in Overseas Subsidiary of ₹ 2,034.31 Crores. (Previous Year: ₹ 2,023.87 Crores)

# ए) ₹ 22,667.46 करोड़ के सरकारी गैर-एसएलआर बॉन्ड में निवेश शामिल है. (पिछले वर्ष: ₹ 27,007.44 करोड़)

# a) includes Investments in Govt Non –SLR Bonds of ₹ 22,667.46 Crores (Previous Year: ₹ 27,007.44 Crores)

31 मार्च, 2020 तक गैर-एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता संरचना नीचे दी गई है:

Issuer Composition of non- SLR investments as on March 31, 2020 is given below:

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| क्र. सं. S No | जारीकर्ता | Issuer | राशि Amount | निजी प्लेसमेंट की सीमा Extent of Private Placement | 'निवेश ग्रेड के नीचे' की प्रतिभूतियां की सीमा Extent of 'Below Investment Grade' securities | 'अनरेटेड प्रतिभूतियों' की सीमा Extent of 'Unrated' Securities | 'असूचीबद्ध प्रतिभूतियों' की सीमा Extent of 'Unlisted' Securities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| (i) | पीएसयू | PSUs | 4,235.32 | 1,597.30 | 259.77 | 608.59 | 0.00 |
| (ii) | एफआई | FIs | 7,440.39 | 6,639.50 | 714.90 | 10.08 | 69.20 |
| (iii) | बैंक | Banks | 6,397.02 | 501.54 | 697.41 | 132.94 | 338.50 |
| (iv) | निजी कार्पोरेट | Private Corporate | 5,189.23 | 2,685.69 | 124.22 | 1,114.52 | 6.60 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (v) | अनुषंगियां/ संयुक्त उद्यम ✻ | Subsidiaries/ Joint Ventures * | 3,468.79 | 3,468.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (vi) | अन्य # | Others # | 30,143.35 | 24,940.71 | 0.00 | 345.16 | 345.16 |
| (vii) | मूल्यह्रास हेतु धारित प्रावधान | Provision held towards depreciation | 3,433.39 | 0.00 | 0.00 | 237.68 | 18.06 |
| | **कुल** | Total | 53,440.71 | 39,833.53 | 1,796.30 | 1,973.61 | 741.40 |

✻ इसमें ₹ 2,023.87 करोड़ का विदेशी अनुषंगी में निवेश शामिल है.

*Includes Investments in Overseas Subsidiaries of ₹ 2,023.87 Crores.

# ए) ₹ 27,007.44 करोड़ के सरकारी गैर–एसएलआर बॉन्ड में निवेश शामिल है.

# a) includes Investments in Govt Non –SLR Bonds of ₹ 27,007.44 Crores

कॉलम संख्या (4), (5) और (6) में उल्लिखित विवरण परस्पर गैर–अनन्य हैं.

The details mentioned at column no (4), (5) and (6) are mutually non-exclusive.

ii) अनर्जक गैर–एसएलआर निवेशों

ii) Non performing Non–SLR investments

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| विवरण | Particulars | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु<br>For the year ended March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु<br>For the year ended March 31, 2020 |
|---|---|---|---|
| प्रारंभिक शेष | Opening balance | 2,223.24 | 1,649.21 |
| पू.वि.बैं. और पू.दे.बैं. के विलय के कारण योग | Addition on Account of Merger eDB and eVB | 0.00 | 602.41 |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन | Additions during the year | 1,293.41 | 425.10 |
| वर्ष के दौरान कटौतियां | Reductions during the year | 248.04 | 453.48 |
| अंतिम शेष | Closing balance | 3,268.61 | 2,223.24 |
| कुल धारित प्रावधान | Total provisions held | 2,834.88 | 2,038.97 |

### ए–2.4 वर्ष के प्रारंभ में परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में रखे गए निवेशों के बही–मूल्य के 5% से अतिरिक्त के परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) में रखे गए निवेशों की बिक्री एवं अंतरण

### A-2.4 Sales and transfer of Investment held under Held to Maturity (HTM) Category in excess of 5% of the Book value of the investment held in HTM category at the beginning of the year

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| वित्त वर्ष<br>Financial Year | निवेश (एचटीएम) का प्रारम्भिक शेष<br>Opening Bal. of investment (HTM) | वर्ष के दौरान बिक्री / अंतरण<br>Sale/ transfer during the year | जोड़<br>Addition | निवेश (एचटीएम) का अंतिम शेष<br>Closing Bal. of Investment (HTM) | निवेश (एचटीएम) श्रेणी का बाजार मूल्य<br>Market value of investment (HTM) category |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-20 | 1,42,763.58 | 18,254.53* | 29,009.15 | 1,45,237.20 | 1,51,650.47 |

✻ ₹ 7,138 करोड़ (ओएमओ, स्विच एवं वन टाइम अनुमत शिफ्टिंग के अतिरिक्त) की यह राशि वर्ष के प्रारंभ में परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में रखे गए निवेशों के बही–मूल्य के 5% के अतिरिक्त है और एचटीएम पोर्टफोलियो का 17.79% है.

* This amount is in excess of 5% of the Book Value of the investment held in HTM category at the beginning of the year, amounting to ₹ 7,138 Crores (Other than OMO, switch and onetime permitted shifting) and 17.79%of HTM portfolio.

## ए –2.5 एसएलआर निवेश
## A-2.5 SLR Investments

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| विवरण | Particulars | 31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021 | | 31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | बही मूल्य Book value | बाजार मूल्य Market value | बही मूल्य Book value | बाजार मूल्य Market value |
| सरकारी प्रतिभूतियां एसएलआर (सीजी, एसजी और टीबी)* | Govt. sec SLR (CG,SG,&TB)* | 2,04,129.01 | 2,04,129.01** | 2,21,172.55 | 2,21,172.55** |
| अनुमोदित प्रतिभूतियां – एसएलआर | Approved sec-SLR | 1.41 | 1.41** | 1.41 | 1.41** |

* इसमें सीसीआईएल/एमसीएक्स/यूएसई/एनएसई के पास रखी एसएलआर प्रतिमूतियां शामिल हैं
* incl. SLR Securities kept with CCIL/ MCX / USE / NSE
** एसएलआर की गणना के लिए बाजार मूल्य में वृद्धि को ध्यान में नहीं लिया गया है
** Appreciation in market value is ignored for SLR calculation

## ए–2.6 श्रेणीवार निवेश का विवरण;
## A-2.6 Details of investment category – wise;

तीन श्रेणियों अर्थात ट्रेडिंग हेतु धारित (एचएफटी), बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) और परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के अंतर्गत निवेशों का विवरण निम्नानुसार हैं;

The Details of investments held under the three categories viz; Held for trading (HFT), Available for Sale (AFS) and Held to Maturity (HTM) are as under;

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| विवरण | Particulars | 31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021 | | | | 31 मार्च 2020 को As on March 31, 2020 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | एचएफटी HFT | एएफएस AFS | एचटीएम HTM | कुल Total | एचएफटी HFT | एएफएस AFS | एचटीएम HTM | कुल Total |
| सरकारी प्रतिभूतियां | Government securities | 198.94 | 85,580.66 | 1,45,526.42 | 2,31,306.02 | 203.54 | 80,651.81 | 1,67,324.64 | 2,48,179.99 |
| अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां | Other approved securities | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 1.41 |
| शेयर | Shares | 2.17 | 4,765.66 | 10.42 | 4,778.25 | 0.00 | 4,679.35 | 10.42 | 4,689.77 |
| डिबेंचर और बांड | Debentures and bonds | 0.00 | 20,734.49 | 1,618.00 | 22,352.49 | 0.00 | 16,903.81 | 25.00 | 16,928.81 |
| अनुषंगियां / संयुक्त उद्यम | Subsidiary / Joint ventures | 0.00 | 0.00 | 3,521.90 | 3,521.90 | 0.00 | 0.00 | 3,468.79 | 3,468.79 |
| अन्य | Others | 0.00 | 2,750.84 | 183.05 | 2,933.89 | 0.00 | 4,596.47 | 182.83 | 4,779.30 |
| **कुल** | Total | 201.11 | 1,13,833.06 | 1,50,859.79 | 2,64,893.96 | 203.54 | 1,06,832.85 | 1,71,011.68 | 2,78,048.07 |

### ए-2.7 मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां
### A-2.7 Securities kept as margin

मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियों के विवरण निम्नानुसार हैं:

The details of securities that are kept as margin are as under:

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| क्र. सं. S. No | विवरण | Particulars | 31 मार्च को अंकित मूल्य FV as at March 31 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| i. | भारतीय समाशोधन निगम के पास निम्नलिखित के लिए मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां | Securities kept as margin with Clearing Corporation of India towards: | | |
| | ए) संपार्श्विक और निधि प्रबंधन – प्रतिभूति सेगमेंट | a) Collateral and funds management - Securities segment | 3,200.00 | 3,200.00 |
| | बी) संपार्श्विक और निधि प्रबंधन – संपार्श्विकृत ऋण एवं उधार दायित्व (सीबीएलओ) सेगमेंट / त्रिपक्षीय रेपो | b) Collateral and funds management - Collateralized Borrowing and Lending Obligation (CBLO) segment / Triparty Repo | 0.00 | 0.00 |
| | सी) चूक निधि – फॉरेक्स फॉरवर्ड सेगमेंट | c) Default fund - Forex Forward segment | 186.29 | 211.29 |
| | डी) चूक निधि – विदेशी मुद्रा निपटान सेगमेंट | d) Default fund - Forex Settlement segment | 26.12 | 29.38 |
| | ई) चूक निधि – रुपी डेरिवेटिव्स (गारंटित निपटान) सेगमेंट | e) Default fund - Rupee Derivatives (Guaranteed Settlement) segment | 77.16 | 55.30 |
| | एफ) चूक निधि – प्रतिभूति सेगमेंट | f) Default fund - Securities segment | 19.75 | 5.75 |
| | जी) चूक निधि – सीबीएलओ / त्रिपक्षीय रेपो सेगमेंट | g) Default fund - CBLO / Triparty repo segment | 8.15 | 50.65 |
| ii | भारतीय रिज़र्व बैंक के पास निम्नलिखित के लिए मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां | Securities kept as margin with the RBI towards: | | |
| | ए) रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट (आरटीजीएस) | a) Real Time Gross Settlement (RTGS) | 0.00 | 0.00 |
| | बी) रेपो संव्यवहार | b) Repo transactions | 0.00 | 0.00 |
| | सी) रिवर्स रेपो संव्यवहार | c) Reverse repo transactions | 0.00 | 0.00 |
| iii | एनएसई मुद्रा डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए भारतीय राष्ट्रीय प्रतिभूति समाशोधन निगम (एनएससीसीआईएल) के पास मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां | Securities kept as margin with National Securities Clearing Corporation of India (NSCCIL) towards NSE Currency Derivatives segment. | 158.98 | 5.98 |
| iv | बीएसई मुद्रा डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड के पास मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां | Securities kept as margin with Indian Clearing Corporation Limited towards BSE Currency Derivatives segment | 1.00 | 1.00 |
| V | एमसीएक्स मुद्रा डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए भारतीय मेट्रोपॉलिटन समाशोधन निगम के पास मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां | Securities kept as margin with Metropolitan Clearing Corporation of India towards MCX Currency Derivatives segment. | 1.00 | 1.00 |

तुलन पत्र की तारीख को अन्य निवेश में ₹ 594.68 करोड़ की वाणिज्यिक पेपर की राशि शामिल है (विगत वर्ष: ₹ 397.69 करोड़)

Other Investment as at the Balance sheet date include Commercial paper amounting to ₹ 594.68 Crores (Previous Year: ₹ 397.69 Crores )

## ए-2.8 एसजीएल फार्मों के लौटाए जाने पर लगाए गए दंड का प्रकटीकरण
## A-2.8 Disclosure on imposition of penalty for bouncing of SGL forms

| समाप्त वर्ष Year ended | एसजीएल फॉर्म लौटाने की तारीख Date of bouncing SGL form | राशि Amount | टिप्पणी Remarks |
|---|---|---|---|
| 2020-21 | शून्य / Nil | शून्य / Nil | शून्य / Nil |
| 2019-20 | शून्य / Nil | शून्य / Nil | शून्य / Nil |

## ए-2.9 डेरीवेटिव्स
### A-2.9 .1 वायदा दर समझौता / ब्याज दर स्वैप
## A-2.9 Derivatives
### A-2.9.1 Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| विवरण | Particulars | 31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020 |
|---|---|---|---|
| स्वैप समझौते की कल्पित मूल राशि | The notional principal of swap agreements | 74,783.79 | 52,645.65 |
| समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को काउंटर पार्टी द्वारा पूरा न करने पर होने वाली हानि | Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements | 836.94 | 813.65 |
| स्वैप में आने पर बैंक के लिए अपेक्षित संपाश्विक | Collateral required by the bank upon entering into swaps | 0.00 | 0.00 |
| स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेन्द्रण | Concentration of credit risk arising from the swaps | 2,152.41 | 1,480.09 |
| स्वैप बही का उचित मूल्य | The fair value of the swap book | (11.03) | (339.80) |

31 मार्च, 2021 तक वायदा एवं ब्याज दर स्वैप का प्रकार एवं शर्तें नीचे दी गई हैं:
Nature and terms of Forward Rate Agreements and interest rate swaps as on 31st March 2021 are given below:

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| लिखत Instruments | प्रकार Nature | संख्या Nos | अनुमानित मूलधन Notional Principal | बेंचमार्क Benchmark | शर्तें Terms |
|---|---|---|---|---|---|
| आईआरएस IRS | ट्रेडिंग Trading | 4 | 175.03 | INBMK | अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable |
| आईआरएस IRS | हेजिंग Hedging | 8 | 907.66 | LIBOR | अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable |
| आईआरएस IRS | हेजिंग Hedging | 1 | 33.23 | LIBOR | स्थायी प्राप्य / अस्थायी देय Fixed Receivable/Floating Payable |
| आईआरएस IRS | हेजिंग Hedging | 14 | 1,075.00 | MIFOR | अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable |
| आईआरएस IRS | Trading | 22 | 875.00 | MIFOR | अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable |
| आईआरएस IRS | हेजिंग Hedging | 72 | 3,975.00 | MIFOR | स्थायी प्राप्य / अस्थायी देय Fixed Receivable/Floating Payable |
| आईआरएस IRS | ट्रेडिंग Trading | 18 | 775.00 | MIFOR | स्थायी प्राप्य / अस्थायी देय Fixed Receivable/Floating Payable |
| आईआरएस IRS | हेजिंग Hedging | 894 | 28,725.00 | MIBOR | अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| आईआरएस<br>IRS | ट्रेडिंग<br>Trading | 294 | 9,314.17 | MIBOR | अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय<br>Floating Receivable/Fixed Payable |
| आईआरएस<br>IRS | हेजिंग<br>Hedging | 55 | 1,675.00 | MIBOR | स्थायी प्राप्य / अस्थायी देय<br>Fixed Receivable/Floating Payable |
| आईआरएस<br>IRS | ट्रेडिंग<br>Trading | 291 | 9,850.56 | MIBOR | स्थायी प्राप्य / अस्थायी देय<br>Fixed Receivable/Floating Payable |
| सीआईआरएस<br>CIRS | हेजिंग<br>Hedging | 1 | 246.32 | AU6MBA/LIBOR | अस्थायी देय/ अस्थायी प्राप्य<br>Pay Float/Receive Float |
| सीआईआरएस<br>CIRS | हेजिंग<br>Hedging | 30 | 6,281.57 | MIBOR/LIBOR | अस्थायी देय/ अस्थायी प्राप्य<br>Pay Float/Receive Float |
| सीआईआरएस<br>CIRS | हेजिंग<br>Hedging | 2 | 354.01 | AU6MBA | अस्थायी देय/ स्थायी प्राप्य<br>Pay Float/Receive Fix |
| आईआरएस<br>IRS | हेजिंग<br>Hedging | 22 | 6,386.23 | FIXED | स्थायी प्राप्य/ अस्थायी देय<br>Fixed Receive/Float Pay |
| आईआरएस<br>IRS | हेजिंग<br>Hedging | 3 | 3,145.73 | LIBOR | अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय<br>Floating Receive/Fixed Pay |
| सीआईआरएस<br>CIRS | हेजिंग<br>Hedging | 2 | 550.77 | LIBOR | अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय<br>Floating Receive/Fixed Pay |
| सीआईआरएस<br>CIRS | हेजिंग<br>Hedging | 1 | 438.51 | EURIBOR | अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय<br>Floating Receive/Fixed Pay |

31 मार्च, 2020 तक वायदा एवं ब्याज दर स्वैप का प्रकार एवं शर्तें नीचे दी गई हैं:

Nature and terms of Forward Rate Agreements and interest rate swaps as on 31st March 2020 are given below:

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| लिखत<br>Instruments | प्रकार<br>Nature | संख्या<br>Nos | अनुमानित मूलधन<br>Notional Principal | बेंचमार्क<br>Benchmark | शर्तें<br>Terms |
|---|---|---|---|---|---|
| आईआरएस<br>IRS | ट्रेडिंग<br>Trading | 4 | 175.00 | INBMK | अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय<br>Floating Receivable/Fixed Payable |
| आईआरएस<br>IRS | हेजिंग<br>Hedging | 7 | 788.06 | LIBOR | अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय<br>Floating Receivable/Fixed Payable |
| आईआरएस<br>IRS | हेजिंग<br>Hedging | 3 | 378.32 | LIBOR | अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय<br>Fixed Receivable/Floating Payable |
| आईआरएस<br>IRS | हेजिंग<br>Hedging | 1 | 25.00 | MIFOR | अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय<br>Floating Receivable/Fixed Payable |
| आईआरएस<br>IRS | ट्रेडिंग<br>Trading | 25 | 675.00 | MIFOR | अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय<br>Floating Receivable/Fixed Payable |
| आईआरएस<br>IRS | हेजिंग<br>Hedging | 49 | 2,875.00 | MIFOR | अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय<br>Fixed Receivable/Floating Payable |
| आईआरएस<br>IRS | ट्रेडिंग<br>Trading | 11 | 500.00 | MIFOR | अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय<br>Fixed Receivable/Floating Payable |
| आईआरएस<br>IRS | हेजिंग<br>Hedging | 749 | 24,050.00 | MIBOR | अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय<br>Floating Receivable/Fixed Payable |
| आईआरएस<br>IRS | ट्रेडिंग<br>Trading | 207 | 6,261.49 | MIBOR | अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय<br>Floating Receivable/Fixed Payable |

| लिखत Instruments | प्रकार Nature | संख्या Nos | अनुमानित मूलधन Notional Principal | बेंचमार्क Benchmark | शर्तें Terms |
|---|---|---|---|---|---|
| आईआरएस IRS | हेजिंग Hedging | 25 | 725.00 | MIBOR | अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय Fixed Receivable/Floating Payable |
| आईआरएस IRS | ट्रेडिंग Trading | 279 | 7,962.62 | MIBOR | अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय Fixed Receivable/Floating Payable |
| सीआईआरएस CIRS | हेजिंग Hedging | 2 | 488.14 | AU6MBA/ LIBOR | अस्थायी देय / अस्थायी प्राप्य Pay Floating /Receive Floating |
| सीआईआरएस CIRS | हेजिंग Hedging | 7 | 1,205.10 | MIBOR/ LIBOR | अस्थायी देय / अस्थायी प्राप्य Pay Floating /Receive Floating |
| आईआरएस IRS | हेजिंग Hedging | 8 | 2,981.67 | Fixed | स्थायी प्राप्य अस्थायी देय Fixed receive floating pay |
| आईआरएस IRS | हेजिंग Hedging | 3 | 2,919.37 | LIBOR | अस्थायी प्राप्य अस्थायी देय Floating receive floating pay |
| सीआईआरएस CIRS | हेजिंग Hedging | 1 | 243.09 | LIBOR | अस्थायी प्राप्य अस्थायी देय Floating receive floating pay |
| सीआईआरएस CIRS | हेजिंग Hedging | 1 | 392.79 | EURIBOR | अस्थायी प्राप्य अस्थायी देय Floating receive floating pay |

### A–2.9.2 एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स

### A-2.9.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| क्र.सं. S No | विवरण | Particulars | As on March 31, 2021 | As on March 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|
| (i) | वर्ष के दौरान एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स की कल्पित मूल राशि (लिखतवार) | Notional principal amount of exchange traded interest rate & Currency derivatives undertaken during the year (instrument-wise) | | |
| | ए. ब्याज दर फ्यूचर (आईआरएफ) | A. Interest Rate Future (IRF) | 29,308.19 | 35,135.16 |
| | बी. करेंसी फ्यूचर्स | B. Currency Futures | 1,09,528.95 | 1,29,974.98 |
| | सी. ऑप्शन | C. Options | 16,005.11 | 46,157.94 |
| (ii) | यथा दिनांक एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व करेंसी डेरीवेटिव्स की (लिखतवार) बकाया कल्पित मूल राशि | Notional principal amount of exchange traded interest rate & Currency derivatives outstanding as on (instrument-wise) | | |
| | ए. ब्याज दर फ्यूचर (आईआरएफ) | A. Interest Rate Future (IRF) | 186.68 | 0.00 |
| | बी. करेंसी फ्यूचर्स | B. Currency Futures | 2,688.33 | 0.00 |
| | सी. ऑप्शन | C. Options | 233.95 | 115.53 |
| (iii) | एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व करेंसी डेरीवेटिव्स की बकाया कल्पित मूल राशि तथा जो ''अत्यधिक प्रभावी'' न हो (लिखतवार) | Notional principal amount of exchange traded interest rate & Currency derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise) | Nil | Nil |
| (iv) | बकाया एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व करेंसी डेरीवेटिव्स का मार्क–टू–मार्केट मूल्य तथा जो 'अत्यधिक प्रभावी' न हो (लिखतवार) | Mark-to-market (MTM) value of exchange traded interest rate & Currency derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise) | Nil | Nil |

### A-2.9 .3 डेरीवेटिव में जोखिम एक्सपोजर का प्रकटीकरण

### A-2.9.3 Disclosures on risk exposure in derivatives

#### (i) गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक की विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन एवं स्वर्ण, डेरीवेटिव प्रबंधन नीति में डेरीवेटिव्स लेन-देन के कार्यों के लिए सभी प्रकार की वित्तीय डेरीवेटिव्स लिखतों के प्रकार, विस्तार एवं उपयोग, अनुमोदन प्रक्रिया तथा ओपन पोजीशन लिमिट, स्टॉप लॉस लिमिट तथा काउन्टर पार्टी एक्सपोजर लिमिट जैसी सीमाएं निर्धारित की गयी हैं. बैंक अपने तुलन-पत्र में दर्शाए गए अथवा दर्शाए न गए जोखिमों की हेजिंग के लिए तथा बाज़ार आधार तैयार करने के लिए वित्तीय डेरीवेटिव्स लेन-देनों का उपयोग करता है. मूलतः ये उत्पाद, जोखिम के प्रति बचाव व्यवस्था, लागत कम करने तथा ऐसे लेन देनों में प्रतिफल बढ़ाने एवं प्रोपराइटरी ट्रेडिंग के लिए उपयोग में लाए जाते हैं.

बैंक में जिन जोखिमों की सम्भावना बनी रहती है, वे हैं: ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, देशीय जोखिम और परिचालन जोखिम. बैंक में जोखिम प्रबंधन नीतियां (बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित) हैं, जो एमटीएम जोखिम पर कीमत, (वीएआर) तथा पीवी01 के माध्यम से नियमित आधार पर व्यापार बही में लेन-देनों की वित्तीय जोखिमों के आकलन तथा उचित जोखिम सीमाएं तय करने के लिए तैयार की गयी हैं. इनकी बैंक के जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा समय-समय पर विश्वसनीय एवं अद्यतन प्रबंधन सूचना प्रणालियों द्वारा निगरानी की जाती है तथा इस बारे में बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षतावाली निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति को अवगत कराया जाता है.

लेन-देनों की काउंटर पार्टियां, बैंक तथा कार्पोरेट प्रतिष्ठान हैं. अनुमोदित एक्सपोजर सीमाओं के अंतर्गत सौदे किए जाते हैं. डेरीवेटिव्स उत्पादों पर ऋण जोखिम आकलित करने के लिए बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मौजूदा एक्सपोजर पद्धति को अपनाया है, जिसके अनुसार बैंक कुल प्रतिस्थापन लागत का योग, (सभी संविदाओं को सकारात्मक मूल्य सहित मार्क-टू-मार्केट द्वारा प्राप्त करने अर्थात जब बैंक को काउंटर पार्टी से धन प्राप्त करना है) तथा ऋण जोखिम में भविष्य में होने वाले संभाव्य परिवर्तनों की राशि, जिसकी गणना संविदा की कुल कल्पित मूल राशि शेष परिपक्वता के अनुसार संबंधित ऋण रुपांतरण घटकों के साथ गुणा करके परिकलित की जाती है, निम्नानुसार है :-

#### (i) Qualitative Disclosure

Foreign exchange risk management & Gold, Derivative management policy of the bank lays down the types of financial derivative instruments, scope of usages, approval procedures and the limits like open position limits, stop loss limits and counter party exposure limits for undertaking derivative transaction. The bank uses financial derivative transactions for hedging, it's on or off balance sheet exposure as well as for market making .Basically, these products are used for hedging risk, reducing cost and increasing the yield in such transactions and for proprietary trading.

The types of risk to which the bank is exposed to are credit risk, market risk, country risk and operational risk, The Bank has risk management policies (approved by Board of Directors of the Bank), which is designed to measure the financial risks for transactions in the trading book on a regular basis, by way of MTM, Value at Risk (VaR) and PV01, and to set appropriate risk limits. These are monitored by means of reliable and up to date Management Information Systems by the Risk Management Department of the Bank from time to time who, in turn, appraises the risk profile to the Risk management Committee of Directors, which is presided over by the Bank's Managing Director.

The counter parties to the transactions are banks and corporate entities. The deals are done under approved exposure limits. The bank has adopted the current exposure method prescribed by Reserve Bank of India for measuring Credit Exposure on Derivative products as per which the bank sums the total replacement cost (obtained by mark to market of all its contracts with positive value i.e. when the bank has to receive money from the counter party) and an amount for potential future changes in credit exposure calculated on the basis of the total notional principal amount of the contract multiplied by the relevant credit conversion factors according to the residual maturity as detailed herein under:-

कनवर्ज़न फैक्टर कल्पित मूलधन राशि पर लागू किया जाएगा

Conversion factor to be applied on notional principal amount

| अवशिष्ट परिपक्वता | Residual Maturity | ब्याज दर संविदा Interest Rate Contract | | विनिमय दर संविदा Exchange Rate Contract | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | वि.व 2021 FY 2021 | वि.व 2020 FY 2020 | वि.व 2021 FY 2021 | वि.व 2020 FY 2020 |
| एक वर्ष से कम | Less than one year | 0.50% | 0.50% | 2.00% | 2.00% |
| एक वर्ष से पांच वर्ष | One year to Five Year | 1.00% | 1.00% | 10.00% | 10.00% |
| पांच वर्ष से अधिक | Over five years | 3.00% | 3.00% | 15.00% | 15.00% |

हेज तथा गैर–हेज (ट्रेडिंग) लेनदेनों को अलग से दर्ज किया जाता है. जहां यह मार्क–टू–मार्केट के अधीन नहीं है, हेजिंग डेरिवेटिव्स उपचय आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं. ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स पोजिशन (मार्क–टू–मार्केट) में लिया जाता है और परिणामस्वरूप लाभ एवं हानि खाते में यदि कोई हानि हो, हिसाब में लिया जाता है. लाभ, यदि कोई हो, नहीं माना जाता है. ब्याज दर स्वैप्स से संबंधित आय और व्यय निपटान की तारीख पर हिसाब में लिए जाते हैं. ट्रेडिंग स्वैप के समाप्त होने पर लाभ/हानि समाप्ति की तारीख पर आय/व्यय के रूप में दर्ज किए जाते हैं.

The hedge/non-hedge (market making) transactions are recorded separately. In cases where the underlying is not subject to mark to market the hedging derivatives are accounted for on an accrual basis. Trading derivative positions are marked-to-market (MTM) and the resulting losses, if any, are recognized in the Profit and Loss Account. Profit, if any is not recognized. Income and Expenditure relating to interest rate swaps are recognized on the settlement date. Gains/losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/expenditure.

### (ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण (ii) Quantitative Disclosures

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| क्र. सं S No | विवरण | Particular | 31 मार्च, 2021 तक As on March 31, 2021 | | 31 मार्च, 2020 तक As on March 31, 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | करेंसी डेरिवेटिव्स Currency Derivatives | ब्याज दर डेरिवेटिव्स Interest rate Derivatives | करेंसी डेरिवेटिव्स Currency Derivatives | ब्याज दर डेरिवेटिव्स Interest rate Derivatives |
| (i) | डेरीवेटिव्स (कल्पित मूल राशि) | Derivatives (Notional Principal Amount) | | | | |
| | ए) हेजिंग के लिए | a) For hedging | 7,871.19 | 45,922.85 | 635.89 | 36,435.65 |
| | बी) ट्रेडिंग के लिए | b) For trading | 4,987.39 | 21,176.42 | 115.53 | 15,574.12 |
| (ii) | मार्क्ड टू मार्केट स्थितियां | Marked to Market Positions | | | | |
| | ए) आस्ति (+) | a) Asset (+) | 200.27 | 664.62 | 42.80 | 773.16 |
| | बी) देयताएं (–) | b) Liability (-) | (102.74) | (787.33) | (1.19) | (1,154.64) |
| (iii) | ऋण जोखिम | Credit Exposure | 1,033.41 | 1,282.94 | 50.40 | 1,432.05 |
| (iv) | ब्याज दर में एक प्रतिशत होने वाले परिवर्तन का संभावित प्रभाव(100*पीवी01 ) | Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01 ) | | | | |
| | a) हेजिंग डेरिवेटिव पर | a) on hedging derivatives | -0.02 | 868.01 | -0.02 | 687.37 |
| | b) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर | b) on trading derivatives | 84.64 | 18.87 | 0.00 | 2.60 |
| (v) | वर्ष के दौरान पाये गए अधिकतम तथा न्यूनतम (100*पीवी01) | Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year | | | | |
| | ए) हेजिंग पर (घरेलू) | a) on hedging (Domestic) | 0&0 | 928.68 &783.85 | 0&0 | 789.64 &79.77 |
| | बी) ट्रेडिंग पर (घरेलू) | b) on trading (Domestic) | 114.01 & 42.11 | 24.43 & 0.01 | 7.27 & 0 | 55.83 &0.01 |
| | सी) हेजिंग पर (विदेशी) | c) on hedging (Overseas) | -0.02&-0.11 | 21.05 &-36.16 | 0.05&-0.06 | 14.81&-56.61 |
| | डी) ट्रेडिंग पर (विदेशी) | d) on trading (Overseas) | 0&0 | 0&0 | 0&0 | 0&0 |

निम्नलिखित खंड सामान्यतः बैंक द्वारा किए जाने वाले डेरिवेटिव लेनदेन की प्रकृति एवं शर्तों की रूपरेखा को प्रदर्शित करते हैं.

The following sections outline the nature and terms of the derivative transactions generally undertaken by the Bank.

**ब्याज दर अनुबंध**

Interest rate contracts

**फॉरवर्ड रेट करार** खरीदार को एक निर्दिष्ट भविष्य की तारीख (निपटान तारीख) पर शुरू होने वाली निर्दिष्ट अवधि के लिए ब्याज की अंतर्निहित दर निर्धारित करने की क्षमता प्रदान करते हैं. मूलधन का कोई आदान-प्रदान नहीं होता है और निपटान तारीख पर निपटान प्रभावी होता है. निपटान राशि अनुबंधित दर और निपटान तारीख पर प्रचलित बाजार दर के बीच का अंतर है.

Forward rate agreements give the buyer the ability to determine the underlying rate of interest for a specified period commencing on a specified future date (the settlement date). There is no exchange of principal and settlement is effected on the settlement date. The settlement amount is the difference between the contracted rate and the market rate prevailing on the settlement date.

**ब्याज दर स्वैप** में अंतर्निहित (या कल्पित) मूलधन का आदान-प्रदान किए बिना निर्दिष्ट अवधि के लिए काउंटरपार्टी के साथ ब्याज दायित्वों का आदान-प्रदान शामिल है.

Interest rate swaps involve the exchange of interest obligations with the counterparty for a specified period without exchanging the underlying (or notional) principal.

**ब्याज दर कैप एंड फ़्लोर्स** खरीदार को अधिकतम या न्यूनतम ब्याज दर तय करने की क्षमता प्रदान करते हैं. कोंट्रैक्ट का राइटर उस राशि का भुगतान करता है जिससे बाजार दर क्रमशः कैप रेट या फ़्लोर रेट से अधिक या कम होता है. ब्याज दर कैप्स और फ़्लोर का संयोजन ब्याज दर कॉलर, कैप स्प्रेड और फ़्लोर स्प्रेड जैसी संरचनाएं बना सकता है.

Interest rate caps and floors give the buyer the ability to fix the maximum or minimum rate of interest. The writer of the contract pays the amount by which the market rate exceeds or is less than the cap rate or the floor rate respectively. A combination of interest rate caps and floors can create structures such as interest rate collar, cap spreads and floor spreads.

**ब्याज दर वायदा** सौदे एक मानकीकृत ब्याज दर डेरिवेटिव कांट्रैक्ट हैं जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में कल्पित प्रतिभूति या अन्य किसी ब्याज के साथ वाले लिखत या इस तरह के लिखतों के इंडेक्स की खरीद या बिक्री करने या कोंट्रैक्ट के समय भविष्य की किसी तारीख के लिए निर्धारित ब्याज दरों पर ट्रेड करने से है.

Interest rate futures are standardised interest rate derivative contracts traded on a recognised stock exchange to buy or sell a notional security or any other interest bearing instrument or an index of such instruments or interest rates at a specified future date, at a price determined at the time of the contract.

**विनिमय दर अनुबंध**

Exchange rate contracts

**फॉरवर्ड विदेशी मुद्रा कॉन्ट्रैक्ट** भविष्य की तारीख पर विनिमय की सहमत दरों पर निश्चित मात्रा में मुद्रा खरीदने या बेचने के लिए करार है. इन लिखतों को फेडाई (एफईडीएआई) दरों या बाजार कोटेशन के आधार पर उचित मूल्य पर खरीदा /बेचा जाता है.

Forward foreign exchange contracts are agreements to buy or sell fixed amounts of currency at agreed rates of exchange on future date. These instruments are carried at fair value, determined based on either FEDAI rates or market quotations.

**क्रॉस करेंसी स्वैप** विभिन्न मुद्राओं के मूल्य वर्ग में मूलधन राशि का आदान-प्रदान करने के लिए करार हैं. क्रॉस करेंसी स्वैप में एक निर्दिष्ट अवधि के लिए किसी अन्य विनिर्दिष्ट मुद्रा में ब्याज भुगतान के लिए एक निर्दिष्ट मुद्रा पर ब्याज भुगतानों का आदान-प्रदान शामिल हो सकता है.

Cross currency swaps are agreements to exchange principal amounts denominated in different currencies. Cross currency swaps may also involve the exchange of interest payments on one specified currency for interest payments in another specified currency for a specified period.

**मुद्रा विकल्प (एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा विकल्पों सहित)** खरीददार को प्रीमियम के भुगतान पर निर्दिष्ट भविष्य की तारीख पर या उससे पहले एक्सचेंज की सहमत दरों पर मुद्रा की निश्चित मात्रा खरीदने या बेचने के लिए अधिकार, लेकिन दायित्व नहीं, देता है.

Currency options (including Exchange Traded Currency Option) give the buyer, on payment of a premium, the right but not an obligation, to buy or sell specified amounts of currency at agreed rates of exchange on or before a specified future date.

**मुद्रा वायदा अनुबंध** निर्दिष्ट मूल्य पर, भविष्य की एक निश्चित तारीख पर निश्चित अंतर्निहित परिसंपत्ति या लिखत खरीदने या बेचने के लिए किसी एक्सचेंज पर कारोबार किया जाने वाला एक मानकीकृत अनुबंध है. मुद्रा वायदा सौदे अनुबंध का अंतर्निहित लिखत विदेशी मुद्रा और भारतीय रुपये की एक इकाई के बीच विनिमय की दर है.

Currency futures contract is a standardized contract traded on an exchange, to buy or sell a certain underlying asset or an instrument at a certain date in the future, at a specified price. The underlying instrument of a currency future contract is the rate of exchange between one unit of foreign currency and the INR.

बैंक का डेरीवेटिव लेनदेन बिक्री और व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित है. बिक्री गतिविधियों में समय समय पर यथा लागू विनियामक फ्रेमवर्क के तहत ग्राहकों को डेरीवेटिव की स्ट्रक्चरिंग एवं मार्केटिंग भी शामिल है ताकि उनको अपने बाज़ार जोखिम (ब्याज दर एवं विनिमय जोखिम दोनों) को हेज करने में समर्थ बनाया जा सके. बैंक डेरीवेटिव में खुद के खाते ( व्यापार गतिविधि) से सौदा करता है जो मूल रूप से मूल्य आय में लघु अवधि में होने वाले उतार-चढ़ाव या अंतर्निहित अस्थिरता से लाभ जनरेट करना है. बैंक अपने दायित्वों या तुलन पत्र आस्तियों में अंतर्निहित जोखिम को हेज करने के लिए भी डेरीवेटिव में सौदा करता है.

The Bank's derivative transactions relate to sales and trading activities. Sale activities include the structuring and marketing of derivatives to customers to enable them to hedge their market risks (both interest rate and exchange risks), within the framework of regulations as applicable from time to time. The Bank deals in derivatives on its own account (trading activity) principally for the purpose of generating a profit from short term fluctuations in price yields or implied volatility. The Bank also deals in derivatives to hedge the risk embedded in some of its Balance Sheet assets or liabilities.

**डेरीवेटिव व्यवसाय में शामिल घटक**

Constituents involved in derivative business

ट्रेजरी फ्रंट-ऑफिस ग्राहकों और अंतर-बैंक प्रतिपक्षों के साथ डेरीवेटिव लेनदेन करता है. नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के पास एक स्वतंत्र बैक-ऑफिस और मिड-ऑफिस है.

The Treasury front-office enters into derivative transactions with customers and inter-bank counterparties. The Bank has an independent back-office and mid-office as per regulatory guidelines.

**प्रावधानीकरण, संपार्श्विक और ऋण जोखिम को कम करना**

Provisioning, collateral and credit risk mitigation

बैंक अपनी व्यापारिक रैंकिंग और वित्तीय स्थिति के आधार पर प्रतिपक्षों के साथ डेरीवेटिव लेनदेन करता है. बैंक एक्सपोजर के क्रिस्टलीकरण होने की स्थिति में अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिपक्ष की क्षमता का मूल्यांकन करने के उपरांत उचित सीमा निर्धारित करता है. उचित क्रेडिट प्रसंविदा जहां आवश्यक हो, निर्धारित की जाती हैं, ताकि जोखिम को समाहित करने के लिए संपार्श्विक की मांग की जा सके या लेनदेन को निरस्त किया जा सके.

The Bank enters into derivative transactions with counter parties based on their business ranking and financial position. The Bank sets up appropriate limits upon evaluating the ability of the counterparty to honor its obligations in the event of crystallization of the exposure. Appropriate credit covenants are stipulated where required, as trigger events to call for collaterals or terminate a transaction and contain the risk.

### ए.2.9.4 ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) A.2.9.4Credit Default Swaps (CDS)

मूल्यांकन प्रणाली- सीडीएस पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 23 मई 2011 के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को अपनी सीडीएस संविदाओं के मूल्यांकन हेतु एफ़आईएमएमडीए द्वारा प्रकाशित दैनिक सीडीएस कर्व अथवा इससे अधिक संरक्षित मूल्यांकन होने पर किसी अन्य स्वामित्व मॉडल का उपयोग करना आवश्यक है. अपनी सीडीएस स्थितियों के मूल्यांकन के लिए हमारा बैंक एफ़आईएमएमडीए कर्व का ही उपयोग करता है सीडीएस मूल्यांकन के लिए बैंक किसी आंतरिक स्वामित्व मॉडेल का उपयोग नहीं करता है. यद्यपि दिनांक 31 मार्च, 2021 को हमारे बैंक का कोई सीडीएस डील बकाया नहीं है.

Valuation Methodology- As per RBI guidelines on CDS dated 23rd May, 2011 the banks are required to value their CDS contracts by using daily CDS curve published by FIMMDA Or any other proprietary model if it results in a more conservative valuation. The Bank uses the FIMMDA curve for valuing CDS positions; the Bank does not use any internal proprietary model for CDS valuation. However, the Bank does not have any CDS deal outstanding as on 31st March 2021.

## ए-2.10 आस्ति गुणवत्ता A-2.10 Asset Quality

### ए-2.10.1 अनर्जक आस्तियां A-2.10.1 Non-Performing Assets

### ए. अनर्जक आस्तियों का संचलन A. Movement of NPAs

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| विवरण | Particulars | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2021 | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020 |
|---|---|---|---|
| सकल एनपीए (प्रारंभिक शेष) | Gross NPAs (Opening Balance) | 69,381.43 | 48,232.76 |
| पू.देना बैंक और पू.विजया बैंक के विलय के कारण जुड़े | Addition on Account of Merger of eDB and eVB | 0.00 | 21,691.24 |
| वर्ष के दौरान जुड़े (नए एनपीए)* | Additions during the year | 20,005.12 | 23,315.41 |
| उप-जोड़ (ए) | Sub-total (A) | 89,386.55 | 93,239.41 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| घटाएं:– | Less:- | | |
| (i) अपग्रेडेशन | (i) Up-gradations | 1,422.89 | 1,394.12 |
| (ii) वसूलियाँ (अपग्रेड किए गए खातों से हुई वसूलियों को छोड़कर) | (ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts) | 5,867.16 | 6,577.80 |
| (iii) बट्टे खाते डाली गयी राशि (विनिमय अंतर को शामिल करके) | (iii) Write-offs (including Exchange Differences) | 15,425.51 | 15,886.06 |
| उप योग (बी) | Sub-total (B) | 22,715.56 | 23,857.98 |
| **सकल एनपीए (अंतिम शेष) (ए–बी)** | Gross NPAs (Closing Balance) (A-B) | 66,670.99 | 69,381.43 |

बी. अनर्जक आस्तियां — B. Non-Performing Assets

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| विवरण | Particulars | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2021 | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020 |
|---|---|---|---|
| (i) निवल अग्रिमों में निवल एनपीए (%) | (i) Net NPAs to Net Advances (%) | 3.09% | 3.13% |
| (ii) एनपीए का संचलन (सकल) | (ii) Movement of NPAs (Gross) | | |
| (ए) प्रारंभिक शेष | (a) Opening balance | 69,381.43 | 48,232.76 |
| (बी) पू.देना बैंक और पू.विजया बैंक के विलय के कारण जुड़े | (b) Addition on Account of Merger of eDB and eVB | 0.00 | 21,691.24 |
| (सी) वर्ष के दौरान जुड़े | (c) Additions during the year | 20,005.12 | 23,315.41 |
| (डी) वर्ष के दौरान घटाए गए | (d) Reductions during the year | 22,715.56 | 23,857.98 |
| (ई) अंतिम शेष | (e) Closing balance | 66,670.99 | 69,381.43 |
| (iii) निवल एनपीए का संचलन | (iii) Movement of Net NPAs | | |
| (ए) प्रारंभिक शेष | (a) Opening balance | 21,576.60 | 15,609.50 |
| (बी) पू.देना बैंक और पू.विजया बैंक के विलय समामेलन के बाद जुड़े | (b) Addition on Account of Merger of eDB and eVB | 0.00 | 8,185.35 |
| (सी) वर्ष के दौरान जुड़े | (c) Additions during the year | 6,809.02 | 5,408.24 |
| (डी) वर्ष के दौरान घटाए गए | (d) Reductions during the year | 6,585.72 | 7,626.49 |
| (ई) अंतिम शेष | (e) Closing balance | 21,799.90 | 21,576.60 |
| (iv) एनपीए हेतु प्रावधान का संचलन (मानक आस्तियों हेतु प्रावधान को छोड़कर) | (iv) Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets) | | |
| (ए) अंतिम शेष | (a) Opening balance | 47,804.84 | 32,623.26 |
| (बी) पू.देना बैंक और पू.विजया बैंक एक समामेलन के बाद जुड़े | (b) Addition on Account of Merger of eDB and eVB | 0.00 | 13,505.90 |
| (सी) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान | (c) Provisions made during the year | 13,196.10 | 17,907.17 |
| (डी) वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान को बट्टा खाता डालना | (d) Technical/Prudential write off | 16,129.83 | 16,231.49 |
| (ई) अंतिम शेष | (e) Closing Balance | 44,871.11 | 47,804.84 |

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| विवरण | Particulars | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2021 | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020 |
|---|---|---|---|
| तकनीकी बट्टा खाता का संचलन | Movement of Technical Write offs | | |
| तकनीकी /विवेक सम्मत अपलिखित की गई राशियों का प्रारंभिक शेष | Opening Balance of Technical / Prudential written-off account | 46,186.56 | 24,987.68 |
| पू.देना बैंक और पू.विजया बैंक एक समामेलन के बाद जुड़े | Addition on Account of Merger of eDB and eVB | 0.00 | 11,910.89 |
| जोड़े: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकसम्मत बट्टा खाता राशि | Add : Technical / Prudential write-of during the year | 14,446.30 | 17,291.13 |
| उप योग (ए) | Sub Total (A) | 60,632.86 | 54,189.70 |
| घटाएं : वर्ष के दौरान तकनीकी /विवेक सम्मत बट्टा खाता राशियों की वसूली (बी) | Less : Recoveries made from previously technical / prudential written off accounts during the year (B) | 7,524.66 | 8,003.14 |
| अंतिम शेष (ए –बी) | Closing Balance (A-B) | 53,108.20 | 46,186.56 |

## सी. अनर्जक निवेश

## C. Non-Performing Investment

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| विवरण | Particulars | 31 मार्च 2021 को As on March 31, 2021 | 31 मार्च 2020 को As on March 31, 2020 |
|---|---|---|---|
| (i) निवल निवेशों में निवल एनपीआई (%) | (i) Net NPIs to Net Investment (%) | 0.17% | 0.07% |
| (ii) अनर्जक निवेशों का संचलन (सकल) | (ii) Movement of NPIs (Gross) | | |
| (ए) प्रारंभिक शेष | (a) Opening balance | 2,223.24 | 1,649.21 |
| (बी) पू.देना बैंक और पू.विजया बैंक के समामेलन उपरांत जुड़े | (b) Addition on Account of Merger of eDB and eVB | 0.00 | 602.41 |
| (सी) वर्ष के दौरान जुड़े | (c) Additions during the year | 1,293.41 | 425.10 |
| (डी) वर्ष के दौरान घटाए गए | (d) Reductions during the year | 248.04 | 453.48 |
| (ई) अंतिम शेष | (e) Closing balance | 3,268.61 | 2,223.24 |
| (iii) एनपीआई के प्रावधानों का संचलन | (iii) Movement of provisions for NPIs | | |
| (ए) प्रारंभिक शेष | (a) Opening balance | 2,038.97 | 1,484.53 |
| (बी) पू.देना बैंक और पू.विजया बैंक के समामेलन उपरांत जुड़े | (b) Addition on Account of Merger of eDB and eVB | 0.00 | 561.59 |
| (बी) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान | (c) Provisions made during the year | 1,077.41 | 412.63 |
| (सी) अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते डालना/पुनरांकन करना | (d) Write off/Write Back of Excess Provision | 281.50 | 419.78 |
| (डी) अंतिम शेष | (d) Closing balance | 2,834.88 | 2,038.97 |

डी. परिपक्व एनपीआई (अन्य आस्तियों की अनुसूची 11 में शामिल) D. Matured NPI (Included in Schedule 11 of other Assets

डी (ए) निवेश का मूल्य D (a) Value of Investments

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| विवरण | Particulars | 31 मार्च 2021 को As on March 31, 2021 | 31 मार्च 2020 को As on March 31, 2020 |
|---|---|---|---|
| (i) निवेश का सकल मूल्य | (i) Gross Value of Investments | | |
| (a) भारत में | (a) In India | 347.33 | 300.46 |
| (b) भारत से बाहर | (b) Outside India | 260.57 | 309.23 |
| (ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान | (ii) Provisions for Depreciation | | |
| (a) भारत में | (a) In India | 346.63 | 299.10 |
| (b) भारत से बाहर | (b) Outside India | 260.57 | 309.23 |
| (iii) निवेशों का निवल मूल्य | (iii) Net Value of Investments | | |
| (a) भारत में | (a) In India | 0.70 | 1.36 |
| (b) भारत से बाहर | (b) Outside India | 0.00 | 0.00 |

डी(बी). निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों का संचलन D (b). Movement of provisions held towards depreciation on investments

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| विवरण | Particulars | 31 मार्च 2021 को As on March 31, 2021 | 31 मार्च 2020 को As on March 31, 2020 |
|---|---|---|---|
| (i) प्रारम्भिक शेष | (i) Opening balance | 608.33 | 423.90 |
| (ii) जोड़े : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान | (ii) Add: Provisions made during the year | 47.53 | 184.43 |
| (iii) जोड़े /(घटाएं): विदेशी विनिमय पुनर्मूल्यांकन समायोजन | (iii) Add /(Less): Foreign Exchange revaluation adjustment | (48.66) | 0.00 |
| (iv) घटाएं : अतिरिक्त प्रावधानों का परांकन | (iv) Less: Write-back of excess provisions | 0.00 | 0.00 |
| (v) अंतिम शेष | (v) Closing balance | 607.20 | 608.33 |

ई. क्षेत्रवार एनपीए E. Sector-wise NPAs

| क्र सं. S No | क्षेत्र | Sector | क्षेत्र के कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत Percentage of NPAs to Total Advances in that sector | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 31 मार्च 2021 को As on March 31, 2021 | 31 मार्च 2020 को As on March 31, 2020 |
| 1 | कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां | Agriculture & allied activities | 8.41% | 10.08% |
| 2 | उद्योग (सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम एवं बड़े) | Industry (Micro & small, Medium and Large) | 12.24% | 16.74% |
| 3 | सेवाएं | Services | 9.21% | 10.22% |
| 4 | वैयक्तिक ऋण | Personal Loans | 3.57% | 3.22% |

## एफ़ विदेशी आस्तियां एनपीए तथा राजस्व : F. Overseas Assets, NPAs and Revenue :

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| विवरण | Particulars | 31 मार्च 2021 को As on March 31, 2021 | 31 मार्च 2020 को As on March 31, 2020 |
|---|---|---|---|
| कुल आस्तियां | Total Assets | 1,84,987.68 | 1,99,846.24 |
| कुल एनपीए | Total NPAs | 14,324.59 | 8,937.42 |
| कुल राजस्व | Total Revenue | 4,425.34 | 6,476.61 |

जी. भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र क्रमांक डीबीआर.बीपी.बीसी. संख्या 32/21.04.01/2018-19 दिनांक 01 अप्रैल 2019 में दर्शाए निर्देशानुसार आकस्मिक और या अथवा एनपीए के लिए किए गए अतिरिक्त प्रावधानों के पूर्व रिपोर्ट किए गए लाभ के 10% से अधिक होने पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मूल्यांकन के दौरान संदर्भित अवधि का कुल एनपीए वृद्धिशील सकल एनपीए के 15% से अधिक होने पर बैंकों द्वारा आय मान्यता परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानों से संबन्धित विवेकपूर्ण मानदंडों से अलग होने पर इसे दर्शाएँ जाने की आवश्यकता होती है. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों से विचलन उपर्युक्त निर्दिष्ट सीमा के भीतर इसलिए अतिरिक्त प्रकटीकरण की आवश्यकता लागू नहीं होती है.

G. As per RBI circular No. DBR.BP.BC.No.32/21.04.018/2018-19 dated April 1, 2019, in case the additional provisioning for NPAs assessed by RBI exceeds 10% of the reported profit before provisions and contingencies and/or additional Gross NPAs identified by RBI exceeds 15% of published incremental Gross NPAs for the reference period then banks are required to disclose divergences from prudential norms on income recognition, asset classification and provisioning. Divergence from prudential norms assessed by the RBI for the year ended 31st March, 2020 are within threshold limits specified above hence the need for additional disclosure does not apply.

## A-2.10.2 क्षेत्रवार अग्रिम A-2.10.2 Sector-wise advances

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| क्र सं. S. No | विवरण | 31 मार्च 2021 को As on March 31, 2021 | | | 31 मार्च 2020 को As on March 31, 2020 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances | सकल एनपीए Gross NPAs | % उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत % of Gross NPAs to Total Advances in that sector | बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances | सकल एनपीए Gross NPAs | % उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत % of Gross NPAs to Total Advances in that sector |
| ए A | **प्राथमिकता क्षेत्र** Priority Sector | | | | | | |
| 1 | कृषि एवं अनुषंगी गतिविधियां Agriculture and allied activities | 98,723.21 | 7,692.81 | 7.79 | 88,625.75 | 8,483.96 | 9.57 |
| 2 | प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत उधर हेतु पात्र औद्योगिक क्षेत्र को अग्रिम Advances to industries sector eligible as priority sector lending | 34,513.14 | 4,751.14 | 13.77 | 29,248.34 | 4,025.52 | 13.76 |
| 3 | सेवाएँ Services | 53,933.34 | 6,171.90 | 11.44 | 46,527.87 | 5,736.60 | 12.33 |
| 4 | वैयक्तिक ऋण Personal loans | 45,017.55 | 1,349.71 | 3.00 | 41,926.66 | 882.31 | 2.11 |

| क्र सं. S. No | विवरण | 31 मार्च 2021 को As on March 31, 2021 | | | 31 मार्च 2020 को As on March 31, 2020 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances | सकल एनपीए Gross NPAs | % उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत % of Gross NPAs to Total Advances in that sector | बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances | सकल एनपीए Gross NPAs | % उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत % of Gross NPAs to Total Advances in that sector |
| | **उप जोड़ (ए)** Sub – Total (A) | 2,32,187.24 | 19,965.56 | 8.60 | 2,06,328.62 | 19,128.39 | 9.27 |
| **बी** B | **गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र** Non-Priority Sector | | | | | | |
| 1 | कृषि एवं अनुषंगी गतिविधियां Agriculture and allied activities | 1,791.29 | 757.40 | 42.28 | 1,349.68 | 588.54 | 43.61 |
| 2 | उद्योग Industry | 1,08,540.74 | 12,756.14 | 11.75 | 1,15,785.72 | 20,249.21 | 17.49 |
| 3 | सेवाएँ Services | 1,62,541.17 | 13,761.59 | 8.47 | 1,67,598.44 | 16,154.77 | 9.64 |
| 4 | वैयक्तिक ऋण Personal loans | 1,36,015.90 | 5,105.71 | 3.75 | 1,19,985.98 | 4,323.09 | 3.60 |
| | उप जोड़ (बी) Sub – Total (B) | 4,08,889.10 | 32,380.84 | 7.92 | 4,04,719.82 | 41,315.61 | 10.21 |
| | अंतर्राष्ट्रीय (सी) International (C) | 1,10,513.82 | 14,324.58 | 12.96 | 1,27,050.58 | 8,937.43 | 7.03 |
| | **कुल (ए+बी+सी)** Total (A+B+C) | 7,51,590.16 | 66,670.98 | 8.87 | 7,38,099.02 | 69,381.43 | 9.40 |

### ए-2.10.3. प्रतिभूतिकरण /पुनर्गठन कंपनी अथवा आस्ति पुनर्गठन के लिए बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

### A-2.10.3. Details of financial assets sold to Securitization/ Reconstruction Company or Asset Reconstruction

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| क्रम सं. Sl. No | विवरण | Particulars | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2021 | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|
| (i) | खातों की संख्या | No. of accounts | Nil | Nil |
| (ii) | एससी/आरसी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों का नेट) | Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC | Nil | Nil |
| (iii) | कुल प्रतिफल | Aggregate consideration | Nil | Nil |
| (iv) | प्रारम्भिक वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल | Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years | Nil | Nil |
| (v) | निवल बही मूल्य पर सकल लाभ /हानि | Aggregate gain/(loss) over net book value | Nil | Nil |

### ए – 2.10.4 प्रतिभूति रसीदों में निवेश का ब्यौरा

### A – 2.10.4 Details of Investment in Security Receipts

31 मार्च 2021 को सुरक्षा प्राप्तियों के रूप में आयोजित निवेशों की अवधि में वृद्धि विवरण इस प्रकार है:

Details of ageing of investments held as Security Receipts as on March 31, 2021 are as follows:

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| क्र सं. Sr. No. | विवरण | Particulars | पिछले 5 वर्षो में जारी एसआर SRs issued within past 5 years | 5 से 8 वर्षो के मध्य जारी एसआर SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years | 8 वर्षो से अधिक के बाद जारी एसआर SRs issued more than 8 years ago |
|---|---|---|---|---|---|
| (i) | अंतर्निहित के रूप में बैंक द्वारा बिक्री किए गए एनपीए द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य (श्रेणी I एसआर) | Book Value of SRs backed by NPAs sold by the bank as underlying (Category I SR) | 313.66 | 942.51 | 51.74 |
| | (i) के पेटे प्रावधान | Provision held against (i) | 137.56 | 673.65 | 51.74 |
| (ii) | अंतर्निहित के रूप में अन्य बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं /गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बिक्री किए गए एनपीए द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य | Book Value of SRs backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non-banking financial companies as underlying (Category II SR) | 0.00 | 0.00 | 14.20 |
| | (ii) के पेटे प्रावधान | Provision held against (ii) | 0.00 | 0.00 | 14.20 |
| | **कुल (i) + (ii)** | Total (i) + (ii) | 313.33 | 942.51 | 65.94 |

31 मार्च 2020 को प्रतिभूति प्राप्तियों के रूप में आयोजित निवेशों की अवधि में वृद्धि इस प्रकार है.

Details of ageing of investments held as Security Receipts as on March 31, 2020 are as follows:

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| क्रम सं. Sl. No | विवरण | Particulars | पिछले 5 वर्षो में जारी एसआर SRs issued within past 5 years | 5 से 8 वर्षो के मध्य जारी एसआर SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years | 8 वर्षो से अधिक के बाद जारी एसआर SRs issued more than 8 years ago |
|---|---|---|---|---|---|
| (i) | अंतर्निहित के रूप में बैंक द्वारा बिक्री किए गए एनपीए द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य (श्रेणी I एसआर) | Book Value of SRs backed by NPAs sold by the bank as underlying (Category I SR) | 480.27 | 832.04 | 51.74 |
| | (i) के पेटे प्रावधान | Provision held against (i) | 45.76 | 625.15 | 51.74 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (ii) | अंतर्निहित के रूप में अन्य बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं /गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बिक्री किए गए एनपीए द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य | Book Value of SRs backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non-banking financial companies as underlying (Category II SR) | 0.00 | 0.00 | 14.20 |
| | (ii) के पेटे प्रावधान | Provision held against (ii) | 0.00 | 0.00 | 14.20 |
| | **कुल (i) + (ii)** | Total (i) + (ii) | 480.27 | 832.04 | 65.94 |

प्रतिभूति रसीदों में निवेशों के बही मूल्य का ब्यौरा
Details of Book Value of Investments in Security Receipts

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| विवरण | Particulars | 31 मार्च 2021 को As on March 31, 2021 | 31 मार्च 2020 को As on March 31, 2020 |
|---|---|---|---|
| (i) अंतर्निहित के रूप में बैंक द्वारा बिक्री किए गए एनपीए द्वारा समर्थित | (i) Backed by NPAs sold by the bank as underlying | 1,307.91 | 1,364.05 |
| (ii) अंतर्निहित के रूप में अन्य बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं /गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बिक्री किए गए एनपीए द्वारा समर्थित | (ii) Backed by NPAs sold by other banks / financial institutions/ non-banking financial companies as underlying | 14.20 | 14.20 |
| **कुल** | Total | 1,322.11 | 1,378.25 |

## ए-2.10.5 दिनांक 31.03.2021 (वि.व 2020-21) तक पुनर्गठित खातों का प्रकटीकरण
## A-2.10.5 Disclosure of Restructured Accounts as on 31.03.2021 (FY 2020-21)

(₹ करोड़ में / Amount in ₹ Cr)

| क्र. सं. S. No. | पुनर्गठन का प्रकार Type of Restructuring / आस्ति वर्गीकरण Assets Classification | | सीडीआर प्रक्रिया के अधीन Under CDR Mechanisam | | | | | एसएमई ऋण पुनर्गठन प्रक्रिया के अधीन Under SME Debt Restructuring Mechanism | | | | | अन्य Others | | | | | कुल Total | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | विवरण Details | | मानक Standard | अवमानक Sub-standard | संदिग्ध Doubtful | हानि Loss | कुल Total | मानक Standard | अवमानक Sub-standard | संदिग्ध Doubtful | हानि Loss | कुल otal | मानक Standard | अवमानक Sub-standard | संदिग्ध Doubtful | हानि Loss | कुल Total | मानक Standard | अवमानक Sub-standard | संदिग्ध Doubtful | हानि Loss | कुल Total |
| 1 | 01 अप्रैल, 2020 तक पुनर्गठित खाते Restructured Accounts as on April 01, 2020 | ऋणियों की संख्या No. of borrowers | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 | 3,4883 | 698 | 2361 | 1129 | 39071 | 2276 | 248 | 11100 | 1474 | 15,098 | 37,163 | 946 | 13,469 | 2603 | 54,181 |
| | | बकाया राशि ✽ Amount outstanding | 25.20 | 0.00 | 783.22 | 0.00 | 808.42 | 1,333.47 | 144.62 | 269.02 | 330.59 | 2,077.70 | 2,198.61 | 153.39 | 3,330.30 | 1,282.58 | 6,964.88 | 3,557.28 | 298.01 | 4,382.54 | 1,613.17 | 9,851.00 |
| | | उस पर प्रावधान✽✽ Provision thereon | 17.75 | 0.00 | 15.12 | 0.00 | 32.87 | 72.77 | 4.73 | 2.83 | 0.00 | 80.33 | 80.61 | 5.45 | 23.58 | 0.00 | 109.64 | 171.13 | 10.18 | 41.53 | 0.00 | 222.84 |
| 2 | पिछली अवधि के सापेक्ष शेष राशि में परिवर्धन सहित वर्ष के दौरान नए पुनर्गठन Fresh Restructuring during the year included additions in balances over the previous period | ऋणियों की संख्या No. of borrowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,3831 | 3863 | 169 | 242 | 88105 | 3927 | 222 | 26 | 27 | 4202 | 87,758 | 4085 | 195 | 269 | 92,307 |
| | | बकाया राशि Amount outstanding | 153.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.85 | 6,457.67 | 264.51 | 16.91 | 22.60 | 6,761.70 | 1,565.92 | 272.11 | 203.76 | 2.62 | 2,044.42 | 8,177.45 | 536.62 | 220.68 | 25.22 | 8,959.97 |
| | | उस पर प्रावधान Provision thereon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.22 | 9.20 | 0.64 | 0.00 | 282.06 | 19.85 | 0.78 | 9.37 | 0.00 | 30.01 | 292.07 | 9.98 | 10.02 | 0.00 | 312.08 |
| 3 | वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान पुनर्गठित मानक श्रेणी में अपग्रेडेशन Upgradation to restructured standard category during the FY 2020-21 | बकाया राशि No. of borrowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | -60 | -69 | -8 | 0.00 | 165 | -15 | -139 | -11 | 0 | 302 | -75 | -208 | -19 | 0.00 |
| | | उस पर प्रावधान Amount outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.63 | -10.07 | -2.40 | -0.16 | 0.00 | 440.76 | -30.05 | -410.51 | -0.20 | 0.00 | 453.40 | -40.13 | -412.92 | -0.36 | 0.00 |
| | | ऋणियों की संख्या Provision thereon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | पुनर्गठित मानक खाते जिसने अत्यधिक प्रावधानों को स्थगित कर दिया है और/या वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अत्यधिक जोखिम धारित किया है तथा इस कारण से अगले वित्तीय वर्ष के आरंभ से इन्हें पुनर्गठित मानक अग्रिमों में दर्शाना अपेक्षित नहीं है. Restructured standard advances which ceased to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY | बकाया राशि No. of borrowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -136 | 0 | 0.00 | 0.00 | -136 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | -63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -63.00 |
| | | उस पर प्रावधान Amount outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,568.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,568.76 | -285.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -285.59 | -1,854.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,854.34 |
| | | ऋणियों की संख्या Provision thereon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## ए-2.10.5 दिनांक 31.03.2021 (वि.व 2020-21) को पुनर्गठित खातों का प्रकटीकरण
## A-2.10.5 Disclosure of Restructured Accounts as on 31.03.2021 (FY 2020-21)

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| क्र. सं. S. No. | पुनर्गठन का प्रकार Type of Restructuring / आस्ति वर्गीकरण Assets Classification | | सीडीआर कार्यप्रणाली के अधीन Under CDR Mechanisam | | | | | एसएमई ऋण पुनर्गठन कार्यप्रणाली के अधीन Under SME Debt Restructuring Mechanism | | | | | अन्य Others | | | | | कुल Total | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | विवरण Details | | मानक Standard | अवमानक Sub-standard | संदिग्ध Doubtful | हानि Loss | कुल Total | मानक Standard | अवमानक Sub-standard | संदिग्ध Doubtful | हानि Loss | कुल otal | मानक Standard | अवमानक Sub-standard | संदिग्ध Doubtful | हानि Loss | कुल Total | मानक Standard | अवमानक Sub-standard | संदिग्ध Doubtful | हानि Loss | कुल Total |
| 5 | वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान पुनर्गठित खातों का डाउनग्रेडेशन Down gradation of restructured accounts during the FY 2020-21 | ऋणियों की संख्या No. of borrowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4366 | 90 | 3885 | 391 | 0 | -290 | 14 | 187 | 90 | 1 | -4656 | 104 | 4072 | 481 | 1 |
| | | बकाया राशि Amount outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -297.53 | 34.95 | 250.49 | 12.09 | 0.00 | -230.10 | 0.91 | 181.04 | 48.42 | 0.27 | -527.63 | 35.85 | 431.53 | 60.51 | 0.27 |
| | | उस पर प्रावधान Provision thereon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 6 | वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान पुनर्गठित खातों को बट्टे खाते डाला गया Write off of restructured accounts during the FY 2020-21 | ऋणियों की संख्या No. of borrowers | 2 | 0 | -4 | 0 | -2 | -1862 | -673 | 574 | 186 | -1775 | 1836 | -233 | -2345 | -75 | -817 | -24 | -906 | -1775 | 111 | -2594 |
| | | बकाया राशि Amount outstanding | -15.64 | 0.00 | -670.76 | 0.00 | -686.40 | -97.43 | -130.17 | 98.58 | 24.40 | -104.63 | -81.93 | -123.25 | -1,260.04 | -41.63 | -1,506.85 | -195.00 | -253.42 | -1,832.23 | -17.23 | -2,297.88 |
| | | उस पर प्रावधान Provision thereon | -6.05 | 0.00 | -15.11 | 0.00 | -21.16 | -12.52 | -3.83 | 13.10 | 0.00 | -3.25 | -26.07 | -5.43 | 4.28 | 0.00 | -27.22 | -44.64 | -9.25 | 2.27 | 0.00 | -51.63 |
| 7 | 31मार्च, 2021 तक पुनर्गठित खाते Restructured accounts as on March 31, 2021 | ऋणियों की संख्या No. of borrowers | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | 11,2487 | 3918 | 6920 | 1940 | 1,25,265 | 7987 | 236 | 8829 | 1505 | 18,557 | 1,20,480 | 4154 | 1,5753 | 3445 | 14,3832 |
| | | बकाया राशि Amount outstanding | 163.42 | 0.00 | 112.46 | 0.00 | 275.87 | 5,840.06 | 303.83 | 632.60 | 389.52 | 7,166.01 | 3,607.68 | 273.11 | 2,044.55 | 1,291.80 | 7,217.14 | 9,611.15 | 576.94 | 2,789.60 | 1,681.32 | 14,659.02 |
| | | उस पर प्रावधान Provision thereon | 11.70 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 11.71 | 332.47 | 10.10 | 16.57 | 0.00 | 359.14 | 74.37 | 0.81 | 37.23 | 0.00 | 112.41 | 418.54 | 10.91 | 53.81 | 0.00 | 483.26 |

## ए-2.10.6 दिनांक 31.03.2020 (वि.व 2019-20) को पुनर्गठित खातों का प्रकटीकरण A-2.10.6 Disclosure of Restructured Accounts as on 31.03.2020 (FY 2019-20)

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| क्र. सं S. No. | पुनर्गठन का प्रकार Type of Restructuring / आस्ति वर्गीकरण Assets Classification / विवरण Details | | सीडीआर कार्यप्रणाली के अधीन Under CDR Mechanism | | | | | एसएमई ऋण पुनर्गठन कार्यप्रणाली के अधीन Under SME Debt Restructuring Mechanism | | | | | अन्य Others | | | | | कुल Total | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | मानक Standard | अवमानक Sub-standard | संदिग्ध Doubtful | हानि Loss | कुल Total | मानक Standard | अवमानक Sub-standard | संदिग्ध Doubtful | हानि Loss | कुल Total | मानक Standard | अवमानक Sub-standard | संदिग्ध Doubtful | हानि Loss | कुल Total | मानक Standard | अवमानक Sub-standard | संदिग्ध Doubtful | हानि Loss | कुल Total |
| 1 | 01 अप्रैल, 2019 तक पुनर्गठित खाते Restructured Accounts as on April 01, 2019 | ऋणियों की संख्या No. of borrowers | 5 | 3 | 17 | 0 | 25 | 6,735 | 107 | 1,822 | 1504 | 10,168 | 2710 | 567 | 15,753 | 2347 | 21377 | 9450 | 677 | 17,592 | 3,851 | 31,570 |
| | | बकाया राशि Amount outstanding* | 88.07 | 52.15 | 1,973.68 | 0.00 | 2,113.9 | 236.03 | 8.05 | 336.01 | 226.74 | 806.83 | 4,550.34 | 322.13 | 9,551.59 | 1,393.97 | 15,818.03 | 4,874.44 | 382.33 | 11,861.28 | 1,620.71 | 18,738.76 |
| | | उस पर प्रावधान Provision thereon** | 37.71 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 39.73 | 18.07 | 0.29 | 1.51 | 0.00 | 19.87 | 221.51 | 4.02 | 17.00 | 0.00 | 242.53 | 277.29 | 6.33 | 18.51 | 0.00 | 302.13 |
| 2 | वर्ष के दौरान नए पुनर्गठन Fresh Restructuring during the year | ऋणियों की संख्या No. of borrowers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,079 | 624 | 56 | 81 | 31840 | 1297 | 49 | 11 | 5 | 1362 | 32376 | 673 | 67 | 86 | 33202 |
| | | बकाया राशि Amount outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,416.16 | 116.07 | 4.48 | 18.34 | 1,555.05 | 517.11 | 38.22 | 647.07 | 85.05 | 1,287.45 | 1,933.27 | 154.29 | 651.55 | 103.39 | 2,842.50 |
| | | उस पर प्रावधान Provision thereon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.33 | 3.61 | 0.20 | 0.00 | 66.14 | 5.56 | 4.76 | 0.02 | 0.00 | 10.34 | 67.89 | 8.37 | 0.22 | 0.00 | 76.48 |
| 3 | वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान पुनर्गठित मानक श्रेणी में अपग्रेडेशन Upgradation to restructured standard category during the FY 2019-20 | ऋणियों की संख्या No. of borrowers | 1.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 57 | -31 | -21 | -5 | 0 | 263 | -24 | -231 | -8 | 0 | 321 | -55 | -253 | -13 | 0.00 |
| | | बकाया राशि Amount outstanding | 19.08 | 0.00 | -19.08 | 0.00 | 0.00 | 4.03 | -2.11 | -1.92 | 0.00 | 0.00 | 20.18 | -16.46 | -3.69 | -0.03 | 0.00 | 43.29 | -18.57 | -24.69 | -0.03 | 0.00 |
| | | उस पर प्रावधान Provision thereon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | पुनर्गठित मानक खाते जिसने अत्यधिक प्रावधानों को स्थगित कर दिया है और/या वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अत्यधिक जोखिम धारित किया है तथा इस कारण से अगले वित्तीय वर्ष के आरंभ से इन्हें पुनर्गठित मानक अग्रिमों में दर्शाना अपेक्षित नहीं है. Restructured standard advances which ceased to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY | ऋणियों की संख्या No. of borrowers | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -26 | 0 | 0 | 0 | -26 | -684 | 0 | 0 | 0 | -684.00 | -709 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -709 |
| | | बकाया राशि Amount outstanding | 559.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 559.39 | -187.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -187.63 | 81.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.81 | 453.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 453.57 |
| | | उस पर प्रावधान Provision thereon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## ए-2.10.6 दिनांक 31.03.2020 (वि.व 2019-20) को पुनर्गठित खातों का प्रकटीकरण A-2.10.6 Disclosure of Restructured Accounts as on 31.03.2020 (FY 2019-20)

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| क्र. सं S. No. | पुनर्गठन का प्रकार Type of Restructuring / आस्ति वर्गीकरण Assets Classification | | सीडीआर कार्यप्रणाली के अधीन Under CDR Mechanism | | | | | एसएमई ऋण पुनर्गठन कार्यप्रणाली के अधीन Under SME Debt Restructuring Mechanism | | | | | अन्य Others | | | | | कुल Total | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | विवरण Details | | मानक Standard | अवमानक Sub-standard | संदिग्ध Doubtful | हानि Loss | कुल Total | मानक Standard | अवमानक Sub-standard | संदिग्ध Doubtful | हानि Loss | कुल Total | मानक Standard | अवमानक Sub-standard | संदिग्ध Doubtful | हानि Loss | कुल Total | मानक Standard | अवमानक Sub-standard | संदिग्ध Doubtful | हानि Loss | कुल Total |
| 5 | वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान पुनर्गठित खातों का डाउनग्रेडेशन Down gradation of restructured accounts during the FY 2019-20 | ऋणियों की संख्या No. of borrowers | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1,534 | 114 | 1283 | 137 | 0 | -478 | 205 | 214 | 59 | 0 | -2014 | 319.00 | 1,499.00 | 196.00 | 0.00 |
| | | बकाया राशि Amount outstanding | -603.81 | 0.00 | 603.81 | 0.00 | 0.00 | -89.06 | 34.78 | 47.86 | 6.42 | 0.00 | -519.03 | 141.12 | 376.43 | 1.47 | -0.01 | -1,211.90 | 175.90 | 1,028.10 | 7.89 | -0.01 |
| | | उस पर प्रावधान Provision thereon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान पुनर्गठित खातों को बट्टे खाते डाला गया Write off of restructured accounts during the FY 2019-20 | ऋणियों की संख्या No. of borrowers | -1 | -3 | -10 | 0 | -14 | -1428 | -116 | -779 | -588 | -2911 | -832 | -549 | -4647 | -929 | -6957 | -2261 | -668 | -5,436 | -1517 | -9,882 |
| | | बकाया राशि Amount outstanding | -37.53 | -52.15 | -1,775.19 | 0.00 | -1,864.87 | -46.06 | -12.17 | -117.41 | 79.09 | -96.55 | -2,451.80 | -331.62 | -7,241.10 | -197.88 | -10,222.40 | -2,535.39 | -395.94 | -9,133.70 | -118.79 | -12,183.82 |
| | | उस पर प्रावधान Provision thereon | -19.96 | -2.02 | 15.12 | 0.00 | -6.86 | -7.63 | 0.83 | 1.12 | 0.00 | -5.68 | -146.47 | -3.33 | 6.57 | 0.00 | -143.23 | -174.06 | -4.52 | 22.81 | 0.00 | -155.77 |
| 7 | 31 मार्च, 2020 को पुनर्गठित खाते Restructured accounts as on March 31, 2020 | ऋणियों की संख्या No. of borrowers | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 | 34,883 | 698 | 2361 | 1129 | 3,9071 | 2276 | 248 | 11100 | 1474 | 15098 | 37163 | 946 | 13,469 | 2603 | 54181 |
| | | बकाया राशि Amount outstanding | 25.20 | 0.00 | 783.22 | 0.00 | 808.42 | 1,333.47 | 144.62 | 269.02 | 330.59 | 2,077.7 | 2,198.61 | 153.39 | 3,330.30 | 1,282.58 | 6,964.88 | 3,557.28 | 298.01 | 4,382.54 | 1613.17 | 9,851.00 |
| | | उस पर प्रावधान Provision thereon | 17.75 | 0.00 | 15.12 | 0.00 | 32.87 | 72.77 | 4.73 | 2.83 | 0 | 80.33 | 80.61 | 5.45 | 23.58 | 0.00 | 109.64 | 171.13 | 10.18 | 41.53 | 0.00 | 222.84 |

*कुल बकाया राशि में पूर्ववर्ती विजया बैंक की ₹ 708.80 करोड़ तथा पूर्ववर्ती देना बैंक की ₹3561.16 करोड़ की प्रारंभिक शेष राशि शामिल हैं.

*Total amount outstanding includes opening balance of eVijaya amounting to ₹ 708.80 crores and eDena Bank amounting to ₹ 3561.16 crores.

**कुल प्रावधानों में पूर्ववर्ती विजया बैंक की ₹ 14.92 करोड़ तथा पूर्ववर्ती देना बैंक की ₹ 20.92 करोड़ की प्रारंभिक शेष राशि शामिल हैं.

**Total Provisions includes opening balance of eVijaya amounting to ₹ 14.92 crores and eDena Bank amounting to ₹ 20.92 crores.

## ए.-2.10.7. खरीदी गई/ बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

## A-2.10.7. Details of non-performing financial assets purchased/sold

### ए. खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण :

### A. Details of non-performing financial assets purchased:

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| विवरण | | | Particulars | | | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (ए) | वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या | 1. | (a) | No. of accounts purchased during the year | शून्य/Nil | शून्य/Nil |
| | (बी) | समग्र बकाया | | (b) | Aggregate outstanding | शून्य/Nil | शून्य/Nil |
| 2. | (ए) | इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों की संख्या | 2. | (a) | Of these, number of accounts restructured during the year | शून्य/Nil | शून्य/Nil |
| | (बी) | समग्र बकाया | | (b) | Aggregate outstanding | शून्य/Nil | शून्य/Nil |

### बी. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के विवरण :

### B. Details of non-performing financial assets sold:

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| विवरण | | Particulars | | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बेचे गए खातों की संख्या | 1. | No. of accounts sold | 25 | 35 |
| 2. | समग्र बकाया | 2. | Aggregate outstanding | 1,150.93 | 2,722.23 |
| 3. | समग्र प्राप्त प्रतिफल | 3. | Aggregate consideration received | 459.90 | 910.81 |

### सी. प्रतिभूतिकरण कंपनियों को बेचे गए अनर्जक खाते

### C. Non Performing Accounts sold to Securitization Companies

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| Particulars | एनपीए के कारण बैंक द्वारा बिक्री की गई अंतर्निहित आस्तियां Backed by NPA sold by the Bank as underlying | | एनपीए के कारण अन्य बैंकों/ वित्तीय/ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बिक्री की गई अंतर्निहित आस्तियां Backed by NPAs sold by Other banks/ financial / non-banking financial companies underlying | | कुल Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020 | 31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020 | 31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020 |
| प्रतिभूति रसीदों में निवेश का बही मूल्य Book Value of Investment in Security Receipts | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## ए- 2.10.8. (i) मानक आस्तियों पर प्रावधान

## A-2.10.8.(i) Provisions on Standard Assets

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| विवरण | Particulars | 31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020 |
|---|---|---|---|
| भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए प्रावधान | Provisions towards Standard Assets as per RBI norms | 9,607.90 | 7,403.64 |

सतत प्रक्रिया के रूप में बैंक ने 15% की न्यूनतम विनियामक आवश्यकता के सापेक्ष प्रतिभूत उप-मानक अग्रिमों पर 20% का प्रावधान करना जारी रखा है. उपर्युक्त के अलावा बैंक ने उधारकर्ता की निधि-आधारित सुविधा के आस्ति वर्गीकरण के आधार पर 50% ऋण रूपांतरण कारक (सीसीएफ़) को लागू कर एनपीए उधरकर्ताओं की गैर-निधि आधारित सुविधाओं पर प्रावधान करना जारी रखा है. बैंक ने अनर्जक रिटेल अग्रिमों की कुछ श्रेणियों के लिए 100% प्रावधान करना जारी रखा है.

As a consistent practice, the Bank has continued to make a provision of 20% on the Secured Sub-standard Advances as against the regulatory minimum requirement of 15%. In addition to the above, the Bank has also continued to maintain provision on non-fund based facilities of NPA borrowers, by applying 50% credit conversion factor (CCF), based on the asset class of the fund-based facility of the borrower. Bank also continues to make 100% provision on certain class of non-performing retail advances.

(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीबीआर.नं.बीपी.बी सी.45/21.04.048/2018-19 दिनांक 07 जून, 2019 के अनुसार वर्ष के दौरान कार्यान्वित निपटान योजनाओं से संबंधित प्रकटीकरण:

(ii) Disclosure relating to Resolution Plans implemented during the year in terms of RBI Circular DBR.No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated June 7, 2019:

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| विवरण | Particulars | खातों की संख्या जहां इस समय सीमा के दौरान आरपी कार्यान्वित किए गए No of Accounts where RPs Implemented during this time frame | | को शेष बकाया राशि Amount Outstanding as on | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | वि.व 2021 FY2021 | वि.व 2020 FY2020 | वि.व 2021 FY2021 | वि.व 2020 FY2020 |
| पुनर्गठन के अधीन ऋण आस्तियों की कुल राशि | Total amount of Loan assets subjected to restructuring | 2 | 5 | 379.27 | 472.43 |
| पुनर्गठन के अधीन मानक आस्तियों की राशि | The amount of standard assets subjected to restructuring | 0 | 2 | 0.00 | 387.58 |
| पुनर्गठन के अधीन एनपीए आस्तियों की राशि | The amount of NPA assets subjected to restructuring | 2 | 3 | 379.27 | 84.85 |

साथ ही, भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीआर.नं.बीपी.बीसी.62/61.04.048/2019-20 दिनांक 17 अप्रैल 2020 के अनुसार बैंक ने 2 खातों की निपटान अवधि को बढ़ाया है और ऐसे मामलों में 31 मार्च, 2021 को बकाया राशि ₹ 259.40 करोड़ है और बैंक के पास इन खातों के लिए ₹ 51.88 करोड़ का प्रावधान है.

Further, In terms of RBI circular No DBR.NO.BP.BC.62/61.04.048/2019-20 dated 17th April 2020 Bank has extended resolution period in 2 accounts and the outstanding in such cases as on March 31, 2021 is ₹ 259.40 Crores and Bank holds provision of ₹ 51.88 Crores on these accounts.

(iii) पत्र सं. 10655/21.04.048/2018-19 दिनांक 21.06.2019 के माध्यम से जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्रा. लि. (डीएएमईपीएल) के संबंध में प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

(iii) As per Directions of RBI vide letter no 10655/21.04.048/2018-19 dated 21.06.2019 disclosure with respect to Delhi Airport Metro Express Pvt. Ltd. (DAMEPL) as under: (Amount in ₹ Cr)

| विवरण | Particulars | आईआरएसी मानदंडों के अनुसार एनपीए के रूप में शामिल नहीं की गई राशि Amount not treated as NPA as per IRAC Norms | आईआरएसी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान Provision required as per IRAC Norms | किए गए वास्तविक प्रावधान Provision actually made |
|---|---|---|---|---|
| मूलधन | Principal | 164.00 | 41.00 | 41.00 |
| ब्याज | Interest | 69.94 | 69.94 | 69.94 |
| कुल | Total | 233.94 | 110.94 | 110.94 |

इसके अलावा, चार अन्य खाते हैं जिन्हें न्यायालय के आदेशों के अनुसार मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें कुल बकाया ₹ 3,133.28 करोड़ है, जिसके लिए बैंक ने आईआरएसी मानदंडों के अनुसार अप्राप्त ब्याज के प्रावधान सहित ₹ 1,568.97 करोड़ का प्रावधान किया है.

Further in addition there are four other accounts which are classified as Standard as per Court orders, with aggregate outstanding of ₹ 3,133.28 Crores against which Bank is holding provision of ₹ 1,568.97 Crores as per IRAC norms, including provision for unrealized interest.

### ए-2.10.9 जमाओं, अग्रिमों, एक्सपोजरों और एनपीए का संकेन्द्रण

### A-2.10.9. Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| | विवरण | | Particulars | 31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| (ए) | जमाराशियों का संकेंद्रण | (a) | Concentration of Deposits | | |
| | बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां | | Total Deposits of twenty largest depositors | 43,496.81 | 40,534.97 |
| | बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत | | Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank | 4.50% | 4.28% |
| (बी) | अग्रिमों का संकेंद्रण | (b) | Concentration of Advances | | |
| | बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं को दिया गया कुल अग्रिम | | Total Advances to twenty largest borrowers | 85,635.41 | 78,860.68 |
| | बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं को दिए गए अग्रिम का प्रतिशत | | Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the bank | 11.39% | 10.68% |
| (सी) | एक्सपोजर का संकेन्द्रण | (c) | Concentration of Exposures | | |
| | बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं / ग्राहकों के लिए कुल एक्सपोजर | | Total Exposure to twenty largest borrowers/customers | 1,64,806.09 | 1,39,245.56 |
| | ऋणकर्ताओं/ ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर के लिए बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं/ ग्राहकों के एक्सपोज़र का प्रतिशत | | Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers | 14.28% | 13.19% |
| (डी) | एनपीए का संकेंद्रण | (d) | Concentration of NPAs | | |
| | शीर्ष चार एनपीए खातों के लिए कुल एक्सपोजर | | Total Exposure to top four NPA accounts | 8,270.73 | 8,383.37 |
| (ई) | प्रावधान कवरेज अनुपात (सकल एनपीए पर पीसीआर) | (e) | Provision Coverage Ratio (PCR on Gross NPA) | 81.80% | 81.33% |

## ए-2.10.10 इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर / A-2.10.10. Intra Group Exposures

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| विवरण | Particulars | 31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021 | | | 31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | निधि आधारित Fund Based | निवेश आधारित Investment Based | कुल Total | निधि आधारित Fund Based | निवेश आधारित Investment Based | कुल Total |
| इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि | Total Amount of Intra Group Exposures | 5,235.61 | 499.17 | 5,734.78 | 1,503.14 | 537.22 | 2,040.36 |
| शीर्ष 20 इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि | Total amount of Top 20 Intra Group Exposures | 5,235.61 | 499.17 | 5,734.78 | 1,503.14 | 537.22 | 2,040.36 |
| ऋणकर्ताओं/ ग्राहकों को दिए गए बैंक के कुल एक्सपोजर में इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र का प्रतिशत | Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers / customers | 0.46 | 0.04 | 0.50 | 0.14 | 0.05 | 0.19 |
| इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर की सीमाओं के उल्लंघन का विवरण और उसपर की गई विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो | Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any | - | - | - | - | - | - |

## ए-2.11 व्यावसायिक अनुपात / A-2.11 Business Ratios

| विवरण | Particulars | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2020 |
|---|---|---|---|
| औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय[1] | Interest Income as a percentage to Average Working Funds[1] | 5.34% | 5.92% |
| कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में निवल ब्याज आय | Net interest income as a percentage to working funds | 2.18% | 2.14% |
| औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय | Non-interest income as a Percentage to Average Working Funds | 0.94% | 0.80% |
| औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ | Operating Profit as a percentage to Average Working Funds | 1.56% | 1.47%* |
| आस्तियों पर रिटर्न[2] | Return on Assets[2] | 0.07% | 0.06% |
| प्रति कर्मचारी कारोबार[3] (मूल जमाराशि प्लस निवल अग्रिम) (₹ करोड़ में) | Business[3] (Core Deposits plus Net Advances) per employee (₹ in Crores) | 19.57 | 18.77 |
| प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़ में) | Net Profit per employee (₹ in Crores) | 0.01 | 0.01 |
| सकल अग्रिमों के प्रति सकल अनर्जक अग्रिम | Gross non-performing advances to gross advances | 8.87% | 9.40% |
| निवल अग्रिमों के प्रति निवल अनर्जक अग्रिम | Net Non Performing advances to net advances | 3.09% | 3.13% |
| प्रावधान कवरेज अनुपात (टीडब्ल्यूओ/ अस्थायी प्रावधान सहित) | Provision coverage ratio(Including TWO/Floating provision) | 81.80% | 81.33% |
| प्रावधान कवरेज अनुपात (टीडब्ल्यूओ के अलावा) | Provision coverage ratio (Excluding TWO) | 67.30% | 68.90% |

*पी एण्ड एल में कुछ मदों की रीग्रुपिंग के कारण रिपोर्ट किए गए अनुपात को 1.54 से संशोधित कर 1.47 किया गया है.

*The Reported ratio has been revised from 1.54 to 1.47 on account of regrouping of certain items in P & L.

## व्यापार अनुपात/ सूचना से संबंधित कुछ मदों की परिभाषाएं:

1. वित्तीय वर्ष के 12 महीनों के दौरान बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 27 के तहत फॉर्म X में भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित किया गया है कि कार्यशील निधियों की कुल आस्तियों (संचित हानि, यदि कोई हो को छोड़कर) के औसत के रूप में गणना की गई है.
2. आस्तियों पर रिटर्न औसत कार्यशील निधियों (अर्थात संचित हानि को छोड़कर कुल आस्तियां, यदि कोई हो) के संदर्भ में होगा.
3. प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशि प्लस अग्रिम) की गणना के उद्देश्य से अंतर बैंक जमाराशियों को शामिल नहीं किया गया है.

## Definitions of certain items in Business ratios / information:

1. Working funds reckoned as average of Total Assets (Excluding accumulated losses, if any) as reported to Reserve Bank of India in Form X under section 27 of The Banking Regulations Act, 1949, during the 12 months of the Financial Year.
2. Return on Assets would be with reference to average working funds (i.e. total of assets excluding accumulated losses, if any).
3. For the purpose of computation of Business per Employee (Deposit plus Advances) inter Bank Deposits are excluded.

## ए-2.12 आस्तियों और देयताओं का प्रबंधन

आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता स्वरुप

## A-2.12 Asset Liability Management

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| 31.03.2021 को | | एक दिन | 2-7 दिन | 8-14 दिन | 15-30 दिन | 31 दिन - 2 माह | 2 माह से अधिक- 3 माह | 3 माह से अधिक - 6 माह तक | 6 माह से अधिक - 12 माह तक | 1 वर्ष से अधिक - 3 वर्ष तक | 3 वर्ष से अधिक - 5 वर्ष तक | 5 वर्ष से अधिक | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As on 31.03.2021 | | 1 day | 2-7 Days | 8-14 Days | 15-30 Days | 31 Days - 2 Months | Over 2 M - 3 Months | Over 3 M - Up To 6M | Over 6 M -Up to 12 M | Over 1 Yr - UpTo 3 Yr | Over 3 Yr– Upto 5 Yr | Over 5 Yr | Total |
| जमाराशियाँ | Deposits | 15,852.79 | 33,566.64 | 23,196.59 | 32,853.00 | 37,821.81 | 36,591.25 | 64,940.25 | 1,14,939.65 | 2,70,930.51 | 57,978.02 | 2,78,326.41 | 9,66,996.93 |
| | | (10,059.16) | (22,878.78) | (20,310.77) | (21,294.24) | (43,059.77) | (54,768.07) | (60,730.30) | (1,36,416.54) | (2,59,144.44) | (56,320.19) | (2,61,002.16) | (9,45,984.43) |
| अग्रिम* | Advances* | 11,174.80 | 10,419.14 | 22,931.81 | 8,677.99 | 9,866.28 | 15,224.25 | 26,138.11 | 38,915.98 | 3,67,477.27 | 81,893.58 | 1,13,581.30 | 7,06,300.51 |
| | | (16,147.77) | (2,892.21) | (2,825.02) | (5,452.35) | (10,530.72) | (35,972.46) | (3,7712.45) | (44,757.17) | (3,37,150.69) | (1,02,954.93) | (93,724.96) | (6,90,120.73) |
| निवेश | Investments | 41,842.37 | 2,289.55 | 725.11 | 1,470.43 | 2,751.23 | 1,769.57 | 3,761.25 | 9,471.84 | 45,818.38 | 72,135.20 | 79,185.34 | 2,61,220.27 |
| | | (65,229.36) | (1,956.78) | (1,033.41) | (2,312.41) | (2,176.43) | (1,565.14) | (7,268.31) | (8,442.63) | (30,279.14) | (48,298.35) | (1,06,052.65) | (27,4614.61) |
| उधार | Borrowings | 55.98 | 28,357.46 | 53.93 | 0.00 | 89.33 | 324.30 | 420.85 | 5,945.37 | 16,418.77 | 12,248.23 | 2,933.70 | 66,847.93 |
| | | (614.31) | (2,471.28) | (35,190.90) | (2,331.25) | (604.64) | (2,132.25) | (2,466.96) | (5,036.53) | (2,3251.92) | (14,462.68) | (4,506.29) | (93,069.01) |
| विदेशी मुद्रा आस्तियां | Foreign Currency assets | 52,726.84 | 3,845.68 | 6,881.99 | 7,433.54 | 12,961.16 | 10,066.17 | 17,336.49 | 12,851.16 | 44,537.36 | 16,194.68 | 12,434.25 | 1,97,269.33 |
| | | (44,554.54) | (7,758.06) | (6,142.34) | (14,021.99) | (18,688.50) | (16,021.06) | (21,074.66) | (22,329.53) | (32,407.06) | (19,744.58) | (14,249.15) | (2,16,991.47) |
| विदेशी मुद्रा दायित्व | Foreign Currency liabilities | 8,355.37 | 9,576.34 | 3,880.85 | 12,562.06 | 6,225.06 | 6,709.83 | 14,563.72 | 18,295.40 | 34,935.19 | 10,357.87 | 14,215.13 | 1,39,676.80 |
| | | (9,016.32) | (13,390.30) | (5,485.21) | (11,716.37) | (16,411.26) | (14,525.78) | (21,510.73) | (35,263.61) | (20,504.04) | (15,482.19) | (13,775.49) | (1,77,081.28) |

_ कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़े हैं.
Figures in bracket denote previous year numbers

_ आस्तियों एवं देयताओं का वितरण बैंक के ''समूह आस्ति देयता प्रबंधन नीति 2020" के अनुसार किया गया है.
The distribution of Assets and Liabilities has been done as per the "Group Asset Liability Management Policy 2020" of the Bank.

* निवल अग्रिमों की गणना करते समय प्रावधानों एवं अन्य कटौतियों का विभाजन सकल मानक अग्रिमों के अनुपात में किया गया है.

* The Distribution of provisions and other deductions, while arriving at the net advances, has been done in proportion to the gross Standard Advances.

## ए-2.13 एक्सपोजर
## A-2.13 Exposure

### ए-2.13.1 रीयल एस्टेट क्षेत्र में एक्सपोजर
### A-2.13.1 Exposure to Real Estate Sector

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| श्रेणी | Category | 31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020 |
|---|---|---|---|
| ए) प्रत्यक्ष एक्सपोजर | a) Direct exposure | 1,07,992.04 | 1,01,870.03 |
| (i) आवासीय बंधक – | (i) Residential Mortgages – | 90,792.07 | 85,720.60 |
| आवासीय संपत्ति, जो कर्जदार के स्वामित्व में है / होगी या किराए पर है, को बंधक रखते हुए पूर्ण प्रत्याभूत कर्ज, | Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; | 90,792.07 | 85,720.60 |
| इनमें से प्राथमिकता प्राप्त अग्रिमों में शामिल करने हेतु पात्र व्यक्तिगत आवास ऋण | Of which Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector | 40,267.81 | 38,911.97 |
| (ii) वाणिज्यिक रियल एस्टेट | (ii) Commercial Real Estate | 17,199.97 | 15,995.18 |
| वाणिज्यिक रियल एस्टेट पर बंधक द्वारा प्रत्याभूत कर्ज (कार्यालय भवन, रिटेल स्पेस, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहुपरिवारीय आवासीय भवन, बहु किराएदार, वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या वेयर हाउस स्पेस, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास तथा निर्माण कार्य आदि). एक्सपोज़र में गैर निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं शामिल होंगी. | Lending secured by mortgages on commercial real estate's (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits; | | |
| (iii) बंधक युक्त प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूत एक्सपोजर | (iii) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS)and other securitized exposures | 0.00 | 154.25 |
| ए. आवासीय | a. Residential | 0.00 | 1.36 |
| बी. वाणिज्यिक रियल एस्टेट | b. Commercial Real Estate | 0.00 | 152.90 |
| बी ) अप्रत्यक्ष एक्सपोजर | b) Indirect Exposure | 31,650.50 | 36,691.01 |
| निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित एक्सपोजर | Fund based and non-fund based exposures | 31,650.50 | 36,691.01 |
| (i) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) | (i) National Housing Bank (NHB) | 27,762.16 | 31,366.56 |
| (ii) आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी) | (ii) Housing Finance Companies (HFCs) | 3,888.34 | 5,324.45 |
| **रियल एस्टेट क्षेत्र मे कुल एक्सपोजर** | Total Exposure to Real Estate Sector | 1,39,642.54 | 1,38,561.04 |

### ए-2.13.2 पूंजी बाजार एक्सपोजर
### A-2.13.2 Exposure to Capital Market

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| विवरण | Particulars | 31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020 |
|---|---|---|---|
| (i) इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी आधारित म्युचुअल फंडों की यूनिट में प्रत्यक्ष निवेश जिसका कॉर्पस कॉर्पोरेट कर्ज में अलग से निवेश नहीं किया गया हो, में प्रत्यक्ष निवेश | (i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt; | 2,258.18 | 3,171.56 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (ii) | शेयरों, बॉण्डों, डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों की एवज में अग्रिम अथवा शेयरों (आईपीओ/ ईएसओपीए सहित), परिवर्तनशील बॉन्डों, परिवर्तनशील डिबेंचरों तथा इक्विटी आधारित म्युचुअल फंड की यूनिट में निवेश के लिए व्यक्तियों को निर्बाध आधार पर दिए गए अग्रिम | (ii) | Advances against shares/bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds; | 2.66 | 243.79 |
| (iii) | किन्हीं अन्य ऐसे उद्देश्यों के लिए अग्रिम जहां शेयरों अथवा परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्युचुअल फंड की यूनिट को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है; | (iii) | Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security; | 88.49 | 74.16 |
| (iv) | किन्हीं अन्य ऐसे उद्देश्यों के लिए उस सीमा तक अग्रिम, जो कि शेयरों, परिवर्तनशील बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड की यूनिट की संपार्श्विक प्रतिभूति से संरक्षित है; अर्थात जहां कि शेयरों/ परिवर्तनीय बॉण्डों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी आधारित म्युचुअल फंडों के अलावा ली गई प्राथमिक प्रतिभूति पूरी तरह से अग्रिमों को कवर नहीं कर पायी है. | (iv) | Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/ convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances; | 460.75 | 239.61 |
| (v) | स्टॉक ब्रोकरों को जमानती और गैर-जमानती अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों और मार्केट मेकर की ओर से जारी गारंटियां | (v) | Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers; | 17.41 | 0.90 |
| (vi) | कॉर्पोरेट को शेयरों/ बॉण्डों/ डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों अथवा अपने संसाधनों को बढ़ाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी को प्रवर्तकों के अंशदान के लिए निर्बाध आधार पर स्वीकृत किए गए अग्रिम | (vi) | Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources; | 0.00 | 0.00 |
| (vii) | संभावित इक्विटी प्रवाह/ निर्गमों की एवज में कंपनियों को पूरक (ब्रिज) ऋण. | (vii) | Bridge loans to companies against expected equity flows/issues; | 0.00 | 0.23 |
| (viii) | शेयरों अथवा परिवर्तनीय बॉण्डों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्युचुअल फंड की यूनिट के प्राथमिक मुद्दों के बारे में बैंकों द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं. | (viii) | Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds; | 0.00 | 0.00 |
| (ix) | मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त प्रदान करना | (ix) | Financing to stockbrokers for margin trading; | 0.00 | 0.05 |
| (x) | उद्यम पूंजी निधियों (पंजीकृत तथा गैर-पंजीकृत दोनों) का समग्र एक्सपोज़र | (x) | All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered) ; | 980.40 | 1,075.29 |
| **पूंजी बाजार में कुल एक्सपोज़र** | | Total Exposure to Capital Market | | 3,807.90 | 4,805.35 |

पूंजी बाज़ार में ₹ 3,807.90 करोड़ का एक्सपोज़र ₹ 17,782.80 करोड़ की सीमा के अंतर्गत (दिनांक 31 मार्च, 2020 को बैंक की निवल मालियत का 40% अर्थात ₹ 44,457.00 करोड़) है.

पूंजी बाज़ार में ₹ 2,258.18 करोड़ का एक्सपोजर ₹ 8,891.40 करोड़ की सीमा के अंतर्गत (अर्थात दिनांक 31 मार्च, 2020 को बैंक की निवल मालियत ₹ 44,457.00 करोड़ का 20%) है.

The exposure to Capital Market of ₹ 3,807.90 Crores is within the limit of ₹17,782.80 Crores (i.e. 40% of Bank's Net worth of ₹ 44,457.00 Crores as on March 31, 2020).

The direct exposure to Capital Market of ₹ 2,258.18 Crores is within the limit of ₹ 8,891.40 Crores (i.e. 20% of the Bank's net worth of ₹ 44,457.00 Crores as on March 31, 2020)

### ए-2.13.3 जोखिम श्रेणीवार देशीय एक्सपोजर

दिनांक 31.03.2021 को कुल निवल निधियन एक्सपोजर ₹ 1,50,642.36 करोड़ है. दिनांक 31.12.2020 को बैंक की कुल आस्तियां ₹ 11,73,396.31 करोड़ थीं जिसका 1% ₹ 11,733.96 करोड़ है. यूएसए, यूके और यूएई जैसे तीन देशों का कुल निवल निधियन एक्सपोजर क्रमशः ₹ 47,491.65 करोड़, ₹ 16,699.54 करोड़ और ₹ 33,688.89 करोड़ है जो कि दिनांक 31.12.2020 को बैंक की कुल आस्तियों के 1% से अधिक है. यदि दिनांक 31.03.2021 को यूएसए, यूके और यूएई में बैंक का कुल निवल निधियन एक्सपोजर को कुल आस्तियों के 1% से अधिक होता है तो भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार यूएसए के लिए ₹ 37.22 करोड़ और यूके के लिए ₹ 24.90 करोड़ तथा यूएई के लिए ₹ 49.23 करोड़ का प्रावधान किया गया है. आंतरिक रूप से बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और यूके को "BOBSOV1" और यूएई को "BOBSOV2" का दर्जा दिया गया है. निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के वर्गीकरण के अनुसार यूएसए और यूके "नगण्य जोखिम श्रेणी" अर्थात 'ए 1' तथा यूएई "कम जोखिम श्रेणी" अर्थात 'ए 2' में हैं.

### A-2.13.3 Risk Category wise Country Exposure

Total Net Funded Exposure as on 31.03.2021 is ₹1,50,642.36 Crores. Total assets of the bank as on 31.12.2020 were ₹ 11,73,396.31 Crores, 1% of which comes to ₹ 11,733.96 Crores. Total net funded exposure of three countries namely USA, UK and UAE are amounting to ₹ 47,491.65 Crore, ₹ 16,699.54 crores & ₹ 33,688.89 Crores respectively, is more than 1% of the total assets of the Bank as on 31.12.2020. In case, total net funded exposure of the bank on USA, UK and UAE happens to be more than 1% of total assets as on 31.03.2021, provision of ₹ 37.22 Crores for USA and ₹ 24.90 crores for UK and for UAE ₹ 49.23 crores has been made in terms of RBI guidelines. USA and UK are rated "BOBSOV1" and UAE is rated "BOBSOV2" by BoB internally. As per Export Credit Guarantee Corporation of India (ECGC) classification, USA and UK are in the "Insignificant Risk Category" i.e. 'A1' and UAE is in the "Low Risk Category" i.e. 'A2'.

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| श्रेणी | Category | 31 मार्च 2021, को एक्सपोजर (निवल) Exposure (net) as on 31st March 2021 | 31 मार्च 2021 को प्रावधान Provision held as on 31st March 2021 | 31 मार्च 2020 को एक्सपोजर (निवल) Exposure (net) as on 31st March 2020 | 31 मार्च 2020 को प्रावधान Provision held as on 31st March 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| नगण्य | Insignificant | 86,084.22 | 62.12 | 81,780.08 | 57.58 |
| कम | Low | 45,679.06 | 49.23 | 59,000.55 | 55.96 |
| मध्य | Moderate | 14,385.14 | 0.00 | 3,383.21 | 0.00 |
| उच्च | High | 4,483.58 | 0.00 | 4,707.94 | 0.00 |
| अधिक उच्च | Very High | 6.42 | 0.00 | 3.76 | 0.00 |
| सीमित | Restricted | 3.93 | 0.00 | 4.58 | 0.00 |
| ऑफ क्रेडिट | Off-credit | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| गैर-मूल्यांकित | Not Rated | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **कुल** | Total | 1,50,642.36 | 111.35 | 1,48,880.14 | 113.54 |

### ए-2.13.4 बैंक द्वारा पार की गयी एकल ऋणकर्ता सीमा (एसबीएल)/ समूह ऋणकर्ता सीमा (जीबीएल)

### A-2.13.4 Single Borrower Limit (SBL)/ Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| वर्ष Year | ऋणकर्ता का नाम Name of Borrower | एकल ऋणकर्ता एक्सपोजर सीमा Single Borrower Exposure limit | कुल मंजूर सीमा Total Limit Sanctioned | 31 मार्च को शेष Balance as on March 31, |
|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | - | - | - | - |
| 2019-20 | - | - | - | - |

| वर्ष Year | ऋणकर्ता का नाम Name of Borrower | समूह ऋणकर्ता एक्सपोजर सीमा Group Borrower Exposure limit | कुल मंजूर सीमा Total Limit Sanctioned | 31 मार्च को शेष Balance as on March 31, |
|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | - | - | - | - |
| 2019-20 | - | - | - | - |

### ए-2.13.5 गैर-जमानती अग्रिम राशि

(भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीआर.बीपी.बीसी.संख्या 23/21.04.018/2015-16 दिनांक 01 जुलाई, 2015 के संदर्भ के अनुसार)

### A-2.13.5 Amount of Unsecured advances

(In terms of per RBI Circular No. DBR.BP.BC No.23/21.04.018/2015-16 dated 01st July 2015)

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| क्र. सं. S. No. | विवरण | Particulars | 31 मार्च, 2021 को राशि Amount as on March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को राशि Amount as on March 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | अमूर्त आस्तियों जैसे कि अधिकार पर प्रभार, लाइसेंस, प्राधिकार इत्यादि के रुप में रखी गई संपार्श्विक प्रतिभूति इत्यादि से समर्थित अप्रत्याभूत ऋण. | Unsecured Loan backed by intangible assets, such as charge over the rights, licenses, authority etc. taken as collateral security. | 657.29 | 669.23 |
| (i) | अमूर्त आस्तियों का अनुमानित मूल्य जिसके लिए गैर-जमानती अग्रिम दिए जाने चाहिए. | Estimated Value of Intangible Assets for which unsecured advances should be given. | 1,154.09 | 1,011.46 |
| (ii) | उक्त (i) को छोड़कर गैर-जमानती ऋण | Unsecured Loans other than (i) | 92,037.03 | 84,056.48 |

## ए-2.14 विविध
## A-2.14 Miscellaneous

### ए-2.14.1 भारतीय रिजर्व बैंक/ विदेशी विनियामकों द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण.
### A-2.14.1 Disclosure of penalties imposed by RBI / Overseas Regulators

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| विवरण | Particulars | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2021 | | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | मामलों की संख्या No of Cases | राशि Amount | मामलों की संख्या No of Cases | राशि Amount |
| भारतीय रिजर्व बैंक दवारा लगाया गया दंड | Penalties Imposed by RBI | 222 | 1.40 | 126 | 4.92 |
| विदेशी क्षेत्रों /अनुषंगियों पर संबंधित विनियामकों दवारा लगाया गया दंड | Penalties Imposed on Overseas territories/subsidiaries by their respective regulators | 1 | 13.65 | 2 | 0.18 |

### ए-2.14.2 प्रायोजित तुलनपत्रेतर (ऑफ-बैलेंस शीट) एसपीवी (जिन्हें लेखा मानदंडों के अनुसार समेकित करना अपेक्षित है).

### A-2.14.2 Off-balance sheet SPVs sponsored (Which are required to be consolidated as per accounting norms)

| विवरण | Particulars | प्रायोजित एसपीवी का नाम Name of the SPV sponsored | |
|---|---|---|---|
| | | घरेलू / Domestic | विदेशी / Overseas |
| 31 मार्च, 2021 को | As on March 31, 2021 | शून्य Nil | शून्य Nil |
| 31 मार्च, 2020 को | As on March 31, 2020 | शून्य Nil | शून्य Nil |

## ए–2.14.3 प्रतिभूतिकरण A-2.14.3 Securitization

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| क्र. सं. S. No. | विवरण | Particulars | 31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | प्रतिभूतिकरण संव्यवहार के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की संख्या | No. of SPVs sponsored by the bank for Securitization transaction | | |
| 2. | बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बही के अनुसार प्रतिभूतिकरण आस्तियों की कुल राशि | Total amount of Securitized assets as per books of the SPVs sponsored by the Bank | शून्य Nil | शून्य Nil |
| 3. | तुलनपत्र की तिथि को न्यूनतम धारण आवश्यकता (एमआरआर) के अनुपालन के लिए बैंक द्वारा प्रतिधारित एक्सपोजर की कुल राशि | Total amount of exposures retained by the bank to comply with minimum retention requirement (MRR) as on the date of Balance Sheet | | |
| | ए) तुलनपत्रेतर एक्सपोजर<br>प्रथम हानि<br>अन्य | a) Off-balance sheet exposures<br>First Loss<br>Others | शून्य Nil | शून्य Nil |
| | बी) तुलनपत्र का एक्सपोजर<br>प्रथम हानि<br>अन्य | b) On balance sheet exposures<br>First Loss<br>Others | | |
| 4. | एमआरआर के अलावा अन्य प्रतिभूतिकरण अंतरण से एक्सपोजर की राशि | Amount of Exposures to securitization transactions other than MRR | | |
| | ए) तुलनपत्रेतर एक्सपोज़र | a) Off-balance sheet exposures | | |
| | i) अपने प्रतिभूतिकरण से एक्सपोजर<br>प्रथम हानि<br>हानि/ अन्य | i) Exposures to own securitizations<br>First Loss<br>Loss/Others | शून्य Nil | शून्य Nil |
| | ii) तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण से एक्सपोजर<br>प्रथम हानि<br>हानि/ अन्य | ii) Exposures to third party securitizations<br>First Loss<br>Loss/Others | | |
| | बी) तुलन–पत्र का एक्सपोज़र<br>i) अपने प्रतिभूतिकरण से एक्सपोजर<br>प्रथम हानि<br>हानि/ अन्य | b) On–balance sheet exposures<br>i) Exposures to own securitizations<br>First Loss<br>Loss/Others | शून्य Nil | शून्य Nil |
| | ii) तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण से एक्सपोजर<br>प्रथम हानि<br>अन्य | ii) Exposures to third party securitizations<br>First Loss<br>Others | | |

## ए-2.15 दबावग्रस्त आस्तियों संबंधी प्रकटीकरण
### ए-2.15.1 मौजूदा ऋणों के लचीले गठन का प्रकटीकरण

## A-2.15 Disclosure on Stressed Assets
### A-2.15.1 Disclosure of flexible structuring of Existing loans

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| वर्ष Year | लचीले गठन हेतु लिए गए ऋणकर्ताओं की संख्या No.of borrowers taken up for flexibly structuring | लचीले गठन हेतु लिए गए ऋणों की राशि Amount of loans taken up for flexible structuring | | लचीले गठन हेतु लिए गए ऋणों की एक्सपोजर वेटेड औसत अवधि Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard | एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA | लचीले गठन लागू करने से पहले Before applying flexible structuring | लचीले गठन लागू करने के बाद After applying flexible structuring |
| वित्तीय वर्ष FY:2020-21 | - | - | - | - | - |
| वित्तीय वर्ष FY:2019-20 | - | - | - | - | - |

### ए-2.15.2 यथा 31.03.2021 को कार्यनीतिगत ऋण पुनर्गठन योजना पर प्रकटीकरण (ऐसे खाते जो इस समय स्टैंड स्टिल अवधि में हैं)

### A-2.15.2 Disclosures on Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand-still period) as on 31.03.2021

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| वर्ष Year | ऐसे खातों की संख्या, जहां एसडीआर सक्रिय किया गया है No.of accounts where SDR has been invoked | रिपोर्टिंग तारीख पर बकाया राशि Amountoutstanding ason the reporting date | | जहां ऋण का इक्विटी में रूपांतरण इक्विटी शेयरों के गिरवी को सक्रिय करना लंबित है, उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तारीख पर बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/ invocation of pledge of equity shares is pending | | जहां ऋण का इक्विटी में रूपांतरण हो गया है ऐसे खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तारीख पर बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | मानक के रूप के वर्गीकृत Classified as standard | एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA | मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as standard | एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA | मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as standard | एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA |
| वित्तीय वर्ष FY:2020-21 | शून्य/Nil | शून्य/Nil | शून्य/Nil | शून्य/Nil | शून्य/Nil | शून्य/Nil | शून्य/Nil |
| वित्तीय वर्ष FY:2019-20 | शून्य/Nil | शून्य/Nil | शून्य/Nil | शून्य/Nil | शून्य/Nil | शून्य/Nil | शून्य/Nil |

### ए-2.15.3 एसडीआर योजना के बाहर स्वामित्व में परिवर्तन का प्रकटीकरण (ऐसे खाते जो इस समय स्टैंड स्टिल अवधि के अंतर्गत है)

### A-2.15.3 Disclosures on Change in Ownership outside SDR Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| वर्ष<br>Year | ऐसे खातों की संख्या, जहां एसडीआर सक्रिय किया गया है<br>No.of accounts where banks have decided to Effect change in ownership | रिपोर्टिंग तारीख पर बकाया राशि<br>Amount outstanding as on the reporting date | जहां ऋण का इक्विटी में रूपांतरण / इक्विटी शेयरों के गिरवी को सक्रिय करना लंबित है, ऐसे खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तारीख पर बकाया राशि<br>Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares is pending | | जहां ऋण का इक्विटी में रूपांतरण / इक्विटी शेयरों के गिरवी को सक्रिय करना रह गया है, ऐसे खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तारीख पर बकाया राशि<br>Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares has taken place | | जहां नए शेयर जारी कर या प्रवर्तक की इक्विटी के विक्रय द्वारा स्वामित्व में परिवर्तन हो गया है उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तारीख पर बकाया राशि<br>Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoters equity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | एनपीए के रूप में वर्गीकृत<br>Classified as NPA | मानक के रूप में वर्गीकृत<br>Classified as standard | एनपीए के रूप में वर्गीकृत<br>Classified as NPA | मानक के रूप में वर्गीकृत<br>Classified as standard | एनपीए के रूप में वर्गीकृत<br>Classified as NPA | मानक के रूप में वर्गीकृत<br>Classified as standard | एनपीए के रूप में वर्गीकृत<br>Classified as NPA |
| वित्तीय वर्ष FY:2020-21 | शून्य/Nil | शून्य/Nil | शून्य/Nil | शून्य/Nil | शून्य/Nil | शून्य/Nil | शून्य/Nil | शून्य/Nil |
| वित्तीय वर्ष FY:2019-20 | शून्य/Nil | शून्य/Nil | शून्य/Nil | शून्य/Nil | शून्य/Nil | शून्य/Nil | शून्य/Nil | शून्य/Nil |

### ए-2.15.4 क्रियान्वयन के अंतर्गत परियोजना के स्वामित्व का प्रकटीकरण (ऐसे खाते जो इस समय स्टैंड-स्टील अवधि के अंतर्गत है)

### A-2.15.4 Disclosures on Change in Ownership of Projects Under Implementation (accounts which are currently under the stand-still period)

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| वर्ष<br>Year | ऐसे परियोजना ऋण खातों की संख्या, जहां बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन लागू करने का निर्णय लिया है.<br>No.of project loan accounts where banks have decided to effect change in ownership | रिपोर्टिंग तारीख पर बकाया राशि<br>Amount out standing as on the reporting date | | |
|---|---|---|---|---|
| | | मानक के रूप के वर्गीकृत<br>Classified as standard | मानक पुनर्गठित के रूप के वर्गीकृत<br>Classified as standard restructured | एनपीए के रूप में वर्गीकृत<br>Classified as NPA |
| वित्तीय वर्ष FY:2020-21 | शून्य/Nil | शून्य/Nil | शून्य/Nil | शून्य/Nil |
| वित्तीय वर्ष FY:2019-20 | शून्य/Nil | शून्य/Nil | शून्य/Nil | शून्य/Nil |

## ए-2.15.5 दबावग्रस्त आस्तियों की संवहनीय संरचना के लिए की योजना पर प्रकटीकरण (एस4ए)

## A-2.15.5 Disclosure on the scheme for sustainable structuring of Stressed Assets (S4A)

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| विवरण | Particulars | जहां एस 4ए लागू किया गया है, ऐसे खातों की संख्या No. of A/cs where S4A has been applied | 31.03.2021 | | | | जहां एस 4ए लागू किया गया है, ऐसे खातों की संख्या No. of A/cs where S4A has been applied | 31.03.2020 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | समग्र बकाया राशि Aggregate amount outstanding | बकाया राशि Amount outstanding | | रखा गया प्रावधान Provision held | | समग्र बकाया राशि Aggregate amount outstanding | बकाया राशि Amount outstanding | | रखा गया प्रावधान Provision held |
| | | | | भाग ए में In Part A | भाग बी में In Part B | | | | भाग ए में In Part A | भाग बी में In Part B | |
| मानक के रूप में वर्गीकृत | Classified as Standard | 5 | 1160.76 | 736.50 | 424.26 | 111.34 | 6 | 1,481.99 | 916.57 | 565.42 | 156.86 |
| एनपीए के रूप में वर्गीकृत | Classified as NPA | 3 | 781.41 | 651.41 | 130.00 | 0.00 | 4 | 903.00 | 852.09 | 50.91 | - |
| कुल | Total | 8 | 1942.17 | 1387.91 | 554.26 | 111.34 | 10 | 2,384.99 | 1,768.66 | 616.33 | 156.86 |

## ए-2.15.6 पुनर्गठन प्रक्रिया के दौरान इक्विटी में ऋण के रूपांतरण के कारण शेयरों का अधिग्रहण.

दबावग्रस्त आस्तियों के निपटान के लिए विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क पर भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र आरबीआई/ 2018-19/203 डीबीआर.नं.बीपी. बीसी.45/21.04.048/2018-19 दिनांक 07.06.2019 के अनुसार पुनर्गठन प्रक्रिया के दौरान ऋण को इक्विटी में बदलने के कारण शेयरों के अधिग्रहण का विवरण निम्नानुसार है:

## A-2.15.6 Acquisition of shares due to conversion of debt to equity during a restructuring process.

As per RBI Circular on Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets vide letter RBI/2018-19/203 DBR.No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated 07.06.2019, Details of Acquisition of shares due to conversion of debt to equity during a restructuring process is as under:

31.03.2021 को As on 31.03.2021

| विवरण | Particulars | शेयरों की संख्या No of Shares | प्रति शेयर अंकित मूल्य Face value per Share | अंकित मूल्य (करोड़ में) Face Value (In Crs.) | राशि (करोड़ में) Amt (In Crs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0001सुजलोन ग्लोब्स लिमिटेड0620 | 0.0001SUZLON GLOBS LTD0620* | 43,785.00 | 1,00,000.00 | 437.85 | 370.54 |
| 0.01भारत वायर रोप्स सीसीपीएस* | 0.01BHARAT WIRE ROPES CCPS* | 14,976.00 | 1,00,000.00 | 149.76 | 149.76 |
| 1%बेडमुथा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड 2033* | 1% BEDMUTHA IND LTD 2033* | 4,24,700.00 | 10.00 | 0.42 | 42.47 |
| भारत वायर रोप्स लिमिटेड | BHARAT WIRE ROPES LTD | 24,39,809.00 | 10.00 | 2.44 | 2.12 |
| सुजलोन एनर्जी लिमिटेड | SUZLON ENERGY LTD | 9,90,51,809.00 | 2.00 | 19.81 | 0.00 |
| **कुल** | Total | | | 610.28 | 564.89 |

* पूर्णतः प्रदान किया गया * Fully provided

दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीआर.नं.बीपी.बी सी.45/21.04.048/2018-19 दिनांक 07.06.2019 के माध्यम से जारी समाधान योजना के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देशों में भारतीय रिज़र्व बैंक के इस परिपत्र के पैरा 17 के अनुसार अतिरिक्त प्रावधानों की आवश्यकता भी शामिल है. ऐसे मामलों में बकाया दिनांक 31 मार्च, 2021 को ₹ 12,265.33 करोड़ है और भारतीय रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त परिपत्र के अनुपालन हेतु बैंक ने 31 मार्च, 2021 को ₹ 4,441.26 करोड़ (पिछले वर्ष 2,193.75 करोड़ था) का अतिरिक्त प्रावधान रखा है.

RBI vide their Circular no DBR.No.BP. BC.45/21.04.048/2018-19 dated 7th June 2019 on Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets guidelines for implementation of Resolution Plan , also containing requirements of additional Provisions as per para 17 of this RBI circular. The outstanding in such cases as on March 31, 2021 is ₹ 12,265.33 Crores and in compliance with the above RBI circular, The Bank is holding additional provision of ₹ 4,441.26 Crores (Previous Year ₹ 2,193.75 Crores) as on March 31, 2021.

31.03.2020 को / As on 31.03.2020

| विवरण | Particulars | शेयरों की संख्या<br>No of Shares | प्रति शेयर अंकित मूल्य<br>Face value per Share | अंकित मूल्य (करोड़ में)<br>Face Value (In Crs.) | राशि (करोड़ में)<br>Amt (In Crs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी लि | GMR Chattisgarh Energy Ltd | 20,84,445 | 100.00 | 20.84 | 20.84 |
| जय प्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड ✻ | Jai Prakash Power Ventures Ltd* | 8.00 | 1,00,000.00 | 0.08 | 0.08 |
| जय प्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड ✻ | Jai Prakash Power Ventures Ltd* | 1,403.00 | 10,00,000.00 | 140.30 | 140.30 |
| कुल | Total | | | 161.22 | 161.22 |

✻ पूर्णतः प्रदान किया गया * Fully provided

## ए-3 प्रावधानाओं एवं आकस्मिकताओं का विश्लेषित विवरण

## A-3 Breakup of Provisions and Contingencies

### ए-3. लाभ व हानि खाते में आने वाले प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का विश्लेषित विवरण इस प्रकार है

### A-3.1 Break-up of provisions and contingencies appearing in Profit & Loss Account is as under:

(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| विवरण | Particulars | 31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020 |
|---|---|---|---|
| निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान (निवल प्रलेखित तथा बट्टे खाते डाले गए सहित) | Provision for depreciation on investment (net of written back and including write off) | 309.91 | 986.74 |
| बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋणों/एनपीए के लिए प्रावधान (निवल प्रलेखित) | Bad debts written off / Provision made towards NPA (net of written back) | 12,147.26 | 16,517.06 |
| मानक आस्तियों हेतु प्रावधान | Provision for standard assets | 2,158.03 | 3,085.48 |
| कर हेतु प्रावधान आस्थगित करों और संपदा कर सहित (प्रावधानों के प्रत्यावर्तन का निवल) | Provision for taxes including deferred taxes and Wealth tax (net of reversal of provisions) | 4,727.05 | (2,348.29) |
| अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं | Other Provision and Contingencies | | |
| पुनर्गठित मानक व अवमानक खातों में ब्याज के परित्याग हेतु प्रावधान | Provision towards sacrifice of interest in restructured standard and sub-standard accounts | 260.45 | (112.16) |
| देशगत जोखिम प्रबंधन हेतु प्रावधान | Provision for Country Risk Management | (2.19) | 40.61 |
| अन्य (इसमें धोखाधड़ियों, बैंक के विरुद्ध दावों, संवेदनशील खातों आदि के प्रावधान शामिल हैं). | Others (includes provision for fraud, claim against bank, sensitive accounts etc.) | 200.34 | 180.60 |
| **कुल** | Total | 19,800.85 | 18,350.04 |

## ए-3.2 अस्थायी प्रावधान - व्यापक प्रकटीकरण (मानक अग्रिमों के लिए जेनरिक प्रावधान) - व्यापक प्रकटीकरण

## A-3.2 Floating Provisions (Generic Provision for standard advances) – Comprehensive Disclosures

(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| विवरण | | Particulars | | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| ए. | अस्थायी प्रावधान खाते में आरंभिक शेष | a. | Opening balance in the floating provisions account | 496.70 | 425.35 |
| बी. | समामेलन से शामिल किया गया | b. | Addition on Amalgamation | 0.00 | 71.35 |
| सी. | लेखा वर्ष के दौरान किए गए ड्रा डाउन की राशि | c. | Amount of draw down made during the accounting year | 496.70 | 0.00 |
| डी. | अस्थायी प्रावधान खाते में अंतिम शेष | d. | Closing balance in the floating provisions account | 0.00 | 496.70 |

भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना संदर्भ सं. आरबीआई/2021-22/28 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.10/21.04.048/2021-22 दिनांक 5 मई, 2021 द्वारा बैंकों को सूचित किया है कि उन्हें दिनांक 31 दिसंबर, 2020 को उनके द्वारा धारित अस्थिर प्रावधानों / काउंटर साइक्लिकल प्रोवोजनिंग बफर के 100% का उपयोग, अपने संबंधित निदेशक मंडलों के पूर्व-अनुमोदन से गैर-निष्पादक आस्तियों हेतु विशिष्ट प्रावधान करने की अनुमति है. बैंक ने अपने निदेशक मंडल से अपेक्षित अनुमति प्राप्त की है तथा 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही में गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए विशिष्ट प्रावधानों हेतु आवश्यकता के अनुसार ₹ 496.70 करोड़ के अस्थिर प्रावधान का उपयोग किया है.

As per RBI notification Ref No - RBI/2021-22/28 DOR.STR. REC.10/ 21.04.048 /2021-22 dated May 5, 2021 banks are advised that they are permitted to utilize 100 per cent of floating provisions / countercyclical provisioning buffer held by them as on December 31, 2020 for making specific provisions for non-performing assets with the prior approval of their respective Boards. The Bank has obtained the requisite permission from its Board of directors and has utilized floating provision amounting to ₹ 496.70 crores against the requirement for specific provisions for non-performing assets in the quarter ended March 31, 2021.

## ए-3.3. अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर पर प्रावधान

बैंक ने मुद्रा आधारित ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए नीति और प्रक्रिया स्थापित की है. ऋण मूल्यांकन ज्ञापन को आरंभ में तैयार किया जाता है और विनिमय जोखिम पर चर्चा करने कि ग्राहक, व्यापार संबंधी, विदेशी मुद्रा उधार और बाह्य वाणिज्यिक उधार सहित सभी स्रोतों से कितना एक्स्पोज है, के लिए ऋण सुविधा की समीक्षा की आवश्यकता है. यह विनिमय जोखिम को कम करने के लिए ग्राहक को उपलब्ध प्राकृतिक हेज के साथ- साथ ग्राहकों द्वारा अपनायी जाने वाली अन्य हेजिंग की पद्धतियों को कवर कर सकता है. बैंक द्वारा परिभाषित प्रारंभिक सीमा के बाहर विदेशी मुद्रा ऋण देने के लिए ग्राहक को बैंक के साथ उचित जोखिम हेजिंग प्रणाली अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. वैकल्पिक तौर पर, बैंक स्वयं को संतुष्ट करेगा कि ग्राहक के पास उसके सामान्य व्यवसाय के दौरान भी विनिमय जोखिम को कम करने की वित्तीय क्षमता है और / अथवा जोखिम कम करने के लिए अन्य विकल्प हैं. बैंक के पास विनिमय दरों में अधिक अस्थिरता की अवधि के दौरान ग्राहक के सूचना के मासिक समीक्षा की नीति है. जब किसी ग्राहक को ऋण सुविधा प्रदान की जाती है उस ग्राहक की विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के अनहेज्ड भाग पर जानकारी की मासिक समीक्षा की नीति है. ग्राहक को ऋण सुविधाएं देते समय ग्राहक की अनहेज्ड विदेशी मुद्रा स्थिति के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित क्रेडिट जोखिम रेटिंग लिंक्ड सीमा लागू है. विनिमय दर में बृहद स्तर पर दुष्प्रभाव के चलन से प्रभावित ग्राहक के अनहैज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र की सीमा सहित अनुपालन का मूल्यांकन ग्राहक की वार्षिक आय में ब्याज और मूल्यह्रास (ईबीआईडी) के पूर्व गिरावट का आकलन करके किया जाता है. जहां इस तरह के सिमुलेशन में उल्लंघन पाया जाता है, ग्राहक को सलाह दी जाती है कि वह अपने अनहेज्ड एक्स्पोज़र को कम करे.

## A-3.3.Provision on Unhedged Foreign Currency Exposure

The Bank has in place a policy and process for managing currency induced credit risk. The credit appraisal memorandum prepared at the time of origination and review of a credit facility is required to discuss the exchange risk that the customer is exposed to from all sources, including trade related, foreign currency borrowings and external commercial borrowings. It could cover the natural hedge available to the customer as well as other hedging methods adopted by the customer to mitigate exchange risk. For foreign currency loans granted by the Bank beyond a defined threshold the customer is encouraged to enter into appropriate risk hedging mechanisms with the Bank. Alternatively, the Bank satisfies itself that the customer has the financial capacity to bear the exchange risk in the normal course of its business and / or has other mitigants to reduce the risk. The Bank has a policy of monthly review of information on the unhedged portion of foreign currency exposures of customers during the periods of high volatility in exchange rates. A Board approved credit risk rating linked limit on unhedged foreign currency position of customers is applicable when extending credit facilities to a customer. The compliance with the limit is assessed by estimating the extent of drop in a customer's annual Earnings Before Interest and Depreciation ('EBID') due to a potentially large adverse movement in exchange rate impacting the unhedged foreign currency exposure of the customer. Where a breach is observed in such a simulation, the customer is advised to reduce its unhedged exposure.

**प्रावधानों का संचलन निम्नानुसार है.**

**Movement of the provision is as under.**

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| विवरण | Particulars | | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|
| प्रावधान खाते में आरंभिक राशि | a. | Opening balance provisions account | 155.33 | 81.80 |
| पूर्ववर्ती देना बैंक एवं पूर्ववर्ती विजया बैंक के विलय के परिणामस्वरूप शामिल | b. | Addition on account of merger of eDB and eVB | 0.00 | 26.42 |
| लेखा वर्ष में किए गए प्रावधानों का हिस्सा (विनिमय अंतर सहित) | c. | The quantum of provisions made in the accounting year (incl. exchange difference) | 28.77 | 47.11 |
| लेखांकन वर्ष के दौरान रिवर्स की गई राशि | d. | Amount Reverse during the accounting year | 0.00 | 0.00 |
| प्रावधान खाते में अंतिम शेष | e. | Closing balance in the provisions account | 184.10 | 155.33 |

दिनांक 31 मार्च, 2020 तक उधारकर्ताओं के अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्स्पोजर के सापेक्ष में बैंक का अग्रिम एक्सपोजर 80 बीपीएस प्रावधान ₹ 2,319.15 करोड़ था. ₹ 96.01 करोड़ की अतिरिक्त न्यूनतम पूंजी आवश्यकता के सापेक्ष में इस एक्स्पोज़र पर अतिरिक्त आरडब्ल्यूए ₹ 882.85 करोड़ है.

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी.नं.बीपी.बी सी.85/21.06.200/2013-14 दिनांक 15 जनवरी, 2014 के अनुसार अनहेज्ड विदेशी मुद्रा के लिए देयता का आकलन किया है और 31 मार्च, 2021 को ₹ 184.10 करोड़ का प्रावधान रखा है (पिछले वर्ष: ₹ 155.33 करोड़)

In accordance with RBI guidelines, as at March 31, 2021, the amount of bank's credit exposure against Unhedged Foreign Currency Exposure of borrowers attracting 80 bps provisions was ₹ 2,319.15 Crores. The additional RWA on this exposure is ₹ 882.85 crores against this additional minimum capital requirement is ₹ 96.01 crores.

The Bank has estimated the liability for Unhedged Foreign Currency in terms of RBI circular DBOD.No.BP. BC.85/21.06.200/2013-14 dated January 15, 2014 and is holding a provision of ₹184.10 Crores as on March 31, 2021 (Previous Year: ₹ 155.33 Crores).

## ए 3.4 धोखाधड़ी खातों से संबंधित प्रावधानों पर प्रकटीकरण

## A-3.4 Disclosure on provisioning pertaining to fraud accounts

(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| विवरण | Particulars | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2020 |
|---|---|---|---|
| वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों की संख्या | Number of frauds reported during the year | 248 | 350 |
| शामिल राशि* | Amounts Involved* | 9,796.31 | 12,971.14 |
| वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान* | Provisions made during the year* | 9,400.42 | 11,728.61 |
| समाप्त वर्ष पर धारित प्रावधान* | Provisions held at the end of the year* | 32,997.33 | 25,050.55 |
| वर्ष की समाप्ति पर 'अन्य आरक्षित' को नामे कर ऋण चुकाने के लिए किया गया प्रावधान | Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year | 162.91 | 349.51 |

* इसमे अग्रिम एवं अन्य शामिल है.

* This includes Advances and others.

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) परिपत्र सं. डीबीआर सं. बीपी.बीसी.92/21.04.048/2015-16 दिनांक 18 अप्रैल, 2016 के अनुसार बैंक ने चार तिमाहियों की अवधि के लिए देयता प्रदान करने का विकल्प लिया है.

तदनुसार, 31 मार्च, 2020 को कैरी फारवर्ड प्रावधान ₹ 162.91 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 349.51 करोड़) रहा जिसे बैंक द्वारा अगली तिमाही में परिशोधित किया जाएगा.

As per the Reserve bank of India (RBI) circular no. DBR No. BP.BC.92/21.04.048/2015-16 dated April 18, 2016 the Bank has opted to provide the liability for frauds over a period of four quarters.

Accordingly, the carry forward provision as on March 31, 2021 is ₹ 162.91 Crores (Previous Year ₹ 349.51 Crores) which is to be amortized in the subsequent quarters by the bank.

### ए -3.5 'दावों के एवज में अर्जित गैर बैंकिंग आस्तियों' के अंतर्गत भूमि/आस्ति से संबंधित प्रावधान पर प्रकटीकरण

### A-3.5 Disclosure on provisioning pertaining to Land/ Asset held under 'Non-Banking assets acquired in satisfaction of claims'

(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| विवरण | Particulars | 31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020 |
|---|---|---|---|
| 'दावों के एवज में अर्जित गैर बैंकिंग आस्तियों' के अंतर्गत धारित भूमि | Amount of Land held under 'Non-Banking assets acquired in satisfaction of claims' | 54.96 | 165.45 |
| वर्ष के प्रारंभ में धारित प्रावधान | Provisions held at the beginning of the year | 165.45 | 91.08 |
| वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि खाते को नामे करते हुए किए गए प्रावधान | Provisions made during the year by debiting profit and loss account | (110.49) | 74.37 |
| 'आरक्षित एवं अधिशेष' के अंतर्गत 'लाभ एवं हानि खाते में शेष राशि' से नामे करते हुए अपरिशोधित प्रावधान | Unamortised provision debited from 'Balance in profit and loss account' under 'Reserves and Surplus' | 0.00 | 0.00 |

अनर्जक आस्तियों में वसूली का समायोजन पहले प्रभार के लिए किया जाएगा फिर ब्याज आय और अंतिम में मूलधन शेष के लिए किया जाएगा.

Appropriation of Recoveries in Non-Performing Assets is first appropriated towards charges, then interest income and last in principal outstanding.

### ए-3.6 ए) आरक्षित एवं अधिशेष

**सांविधिक आरक्षित**

बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17 और आरबीआई के दिनांक 23 सितंबर, 2000 के दिशानिर्देशों के अनुसरण में 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ में से ₹ 207.22 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 136.54 करोड़) का समायोजन सांविधिक आरक्षित के लिए किया है.

**आरक्षित पूंजी**

आरक्षित पूंजी में अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर हुई मूल्य वृद्धि, भारत सरकार द्वारा लघु/ मध्यम स्तर के उद्योग व अन्य के लिए निर्यात विकास परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक की योजना के अंतर्गत सदस्यता राशि शामिल है.

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए, बैंक ने एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत निवेशों की बिक्री और अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ, निवल कर और सांविधिक आरक्षित, लाभ एवं हानि खाते से आरक्षित पूंजी द्वारा ₹ 676.90 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 822.25 करोड़) समायोजित किया है.

### A-3.6 a) Reserves and Surplus

Statutory Reserve

The Bank has made an appropriation of ₹ 207.22 Crores (Previous Year: ₹ 136.54 Crores) out of profits for the year ended March 31, 2021 to the Statutory Reserve pursuant to the requirements of Section 17 of the Banking Regulation Act, 1949 and RBI guidelines dated September 23, 2000

Capital Reserve

Capital Reserve includes appreciation arising on revaluation of immovable properties, amount subscribed by Government of India under the World Bank's Scheme for Export Development Projects for small / medium scale industries and others.

During the year ended March 31, 2021, the Bank appropriated ₹ 676.90 Crores (Previous Year: ₹ 822.25 crore), being the profit from sale of investments under HTM category and profit on sale of immovable properties, net of taxes and transfer to statutory reserve, from the Profit and Loss Account to the Capital Reserve.

**निवेश संबंधी उतार -चढ़ाव आरक्षित निधि**

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को राजकोषीय वर्ष 2019 की शुरुआत से 3 वर्षों की अवधि के अन्दर निवेश संबंधी उतार -चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफआर) का निर्माण करना है जो उनके एचएफटी और एएफएस निवेश पोर्टफोलियों के 2% के समतुल्य होगा. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने लाभ एवं हानि खाते से निवेश संबंधी उतार चढ़ाव आरक्षित निधि में शून्य समायोजन किया है. (पिछले वर्ष: शून्य)

**शेयर प्रीमियम**

वर्ष के दौरान बैंक ने क्वालिफाइड इन्स्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के माध्यम से ₹ 4,500 करोड़ (₹ 4375.16 करोड़ के प्रीमियम सहित (खर्चों का निवल)) की पूंजी सृजित की है. बैंक ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान शेयर प्रीमियम से कोई ड्रा डाउन नहीं किया है.

**ए-3.6 बी) आरक्षित निधियों में गिरावट (ड्रा डाउन)**

**निवेश आरक्षित खाता**

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निवेश आरक्षित खाते से कोई ड्रा डाउन नहीं किया गया (31 मार्च, 2020: ₹ 41.58 करोड़)

**ए-4 शिकायतों का प्रकटीकरण - आरबीआई के परिपत्र दिनांक 27 जनवरी, 2021 के अनुसार समस्या एवं शिकायत पर परिष्कृत प्रकटीकरण**

Investment Fluctuation Reserve

In accordance with RBI guidelines, banks are required to create an Investment Fluctuation Reserve (IFR) equivalent to 2% of their HFT and AFS investment portfolios, within a period of three years starting fiscal 2019, subject to profit availability after statutory appropriation. During the year ended March 31, 2021, the Bank has made ₹ NIL appropriation to the Investment Fluctuation Reserve from the Profit and Loss Account. (Previous Year: NIL)

Share Premium

During the year, the Bank has raised capital of ₹ 4,500 Crores (including premium of ₹ 4,375.16 Crores (net of expenses)) through Qualified Institutional Placement (QIP). The Bank has not undertaken any drawdown from share premium during the year ended March 31, 2021.

**A-3.6 b) Draw Down from Reserves**

**Investment Reserve Account**

During the Financial Year 2020-21, there is no draw down from the Investment Reserve Account (March 31, 2020: ₹ 41.58 Crores).

**A-4 Disclosure of complaints – Enhanced Disclosure on complaints and grievance and redress as per RBI circular dated January 27, 2021.**

(प्रबंधन द्वारा यथा संकलित / As compiled by the Management)

| S. No | विवरण | Particulars | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
|---|---|---|---|---|
| | बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें | Complaints received by the bank from its customers | | |
| 1 | वर्ष के शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या | Number of complaints pending at beginning of the year | 31,435# | 29,648 |
| 2 | वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या | Number of complaints received during the year | 18,99,415 | 17,71,923 |
| 3 | वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या. | Number of complaints disposed during the year | 19,08,739 | 17,68,976 |
| | 3.1 जिनमें से बैंक द्वारा अस्वीकृत शिकायतों की संख्या | Of which, number of complaints rejected by the bank | 6,460 | 4,193 |
| 4 | वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या | Number of complaints pending at the end of the year | 22,111 | 32,595# |
| | ओबीओ से बैंक द्वारा प्राप्त मेंटेन करने योग्य शिकायतें | Maintainable complaints received by the bank from OBOs | | |
| 5 | ओबीओ से बैंक द्वारा प्राप्त मेंटेन करने योग्य शिकायतों की संख्या | Number of maintainable complaints received by the bank from OBOs | 10,907* | 6,726 |
| | 5.1 बिन्दु 5 में से, बैंकिंग लोकपालों द्वारा बैंक के पक्ष में निस्तारित शिकायतों की संख्या | 5.1 Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by Bos | 9,105 | 6,246 |
| | 5.2 बिन्दु 5 में से, बैंकिंग लोकपालों द्वारा जारी समाधान/मध्यस्थता/एड्वायजरी के माध्यम से निस्तारित शिकायतों की संख्या | 5.2 Of 5, number of complaints resolved through conciliation/mediation/ advisories issued by Bos | 665 | 474 |
| | 5.3 बिन्दु 5 में से, बैंकिंग लोकपालों द्वारा बैंक के विरुद्ध निर्णय जारी करने के बाद निस्तारित शिकायतों की संख्या | 5.3 Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by BOs against the bank | 3 | 6 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | निर्धारित समय (जिनमें अपील की गई हैं उन्हें छोड़कर) के भीतर लागू नहीं किए गए निर्णयों की संख्या | Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed) | 0 | 0 |
| | नोट: मेंटेन करने योग्य शिकायतों से आशय उन शिकायतों से है जो बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 में विशिष्ट रूप से उल्लिखित हैं और इस योजना के अंतर्गत कवर किए जाते हैं. | Note: Maintainable complaints refer to complaints on the grounds specifically mentioned in BO Scheme 2006 and covered within the ambit of the Scheme. | | |

*1134 शिकायतों पर अभी भी निर्णय आना शेष है.

*Decision is yet to come on 1134 complaints

#शिकायतों के प्रारंभिक शेष और बकाया शेष में अंतर प्राप्त सुझावों के आधार पर है जिन्हें बाद में निस्तारित कर दिया गया था.

#Difference in opening and closing is on account of suggestions received which were subsequently disposed off

बैंक को ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के शीर्ष 5 आधार

Top five grounds of complaints received by the bank from customers

| शिकायतों का आधार (अर्थात शिकायतें जो संबंधित हैं-) | Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to) | वर्ष के शुरूआत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the beginning of the year | वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of complaints received during the year | पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % वृद्धि/ कमी % increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year | वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the end of the year | बिन्दु 5 में से, 30 दिनों के बाद लंबित शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints pending beyond 30 days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| वित्तीय वर्ष 2020-21 / FY 2020-21 | | | | | | |
| इंटरनेट/मोबाइल/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग | Internet/Mobile/ Electronic Banking | 13,480 | 8,33,063 | 11.86% | 6,421 | 23 |
| एटीएम/डेबिट कार्ड | ATM/Debit Cards | 12,696 | 7,31,381 | (11.90)% | 12,238 | 72 |
| खाता खोलना/खातों के संचालन में कठिनाई | Account Opening/ difficulty in operations of accounts | 834 | 1,03,555 | 180.80% | 285 | 0 |
| ऋण और अग्रिम | Loans and advances | 515 | 25,425 | 109.05% | 200 | 0 |
| प्रभारों की वसूली/अत्यधिक | Levy of charges/ excessive | 440 | 19,590 | 158.20% | 169 | 4 |
| अन्य | Others | 3,470 | 1,86,401 | 35.32% | 2,798 | 5 |
| वित्तीय वर्ष 2019-20 / FY 2019-20 | | | | | | |
| इंटरनेट/मोबाइल/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग | Internet/Mobile/ Electronic Banking | 11,172 | 7,44,730 | 65.48% | 15,386 | 3,750 |
| एटीएम/डेबिट कार्ड | ATM/Debit Cards | 14,406 | 8,30,194 | 17.44% | 11,954 | 2,061 |
| खाता खोलना/खातों के संचालन में कठिनाई | Account Opening/ difficulty in operations of accounts | 333 | 36,879 | 33.22% | 824 | 217 |
| ऋण और अग्रिम | Loans and advances | 137 | 12,162 | 66.76% | 520 | 105 |
| प्रभारों की वसूली/अत्यधिक | Levy of charges/ excessive | 79 | 7,587 | 218.65% | 441 | 89 |
| अन्य | Others | 3,521 | 1,40,371 | 758.33% | 3,470 | 1,317 |

## ए-5. चुकौती आश्वासन पत्र की स्थिति

I. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जारी चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी)

बैंक ने चालू वर्ष के दौरान विदेशी नियामकों द्वारा अपने विदेशी अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों के परिचालन को समर्थित करने के लिए अपना अनुमोदन प्राप्त करते समय आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में कोई आश्वासन पत्र जारी नहीं किया.

II. 31 मार्च, 2021 को बकाया चुकौती आश्वासन पत्रों की संचयी स्थिति

बैंक द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्रों तथा संचयी वित्तीय जिम्मेदारियों का विवरण निम्नानुसार है:

ए) अपने जमाकर्ताओं व अन्य ऋणदाताओं को पूर्ण रूप से स्वामित्व वाली अनुषंगी- बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लि. के संपूर्ण कर्ज को गारंटीकृत करते हुए रिज़र्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड को 2008-09 के दौरान चुकौती आश्वासन पत्र जारी किया गया. यथा 31 मार्च, 2021 को अनुषंगी की जमा-राशियां (ओवरड्राफ्ट और बैंक के जमा के एवज में ऋण का निवल) ₹ 455.23 करोड़ हैं तथा बाह्य देयता ₹ 6.09 करोड़ हैं (यथा ₹ 461.32 करोड़ की कुल देयता). 31 मार्च 2021 को अनुषंगी की निवल मालियत ₹ 256.92 करोड़ है. इस सबंध में मूल बैंक पर निवल आकस्मिक देयता ₹ 204.40 करोड़ है.

बी) वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने संयुक्त उद्यम बैंक - इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी (आईआईबीएमबी) में बैंक के 40% शेयरधारिता की सीमा तक बैंक नेगारा मलेशिया को आश्वासन पत्र जारी किया है. दिनांक 31 मार्च, 2021 को आईआईबीएमबी की कुल जमा राशि ₹ 189.64 करोड़ एवं अन्य देयताएं ₹ 3.95 करोड़ (अर्थात कुल ₹ 193.59 करोड़ की कुल देयताएं) हैं. दिनांक 31 मार्च, 2021 को आईआईबीएमबी की निवल मालियत ₹ 576.55 करोड़ रहा. चूंकि आईआईबीएमबी का वित्तीय वर्ष 31 दिसंबर को होता है इसलिए 31 मार्च 2021 के आंकड़े अलेखापरीक्षित विवरण से लिए गए है.

## A-5. Status of Letters of Comfort

I. Letters of Comfort (LOC's) issued during the Current Financial Year

During the current financial year the bank has not issued any Letter of Comfort to meet the requirements of the overseas regulators to support the operations of its overseas subsidiaries/joint ventures.

II. Cumulative position of LOC's outstanding as on March 31,2021

The LOC issued by the bank in the past and the cumulative financial obligation is as under:

a) LOC issued during 2008-09 to Reserve Bank of New Zealand guaranteeing entire indebtedness of the wholly owned subsidiary – Bank of Baroda (New Zealand) Ltd. to its depositors and other creditors. As on 31st March 2021 the subsidiary's Deposits (net of Overdraft and Loan against Bank's own deposits) are ₹ 455.23 crores and outside liabilities are ₹ 6.09 crore (i.e. total liabilities of ₹ 461.32 Crores). The net worth of the subsidiary as on 31st March 2021 is ₹ 256.92 Crores. The net contingent liability on the Parent Bank is ₹ 204.40 Crores in this regard.

b) LOC was issued during the year 2010-11 to Bank Negara Malaysia upto our Bank's 40% shareholding in the Joint Venture Bank – 'India International Bank (Malaysia) Bhd (IIBMB). As on 31st March 2021 the deposits of IIBMB are ₹ 189.64 crore and other liabilities are ₹ 3.95 Crores (i.e. Total liabilities of ₹ 193.59 crore). The net worth of the IIBMB as on 31st March 2021 is ₹ 576.55 crore. As the financial year end of IIBMB is 31st December, figure of 31st March 2021 have been taken from unaudited statements.

## ए-6 तीसरी पार्टी के उत्पादों के विपणन से अर्जित आय

## A-6 Income earned for marketing third party products

(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| आय की प्रकृति | Nature of Income | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2020 |
|---|---|---|---|
| जीवन बीमा पॉलिसियों की बिक्री हेतु | For selling life insurance policies | 118.34 | 93.29 |
| गैर-जीवन बीमा पॉलिसियों की बिक्री हेतु | For selling Non-life insurance policies | 58.34 | 51.34 |
| म्यूच्यूअल फंड उत्पादों की बिक्री हेतु | For selling mutual fund products | 28.84 | 19.60 |
| इक्विटी ब्रोकिंग उत्पाद की बिक्री हेतु | For selling on Equity product | 0.24 | 0.00 |
| प्रधान मंत्री जीवन बीमा योजना | Pradhan MantriJeevanBimaYojana | 13.00 | 11.57 |
| प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना | Prime Minister SurakashaBimaYojana | 3.19 | 2.46 |
| यूआईडीएआई-आधार | UIDAI-Aadhar | 5.92 | 5.83 |

## ए–7 जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरुकता निधि (डीईएएफ) में अंतरण

## A-7 Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| विवरण | Particulars | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2020 |
|---|---|---|---|
| डीईएएफ को अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष | Opening balance of amount transferred to DEAF | 2,258.14 | 615.41 |
| पूर्ववर्ती विजया बैंक और पूर्ववर्ती देना बैंक के विलय पर आरंभिक शेष को जोड़ा गया | Opening balance added due to merger of eVB and eDB | 0.00 | 678.09 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि | Add: Amount transferred to DEAF during the year | 774.63 | 984.40 |
| घटायें: डीईएएफ द्वारा दावों के पेटे प्रतिपूर्ति की गयी राशि | Less: Amounts reimbursed by DEAF towards claims | 54.05 | 19.76 |
| डीईएफ को अंतरित राशि का अंतिम शेष | Closing Balance of amounts transferred to DEAF | 2,978.72 | 2,258.14 |

## ए–8 चलनिधि कवरेज अनुपात / A-8 Liquidity Coverage Ratio

### ए–8.1 संख्यात्मक प्रकटीकरण / A-8.1 Quantitative Disclosure

अनुलग्नक बी / Annexure B

समेकित चलनिधि कवरेज (एलसीआर) प्रकटीकरण / Consolidated Liquidity Coverage Ratio (LCR) Disclosure

(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| | बैंक का नाम : बैंक ऑफ़ बड़ौदा | Name of the Bank : Bank of Baroda | मार्च 2021 को समाप्त क्यू 4 का दैनिक औसत Daily Averages of Q4 Ending March 2021 | | दिसंबर 2020 को समाप्त क्यू 3 का दैनिक औसत Daily Averages of Q3 Ending December 2020 | | सितंबर 2020 को समाप्त क्यू 2 का दैनिक औसत Daily Averages of Q2 Ending September 2020 | | जून 2020 को समाप्त क्यू 1 का दैनिक औसत Daily Averages of Q1 Ending June 2020 | | मार्च 2020 को समाप्त क्यू 4 का दैनिक औसत Daily Averages of Q4 Ending March 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | कुल गैर भारित मूल्य Total Unweighted Value | कुल भारित मूल्य Total Weighted Value | कुल गैर भारित मूल्य Total Unweighted Value | कुल भारित मूल्य Total Weighted Value | कुल गैर भारित मूल्य Total Unweighted Value | कुल भारित मूल्य Total Weighted Value | कुल गैर भारित मूल्य Total Unweighted Value | कुल भारित मूल्य Total Weighted Value | कुल गैर भारित मूल्य Total Unweighted Value | कुल भारित मूल्य Total Weighted Value |
| | **उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां** | High Quality Liquid Assets | | | | | | | | | | |
| 1 | कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (एचक्यूएलए) | Total High Quality Liquid Assets (HQLA) | | 2,24,998.08 | | 2,36,297.60 | | 2,32,559.21 | | 2,28,355.75 | | 1,84,740.49 |
| | **नकद आउट फ़्लो** | Cash Outflows | | | | | | | | | | |
| 2 | रिटेल जमा एवं लघु व्यवसाय वाले ग्राहकों की जमाएं जिसमें से: | Retail deposit and deposits from small business customers, of which: | 6,18,542.16 | 58,247.50 | 6,13,701.57 | 57,305.21 | 6,12,895.62 | 56,514.69 | 6,16,787.15 | 57,201.90 | 5,96,083.29 | 55,542.74 |
| (i) | स्थिर जमाएं | Stable Deposits | 72,134.30 | 3,606.71 | 81,298.93 | 4,064.95 | 95,497.43 | 4,774.87 | 89,536.35 | 4,476.82 | 81,311.68 | 4,065.58 |
| (ii) | घटाएं स्थिर जमाएं | Less Stable Deposits | 5,46,407.86 | 54,640.79 | 5,32,402.64 | 53,240.26 | 5,17,398.19 | 51,739.82 | 5,27,250.80 | 52,725.08 | 5,14,771.61 | 51,477.16 |
| 3 | गैर जमानती होलसेल निधियन जिसमें से: | Unsecured wholesale funding, of which: | 1,66,075.01 | 93,210.16 | 1,55,867.87 | 85,209.31 | 1,59,151.72 | 89,862.57 | 1,78,298.83 | 1,00,768.75 | 1,60,020.66 | 92,023.56 |
| (i) | परिचालन जमाएं (सभी काउंटरपार्टियां ) | Operational deposits (all counterparties) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (ii) | गैर परिचालन जमाएं (सभी काउंटरपार्टियां ) | Non-operational deposits (all counterparties) | 1,66,075.01 | 93,210.16 | 1,55,867.87 | 85,209.31 | 1,59,151.72 | 89,862.57 | 1,78,298.83 | 1,00,768.75 | 1,60,020.66 | 92,023.56 |
| (iii) | गैर जमानती कर्ज | Unsecured debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | जमानती होलसेल निधियन | Secured wholesale Funding | 27,761.15 | 0.00 | 32,482.56 | 0.00 | 19,076.07 | 0.00 | 33,529.72 | 0.00 | 39,218.75 | 0.00 |
| 5 | अतिरिक्त आवश्यकताएं जिसमें से | Additional requirements, of which | 1,38,068.00 | 15,453.55 | 1,30,386.01 | 14,164.76 | 1,46,711.83 | 17,173.11 | 1,41,690.81 | 18,215.94 | 1,03,900.45 | 19,411.24 |
| (i) | डेरिवेटिव एक्स्पोज़र और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित आउटफ्लो | Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements | 11.87 | 11.87 | 10.45 | 10.45 | 16.48 | 16.48 | 274.25 | 274.25 | 154.94 | 154.94 |
| (ii) | ऋण उत्पादों पर निधियन की हानि से संबंधित आउटफ्लो | Outflows related to loss of funding on debt products | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (iii) | क्रेडिट और चलनिधि सुविधाएं | Credit and liquidity facilities | 1,38,056.13 | 15,441.68 | 1,30,375.55 | 14,154.31 | 1,46,695.35 | 17,156.63 | 1,41,416.56 | 17,941.70 | 1,03,745.52 | 19,256.31 |
| 6 | अन्य संविदात्मक निधियन दायित्व | Other contractual funding obligations | 2,972.97 | 2,972.97 | 1,128.72 | 1,128.72 | 956.67 | 956.67 | 1,070.53 | 1,070.53 | 2,670.25 | 2,670.25 |
| 7 | अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व | Other contingent funding obligations | 83,236.62 | 2,497.10 | 84,818.68 | 2,596.43 | 89,743.33 | 2,801.97 | 84,020.06 | 2,584.25 | 78,784.97 | 2,422.00 |
| 8 | कुल नकद आउटफ्लो | TOTAL CASH OUTFLOWS | 10,36,655.92 | 1,72,381.28 | 10,18,385.41 | 1,60,404.44 | 10,28,535.25 | 1,67,309.02 | 10,55,397.10 | 1,79,841.37 | 9,80,678.36 | 1,72,069.80 |
| | नकद इन फ़्लो | Cash Inflows | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | जमानती ऋण (उदाहरण रिवर्स रेपो) | Secured lending (e.g. reverse repos) | 3,468.78 | 0.00 | 26,756.94 | 0.00 | 13,938.50 | 15.91 | 26,073.67 | 26.45 | 9,501.14 | 27.33 |
| 10 | पूर्णतया निष्पादक एक्सपोज़र से इनफ्लो | Inflows from fully performing exposures | 36,749.19 | 31,090.80 | 32,220.18 | 26,840.16 | 13,632.18 | 11,978.47 | 23,339.55 | 20,132.29 | 41,210.93 | 33,431.80 |
| 11 | अन्य नकद इनफ्लो | Other cash inflows | 2,632.53 | 1,692.94 | 1,923.98 | 900.71 | 2,072.79 | 1,194.33 | 1,996.72 | 1,863.38 | 3,518.47 | 3,038.70 |
| 12 | कुल नकद इनफ्लो | TOTAL CASH INFLOWS | 42,850.50 | 32,783.73 | 60,901.10 | 27,740.87 | 29,643.48 | 13,188.71 | 51,409.94 | 22,022.12 | 54,230.55 | 36,497.82 |
| | | | | कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value | | कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value | | कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value | | कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value | | कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value |
| 13 | कुल एचक्यूएलए | TOTAL HQLA | | 2,24,998.08 | | 2,36,297.60 | | 2,32,559.21 | | 2,28,355.75 | | 1,84,740.49 |
| 14 | कुल निवल नकद आउटफ्लो | TOTAL NET CASH OUTFLOWS | | 1,39,597.55 | | 1,32,663.57 | | 1,54,120.31 | | 1,57,819.24 | | 1,35,571.98 |
| 15 | चलनिधि कवरेज अनुपात (%) | LIQUIDITY COVERAGE RATIO (%) | | 161.18% | | 178.12% | | 150.89% | | 144.69% | | 136.27% |

## ए- 8.2 गुणात्मक प्रकटीकरण

01 जनवरी, 2015 से बैंक में भारतीय रिज़र्व बैंक के चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) संबंधी दिशानिर्देशों को क्रियान्वित कर दिया गया है.

एलसीआर मानक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक भार-रहित एचक्यूएलए के पर्याप्त स्तर को बनाए रखे ताकि उसे अत्यधिक तरलता संबंधी दबाव की स्थिति में 30 कैलेंडर दिनों के लिए इसकी चलनिधि संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए नकदी परिवर्तित किया जा सके. एलसीआर तथा निगरानी संबंधी उपाय प्रारंभ में दि. 01 जनवरी, 2015 से भारतीय बैंकों के लिए समग्रतः बैंक स्तर पर लागू है अर्थात शाखाओं के जरिए विदेशी परिचालन सहित स्टैंड अलोन आधार पर लागू हैं एवं बाद में दि. 01 जनवरी, 2016 से समेकित आधार पर अर्थात घरेलू एवं विदेशी अनुषंगियों सहित लागू होंगे.

एलसीआर के दो घटक हैं:

(i) दबावग्रस्त स्थितियों में उच्च-गुणवत्ता तरल अस्तियों (एचक्यूएलए) के स्टॉक का मूल्य - न्यूमरेटर (अंश-गणक)

(ii) कुल निवल नकद बहिर्प्रवाह: लगातार 30 कैलेंडर दिनों (दबावग्रस्त अवधि) के लिए विनिर्दिष्ट दबावग्रस्त परिदृश्य में 'कुल अनुमानित नकद बहिर्प्रवाह' में से 'कुल अनुमानित नकद अंतर्प्रवाह को घटाकर 'कुल निवल नकद बहिर्प्रवाह' परिभाषित होता है- डिनॉमिनेटर (विभाजक)

## A-8.2 Qualitative Disclosure:

From 1st January 2015, the bank has implemented guidelines on Liquidity Coverage Ratio (LCR) of the Reserve Bank of India.

The LCR standard aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered HQLAs that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario. The LCR and monitoring tools are applicable for Indian banks initially w.e.f. 1st January 2015 on a stand-alone basis including overseas operations through branches and subsequently at consolidated basis w.e.f. 1st January 2016 i.e. including domestic and overseas subsidiaries.

The LCR has two components:

(i) The value of the stock of high-quality liquid assets (HQLA) in stressed conditions. – The Numerator

(ii) Total net cash outflows: The term "Total net cash outflows" is defined as "Total expected cash outflows" minus "Total expected cash inflows" in the specified stress scenario for the subsequent 30 calendar days (the stressed period) – The Denominator.

$$\text{एलसीआर / LCR} = \frac{\text{उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियों के स्टॉक (एचक्यूएलए) / Stock of high quality liquid assets (HQLAs)}}{\text{कैलेंडर दिनों के दौरान कुल निवल नकद बहिर्प्रवाह / Total net cash outflows over the next 30 calendar days}} >= 100\%$$

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 31 मार्च, 2014 के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने वित्तीय वर्ष मार्च, 2016 के लिए एलसीआर प्रकटीकरण एकल आधार पर किया है. दिनांक 01 जनवरी 2016 से भारतीय बैंकिंग उद्योग प्रणाली पर समेकित आधार पर प्रकटीकरण के लागू मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार जनवरी 2017 से शुरु होने वाले वर्ष के लिए बैंक को एलसीआर प्रकटीकरण दैनिक औसत के आधार पर करना है, इसलिए बैंक ने मार्च 2017 को समाप्त तिमाही के लिए एकल एवं समेकित दोनों आधार पर दैनिक औसत पर एलसीआर की गणना की है. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 17 अप्रैल 2020 के परिपत्र के अनुसार, बैंक को 30 सितंबर 2020 तक न्यूनतम एलसीआर 80%, 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक 90% और 1 अप्रैल 2021 से 100% जारी रखना होगा.

### एचक्यूएलए की संरचना

मार्च 2021 को समाप्त तिमाही के लिए दैनिक औसत के आधार पर अतिरिक्त सीआरआर प्रतिभूतियाँ एचक्यूएलए का अधिकतम हिस्सा अर्थात 58.77% है उसके बाद चलनिधी कवरेज अनुपात का लाभ उठाने हेतु सुविधा, जो कि एचक्यूएलए का 13.74% है. स्तर-2 की आस्तियां जोकि स्तर-4 की आस्तियों की तुलना में गुणवत्ता में निम्न है, वह 40% के अधिकतम अनिवार्य स्तर के सामने कुल एचक्यूएलए का 0.50% है.

As per the RBI guidelines dated 31st March 2014, the Bank has made LCR disclosure on the solo basis from the financial year ending March 2016. In terms of extant guideline, disclosure on consolidated basis was applicable to the Indian banking system from 1st January 2016. As starting from January 2017, the banks had to disclose the LCR on daily average basis, hence the bank has computed LCR on daily average basis both for Solo and Consolidated Level since March 2017. As per the RBI circular dated 17th April 2020, the Bank has to maintain minimum LCR of 80% till 30th September 2020, 90% from 1st October 2020 to 31st March 2021 and 100% from 1st April 2021.

### Composition of HQLA

Based on daily averages for the quarter ended March 2021, Facility to avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio constitutes the highest portion of HQLA i.e 58.77% followed by excess CRR securities which constitute 13.74%. Level 2 assets which are lower in quality as compared to Level 1 assets, constitute nominally 0.50% of total stock of HQLA against maximum mandated level of 40%.

| उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (एचक्यूएलए) | High Quality Liquid Assets (HQLAs) | समेकित आधार पर एचक्यूएलए में औसत अंशदान प्रतिशत<br>Average percentage contribution to HQLA at consolidated\ basis |
|---|---|---|
| लेवल 1 आस्तियां | Level 1 Assets | |
| हाथ में नकदी | Cash in hand | 2.13% |
| आधिक्य सीआरआर शेष | Excess CRR balance | 13.74% |
| न्यूनतम एसएलआर आवश्यकता के अलावा सरकारी प्रतिभूतियाँ | Government Securities in excess of minimum SLR requirement | 9.72% |
| एमएसएफ के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत सीमा तक अनिवार्य एसएलआर आवश्यकता के तहत सरकारी प्रतिभूतियां (वर्तमान में एमएसएफ के लिए तथा अनुमत एनडीटीएल की 3 प्रतिशत सीमा तक) | Government securities within the mandatory SLR requirement, to the extent allowed by RBI under MSF(presently to the extent of 3 per cent of NDTL as allowed for MSF) | 11.79% |
| बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत 0% रिस्क-वेट वाले विदेशी संप्रभुओं द्वारा जारी की गयी अथवा प्रत्याभूत बाजार योग्य प्रतिभूतियां (मेमो क.सं. 1 के अंतर्गत देशवार विवरण) | Marketable securities issued or guaranteed by foreign sovereigns having 0% risk-weight under Basel II Standardized Approach (country-wise details to be provided under memo item no.1) | 3.34% |
| चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए तरलता हेतु सुविधा (वर्तमान में एफएएलएलसीआर के लिए यथा अनुमत एनडीटीएल की 14.5 प्रतिशत सीमा तक) | Facility to avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio(presently to the extent of 14.5 per cent of NDTL as allowed for FALLCR) | 58.77% |
| कुल समायोजित लेवल 1, आस्तियां | Total Adjusted Level 1 Assets | 99.50% |
| कुल समायोजित लेवल 2ए आस्तियां | Total Adjusted Level 2A Assets | 0.49% |
| कुल समायोजित लेवल 2बी आस्तियां | Total Adjusted Level 2B Assets | 0.01% |
| एचक्यूएलए के कुल स्टॉक = लेवल 1 + लेवल 2ए+ लेवल 2बी – 15% अधिकतम सीमा के लिए समायोजित – 40% उच्चतम सीमा के लिए समायोजित. | Total Stock of HQLAs = Level 1 + Level 2A + Level 2B – Adjustment for 15% cap – Adjustment for 40% cap | 100.00% |

**एलसीआर के प्रमुख वाहक:**

समेकित आधार पर बैंक ने 31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही के दौरान 90% की न्यूनतम एलसीआर आवश्यकता पर ₹ 1,39,597.55 करोड़ की औसत आवश्यकता के सापेक्ष ₹ 2,24,998.07 करोड़ एचक्यूएलए (मार्जिन के बाद) को बनाए रखा था. एचक्यूएलए मुख्य रूप से न्यूनतम एसएलआर के आधिक्य में सरकारी प्रतिभूतियों, मार्जिनल स्टैण्डिंग फैसिलिटी (एमएसएफ) के तहत अनुमत सीमा तथा चलनिधि कवरेज अनुपात की सुविधा प्राप्त करने पर आधारित है. इसके अलावा, एचक्यूएलए के महत्वपूर्ण घटकों के अंतर्गत नकदी, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा विदेशी केंद्रीय बैंकों के पास एक्सेस सीआरआर तथा विदेशी सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां शामिल हैं. स्तर-2 के एचक्यूएलए में मुख्यतः एए- और उससे ऊपर के रेटेड कार्पोरेट बॉन्ड और वाणिज्यिक प्रपत्र शामिल हैं.

Main drivers of LCR:

The Bank on a consolidated basis, during the three months ended March 31, 2021, had maintained average HQLA (after haircut) of ₹ 2,24,998.07 Crores. As against the average requirement of ₹ 1,39,597.55 Crores at a minimum LCR requirement of 90%. HQLA is primarily driven by government securities in excess of minimum SLR, the extent allowed under the Marginal Standing Facility (MSF) and the Facility to Avail Liquidity coverage ratio. Also, cash, excess CRR maintained with RBI and other overseas central banks, securities issued by foreign sovereigns are important factors of HQLA. Level 2 HQLA primarily consisted of AA- and above rated corporate bonds and commercial papers.

**अंत: अवधि परिवर्तन तथा समयोपरांत परिवर्तन :**

90% की विनियामक आवश्यकताओं के सापेक्ष जनवरी 2021, फरवरी 2021 तथा मार्च 2021 में समेकित आधार पर एलसीआर क्रमशः 167.76%, 168.86% तथा 128.56% था.

**निधियन स्रोतों का संकेन्द्रण**

महत्वपूर्ण काउंटर-पार्टियों को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि एक एकल काउंटर पार्टी या महत्वपूर्ण काउंटर-पार्टियों का जुड़ा हुआ या संलग्न समूह, जिनका कुल हिस्सा बैंक की कुल देयताओं में 1% से अधिक है. 31 मार्च, 2021 को कोई महत्त्वपूर्ण काउंटर पार्टी जमाराशि नहीं थी.

एक "महत्वपूर्ण लिखत/उत्पाद" को समान लिखतों/ उत्पादों के समूह के एकल लिखत/ उत्पाद के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनकी सकल राशि बैंक की कुल देयताओं में 1% से अधिक है. निधियन लिखतों/ उत्पादों का उदाहरण-हॉलसेल जमाराशियां, जमाराशियों के प्रमाणपत्र, दीर्घावधि बॉन्ड इत्यादि हैं. 31 मार्च 2021 तक घरेलू परिचालनों के महत्वपूर्ण लिखत/ उत्पाद, होलसेल जमाराशि अर्थात् ग्लोबल देयताओं का 8.11%, रिटेल मियादी जमाराशियां अर्थात् ग्लोबल देयताओं का 33.21%, मांग जमाराशियां अर्थात वैश्विक देयताओं का 5.33%, बचत जमाराशियों अर्थात ग्लोबल देयताओं का 26.52% और जमा प्रमाणपत्र अर्थात ग्लोबल देयताओं का 1.13% थे.

घरेलू परिचालनों में बैंक के शीर्ष 20 जमाकर्ता एकल आधार पर हमारी कुल जमाराशियों का 4.18% है.

**एलसीआर में मुद्रा मिसमैच:**

भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार, जहां केवल एक ही मुद्रा के लिए एलसीआर मानक का अनुपालन आवश्यक है, वहीं संभाव्य मुद्रा-मिसमैच पर बेहतर नियंत्रण रखने के लिए प्रत्येक मुद्रा की निगरानी आवश्यक है. तदनुसार, बैंक दैनिक आधार पर भारतीय रुपये में एलसीआर सुनिश्चित कर रहा है और उसकी तुलना नियामक आवश्कयताओं के साथ की जाती है, किन्तु अन्य महत्वपूर्ण मुद्राओं (महत्वपूर्ण मुद्रा उसे कहते हैं जहां उस मुद्रा में दर्शायी गई कुल देयताएं, बैंक की कुल देयताओं के 5% या उससे अधिक होती है) के संबंध में बैंक "बीएलआर -4- एलसीआर" के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को मासिक आधार पर प्रस्तुत करने हेतु एलसीआर तैयार करता है और इसकी निगरानी करता है. प्रत्येक महत्वपूर्ण मुद्रा पर विनियामक सीमा के अनुसार बैंक को एलसीआर को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है.

Intra-period changes as well as changes over time:

LCR on consolidated basis were 167.76%, 168.86% and 128.56% for the months ending January 2021, February 2021 and March 2021 respectively as against the regulatory requirement of 90%.

Concentration of funding sources

A significant counterparty is defined as a single counterparty or group of connected or affiliated counterparties accounting in aggregate for more than 1% of the bank's total liabilities. There were no significant counterparty Deposit as of 31st March 2021.

A "significant instrument/product" is defined as a single instrument/product of group of similar instruments/products which in aggregate amount to more than 1% of the bank's total liabilities. Example of funding instruments/products - wholesale deposits, certificates of deposits, long term bonds etc. Significant instrument/product of domestic operations as of 31st March 2021 were Wholesale Deposits i.e. 8.11% of Global Liabilities, Retail Term Deposits i.e 33.21% of Global Liabilities, Demand Deposits i.e 5.33% of Global Liabilities, Savings Deposits i.e 26.52% of Global Liabilities and Certificate of Deposits i.e 1.13% of Global Liabilities.

Top 20 depositors of the bank at Domestic operations constitute 4.18% of our total deposits of Global operations.

Currency mismatch in the LCR:

As per the RBI guidelines while the LCR standard is required to be met on one single currency, in order to better capture potential currency mismatch the LCR in each currency needs to be monitored. Accordingly, Bank is maintaining LCR on daily basis in INR and the same is compared against the regulatory requirement, but on other significant currencies i.e (A significant currency is one where aggregate liabilities denominated in that currency amount to 5 per cent or more of the bank's total liabilities) bank is preparing LCR on monthly basis for the submission to RBI under "BLR-4 – LCR" and to monitor the same. Bank is not required to maintain LCR as per regulatory limits on each significant currency.

| क्र. स.<br>S.No. | मुद्रा | Currency | एलसीआर का स्तर (%)<br>LCR level (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | यूएसडी | USD | 123.71 |

**चलनिधि प्रबंधन की केंद्रीयकरण की डिग्री का विवरण तथा समूह की इकाइयों के बीच पारस्परिक संवाद:**

उद्यमवार आधार पर बैंक के लिए चलनिधि प्रबंधन की जिम्मेवारी निदेशक मंडल की है. निदेशक मंडल अपनी यह जिम्मेवारी निदेशक मंडल की समिति को जिसे 'जोखिम प्रबंधन पर निदेशक मंडल' कहा जाता है, सौंप देता है. यह समिति विभिन्न प्रकार के जोखिमों तथा चलनिधि पर इसके प्रभाव के बीच सहबद्धता परिवेक्षण के लिए उत्तरदायी है.

हमारे बैंक में ए.एल.एम. पॉलिसी ग्रुप है जो समूह के भीतर चलनिधि एवं ब्याज दर जोखिम को संचालित करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश देता है. विदेशों में परिचालित बैंक की इकाइयां क्षेत्रीय एएलएम पॉलिसी एवं समूह एएलएम पॉलिसी, दोनों के अनुरुप अपनी परिचालन चलनिधि या अल्पावधि चलनिधि को लगातार आधार पर या स्वयं ही प्रबंध कर लेती है.

ए.एल.एम. समूह की पॉलिसी के संबंध में दिशानिर्देश, जब तक कि विशेष रुप से छूट प्राप्त न हो, विदेशी परिचालनों में भी लागू किए जाते है. बैंक की सभी वैधानिक संस्थाएं अर्थात अनुषंगियां, संयुक्त उद्यम तथा सहयोगी लगातार अपने निजी प्रयासों से अपने व्यवसाय मॉडल तथा चलनिधि आवश्यकता के अनुसार अपना प्रबन्ध करती है. वे अपनी निजी ए.एल.एम पॉलिसी रखते है. चूंकि वैधानिक संस्थाएं बैंकिंग व्यवसाय करती हैं. वे उस देश के दिशा-निर्देशों साथ - साथ भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों इनमें से जो ज्यादा कड़े है, उनके अनुसार कार्य करती है.

**Description of the degree of centralization of liquidity management and interaction between the group's units:**

The liquidity management for the Bank on enterprise wide basis is the responsibility of the Board of Directors. Board of Directors has delegated its responsibilities to a Committee of the Board called as the "Risk Management Committee of Board". The Committee is responsible for overseeing the inter linkages between different types of risk and its impact on liquidity.

Bank has Group ALM Policy which provides the broad guidelines under which all the entities within the Group operate in terms of liquidity and interest rate risk. The bank's entities operating in foreign countries manage liquidity in the short-term on their own on an ongoing basis as per both respective territory's ALM policy and Group ALM policy.

The guidelines of the Group ALM policy, unless otherwise specifically exempted, apply to overseas operations as well. All the legal entities of the bank i.e.-subsidiaries, joint ventures and associates manage their operational liquidity on an ongoing basis at their own according to their business models and liquidity requirement. As to the legal entities carrying out banking business, they have their own ALM Policy in line with the host country guidelines as well as RBI guidelines whichever is more stringent.

## ए-9 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार संबंधी प्रमाणपत्र (पीएसएलसी)

## A-9 Priority Sector Lending Certificate (PSLC)

बैंक ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित पीएसएलसी की खरीद और बिक्री की है :-

The banks has purchased& sold the following PSLCs during the year:-

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| क्र. सं. Sr. No. | श्रेणी | Category | खरीद Purchase | बिक्री Sale |
|---|---|---|---|---|
| 1. | पीएसएलसी सूक्ष्म उद्यम | PSLC Micro Enterprises | 0.00 | 1,500 |
| 2. | पीएसएलसी कृषि | PSLC Agriculture | 0.00 | 0.00 |
| 3. | पीएसएलसी सामान्य | PSLC General | 0.00 | 0.00 |
| 4. | पीएसएलसी छोटे एवं सीमांत किसान | PSLC Small and Marginal Farmers | 4,000 | 3,700 |
| 5. | एमएसएमई | MSME | 0.00 | 0.00 |
| | कुल | Total | 4,000.00 | 5,200.00 |

ए-10 'अग्रिमों के पुनर्गठन-सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र' (एक बारगी पुनर्गठन) पर भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रांक डीबीआर.सं. बीपी.बीसी 18/21.04.048/2018-19 दिनांक 01 जनवरी, 2019 के अनुसरण में प्रकटीकरण उपर्युक्त निर्देशों के अंतर्गत 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान पुनर्गठित किए गए एमएसएमई खाते निम्नानुसार हैं-

A-10 Disclosure in term of RBI Circular No. DBR.No.BP.BC.18/21.04.048/2018-19 dated January 1, 2019 on 'Restructuring of Advances – Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Sector' (One Time Restructuring), MSME accounts restructured under above instructions during the year ended 31st March, 2021 as under: -

| 31.03.2021 को पुनर्गठित किए गए खातों की संख्या<br>No. of Accounts Restructured<br>31.03.2021 | 31.03.2021 को राशि (₹ करोड़ में)<br>Amount<br>(₹ in Crore)<br>31.03.2021 | 31.03.2020 को रिस्ट्रक्चर किए गए खातों की संख्या<br>No. of Accounts Restructured<br>31.03.2020 | 31.03.2020 को राशि (₹ करोड़ में)<br>Amount<br>(₹ in Crore)<br>31.03.2020 |
|---|---|---|---|
| 1,25,906 | 9,039.46 | 37,261 | 1,734.00 |

## बी. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी एकाउंटिंग स्टैंडर्ड (एएस) के संबंध में प्रकटीकरण

### बी-1 अवधि के लिए निवल लाभ एवं हानि, पूर्व अवधि हेतु मद तथा लेखांकन नीति में परिवर्तन (लेखांकन मानक-5)

(i) पूर्व अवधि हेतु मद:

इस वर्ष के दौरान, पूर्व अवधि आय / व्यय के कोई महत्वपूर्ण मद नहीं थे.

(ii) लेखांकन नीति में परिवर्तन:

बैंक ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में एक समान लेखांकन नीतियों और कार्य प्रणालियों का पालन करना जारी रखा है, जैसा कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष में किया गया था.

### बी-2 एएस 11- विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन :

विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन रिज़र्व का संचलन

## B. Disclosure in terms of Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

### B-1 Net Profit or Loss for the period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies(Accounting Standard -5)

(i) Prior Period Items:

During the year, there were no material prior period income / expenditure items.

(ii) Change in accounting policy:

The Bank has continued to follow the same accounting policies and practices in preparation of Audited financial statements for the year ended March 31, 2021 as followed in the previous financial year ended March 31, 2020.

### B-2 AS 11- Changes in foreign exchange rates:

Movement of foreign currency translation reserve

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| विशेषताएं | Particulars | 2020-21 | 2019-20 |
|---|---|---|---|
| प्रारम्भिक शेष | Opening balance | 3,373.90 | 2,441.04 |
| वर्ष के दौरान जमा | Credited during the year | 0.00 | 932.86 |
| वर्ष के दौरान आहरण | Withdrawn during the year | 312.84 | 0.00 |
| अंतिम शेष | Closing Balance | 3,061.06 | 3,373.90 |

### बी-3 कर्मचारी लाभ (लेखांकन मानक- 15)

बी-3.1 बैंक ने आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों (एएस- 15) को अपनाया है.

बी-3.2 ग्रेच्युटी

बैंक अपने ऐसे कर्मचारियों जो प्रारंभिक पाँच वर्षों की सेवा के पश्चात बैंक की सेवा से एक्ज़िट हो जाते हैं, को ग्रेच्युटी का भुगतान करता है. तदनुसार, बैंक भुगतान की जाने वाली इस ग्रेच्युटी की फंडिग के लिए प्रत्येक वर्ष एक आंतरिक न्यास को अंशदान राशि प्रदान करता है. ग्रेच्युटी निधि के नियमों के अनुरूप ब्याज दर, वेतन वृद्धि, मृत्यु दर और सेवा छोड़ने वाले स्टाफ का अनुमान लगाते हुए, अनुमानित इकाई ऋण बीमांकिक पद्धति के आधार पर ग्रेच्युटी देयता के बीमांकिक मूल्य की गणना की जाती है. निधियों का निवेश भारत सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार किया जाता है.

### B-3 Employee Benefits (Accounting Standard -15)

B-3.1 The Bank has adopted the Accounting Standard (AS-15) issued by ICAI.

B-3.2 Gratuity

The Bank pays gratuity to employees who Exit from Bank's service, after initial service period of five years. Accordingly, the Bank makes contributions to an in-house trust, towards funding this gratuity, payable every year. In accordance with the rule of Gratuity Fund, actuarial valuation of gratuity liability is calculated based on certain assumptions regarding rate of interest, salary growth, mortality and staff attrition as per the Projected Unit credit actuarial method. The investment of the funds is made according to investment pattern prescribed by the Government of India.

भुगतान की जाने वाली ग्रेच्युटी की गणना तीन विभिन्न योजनाओं (बीओबीओएसआर, 1979/ बीपीएस, ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 और बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रेच्युटी निधि नियम) के तरीके से की जाती है तथा इसके लिए कर्मचारियों के लिए पात्रता का निर्धारण जो योजना कर्मचारियों के लिए अधिक लाभकारी हो, उसके आधार पर की जाती है.

बी–3.3 पेंशन

बी–3.3.1 बैंक अपने कर्मचारियों, जिन्होंने पेंशन का विकल्प चुना है और ऐसे कर्मचारियों को, जिन्होंने 29.09.1995 को या उसके बाद परंतु 01.04.2010 के पूर्व बैंक सेवा में कार्यभार ग्रहण किया है, उन्हें पेंशन, विनिर्दिष्ट लाभ का भुगतान करता है. यह योजना कर्मचारियों को बैंक ऑफ़ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन विनियमन, 1995 के अनुरूप उनके बैंक छोड़ने के पश्चात् मासिक आधार पर पेंशन प्रदान करती है. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन विनियमन, 1995 के अंतर्गत शामिल कर्मचारी, भविष्य निधि में बैंक के अंशदान के लिए पात्र नहीं है. कार्यकाल के समापन के समय, पेंशन के लिए पात्र कर्मचारियों को पेंशन के कम्यूटेशन का भुगतान उक्त विनियमन के तहत किया जाता है. बैंक पात्र कर्मचारियों के मूल वेतन एवं निश्चित भत्तों के 10% के बराबर अपना अंशदान करते समय बीमांकिक गणनाओं के आधार पर अतिरिक्त अंशदान भी करता है.

बी–3.3.2 नई पेंशन योजना

पेंशन का अन्य विकल्प देने के बारे में भारतीय बैंक संघ और कर्मचारी संगठनों के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते और संयुक्त नोट दिनांक 27.04.2010 के अनुसार दिनांक 01.04.2010 को या इसके पश्चात बैंक की सेवा ग्रहण करने वाले कर्मचारी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिए पात्र हैं, जिसका शुभारंभ बैंक ने संयुक्त नोट/ समझौते दिनांक 27.04.2010 के अनुसार शुरू किया है, जो दिनांक 01.01.2004 से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए शुरू की गयी तथा समय–समय पर यथा संशोधित नई पेंशन योजना के प्रावधानों से संचालित योजना के समान है. अतः वे बैंक की भविष्य निधि योजना तथा पेंशन योजना का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं हैं. दिनांक 01.04.2010 को अथवा इसके पश्चात् बैंक सेवा ग्रहण करने वाले बैंक के कर्मचारियों के संबंध में मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते की 10% की दर से नई पेंशन योजना के लिए कटौती की जाती है और इसके समतुल्य ही बैंक द्वारा अंशदान किया जाता है तथा एनएसडीएल को भेजा जाता है जो इन खातों को प्रबंधित करता है. निधियों का प्रबंधन पेंशन निधि प्रबंधक द्वारा किया जाता है.

बी–3.4 भविष्य निधि

बैंक के लिए अपने ऐसे कर्मचारियों, जिन्होने बैंक की सेवा दिनांक 31.03.2010 को अथवा उससे पूर्व ग्रहण की हैं, के सेवानिवृत्ति लाभों के भाग के रुप में भविष्य निधि रखना सांविधिक आवश्यकता है. इस निधि को बैंक द्वारा प्रबंधित न्यास द्वारा शासित किया जाता है. प्रत्येक कर्मचारी जो पीएफ का सदस्य है, अपने मूल वेतन एवं पात्र भत्तों का 10% अंशदान करता है और बैंक पीएफ चयनकर्ता के मामले में उस राशि के बराबर राशि का अंशदान करता है. इस निधि का निवेश भारत सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार किया जाता है.

The gratuity payable is worked out by way of three different schemes (BOBOSR,1979 /BPS, Gratuity Act,1972 and Bank of Baroda Gratuity Fund Rules) and the entitlement is based on what is most beneficial to employees.

B-3.3 Pension

B-3.3.1 Bank pays pension, a defined benefit plan covering the employees who have opted for pension and also to the employees joining the bank's service on or after 29.9.1995 but before 01.04.2010. The plan provides for a pension on a monthly basis to these employees on their cessation from service of the Bank in terms of Bank of Baroda (Employees') Pension Regulations, 1995. Employees covered under Bank of Baroda (Employees') Pension Regulations, 1995 are not eligible for Bank's contribution to Provident fund. At the time of cessation, those eligible for pension are paid commutation of Pension as provided by the said Regulations. While the Bank contributes its contribution at 10% of eligible employees' Basic and certain allowances, additional contribution is also made based on the Actuarial calculations.

B-3.3.2 New Pension Scheme

In terms of Bipartite Settlement and Joint Note dated 27.04.2010 between IBA and Employees Organizations' on extending another option for pension, employees joining the services of the Bank on or after 01.04.2010 are eligible for the Defined Contributory Pension Scheme, which was introduced by the Bank in terms of the Joint Note / Settlement dated 27.04.2010 similar to the one governed by the provisions of New Pension Scheme introduced for the employees of Central Government w.e.f 01.01.2004 and as modified from time to time. Hence they are not eligible for becoming members of Bank's Provident Fund Scheme and Pension Scheme. In respect of the employees of the Bank, who have joined the services of the Bank on or after 01.04.2010, deduction towards New Pension Scheme at the rate of 10% of the basic pay and dearness allowance from the salary with a matching contribution by the Bank is being made and remitted to the NSDL which maintains the accounts. Funds are managed by the Pension Fund Manager

B-3.4 Provident Fund

The Bank is statutorily required to maintain a provident fund as a part of its retirement benefits to its employees who joined Bank's service on or before 31.03.2010. This fund is administered by a trust managed by the Bank. Each employee who is member of PF contributes 10% of their basic salary and eligible allowances and the Bank contributes an equal amount to the PF in case of PF optee. The investment of the fund is made according to investment pattern prescribed by the Government of India.

### बी–3.5 अवकाश नकदीकरण

कर्मचारी अधिवर्षिता/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/ मृत्यु की तारीख पर अपने खाते में जमा अर्जित अवकाश को अधिकतम 240 दिनों के नकदीकरण का पात्र है.

तथापि, त्यागपत्र के मामले में कर्मचारी उसके खाते में जमा अर्जित अवकाश का 50% तक, अधिकतम 120 दिनों के अधीन, नकदीकरण का पात्र है.

### बी–3.6 अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ (एआरबी)

अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ योजना में यह प्रावधान है कि ऐसे अधिकारी जो दिनांक 01.07.1979 से पूर्व बैंक की सेवाएं ग्रहण की हैं, वे सेवानिवृत्ति/ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/ मृत्यु के मामले में अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ के रुप में 6 माह का वेतन पाने के लिए पात्र होंगे, बशर्ते उसने बैंक ऑफ़ बड़ौदा (पूर्ववर्ती विजया बैंक/ पूर्ववर्ती देना बैंक को छोड़कर) में 25 वर्ष की अपनी सेवा पूरी कर ली हो और वह बीओबी अधिकारी सेवा विनियमों में दर्शाई गयी शर्तों को पूरा करता हो.

इसी प्रकार अवार्ड स्टाफ सदस्य सेवानिवृत्ति/ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/ मृत्यु के मामले में अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ पाने के लिए पात्र होगा, बशर्ते उन्होने बैंक में तीस वर्षों की सेवाएं पूरी की हो.

तथापि, बर्खास्तगी, सेवामुक्ति, सेवा–समाप्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति एवं त्यागपत्र के मामले में, अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ देय नहीं होंगे, चाहे सेवा के कितने ही वर्ष पूरे कर लिए गए हों.

### बी–3.7 प्रकटीकरण

परिभाषित लाभ योजना (ग्रेच्युटी एवं पेंशन)

ए) परिभाषित लाभ संबंधी दायित्वों का वर्तमान मूल्य

### B-3.5 Leave Encashment

An employee is entitled to encash privilege leave standing to his/her credit subject to a maximum of 240 days on the date of superannuation/Voluntary Retirement/death.

However, on resignation, an employee is entitled to get encashment to the tune of 50% of the privilege leave standing to the credit subject to a maximum of 120 days.

### B-3.6 Additional Retirement Benefit (ARB)

The scheme for additional retirement benefit provides that an officer who had joined the Bank prior to 01.07.1979 on his Retirement/ Voluntary retirement/ Death shall be eligible for payment of 6 months emoluments as additional retirement benefit, provided he had completed twenty-five years of service exclusively in Bank of Baroda (excluding eVB/eDB) and satisfy the conditions mentioned in BOB officer's service regulations.

In the same manner, award staff member on Retirement/ Voluntary Retirement/ Death shall be eligible for additional retirement benefit, provided the staff member had completed thirty-years of service in Bank of Baroda.

However, in case of dismissal, discharge, termination, compulsory retirement and resignation, additional retirement benefit shall not be payable irrespective of any number of years of service.

### B-3.7 Disclosures

Defined Benefit Plans (Gratuity and Pension)

a) Change in present value of Defined Benefit Obligation

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| विवरण | Particulars | पेंशन Pension | | ग्रेच्युटी Gratuity | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020 | 31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020 |
| परिभाषित लाभ संबंधी दायित्वों का प्रारम्भिक शेष | Opening Defined Benefit Obligation | 22,441.86 | 13,675.83 | 2,669.39 | 1,596.49 |
| जोड़ें– अधिग्रहण समायोजन | Add- Acquisition Adjustment | 0.00 | 8,425.35 | 0.00 | 886.07 |
| जोड़ें– ब्याज लागत | Add- Interest Cost | 1,446.20 | 1,440.76 | 167.58 | 157.07 |
| जोड़ें– पिछली सेवा लागत | Add – Past Service Cost | 0.00 | - | 0.00 | - |
| जोड़ें– वर्तमान सेवा लागत | Add- Current Service Cost | 1,634.40 | 1,598.99 | 287.27 | 169.69 |
| जोड़ें– प्रदत्त लाभ | Less- Benefits Paid | 2,472.98 | 1,951.45 | 516.39 | 358.84 |
| जोड़ें– दायित्वों पर बीमांकिक हानि/ लाभ (–) | Add- Actuarial loss/gain(-) on obligation | 1,147.95 | (747.62) | 410.11 | 218.91 |
| परिभाषित लाभ संबंधी देयताओं का अंतिम शेष | Closing Defined Benefit Obligation | 24,197.43 | 22,441.86 | 3,017.96 | 2,669.39 |

## बी) योजनागत आस्तियों के समुचित मूल्य में परिवर्तन
## b) Change in Fair value of Plan Assets

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| विवरण | Particulars | पेंशन Pension | | ग्रेच्युटी Gratuity | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020 | 31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020 |
| योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य का प्रारम्भिक शेष | Opening Fair Value of plan assets | 21,846.22 | 13,462.89 | 2,174.14 | 1,187.30 |
| जोड़ें– अधिग्रहण समायोजन | Add- Acquisition Adjustment | 0.00 | 7,750.24 | 0.00 | 819.78 |
| जोड़ें– योजनागत आस्तियों पर संभावित रिटर्न | Add- Expected Return on Plan Assets | 1,638.46 | 1,446.74 | 166.97 | 136.88 |
| जोड़ें– अंशदान | Add- Contributions | 952.27 | 1,131.08 | 495.26 | 491.43 |
| घटाएं– प्रदत्त लाभ | Less- Benefits Paid | 2,472.98 | 1,951.45 | 516.39 | 358.84 |
| जोड़ें– बीमांकिक लाभ /(–) हानि | Add- Actuarial gain/(-)loss | 45.83 | 6.72 | 28.75 | (102.41) |
| योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य का अंतिम शेष | Closing Fair Value of Plan Assets | 22,009.80 | 21,846.22 | 2,348.73 | 2,174.14 |

## सी) तुलन–पत्र में मान्य राशि
## c) Amount recognized in the Balance Sheet

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| | विवरण | | Particulars | पेंशन Pension | | ग्रेच्युटी Gratuity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020 | 31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को As on March 31, 202 |
| i) | परिभाषित लाभ देयताओं का अंतिम शेष | i) | Closing Defined Benefit Obligation | 24,197.43 | 22,441.86 | 3,017.96 | 2,669.39 |
| ii) | योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य का अंतिम शेष | ii) | Closing Fair Value of Plan Assets | 22,009.80 | 21,846.22 | 2,348.73 | 2,174.14 |
| iii) | अंतर | iii) | Difference | 2,187.63 | 595.64 | 669.23 | 495.25 |
| iv) | अनिर्धारित संक्रमणशील देयता | iv) | Unrecognized transitional liability | - | - | - | - |
| v) | तुलन–पत्र में मान्य देयता | v) | Liability Recognized in the BS | 2,187.63 | 595.64 | 669.23 | 495.25 |

## डी) लाभ एवं हानि खाते में मान्य राशि

## d) Amount recognized in the Profit& Loss Account

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| | | | Particulars | पेंशन Pension | | ग्रेच्युटी Gratuity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2020 | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2020 |
| i) | वर्तमान सेवा लागत | i) | Current Service Cost | 1,634.40 | 1,598.99 | 287.27 | 187.34 |
| ii) | पूर्व सेवा लागत | ii) | Past Service Cost | - | - | - | - |
| iii) | ब्याज लागत | iii) | Interest Cost | 1,446.20 | 1,440.76 | 167.57 | 157.07 |
| iv) | योजनागत आस्ति पर संभावित रिटर्न | iv) | Expected Return on Plan Assets | 1,638.46 | 1,446.74 | 166.97 | 136.88 |
| v) | निवल बीमांकिक हानि/लाभ (–) | v) | Net Actuarial Loss/gain(-) | 1,102.12 | (754.34) | 381.36 | 321.32 |
| vi) | वर्ष के दौरान संक्रमणशील देयता का निर्धारण | vi) | Transitional liability recognized in the year | - | - | - | - |
| लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित खर्च (i+ii+iii-iv+v+vi) | | Expenses Recognized in P&L (i+ii+iii-iv+v+vi) | | 2,544.26 | 838.67 | 669.23 | 528.85 |

## ई) निवेश पैटर्न: (% में)

## e) Investment Pattern: (In %)

| विवरण | Particulars | पेंशन Pension | | ग्रेच्युटी Gratuity | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020 | 31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020 |
| केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां | Central Govt. Securities | 1.70 | 2.22 | 4.29 | 12.51 |
| राज्य सरकार की प्रतिभूतियां | State Government Securities | 3.17 | 12.84 | 3.63 | 20.56 |
| कॉर्पोरेट (पीएसयू) | Corporate (PSU) | 7.66 | 8.76 | 8.54 | 10.86 |
| कॉर्पोरेट (निजी) | Corporate (Private) | 3.65 | 4.38 | 0.71 | 1.44 |
| बीमा | Insurance | 82.44 | 70.45 | 82.60 | 54.36 |
| अन्य | Others | 1.38 | 1.35 | 0.23 | 0.27 |
| कुल | Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

एफ) मूल बीमांकिक धारणा [भारित औसत के रूप में]

प्रबंधन के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार

f) Principal Actuarial Assumptions [Expressed as Weighted Average]

As per the data available with management.

| विवरण | Particulars | पेंशन<br>Pension | | ग्रेच्युटी<br>Gratuity | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु<br>For the year ended March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु<br>For the year ended March 31, 2020 | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु<br>For the year ended March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु<br>For the year ended March 31, 2020 |
| रियायती दर | Discount rate | 6.82% | 6.82% | 6.95% | 6.82% |
| वेतन वृद्धि दर | Salary Escalation Rate | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
| ह्रास दर | Attrition Rate | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| योजनागत आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ दर | Expected Rate of Return on plan Assets | 7.50% | 6.82% | 7.68% | 6.82% |

मॉर्टेलिटी दर : आईएएलएम (2006-2008)

Mortality Rate: IALM (2006-2008)

जी) पेंशन हेतु पाँच वर्ष का प्रकटीकरण

g) Five year's disclosure for Pension

i) योजना में अधिशेष/ कमी

i) Surplus/Deficit in the plan

(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| तुलन-पत्र में मान्य राशि | Amount recognized in the Balance Sheet | 31 मार्च, 2017 को<br>As on March 31, 2017 | 31 मार्च, 2018 को<br>As on March 31, 2018 | 31 मार्च, 2019 को<br>As on March 31, 2019 | 31 मार्च, 2020 को<br>As on March 31, 2020 | 31 मार्च, 2021 को<br>As on March 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| वर्ष की समाप्ति पर देयता | Liability at the end of the year | 12,811.00 | 13,357.19 | 13,675.83 | 22,441.86 | 24,197.43 |
| वर्ष की समाप्ति पर योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य | Fair value of Plan Assets at the end of the year | 12,637.67 | 13,101.69 | 13,462.89 | 21,846.22 | 22,009.80 |
| अंतर | Difference | (173.33) | -255.50 | (212.94) | (595.64) | (2,187.63) |
| अनिर्धारित पूर्व सेवा लागत | Unrecognised Past Service Cost | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अनिर्धारित संक्रमणशील देयता | Unrecognised Transition Liability | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| तुलन-पत्र में मान्य राशि | Amount Recognized in the Balance Sheet | (173.33) | (255.50) | (212.94) | (595.64) | (2,187.63) |

एच) ग्रेच्युटी के लिए पाँच वर्षों का प्रकटीकरण

i) योजना में अधिशेष / कमी

h) Five year's disclosure for Gratuity

i) Surplus/Deficit in the plan

(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| तुलन-पत्र में मान्य राशि | Amount recognized in the Balance Sheet | 31 मार्च, 2017 को As on March 31, 2017 | 31 मार्च, 2018 को As on March 31, 2018 | 31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019 | 31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020 | 31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| वर्ष की समाप्ति पर देयता | Liability at the end of the year | 1,349.83 | 1,678.33 | 1,596.49 | 2,669.40 | 3,017.96 |
| वर्ष की समाप्ति पर योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य | Fair value of Plan Assets at the end of the year | 1,239.77 | 1,185.58 | 1,187.30 | 2,174.14 | 2,348.73 |
| अंतर | Difference | (110.06) | (492.75) | (409.19) | (495.26) | (669.23) |
| अनिर्धारित पूर्व सेवा लागत | Unrecognised Past Service Cost | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अनिर्धारित संक्रमणशील देयता | Unrecognised Transition Liability | 0.00 | (291.23) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| तुलन-पत्र में मान्य राशि | Amount Recognized in the Balance Sheet | (110.06) | (201.52) | (409.19) | (495.26) | (669.23) |

II. दीर्घावधि कर्मचारी लाभ (अनिधिक दायित्व) : संचित क्षतिपूरित अनुपस्थिति (विशेषाधिकार अवकाश) और अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ (एआरबी)

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांक द्वारा बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार निम्नलिखित तालिका संचित क्षतिपूरित अनुपस्थिति (विशेषाधिकार अवकाश) और एआरबी की स्थिति निर्धारित करती है:

ए) देयता के प्रारंभिक और अन्तिम शेष का समाधान

II. Long Term Employee Benefits (Unfunded Obligation): Accumulating Compensated Absences (Privilege Leave)& Additional Retirement Benefits (ARB)

The following table sets out the status of Accumulating Compensated Absences (Privilege Leave) & ARB as per theactuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank:-

a) Reconciliation of opening and closing balance of liability

(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| विवरण | Particulars | छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment | | एआरबी ARB | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020 | 31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020 |
| परिभाषित लाभ संबंधी दायित्वों का प्रारम्भिक शेष | Opening Defined Benefit Obligation | 1,709.83 | 925.84 | 296.51 | 292.79 |
| अधिग्रहण समायोजन | Acquisition Adjustment | 0.00 | 586.63 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ें- ब्याज लागत | Add- Interest Cost | 112.36 | 98.21 | 19.18 | 18.46 |
| जोड़ें- वर्तमान सेवा लागत | Add- Current Service Cost | 235.18 | 233.07 | 6.22 | 0.00 |
| जोड़ें- प्रदत्त लाभ | Less- Benefits Paid | 186.09 | 145.00 | 41.26 | 44.15 |
| जोड़ें- दायित्वों पर बीमांकिक हानि/लाभ (-) | Add- Actuarial loss/gain(-) on obligation | (158.53) | 11.09 | 9.78 | 29.41 |
| परिभाषित लाभ संबंधी देयताओं का अंतिम शेष | Closing Defined Benefit Obligation | 1,712.75 | 1,709.83 | 290.43 | 296.51 |

## बी) लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित राशि

## b) Amount recognized in the Profit& Loss Account

(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| विवरण | Particulars | छुट्टी नकदीकरण Leave encashment | | एआरबी ARB | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2020 | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2020 |
| i) चालू सेवा लागत | i) Current Service Cost | 235.17 | 233.07 | 6.22 | - |
| ii) विगत सेवा लागत | ii) Past Service Cost | 0.00 | - | 0.00 | - |
| iii) ब्याज लागत | iii) Interest Cost | 112.37 | 98.21 | 19.18 | 18.46 |
| iv) निवल बीमांकिक हानि/ लाभ (-) | iv) Net Actuarial Loss/gain(-) | (158.53) | 11.09 | 9.78 | 29.41 |
| लाभ एवं हानि खाते में मान्य खर्च | Expenses Recognized in P&L | 189.01 | 342.36 | 35.18 | 47.87 |

## सी) तुलन-पत्र में मान्य प्रारम्भिक और अंतिम देयता/ (आस्तियों ) का समाधान

## c) Reconciliation of opening and closing liability/(assets) recognized in the Balance Sheet

(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| विवरण | Particulars | छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment | | एआरबी ARB | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020 | 31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020 |
| i) परिभाषित लाभ संबंधी दायित्वों का प्रारम्भिक शेष | i) Opening Defined Benefit Obligation | 1,709.83 | 925.84 | 296.51 | 292.79 |
| ii) निवल अधिग्रहण लागत | ii) Net Acquisition Cost | 0.00 | 586.63 | 0.00 | - |
| iii) उपरोक्तानुसार खर्च | iii) Expenses as above | 189.01 | 342.36 | 35.18 | 47.87 |
| iv) प्रदत्त लाभ | iv) Benefit paid | 186.09 | 145.00 | 41.26 | 44.15 |
| vi) तुलन-पत्र में मान्य कुल देयता | vi) Net Liability Recognized in the Balance Sheet | 1,712.75 | 1,709.83 | 290.43 | 296.51 |

डी) मूल बीमांकिक धारणा [भारित औसत के रूप में व्यक्त]

d) Principal Actuarial Assumptions [Expressed as Weighted Average]

| विवरण | Particulars | छुट्टी नकदीकरण Leave encashment | | एआरबी ARB | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2020 | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2020 |
| रियायती दर | Discount rate | 6.95% | 6.82% | 6.95% | 6.82% |
| वेतन वृद्धि दर | Salary Escalation Rate | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
| **ह्रास दर** | Attrition Rate | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00 % |

मॉर्टेलिटी दर: आईएएलएम (2006-2008)

बीमांकिक मूल्यांकन में निहित भविष्य में वेतन वृद्धि के अनुमानों में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग जैसे अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा गया है. इस तरह के अनुमान बहुत दीर्घकालिक हैं और सीमित विगत अनुभव/ तत्काल भविष्य पर आधारित नहीं हैं. अनुभवजन्य साक्ष्य यह भी बताते हैं कि बहुत लंबे समय में, लगातार उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है. उक्त अनुमानों और मान्यताओं को लेखापरीक्षकों द्वारा आधार बनाया गया है.

## बी-4 सेगमेंट रिपोर्टिंग (लेखांकन मानक - 17)

### बी-4.1 सेगमेंट निर्धारण

I. प्राथमिक (व्यवसाय सेगमेंट): बैंक के प्रमुख सेगमेंट निम्नानुसार हैं: -

i. ट्रेजरी

ट्रेजरी सेगमेंट में समग्र निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी मुद्रा संविदा तथा डेरिवेटिव संविदाओं में ट्रेडिंग शामिल है. ट्रेजरी सेगमेंट के राजस्व में मुख्य रुप से ट्रेडिंग परिचालनों से शुल्क और लाभ या हानि तथा निवेश पोर्टफोलियो पर ब्याज आय शामिल है.

ii. कॉर्पोरेट / होलसेल बैंकिंग

कॉर्पोरेट / होलसेल बैंकिंग सेगमेंट में ₹ 5.00 करोड़ और उससे अधिक के एक्सपोज़र वाले उधारकर्ताओं की ऋण गतिविधियां शामिल हैं.

iii. रिटेल बैंकिंग

रिटेल बैंकिंग सेगमेंट में ₹ 5.00 करोड़ से कम के एक्सपोज़र वाले उधारकर्ता खाते शामिल हैं.

iv. अन्य बैंकिंग परिचालन

उपर्युक्त (i) से (ii) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किए गए सेगमेंटों को इस प्राथमिक सेगमेंट के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है.

II) गौण (भौगोलिक सेगमेंट)

i घरेलू परिचालन - भारत में कार्यरत शाखाएं / कार्यालय

ii) विदेशी परिचालन - भारत के बाहर परिचालन करने वाली शाखाएं / कार्यालय और भारत में परिचालन करने वाली ऑफसोर बैंकिंग इकाइयां

iii) राजस्व सेगमेंट बाहरी ग्राहकों से प्राप्त राजस्व को दर्शाता है.

Mortality Rate: IALM (2006-2008)

The estimates of future salary growth, factored in actuarial valuation, take account of inflation, seniority, promotion and other relevant factors such as supply and demand in the employment market. Such estimates are very long term and are not based on limited past experience / immediate future. Empirical evidence also suggests that in very long term, consistent high salary growth rates are not possible. The said estimates and assumptions have been relied upon by the auditors.

## B-4 Segment Reporting (Accounting Standard – 17)

### B-4.1 Segment Identification

I. Primary (Business Segment): The following are the primary segments of the Bank:-

i. Treasury

The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.

ii. Corporate / Wholesale Banking

The Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of borrowers having exposure of ₹ 5.00 Crores and above.

iii. Retail Banking

The Retail Banking Segment comprises of borrower accounts having exposure of less than ₹ 5.00 Crores.

iv. Other Banking Operations

Segments not classified under (i) to (iii) above are classified under this primary segment.

II) Secondary (Geographical Segment)

i) Domestic Operations - Branches/Offices having operations in India

ii) Foreign Operations - Branches/Offices having operations outside India and offshore banking units having operations in India

iii) Segment revenue represents revenue from external customers.

## IV. आय, व्यय, आस्ति एवं देयताओं का आबंटन

ट्रेजरी बैंकिंग परिचालन एक अलग इकाई है. ट्रेजरी परिचालन के आय और व्यय सीधे ट्रेजरी सेगमेंट से सम्बद्ध होते हैं.

अन्य सेगमेंट के आय और व्यय को निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

ए) ब्याज आय और ब्याज व्यय का आबंटन क्रमशः होलसेल बैंकिंग परिचालनों हेतु प्राप्त वास्तविक ब्याज और होलसेल बैंकिंग परिचालनों के अग्रिमों के आधार पर किया जाता है.

बी) उपर्युक्त ब्याज आय और व्यय के आबंटन के बाद, प्राप्त/भुगतान किए गए शेष ब्याज को रिटेल बैंकिंग परिचालन में ले जाया जाता है.

सी) अन्य आय / अन्य व्यय, होलसेल बैंकिंग / खुदरा बैंकिंग सेगमेंट द्वारा अर्जित ब्याज आय के अनुपात में आबंटित किए जाते हैं. प्रत्येक सेगमेंट के लिए नियोजित पूंजी को संबंधित सेगमेंट की आस्तियों के अनुपात में आबंटित किया गया है.

बैंक की कुछ सामान्य आस्ति एवं देयताएं हैं, जिन्हें किसी भी सेगमेंट में शामिल नहीं किया जा सकता है, और उन्हें आबंटित माना गया है.

## IV. Allocation of Income, Expenses, Assets and Liabilities

Treasury banking operation is separate unit. The income and expenses of treasury operations are directly attributable to treasury segment.

The income and expense of other segments are recognised as under:

a) The interest income and interest expense are allocated on the basis of actual interest received for wholesale banking operations and on the basis of advances of wholesale banking operations respectively.

b) After allocation of above interest income and expense, the residual interest received/ paid is attribute to retail banking operations...

c) Other income/ other expenses are allocated in the proportion of Interest income earned by the wholesale banking / retail banking segment. Capital employed for each segment has been allocated proportionately to the assets of the respective segment.

The Bank has certain common assets and liabilities, which cannot be attributed to any segment, and the same are treated as unallocated.

### बी– 4.2 सेगमेंट संबंधी जानकारी

### भाग ए: कारोबार सेगमेंट

### B-4.2 Segment Information

### Part A: Business Segments

(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| विवरण | Particulars | ट्रेजरी Treasury | | कॉर्पोरेट/ होलसेल बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking | | रिटेल बैंकिंग Retail Banking | | अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations | | कुल Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | वित्तीय वर्ष: 2020-21 FY: 2020-21 | वित्तीय वर्ष: 2019-20 FY: 2019-20 | वित्तीय वर्ष: 2020-21 FY: 2020-21 | वित्तीय वर्ष: 2019-20 FY: 2019-20 | वित्तीय वर्ष: 2020-21 FY: 2020-21 | वित्तीय वर्ष: 2019-20 FY: 2019-20 | वित्तीय वर्ष: 2020-21 FY: 2020-21 | वित्तीय वर्ष: 2019-20 FY: 2019-20 | वित्तीय वर्ष: 2020-21 FY: 2020-21 | वित्तीय वर्ष: 2019-20 FY: 2019-20 |
| सेगमेंट राजस्व | Segment Revenue | 24,763.75 | 25,565.63 | 28,753.50 | 31,026.97 | 28,958.74 | 29,470.88 | 383.51 | 237.50 | 82,859.50 | 86,300.98 |
| सेगमेंट परिणाम | Segment Result | 4,762.89 | 4,327.78 | (4007.67) | (8,714.87) | 9,995.85 | 7,565.69 | 383.51 | 237.50 | 11,134.58 | 3,416.10 |
| आबंटित खर्च | Unallocated Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,578.58 | 5,218.21 |
| परिचालनगत लाभ | Operating profit | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,556.00 | (1,802.11) |
| घटाएं: कर के लिए प्रावधान | Less: Provision for tax | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,727.05 | (2,348.29) |
| विशिष्ट लाभ/हानि | Extra-Ordinary Profit/Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| निवल लाभ | Net Profit | | | | | | | | | 828.95 | 546.18 |
| सेगमेंट आस्तियां | Segment Assets | 3,96,441.49 | 3,89,692.06 | 5,11,813.06 | 5,23,782.08 | 2,29,691.58 | 2,31,541.50 | - | - | 11,37,946.13 | 11,45,015.64 |
| अनाबंटित आस्तियां | Unallocated Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,418.64 | 12,899.87 |
| कुल आस्तियां | Total Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,55,364.77 | 11,57,915.52 |
| सेगमेंट देयताएं | Segment Liabilities | 3,70,004.71 | 3,65,509.13 | 4,77,682.71 | 4,91,277.98 | 2,14,374.55 | 2,17,172.84 | - | - | 10,62,061.97 | 10,73,959.94 |
| अनाबंटित देयताएं | Unallocated Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,257.08 | 12,099.35 |
| कुल देयताएं | Total Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,78,319.05 | 10,86,059.30 |
| नियोजित पूंजी | Capital employed | 26,436.78 | 24,182.93 | 34,130.35 | 32,504.10 | 15,317.03 | 14,368.66 | -- | -- | 75,884.16 | 71,055.70 |
| अनाबंटित | Unallocated | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,161.56 | 800.51 |
| कुल पूंजी | Total Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | 77,045.72 | 71,856.21 |

## भाग बी – भौगोलिक खंड

## Part B – Geographic Segments

(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| विवरण | Particulars | घरेलू Domestic | | अंतर्राष्ट्रीय International | | कुल Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | वित्तीय वर्ष: 2020-21 FY: 2020-21 | वित्तीय वर्ष: 2019-20 FY: 2019-20 | वित्तीय वर्ष: 2020-21 FY: 2020-21 | वित्तीय वर्ष: 2019-20 FY: 2019-20 | वित्तीय वर्ष: 2020-21 FY: 2020-21 | वित्तीय वर्ष: 2019-20 FY: 2019-20 |
| राजस्व | Revenue | 78,434.16 | 79,824.37 | 4,425.34 | 6,476.61 | 82,859.50 | 86,300.98 |
| आस्तियां | Assets | 9,70,377.09 | 9,58,069.26 | 1,84,987.68 | 1,99,846.24 | 11,55,364.77 | 11,57,915.51 |

## बी– 5 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (लेखांकन मानक –18)

संबंधित पक्षों के नाम एवं बैंक के साथ उनके संबंध:

I. संबंधित पार्टियों के नाम एवं उनके संबंध

ए) अनुषंगियां

i) घरेलू बैंकिंग अनुषंगी

1. नैनीताल बैंक लिमिटेड

ii) विदेशी बैंकिंग अनुषंगियां

1. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लिमिटेड
2. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (युगांडा) लिमिटेड
3. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (गुयाना) आईएनसी.
4. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूके) लिमिटेड
5. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड
6. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (त्रिनिदाद और टोबैगो) लिमिटेड (26.02.2021 से बंद)
7. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लिमिटेड
8. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बोत्सवाना) लिमिटेड

iii) घरेलू गैर–बैंकिंग अनुषंगियां

1. बॉब कैपिटल मार्केट लिमिटेड
2. बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड (जिसे पहले बॉब कार्ड्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
3. बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड
4. बड़ौदा सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
5. बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड
6. बड़ौदा ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

iv) विदेशी गैर–बैंकिंग अनुषंगी

1. बॉब (यूके) लिमिटेड

v) विदेशी गैर–बैंकिंग स्टेप–डाउन अनुषंगी

1. बड़ौदा कैपिटल मार्केट (युगांडा) लिमिटेड. (बैंक ऑफ बड़ौदा युगांडा लिमिटेड की अनुषंगी)

## B-5 Related Party Disclosures (Accounting Standard -18)

Names of the Related Parties and their relationship with the Bank:

I. Name of Related Parties & their relationship

a) Subsidiaries

i) Domestic Banking Subsidiary

1. The Nainital Bank Limited

ii) Foreign Banking Subsidiaries

1 Bank of Baroda (Kenya) Limited
2 Bank of Baroda (Uganda) Limited
3 Bank of Baroda (Guyana) Inc.
4 Bank of Baroda (UK) Limited.
5 Bank of Baroda (Tanzania) Limited
6 Bank of Baroda (Trinidad & Tobago) Ltd. (Discontinued from 26.02.2021)
7 Bank of Baroda (New Zealand) Ltd.
8 Bank of Baroda (Botswana) Limited

iii) Domestic Non- Banking Subsidiaries

1 BOB Capital Markets Limited
2 BOB Financial Solutions Limited (formerly known as BOB Cards Ltd)
3 Baroda Global Shared Services Ltd
4 Baroda Sun Technologies Ltd.
5 Baroda Asset Management India Limited
6 Baroda Trustee India Private Limited

iv) Foreign Non- Banking Subsidiary

1 BOB (UK) Ltd. (Dissolved w.e.f 22.09.2020)

v) Foreign Non- Banking Step-down Subsidiary

1 Baroda Capital Markets (Uganda) Limited. (Subsidiary of Bank of Baroda Uganda Ltd.)

बी) सहयोगी इकाइयां
- i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
  1. बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक
  2. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
  3. बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक
- ii) अन्य
  1. इंडो जांबिया बैंक लिमिटेड

सी) संयुक्त उद्यम
1. इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
2. इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी.
3. इंडिया इंफ्राडेब्ट लिमिटेड

b) Associates
- i) Regional Rural Banks
  1 Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank
  2. Baroda Rajasthan KshetriyaGramin Bank
  3. Baroda Gujarat Gramin Bank
- ii) Others
  1 Indo Zambia Bank Limited

c) Joint Ventures
1. India First Life Insurance Company Limited
2. India International Bank (Malaysia) Bhd.
3. India Infradebt Limited

डी) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

d) Key Management Personnel

(राशि ₹ /Amount in ₹)

| क्र. सं S. No | नाम | Name | पदनाम | Designation | पारिश्रमिक Remuneration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020 |
| 1. | श्री संजीव चड्ढा | Shri Sanjiv Chadha | प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी | MD & CEO | ₹ 35,39,380/- | ₹ 6,96,137/- |
| 2. | श्री शांति लाल जैन | Shri Shanti Lal Jain | कार्यपालक निदेशक | Executive Director | ₹ 31,57,372/- | ₹ 31,64,877/- |
| 3. | श्री विक्रमादित्य सिंह खीची | Shri Vikramaditya Singh Khichi | कार्यपालक निदेशक | Executive Director | ₹ 35,64,623/- | ₹ 31,75,563/- |
| 4. | श्री मुरली रामास्वामी* | Shri Murali Ramaswami* | पूर्व-कार्यपालक निदेशक (01.10.2019 से - दिसं. 2020 तक) | Ex-ED (w.e.f. 01.10.2019-Dec 2020) | ₹ 1,09,39,850/- | ₹ 45,05,016/- |
| 5. | श्री अजय कुमार खुराना | Shri Ajay Kumar Khurana | कार्यपालक निदेशक | Executive Director | ₹ 29,90,055/- | - |
| 6. | श्री देबदत्त चाँद | Shri Debadatta Chand | कार्यपालक निदेशक (10.03.2021 से प्रभावी) | Executive Director (w.e.f. 10.03.2021) | ₹ 1,55,527/- | - |
| 7. | श्री पी एस जयकुमार | Shri P S Jayakumar | पूर्व - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (12.10.2019 तक) | Ex -MD & CEO (upto 12.10.2019) | - | ₹ 29,70,048/- |
| 8. | श्रीमती पापिया सेनगुप्ता * | Smt. Papia Sengupta* | पूर्व-कार्यपालक निदेशक (सितंबर 2019 तक) | Ex-ED (up to Sept 2019) | - | ₹ 74,13,129/- |

**सेवानिवृत्ति लाभ शामिल*
**includes retirement benefits*

*लेखों के टिप्पणियों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार, संबंधित पार्टी प्रकटीकरण के लिए बोर्ड के पूर्णकालिक निदेशक प्रमुख प्रबंधन कार्मिक हैं.*

*In terms of RBI circular on notes to accounts, key management personnel are whole time directors of Board for Related Party Disclosure.*

संबंधित पक्षों के संबंध में कोई प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, जो कि लेखांकन मानक (एएस 18) के पैरा 9 के अनुसार राज्य नियंत्रित उद्यम हैं. साथ ही लेखांकन मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके संबंधियों सहित बैंकर–ग्राहक के बीच लेनदेनों के स्वरूप का प्रकटीकरण नहीं किया गया है.

No disclosure is required in respect of related parties, which are "State Controlled Enterprises" as per paragraph no 9 of Accounting Standard (AS 18). Further in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

## ई) संबंधित पार्टियों के साथ संव्यवहारों का विवरण

## E) Details of transactions with Related parties

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| क्र.सं S.No | संव्यवहार के प्रकार | Nature of Transaction | 2020-2021 | 2019-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्राप्त ब्याज | Interest Received | 19.67 | 19.89 |
| 2. | प्राप्त लाभांश | Dividend Received | 10.32 | 10.32 |
| | अन्य आय | Other Income | 0.00 | 0.00 |
| 3. | प्रदत्त कमीशन | Commission paid | 0.00 | 0.00 |
| 4. | सेवाओं का प्रतिपादन | Rendering of Services | 0.00 | 3.41 |
| 5. | एनसीडी पर ब्याज | Interest on NCDs | 19.83 | 19.89 |
| 6. | जमा (कासा) | Deposits (CASA) | 355.05 | 0.05 |
| 7. | निवेश | Investment | 460.00 | 460.00 |

## बी–6 प्रभावी पट्टा (लेखांकन मानक –19)

प्रभावी पट्टे पर लिए गए परिसर निम्नानुसार हैं:

प्रभावी पट्टों में मूल रूप से कार्यालय परिसर और कर्मचारी निवास शामिल हैं, जिनका नवीनीकरण करना बैंक की इच्छा पर है.

i) निम्नलिखित तालिका में सूचित अवधि के लिए उन परिसरों के भावी किराए के ब्यौरे प्रस्तुत हैं जिनके प्रभावी पट्टे रद्द नहीं किए जा सकते:

## B-6 Operating Lease (Accounting Standard -19)

Premises taken on operating lease are given below:

Operating leases primarily comprise office premises and staff residences, which are renewable at the option of the Bank.

i) The following table sets forth, for the period indicated, the details of future rental payments on Premises taken on Non-Cancellable operating leases:

(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| बाध्यताएं | Obligations | 31 मार्च , 2021 को As on March 31, 2021 | 31 मार्च , 2020 को As on March 31, 2020 |
|---|---|---|---|
| एक वर्ष से अधिक नहीं | Not later than one year | 138.73 | 117.38* |
| एक वर्ष से अधिक व 5 वर्षों से अधिक नहीं | Later than one year and not later than five years | 177.48 | 247.99 |
| 5 वर्षों से अधिक | Later than five years | 235.10 | 278.65 |

* मासिक किरायेदारी / समाप्त पट्टे वाले परिसर शामिल है.

* includes premises with monthly tenancy/expired lease.

प्रभावी पट्टों के लिए लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त पट्टे के भुगतान की राशि ₹ 792.40 करोड़ (विगत वर्ष: ₹ 827.04 करोड़)

Amount of lease payments recognized in the Profit & Loss Account for operating leases is ₹ 792.40 Crores (Previous Year: ₹ 827.04 Crores)

### बी–7 प्रति शेयर आय (लेखांकन मानक –20)

### B-7 Earning per Share (Accounting Standard -20)

बैंक लेखांकन मानक 20 – प्रति शेयर आय के अनुरूप प्रति शेयर इक्विटि में बुनियादी और न्यून आय दर्ज करता है. वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद निवल लाभ को विभाजित करके मूल आय प्रति शेयर की गणना की जाती है.

The Bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with Accounting Standard 20 - "Earnings per Share". "Basic earnings" per share is computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

| विवरण | Particulars | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020 |
|---|---|---|---|
| वर्ष के आरंभ में इक्विटी शेयरों की संख्या | Number of share at the beginning of the year | 462,05,66,586 | 264,55,16,132 |
| वर्ष के दौरान जारी शेयर | Shares Issued during the Year | 55,07,95,593 | 197,50,50,454** |
| वर्षांत पर शेयरों की संख्या | Number of share at the end of year | 517,13,62,179 | 462,05,66,586 |
| प्रति शेयर मूल आय की गणना करने के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयर | Weighted Average Share used in computing the basic earnings per shares | 466,28,19,399 | 4,00,73,03,898 |
| वर्षांत पर इक्विटी शेयरों की संभावित संख्या | Potential no. of equity shares as at end of year | NA | NA |
| डायल्यूटेड प्रति शेयर आय की गणना करने के लिए शेयरों की संख्या | Number of share used in computing the diluted earnings per shares | 466,28,19,399 | 4,00,73,03,898 |
| कर के बाद निवल लाभ (₹ करोड़ में) | Net profit after tax (₹ in Crores) | 828.95 | 546.18 |
| मूल अर्जन प्रति शेयर (₹ में) | Basic earnings per share (In ₹) | 1.78 | 1.36 |
| डायल्यूटेड आय प्रति शेयर (₹ में) | Diluted earning per share (In ₹) | 1.78 | 1.36 |
| अंकित मूल्य प्रति शेयर (₹ में) | Nominal value per share (In ₹) | ₹ 2/- Face Value | ₹ 2/- Face Value |

– वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान बैंक ने सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के तहत बैंक की विकास योजनाओं और अन्य सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए बैंक की टियर I पूंजी को बढ़ाने के लिए कुल ₹ 4,500.00 करोड़ के ₹ 81.70 प्रति इक्विटी शेयर (₹ 79.70 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम सहित) के निर्गम मूल्य पर ₹ 2 के अंकित मूल्य वाले 55,07,95,593 इक्विटी शेयर जारी और आवंटित किए हैं.

** समामेलन की योजना के अनुसार अप्रैल 2019 में पूर्ववर्ती विजया बैंक के इक्विटी शेयरधारकों को जारी एवं आबंटित 52,42,00,772 पूर्णतः प्रदत्त शेयरों और पूर्ववर्ती देना बैंक के इक्विटी शेयरधारकों को जारी एवं आबंटित 24,84,51,166 पूर्णतः प्रदत्त शेयर शामिल हैं.

- During the FY 2020-21, the Bank has issued and allotted 55,07,95,593 equity shares having face value of ₹ 2 each at an issue price of ₹ 81.70 per equity shares (including premium of ₹ 79.70 per equity share), under Qualified Institutional Placement (QIP) in accordance with the provisions of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 aggregating to ₹ 4,500.00 Crores for augmenting Bank's Tier I capital to support growth plans of the Bank and for other general corporate purposes.

** includes 52,42,00,772 fully paid up shares issued and allotted to equity shareholders of erstwhile Vijaya Banka and 24,84,51,166 fully paid up shares issued and allotted to equity shareholders of erstwhile Dena Bank on April, 2019, pursuant to scheme of Amalgamation.

## बी–8 आय पर कारों के लिए लेखांकन (लेखांकन मानक –22)

वर्ष के दौरान कराधान के लिए प्रावधान

## B-8 Accounting for Taxes on Income (Accounting Standard -22)

Amount of Provisions for Taxation during the year.

(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| विवरण | Particulars | 31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020 |
|---|---|---|---|
| आस्थगित कर सहित कर हेतु प्रावधान | Provision for Tax including deferred tax | 5,256.24 | (2,348.29) |
| घटाएं : पिछले वर्षों से संबंधित कर प्रावधानों का रिवर्सल | Less : reversal of Tax Provisions relating to previous years | 529.19 | 0.00 |
| **कर के लिए निवल प्रावधान** | Net provision for Tax | 4,727.05 | (2,348.29) |

**ए) वर्तमान कर:**

वर्ष के दौरान वर्तमान कर के कारण बैंक ने लाभ और हानि खाते में ₹ 959.04 करोड़ (विगत वर्ष: ₹ –360.29 करोड़) नामे किए हैं. भारत में वर्तमान कर की गणना विदेशों में भुगतान किए गए करों के लिए उचित राहत लेने के बाद आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है.

**बी) आस्थगित कर:**

वर्ष के दौरान आस्थिगत कर के कारण लाभ और हानि खाते में ₹ 4,297.20 नामे किया गया है (विगत वर्ष: ₹ 1,988.00 करोड़). बैंक का निवल डीटीए ₹ 10,209.84 करोड़ (विगत वर्ष: ₹ 14,538.63 करोड़ का निवल डीटीए) है. डीटीए और डीटीएल के प्रमुख घटक नीचे दिए गए हैं:

a) Current Tax:

During the year the Bank has debited to Profit & Loss Account ₹ 959.04 Crores (Previous Year: ₹ -360.29 Crores) on account of current tax. The Current Tax in India has been calculated in accordance with the provisions of Income Tax Act 1961 after taking appropriate relief for taxes paid in foreign jurisdictions.

b) Deferred Tax:

During the year, ₹ 4,297.20 Crore has been Debited to Profit and Loss Account (Previous Year: ₹ 1,988.00 Crores) on account of deferred tax. The Bank has a net DTA of ₹ 10,209.84 Crores (Previous Year: net DTA of ₹ 14,538.63 Crores). The major components of DTA and DTL is given below:

(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| **विवरण** | Particulars | 31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020 |
|---|---|---|---|
| ए. घरेलू | A. Domestic | | |
| आस्थगित कर आस्तियां (डीटीए) | Deferred Tax Assets (DTA) | | |
| अचल आस्तियों पर आयकर अधिनियम के तहत बही मूल्यहास तथा मूल्यहास में अंतर | Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act on fixed assets | 423.64 | 546.08 |
| गैर बैंकिंग आस्तियों के लिए प्रावधान | Provision for Non Banking Assets | 13.84 | 56.81 |
| धोखाधड़ी के लिए प्रावधान | Provision for fraud | 71.55 | 98.08 |
| विदेशी मुद्रा विनिमय प्रारक्षित (वसूल न की गई और वसूल की गई) | Foreign Currency Translation Reserve(Unrealized and Realized) | 255.67 | 462.80 |
| अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान | Provision for leave encashment | 431.27 | 636.50 |
| संदिग्ध ऋणों तथा अग्रिमों के लिए प्रावधान | Provision for doubtful debts and advances | 11,127.92 | 15,832.40 |
| कुल डीटीए | Total DTA | 12,323.89 | 17,632.67 |
| आस्थिगत कर देयताएं (डीटीएल) | Deferred Tax Liabilities (DTL) | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत कटौती | Deduction under section 36 (1) (viii) of the Income-Tax Act, 1961 | 1,804.07 | 2,403.80 |
| उपार्जित ब्याज परंतु देय नहीं | Interest Accrued but not due | 906.53 | 1,510.11 |
| कुल डीटीएल | Total DTL | 2,710.60 | 3,913.91 |
| निवल आस्थिगत कर देयताएं (ए) | Net Deferred Tax Assets (A) | 9,613.29 | 13,718.76 |
| बी. वैश्विक (घरेलू एवं विदेशी परिचालन) | B. GLOBAL (Domestic & Overseas operations) | | |
| आस्थिगत कर देयताएं (डीटीए) | Deferred Tax Assets (DTA) | | |
| आयकर अधिनियम के तहत स्थायी आस्तियों पर बही मूल्यह्रास तथा मूल्यह्रास के बीच का अंतर | Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act on fixed assets | 421.86 | 545.95 |
| अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान | Provision for leave encashment | 431.09 | 636.78 |
| संदिग्ध ऋणों तथा अग्रिमों के लिए प्रावधान | Provision for doubtful debts and advances | 11,715.73 | 16,653.36 |
| विदेशी मुद्रा विनिमय प्रारक्षित | Foreign Currency Translation Reserve | 255.67 | 462.80 |
| गैर बैंकिंग आस्तियों के लिए प्रावधान | Provision for Non Banking Assets | 13.84 | 56.81 |
| धोखाधड़ी के लिए प्रावधान | Provision for Fraud | 71.55 | 98.08 |
| अन्य | Others | 10.70 | 0.31 |
| कुल डीटीए | Total DTA | 12,920.44 | 18,454.09 |
| आस्थिगत कर देयताएं (डीटीएल) | Deferred Tax Liabilities (DTL) | | |
| आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत कटौती | Deduction under section 36 (1) (viii) of the Income-Tax Act, 1961 | 1,804.07 | 2,403.80 |
| उपचित ब्याज परंतु देय नहीं | Interest Accrued but not due | 906.53 | 1,510.11 |
| अन्य | Others | 0.00 | 1.55 |
| कुल डीटीएल | Total DTL | 2,710.60 | 3,915.46 |
| निवल आस्थिगत कर देयताएं (बी) | Net Deferred Tax Assets (B) | 10,209.84 | 14,538.63 |

- 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आयकर हेतु प्रावधानों को निर्धारित करते समय बैंक ने कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा लागू किए गए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 बीएए के तहत अनुमन्य न्यूनतम कर दर के विकल्प का प्रयोग किया है. तदनुसार, बैंक ने उक्त धारा में निर्धारित कर की दर के आधार पर 31 मार्च, 2020 को अपनी आस्थगित कर आस्तियों का पुनर्निर्धारण किया है. इन परिवर्तनों का परिणाम ₹ 3,837.20 करोड़ का एकमुश्त प्रभार है जो बैंक के कर व्यय में शामिल है. बैंक द्वारा लिए गए संगत निर्णय, न्यायिक निर्णयों और बैंक के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर से संबंधित प्रावधानों के लागू नहीं होने के संबंध में कानूनी परामर्श के आधार पर, बैंक द्वारा प्रयोग किए गए इस विकल्प से प्रबंधन को किसी अन्य प्रभाव की उम्मीद नहीं है.
- अन्य आस्तियों के अंतर्गत दर्शाई गई अग्रिम कर भुगतान/ स्रोत पर कर कटौती में विभिन्न मूल्यांकन वर्षों के लिए कर मांग से संबंधित बैंक द्वारा प्रदत्त/ विभाग द्वारा समायोजित विवादास्पद राशि शामिल है. ₹ 6,187.58 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5,128.14 करोड़) की विवादास्पद आयकर मांग के संबंध में कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है, क्योंकि बैंक के विचार में, कर सलाहकारों के विधिवत

- While recognising provision for income tax for the year ended 31st March 2021, the Bank has exercised the option of lower tax rate permitted under Section 115 BAA of the Income-tax Act, 1961 as introduced by the Taxation Laws (Amendment) Act, 2019. Accordingly, the Bank has re-measured its Deferred Tax Assets at 31st March, 2020 based on the tax rate prescribed in the said section. The impact of these changes is a one-time charge of ₹ 3,837.20 Crores which is included in the Tax expenses of the Bank. Based on the consistent stand taken by the Bank, judicial pronouncements and legal advice in relation to non applicability of the provisions relating to Minimum Alternate Tax to the Bank, the management does not foresee any further implications of this option being exercised by the Bank.
- Tax Paid in advance/Tax deducted at source appearing under Other Assets includes disputed amount adjusted by the department/paid by the Bank in respect tax demands for various assessment years. No provision is considered necessary in respect of disputed Income Tax demands of ₹ 6,187.58 Crores (Previous year ₹ 5,128.14 Crores) as in the bank's view, duly supported

राय में और / या ऐसे मुद्दे पर बैंक की स्वयं की अपीलों के निर्णय के मद्देनजर, किए गए परिवर्धन/ अस्वीकृति मान्य नहीं हैं. इन राशियों में धारा 115 जेबी (एमएटी) की मांग के संबंध में विभाग द्वारा विवादित कर (एमएटी क्रेडिट) के तौर पर प्रदत्त / समायोजित रू.1,135.50 करोड़ की राशि भी शामिल है जो बैंक के पक्ष में दिए गए न्यायिक फैसलों और विधिक सलाह के आधार पर प्रबंधन की राय में प्रतिदेय है और इसलिए कोई प्रावधान / बट्टे खाते डालने को आवश्यक नहीं माना गया.

बी–9 एएस 23 – समेकित वित्तीय विवरणी में सहबद्ध संस्था में निवेश हेतु लेखांकन चूंकि अपनी सहबद्ध संस्था में बैंक के निवेश सहभागी के रूप में होते हैं और बैंक के पास उनकी गतिविधियों को प्रभावित करने की शक्तियां होती है, ऐसे निवेशों को बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है.

बी–10 परिचालन बंद करना (लेखांकन मानक – 24)

1. बैंक ऑफ़ बड़ौदा की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी बैंक ऑफ़ बड़ौदा (त्रिनिदाद एंड टोबैगो) लिमिटेड दिनांक 26 फरवरी, 2021 को बंद हो गयी, तदनुसार पैरा 21.29 के अनुसार "प्रकटीकरण – रिपोर्टिंग तारीख को वित्तीय स्थिति में अधिग्रहण का प्रभाव और अनुषंगियों के निपटान, रिपोर्टिंग अवधि के लिए परिणाम और पिछली तिमाही के लिए संबंधित तदनुरूपी राशि" निम्नानुसार है:
   - बैंक की अनुषंगी – बैंक ऑफ़ बड़ौदा (त्रिनिदाद एंड टोबैगो) के निवेश की बिक्री पर अनुसूची 14 अन्य आय के अंतर्गत निवेश (निवल) की बिक्री पर लाभ / (हानि) रू. 155.53 करोड़ शामिल है.
2. बैंक ऑफ़ बड़ौदा की पूर्ण स्वामित्व वाली अपरिचालित अनुषंगी बॉब (यूके) लिमिटेड को दिनांक 22.09.2020 से विघटित कर दिया गया है.

बी–11 संयुक्त उद्यम में हितों का प्रकटीकरण (लेखांकन मानक –27)

एएस 27 की आवश्यकता के अनुरूप संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों में बैंक के हितों से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताओं और प्रतिबद्धताओं की कुल राशि निम्नानुसार है:

by Tax Consultant view and/or decision in bank's own appeals on same issues, additions / disallowances made are not sustainable. These amounts also include ₹ 1,135.50 Crores paid/ adjusted by the department as disputed tax (MAT credit) in relation to the demands relating section 115JB (MAT) which in the opinion of the management basis available judicial pronouncements in favor of the Bank and the legal advice received are refundable and hence no provision/ writeoff has been considered necessary.

B -9 AS 23- Accounting for Investments in Associates in Consolidated financial Statements since Investments of the bank in its Associates are participative in nature and the Bank having the power to exercise significant influence on their activities, such Investments are recognized in the Consolidated Financial Statements of the Bank.

B-10 Discontinuing operations (Accounting Standard-24)

1. Bank of Baroda (Trinidad and Tobago) Ltd, wholly owned subsidiary of Bank of Baroda was closed on 26th February, 2021, accordingly disclosures as per para 21.29 – "the effect of the Acquisition and Disposal of subsidiaries in the financial position at the reporting date, the results for the reporting period and on the corresponding amounts for the preceding period." is as under:
   - Profit / (loss) on sale of investment (net) under schedule 14 "Other Income" includes: ₹ 155.53 Crores on sale of investment in Bank's subsidiary – "Bank of Baroda (Trinidad & Tobago)".
2. BOB (UK) Ltd, wholly owned non functional subsidiary of Bank of Baroda has been dissolved w.e.f 22.09.2020.

B-11 Disclosure of Interest in Joint Ventures (Accounting Standard -27)

As required by AS 27, the aggregate amount of the assets, liabilities, income, expenses, contingent liabilities and commitments related to the Bank's interests in jointly controlled entities are disclosed as under:

| नाम | Name | देश जहां विद्यमान है | Country of Incorporation | निवेश का स्वरूप | Nature of Investments | स्वामित्व का % % of owner ship | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020 |
| इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | India First Life Insurance Company Ltd | भारत | India | संयुक्त उद्यम | Joint Venture | 44.00% | 43.31% |
| इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी. | India International Bank (Malaysia) Bhd | मलेशिया | Malaysia | संयुक्त उद्यम | Joint Venture | 40.00% | 40.00% |
| इंडिया इंफ्रा डेट लिमिटेड | India Infradebt Ltd. | भारत | India | संयुक्त उद्यम | Joint Venture | 40.99% | 40.99% |

(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| विवरण | Particulars | 31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020 |
|---|---|---|---|
| देयताएं | Liabilities | | |
| पूंजी एवं प्रारक्षित निधि | Capital & reserve | 1,484.26 | 1,328.57 |
| जमाएं | Deposits | 73.70 | 175.29 |
| ऋण | Borrowings | 4,939.33 | 4,112.29 |
| अन्य देयताएं एवं प्रावधान | Other Liabilities & provisions | 7,596.25 | 6,432.15 |
| कुल | Total | 14,093.54 | 12,048.30 |
| | | | |
| आस्ति | Asset | | |
| भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं जमाशेष | Cash and Balances with RBI | 2.25 | 1.95 |
| बैंक के पास जमाशेष तथा मांगे जाने एवं अल्प सूचना पर देय राशि | Balances with banks and Money at call and short notice | 940.27 | 556.27 |
| निवेश | Investments | 9,821.50 | 8,103.30 |
| ऋण एवं अग्रिम | Loans & Advances | 2,990.08 | 2,984.90 |
| स्थायी आस्तियां | Fixed Assets | 13.83 | 20.65 |
| अन्य आस्तियां | Other Assets | 325.60 | 381.23 |
| कुल | Total | 14,093.54 | 12,048.30 |
| | | | |
| अन्य आकस्मिक देयताएं | Contingent Liabilities | 67.98 | 26.76 |
| आय | Income | | |
| अर्जित आय | Income Earned | 1,463.55 | 556.90 |
| अन्य आय | Other Income | 1,909.36 | 1,429.99 |
| कुल | Total | 3,372.92 | 1,986.89 |
| | | | |
| व्यय | Expenditure | | |
| ब्याज व्यय | Interest expended | 398.79 | 322.98 |
| परिचालनगत व्यय | Operating expenses | 1,827.19 | 1,728.34 |
| प्रावधान एवं आकस्मिकताएं | Provisions & contingencies | 1,009.47 | (127.30) |
| कुल | Total | 3,235.45 | 1,924.02 |
| | | | |
| लाभ | Profit | 137.46 | 62.87 |

## बी–12 आस्तियों की हानि (लेखांकन मानक – 28)

बैंक के प्रबंधन की राय में वर्ष के दौरान आस्तियों को हानि का कोई संकेत नहीं है जिस पर लेखा मानक 28 – 'आस्तियों की हानि' लागू होता है.

## B-12 Impairment of Assets (Accounting Standard-28)

In the opinion of the Bank's management, there is no indication of impairment to the assets during the year to which Accounting Standard 28 – "Impairment of Assets" applies.

## बी.13 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां (लेखांकन मानक – 29):

## B-13 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (AccountingStandard-29)

बी–13.1 बैंक की नीति के अनुसार, ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए दावों हेतु प्रावधान निम्नानुसार किया गया है

B-13.1 As per the policy of the Bank, provision for the claims not been acknowledged as debt, has been provided for.

**दावों के लिए प्रावधानों का संचलन**

Movement of provisions for Claims

(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| विवरण विधिक मामले/ आकस्मिकताएं | Particulars<br>Legal Cases/Contingencies | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए<br>For the year ended March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए<br>For the year ended March 31, 2020 |
|---|---|---|---|
| प्रारंभिक शेष राशि | Opening balance | 94.82 | 33.72 |
| विलय के कारण जुड़े | Addition on account of merger. | 0.00 | 23.78 |
| वर्ष के दौरान प्रावधान/समायोजन | Provided / Adjustment during the year | 99.44 | 38.17 |
| वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि | Amount Used during the year | 0.00 | 0.85 |
| 31 मार्च को शेष राशि | Balance as on 31st March | 194.26 | 94.82 |
| आउटफ्लो/ अनिश्चितताओं का समय | Timing of outflow/ uncertainties | | निपटान क्रिस्टलाइजेशन का आउटफ्लो / Outflow on settlement/crystallization |

ए) तुलनपत्र की अनुसूची 12 की क्रम संख्या (I) से (VI) में उल्लिखित इस प्रकार की देयताएं क्रमशः न्यायालय के निर्णय/ मध्यस्थता फैसलों/ न्यायालय से बाहर समझौते/ अपीलों के निपटान मांग राशि, करार बाध्यता संबंधी शर्तों, संबद्ध पक्षों द्वारा की गई मांग से संबंधित राशि पर निर्भर करती है, ऐसे मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है.

बी) आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है.

**आकस्मिक देयताओं का विवरण (अनुसूची 12 में भी उल्लिखित)**

**ए) बैंक के विरुद्ध दावा जिन्हें कर्ज नहीं माना गया है;**

ये वर्तमान में चल रहे विभिन्न विधिक मामलों से संबंधित सामान्य व्यवसाय में बैंक के विरुद्ध दायर दावों को दर्शाते हैं. इनमें आयकर अधिकारियों द्वारा की गई और बैंक द्वारा विवादित मांग भी शामिल हैं.

**बी) आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश के लिए देयता**

यह आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश के लिए देयता हेतु शेष अदत्त राशि को दर्शाता है.

आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश रू. 15.28 करोड़ में केन्द्रीय भण्डारण निगम तथा आईएल एंड एफएस इंफ्रास्ट्रकचर डेट फंड को आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश के लिए भुगतान नहीं की गई राशि शामिल है.

a. Such liabilities as mentioned at Serial No (I) to (VI) of Schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the outcome of court judgment / arbitration awards / out of court settlement/disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, development and raising of demand by concerned parties respectively. No reimbursement is expected in such cases.

b. Contingent Assets are not recognized in the financial statements.

Description of contingent liabilities. (Also Refer Schedule 12)

a. Claims against the Bank not acknowledged as debts;

These represent claims filed against the Bank in the normal course of business relating to various legal cases currently in progress. These also include demands raised by income tax authorities and disputed by the Bank.

b. Liability for partly paid investments

This represents amounts remaining unpaid towards liability for partly paid investments.

Liability for partly paid investments of ₹ 15.28 Crores represents amounts remaining unpaid towards liability for partly paid investments of central ware Housing Corporation and IL&FS infrastructure debt fund

सी) **वायदा मुद्रा एवं डेरिवेटिव संविदाओं के कारण देयता:**

बैंक ने अपने स्वयं और ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा संविदा, मुद्रा ऑप्शन/स्वैप, ब्याज दर/मुद्रा फ्यूचर्स एवं वायदा दर करार किया है. वायदा मुद्रा संविदा अनुबंधित दर पर भावी तारीख को विदेशी मुद्रा के क्रय या विक्रय के लिए प्रतिबद्धता है. मुद्रा स्वैप, लागू हाजिर दरों के आधार पर, दो मुद्राओं में ब्याज/ मूलधन के माध्यम से नकदी प्रवाह का विनिमय के लिए प्रतिबद्धता है. ब्याज दर स्वैप, स्थायी और अस्थायी ब्याज दर नकदी प्रवाह को विनिमय के लिए प्रतिबद्धता है. ब्याज दर फ्यूचर्स एक मानकीकृत, एक्सचेंज-ट्रेडेड संविदा है जो एक नियत भावी तारीख को एक निश्चित मूल्य पर निश्चित ब्याज दर लेनदेन करने का वचन देती है. वायदा दर करार एक सहमत अवधि के लिए अनुमानित राशि पर डिफरेंशियल ब्याज दर के आधार पर एक निश्चित राशि का भुगतान करने या प्राप्त करने के लिए करार है. विदेशी मुद्रा ऑप्शन दो पक्षों के बीच एक करार होता है, जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को नियत समयावधि के भीतर या निर्दिष्ट भावी समय में विशिष्ट मूल्य पर मुद्रा की एक निश्चित राशि खरीदने या बेचने का अधिकार देता है. एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शन संविदा, एक मानकीकृत विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदा है, जो समाप्ति की तारीख पर नियत तारीख पर पूर्व-सहमत मुद्रा दर पर एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में मूल्यवर्गित राशि के विनिमय का अधिकार देता है, परंतु बाध्यता नहीं. मुद्रा फ्यूचर्स वायदा निर्दिष्ट मूल्य पर भविष्य में नियत तारीख को निश्चित अंतर्निहित मुद्रा के क्रय या विक्रय के लिए मानकीकृत, एक्सचेंज-ट्रेडेड संविदा है. आकस्मिक देयता की राशि संबंधित वायदा विनिमय और डेरिवेटिव संविदा के कल्पित मूलधन का प्रतिनिधित्व करती है.

डी) **ग्राहकों के पक्ष में दी गई गारंटी**

अपनी बैंकिंग गतिविधियों के एक अंश के रूप में, समूह अपने ग्राहकों की ऋण अवस्थिति को बढ़ाने हेतु उनके पक्ष में गारंटी जारी करता है. वह गारंटी अप्रतिसंहरणीय एश्योरेंस का प्रतिनिधित्व करती है जिससे ग्राहक के वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने की स्थिति में बैंक उसका भुगतान करेगा.

ई) **स्वीकृति, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व**

इसमें समूह द्वारा अपने ग्राहकों के पक्ष में जारी किए गए दस्तावेजी क्रेडिट और बैंक के ग्राहकों द्वारा आहरित बिल, जिन्हें बैंक द्वारा स्वीकृत और पृष्ठांकित किया गया है, को शामिल किया गया है.

एफ. और अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है.

## सी. अतिरिक्त प्रकटीकरण

### सी-1 बहियों का मिलान एवं समाधान

अंतर्गत कार्यालय समायोजन के अंतर्गत लेखों के विभिन्न शीर्षों के नामे एवं जमा की बकाया प्रविष्टियों के प्रारंभिक मिलान का कार्य समाधान के प्रयोजन हेतु दिनांक 31.03.2021 तक कर लिया गया है. इसमें उचित समाधान का कार्य प्रगति पर है. अनुषंगियों के बही खातों का मिलान, इंटरऑफ़िस खातों, माइग्रेशन खातों, अन्य कार्यालय खातों का पुष्टिकरण / समाधान आदि नियमित आधार पर प्रगति पर है. प्रबंधन की राय में, उपरोक्त का, वित्तीय विवरणी पर समग्र प्रभाव, यदि कोई होगा, वह अधिक महत्वपूर्ण नहीं होगा.

c. Liability on account of forward exchange and derivative contracts:

Liability on account of forward exchange and derivative contracts:

The Bank enters into foreign exchange contracts, currency options/swaps, interest rate/currency futures and forward rate agreements on its own account and for customers. Forward exchange contracts are commitments to buy or sell foreign currency at a future date at the contracted rate. Currency swaps are commitments to exchange cash flows by way of interest/ principal in two currencies, based on ruling spot rates. Interest rate swaps are commitments to exchange fixed and floating interest rate cash flows. Interest rate futures are standardised, exchange-traded contracts that represent a pledge to undertake a certain interest rate transaction at a specified price, on a specified future date. Forward rate agreements are agreements to pay or receive a certain sum based on a differential interest rate on a notional amount for an agreed period. A foreign currency option is an agreement between two parties in which one grants to the other the right to buy or sell a specified amount of currency at a specific price within a specified time period or at a specified future time. An Exchange Traded Currency Option contract is a standardised foreign exchange derivative contract, which gives the owner the right, but not the obligation, to exchange money denominated in one currency into another currency at a pre-agreed exchange rate on a specified date on the date of expiry. Currency Futures contract is a standardised, exchange-traded contract, to buy or sell a certain underlying currency at a certain date in the future, at a specified price. The amount of contingent liability represents the notional principal of respective forward exchange and derivative contracts.

d. Guarantees given on behalf of constituents

As a part of its banking activities, the Bank issues guarantees on behalf of its customers to enhance their credit standing. Guarantees represent irrevocable assurances that the Bank will make payments in the event of the customer failing to fulfill its financial or performance obligations.

e. Acceptances, endorsements and other obligations

These include documentary credit issued by the Bank on behalf of its customers and bills drawn by the Bank's customers that are accepted or endorsed by the Bank.

f. And other items for which Bank is Contingently liable.

## C. Additional Disclosures

### C-1 Balancing of Books and Reconciliation

Initial matching of debit and credit outstanding entries in various heads of accounts included in Inter office Adjustments has been completed up to 31.03.2021, the reconciliation of which is in progress. Balancing of Subsidiary Ledger Accounts, confirmation/ reconciliation of Inter-office accounts, Migration accounts, other office accounts, etc. is in progress on an on-going basis. In the opinion of the management, the overall impact on the financial statements, if any, of the above, is not likely to be material.

**सी-2 निवेश**

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक ने निवेश के एक भाग को एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी एवं एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में अंतरित कर दिया है. ₹ 1.61 करोड़ (पिछले वर्ष रू. 214.63 करोड़) के परिणामी मूल्यहास को लाभ एवं हानी खाते में प्रभारित कर दिया गया है.

**सी-3 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को भुगतान**

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय मूल राशि या ब्याज के भुगतान में देरी का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है, अत: एमएसएमई को विलंबित भुगतान पर ब्याज के भुगतान के लिए प्रकटीकरण लागू नहीं है. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से संबंधित विवरण प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गये हैं और हमने उसे आधार के रूप में लिया है.

**सी-4 परिसर**

सी-4.1 बैंक की कुल ₹168.72 करोड़ (पिछले वर्ष रू. 168.72 करोड़) की कुछ संपत्तियों के संबंध में हस्तांतरण विलेख का निष्पादन होना बाकी है.

सी-4.2 पुनर्मूल्यांकित हिस्सा पर मूल्यह्रास : वित्तीय वर्ष 2020-21 (इसमें पूर्ववर्ती देना बैंक और पूर्ववर्ती विजया बैंक का मूल्यहास शामिल है) के लिए ₹ 657.65 करोड़ प्रभारित मूल्यह्रास और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कुल प्रभारित मूल्यह्रास ₹ 1,314.54 करोड़ है.

बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम पर सी-10, जी ब्लॉक, बीकेसी, मुंबई में स्थित पूर्ववर्ती देना बैंक की संपत्ति के हस्तांतरण के पेटे ₹ शून्य करोड़ (पिछले वर्ष रू. 2.15 करोड़) का परिवर्तन शुल्क मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण में जमा किया है.

सी-5 बॉब फिस्कल सर्विसेज लिमिटेड (बॉब एफएसएल), पूर्व में पूर्ण रूप से बैंक ऑफ़ बड़ौदा की अनुषंगी द्वारा 24.09.1990 को कंपनी को स्वैच्छिक रूप से समाप्त करने का विशेष संकल्प पारित किया गया और उसके लिए एक परिसमापक की नियुक्ति कर दी गई.

बॉब फिस्कल सर्विसेज लिमिटेड ने बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ एक समझौता किया जिसके तहत दिनांक 28.02.1991 से बॉब एफएसएल की सम्पूर्ण आस्तियां एवं देयताएं उसके पूर्ण व्यवसाय के समापन के फलस्वरूप एक गोइंग कंसर्न/ बिक्री के रूप में बैंक ऑफ़ बड़ौदा को स्थानांतरित कर दिए गए. चूंकि कंपनी विचाराधीन कानूनी मामले के कारण पूर्ण रूप से परिसमाप्त नहीं की जा सकती थी. अतः दिनांक 30 मार्च 2007 को बॉब एफएसएल की वार्षिक सामान्य बैठक में बॉब एफएसएल को बैंक ऑफ़ बड़ौदा में शामिल करने का निर्णय लिया गया.

निदेशक मंडल द्वारा बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ मेसर्स बॉब फिस्कल सर्विसेज लि. के विलय को बैंक की दिनांक 28.01.2009 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया और बॉम्बे उच्च न्यायलय के सम्मुख बॉब के साथ बॉब एफएसएल समामेलन हेतु आवश्यक याचिका दर्ज करने के लिए प्रबंधन को प्राधिकृत किया. यह मामला अभी भी न्यायालय में लंबित है.

**C-2 Investments**

In terms of RBI Guidelines, during the year, the bank has transferred a portion of Investment from HTM category to AFS category and AFS to HTM Category. The resultant depreciation of ₹ 1.61 Crores (Previous Year: ₹ 214.63 Crores) has been charged to the Profit & Loss Account.

**C-3 Payment to Micro, Small & Medium Enterprises under the Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006**

There have been no reported cases of delayed payments of the principal amount or interest due thereon to Micro, Small & Medium Enterprises and hence disclosure for payment of interest on delayed payments to MSME is not applicable. The details regarding Micro, Small and Medium Enterprises has been provided by the Management and relied upon by us.

**C-4 Premises**

C-4.1 Execution of conveyance deeds is pending in respect of certain properties amounting to ₹ 168.72 Crores (Previous Year: ₹ 168.72 Crores).

C-4.2 Depreciation on Revalued Portion: ₹ 657.65 Crores depreciation charged for FY 2020-21 and Total depreciation charged during FY 2020-21 is ₹ 1,314.54 Crores.

Conversion fee of ₹ Nil Crores (Previous Year: ₹ 2.15 Crores) deposited with Development Authority against conversion of eDB property at C-10, G Block, BKC, Mumbai in the name of Bank of Baroda.

C-5 BOB Fiscal Services Limited (BOBFSL), erstwhile wholly owned subsidiary of Bank of Baroda (BOB), had passed a special resolution for voluntary winding up of the Company on 24.09.1990 and the Liquidator was appointed for the same.

BOBFSL had entered into an agreement with BOB pursuant to which entire assets and liabilities of BOBFSL were transferred to BOB as a going concern / as sale in liquidation of the entire business w.e.f. 28.2.1991. As the Company could not be liquidated due to pending legal cases, a decision to merge BOBFSL with BOB was taken in the Annual General Meeting of BOBFSL held on 30th March 2007.

The Board of Directors of BOB has approved the merger of BOBFSL with BOB in its Board meeting on 28.01.2009 and authorized the Management to file necessary petition for merger of BOBFSL with BOB before the Bombay High Court. The matter is still pending before the judiciary.

सी-6 बैंकों में भारतीय लेखांकन मानक (आईएनडी-एएस) के कार्यान्वयन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक (भा.रि.बैं.) ने डीबीआर.बी.पी.बीसी.नं.76/21.07.0001/ 2015-16 दिनांक 11 फरवरी,2016 द्वारा रोडमैप निर्धारित किया है एवं बैंकों को इस संबंध में हुई प्रगति सहित आईएनडी-एएस कार्यान्वयन हेतु रणनीति का प्रकटन करने की आवश्यकता है. तदनुसार बैंक ने आईएनडी-एएस के कार्यान्वयन में सहायता हेतु एक कंसल्टेंट नियुक्त किया है. बैंक ने हुई प्रगति के पर्यवेक्षण हेतु एक स्टीयरिंग समिति बनाई है तथा लेखापरीक्षा समिति को समय-समय पर इसकी सूचना की जाती है. उक्त परिपत्र द्वारा निर्धारित आवश्यकतानुसार बैंक ने 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त अवधि हेतु भा.रि.बैं. को प्रारूप आईएनडी-एएस वित्तीय विवरणी प्रस्तुत कर दी है. इसके अतिरिक्त भा.रि.बैं. द्वारा जारी परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.नं. 29/21.07.001/2018-19 दिनांक 22.03.2019 के अनुसार अगले अनुदेशों तक बैंकों पर आईएनडी-एएस को लागू करना आस्थगित कर दिया गया है.

सी-7 वर्ष के दौरान अदावाकृत लाभांश राशि रू. 13.89 करोड़ (पिछले वर्ष 6.91 करोड़) बिना किसी देरी के निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि को अंतरित किया गया.

सी-8 भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र सं. डीबीआर.नं.बीपी.15199 / 21.04.048 / 2016-17 तथा डीबीआर.नं. बीपी.1906 / 21.04.048 / 2017-18 क्रमशः दिनांक 23 जून, 2017 एवं दिनांक 28 अगस्त, 2017 के अनुसार दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों में शामिल खातों के लिए बैंक ने 31 मार्च, 2021 को कुल ₹ 8173.78 करोड़ करोड़ (कुल बकाये का 100%) का प्रावधान किया है. (पिछले वर्ष ₹ 10853.71 करोड़ (कुल बकाये का 98.73%))

## सी-9 कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसरण में 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) हेतु ₹ 6.90 करोड़ का परिचालन खर्च (पिछले वर्ष: ₹ 4.33 करोड़) शामिल किया गया है.

बैंक ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए अपने सीएसआर के एक अंश के तौर पर रू. 6.90 करोड़, पिछले वर्ष बैंक के प्रकाशित लाभ का रू.5.46 करोड़ अर्थात 1% और संड्री जमा खाता में शेष सीएसआर निधि ₹ 1.44 करोड़ खर्च किया है. एक जिम्मेदार बैंक के रूप में, हमने सीएसआर की अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन करते हुए सकारात्मक रूप से खर्च की एक ऐसी नींव रखी है, जिसपर बैंक आगामी परियोजनाओं और साझेदारी का निर्माण कर सके. बैंक अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए सीएसआर खर्च हेतु अपनी कार्यनीतियों का निरंतर मूल्यांकन कर रहा है. आने वाले वर्षों में, बैंक आवश्यकता के अनुसार अपनी प्रक्रियाओं को और मजबूत करेगा. 6.90 करोड़ में पिछले वर्ष के प्रकाशित निवल लाभ का 5.46 करोड़ अर्थात 1% और संड्री जमा खाता में सीएसआर निधि में व्यय के बाद शेष रू.1.44 करोड़ शामिल है.

C-6 The Reserve Bank of India (RBI) vide DBR.BP.BC. No. 76/21.07.001/2015-16 dated 11th February 2016, has prescribed the roadmap for implementation of Indian Accounting Standards (Ind-AS) in the Banks and the Banks need to disclose the strategy for Ind-AS implementation, including the progress made in this regard. The Bank accordingly, has appointed a consultant to assist in implementation of the Ind-AS. The Bank has also constituted a Steering Committee to oversee the progress made and the Audit Committee of the Board is being apprised of the same from time to time. In terms of the requirement stipulated vide said circular, the Bank has submitted quarterly proforma Ind-AS financial statements to the RBI up to 31st December, 2019. Further, as per RBI circular DBR.BP.BC.No. 29/21.07.001/2018-19 dated 22.03.2019, the implementation of Ind AS on banks has deferred till further notice.

C-7 During the year unclaimed dividend amount transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) without any delay is ₹ 13.89 Crores (Previous Year: ₹ 6.91 Crores).

C-8 As per RBI Circular no. DBR.No.BP.15199/21.04.048/ 2016-17 and DBR.No.BP.1906/21.04.048/20 17-18 dated June 23, 2017 and August 28, 2017 respectively, for the accounts covered under the provisions of Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), the Bank is holding total provision of ₹ 8173.78 Crores (100% of total outstanding) as on March 31, 2021 (Previous Year ₹10853.71 Crores being 98.73% of total outstanding.)

## C-9 Corporate social responsibility

Operating expenses include ₹ 6.90 Crores (previous year: ₹ 4.33 Crores) for the year ended March 31, 2021 towards Corpora9te Social Responsibility (CSR), in accordance with Companies Act, 2013.

The Bank has spent total amount of ₹ 6.90 Crores, ₹ 5.46 Crores being 1% of the published profit of the Bank for the previous year and ₹ 1.44 Crores being appropriation of residual CSR find lying in Sundry Deposit A/c, as part of its CSR for the year ended March 31, 2021. As a responsible bank, it has approached the mandatory requirements of CSR spends positively by laying a foundation on which it would build and scale future projects and partnerships. The Bank continues to evaluate strategic avenues for CSR expenditure in order to deliver maximum impact. In the years to come, the Bank will further strengthen its processes as per requirement. The details of amount spent during the respective year towards CSR are as under: ₹ 6.90 Crores consist of ₹ 5.46 Crores is 1% of published Net profit of previous year and ₹ 1.44 Crores being appropriation of residual CSR fund lying in Sundry Deposit A/c.

(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

| विवरण | Particulars | 31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021 | | | 31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | खर्च राशि Amount spent | अदत्त राशि प्रावधान Amount Unpaid provision | कुल Total | खर्च राशि Amount spent | अदत्त राशि प्रावधान Amount Unpaid provision | कुल Total |
| शिक्षा एवं प्रशिक्षण | Education and training | 6.25 | - | 6.25 | 3.53 | - | 3.53 |
| स्वास्थ्य | Health | 0.35 | - | 0.35 | 0.15 | - | 0.15 |
| समाज कल्याण | Social Welfare | - | - | - | 0.63 | - | 0.63 |
| अन्य | Others | 0.30 | - | 0.30 | 0.02 | - | 0.02 |
| **कुल** | Total | 6.90 | - | 6.90 | 4.33 | - | 4.33 |

### सी-10 गैर-कार्यपालक निदेशकों के पारिश्रमिक के संबंध में प्रकटीकरण

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान निदेशक मंडल और इसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-कार्यपालक निदेशकों को शुल्क के रूप में ₹ 1.07 करोड़ के पारिश्रमिक का भुगतान किया गया. (पिछले वर्ष: ₹ 1.02 करोड़).

सी-11 पूंजी पर्याप्तता तथा चलनिधि मानक संशोधनों पर विवेकसम्मत दिशानिर्देशों के संबंध में जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीबीआर.एनओ.बीपी.बीसी.80/21.06.201/2014-15 दिनांक 31 मार्च, 2015 के साथ पठित बासेल-III पूंजी विनियमन पर जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीबीओडी.एनओ.बीपी.बीसी.1/21.06.201/2015-16 दिनांक 01 जुलाई, 2015 के अनुसार बेसल- III फ्रेमवर्क के तहत बैंकों को लिवरेज अनुपात और चलनिधि कवरेज अनुपात सहित यथा लागू पिलर 3 का प्रकटीकरण करना आवश्यक है. ये विवरण हमारी वेबसाइट "www.bankofbaroda.com" पर उपलब्ध कराए जा रहे है. यह प्रकटीकरण लेखा परीक्षकों की ऑडिट के अधीन नहीं हैं.

सी-12 11 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 प्रकोप को वैश्विक महामारी के रूप में घोषित किया गया और इसने विश्व अर्थव्यवस्था के साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया है. वित्तीय बाजार में सतत अस्थिरता के कारण बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने अग्रिमों की प्रतिलब्धता एवं उस पर प्रावधान, निवेश मूल्यांकन, बैंक ऑफ़ बड़ौदा की अन्य आस्तियों और देयताओं सहित वित्तीय विवरणी के विविध तत्वों पर प्रभाव का निर्धारण करने के लिए वित्तीय विवरणियों के अनुमोदन की तारीख तक आर्थिक पूर्वानुमान एवं औद्योगिक रिपोर्ट सहित जानकारी के आंतरिक एवं बाह्य स्रोत पर विचार किया है. कोरोना की दूसरी लहर ने अनिश्चितताओं में वृद्धि कर दी है और इसका प्रभाव विभिन्न विनियामक उपायों एवं लिए गए अन्य उपायों पर निर्भर करेगा. बैंक गतिविधियों पर नियमित रूप से नज़र बनाए हुए है और दूसरी लहर से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए स्व-स्फूर्त होकर प्रयास कर रहा है.

### C -10 Disclosure on remuneration to Non-Executive Directors

Remuneration by way of sitting fees to the Non-Executive Directors for attending meetings of the Board and its committees during the year ended March 31, 2021 amounted to ₹ 1.07 Crores (Previous year: ₹ 1.02 Crores).

C-11 RBI Circular DBOD.NO.BP.BC.1/21.06.201/2015-16 dated July 01, 2015 on Basel III. : Capital Regulations read together with RBI circular no DBR.NO.BP.BC. 80/21.06.201/2014-15 dated March 31, 2015 on Prudential Guidelines on Capital Adequacy and Liquidity Standards Amendments requires banks to make applicable Pillar 3 disclosures including leverage ratio and liquidity coverage ratio under the Basel- III framework. These details are being made available on our website "www.bankofbaroda.com". These disclosures have not been subjected to audit by the auditors

C–12 The Covid-19 outbreak was declared a global pandemic by the world Health Organization on March 11, 2020 and affected world economy as well as Indian economy. On accounts of continuous volatility in financial market, Bank of Baroda has considered internal and external sources of information including economic forecast and industry report up to date of approval of financial results in determining the impact on various elements of its financial statements including recoverability of advances & provision there on, investment valuation, other assets and liabilities of Bank of Baroda. The second wave of Covid-19 has further added to uncertainties and its impact will depend on various regulatory measures & further measures taken. The bank is regularly keeping a watch on development & taking proactive measures to mitigate the challenges posed by this second wave.

कोविड–19 महामारी के कारण अनिश्चितता के चलते बैंक भावी आर्थिक परिस्थिति में किसी भी वास्तविक परिवर्तन की सतत निगरानी कर रहा है जो भविष्य में इन वित्तीय विवरणियों के अनुमोदन की तारीख को अनुमान से भिन्न विकास के आधार पर बैंक के परिचालनों और उसके वित्तीय परिणामों को प्रभावित कर सकती है.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोविड–19 विनियामक पैकेज के अंतर्गत अपने परिपत्र दिनांक 27 मार्च 2020, 17 अप्रैल 2020 और 23 मई 2020 के माध्यम से दिशानिर्देश जारी किए हैं. दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में बैंक को ऐसे उधारकर्ता खाते जिनमें आस्ति वर्गीकरण लाभ दिया गया है में बकाया अग्रिमों का 10% का प्रावधान करना आवश्यक होगा. उक्त परिपत्र के नियमों के अनुसार विस्तारित किए गए राहत का विवरण निम्नानुसार है:

Given the uncertainty because of COVID -19 pandemic, the Bank is continuously monitoring any material change in future economic conditions which may impact the Bank's operations and its financial results depending on the developments which may differ from that estimated as the date of approval of these financial results.

RBI has announced measures under Regulatory Package for COVID-19 vide its circular dated March 27, 2020, April 17, 2020 and May 23, 2020. In accordance with RBI Guidelines dated April 17, 2020, the Bank was required to make provision of not less than 10% of the outstanding advances in respect of borrower account where asset classification benefit has been granted. Details of relief extended in terms of said circular are as follows:

| क्र. सं. S.No | विवरण | Particulars | (राशि ₹ करोड़ में) Amount (In ₹ Cr) |
|---|---|---|---|
| 1 | एसएमए/अतिदेय वर्ग में बकाया राशि जहां कोविड–19 विनियामक पैकेज के अनुरूप अधिस्थगन/आस्थगन में विस्तार दिया गया था (31.03.2020को)✻ | Respective amounts in SMA/overdue categories, where the moratorium/deferment was extended as per COVID-19 Regulatory Package (As on 31.03.2020)* | 38,004.36 |
| 2 | जहां आस्ति वर्गीकरण लाभ विस्तारित किए गए हैं वहां बकाया राशि | Respective amount, where asset classification benefit is extended | 10,481.57 |
| 3 | ए) वित्तीय वर्ष 2020 की चौथी तिमाही के दौरान किए गए प्रावधान | a) Provision made during the Q4 FY 2020 | 810.65 |
| | बी) वित्तीय वर्ष 2021 की पहली तिमाही के दौरान किए गए प्रावधान | b) Provision made during the Q1 FY 2021 | 1,065.19 |
| 4 | उपर्युक्त परिपत्र के अनुच्छेद 6 के अनुसार स्लिपेज के सापेक्ष समायोजित प्रावधान | Provision adjusted against slippage in terms of para 6 of above circular | 567.24 |
| 5 | 31.03.2021 को अन्य सभी खातों के लिए आवश्यक प्रावधान के सापेक्ष प्रतिलेखन / समायोजित शेष प्रावधान | Residual Provisions written back/ adjusted against the provisions required for all other accounts as on 31.03.2021 | 1,308.60 |
| 6 | 31.03.2021 को धारित शेष प्रावधान | Residual provision held as on 31.03.2021 | Nil |

✻ ऐसे खाते प्रदर्शित करते हैं जो 31.03.2020 को 31.03.2021 को भी एसएमए में थे.

* Representing the accounts which was in SMA on 31.03.2020 and also on 31.03.2021.

सी–13 भारतीय उच्चतम न्यायलय (एससी) ने एक जनहित याचिका (भारतीय संघ & एएनआर) में दिनांक 03 सितंबर, 2020 के अंतरिम आदेश के माध्यम से यह निर्देशित किया है कि खाते जो 31 अगस्त, 2020 तक अनर्जक आस्तियां (एनपीए) नहीं घोषित की गई हैं उन्हें अगले आदेश तक अनर्जक आस्तियां नहीं घोषित की जाएंगी. उक्त अंतरिम आदेश के आधार पर 31 अगस्त, 2020 को जो एनपीए नहीं थे उन्हें बैंक ने 31 दिसंबर, 2020 तक घरेलू परिचालन से संबंधित किसी भी खाते को एनपीए में वर्गीकृत नहीं किया गया है. बैंक ने अपने विवेकानुसार 31.12.2020 तक रू. 1,521.56 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है. इसके अतिरिक्त परिचालन लाभ में समेकित ब्याज आय रू. 369.93 करोड़ को शामिल किया गया है और विवेकानुसार उपाय के

C-13 In its Interim Order dated September 3, 2020, the Hon'ble Supreme Court of India (SC), In a public interest litigation (Union Of India & Anr) vide an interim order dated 03.09.2020 has directed that the accounts which were not declared as Non- Performing Assets (NPA) till August 31, 2020 shall not be declared as NPA till further orders. Based on the said interim order, the Bank on December 31, 2020 has not classified any account pertaining to Domestic operations as NPA, which was not NPA as of August 31, 2020. As a matter of prudence the Bank made an additional provision of ₹ 1,521.56 Crores till 31.12.2020. Further, interest income aggregating to ₹ 369.93 Crores has been reckoned in operating profit and as prudent

तौर पर इसके लिए समान राशि प्रदान की गई है, इस प्रकार से 31.12.2020 को रू.1,891.49 करोड़ का कुल प्रावधान किया गया.

माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त स्थगन आदेश को 23.03.2021 को हटाया गया. इसके साथ भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र दिनांक 07.04.2021 के निर्देशों के अनुसरण में बैंक ने इन उधारकर्ता खातों को 31 मार्च, 2021 को मौजूदा आईआरएसी मानदंडों के अनुसार वर्गीकृत किया गया.

माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 23.03.2021 के आदेश के माध्यम से निर्देशित किया है कि अधिस्थगन अवधि दिनांक 01.03.2020 से 31.08.2020 के दौरान किसी भी प्रकार का ब्याज पर ब्याज/ चक्रवृद्धि ब्याज/ दंडात्मक ब्याज प्रभारित नहीं किया जाएगा और ऐसे ब्याज को संबंधित उधारकर्ता को रिफंड किया जाएगा.

तदनुसार, बैंक ने इसके लिए रू.505.00 करोड़ की अनुमानित देयता का सृजन किया है और उक्त को 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए ब्याज आय से घटा दिया गया है.

सी-14 भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र क्र. डीओआर.नं.बीपी.बीसी/3/21.04.048/2020-21 दिनांक 06 अगस्त, 2020 के अनुसार वर्ष के दौरान कोविड 19 संबंधी दबाव के लिए समाधान फ्रेमवर्क के अनुसार विस्तृत आवश्यकताएं निम्नानुसार है.

measure an equal amount has been provided for, thereby making total provision of ₹ 1,891.49 Crores as on 31.12.2020.

The above stay order of the Hon'ble Supreme Court of India was vacated on 23.03.2021. Further, in accordance with the instructions of RBI circular dated 07.04.2021, the Bank has classified these borrower accounts as per extant IRAC norms as on March 31, 2021.

Hon'ble Supreme court, vide order dated 23.03.2021, directed that there shall not be any charge of interest on interest/ compound interest/ penal interest for the period during the moratorium from 01.03.2020 to 31.08.2020 and such interest shall be refunded to the concerned borrowers.

Accordingly, the Bank has created an estimated liability of ₹ 505.00 Crores towards the same and has reduced the same from interest income for the year ended March 31, 2021.

C–14 In terms of RBI circular DOR.No.BP.BC/3/21.04.048/2020-21 dated August 6, 2020, the detailed requirement as per Resolution Framework for COVID-19 related Stress during the year is given hereunder:

| उधारकर्ता के प्रकार | Type of borrower | (ए) इस विंडो के अंतर्गत खातों की संख्या जहां समाधान योजना को क्रियान्वित किया गया है (A) Number of accounts where resolution plan has been implemented under this window | (बी) योजना के क्रियान्वित्त किए जाने के पूर्व (ए) में उल्लिखित खाते जिनमें एक्स्पोजर था (B) exposure to accounts mentioned at (A) before implementation of the plan | (सी) का (बी), ऋन की समेकित राशि जिसे अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित किया गया (C) Of (B), aggregate amount of debt that was converted into other securities | (डी) योजना के प्रारंभ किए जाने और क्रियान्वित्त किए जाने के बीच स्वीकृत की गई अतिरिक्त निधियन सहित, यदि कोई हो (D) Additional funding sanctioned, if any, including between invocation of the plan and implementation | (ई) समाधान योजना के क्रियान्वित्त किए जाने के कारण प्रावधान में वृद्धि (E) Increase in provisions on account of the implementation of the resolution plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| वैयक्तिक ऋण | Personal Loans | 7,858 | 1,073.14 | 0.00 | 0.04 | 103.02 |
| कॉर्पोरेट व्यक्ति* | Corporate persons* | 3 | 2,701.30 | 0.00 | 113.76 | 10.33 |
| जिसमें से एमएसएमई | Of which, MSMEs | - | - | - | - | - |
| अन्य | Others | - | - | - | - | - |
| कुल | Total | 7,861 | 3,774.44 | 0.00 | 113.80 | 113.35 |

*जैसा कि दिवालिया और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित किया गया है.

*As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

सी-15 चालू वर्ष की पुष्टि के लिए आवश्यकतानुसार पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत किया गया है.

पिछले वर्ष के आंकड़े जहां कहीं दर्शाए गए हैं उन्हें कोष्ठक में रखा गया है.

C-15 Previous year's figures have been regrouped where necessary to conform to current year classification.

Figures in the bracket wherever given relates to previous year.

## 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैन्डअलोन नकदी प्रवाह विवरण-पत्र
## Statement of Standalone Cash Flow for the year ended 31st March, 2021

(₹ लाखों में) (₹ in Lakhs)

| | | | | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2021 | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| ए. | **परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह :** | A. | **Cash flow from operating activities:** | | |
| | **कर पूर्व निवल लाभ** | | **Net Profit before taxes** | **55,56,00** | **(18,02,11)** |
| | निम्नलिखित के लिए समायोजनः | | Adjustments for: | | |
| | अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास | | Depreciation on fixed assets | 13,14,54 | 16,59,65 |
| | निवेशों पर मूल्य ह्रास (परिपक्व ऋणपत्रों सहित) | | Depreciation on investments (including on Matured debentures) | 3,09,91 | 9,86,74 |
| | बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण/ अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान | | Bad debts written-off/Provision in respect of non-performing assets | 125,36,56 | 164,04,90 |
| | मानक आस्तियों के लिए प्रावधान | | Provision for Standard Assets | 21,58,03 | 30,85,48 |
| | अन्य मदों के लिए प्रावधान (निवल) | | Provision for Other items (Net) | 69,30 | 2,21,21 |
| | अचल आस्तियों की बिक्री से (लाभ) /हानि (निवल) | | (Profit)/loss on sale of fixed assets (Net) | (94,09) | (3,70) |
| | बॉन्ड पर ब्याज हेतु भुगतान/ प्रावधान | | Payment/provision for interest on bonds | 19,14,76 | 16,74,43 |
| | अनुषंगियों / अन्य से प्राप्त लाभांश | | Dividend received from subsidiaries/others | (1,31,70) | (99,91) |
| | **पूर्ण योग** | | **Sub total** | **236,33,31** | **221,26,69** |
| | निम्नलिखित के लिए समायोजन : | | Adjustments for: | | |
| | निवेशों में (वृद्धि) / कमी | | (Increase)/Decrease in investments | 131,37,55 | (133,08,98) |
| | अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी | | (Increase)/Decrease in advances | (287,16,33) | (551,41,60) |
| | अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी | | (increase)/Decrease in other assets | 33,75,22 | (87,05,06) |
| | उधार-राशियों में वृद्धि / (कमी) | | Increase/(Decrease)in borrowings | (270,40,48) | 115,86,06 |
| | जमाराशियों में वृद्धि / (कमी) | | Increase/(Decrease) in deposits | 210,12,50 | 308,25,42 |
| | अन्य देयताओं तथा प्रावधानों में वृद्धि /(कमी) | | Increase/(Decrease) in other liabilities and provisions | (48,83,49) | 135,91,67 |
| | प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड का निवल) | | Direct taxes paid (Net of Refund) | (51,27,45) | (44,70) |
| | **परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी (ए)** | | **Net cash from operating activities (A)** | **(46,09,17)** | **9,29,50** |
| बी. | **निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह :** | B. | **Cash flow from investing activities:** | | |
| | अचल आस्तियों की खरीद /अंतरण | | Purchase/Transfer in of fixed assets | (26,82,61) | (32,47,25) |
| | अचल आस्तियों की बिक्री/अंतरण | | Sale/ Transfer out of fixed assets | 23,35,22 | 31,48,79 |
| | व्यापार संबंधी निवेशों में परिवर्तन (अनुषंगी एवं अन्य) | | Changes in Trade related investments (Subsidiaries & others) | (53,11) | 1,41,32 |

(₹ लाखों में) (₹ in Lakhs)

| | | | | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2021 | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| | अनुषंगियों/ अन्य से प्राप्त लाभांश | | Dividend received from subsidiaries/others | 1,31,70 | 99,91 |
| | समामेलन के परिणाम स्वरूप पूर्ववर्ती विजया बैंक एवं देना बैंक के शेयरधारकों को आंशिक पात्रता के लिए प्रदत्त नकदी | | Cash paid to shareholders of erstwhile Vijaya Bank and Dena Bank towards fractional entitlements consequent to amalgamation | - | (1,74) |
| | **निवेश संबंधी गतिविधियों से निवल नकदी (बी)** | | **Net cash used in investing activities (B)** | **(2,68,80)** | **1,41,03** |
| **सी.** | **वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह** | **C.** | **Cash flow from financing activities:** | | |
| | शेयर पूंजी/ शेयर आवेदन राशि/शेयर प्रीमियम | | Share Capital /Share application money/ Share premium | 44,85,32 | 81,54,47 |
| | गैर-जमानती गौण बॉन्ड | | Unsecured Subordinated Bonds | 8,19,10 | 81,09,70 |
| | लाभांश कर सहित प्रदत्त लाभांश | | Dividend paid including dividend tax | - | - |
| | बांड पर ब्याज के संबंध में भुगतान / प्रावधान | | Payment/provision for interest on bonds | (19,14,75) | (16,74,43) |
| | **वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी (सी)** | | **Net cash from financing activities (C)** | **33,89,67** | **145,89,74** |
| | **समामेलन के परिणाम स्वरूप प्राप्त नकदी एवं नकदी समतुल्य (डी)** | | **Cash & cash equivalents received on account of amalgamation (D)** | **-** | **170,11,23** |
| | **नकदी एवं नकदी समतुल्य (ए)+(बी)+(सी)+(डी) में निवल वृद्धि** | | **Net increase in cash & cash equivalents (A)+(B)+(C)+(D)** | **(14,88,30)** | **326,71,50** |
| | वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य | | Cash and cash equivalents as at the beginning of the year | 1219,01,12 | 892,29,62 |
| | वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य | | Cash and cash equivalents as at the end of the year | 1204,12,82 | 1219,01,12 |

**टिप्पणी:** **Notes:**

1 नकदी तथा नकदी समतुल्य में बैंक के पास नकदी, भा.रि.बैं. तथा अन्य बैंकों के पास शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर मुद्रा शामिल है.

1 Cash & Cash equivalents includes Cash on hand, Balance with RBI & Other banks and Money at call and Short Notice.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | नकदी तथा नकदी समतुल्य के घटक | 2 | Components of Cash & Cash Equivalents | **31 मार्च 2021 को As on 31st March 2021** | 31 मार्च 2020 को As on 31st March 2020 |
| | भा.रि.बैं. के पास नकदी एवं शेष राशि | | Cash & Balance with RBI | 388,41,04 | 326,45,85 |
| | बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि | | Balances with Banks and Money at Call and Short Notice | 815,71,78 | 892,55,27 |
| | **कुल** | | **Total** | **1204,12,82** | 1219,01,12 |

# स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
# Independent Auditors Report

**प्रति,**

**बैंक ऑफ़ बड़ौदा के सदस्यगण**

**स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट**

**राय**

1. हमने बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बैंक) के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2021 का तुलन पत्र, लाभ और हानि खाता, समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य विवरणात्मक जानकारी सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों संबंधी नोट का समावेश है जिसमें हमारे द्वारा लेखा परीक्षित प्रधान कार्यालय, 18 अंचल कार्यालयों, 20 शाखाओं और 1 विशेषीकृत एकीकृत ट्रेजरी शाखा, संबंधित सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 4,246 घरेलू शाखाओं और संबंधित स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 34 विदेशी शाखाओं के रिटर्न शामिल हैं. हमारे द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप किया है.

   तुलन–पत्र में लाभ एवं हानि खाते एवं नकदी प्रवाह विवरण संबंधी 3947 घरेलू शाखाओं के रिटर्न भी शामिल हैं जो लेखा परीक्षा के अध्यधीन नहीं हैं. इन गैर लेखा–परीक्षित शाखाओं में कुल अग्रिम का 7.42% और कुल जमाराशियों का 20.14%, ब्याज आय का 8.59% और ब्याज व्यय का 21.49% शामिल है.

   हमारी राय एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 ('अधिनियम') के अनुरुप वांछित जानकारी देते हैं, जिससे कि वे बैंक स्तर पर और भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांत के समनुरूप हों और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

   ए) दिनांक 31 मार्च, 2021 के बैंक के तुलन पत्र के संबंध में सही और उचित दृष्टिकोण;

   बी) संबंधित तारीख को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि खाते के मामले में लाभ संबंधी वास्तविक शेष; और

   सी) संबंधित तारीख को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह के संबंध में सही और उचित नकदी प्रवाह दृष्टिकोण

**राय हेतु आधार**

2. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा पर जारी मानकों (एसए) के अनुसार की है. उन लेखापरीक्षा मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्व हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्व अनुभाग में विस्तृत रूप से वर्णित है. हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी 'नैतिक आचार संहिता' के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं तथा आईसीएआई द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता और अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के

**To**

**The Members of Bank of Baroda**

**Report on the Audit of the Standalone Financial Statements**

**Opinion**

1. We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of Bank of Baroda (the Bank") which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2021, the Profit and Loss Account, Cash Flow Statement for the year then ended, and Notes to the Standalone Financial Statements including Significant Accounting Policies and other explanatory information, in which are included the returns for the year ended on that date of Head office, 18 Zonal office , 20 branches and 1 Specialized Integrated Treasury Branch audited by us, 4246 domestic branches audited by the respective Statutory Branch Auditors and 34 foreign branches audited by the respective Local Auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India ('RBI').

   Also incorporated in the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement are the returns from 3947 domestic branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 7.42% of advances, 20.14 % of deposits, 8.59% of interest income and 21.49% of interest expenses.

   In our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us, the aforesaid Standalone Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act 1949 (the "Act") in the manner so required for the Bank and are in conformity with the accounting principles generally accepted in India and give:

   a) true and fair view in case of the Balance sheet, of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2021;

   b) true balance of Profit in case of Profit and Loss Account for the year ended on that date; and

   c) true and fair view of the cash flows in case of cash flow statement for the year ended on that date.

**Basis for Opinion**

2. We conducted our audit in accordance with the Standards of Auditing ("SAs") issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI"). Our responsibility under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the ICAI together with

अनुसार भारत में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा संबंधी प्रासंगिक आचार संहिताओं का अनुसरण करते हैं. हमने इन आवश्यकताओं के अनुरुप अन्य नैतिक दायित्वों और नैतिक आचार को पूरा किया है. हमारा विश्वास है कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्रस्तुत किया है वे हमारी राय को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं.

**विषयवस्तु का प्रभाव**

3. हम आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं:

ए. अनुसूची 18 की नोट संख्या सी-12 बैंक के परिचालन और वित्तीय विवरणों पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव से संबंधित है. यह मूल्यांकन और इस महामारी के परिणाम के प्रबंधन के अनुमान के अनुसार है जो भविष्य की संभावनाओं पर अत्यधिक निर्भर हैं और बहुत ही अनिश्चित है. बैंक लगातार आर्थिक स्थितियों की निगरानी कर रहा है. बैंक के परिचालन और वित्तीय विवरणों पर कोई भी प्रभाव इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तारीख को अनिश्चित है.

बी. अनुसूची 18 की नोट संख्या ए-3.4 जो ₹ 16291 लाख के प्रावधानों के आस्थगन से संबंधित है और 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान पहचान किए गए कुछ धोखाधड़ी खातों से संबंधित है और भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीआर नं.बीपी.बीसी.92121.04.048/2015-16 दिनांक 18 अप्रैल, 2016 के संबंध में अगली तिमाहियों में लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किए जाने हैं.

सी. अनुसूची 18 की नोट संख्या बी-8 वर्ष के दौरान बैंक द्वारा अपनाई गई धारा 115 बीएए के तहत कर की कम दर के विकल्प के चयन और इस मामले में आगे कोई प्रभाव नहीं पड़ने संबंधी प्रबंधन के मूल्यांकन से संबंधित है.

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं है.

**लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे**

4. हमारे पेशेवर निर्णय के अनुसार लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे वे मुद्दे हैं जो चालू अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे. इन मुद्दों को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में और इसमें हमारी राय बनाने में पूर्ण उल्लेख किया गया था तथा हम इन मुद्दों में अलग से राय नहीं देते हैं. हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले बैंक के प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों के रूप में निम्नलिखित मामलों को निर्धारित किया है:

I. अग्रिमों का वर्गीकरण, आय की गणना, गैर-निष्पादक अग्रिमों की पहचान और उनके लिए प्रावधान (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 17 के नोट 4 के साथ पठित अनुसूची 9 का संदर्भ लें)

बैंक के निवल अग्रिम कुल आस्तियों का 61.13% हैं, जो वित्तीय विवरणों का एक महत्वपूर्ण भाग है. ये अन्य बातों के साथ-साथ आय की गणना, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसी) मानदंडों तथा आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी अन्य परिपत्रों और निदेशों द्वारा शासित होते हैं, जो विदेशी कार्यालयों को छोड़कर, अग्रिमों के निष्पादक और गैर-निष्पादक अग्रिमों (एनपीए) में वर्गीकरण से संबंधित दिशानिर्देश प्रदान करते हैं. विदेशों में अग्रिमों का वर्गीकरण और उनके लिए प्रावधान

the ethical requirements that are relevant to our audit of the Standalone Financial Statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

**Emphasis of Matter**

3. We invite attention to the following:

a) Note no. C-12 of Schedule 18 regarding impact of COVID-19 pandemic on Bank's operations and financial Statements, this assessment and the outcome of the pandemic is as made by the management and is highly dependent on the circumstances as they evolve in the subsequent periods. The Bank is continuously monitoring the economic conditions and any impact on the Bank's operations and financial Statements is uncertain as on the date of approval of these financial Statements.

b) Note No. A-3.4 of Schedule 18 relating to deferment of provision of ₹ 16291 Lakhs pertaining to certain fraud accounts identified during the year ended March 31, 2021 and to be charged to the Profit & Loss Account in the subsequent quarters , in terms of RBI Circular DBR No. BP.BC.92121.04.048/2015-16 dated April 18, 2016.

c) Note No B-8 of Schedule 18 relating to the option of lower rate of tax under section 115 BAA exercised by the Bank during the year and management assessment of no further implications in the matter.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

**Key Audit Matters**

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements of current period. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters of the Bank to be communicated in our report:

I. Classification of Advances, Income Recognition, Identification of and provisioning for non-performing Advances (Refer Schedule 9 read with Note 4 of Schedule 17 to the financial statements)

The net advances of the Bank constitutes of 61.13% of the total assets, which is the significant part of the financial statements. They are, inter-alia, governed by income recognition, asset classification and provisioning (IRAC) norms and other circulars and directives issued by the RBI from time to time which provides guidelines related to classification of Advances into performing and non-performing

स्थानीय विनियमों या भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों, जो भी अधिक सख्त हों, के अनुसार किया जाता है. बैंक इन अग्रिमों का वर्गीकरण अपनी लेखांकन नीति के अनुसार आईआरएसी मानदंडों के आधार पर करता है.

निष्पादक और गैर–निष्पादक अग्रिमों की पहचान की प्रक्रिया में उचित पद्धति स्थापित करना शामिल है. बैंक अपनी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (आईटी सिस्टम) अर्थात् कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) में अग्रिमों से संबंधित सभी लेनदेनों का रख– रखाव करता है जो इस बात की भी पहचान करता है कि अग्रिम निष्पादक है या गैर–निष्पादक.

भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा जारी अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करने के अलावा, बैंक के पास अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान करने के लिए भी कुछ नीतियां हैं.

व्यक्तिगत या समेकित रूप से आईआरएसी मानदंडों का उचित रूप से अनुपालन न किए जाने पर इन अग्रिमों के वहन मूल्य (प्रावधानों का निवल) की अधिक गलत बयानी हो सकती है.

साथ ही, आहरण शक्ति की गणना, प्रतिभूति मूल्यांकन के लिए अन्य पक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों की गणना, पुनर्संरचित अग्रिमों के लिए मूल्य में कमी की गणना और ब्याज आय के निर्धारण के कारण अनर्जक अग्रिमों के लिए ऋणकर्ताओं और अग्रणी बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर निर्भरता के कारण हमने प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में उपर्युक्त क्षेत्र को निर्धारित किया है.

**लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रियाएँ**

**प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रिया**

हमने अनर्जक आस्तियों की पहचान करने और उनके लिए प्रावधान हेतु बैंक की प्रणाली का मूल्यांकन किया. हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल परीक्षण निम्नानुसार शामिल थे:

ए) हमने अनर्जक आस्तियों, प्रावधान के निर्धारण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और इससे संबंधित बैंक की नीतियों के अनुपालन में सम्मिलित प्रणाली में स्थापित नियंत्रणों, चेक और बैलेंस के बारे में बैंक से जानकारी हासिल की और तदनुसार हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की योजना बनाई.

बी) हमें आबंटित शीर्ष 20 शाखाओं के संबंध में आईआरएसी मानदंड के अनुसार आय की पहचान, निष्पादक और अनर्जक अग्रिमों में वर्गीकरण और प्रावधान के लिए सिस्टम में डेटा इनपुट की सटीकता की हमने जांच की. हमने बैंक द्वारा चयनित अन्य घरेलू और विदेशी शाखाओं के लिए शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्यों पर भी भरोसा किया है.

सी) बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षा, सिस्टम लेखापरीक्षा, ऋण लेखापरीक्षा और

Advances (NPA) except in case of foreign offices, classification of advances and provisioning thereof is made as per local regulations or RBI guidelines, whichever is more stringent. The Bank classifies these Advances based on IRAC norms as per its accounting policy followed.

Identification of performing and non-performing Advances involves establishment of proper mechanism. The Bank accounts for all the transactions related to Advances in its Information Technology System (IT System) viz. Core Banking Solution (CBS) which also identifies whether the advances are performing or non-performing.

Besides following the prudential norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning relating to Advances issued by the Reserve Bank of India ("RBI"), the Bank also has certain policies for provisioning on non- performing assets.

The carrying value of these advances (net of provisions) may be materially misstated if, either individually or in aggregate, the IRAC norms are not properly followed.

Further due to reliance placed on data submitted by the borrowers & lead bank for Drawing Power calculations, third party for security valuation, computation of provisions as per various guidelines issued by the RBI, computation of diminution in value for restructured advances and recognition of interest income including in non-performing advances, we determined the above area as a Key Audit Matter.

**Auditors' Responses**

***Principal Audit Procedures***

We assessed the Bank's system in place to identify and provide for non-performing assets. Our audit approach consisted testing of the design and operating effectiveness of the internal controls and substantive testing as follows:

a) We had obtained understanding from the Bank about the controls built in the system, checks and balances incorporated with respect to adherence to the RBI guidelines and related Bank's Policies for identification of non-performing assets, provisioning and had accordingly planned our audit procedures.

b) The accuracy of the data input in the system for income recognition, classification into performing and non performing Advances and provisioning in accordance with the IRAC norm in respect of the top 20 branches allotted to us. We have also relied on the work done by the branch auditors for other domestic and foreign branches selected by the Bank.

c) Existence and effectiveness of monitoring mechanisms such as Internal Audit, Systems

समवर्ती लेखा परीक्षा जैसे निगरानी तंत्र की मौजूदगी और प्रभावशीलता की जांच की गई.

डी) समय-समय पर जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों की पहचान और प्रावधान की जांच की गई.

ई) एनपीए की पहचान और आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान की पर्याप्तता के उद्देश्य से प्रबंधन के अनुमानों और निर्णयों का मूल्यांकन और परीक्षण किया गया.

एफ) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के दौरान पाए गए अपवादों को विधिवत सुधार करना सुनिश्चित किया गया.

II. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), डेटा का माइग्रेशन और वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित करने वाले नियंत्रण

वर्ष के दौरान तीन बैंकों के समामेलन के पश्चात समग्र एकीकरण योजना के अनुसार पूर्ववर्ती देना और पूर्ववर्ती विजया बैंक के डेटा को बैंक के डेटा में माइग्रेट कर दिया गया है. बैंक की वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रणाली कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) और सीबीएस से लिंक अन्य आईटी प्रणालियों के प्रभावी कार्य करने पर या स्वतंत्र रूप से काम करने पर अत्यधिक निर्भर हैं.

हमारा ध्यान सिस्टम में फीड करने, माइग्रेट किए गए डेटा की सत्यता, डेटा की शुद्धता और विश्वसनीयता, एक्सेस प्रबंधन और ड्यूटी के विभाजन के तर्क पर केन्द्रित रहा है. ये अंतर्निहित सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे सुनिश्चित करते हैं कि एप्लिकेशन और डेटा में परिवर्तन उचित, अधिकृत, स्पष्ट और निगरानी में हैं, ताकि सिस्टम सटीक और विश्वसनीय रिपोर्ट/ रिटर्न और अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय जानकारी तैयार कर सके जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए उपयोग में लायी जाती हैं.

वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली. बैंक की परिचालन और वित्तीय प्रक्रियाएं दैनिक आधार पर व्यापक मात्रा में जनरेट करती हैं और विविध और जटिल लेनदेन की प्रक्रिया संपादित करती हैं जो आईटी सिस्टम पर अत्यधिक निर्भर हैं. एक ऐसा जोखिम हो सकता है कि स्वचालित लेखांकन प्रक्रियाओं और संबंधित आंतरिक नियंत्रणों को सटीक रूप से डिजाइन और प्रभावी ढंग से परिचालित नहीं किया गया हो. अतः इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना जाता है.

**लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रियाएँ**

**प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रिया**

हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में प्रमुख आईटी एप्लिकेशनों का मूल्यांकन और पहचान शामिल है और टेस्ट परीक्षण के आधार पर सिस्टम से जनरेट की गई रिपोर्ट/ रिटर्न और अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय जानकारी के आधार पर आईटी सिस्टम की डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता की पुष्टि, परीक्षण और

Audit, Credit Audit and Concurrent Audit as per the policies and procedures of the Bank;

d) Test checked the identification and provisioning of non-performing assets in accordance with RBI Guidelines issued from time to time.

e) Evaluated and tested the management estimates and judgements for the purpose of identification of NPA and adequacy of provision required as per RBI's Prudential norms.

f) Ensured exceptions noticed during our audit procedures are duly corrected.

II. Information Technology (IT), Migration of Data and controls impacting financial Reporting

During the year, data of e-Dena & e-Vijaya Bank has been migrated to Bank's data as per the overall integration plan after the merger of three Banks. The Bank's financial accounting and reporting systems are highly dependent on the effective working of the Core Banking Solution (CBS) and other IT systems linked to the CBS or working independently.

Our areas of focus relate to the logic that is fed into the system, accuracy of migrated data, sanctity and reliability of the data, access management and segregation of duties. These underlying principles are important because they ensure that changes to applications and data are appropriate, authorized, cleansed and monitored, so that the system generates accurate and reliable reports/ returns and other financial and non-financial information that is used for the preparation and presentation of the financial statements.

Technology (IT) systems used in financial reporting process. The Bank's operational and financial processes generate extensive volume on daily basis and process varied and complex transactions which are highly dependent on IT systems. There is a risk that automated accounting procedures and related internal controls may not be accurately designed and operating effectively, hence considered as a key audit matter.

**Auditors' Responses**

***Principal Audit Procedures***

Our audit procedures includes assessment and identification of key IT applications, and further verifying, testing and reviewing the design and operating effectiveness of the IT system on the basis of reports /returns and other financial and non-financial information generated from the

समीक्षा करना शामिल है. हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

ए) लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक के आईटी नियंत्रित वातावरण, आईटी नीतियों और डेटा माइग्रेशन दृष्टिकोण को समझा.

बी) यूज़र एवं एप्लिकेशन नियंत्रण, चेंज मैनेजमेंट नियंत्रण और डेटा बैकअप से संबंधित आईटी सामान्य नियंत्रणों का परीक्षण करना.

सी) जहां हमने अतिरिक्त प्रक्रियाओं को करने का निर्णय लिया, वहां हम मैन्युअल क्षतिपूर्ति नियंत्रणों पर निर्भर रहे जैसे कि प्रणालियों और सूचना के अन्य स्रोतों के बीच सामंजस्य या अतिरिक्त जांच करना; पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमने नमूने के आकार को विस्तार दिया है.

डी) सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए कार्य और शाखा लेखापरीक्षा के आधार पर पारित सुधार प्रविष्टियां (एमओसी) पर भरोसा किया गया.

ई) बाह्य वेंडरों की निरीक्षण रिपोर्ट पर भरोसा जहां कहीं भी उपलब्ध कराया गया है.

III निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, गैर-निष्पादक निवेशों की पहचान और उनके लिए प्रावधान (वित्तीय विवरणों की अनसूची 17 के नोट 3 के साथ पठित अनुसूची 8)

इस निवेश में विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बांडों, डिबेंचरों, शेयरों, प्रतिभूति रसीदों तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में बैंक द्वारा किए गए निवेश शामिल हैं.

निवेश बैंक की कुल संपत्ति का 22.61% है. ये भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों द्वारा नियंत्रित होते हैं. भारतीय रिज़र्व बैंक के इन निर्देश में अन्य बातों के साथ-साथ निवेशों का मूल्यांकन, निवेशों का वर्गीकरण, गैर-निष्पादक निवेशों की पहचान, आय की तदनुरूपी अमान्यता और इसके प्रति प्रावधान शामिल हैं.

गैर-उद्धृत निवेशों और कमजोर कारोबार वाले निवेश का मूल्यांकन बाजार में उतार-चढ़ाव, बेहतर कीमतों की अनुपलब्धता और व्यापक आर्थिक अनिश्चितता के कारण अंतर्निहित जोखिम का क्षेत्र है.

तदनुसार, हमारी लेखा परीक्षा निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादक निवेशों की पहचान और निवेशों से संबंधित प्रावधानों पर केंद्रित रही.

उपरोक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाता है, जिसमें विभिन्न स्रोतों जैसे एफआईएमएमडीए दरें, बीएसई/ एनएसई द्वारा उद्धृत दरें, असूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण आदि से डेटा / सूचना का संग्रहण शामिल है.

मूल्यांकन, लेनदेनों की मात्रा, धारित निवेश और विनियामक संकेन्द्रण की गंभीरता में शामिल निर्णय सीमा और जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मुद्दे के रूप में निर्धारित किया गया है.

system on a test check basis. Our audit procedures included:

a) Obtained an understanding of the Bank's IT control environment, IT policies and data migration approach during the audit period.

b) Testing IT general controls related to User and Application controls, Change Management Controls and Data backup.

c) Where we identified the need to perform additional procedures, we placed reliance on manual compensating controls; such as reconciliations between systems and other information sources or performing additional testing; extended our sample sizes, to obtain adequate and appropriate audit evidences.

d) Reliance on the work performed by the statutory branch auditors and the rectification entries (MOCs) passed based on branch audits;

e) Reliance on external vendor inspection reports wherever made available.

III. Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments (Schedule 8 read with Note 3 of Schedule 17 to the financial Statements)

Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security receipts and other approved securities.

Investments constitute 22.61 per cent of the Bank's total assets. These are governed by the circulars and directives of the RBI. These directions of RBI, inter-alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, the corresponding non-recognition of income and provision there against.

The valuation of unquoted investments and thinly traded investments is an area of inherent risk because of market volatility, unavailability of reliable prices and macroeconomic uncertainty.

Accordingly, our audit was focused on valuation of investments, classification, identification of non-performing investments and provisioning related to investments.

The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/information from various sources such as FIMMDA rates, rates quoted on BSE/NSE, financial statements of unlisted companies etc.

Considering the complexities and extent of judgment involved in the valuation, volume of transactions, investments on hand and degree of regulatory focus, we determined the above area as a Key Audit Matter.

**लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रियाएँ**

**प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रिया**

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों/ निर्देशों के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारे लेखापरीक्षा संबंधी दृष्टिकोण में मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर–निष्पादक निवेशों (एनपीआई) की पहचान, निवेशों से संबंधित प्रावधान/ मूल्यह्रास के संबंध में आंतरिक नियंत्रण और मूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है.

ट्रेजरी की लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया निम्नलिखित पर केंद्रित है –

ए) हमने मूल्यांकन, वर्गीकरण, एनपीआई की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान/ मूल्यह्रास के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया है और उसे समझा है ;

बी) धारित निवेश के चयनित नमूने के लिए हमने भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों और प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी के लिए पुनः कार्यनिष्पादन के संबंध में मूल्यांकन संबंधी दिशानिर्देश के साथ इनकी सटीकता और अनुपालन की जांच की है. नमूनों का चयन यह सुनिश्चित करने के बाद किया गया कि निवेश की सभी श्रेणियां (प्रतिभूति के स्वरूप के आधार पर) नमूनों में शामिल हैं;

सी) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के आधार पर गैर–उद्धृत निवेशों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन परीक्षण किया गया है.

डी) हमने एनपीआई की पहचान और आय के सापेक्ष रिवर्सल एवं प्रावधानों के सृजन का आकलन और मूल्यांकन किया है;

ई) हमने भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार प्रदान किए जाने वाले प्रावधान को बनाए रखने और मूल्यह्रास की फिर से गणना करने के लिए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को अपनाया है. तद्नुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेश से नमूनों का चयन किया और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीआई संबंधित परीक्षण किया और एनपीआई के उन चयनित नमूनों को भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार बनाए रखने के प्रावधानों की पुन: गणना की है;

IV. कुछ मुकदमों के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं का मूल्यांकन, अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए विभिन्न दावों को कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 17 के नोट 15 के साथ पठित अनुसूची 12):

बैंक ने उक्त के पेटे दायर दावों पर प्रश्न उठाए हैं जिनमें कर और गैर कर मामलों में विभिन्न स्तरों पर लंबित मामले शामिल हैं जो विभिन्न न्यायालयों में/ मंचों पर लंबित हैं और न्यायिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर हैं. प्रबंधन ने ऐसे मामलों में संभावित आउटफ़्लो का मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है.

**Auditors' Responses**

***Principal Audit Procedures***

Our audit approach towards Investments with reference to the RBI Circulars/directives included the understanding of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of non-performing investments (NPIs), provisioning/ depreciation related to Investments.

Our audit procedures with respect to audit of Treasury, focused on -

a) We evaluated and understood the Bank's internal control system to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of NPIs, provisioning/depreciation related to investments;

b) For the selected sample of investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing valuation for each category of the security. Samples were selected after ensuring that all the categories of investments (based on nature of security) were covered in the sample;

c) Independently test-checked valuation of unquoted investments, based on the financial statements for the year ended March 31, 2021 in terms of the RBI guidelines.

d) We assessed and evaluated the process of identification of NPIs and corresponding reversal of income and creation of provision;

e) We carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the circulars and directives of the RBI. Accordingly, we selected samples from the investments of each category and tested for NPIs as per the RBI guidelines and recomputed the provision to be maintained in accordance with the RBI Circular for those selected sample of NPIs;

IV. Assessment of Provisions and Contingent liabilities including in respect of certain litigations, various claims filed by other parties not acknowledged as debt (Schedule 12 read with Note 15 of Schedule 17 to the financial statements) :

The Bank has disputed claims against it including matters pending at various levels in Tax and non tax matters which are pending at various courts/forums and are at various stages in the judicial process. The management has exercised significant judgement in assessing the possible outflow in such matters.

प्रावधान के स्तर का अनुमान लगाने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है. बैंक का आकलन मामले के तथ्यों, उनके अपने निर्णय, पिछले अनुभव और विधिक और स्वतंत्र कर सलाहकारों की परामर्श, जहाँ भी आवश्यक हो, से समर्थित है. तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलन-पत्र में प्रस्तुत मामलों की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं.

हमने इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को देखते हुए उपर्युक्त क्षेत्र को प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है, जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है. तदनुसार, हमारी लेखा परीक्षा विचाराधीन विषय-वस्तु के तथ्यों का विश्लेषण करने और संबद्ध निर्णय/ विधिक व्याख्या पर केंद्रित थी.

**लेखा परीक्षक की प्रतिक्रियाएं**

**मुख्य लेखा परीक्षा प्रक्रिया**

- हमने डिजाइन की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया है और कर संबंधी मुकदमे के मामलों के संदर्भ में प्रबंधन के नियंत्रणों की प्रभावशीलता की जांच की है.
- हमने विवादों के संभावित आउटफ्लो और संभावित निष्कर्षों के अनुमान के लिए प्रबंधन की अंतर्निहित धारणा की समीक्षा की है. इन अनिश्चित कर/ कर से इतर स्थितियों पर प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करते समय विधिक अधिमानों और अन्य नियमों पर विचार किया गया है.
- इसके अलावा, संभावित आउटफ्लो के लिए प्रबंधन के निर्णयों, औद्योगिक स्तर की विवेचना और अनुमानों तथा ऐसी विवादित कर स्थितियों के संबंध में कंपनी के आंतरिक विशेषज्ञों के मतों को हमने आधार बनाया है.
- महत्वपूर्ण कर से इतर विवादित मामलों के लिए प्रबंधन द्वारा किए गए चयनित मुख्य संप्रेषणों, आंतरिक/बाह्य विधिक मतों/ परामर्शों को पढ़ा और विश्लेषित किया है.
- बैंक/ अन्य कॉर्पोरेट के ऐसे समान मामलों में जहां कहीं भी विधिक निर्णय उपलब्ध थे उन्हें समीक्षित और सत्यापित किया गया है.
- उपयुक्त वरिष्ठ प्रबंधन से चर्चा की और प्रावधानों के अनुमान में प्रबंधन के अंतर्निहित मुख्य धारणाओं का मूल्यांकन किया है.
- कर से इतर विवादित मामलों में संभावित निष्कर्ष के बारे में प्रबंधन के अनुमान का आकलन किया है और ऐसे मामलों में प्रबंधन के निर्णय को आधार बनाया है.

5. **अन्य मामले**

ए) हमने 4246 घरेलू शाखाओं और 34 विदेशी शाखाओं के वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की, जिनके वित्तीय विवरण उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ₹52639874 लाख की कुल आस्तियां और ₹ 3202626 लाख के कुल राजस्व को दर्शाते हैं, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय

There is high level of judgement required in estimating the level of provisioning. The Bank's assessment is supported by the facts of matter, their own judgment, past experience, and advice from legal and independent tax consultants wherever considered necessary. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and state of affairs presented in the Balance Sheet.

We determined the above area as a Key Audit Matter in view of associated uncertainty relating to the outcome of these matters which requires application of judgment in interpretation of law. Accordingly, our audit was focused on analysing the facts of subject matter under consideration and judgments/ interpretation of law involved.

**Auditors' Responses**

***Principal Audit Procedures***

- We have evaluated the appropriateness of the design and tested the operating effectiveness of the management's controls over the tax litigation matters.
- We reviewed the management's underlying assumptions in estimating the possible outflow and the possible outcome of the disputes. The legal precedence and other rulings were considered in evaluating management's position on these uncertain tax /non tax positions.
- Further we have relied upon the management judgements, industry level deliberations and estimates for possible outflow and opinion of internal experts of the Company in relations to such disputed tax positions.
- Read and analysed select key correspondences, internal/external legal opinions / consultations by management for key disputed non tax matters.
- Reviewed and verified other legal pronouncements wherever available in similar matters in the case of the Bank/other corporate.
- Discussed with appropriate senior management and evaluated management's underlying key assumptions in estimating the provisions.
- Assessed management's estimate of the possible outcome of the disputed non tax cases and relied on the management judgments in such cases.

5. **Other Matters**

a) We did not audit the financial Statements/financial information of 4246 domestic branches and 34 foreign branches whose financial statements reflects total Assets of ₹ 52639874 Lakhs and total revenue of ₹ 3202626 Lakhs for the year ended on

विवरण में निर्धारित किया गया है. इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं की बैंक के सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमारी राय में जहां तक यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, वह ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर पूरी तरह से आधारित है.

बी) कोविड-19 महामारी और सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा लगाए गए लॉकडाउन और अन्य प्रतिबंधों के कारण, प्रबंधन द्वारा डिजिटल साधनों के माध्यम से उपलब्ध कराए गए उपलब्ध/व्यवहार्य और आवश्यक रिकॉर्ड तक रिमोट पहुंच के आधार पर ऑडिट प्रक्रियाएं पूरी की गईं.

सी) 31 मार्च, 2020 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा संयुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा की गई, जिनमें से तीन पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा फर्म हैं और उन्होंने 23 जून, 2020 की अपनी रिपोर्ट के माध्यम से ऐसे वित्तीय विवरणों पर असंशोधित राय व्यक्त की है.

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं है.

**स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण से इतर अन्य जानकारियां और उस पर लेखा परीक्षक रिपोर्ट**

6. बैंक का निदेशक मण्डल अन्य जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है. अन्य जानकारी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट (लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षक रिपोर्ट शामिल नहीं है) शामिल है जो हमें लेखापरीक्षक रिपोर्ट, निदेशक मंडल की रिपोर्ट, मुख्य वित्तीय सूचक और शेयरधारकों की जानकारी जारी होने के समय प्राप्त होती है तथा जिसे इस रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है.

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारियां शामिल नहीं है और हम इस पर किसी तरह का आश्वासन नहीं देंगे.

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी उपरोक्त निर्धारित अन्य जानकारी का अध्ययन करना और ऐसा करते समय यह विचार करना है कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी वस्तुत: असंगत है या हमारे द्वारा लेखा परीक्षा के समय या अन्यथा प्राप्त जानकारी वस्तुतः गलत प्रतीत होती है.

यदि अन्य जानकारी जो कि लेखा परीक्षा की तारीख से पहले प्राप्त हो चुकी थी और हमारे द्वारा उस पर निष्पादित कार्य के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अन्य जानकारियों में वस्तुनिष्ठ अशुद्धियां शामिल हैं, तो हमें तथ्यों को रिपोर्ट में शामिल करने की आवश्यकता होगी. इस संबंध में हमें कोई रिपोर्ट नहीं करना है.

जब हम निदेशक मंडल की रिपोर्ट, मुख्य वित्तीय सूचक और शेयर धारकों की जानकारी को पढ़ते हैं और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उसमें कुछ वस्तुनिष्ठ अशुद्धियां हैं, तो हमें इस मामले को उन्हें अवगत कराने की आवश्यकता होती है जिन्हें गवर्नेंस का प्रभार दिया गया है.

that date, as considered in the standalone financial statements. The financial statements/information of these branches have been audited by the Bank's Statutory Branch Auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the reports of such branch auditors.

b) Due to the COVID-19 pandemic and the lockdown and other restrictions imposed by the Government and local administration, the audit processes were carried out based on the remote access to the extent available/feasible and necessary records made available by the management through digital medium.

c) The Standalone Financial statements of the Bank for the previous year ended March 31,2020 were audited by the joint auditors three of which are predecessor audit firms and have expressed unmodified opinion on such Financial statements vide their report dated June 23, 2020.

Our opinion is not modified in respect of above matters.

**Information Other than the Standalone Financial Statements and Auditors' Report thereon**

6. The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the Corporate Governance report (but does not include the Standalone Financial Statements and our auditors' report thereon) which we obtained at the time of issue of this auditors' report and Directors' Report, Key Financial Indicators and Shareholder's Information, which is expected to be made available to us after that date.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditors' report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

When we read the Directors' Report, Key Financial Indicators and Shareholder's Information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

**स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन एवं गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की जवाबदेही**

7. बैंक का प्रबंधन और निदेशक मण्डल, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 और समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों तथा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन मानकों सहित भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों जैसा कि बैंकों के लिए लागू होता है, के अनुरूप तैयार किए गए इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों, कार्यकलापों तथा लाभ एवं नकदी प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और इनके लिए जवाबदेह है. इस जवाबदेही में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ियों और अन्य विसंगतियों की पहचान एवं उनके निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों के साथ-साथ उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं उनके उपयोग, निर्णय लेने और यह अनुमान लगाने कि ये व्यावहारिक और विवेकपूर्ण हों तथा वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उनकी प्रस्तुति से संबंधित लेखांकन रिकॉर्डों की त्रुटिहीनता और पूर्णता के लिए प्रभावी रूप से परिचालित आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन एवं रखरखाव भी समाहित है जो सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक मिथ्याकथन से मुक्त हैं.

   स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में बैंक का प्रबंधन और निदेशक मण्डल कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की बैंक की योग्यता का मूल्यांकन करने, कार्यशील संस्था से संबंधित विषयों के यथालागू प्रकटीकरण करने, लेखांकन के लिए कार्यशील संस्था आधार का उपयोग करने के लिए जवाबदेह है जबतक कि प्रबंधन का इरादा बैंक को लिक्विडेट करने या परिचालन समाप्त करने की न हो या ऐसा न करने के लिए कोई उचित विकल्प न हो. बैंक का निदेशक मण्डल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के निरीक्षण के लिए भी जवाबदेह है.

**स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी**

8. हमारा उद्देश्य इस आशय का पर्याप्त भरोसा प्राप्त करना है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण कोई मिथ्या कथन नहीं है और ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल है, उचित भरोसा एक उच्च स्तर का भरोसा होता है लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुरूप की गई लेखा परीक्षा में पहले से मौजूद भौतिक मिथ्या कथन की हमेशा पहचान हो जाए. धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण मिथ्या कथन दृष्टिगोचर होता है और इसे महत्वपूर्ण तब माना जाएगा जब यह संभावना हो कि यह अकेले या समग्र रूप से इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकता है.

   लेखांकन मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशयवाद को बनाए रखते हैं. हम:

   - स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों में धोखाधडी और त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए महत्वपूर्ण मिथ्याकथन की पहचान और मूल्यांकन,

**Responsibilities of Management and Those Charged With Governance for the Standalone Financial Statements**

7. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Standalone Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flow of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India including the Accounting Standards specified by ICAI as applicable to banks, provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by RBI from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimate that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Standalone financial statements that give true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

   In preparing the standalone financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Board of Directors either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. The Board of Directors are also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

**Auditors' Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements**

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

   As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

   - Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design

उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी प्रक्रियाओं की डिजाइन और कार्यनिष्पादन तथा हमारी राय को उचित आधार प्रदान करने के लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य भी प्राप्त करते हैं. धोखाधड़ी के कारण उत्पन्न हुए महत्वपूर्ण मिथ्या कथनों को न पहचानने का जोखिम त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए जोखिम से ज्यादा बड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में सांठ–गांठ, जानबूझकर छोड़ी गयी त्रुटियाँ, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रणों का उल्लंघन शामिल हो सकता है.

- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों पर विचार भी करते हैं ताकि लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को इस तरह से डिजाइन किया जा सके जो परिस्थितियों के हिसाब से उचित हो.
- प्रबंधन द्वारा उपयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की सटीकता और लेखांकन अनुमानों एवं उससे संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करते हैं.
- प्रबंधन के कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने संबंधी लेखांकन आधार को उपयोग करने के औचित्य का निपटान और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर इसका पता लगाने का काम भी करते हैं कि क्या उन घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है या वैसी परिस्थितियाँ बनी हैं जिनमें कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की बैंक की योग्यता पर अधिक संदेह व्यक्त किया जा सके. यदि हम निष्कर्ष निकालें कि भौतिक अनिश्चितता की संभावना है तो हमें अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों से संबंधित इस तरह के प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है अथवा क्या इस तरह के प्रकटीकरण हमारी राय को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है. हमारा निष्कर्ष लेखापरीक्षा की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है. तथापि, भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियां बैंक के कार्यशील संस्था के रूप में परिचालन को बंद करने का कारण बन सकती हैं.
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं विषयवस्तु का तथा इस बात का मूल्यांकन करना कि वित्तीय विवरणों में बुनियादी लेनदेन और घटनाओं की निष्पक्ष प्रस्तुति की जा सके.

हम अन्य मामलों के साथ–साथ लेखापरीक्षा की योजनाबद्ध विस्तार एवं उसके समय का निर्धारण जिसमें आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कोई कमियां सहित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षो, जिसकी लेखापरीक्षा के दौरान हमने पहचान की है, के संबंध में गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के बारे में सूचित करते हैं.

हम गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को यह बताते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं और इनके साथ हमारी स्वतंत्रता, और जहां भी लागू हो, सावधानियों से संबंधित विषयों और अन्य मामलों, जो तार्किक रूप से विचार में लाये जा सकते हैं, का अनुपालन किया है.

गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को संसूचित विषयों से हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और जो महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा विषय हैं. हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उन विषयों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन उनके सार्वजनिक प्रकटीकरण पर रोक न लगाते हों या जब हम यह निर्णय लेते हैं कि

and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the standalone financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would

यह विषय हमारी रिपोर्ट में नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसा करने का विपरीत परिणाम होगा और इस तरह की सूचना से सार्वजनिक हित के प्रभावित होने की संभावना होती है.

**अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट**

9. तुलन पत्र और लाभ-हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार दर्शाए गए हैं.

10. उपर्युक्त पैरा 5 और 6 में उल्लिखित लेखापरीक्षा की सीमाओं और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की अपेक्षाओं के अधीन तथा उसमें निहित अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन भी और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 की उप धारा (3) के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि;

    ए) हमने सभी सूचनाओं एवं व्याख्याओं को अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में प्राप्त किया है जो कि हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है;

    बी) हमारी जानकारी में आए बैंक के संव्यवहार बैंक की शक्तियों के तहत हैं, और

    सी) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त रिटर्न लेखापरीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त पाए गए हैं.

**11. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:**

    ए) हमारी राय में बैंक के पास कानून के अनुसार अपेक्षित उचित लेखाबहियां हैं और उन बहियों की हमारी जांच से यह पता चलता है कि उन शाखाओं जिनका दौरा हमने नहीं किया है, से प्राप्त की गई हैं जो हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त हैं;

    बी) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण लेखांकन बहियों तथा उन शाखाओं जिनका दौरा हमने नहीं किया है, से प्राप्त रिटर्न के अनुसार हैं;

    सी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा हमें लेखापरीक्षित शाखा कार्यालय के लेखांकन पर रिपोर्ट भेजी गई है और यह रिपोर्ट तैयार करने के लिए हमने उसका उचित अध्ययन किया है; और

    डी) हमारी राय में, तुलन पत्र और लाभ-हानि खाता और नकदी प्रवाह के विवरणों का लागू लेखांकन मानकों के अनुसार अनुपालन किया जाता है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के अनुसार असंगत नहीं है

12. "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति-एससीए के दायित्व" पर भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र डीओएस.एआरजी. सं.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च 2020 (यथा संशोधित) की अपेक्षा अनुसार, हम उपर्युक्त पत्र के पैरा 2 में विनिर्दिष्ट मामलों पर निम्नानुसार यह भी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं:

    ए) हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में लागू लेखांकन मानकों के अनुसार अनुपालन किया जाता है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के अनुसार असंगत नहीं है;

reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

**Report on other Legal and Regulatory Requirements**

9. The Balance Sheet and the Profit and Loss account have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.

10. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 5 to 6 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, and subject also to the limitations of disclosure required therein and as required by sub-section (3) of section 30 of the Banking Regulation Act, 1949 we report that:

    a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

    b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

    c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

**11. We further report that:**

    a) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;

    b) The Balance Sheet and Profit and Loss account and Cash flow statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from branches not visited by us;

    c) The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank as per the provisions of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

    d) in our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

12. As required by the RBI letter no. DOS.ARG.No.6270 /08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) on “Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks-Reporting obligations for SCAs”, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

    a) In our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI;

बी) बैंक के वित्तीय लेनदेन या मामले जो बैंक के कार्यकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, उन पर हमारी कोई टिप्पणी या राय नहीं है.

सी) 31 मार्च, 2021 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर निदेशक मण्डल द्वारा रिकॉर्ड में लिए गए अनुसार कोई भी निदेशक 31 मार्च, 2021 तक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164(2) की शर्तों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अपात्र नहीं है.

डी) खातों के रख-रखाव और उसके साथ जुड़े अन्य मामलों के संबंध में कोई प्रतिबंध, संदेह या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है.

ई) वित्तीय विवरणों के संदर्भ में बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालनगत प्रभाव पर हमारी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक ए के रूप में संलग्न है. हमारी रिपोर्ट में यथा 31 मार्च, 2021 को वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बैंक के परिचालनगत प्रभाव पर अपरिवर्तित राय व्यक्त किया गया है.

b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.

c) On the basis of the written representations received from the directors as on March 31, 2021 taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on March 31, 2021 from being appointed as a director in terms of Section 164(2) of the Companies Act 2013.

d) There are no qualification, reservation or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.

e) Our Audit report on the adequacy and operating effectiveness of the Bank's internal financial controls with reference to financial statements is given in Annexure 'A' to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the Banks's operating effectiveness of internal financial controls with reference to financial statements as at March 31,2021.

**कृते आर देवेंद्र कुमार एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 114207W
**For R. Devendra Kumar & Associates**
Chartered Accountants
FRN: 114207W

**(नीरज गोलस)**
साझेदार
एम नं.: 074392
यूडीआईएन: 21074392AAAABF7786
**(Neeraj Golas)**
Partner
M. No.: 074392
UDIN: 21074392AAAABF7786

**कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएन:000112N
**For Dass Gupta & Associates**
Chartered Accountants
FRN: 000112N

**(अशोक कुमार जैन)**
साझेदार
एम नं.: 090563
यूडीआईएन: 21090563AAAAAS2033
**(Ashok Kumar Jain)**
Partner
M. No.: 090563
UDIN: 21090563AAAAAS2033

**कृते व्यास एंड व्यास**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000590C
**For Vyas & Vyas**
Chartered Accountants
FRN: 000590C

**(ओ. पी. व्यास)**
साझेदार
एम नं.: 014081
यूडीआईएन: 21014081AAAAEQ7143
**(O. P. Vyas)**
Partner
M. No.: 014081
UDIN: 21014081AAAAEQ7143

**कृते दस्साणी एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 009096C
**For Dassani & Associates**
Chartered Accountants
FRN: 009096C

**(उदेश दस्साणी)**
साझेदार
एम नं.:078588
**यूडीआईएन :** 21078588AAAACD2837
**(Udesh Dassani)**
Partner
M. No.: 078588
UDIN: 21078588AAAACD2837

**कृते जे काला एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 118769W
**For J. Kala & Associates**
Chartered Accountants
FRN: 118769W

**(जयेश काला)**
साझेदार
एम नं.: 101686
यूडीआईएन : 21101686AAAABI2918
**(Jayesh Kala)**
Partner
M. No.: 101686
UDIN: 21101686AAAABI2918

दिनांक: 29 मई, 2021
स्थान : मुंबई

Date: May 29, 2021
Place : Mumbai

## स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक –ए

**(हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के "अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के तहत पैराग्राफ 12 ई मे संदर्भित)**

**भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई)के पत्र सं डीओएस.एआरजी. सं.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च 2020 (यथा संसोधित) ("आरबीआई का पत्र") के अनुसार अपेक्षित, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट**

हमने बैंक ऑफ बड़ौदा (बैंक) के दिनांक 31 मार्च, 2021 के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है जो कि वर्ष की समाप्ति के लिए उस तारीख को बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के अनुक्रम में है, जिनमें बैंक की शाखाओं के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भी शामिल हैं.

### आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

बैंक का प्रबंधन "भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के संबंध में मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों" के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है. इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो बैंक की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने और लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी के लिए प्रभावी ढंग से कार्यरत थे, जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक है.

### लेखा परीक्षकों की ज़िम्मेदारी

हमारी ज़िम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों के संदर्भ में बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना है. हमने भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शन नोट") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट और जारी किए गए ऑडिटिंग (एसए) संबंधी मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है जो कि आईसीएआई द्वारा, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के अनुसार है. उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के अनुसार यह आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं.

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यनिष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं. वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करना, जोखिम का

## ANNEXURE 'A' TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

**(Referred to in paragraph 12(e) under "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" of our report of even date)**

**Report on the Internal financial controls with reference to Financial Statements as required by the Reserve Bank of India (the "RBI") Letter no. DOS.ARG. No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) (the "RBI communication")**

We have audited the internal financial controls with reference to Financial Statements of Bank of Baroda (the "Bank") as of March 31, 2021 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Bank for the year ended on that date which includes internal financial controls with reference to Financial Statements of the Bank's branches.

### Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Bank's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on "the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India". These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

### Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls with reference to Financial Statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI") and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls with reference to Financial Statements were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls with reference to Financial Statements and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls with reference to Financial Statements included obtaining an

आकलन करना कि कोई महत्वपूर्ण कमी तो नहीं है और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है. चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्या कथन के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो.

हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा नीचे दिए गए अन्य मामले से संबंधित पैराग्राफ में संदर्भित रिपोर्ट के अनुरूप जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं, वे वित्तीय विवरणों के संदर्भ में बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए एक पर्याप्त और उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं.

**वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ**

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने और बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है. वित्तीय विवरणों के संदर्भ में बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) उन रिकॉर्डों के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरणों, बैंक की आस्तियों के लेनदेन और प्रबंधन को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यकतानुरूप दर्ज किया गया है, और बैंक की आय और व्यय केवल बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा (3) बैंक की आस्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान के निवारण या समय पर पहचान के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करे, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है.

**वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं**

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना शामिल है, और त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण इसमें भौतिक मिथ्या कथन विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है. साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की गंभीरता कमजोर हो सकती हैं.

**राय**

हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, बैंक के पास सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और वित्तीय विवरणों के संदर्भ में 31 मार्च, 2021 को ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण "भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान" द्वारा जारी

understanding of internal financial controls with reference to Financial Statements, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal financial controls based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the branch auditors, in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls with reference to Financial Statements.

**Meaning of Internal financial controls with reference to Financial Statements**

A Bank's internal financial controls with reference to Financial Statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial controls with reference to Financial Statements includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the Bank; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

**Inherent Limitations of Internal financial controls with reference to Financial Statements**

Because of the inherent limitations of internal financial controls with reference to Financial Statements, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls with reference to Financial Statements to future periods are subject to the risk that the internal financial controls with reference to Financial Statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

**Opinion**

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the branch auditors referred to in the Other Matters paragraph below, the Bank has, in all material respects, adequate internal financial controls with reference to Financial Statements and such internal financial controls with reference to Financial Statements were operating effectively as at March 31, 2021, based on "the

"वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए लेखापरीक्षा मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों के आधार पर" प्रभावी ढंग से कार्यरत हैं.

**अन्य मामले**

हमारी उक्त रिपोर्ट में 4245 शाखाओं के वित्तीय विवरणों के संदर्भ के साथ आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालनगत प्रभावशीलता उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है.

इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नही है.

criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India".

**Other Matters**

Our aforesaid report in so far as it relates to the operating effectiveness of internal financial controls with reference to Financial Statements of 4245 branches is based on the corresponding reports of the respective branch auditors of those branches.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

**कृते आर देवेंद्र कुमार एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 114207W
**For R. Devendra Kumar & Associates**
Chartered Accountants
FRN: 114207W

**(नीरज गोलस)**
साझेदार
एम नं.: 074392
यूडीआईएन: 21074392AAAABF7786
**(Neeraj Golas)**
Partner
M. No.: 074392
UDIN: 21074392AAAABF7786

**कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएन:000112N
**For Dass Gupta & Associates**
Chartered Accountants
FRN: 000112N

**(अशोक कुमार जैन)**
साझेदार
एम नं.: 090563
यूडीआईएन: 21090563AAAAAS2033
**(Ashok Kumar Jain)**
Partner
M. No.: 090563
UDIN: 21090563AAAAAS2033

**कृते व्यास एंड व्यास**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000590C
**For Vyas & Vyas**
Chartered Accountants
FRN: 000590C

**(ओ. पी. व्यास)**
साझेदार
एम नं.: 014081
यूडीआईएन: 21014081AAAAEQ7143
**(O. P. Vyas)**
Partner
M. No.: 014081
UDIN: 21014081AAAAEQ7143

**कृते दस्साणी एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 009096C
**For Dassani & Associates**
Chartered Accountants
FRN: 009096C

**(उदेश दस्साणी )**
साझेदार
एम नं.:078588
**यूडीआईएन :** 21078588AAAACD2837
**(Udesh Dassani)**
Partner
M. No.: 078588
UDIN: 21078588AAAACD2837

**कृते जे काला एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 118769W
**For J. Kala & Associates**
Chartered Accountants
FRN: 118769W

**(जयेश काला)**
साझेदार
एम नं.: 101686
यूडीआईएन : 21101686AAAABI2918
**(Jayesh Kala)**
Partner
M. No.: 101686
UDIN: 21101686AAAABI2918

दिनांक : 29 मई, 2021
स्थान : मुंबई

Date: May 29, 2021
Place : Mumbai

## अपरिवर्तित अभिमत सहित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की घोषणा
## Declaration of Audit Report with Unmodified Opinion

हम इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के स्टैंड अलोन वार्षिक लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में अपरिवर्तित अभिमत शामिल हैं

We hereby declare that Auditors Report on Standalone Annual Accounts of the Bank for the Financial Year ended 31st March, 2021 contain unmodified opinion.

**इयान डिसूजा**
मुख्य वित्त अधिकारी

**संजीव चड्ढा**
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

**Ian Desouza**
Chief Financial Officer

**Sanjiv Chadha**
Managing Director & CEO

दिनांक: 29 मई, 2021
स्थान: मुंबई

## सीईओ / सीएफओ प्रमाणीकरण

**निदेशक मंडल,**
**बैंक ऑफ़ बड़ौदा,**
**मुंबई**

**प्रिय महोदय,**

**विषय : 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही/ संपूर्ण वर्ष के लिए सीईओ/ सीएफओ प्रमाणीकरण- स्टैन्डअलोन**

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के साथ पठित विनियमन 17(8) के अनुपालन स्वरूप हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं:

ए. हमने 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही/ संपूर्ण वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :

i. इन विवरणों में कोई विषयगत असत्य अभिकथन नहीं है अथवा कोई विषयगत तथ्य छिपाया नहीं गया है अथवा इनमें कोई भ्रामक अभिकथन शामिल नहीं किया गया हैं.

ii. ये अभिकथन/ विवरण बैंक के कार्यकलापों का सही एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा ये विद्यमान लेखा-मानकों, लागू नियमों एवं विनियमों के अनुरूप हैं.

बी. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसे कोई संव्यवहार नहीं किये गये जो धोखाधड़ी में लिप्त हो, गैर-कानूनी हो अथवा बैंक की आचार संहिता के विरुद्ध हो.

सी. हम वित्तीय रिपोर्टिंग से संबद्ध आंतरिक नियंत्रण स्थापित रखने और बरकरार रखने का पूर्ण दायित्व स्वीकार करते हैं. हम यह भी स्वीकार करते हैं कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन/ आकलन किया है तथा हमने लेखापरीक्षकों और लेखा समिति को आंतरिक नियंत्रणों के परिचालन एवं स्वरूप से संबद्ध कमियों, यदि कोई है अथवा जो हमारे अभिज्ञान में है एवं हमने इन्हें दूर करने के लिये जो उपाय किये हैं या प्रस्तावित हैं, की जानकारी दे दी है.

डी. हमने लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित से अवगत कराया है.

i. अवधि के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन.

ii. अवधि के दौरान लेखा नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा इनका उल्लेख वित्तीय विवरणी की टिप्पणियों में कर दिया गया है; और

iii. हमारी जानकारी में आये धोखाधड़ी संबंधी महत्वपूर्ण मामले तथा उनमें प्रबंधन अथवा किसी कर्मचारी की संलिप्तता, यदि कोई हो, जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में अहम भूमिका हो.

**इयान डिसूज़ा**
मुख्य वित्त अधिकारी

**संजीव चड्ढा**
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

दिनांक: 29.05.2021
स्थान: मुंबई

## CEO / CFO Certification

**Board of Directors,**
**Bank of Baroda**
**Mumbai**

**Dear Sirs,**

**Re : CEO/CFO Certification for the quarter/full year ended 31st March 2021- Standalone**

Pursuant to Regulation 17(8) read with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirement) Regulations, 2015, we hereby certify that:

a. We have reviewed financial statements for the quarter/ full year ended 31st March 2021 and that to the best of our knowledge and belief:

i. These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

ii. These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

d. We have indicated to the Auditors and the Audit Committee.

i. Significant changes in internal control over financial reporting during the period;

ii. Significant changes in accounting policies during the period and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

iii. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

**Ian Desouza**
Chief Financial Officer

**Sanjiv Chadha**
Managing Director & CEO

Date : 29.05.2021
Place : Mumbai

# 31 मार्च, 2021 का तुलन-पत्र
# Consolidated Balance Sheet as at 31st March 2021

(₹ 000 में / ₹ in 000's)

| | | अनुसूची Schedule | 31 मार्च 2021 को As at 31st March 2021 | 31 मार्च 2020 को As at 31st March 2020 |
|---|---|---|---|---|
| **पूंजी और देयताएं** | **CAPITAL & LIABILITIES** | | | |
| पूंजी | Capital | 1 | **1035,53,36** | 925,37,45 |
| प्रारक्षित निधियाँ और अधिशेष | Reserves and Surplus | 2 | **81354,04,59** | 75178,92,34 |
| माइनॉरिटी ब्याज | Minority Interest | 2A | **436,19,61** | 386,17,46 |
| जमाराशियाँ | Deposits | 3 | **995909,80,98** | 973228,14,92 |
| उधार ली गई राशियां | Borrowings | 4 | **71263,33,79** | 95752,69,87 |
| अन्य देयताएं और प्रावधान | Other Liabilities and Provisions | 5 | **52676,86,39** | 54470,81,56 |
| कुल | **TOTAL** | | **1202675,78,72** | 1199942,13,60 |
| **आस्तियां** | **ASSETS** | | | |
| भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी और शेष राशि | Cash and Balances with Reserve Bank of India | 6 | **40153,71,55** | 34244,78,16 |
| बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि | Balances with Banks and Money at Call and Short Notice | 7 | **88507,40,92** | 96760,29,11 |
| निवेश | Investments | 8 | **281859,00,14** | 289726,72,30 |
| ऋण और अग्रिम | Loans & Advances | 9 | **723242,25,28** | 706539,72,86 |
| अचल आस्तियां | Fixed Assets | 10 | **8216,93,66** | 9043,78,47 |
| अन्य आस्तियां | Other Assets | 11 | **60472,56,41** | 63402,91,94 |
| समेकन पर सुनाम | Goodwill on Consolidation | | **223,90,76** | 223,90,76 |
| कुल | **TOTAL** | | **1202675,78,72** | 1199942,13,60 |
| आकस्मिक देयताएं | Contingent Liabilities | 12 | **400673,85,73** | 384036,42,37 |
| वसूली के लिए बिल | Bills for Collection | | **65370,43,76** | 52285,39,27 |
| उल्लेखनीय लेखा नीतियां | Significant Accounting Policies | 18 | | |
| खातों पर टिप्पणियाँ | Notes on Accounts | 19 | | |

ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां तुलन-पत्र का एक अभिन्न भाग हैं.
The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

**संजीव चड्ढा**
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

**शांति लाल जैन**
कार्यपालक निदेशक

**विक्रमादित्य सिंह खीची**
कार्यपालक निदेशक

**अजय के खुराना**
कार्यपालक निदेशक

**देवदत्त चाँद**
कार्यपालक निदेशक

**इयान डिसूज़ा**
मुख्य वित्त अधिकारी

**जी. रमेश**
महाप्रबंधक
कॉर्पोरेट खाते एवं कराधान

**हमारी अलग रिपोर्ट के संदर्भ में.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **कृते आर. देवेन्द्र कुमार एण्ड एसोसिएट्स** | **कृते दास गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स** | **कृते व्यास एण्ड व्यास** | **कृते दस्साणी एण्ड एसोसिएट्स** | **कृते जे. काला एण्ड एसोसिएट्स** |
| सनदी लेखाकार | सनदी लेखाकार | सनदी लेखाकार | सनदी लेखाकार | सनदी लेखाकार |
| एफआरएन: 114207W | एफआरएन: 000112N | एफआरएन: 000590C | एफआरएन: 009096C | एफआरएन: 118769W |
| (नीरज गोलस) | (अशोक कुमार जैन) | (ओ. पी. व्यास) | (उदेश दस्साणी) | (जयेश काला) |
| साझेदार | साझेदार | साझेदार | साझेदार | साझेदार |
| एम. नं.: 074392 | एम. नं.: 090563 | एम. नं.: 014081 | एम. नं.: 078588 | एम. नं.: 101686 |

स्थान: मुंबई
दिनांक: 29 मई, 2021

# 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ व हानि लेखा
# Consolidated Profit & Loss Account for the Year Ended 31st March 2021

(₹ 000 में / ₹ in 000's)

| | | अनुसूची Schedule | 31 मार्च 2021 को Year Ended 31st March 2021 | 31 मार्च 2020 को Year Ended 31st March 2020 |
|---|---|---|---|---|
| I. आय | I. INCOME | | | |
| अर्जित ब्याज | Interest Earned | 13 | 74313,97,84 | 78894,69,77 |
| अन्य आय | Other Income | 14 | 14687,19,85 | 12191,33,17 |
| कुल | TOTAL | | 89001,17,69 | 91086,02,94 |
| II. व्यय | II. EXPENDITURE | | | |
| खर्च किया गया ब्याज | Interest Expended | 15 | 43201,17,98 | 50039,89,05 |
| परिचालन व्यय | Operating Expenses | 16 | 23117,46,98 | 21371,48,07 |
| प्रावधान और आकस्मिक व्यय | Provisions and Contingencies | | 21228,63,07 | 18732,47,38 |
| कुल | TOTAL | | 87547,28,03 | 90143,84,50 |
| **माइनॉरिटी ब्याज से पहले समेकित लाभ और सहयोगियों से आय का हिस्सा** | **Consolidated Profit before Minority Interest and share of earning in Associates** | | 1453,89,66 | 942,18,44 |
| सहयोगियों से आय का हिस्सा | Share of earnings in Associates | 17 | 166,40,00 | 38,52,81 |
| **माइनॉरिटी ब्याज में कटौती के पश्चात वर्ष के लिए समेकित निवल लाभ** | **Consolidated Net Profit for the year before deducting Minority interest** | | 1620,29,66 | 980,71,25 |
| घटाएं: माइनॉरिटी ब्याज | Less : Minority Interest | | 72,63,09 | 52,96,15 |
| **समूह हेतु स्रोतजन्य वर्ष के लिए समेकित लाभ** | **Consolidated Profit for the year attributable to the group** | | 1547,66,57 | 927,75,10 |
| आगे लाई गई लाभ और हानि खाते में शेष | Balance in Profit and Loss A/c brought forward | | (10057,43,04) | 1109,40,23 |
| **विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि** | **Amount available for appropriation** | | (8509,76,47) | 2037,15,33 |
| III. विनियोजन | III. Appropriations | | | |
| सांविधिक प्रारक्षित निधि में अंतरण | Transfer to Statutory Reserve | | 238,54,42 | 149,89,92 |
| पूंजीगत प्रारक्षित निधि में अंतरण | Transfer to Capital Reserve | | 676,89,87 | 822,24,62 |
| धारा 36 (1) (viii) के अन्तर्गत विशेष प्रारक्षित निधि में अंतरण | Transfer to Special Reserve u/s 36 (1) (viii) | | 287,48,64 | 180,00,00 |
| राजस्व और अन्य प्रारक्षित निधि में अंतरण | Transfer to Revenue & Other Reserves | | (61,88,16) | 10984,02,16 |
| निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि में अंतरण | Transfer to Investment Fluctuation Reserve | | - | - |
| निवेश प्रारक्षित खाते में अंतरण | Transfer to Investment Reserve Account | | - | (41,58,33) |
| प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर सहित) | Proposed Dividend (Including Dividend Tax) | | - | - |
| समेकित तुलन पत्र पर ले जायी गई शेष राशि | Balance carried over to consolidated Balance Sheet | | (9650,81,24) | (10057,43,04) |
| **कुल** | **TOTAL** | | (8509,76,47) | 2037,15,33 |
| **प्रति शेयर मूल आय (₹)** | **Basic Earnings per Share (₹)** | | 3.32 | 2.32 |
| **प्रति शेयर डायल्यूटेड आय (₹)** | **Diluted Earnings per Share (₹)** | | 3.32 | 2.32 |
| उल्लेखनीय लेखा नीतियां | Significant Accounting Policies | 18 | | |
| लेखों पर टिप्पणियाँ | Notes on Accounts | 19 | | |

ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां लाभ एवं हानि खाते का एक अभिन्न भाग है.
The Schedules referred to above form an integral part of the Profit & Loss Account.

**Sanjiv Chadha**
Managing Director & CEO

**Shanti Lal Jain**
Executive Director

**Vikramaditya Singh Khichi**
Executive Director

**Ajay K Khurana**
Executive Director

**Debadatta Chand**
Executive Director

**Ian Desouza**
Chief Financial Officer

**G. Ramesh**
General Manager
Corporate Accounts & Taxation

**In terms of our seperate report.**

**For R. Devendra Kumar & Associates**
Chartered Accountants
FRN: 114207W
(Neeraj Golas)
Partner
M. No.: 074392

**For Dass Gupta & Associates**
Chartered Accountants
FRN: 000112N
(Ashok Kumar Jain)
Partner
M. No.: 090563

**For Vyas & Vyas**
Chartered Accountants
FRN: 000590C
(O.P. Vyas)
Partner
M. No.: 014081

**For Dassani & Associates**
Chartered Accountants
FRN: 009096C
(Udesh Dassani)
Partner
M. No.: 078588

**For J. Kala & Associates**
Chartered Accountants
FRN: 118769W
(Jayesh Kala)
Partner
M. No.: 101686

Place: Mumbai
Date: May 29th, 2021

# तुलन–पत्र की अनुसूचियां
# Schedules to Balance Sheet

(₹ 000 में / ₹ in 000's)

| | | 31 मार्च 2021 को As at 31st March 2021 | 31 मार्च 2020 को As at 31st March 2020 |
|---|---|---|---|
| **अनुसूची –1 पूंजी** | **SCHEDULE - 1 CAPITAL** | | |
| **प्राधिकृत पूंजी** | **AUTHORISED CAPITAL** | | |
| (प्रति ₹ 2/– के 1,500,00,00,000 शेयर (पिछले वर्ष 1,500,00,00,000 प्रति शेयर ₹ 2/– के) | 1,500,00,00,000 Shares of ₹ 2/- each (previous year 1,500,00,00,000 Shares of ₹ 2/- each) | **3000,00,00** | 3000,00,00 |
| **निर्गमित तथा अभिदत्त पूंजी** | **ISSUED AND SUBSCRIBED CAPITAL** | | |
| प्रति ₹ 2/ – के 518,50,29,679 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 463,42,34,086 प्रति शेयर 2/– के) | 518,50,29,679 Equity Shares of ₹ 2/- each (previous year 463,42,34,086 shares of ₹ 2/- each) | **1037,00,59** | 926,84,68 |
| **मांगी गई पूंजी एवं प्रदत्त पूंजी** | **CALLED-UP & PAID-UP CAPITAL** | | |
| प्रति ₹ 2/– के 517,13,62,179 इक्विटी शेयर (पिछली अवधि 462,05,66,586) जिसमें केंद्र सरकार द्वारा धारित कुल ₹ 661.64 करोड़ राशि के 330,81,84,689 इक्विटी शेयर शामिल हैं. (पिछले वर्ष कुल ₹ 661.64 करोड़ राशि के 330,81,84,689 इक्विटी शेयर) | 517,13,62,179 (previous period 462,05,66,586) Equity Shares of ₹ 2/- each including 330,81,84,689 Equity Shares amounting to ₹ 661.64 crores held by Central Government (previous period 330,81,84,689 Equity Shares amounting to ₹ 661.64 crores ) | **1034,27,24** | 924,11,33 |
| जोड़ें : **जब्त किए गए शेयर** (136,67,500 (पिछले वर्ष 136,67,500) इक्विटी शेयर | Add: **Forfeited Shares** 136,67,500 (P.Y. 136,67,500) equity shares | **1,26,12** | 1,26,12 |
| **कुल** | **TOTAL** | **1035,53,36** | 925,37,45 |

| | | 31 मार्च 2021 को | | 31 मार्च 2020 को | |
|---|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची–2 आरक्षित निधियाँ तथा अधिशेष** | **SCHEDULE - 2 RESERVES & SURPLUS** | | | | |
| I **सांविधिक आरक्षित निधियाँ** | I **Statutory Reserves** | | | | |
| प्रारंभिक शेष | Opening Balance | **13412,95,02** | | 9801,41,91 | |
| जोड़ें: लाभ एवं हानि खाते से अंतरण | Add: Transfer from P&L Accounts | **238,54,42** | | 149,89,92 | |
| जोड़ें / (घटाएं): वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन | Add /(Less): Additions/ Adjustments during the year | **(351,20)** | **13647,98,24** | 3461,63,19 | 13412,95,02 |
| II ए) पूंजीगत आरक्षित निधियाँ (₹ 5206.47 करोड़ की पुनर्मूल्यांकित प्रारक्षित निधि सहित (पिछली अवधि ₹ 6119.31 करोड़) | II a) Capital Reserves (including Revaluation Reserve of ₹ 5206.47 crore (previous periods ₹ 6119.31 crore) | | | | |
| प्रारंभिक शेष | Opening Balance | **12915,49,97** | | 6105,57,26 | |

(₹ 000 में / ₹ in 000's)

| | | 31 मार्च 2021 को As at 31st March 2021 | | 31 मार्च 2020 को As at 31st March 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| जोड़ें: लाभ एवं हानि खाते से अंतरण | Add: Transfer from P&L Accounts | 676,89,87 | | 822,24,62 | |
| जोड़ें / (घटाएं): वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन | Add /(Less): Additions/ Adjustments during the year | (861,44,59) | 12730,95,25 | 5987,68,09 | 12915,49,97 |
| बी) समेकन पर प्रारक्षित पूंजी | b) Capital Reserve on Consolidation | | | | |
| प्रारंभिक शेष | Opening Balance | 45,91,47 | | 88,39,57 | |
| जोड़ें / (घटाएं): वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन | Add /(Less): Additions/ Adjustments during the year | (77,69,40) | (31,77,93) | (42,48,10) | 45,91,47 |
| **III शेयर प्रीमियम** | **III Share Premium** | | | | |
| प्रारम्भिक शेष | Opening Balance | 38221,15,16 | | 16132,55,46 | |
| जोड़ें / (घटाएं): वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन | Add /(Less): Additions/ Adjustments during the year | 4387,74,04 | 42608,89,20 | 22088,59,70 | 38221,15,16 |
| **IV राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधि** | **IV Revenue & Other Reserves** | | | | |
| ए विशेष प्रारक्षित निधि धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत | a) Special Reserves u/s 36 (1) (viii) | | | | |
| प्रारंभिक शेष | Opening Balance | 6131,70,20 | | 4972,44,46 | |
| जोड़ें / (घटाएं): वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन | Add /(Less): Additions/ Adjustments during the year | 287,48,64 | 6419,18,84 | 1159,25,74 | 6131,70,20 |
| बी रूपांतरित प्रारक्षित निधियाँ | b) Translation Reserve | | 3404,45,10 | | 3368,94,56 |
| सी निवेश प्रारक्षित लेखा | c) Investment Reserve Account | | | | |
| प्रारंभिक शेष | Opening Balance | - | | 41,58,33 | |
| लाभ एवं हानि विनियोजन खाते से अंतरण | Transferred from P&L Appropriation A/c | - | - | (41,58,33) | - |
| डी निवेश उतार चढ़ाव प्रारक्षित निधि | d) Investment Fluctuation Reserve | | | | |
| प्रारंभिक शेष | Opening Balance | 21,57,83 | | 21,57,83 | |
| अवधि के दौरान परिवर्धन | Additions during the period | - | 21,57,83 | - | 21,57,83 |
| ई राजस्व प्रारक्षित निधियाँ | e) Revenue Reserves | | | | |
| प्रारंभिक शेष | Opening Balance | 11118,61,17 | | 8852,41,11 | |
| जोड़ें : लाभ एवं हानि खाते से अंतरण | Add: Transfer from P&L Accounts | (61,88,16) | | (331,41,19) | |
| जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन | Add: Additions/Adjustments during the year | 1146,86,29 | 12203,59,30 | 2597,61,25 | 11118,61,17 |
| V लाभ हानि खाते में शेष राशि | V Balance in Profit & Loss Account | | (9650,81,24) | | (10057,43,04) |
| **कुल प्रारक्षित निधियां और अधिशेष (I से V)** | **Total Reserves & Surplus (I to V)** | | 81354,04,59 | | 75178,92,34 |

## अनुसूची – 2ए – माइनॉरिटी ब्याज
## SCHEDULE - 2A MINORITY INTEREST

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रारंभिक शेष | Opening Balance | 386,17,46 | | 341,36,48 | |
| जोड़ें / (घटाएं): वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन | Add /(Less): Adjustments during the year | 50,02,15 | 436,19,61 | 44,80,98 | 386,17,46 |
| कुल माइनॉरिटी ब्याज | Total Minority Interest | | 436,19,61 | | 386,17,46 |

पिछले वर्ष के दौरान परिवर्धन में सांविधिक प्रारक्षित निधि में पूर्ववर्ती देना बैंक और पूर्ववर्ती विजया बैंक से प्राप्त शेष राशि ₹ 3569.30 करोड़, पूंजीगत प्रारक्षित निधि में ₹ 3593.48 करोड़, शेयर प्रीमियम में ₹ 8993.67 करोड़, विशेष प्रारक्षित निधि में ₹ 979.26 करोड़, अन्य राजस्व निधियों में ₹ 2141.61 करोड़ और लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष के अंतर्गत ₹ (–) 11048.44 शामिल है.

पिछले वर्ष की पूंजीगत प्रारक्षित निधि में परिवर्धन में समामेलन के कारण समामेलित प्रारक्षित निधि ₹ 3406.93 करोड़ शामिल है.

Additions during the previous year includes balances carried forward from erstwhile Dena Bank and erstwhile Vijaya Bank of ₹ 3569.30 crore in Statutory reserve, ₹ 3593.48 crore in Capital reseves, ₹ 8993.67 crore in Share Premium, ₹ 979.26 crore in Special Reserve, ₹ 2141.61 crore in Other Revenue Reserves and ₹ (-) 11048.44 crore in Debit Balance in P&L Account.

Addition to previous year capital reserve also includes Amalgamation reserve of ₹ 3406.93 crore on account of Amalgamation.

(₹ 000 में / ₹ in 000's)

| | | 31 मार्च 2021 को As at 31st March 2021 | | 31 मार्च 2020 को As at 31st March 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची – 3 जमाराशियाँ** | **SCHEDULE - 3 DEPOSITS** | | | | |
| ए. I मांग जमाराशियाँ | A. I Demand Deposits | | | | |
| i) बैंकों से | i) From Banks | 2465,25,80 | | 1490,13,66 | |
| ii) अन्य से | ii) From Others | 78119,11,65 | 80584,37,45 | 64571,83,71 | 66061,97,37 |
| II बचत बैंक जमाराशियाँ | II Savings Bank Deposits | | 315820,81,87 | | 274835,46,42 |
| III मीयादी जमाराशियाँ | III Term Deposits | | | | |
| i) बैंकों से | i) From Banks | 48655,26,14 | | 51560,03,60 | |
| ii) अन्य से | ii) From Others | 550849,35,52 | 599504,61,66 | 580770,67,53 | 632330,71,13 |
| कुल (I, II से III) | TOTAL (I, II to III) | | 995909,80,98 | | 973228,14,92 |
| बी. I भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां | B. I Deposits of branches in India | 865327,58,75 | | 816286,07,38 | |
| II भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां | II Deposits of branches outside India | 130582,22,23 | | 156942,07,54 | |
| कुल (I एवं II) | TOTAL (I & II) | 995909,80,98 | | 973228,14,92 | |
| **अनुसूची – 4 उधार ली गई राशियाँ** | **SCHEDULE - 4 BORROWINGS** | | | | |
| I भारत में उधार ली गयी राशियां | I Borrowings in India | | | | |
| i) भारतीय रिज़र्व बैंक | i) Reserve Bank of India | - | | 45792,00,00 | |
| ii) अन्य बैंक | ii) Other Banks | 14243,53,13 | | 9193,78,37 | |
| iii) अन्य संस्थान एवं एजेंसियां | iii) Other Institutions and Agencies | 16703,74,29 | | 8649,20,37 | |
| iv) नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आईपीडीआई) | iv) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) | 22522,64,29 | | 8283,50,00 | |
| v) गौण बांड | v) Subordinated Bonds | 10807,00,00 | 64276,91,71 | 13106,50,00 | 85024,98,74 |
| II भारत के बाहर उधार ली गई राशियां | II Borrowings outside India | | 6986,42,08 | | 10727,71,13 |
| कुल (I एवं II) | Total - (I & II) | | 71263,33,79 | | 95752,69,87 |
| उपर्युक्त I एवं II में शामिल जमानती उधार राशियां | Secured Borrowings included in I & II above | | 7725,47,91 | | 52501,18,02 |
| **अनुसूची– 5 अन्य देयताएं एवं प्रावधान** | **SCHEDULE - 5 OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS** | | | | |
| I देय बिल | I Bills Payable | | 2701,82,93 | | 2153,28,46 |
| II उपचित ब्याज | II Interest Accrued | | 4474,97,20 | | 5137,11,88 |
| III अंतर कार्यालय समायोजन | III Inter office Adjustments | | 150,25,90 | | 3919,05,69 |
| IV आस्थगित कर देयताएँ | IV Deferred Tax Liabilities | | 8,55,96 | | 6,77,44 |
| V मानक अग्रिमों के सापेक्ष आकस्मिक प्रावधान | V Contingent Provision against Standard Advances | | 9687,93,89 | | 7483,39,52 |
| VI अन्य (प्रावधानों सहित) | VI Others (including provisions) | | 35653,30,51 | | 35771,18,57 |
| कुल (I से VI) | Total (I to VI) | | 52676,86,39 | | 54470,81,56 |

(₹ 000 में / ₹ in 000's)

| | | 31 मार्च 2021 को As at 31st March 2021 | | 31 मार्च 2020 को As at 31st March 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची– 6 भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष** | **SCHEDULE - 6 CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA** | | | | |
| I हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित) | I Cash in hand (including foreign currency notes) | | **4315,44,93** | | 4887,95,48 |
| II भारतीय रिज़र्व बैंक/ केन्द्रीय बैंक के पास शेष राशि | II Balances with Reserve Bank of India/ Central Bank : | | | | |
| i) चालू खाते में | i) in Current Account | **35374,49,48** | | 28673,41,29 | |
| ii) अन्य खाते में | ii) In Other Account | **463,77,14** | **35838,26,62** | 683,41,39 | 29356,82,68 |
| कुल (I एवं II) | TOTAL (I & II) | | **40153,71,55** | | 34244,78,16 |
| **अनुसूची– 7 बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि** | **SCHEDULE - 7 BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE** | | | | |
| I भारत में | I In India | | | | |
| i) बैंकों के पास शेष राशि | i) Balances with Banks | | | | |
| ए) चालू खाते में | a) in Current Accounts | **121,75,84** | | 337,62,39 | |
| बी) अन्य जमा खातों में | b) in Other Deposit Accounts | **6179,14,83** | **6300,90,67** | 6170,27,85 | 6507,90,24 |
| ii) मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि | ii) Money at call and short notice | | | | |
| ए) बैंकों के पास | a) with Banks | **7285,00,00** | | 17000,00,02 | |
| बी) अन्य संस्थानों के पास | b) with Other institutions | **141,70,36** | **7426,70,36** | 39,66,00 | 17039,66,02 |
| कुल (i और ii) | TOTAL (i and ii) | | **13727,61,03** | | 23547,56,26 |
| II भारत से बाहर | II Outside India | | | | |
| i) चालू खाते में | i) in Current Accounts | **35357,60,18** | | 28748,78,85 | |
| ii) अन्य जमा खातों में | ii) in Other Deposit Accounts | **25035,81,32** | | 31359,24,43 | |
| iii) बैंकों के पास मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि | iii) Money at Call and Short Notice | **14386,38,39** | | 13104,69,57 | |
| कुल (i, ii और iii) | TOTAL (i, ii and iii) | | **74779,79,89** | | 73212,72,85 |
| कुल योग (I और II) | TOTAL (I and II) | | **88507,40,92** | | 96760,29,11 |
| **अनुसूची– 8 निवेश** | **SCHEDULE - 8 INVESTMENTS** | | | | |
| I भारत में निवेश | I Investments in India in | | | | |
| i) सरकारी प्रतिभूतियां | i) Govt Securities | **230674,78,51** | | 246979,23,69 | |
| ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां | ii) Other Approved Securities | **3515,92,30** | | 3315,50,83 | |
| iii) शेयरों | iii) Shares | **4211,70,78** | | 3737,74,19 | |
| iv) डिबेंचर और बांड | iv) Debentures and Bonds | **18194,69,13** | | 12297,09,71 | |
| v) सहयोगियों में निवेश | v) Investment in Associates | **1248,30,17** | | 1065,84,25 | |
| vi) अन्य | vi) Others | **2040,55,59** | | 3786,12,16 | |
| कुल (i से vi) | Total (i to vi) | | **259885,96,48** | | 271181,54,83 |

(₹ 000 में / ₹ in 000's)

| | | 31 मार्च 2021 को As at 31st March 2021 | | 31 मार्च 2020 को As at 31st March 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| II भारत से बाहर निवेश | II Investments Outside India in | | | | |
| i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) | i) Govt Securities (incl. Local authorities) | 13625,81,65 | | 11458,03,95 | |
| ii) सहयोगियों में निवेश | ii) Investment in Associates | 78,20,74 | | 48,47,36 | |
| iii) अन्य | iii) Others | 8269,01,27 | | 7038,66,16 | |
| कुल (i से iii) | Total (i to iii) | | 21973,03,66 | | 18545,17,47 |
| कुल योग (I एवं II) | Grand Total (I & II) | | 281859,00,14 | | 289726,72,30 |
| III भारत में निवेश | III Investments in India | | | | |
| निवेशों का सकल मूल्य | Gross value of Investments | 263335,17,60 | | 274187,06,78 | |
| घटाएं: मूल्यह्रास के लिए प्रावधान | Less: Aggregate of Provisions for Depreciation | 3449,21,13 | | 3005,51,96 | |
| भारत में निवल निवेश | Net Investments in India | 259885,96,47 | | 271181,54,82 | |
| IV भारत के बाहर निवेश | IV Investments outside India | | | | |
| निवेशों का सकल मूल्य | Gross value of Investments | 22212,83,59 | | 18980,45,89 | |
| घटाएं: मूल्यह्रास के लिए प्रावधान | Less: Aggregate of Provisions for Depreciation | 239,79,92 | | 435,28,41 | |
| भारत के बाहर निवल निवेश | Net Investments outside | 21973,03,67 | 281859,00,14 | 18545,17,48 | 289726,72,30 |

## अनुसूची– 9 अग्रिम
## SCHEDULE - 9 ADVANCES

| | | 31 मार्च 2021 को As at 31st March 2021 | | 31 मार्च 2020 को As at 31st March 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ए. i) खरीदे और भुनाए गए बिल | A. i) Bills Purchased and Discounted | | 21714,26,82 | | 33195,89,05 |
| ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकौती योग्य ऋण | ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans Repayable on Demand | | 289363,08,76 | | 271801,85,30 |
| iii) मियादी ऋण | iii) Term Loans | | 412164,89,70 | | 401541,98,51 |
| कुल (i से iii) | Total (i to iii) | | 723242,25,28 | | 706539,72,86 |
| बी. i) मूर्त आस्तियों से प्रतिभूत (बही ऋणों के सापेक्ष अग्रिमों सहित) | B. i) Secured by Tangible Assets(Includes advances against book debts) | 567483,81,47 | | 552076,74,78 | |
| ii) बैंक/सरकारी गारंटी से रक्षित | ii) Covered by Bank/ Government Guarantees | 61726,12,93 | | 68671,55,89 | |
| iii) गैरजमानती | iii) Unsecured | 94032,30,88 | | 85791,42,19 | |
| कुल (i से iii) | Total (i to iii) | | 723242,25,28 | | 706539,72,86 |
| सी. I भारत में अग्रिम | C. I Advances in India | | | | |
| i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र | i. Priority Sector | 221545,17,89 | | 197336,21,05 | |
| ii) सार्वजनिक क्षेत्र | ii. Public Sector | 99541,72,79 | | 69488,16,23 | |
| iii) बैंक | iii. Banks | 1499,20,38 | | 520,77,03 | |
| iv) अन्य | iv. Others | 290366,12,69 | 612952,23,75 | 310192,96,09 | 577538,10,40 |

(₹ 000 में / ₹ in 000's)

| | | 31 मार्च 2021 को As at 31st March 2021 | | 31 मार्च 2020 को As at 31st March 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| II भारत के बाहर अग्रिम | II Advances Outside India | | | | |
| i बैंकों से प्राप्य | i Due from Banks | 27887,94,53 | | 39331,50,23 | |
| ii अन्य से प्राप्य | ii Due from Others | | | | |
| ए) खरीदे और भुनाए गए बिल | a) Bills Purchased & Discounted | 2639,56,87 | | 3895,31,61 | |
| बी) सिंडीकेट ऋण | b) Syndicated Loans | 39824,56,96 | | 40673,37,20 | |
| सी) अन्य | c) Others | 39937,93,17 | 110290,01,53 | 45101,43,42 | 129001,62,46 |
| कुल (सी.I +सी.II) | TOTAL (C.I +C.II) | | 723242,25,28 | | 706539,72,86 |

## अनुसूची– 10 अचल आस्तियां / SCHEDULE - 10 FIXED ASSETS

| | | 31 मार्च 2021 को | | 31 मार्च 2020 को | |
|---|---|---|---|---|---|
| I परिसर | I Premises | | | | |
| पिछले वर्ष के 31 मार्च की लागत पर | At cost as on 31st March of the preceding year | 12075,82,50 | | 8377,59,00 | |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन | Additions/Adjustments during the year | 171,80,06 | | 4050,38,33 | |
| | | 12247,62,56 | | 12427,97,33 | |
| वर्ष के दौरान कटौतियाँ/ समायोजन | Deductions/adjustments during the year | 410,81,97 | | 352,14,83 | |
| (पुनर्मूल्यांकित राशि सहित) | (Includes revalued amount) | 11836,80,59 | | 12075,82,50 | |
| आज की तारीख तक मूल्यह्रास | Depreciation to date | 5218,89,58 | 6617,91,01 | 4590,53,20 | 7485,29,30 |
| II अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर और फिक्सचर सहित) : | II Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures) : | | | | |
| पिछले वर्ष के 31 मार्च की लागत पर | At cost as on 31st March of the preceding year | 8235,51,63 | | 5845,87,86 | |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन | Additions/Adjustments during the year | 2614,24,96 | | 2709,45,03 | |
| | | 10849,76,59 | | 8555,32,89 | |
| वर्ष के दौरान कटौतियाँ | Deductions during the year | 2138,69,12 | | 319,81,26 | |
| | | 8711,07,47 | | 8235,51,63 | |
| आज की तारीख तक मूल्यह्रास | Depreciation to date | 7112,04,82 | 1599,02,65 | 6677,02,46 | 1558,49,17 |
| | TOTAL (I and II) | | 8216,93,66 | | 9043,78,47 |

समामेलन के पश्चात पूर्ववर्ती देना बैंक और पूर्ववर्ती विजया बैंक से अंतरित ₹ 3456.49 करोड़ के निवल बही मूल्य को पिछले वर्ष के आंकड़ों में शामिल किया गया है.
Previous year figure includes Net Book value of ₹ 3456.49 crore transferred from erstwhile Dena Bank and erstwhile Vijaya Bank on merger.

## अनुसूची– 11 अन्य आस्तियां / SCHEDULE - 11 OTHER ASSETS

| | | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---|---|---|---|
| I उपचित ब्याज | I Interest Accrued | 7619,75,70 | 6995,55,26 |
| II अग्रिम कर भुगतान/ स्रोत पर कर कटौती (प्रावधानों का निवल) | II Tax paid in advance/tax deducted at source(net of Provisions) | 8845,85,84 | 8436,60,40 |
| III लेखन सामग्री और स्टांप | III Stationery and Stamps | 8,24,74 | 9,34,99 |
| IV आस्थगित कर आस्तियां | IV Deferred Tax assets | 10254,94,08 | 14574,62,58 |
| V अन्य | V Others | 33743,76,05 | 33386,78,71 |
| कुल (I से V) | TOTAL (I to V) | 60472,56,41 | 63402,91,94 |

(₹ 000 में / ₹ in 000's)

| | | | 31 मार्च 2021 को As at 31st March 2021 | | 31 मार्च 2020 को As at 31st March 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची– 12 आकस्मिक देयताएँ** | **SCHEDULE - 12 CONTINGENT LIABILITIES** | | | | | |
| I दावे जिन्हें देनदारी नहीं माना गया | I | Claims not acknowledged as debts | | **20803,26,49** | | 19010,17,79 |
| II आंशिक रुप से चुकता निवेशों के लिए देयता | II | Liability for partly paid Investments | | **20,50,98** | | 15,28,00 |
| III बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता | III | Liability on account of outstanding forward exchange contracts | | **206522,30,45** | | 168478,34,51 |
| IV संघटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ | IV | Guarantees given on behalf of constituents : | | | | |
| ए) भारत में | | a) In India | **44589,10,25** | | 43318,55,80 | |
| बी) भारत के बाहर | | b) Outside India | **7424,45,85** | **52013,56,10** | 6490,38,64 | 49808,94,44 |
| V स्वीकृतियां, परांकन एवं अन्य दायित्व | V | Acceptances, Endorsements and Other Obligations | | **26667,17,75** | | 26154,95,89 |
| VI आकस्मिक देयताओं की अन्य मदें | VI | Other items of contingent liability | | **94647,03,96** | | 120568,71,74 |
| **कुल ( I से VI)*** | | **TOTAL (I to VI)*** | | **400673,85,73** | | 384036,42,37 |

* त्रुटिवश वित्तीय वर्ष 20 के वित्तीय विवरण में ₹ 325174 करोड़ रिपोर्ट किया गया.
* Inadvertently reported in financials as ₹ 325174 crores in FY20.

(₹ 000 में / ₹ in 000's)

| | | | 31 मार्च 2021 को For the Year Ended 31st March 2021 | 31 मार्च 2020 को For the Year Ended 31st March 2020 |
|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची –13 अर्जित ब्याज और लाभांश** | **SCHEDULE - 13 INTEREST AND DIVIDENDS EARNED** | | | |
| I अग्रिमों/ बिलों पर ब्याज/ बट्टा | I | Interest/Discount on Advances/ Bills | **51427,21,58** | **55491,07,26** |
| II निवेशों पर आय | II | Income on Investments | **19275,38,05** | **19233,59,63** |
| III भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष राशियों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज | III | Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds | **1693,30,41** | **2160,15,09** |
| IV अन्य | IV | Others | **1918,07,80** | **2009,87,79** |
| **कुल (I से IV)** | | **TOTAL (I to IV)** | **74313,97,84** | **78894,69,77** |
| **अनुसूची – 14 अन्य आय** | **SCHEDULE - 14 OTHER INCOME** | | | |
| I कमीशन, विनिमय और ब्रोकरेज | I | Commission, Exchange and Brokerage | **2621,50,40** | 2676,14,68 |
| II भूमि, इमारतों और अन्य आस्तियों (निवल) के बिक्रय पर लाभ/(हानि) | II | Profit/(Loss) on sale of Land, Buildings and Other Assets (Net) | **271,25,20** | 3,56,63 |
| III विनिमय लेनदेन पर लाभ (निवल) | III | Profit on Exchange Transactions (Net) | **1078,07,20** | 1020,77,05 |

(₹ 000 में / ₹ in 000's)

| | | | | 31 मार्च 2021 को For the Year Ended 31st March 2021 | 31 मार्च 2020 को For the Year Ended 31st March 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| IV | निवेशों की बिक्री पर लाभ (निवल) | IV | Profit on sale of Investments(Net) | **3416,26,20** | 2777,84,11 |
| V | अर्जित प्रीमियम | V | Premium earned | **1716,41,39** | 1405,44,33 |
| VI | विविध आय | VI | Miscellaneous Income | **5583,69,46** | 4307,56,37 |
| | **कुल (I से VI)** | | **TOTAL (I to VI)** | **14687,19,85** | 12191,33,17 |

## अनुसूची -15 खर्च किया गया ब्याज
## SCHEDULE - 15 INTEREST EXPENDED

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | जमाराशियों पर ब्याज | I | Interest on Deposits | **38702,28,87** | 44856,48,44 |
| II | भारतीय रिजर्व बैंक/ अंतर बैंक उधार राशियों पर ब्याज | II | Interest on Reserve Bank of India/Inter-Bank Borrowings | **1840,01,25** | 2683,48,37 |
| III | अन्य | III | Others | **2658,87,86** | 2499,92,24 |
| | **कुल (I से III)** | | **TOTAL (I to III)** | **43201,17,98** | 50039,89,05 |

## अनुसूची - 16 परिचालन व्यय
## SCHEDULE - 16 OPERATING EXPENSES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | कर्मचारियों को भुगतान और तत्संबंधी प्रावधान | I | Payments to and Provisions for Employees | **11993,37,70** | 10074,44,09 |
| II | किराया, कर और बिजली | II | Rent, Taxes and Lighting | **1584,79,27** | 1583,97,32 |
| III | मुद्रण और लेखन सामग्री | III | Printing and Stationery | **133,50,60** | 124,61,60 |
| IV | विज्ञापन एवं प्रचार | IV | Advertisement and Publicity | **166,54,53** | 254,40,92 |
| V | बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास | V | Depreciation on Bank's Property | **1357,30,50** | 1697,22,71 |
| VI | निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्च | VI | Directors' Fees, Allowances and Expenses | **4,27,63** | 4,57,57 |
| VII | लेखापरीक्षकों की फीस और खर्चे (शाखा लेखापरीक्षकों की फीस एवं खर्चे सहित) | VII | Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors' Fees and Expenses) | **81,76,41** | 107,97,41 |
| VIII | विधि प्रभार | VIII | Law Charges | **174,64,37** | 168,85,84 |
| IX | डाक, तार और टेलीफ़ोन आदि | IX | Postages, Telegrams, Telephones etc. | **210,16,42** | 214,39,84 |
| X | मरम्मत एवं रख-रखाव | X | Repairs and Maintenance | **1125,89,69** | 1147,53,08 |
| XI | बीमा | XI | Insurance | **1374,25,21** | 1081,15,53 |
| XII | अन्य खर्चे | XII | Other Expenditure | **4910,94,65** | 4912,32,16 |
| | **कुल (I से XII)** | | **TOTAL (I to XII)** | **23117,46,98** | 21371,48,07 |

(₹ 000 में / ₹ in 000's)

| | | | | 31 मार्च 2021 को For the Year Ended 31st March 2021 | 31 मार्च 2020 को For the Year Ended 31st March 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची – 17 सहयोगियों से अर्जित आय का हिस्सा** | | | **SCHEDULE - 17 SHARE OF EARNINGS IN ASSOCIATES** | | |
| I | आरआरबी | I | RRB's | **152,07,00** | 60,76,49 |
| II | अन्य | II | Others | **14,33,00** | (22,23,68) |
| | कुल (I एवं II) | | **TOTAL (I & II)** | **166,40,00** | 38,52,81 |

# अनुसूची–18 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

# Schedule-18 Significant Accounting Policies on The Consolidated Financial Statements for the year ended 31St March, 2021.

## 1. तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण–पत्र, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो, परम्परागत लागत के तहत तैयार किए गए हैं. ये भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार हैं, जिनमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक/मार्गदर्शी नोट्स तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित कार्यप्रणाली समाविष्ट है. विदेशी कार्यालयों के संदर्भ में संबंधित देशों के प्रचलित सांविधिक प्रावधानों और कार्य प्रणाली का अनुपालन किया गया है.

### समेकन का आधार

i. समूह (अनुषंगियां, संयुक्त उद्यम और सहयोगी शामिल हैं) के समेकित वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित के आधार पर तैयार किया गया है:

ए. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (मूल संस्था) के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण

बी. मूल संस्था की संबंधित मदों के साथ अनुषंगियों की आस्ति/देयता/आय/ व्यय की प्रत्येक मद के क्रमवार समेकन और सभी महत्वपूर्ण अंतः समूह शेष / लेन–देन, अप्राप्त लाभ/ हानि को घटाने तथा आईसीएआई द्वारा जारी एएस 21 'समेकित वित्तीय विवरणों' के अनुसार असमान लेखांकन नीतियों हेतु यथा अपेक्षित आवश्यक समायोजन करने के बाद.

सी. संयुक्त उद्यमों का समेकन – आईसीएआई द्वारा जारी एएस 27 'संयुक्त उद्यमों में वित्तीय हितों की रिपोर्टिंग' के अनुसार आनुपातिक समेकन.

डी. आईसीएआई द्वारा जारी एएस 23 'समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेशों के लिए लेखांकन' के अनुसार 'इक्विटी प्रक्रिया' के अंतर्गत 'एसोसिएट्स' में निवेश के लिए लेखांकन.

ii. अनुषंगी इकाइयों में अपने निवेश पर समूह की लागत और अनुषंगियों की शेयर पूंजी एवं प्रीमियम में समूह के हिस्से के बीच अंतर की गणना वित्तीय विवरणों में साख / पूंजीगत प्रारक्षित निधि के रूप में की गई है. विदेशी अनुषंगियों तथा संयुक्त उद्यमों (जेवी) के मामले में ऐसे अंतर को रूपांतरित प्रारक्षित निधियों के अंतर्गत लेखांकित किया जाता है.

## 1. BASIS OF PREPARATION

The financial statements have been prepared under the historical cost convention unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprises statutory provisions, regulatory/ Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards/ guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

### Basis of Consolidation

i. Consolidated financial statements of the Group (comprising of subsidiaries, Joint Ventures and Associates) have been prepared on the basis of:

a. Audited financial statements of Bank of Baroda (Parent).

b. Line by line aggregation of each item of asset/ liability/ income/ expense of the subsidiaries with the respective item of the Parent, and after eliminating all material intra-group balances/ transactions, unrealised profit/ loss, and making necessary adjustments wherever required for non-uniform accounting policies as per AS 21 “Consolidated Financial Statements” issued by the ICAI.

c. Consolidation of Joint Ventures — ‘Proportionate Consolidation’ as per AS 27 “Financial Reporting of Interests in Joint Ventures” issued by the ICAI.

d. Accounting for investment in ‘Associates’ under the ‘Equity Method’ as per AS 23 “Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements” issued by the ICAI.

ii. The difference between cost to the group of its investment in the subsidiary entities and the group’s portion of the share capital and premium of the subsidiaries is recognised in the financial statements as goodwill / capital reserve. In case of overseas subsidiaries and JVs such difference is accounted under translation reserves.

iii. समेकित अनुषंगियों की निवल अस्तियों में माइनॉरिटी ब्याज में निम्नलिखित शामिल हैं:

ए. अनुषंगी में निवेश की तारीख को माइनॉरिटी के लिए आरोप्य इक्विटी की राशि, और

बी. मूल - अनुषंगी के बीच संबंधों की शुरूआत की तारीख से राजस्व प्रारक्षित निधियों/ हानि (इक्विटी) में संचलन का कुछ भाग

## 2. अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में वित्तीय विवरणों की तारीख को रिपोर्ट की गई आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्ट की गई अवधि हेतु आय एवं व्यय संबंधी राशि को रिपोर्ट करने हेतु प्रबंधन को कुछ अनुमानों और आकलनों को आधार बनाना पड़ता है. प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रयुक्त आकलन विवेकपूर्ण और उचित हैं. वास्तविक परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं. लेखा अनुमानों में कोई भी परिवर्तन / संशोधन वर्तमान और भावी अवधि से मान्य होगा जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो.

## 3. निवेश

बैंक के द्वारा निवेशों के लिए, निपटान तारीख के आधार पर समरूप लेखा प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है. बैंक के निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन आरबीआई के परिपत्र डीबीआर. नं. बीपी.बीसी.6/21.04.141/2015-16 दिनांक 01 जुलाई, 2015 के अनुसार किया गया है.

### 3.1 वर्गीकरण

ए) वर्गीकरण का आधार

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, बैंक के निवेश पोर्टफोलियो को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया गया है

i. 'परिपक्वता तक धारित'' (एचटीएम) निवेश राशियों में परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त निवेश शामिल हैं.

ii. ''व्यापार हेतु धारित'' (एचएफटी) में वे निवेश शामिल हैं जिन्हें व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है. ऐसी प्रतिभूतियां जो खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर बिक्री हेतु रखी गई हैं उन्हें एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है.

iii. ''बिक्री हेतु उपलब्ध'' (एएफएस) में वे निवेश शामिल हैं जो उपर्युक्त (ए) तथा (बी) में शामिल नहीं हैं अर्थात जो न तो व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं और न ही परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं.

तुलन-पत्र में प्रकटीकरण के उद्देश्य से निवेशों को अनुसूची 8 ('निवेश') में छः समूहों (ए) सरकारी प्रतिभूतियां (बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (सी) शेयर (डी) बॉन्ड एवं डिबेंचर (ई)

iii. Minority interest in the net assets of the consolidated subsidiaries consists of:

a. The amount of equity attributable to the minority at the date on which investment in a subsidiary is made, and

b. The minority share of movements in revenue reserves/ loss (equity) since the date the parent-subsidiary relationship came into existence.

## 2. USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilites (including contingent liabilites) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognised prospectively in the current and future periods unless otherwise stated.

## 3 INVESTMENTS

The Bank is following uniform methodology of accounting for investments on settlement date basis. Classification and valuation of the Bank's investments are carried out in accordance with RBI Circular DBR. No. BP. BC.6/21.04.141/2015-16 dated July 1, 2015.

### 3.1 Classification

a) Basis of classification

In compliance with the Reserve Bank of India guidelines, the investment portfolio of the Bank is classified into

i) "Held to Maturity" (HTM) comprising Investments acquired with the intention to hold them till maturity.

ii) "Held for Trading" (HFT) comprising Investments acquired with the intention to trade. Securities that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified under the HFT category.

iii) "Available for Sale" (AFS) comprising Investments not covered by (a) and (b) above i.e. those which are acquired neither for trading purposes nor for being held till maturity.

For the purpose of disclosure in the balance sheet, investments are classified as disclosed in Schedule 8 ('Investments') under six groups

अनुषंगियां एवं संयुक्त उद्यम और (एफ) अन्य के अंतर्गत यथा प्रकट के रुप में वर्गीकृत किया गया है.

बी) अधिग्रहण की लागत

निवेशों से संबंधित ब्रोकरेज आदि की लागत, जिसका अर्जन के समय भुगतान किया गया है और ब्रोकन अवधि का ब्याज, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है.

सी) श्रेणियों के बीच अंतरण

एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में निवेशों का पुनःवर्गीकरण, यदि कोई किया गया है तो, वह भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है. एएफएस/ एचएफटी श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में स्क्रिप का अंतरण निम्नतर बही मूल्य या बाजार मूल्य पर किया गया है. एचटीएम से एएफएस / एचएफटी श्रेणी में प्रतिभूतियों के अंतरण के मामले में, एचटीएम के अंतर्गत बट्टे पर रखे गए निवेशों को एएफएस / एचएफटी श्रेणी में अर्जन मूल्य पर अंतरित किया गया है और एचटीएम श्रेणी में प्रीमियम पर रखे निवेशों को एएफएस / एचएफटी में परिशोधित लागत पर अंतरित किया गया है.

एएफएस से एचएफटी में या एचएफटी से एएफएस में निवेशों का अंतरण बही मूल्य पर किया जाता है. इस तरह के निवेशों पर लागू किसी मूल्यह्रास, यदि कोई हो, तो उसे भी एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरित किया जाता है.

इन श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों के अंतरण की गणना, अंतरण की तारीख को उसकी अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/ बाजार मूल्य में से जो भी कम हो, पर की गई है और ऐसे अंतरण के फलस्वरूप मूल्यह्रास, यदि कोई है, के लिए प्रावधान किया गया है.

## 3.2 मूल्यांकन

'परिपक्वता तक धारित' के रुप में वर्गीकृत निवेशों को भारित औसत अर्जित लागत पर लिया गया है, जब तक कि वह अंकित मूल्य से अधिक नहीं है, इस स्थिति में प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि तक परिशोधित किया गया है. एचटीएम श्रेणी में निवेशों पर प्रीमियम के परिशोधीकरण संबंधी खर्च को आरबीआई के परिपत्र डीबीआर. नं. बीपी.बीसी.6/21.04.141/2015-16 दिनांक 01 जुलाई, 2015 के अनुसार ब्याज आय से घटाया गया है.

'परिपक्वता तक धारित' के रुप में वर्गीकृत निवेशों में ऐसे डिबेंचर/ बॉन्ड शामिल हैं जिन्हें स्वरूप/प्रकृति की दृष्टि से अग्रिम माना जाता है (जिनके लिए अग्रिमों पर लागू आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड लागू करते हुए प्रावधान किया गया है.)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, ट्रेजरी बिलों, कॉमर्शियल पेपर्स और जमा प्रमाणपत्रों में किए गए निवेशों का रख-रखाव की लागत के आधार पर मूल्यांकन किया गया है.

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं हेतु खरीदे गए पास थ्रू सर्टिफिकेटों को आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार बही मूल्य पर मूल्यांकित किया गया है.

(a) government securities (b) other approved securities (c) shares (d) bonds and debentures (e) subsidiaries and joint ventures and (f) others.

b) Cost of acquisition

Cost such as brokerage pertaining to investments, paid at the time of acquisition and broken period interest are charged to the profit & loss account as per the RBI guidelines.

c) Transfer between categories

Reclassification of investments from one category to the other, if done, is in accordance with RBI guidelines. Transfer of scrip from AFS / HFT category to HTM category is made at the lower of book value or market value. In the case of transfer of securities from HTM to AFS / HFT category, the investments held under HTM at a discount are transferred to AFS / HFT category at the acquisition price and investments placed in the HTM category at a premium are transferred to AFS / HFT at the amortized cost.

Transfer of investments from AFS to HFT or vice-a-versa is done at the book value. Depreciation carried, if any, on such investments is also transferred from one category to another.

The transfer of a security between these categories is accounted for at the acquisition cost / book value / market value on the date of transfer, whichever is the least, and the depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

## 3.2 Valuation

Investments classified as "Held to Maturity" are carried at weighted average acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized over the period remaining to maturity. Amortization expense of premium on investments in the HTM category is deducted from interest income in accordance with RBI Circular DBR. No.BP. BC.6/21.04.141/2015-16 dated July 1, 2015.

Investments classified as "Held to Maturity" includes debentures / bonds which are deemed to be in the nature of / treated as advances (for which provision is made by applying the Reserve Bank of India prudential norms of assets classification and provisioning applicable to Advances).

Investments in Regional Rural Banks, Treasury Bills, Commercial Papers and Certificates of Deposit which have been valued at carrying cost.

Pass through Certificates purchased for priority sector lending requirements are valued at Book Value in accordance with RBI guidelines.

अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगियों में (भारत तथा विदेश दोनों में) अस्थायी प्रकार के निवेशों को छोड़कर निवेशों का मूल्यांकन, मूल्यह्रास मूल्य को घटाकर अधिग्रहण लागत पर किया जाता है.

23 अगस्त 2006 के पश्चात बैंक द्वारा जोखिम पूंजी निधि (वीसीएफ) की इकाइयों में किए गए निवेश को आरम्भिक तीन वर्षों के लिए परिपक्वता तक धारित के तहत, श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है तथा कीमत के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है. संवितरण के तीन वर्षों के पश्चात इन्हें एएफएस श्रेणी में अंतरित किया जाएगा. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ये वित्तीय विवरणियों के अनुसार वीसीएफ द्वारा दर्शाए गए निवल आस्ति मूल्य या घोषित एनएवी का प्रयोग कर मूल्यांकित किए गए हैं. यदि लगातार 18 माह से अधिक के एनएवी लेखापरीक्षित वित्तीय आंकड़े उपलब्ध न हों तो ₹ 1/- प्रति वीसीएफ.

एएफएस और एचएफटी श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आवधिक आधार पर मार्क्ड-टू-मार्केट (एमटीएम) हैं. अनुसूची 8 ('निवेश') में उल्लिखित वर्गीकरण के अंतर्गत श्रेणी में यदि कोई निवल मूल्यह्रास है तो, उसे लाभ-हानि खाते में अंकित किया गया है. पहले प्रदान किए गए मूल्यह्रास की सीमा को छोड़कर, निवल विनियोजन, प्रत्येक वर्गीकरण श्रेणी में यदि कोई हो, को अनदेखा किया जाता है. अलग-अलग प्रतिभूतियों का बही मूल्य निवेशों के आवधिक मूल्यांकन के कारण नहीं बदलता है.

पुनर्संरचित अग्रिम योजना के बदले में प्राप्त निवेश का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाता है. इन निवेशों के मूल्यों में किसी तरह की कमी को उपलब्ध कराया जाएगा और इसे इसी श्रेणी के तहत निष्पादक प्रतिभूतियों के संबंध में विनियोजन के सापेक्ष निर्धारित नहीं किया जाएगा. पुनर्संरचित योजना के तहत बैंक द्वारा अधिग्रहित और धारित इक्विटि शेयर पर मूल्यह्रास भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा.

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आस्ति पुनर्संरचना कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित, ऐसे लिखतों के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा. तदनुसार, ऐसे मामलों में जहां आस्ति पुनर्संरचना कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद से नकदी प्रवाह को संबंधित योजना के तहत लिखत को समनुदेशित वित्तीय आस्तियों के वास्तविक प्राप्य राशियों तक सीमित किया जाता है तो बैंक प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख को इस तरह के निवेशों के मूल्यांकन के लिए आस्ति पुनर्संरचना कंपनी से समय-समय पर प्राप्त निवल आस्ति मूल्यों की गणना करेगा. 01 अप्रैल 2017 को या इसके बाद प्रतिभूति रसीद में किए गए निवेश, जो बैंक द्वारा 50% से ज्यादा बेची गई दबावग्रस्त आस्तियों द्वारा समर्थित हो, के मूल्य में अवमूल्यन के लिए प्रावधान पुनर्संरचना कंपनी (आरसी)/प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य के मानदंडों के अनुसार अपेक्षित प्रावधान दर से अधिक होगा या मूल ऋण के लिए लागू मौजूदा आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान मानदंड के अनुसार होगा और ऐसा माना जाएगा कि बैंक की बही में ऋण अनुमानतः जारी

Investments in subsidiaries, joint ventures and associates (both in India and abroad) are valued at acquisition cost less diminution, other than temporary in nature.

Bank's investments in units of Venture Capital Funds (VCFs) made after August 23, 2006 are classified under HTM category for initial period of three years and are valued at cost. After period of three years from date of disbursement, it will be shifted to AFS category. These are valued using Net Assets Value shown by VCF as per the financial statements or declared NAV as per Reserve Bank of India guidelines. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at Re. 1/- per VCF

Investments categorized under AFS and HFT categories are Marked-to-Market (MTM) on a periodical basis as per relevant RBI guidelines. Net depreciation, if any, in the category under the classification mentioned in Schedule 8 ('Investments') is recognized in the profit and loss account. The net appreciation, if any, in the category under each classification is ignored, except to the extent of depreciation previously provided. The book value of individual securities is not changed consequent to periodic valuation of investments.

Investments received in lieu of restructured advances scheme are valued in accordance with RBI guidelines. Any diminution in value on these investments is provided for and is not used to set off against appreciation in respect of other performing securities in that category. Depreciation on equity shares acquired and held by the Bank under restructuring scheme is provided as per RBI guidelines.

At the end of each reporting period, security receipts issued by the asset reconstruction company are valued in accordance with the guidelines applicable to such instruments, prescribed by RBI from time to time. Accordingly, in cases where the cash flows from security receipts issued by the asset reconstruction company are limited to the actual realization of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Bank reckons the net asset value obtained from the asset reconstruction company from time to time, for valuation of such investments at each reporting date. In case of investment in Security Receipts on or after April 1, 2017 which are backed by more than 50% of the stressed assets sold by the bank, provision for depreciation in value is made at higher of – provisioning rate required in terms of net assets value declared by Reconstruction Company (RC)/ Securitization Company (SC) or the provisioning rate as per the extant asset classification and provisioning norms as applicable to the underlying loans, assuming that the loan notionally continue in the books of the

रहेगा. प्रतिभूति रसीद में अन्य सभी निवेशों का मूल्यांकन जारीकर्ता आरसी/एससी से प्राप्त एनएवी के अनुसार किया जाता है.

रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी)/ इचन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) के सूचीबद्ध लिखतों में निवेश अधिक मात्रा में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में समापन मूल्य पर होता है. यदि मूल्यांकन से पहले 15 दिनों के भीतर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर इनका क्रय-विक्रय नहीं होता है तो उनका मूल्यांकन मूल्यांकक द्वारा निर्धारित नवीनतम एनएवी (जो 1 वर्ष से पुरानी न हो) के आधार पर किया जाता है.

प्राथमिक डीलर के रूप में बैंक द्वारा एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत ट्रेजरी बिलों में किए गए निवेश का मूल्यांकन रख-रखाव की लागत पर किया जा रहा है.

बैंक केंद्र सरकार की पुरानी प्रतिभूतियों में आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार अल्प बिक्री लेनदेन करता है. शॉर्ट पोजीशन, बिक्री पर प्राप्त राशि के रूप में परिलक्षित होती है और निवेश अनुसूची में समायोजित होती है. शॉर्ट पोजीशन को बाजार और हानि के लिए चिन्हित किया जाता है, यदि कोई हो, और उसे लाभ और हानि खाते में डाला जाता है जब उससे कोई लाभ हो, तो उसे छोड़ दिया जाता है. शॉर्ट पोजीशन के निपटान से हुई लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाता है.

विशेष बॉन्ड जैसे कि तेल बॉन्ड, उर्वरक बॉन्ड, यूडीएवाय बॉन्ड आदि जो सीधे भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, का मूल्यांकन एफआईबीएल मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है.

'व्यापार के लिए धारित' तथा ''बिक्री के लिए उपलब्ध'' श्रेणी के उद्धृत निवेशों के मूल्यांकन के लिए स्टॉक एक्सचेंज पर उद्धृत दरों हेतु फायनेसियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया गया है.

जिन निवेशों के लिए ऐसी दरें / उद्धृत दरें उपलब्ध नहीं हैं, उनका मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया गया है जो निम्नानुसार हैं :-

| | | |
|---|---|---|
| ए | सरकारी / अनुमोदित प्रतिभूतियां | - परिपक्वता आधारित आय पर. |
| बी | इक्विटी शेयर, पीएसयू एवं ट्रस्टी शेयर | - नवीनतम तुलनपत्र (12 माह से अधिक पुराना नहीं) के अनुसार ब्रेक अप मूल्य ('पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि', यदि कोई हो, पर विचार किए बिना) अन्यथा रु 1 प्रति कंपनी. |
| सी | अधिमानी शेयर और पास थ्रू सर्टिफिकेटों (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को छोड़कर) | - समुचित क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप के साथ परिपक्वता आधारित आय पर. |
| डी | पीएसयू बॉन्ड | - समुचित क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप के साथ परिपक्वता आधारित आय पर. |
| ई | म्युचुअल फंड की यूनिट | - फंड द्वारा प्रत्येक स्कीम के संबंध में घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य/एनएवी पर. |

Bank. All other investments in the Security Receipts are valued as per the NAV obtained from issuing RC / SC.

Investment in listed instruments of Real Estate Investment Trust (REIT) / Infrastructure Investment Trust (INVIT) is valued at closing price on a recognized stock exchange with the higher volumes. In case the instruments were not traded on any stock exchange within 15 days prior to date of valuation, valuation is done based on the latest NAV (not older than 1 year) submitted by the valuer.

Investments made by the Bank as Primary Dealer in Treasury Bills under HFT category is being valued at carrying cost.

The Bank undertakes short sale transactions in Central Government dated securities in accordance with RBI guidelines. The short position is reflected as the amount received on sale and is netted in the Investment schedule. The short position is marked to market and loss, if any, is charged to the Profit and Loss account while gain, if any, is ignored. Profit /Loss on settlement of the short position is recognized in the Profit and Loss account.

Special bonds such as Oil bonds, fertilizer bonds, UDAY bonds etc which are directly issued by Government of India, is valued based on FIBL valuation.

For the purpose of valuation of quoted investments in "Held for Trading" and "Available for Sale" categories, the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Financial Benchmarks India Pvt. Ltd(FBIL) are used.

Investments for which such rates / quotes are not available are valued as per norms laid down by Reserve Bank of India, which are as under:

| | | |
|---|---|---|
| a | Government / Approved securities | - On Yield to Maturity basis. |
| b | Equity Shares, PSU and Trustee shares | - At break-up value (without considering 'Revaluation reserves', if any) as per the latest Balance Sheet (not more than 12 months old), otherwise Re.1 per company. |
| c | Preference Shares & Pass-through Certificates (other than priority sector) | - On Yield to Maturity basis. with appropriate Credit spread mark-up. |
| d | PSU Bonds | - On Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up. |
| e | Units of Mutual Funds | - At the latest repurchase price / NAV declared by the Fund in respect of each scheme. |

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक निवेश की पहचान और उसके ऊपर मूल्यह्रास/ प्रावधान किया जाता है. मूल्यह्रास के प्रबंधन मूल्यांकन के आधार पर बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में दी गई सीमा से ऊपर और अधिक अतिरिक्त प्रावधान सृजित करते हैं. इस तरह के अनर्जक निवेशों पर मूल्यह्रास प्रावधान को अन्य अर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में विनियोजन के मुक़ाबले निर्धारित नहीं किया जा सकता. अनर्जक निवेशों पर ब्याज को लाभ-हानि खातों में तब तक दर्ज नहीं किया जाता जब तक उनकी वास्तविक प्राप्ति नहीं हो जाती है.

विदेशी शाखाओं में निवेशों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा मेजबान देश में से जिसके दिशानिर्देश अधिक सख्त हों, वे लागू होंगे. उन शाखाओं के मामलों में, जो ऐसे देशों में स्थित हैं जहां ऐसे कोई दिशानिर्देश निर्दिष्ट न हो, वहां भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश लागू होंगे.

**जीवन बीमा व्यवसाय:**

बीमा अधिनियम, 1938, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002 तथा इस संदर्भ में समय-समय पर आईआरडीएआई द्वारा जारी किए गए विभिन्न अन्य परिपत्रों/ अधिसूचनाओं के अनुसार निवेश किए जाते हैं और उनका लेखांकन किया जाता है.

खरीद की तारीख को लागत पर निवेशों को दर्ज किया जाता है, जिसमें ब्रोकरेज और स्टांप ड्यूटी, कर आदि, यदि कोई हों, शामिल हैं, लेकिन खरीद पर उपचित पूर्व-अधिग्रहण ब्याज (अर्थात् पिछली कूपन तारीख से लेनदेन निपटान तारीख तक), यदि कोई हो, को शामिल नहीं किया जाता है.

बोनस पात्रता को 'एक्स-बोनस तारीख' पर निवेश माना जाता है. राइट पात्रता को 'एक्स-राइट डेट' पर निवेश माना जाता है. निवेश पर किसी भी प्रकार की अग्रिम छूट को निवेश की लागत से घटा दिया जाता है.

तुलन पत्र की तारीख पर निवेशों के मूल्य में कमी अस्थायी के अलावा, को राजस्व / लाभ एवं हानि खाते में व्यय माना जाता है.

भुगतान/ प्राप्त किए गए खंडित अवधि के ब्याज को ब्याज प्राप्य खाते में डेबिट / क्रेडिट किया जाता है और इसे खरीद/ बिक्री मूल्य की लागत में शामिल नहीं किया जाता है.

**ए. शेयरधारकों के निवेश और पॉलिसीधारकों की गैर-लिंक निधियों की कर्ज प्रतिभूतियां, मुद्रा बाजार लिखत और अतिरिक्त टियर - 1 बॉन्ड (एटी1 बॉन्ड):**

ए. शेयरधारकों के निवेशों एवं पॉलिसीधारकों की गैर-लिंक निधियों के तहत धारित सभी कर्ज प्रतिभूतियों, जिसमें सरकारी प्रतिभूतियां शामिल हैं और मुद्रा बाजार लिखतों को 'परिपक्वता तक धारित' माना जाता है और परिशोधन के अधीन हिस्टोरिकल लागत के रूप में उल्लेख किया जाता है.

Non-performing investments are identified and depreciation/provision are made thereon based on the RBI guidelines. Based on management assessment of impairment, the Bank additionally creates provision over and above the RBI guidelines. The depreciation/ provision on such non-performing investments are not set off against the appreciation in respect of other performing securities. Interest on non-performing investments is not recognized in the Profit and Loss account until received.

In respect of Investments at Overseas Branches, Reserve Bank of India guidelines or those of the host countries, whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of the Reserve Bank of India are followed.

**Life Insurance Business:**

Investments are made and accounted for in accordance with the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Investment) Regulations, 2000, Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002, and various other circulars / notifications issued by the IRDAI in this context from time to time.

Investments are recorded at cost on the date of purchase, which includes brokerage and stamp duty, taxes, etc, if any, but excludes pre-acquisition interest accrued i.e. (from the previous coupon date to the transaction settlement date), if any, on purchase.

Bonus entitlements are recognized as investments on 'ex-bonus date'. Right entitlements are recognized as investments on 'ex-right date'. Any front end discount on investments is reduced from cost of investments.

Diminution in the value of investments as at the balance sheet date, other than temporary, is recognised as an expense in the Revenue / Profit & Loss account.

Broken period interest paid/received is debited/credited to Interest Receivable account and is not included in the cost of purchase/sale value.

**A. Debt Securities, Money Market Instruments and Additional Tier-1 Bonds (AT1 Bonds) of Policyholders' non-linked funds and shareholders' investments:**

a. All debt securities, including government securities, and Money market instruments held under policyholders' non-linked funds and shareholders' investments are considered as 'held to maturity' and stated at historical cost subject to amortisation.

बी. छूट या प्रीमियम जो निश्चित आय प्रतिभूतियों और मुद्रा बाजार लिखतों के खरीद मूल्य और मोचन राशि के बीच का अंतर है, इन प्रतिभूतियों की परिपक्वता में शेष अवधि पर राजस्व खाते या लाभ एवं हानि खाते में स्ट्रेट लाइन के आधार पर परिशोधित और निर्धारित किया जाता है.

सी. पॉलिसीधारक की गैर-लिंक निधियों के तहत एटी1 बॉन्ड का मूल्यांकन क्रिसिल बॉन्ड वैल्यूअर का उपयोग करके किया गया है.

डी. ऋण प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ या हानि, कंपनी की बही में निवल बिक्री प्रतिफल और परिशोधित लागत के बीच अंतर है.

**बी. पॉलिसीधारकों के लिंक फंड की ऋण प्रतिभूतियां, मुद्रा बाजार लिखत और अतिरिक्त टियर-1 बॉन्ड (एटी1 बॉन्ड):**

ए. पॉलिसीधारकों के लिंक फंडों के तहत सरकारी प्रतिभूतियों सहित सभी ऋण प्रतिभूतियों और एटी1 बॉन्ड को क्रिसिल बॉन्ड वैल्यूअर/क्रिसिल गिल्ट मूल्यों, यथालागू का उपयोग करके मूल्यांकन किया जाता है.

बी. नियत आय प्रतिभूतियों / मुद्रा बाजार लिखतों पर छूट या प्रीमियम, जो खरीद मूल्य और शोधन राशि के बीच का अंतर होता है, परिशोधित किया जाता है और इन प्रतिभूतियों की परिपक्वता के लिए शेष अवधि में स्ट्रेट लाईन आधार पर राजस्व खाते में निर्धारित किया जाता है.

सी. सरकारी प्रतिभूतियों सहित ऋण प्रतिभूतियों के मूल्यांकन पर उत्पन्न होने वाले अप्राप्त लाभ या हानि का लेखांकन राजस्व खाते में होता है.

डी. लिंक कारोबार के लिए धारित ऋण प्रतिभूतियों और लिंक कारोबार के साथ-साथ उससे इतर कारोबार के लिए एटी1 बॉन्ड पर प्राप्त लाभ या हानि, निवल बिक्री प्रतिफल और भारित औसत लागत के बीच का अंतर है.

**सी. लिंक और गैर लिंक दोनों के लिए:**

ए. तुलन पत्र की तारीख को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर अंतिम उद्धृत समापन मूल्यों का उपयोग करके सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और इक्विटी ईटीएफ का उचित मूल्य पर मूल्यांकन होता है. यदि एनएसई पर इक्विटी शेयरों और इक्विटी ईटीएफ का व्यापार नहीं होता है तो फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के समापन मूल्य पर विचार किया जाता है.

बी. असूचीबद्ध इक्विटी शेयर का उल्लेख हिस्टॉरिकल लागत पर किया जाता है. इन शेयरों के मूल्य में ह्रास, यदि कोई है, के लिए उस सीमा तक प्रावधान किया जाता है कि यह ह्रास अस्थायी के अतिरिक्त है.

b. The discount or premium which is the difference between the purchase price and the redemption amount of fixed income securities and money market instruments is amortised and recognized in the revenue account or the profit and loss account, as the case may be, on a straight line basis over the remaining period to maturity of these securities.

c. AT1 Bonds, under policyholder's non-linked funds are valued using CRISIL Bond Valuer.

d. The realised gain or loss on debt securities is the difference between the net sale consideration and the amortised cost in the books of the company.

**B. Debt Securities, Money Market Instruments and Additional Tier-1 Bonds (AT1 Bonds) of Policyholders' linked funds:**

a. All debt securities, including government securities and AT1 Bonds, under policyholders' linked funds are valued using CRISIL Bond Valuer/ CRISIL Gilt Prices, as applicable.

b. The discount or premium on fixed income securities / money market instruments which is the difference between the purchase price and the redemption amount is amortised and recognized in the revenue account on a straight line basis over the remaining period to maturity of these securities.

c. Unrealised gains or losses arising on valuation of debt securities including Government Securities are accounted for in the Revenue Account.

d. The realised gain or loss on debt securities held for linked business and AT1 bonds for linked as well as other than linked business is the difference between the net sale consideration and weighted average cost.

**C. For both Linked and Non Linked:-**

a. Listed equity shares and equity ETFs are valued and stated at fair value, using the last quoted closing prices on the National Stock Exchange (NSE), at the balance sheet date. If the equity shares and equity ETFs are not traded on the NSE, then closing prices of the Bombay Stock Exchange (BSE) is considered.

b. Unlisted equity shares are stated at historical cost. A provision is made for diminution, if any, in the value of these shares to the extent that such diminution is other than temporary.

सी. प्राइमरी बाजारों के माध्यम से अधिग्रहीत इक्विटी शेयर जिनकी लिस्टिंग अभी तक नहीं हुई है उनका मूल्यांकन अपने निर्गम मूल्य पर किया जाता है.

डी. म्यूचुअल फंड इकाइयों का मूल्यांकन पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य पर किया जाता है. एआईएफ इकाइयों का मूल्यांकन संबंधित निधि के नवीनतम उपलब्ध निवल आस्ति मूल्य पर किया जाता है.

ई. प्राप्त लाभ/हानि, निवल बिक्री प्रतिफल और भारित औसत लागत के बीच का अंतर है. लिंक निधि के मामले में, अप्राप्त लाभ/हानि को संबंधित निधि के राजस्व खाते में उचित मूल्य परिवर्तन के रूप में निर्धारित किया जाता है. लिंक कारोबार के अतिरिक्त कारोबार के लिए, सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंडों के उचित मूल्य में परिवर्तन पर अप्राप्त लाभ/हानि को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में लिया जाता है और तुलन पत्र में भी शामिल किया जाता है.

एफ. कॉल ऑप्शन वाली प्रतिभूतियों का मूल्यांकन अंतिम परिपक्वता तारीख या कॉल ऑप्शन तारीख तक प्रतिभूति का मूल्यांकन कर प्राप्त कम मूल्य पर किया जाता है. यदि कई कॉल ऑप्शन हैं, तो प्रतिभूति का मूल्यांकन विभिन्न कॉल तारीखों पर या अंतिम परिपक्वता तारीख तक प्रतिभूति का मूल्यांकन कर प्राप्त कम मूल्य पर किया जाता है.

जी. पुट ऑप्शन वाली प्रतिभूतियों का मूल्यांकन अंतिम परिपक्वता तारीख या पुट ऑप्शन तारीख तक प्रतिभूति का मूल्यांकन कर प्राप्त उच्च मूल्य पर किया जाता है. यदि कई पुट ऑप्शन हैं, तो प्रतिभूति का मूल्यांकन विभिन्न पुट तारीखों पर या अंतिम परिपक्वता तारीख तक प्रतिभूति का मूल्यांकन कर प्राप्त कम मूल्य पर किया जाता है.

एच. एक ही दिन पुट और कॉल दोनों विकल्पों के साथ प्रतिभूतियों को पुट/ कॉल तारीख पर परिपक्व माना जाएगा और उनका मूल्यांकन क्रिसिल द्वारा जारी मैट्रिक्स के आधार पर बेंचमार्क दर पर स्प्रैड का उपयोग करके परिपक्वता के आधार पर प्रतिफल पर किया जाएगा.

आई) 'रिवर्स रेपो' आधार पर खरीदे गए लिखतों का मूल्यांकन लागत और रिवर्स रेपो दर पर उपचित ब्याज पर किया जाता है.

जे) तुलन पत्र की तारीख से बारह महीनों के भीतर परिपक्व होने वाले सभी निवेशों को अल्पकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. अन्य सभी निवेशों को दीर्घकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

के) पॉलिसीधारकों के खाते में घाटे को पूरा करने के लिए शेयरधारकों की निधियों से पॉलिसीधारकों की निधियों में निवेश का अंतरण मुद्रा बाजार लिखतों सहित सभी

c. Equity shares acquired through primary markets and awaiting listing are valued at their issue price.

d. Mutual fund units are valued at previous day's Net Asset Value. AIF units are valued at the latest available net asset value of the respective fund.

e. The realised gain / loss is the difference between the net sale consideration and weighted average cost. In case of linked funds, unrealised gains / losses are recognised in the respective fund's revenue account as fair value change. For other than linked business, unrealized gain / loss on changes in fair value of listed equity shares and mutual funds are taken to the Fair Value Change account and are carried to the Balance Sheet.

f. Securities with call option are valued at the lower of the value as obtained by valuing the security upto final maturity date or the call option date. In case there are multiple call options, the security is valued at the lowest value obtained by valuing the security at various call dates or upto the final maturity date.

g. Securities with put option are valued at the higher of the value as obtained by valuing the security upto final maturity date or the put option date. In case there are multiple put options, the security is valued at the highest value obtained by valuing the security at various put dates or upto the final maturity date.

h. The securities with both put and call option on the same day would be deemed to mature on the put/call date and would be valued on a yield to maturity basis, by using spreads over the benchmark rate based on the matrix released by CRISIL.

i. Instruments bought on 'reverse repo' basis are valued at cost plus interest accrued on reverse repo rate.

j. All investments maturing within twelve months from the balance sheet date are classified as short-term investments. All other investments are classified as long-term investments.

k. Transfers of Investments from Shareholders' funds to the Policyholders' funds to meet the deficit in the policyholders' account are effected at the lower of amortised cost

ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में परिशोधित लागत/ बुक लागत या बाजार मूल्य से कम पर किया जाता है और अन्य प्रतिभूतियों के मामले में बाजार मूल्य पर किया जाता है.

एल) लिंक निधि के मामले में पॉलिसीधारकों की निधियों से संबंधित ऋण प्रतिभूतियों का अंतर-निधि अंतरण मौजूदा बाजार मूल्य पर किया जाता है. इक्विटी, अधिमानी शेयर, ईटीएफ और सरकारी प्रतिभूतियों का अंतर निधि अंतरण नवीनतम ट्रेड के बाजार मूल्य पर बाजार के कार्य-घंटों के दौरान किया जाता है.

एम) गैर-लिंक पॉलिसीधारकों की निधियों के बीच निवेश का कोई अंतरण नहीं किया जाता है.

एन) यूनिट लिंक निधियों के बीच इक्विटी, अधिमानी शेयरों, ईटीएफ, आईएनवीआईटी और सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री की गणना, निवेश की खरीद या बिक्री की तारीख को प्रचलित बाजार मूल्य पर किया जाता है, यदि निवेश के अंतरण की तारीख पर किसी प्रतिभूति का प्रचलित बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है तो उसे अंतिम उपलब्ध मूल्य पर निर्धारित किया जाता है. सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा अन्य ऋण प्रतिभूतियों के मामले में, निवेश के अंतरण को प्रचलित प्रतिफल पर लेखांकित किया जाता है.

ओ) यदि आंतरिक/ बाहरी कारकों के आधार पर मूल्यह्रास का कोई लक्षण दिखाई देता है तो निवेशों की रख-रखाव लागत राशि की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है. मूल्यह्रास हानि की पहचान व्यय के रूप में की जाती है और इसे राजस्व/ लाभ या हानि खाते में 'निवेश (निवल) के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान' हेड के तहत पुनर्निर्धारित उचित मूल्य और राजस्व/ लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में निर्धारित किसी पूर्व ह्रास हानि द्वारा घटाई गई अधिग्रहण लागत के बीच अंतर की सीमा तक प्रकट किया जाता है. ह्रास हानि का कोई भी रिवर्सल जिसे पहले राजस्व/ लाभ और हानि खाते में निर्धारित किया गया था, को क्रमशः राजस्व/ लाभ और हानि खाते में निर्धारित किया जाएगा.

पी) "आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधान और ऋण पोर्टफोलियो के संबंध में अन्य संबंधित मामलों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड" पर विनियम के अनुसार, सभी एनपीए से संबंधित बकाया राशि को कवर करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं. सभी आस्तियां जहां तुलन पत्र की तारीख को ब्याज और/ या मूलधन चुकौती की किस्त 90 दिनों से अधिक के लिए अतिदेय होती है, उन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

/ book cost or market value in respect of all debt securities including money market instruments and at the market value in case of other securities.

l. In case of linked funds, Inter-fund transfer of debt securities relating to Policyholders' Funds is effected at current market value. Inter fund transfer of equity, preference share, ETFs and government securities are effected during market hours at the market price of the latest trade.

m. No transfers of investments are made between non linked Policyholders' funds.

n. The purchase and sale of equity, preference shares, ETF's, InvIT's and Government Securities between unit linked funds is accounted for at the prevailing market price on the date of purchase or sale of investments, if prevailing market price of any security is not available on the date of transfer of investment, then the last available price is considered. In case of debt securities other than Government Securities, transfer of investments is accounted at prevailing yield.

o. The carrying amounts of investments are reviewed at each balance sheet date, whether there is any indicator of impairment based on internal / external factors. An impairment loss is recognised as an expense and disclosed under the head 'Provision for diminution in the value of investment (net)' in the Revenue/ Profit or Loss account, to the extent of difference between the re-measured fair value and the acquisition cost as reduced by any previous impairment loss recognised as expense in Revenue/ Profit and Loss Account. Any reversal of impairment loss, earlier recognised in the Revenue /Profit and Loss Account shall be recognised in Revenue/ Profit and Loss Account respectively.

p. In accordance with regulations on "Prudential norms for income recognition, asset classification, provisioning and other related matters in respect of debt portfolio", adequate provisions are made to cover amounts outstanding in respect of all NPA's. All assets where the interest and / or instalment of principal repayment remain overdue for more than 90 days at the Balance Sheet date are classified as NPA.

### 3.3 निवेशों का निस्तारण

परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के रूप में वर्गीकृत निवेशों की बिक्री पर लाभ/हानि को संबंधित निवेशों की भारित औसत लागत/बही मूल्य के आधार पर लाभ एवं हानि खाते में अंकित किया गया है एवं ''परिपक्वता तक धारित'' वर्गीकरण में संबंधित निवेशों के बही मूल्य के समतुल्य लाभ को प्रारक्षित पूंजी खाते में विनियोजित किया गया है.

एएफएस/एचएफटी श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर हुए लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है.

### 3.4 रेपो / रिवर्स रेपो हेतु लेखांकन

बैंक ने पुनःखरीद तथा प्रत्यावर्तित पुन: खरीद लेनदेनों को लेखांकित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित एक समान लेखा प्रणाली को अपनाया है [परिपत्र सं. भा.रि.बैं./2016-17/ एफ एमओडी.एमएओजी.नं./01.01.001/2016-17 दिनांक 15 सितम्बर, 2016 द्वारा भा.रि.बैं. के पास चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) सहित]. रेपो एवं रिवर्स रेपो लेनदेनों को, सहमत शर्तों पर पुनःखरीद करने के समझौते के साथ संपार्श्विक उधार/ऋण के रूप में लिया गया है. रेपो के अन्तर्गत बेची गई प्रतिभूतियों को रिवर्स रेपो के तहत निवेश व खरीदी गई प्रतिभूतियों के रूप में दर्शाया गया है तथा उन्हें निवेशों में शामिल नहीं किया गया है. लागत तथा राजस्व की गणना, ब्याज व्यय/आय जैसा भी मामला हो, के रूप में की गयी है.

### 3.5 निवेश उतार- चढ़ाव प्रारक्षित

आय में वृद्धि के सापेक्ष संरक्षण हेतु पर्याप्त प्रारक्षित निधि तैयार करने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने परिपत्र सं. आरबीआई/2017-18/147 डीबीआर.नं.बीपी.बीसी.102/ 21.04.048/2017-18 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 के माध्यम से सभी बैंकों को वित्त वर्ष 2018-19 से आईएफआर सृजित करने के लिए सूचित किया है.

आईएफआर में अंतरण निम्नलिखित (i) वर्ष के दौरान निवेशों की बिक्री पर शुद्ध लाभ या (ii) वर्ष के शुद्ध लाभ में से अनिवार्य विनियोजन को घटाकर, का न्यून होगा, जब तक कि आइएफआर की राशि सतत आधार पर एचएफटी और एएफएस पोर्टफोलियो का कम से कम 2 प्रतिशत नहीं होती है.

### 3.6 डेरिवेटिव्स

बैंक वर्तमान में ब्याज दरों तथा मुद्रा डेरिवेटिव्स में डील करता है. बैंक द्वारा व्यवहारित ब्याज दर डेरिवेटिव्स में रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप, एक्सचेंज ट्रेडेड रुपया ब्याज दर फ्यूचर तथा फारवर्ड रेट एग्रीमेंट्स शामिल हैं. बैंक द्वारा व्यवहार में लाये जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स में ऑप्शन तथा मुद्रा स्वैप एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर शामिल हैं. बैंक मार्केट मेकिंग/ ट्रेडिंग और तुलन-पत्र की आस्ति एवं देयताओं की व्यवस्था बचाव के लिए डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन करता है.

### 3.7 मूल्यांकन

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर, डेरिवेटिव्स का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है:

हेज / गैर हेज संव्यवहार अलग-अलग रिकार्ड किए जाते हैं. हेज के रूप में नामित डेरिवेटिव संविदाएं तब तक बाजार भाव पर नहीं दर्शायी

### 3.3 Disposal of Investments

Profit / Loss on sale of Investments classified as HTM category is recognized in the Profit & Loss Account based on the weighted average cost / book value of the related Investments and an amount equivalent of profit on sale of Investments in "Held to Maturity" classification is appropriated to Capital Reserve Account.

Profit/loss on sale of Investment in AFS/HFT category is recognized in profit and loss account.

### 3.4 Accounting for repo/reverse repo

The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of Market Repo and Reverse Repo transactions [Including the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI vide circular no. RBI/2016-17/FMOD.MAOG. No. /01.01.001/2016-17 Dated September 15, 2016. Repo and Reverse Repo Transactions are treated as Collaterised Borrowing / Lending Operations with an agreement to repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investments and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investments. Costs and Revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

### 3.5 Investment fluctuation reserve

With a view to building up of adequate reserves to protect against increase in yields, RBI through circular number RBI/2017-18/147 DBR.No.BP. BC.102/21.04.048/2017-18 dated April 2, 2018, advised all banks to create an IFR with effect from the FY 2018-19.

Transferred to IFR will be lower of the following (i) net profit on sale of investments during the year or (ii) net profit for the year less mandatory appropriations, until the amount of IFR is at least 2 percent of the HFT and AFS portfolio, on a continuing basis.

### 3.6 Derivatives

The Bank presently deals in interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Exchange traded Rupee Interest Rate Future and Forward Rate Agreements. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency swaps and Exchange traded Currency Future. The Bank undertakes derivative transactions for market making/trading and hedging on-balance sheet assets and liabilities.

### 3.7 Valuation

Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

The hedge/ non-hedge transactions are recorded separately. Derivative contracts designated as hedges

जाती हैं जब तक कि इनका अंतर्निहित बाजार भाव पर दर्शाया गया है. हेज के बाजार भाव के अधीन अंतर्निहित नहीं होने के मामले में हेज लिखत का लेखांकन उपचय आधार पर किया जाएगा. ट्रेडिंग डेरिवेटिव पोजिशन्स को बाजार चिन्हित किया गया है तथा परिणामी हानि, यदि कोई हो, को लाभ-हानि खाते में दर्ज किया गया है. लाभ, यदि कोई हो, को छोड़ दिया गया है. ब्याज दर स्वैप से संबंधित आय तथा व्यय निपटान तारीख को लिया गया है. ट्रेडिंग स्वैप्स की समाप्ति पर हुए लाभ/ हानि को समाप्ति तारीख पर आय/ व्यय के रूप में दर्ज किया गया है.

मूल्यांकन के उद्देश्य से कुल स्वैप के उचित मूल्य की गणना उस राशि के आधार पर की गयी है जो कि तुलनपत्र की तारीख को स्वैप समझौतों से संबंधित लेनदेन की समाप्ति पर प्राप्य या देय होगा. इससे संबंधित हानि, यदि कोई हो, के लिए पूर्ण प्रावधान किए गए हैं जबकि लाभ, यदि कोई हो, की गणना नहीं की गई है.

बैंक फेडाई द्वारा निर्धारित ऑप्शन प्रीमियम लेखांकन सिद्धांतों का अनुपालन करता है. ऑप्शन ट्रांजेक्शनों पर प्रीमियम, ट्रांजेक्शन की अवधि समाप्ति या समयपूर्व समाप्ति पर आय/व्यय के रूप में अंकित किया गया है.

ऑप्शन संविदाओं के निरस्तीकरण पर प्राप्त/ प्रदत्त राशि ऑप्शन पर प्राप्त लाभ/ हानि के रूप में अंकित की गई है. विदेशी विनिमय वायदा संविदाओं के निरस्तीकरण/ समाप्ति पर प्राप्य/ देय प्रभारों और स्वैप को निरस्तीकरण/ समाप्ति की तारीख को आय, व्यय के रूप में अंकित किया गया है.

ब्याज दर फ्यूचर्स (आईआरएफ) का मूल्यांकन एक्सचेंज द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रत्येक संविदा के दैनिक निपटान मूल्य के आधार पर किया गया है.

विदेशी मुद्रा वाले डेरिवेटिव संविदाओं से संबंधित आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र की तारीख को फेडाई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रिपोर्ट किया गया है.

## 4. अग्रिम

4.1 भारत में अग्रिम को मानक, अवमानक, संदिग्ध एवं हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया हैं और पैरा 4.3 में उल्लिखित अनुसार के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार अग्रिमों के लिए प्रावधान किए गए हैं. विदेशी शाखाओं द्वारा किए गए अग्रिम के संबंध में अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के अथवा मेजबान देश के स्थानीय कानूनों, जिसमें अग्रिम दिया गया है, द्वारा निर्धारित किए गए मानदंडों में से जो भी अधिक कठोर हो, के अनुरूप किया गया है.

4.2 अग्रिम विशिष्ट ऋण हानि प्रावधानों, उचन्त ब्याज, वादग्रस्त विविध जमा खातों में प्राप्त एवं रखी गई राशि, प्राप्त दावों के लिए किए गए प्रावधान की निवल राशि है.

4.3 सतत प्रक्रिया के रूप में बैंक ने निम्नलिखित पर अतिरिक्त प्रावधान किया है :

- 15% की विनियामक आवश्यकताओं के सापेक्ष सुरक्षित अवमानक अग्रिम पर @ 20% का प्रावधान.

are not marked to market unless their underlying is marked to market. In cases where the underlying of the hedge is not subject to mark to market, the hedging instrument is to be accounted for on accrual basis. Trading derivative positions are marked to market and the resulting losses, if any, are recognized in the Profit and Loss Account and Profit, if any, is ignored. Income and expenditure relating to interest rate swaps are recognized on the settlement date. Gains/ Losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as immediate income/expenditure.

For the purpose of valuation, the fair value of the total swap is computed on the basis of the amount that would be receivable or payable on termination of the swap agreements as on the Balance sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for, while the profits, if any, are ignored.

The Bank follows the option premium accounting principle prescribed by FEDAI. Premium on option transaction is recognized as income/expense on expiry or early termination of the transaction.

The amounts received/paid on cancellation of option contracts are recognized as realized gains/losses on options. Charges receivable/payable on cancellation/ termination of foreign exchange forward contracts and swaps are recognized as income/expense on the date of cancellation/ termination.

Valuation of Interest Rate Futures (IRF) is carried out on the basis of the daily settlement price of each contract provided by the exchange.

Contingent Liabilities on account of derivative contracts denominated in foreign currencies are reported at closing rates of exchange notified by FEDAI at the Balance Sheet date.

## 4. ADVANCES

4.1 Advances in India are classified as Standard, Sub-standard, Doubtful or Loss assets and provision for advances are made as per the Prudential Norms of the RBI except as stated in para 4.3. In respect of Advances made in overseas branches, Advances are classified in accordance with Prudential Norms prescribed by the RBI or local laws of the host country in which advances are made, whichever is more stringent.

4.2 Advances are net of specific loan loss provisions, interest suspense, amount received and held in suit-filed Sundry Deposits and Claims Received.

4.3 As a constant practice, the Bank has made the additional provision on the following:

- Provision @ 20% on the Secured Sub-standard Advances as against the Regulatory requirement of 15%.

- 50% क्रेडिट संपरिवर्तन घटक (सीसीएफ) लागू कर इसके द्वारा एनपीए उधारकर्ताओं की गैर-निधि आधारित सुविधाओं पर प्रावधान किए गए हैं. यह प्रावधान उधारकर्ता के निधि-आधारित सुविधा के आस्ति वर्ग पर आधारित है.
- 6 माह से पुराने और संपार्श्विक-मुक्त यथा ऑटो ऋण, शिक्षा ऋण, व्यक्तिगत ऋण और मौजूदा एनपीए खातों के संबंध में बैंक ने 100% प्रावधान किया है.
- संपत्तियों के बंधक के सापेक्ष ऋण, जो कि 2 वर्षों से अधिक के लिये एनपीए है एवं सुरक्षित (संपाश्विक) है, के संबंध में बैंक ने 100% प्रावधान किया है.
- बैंक ने 6 माह से पुराने मौजूदा एनपीए खातों यथा ट्रैक्टर/ टिलर/ पॉवर टिलर हेतु ऋण के संबंध में भी 100% प्रावधान किया है.

4.4 पुनर्संरचित खातों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्संरचित अग्रिमों के लिए निवल मौजूदा मूल्य शर्तों पर आकलन करते हुए प्रावधान किया गया है. जहां बैंक को कुल बकाया एक करोड़ रुपये और उससे अधिक है. अन्य खातों के लिए, उचित मूल्य में कमी के प्रावधान की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के कुल विस्तार के 5% पर की जाती है.

4.5 आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी) / प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को बेची गई वित्तीय आस्तियों के मामले में बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है. वर्तमान में बैंक द्वारा अनुसरण किए जा रहे दिशानिर्देश ये हैं कि यदि बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात बही मूल्य घटाकर किया गया प्रावधान) से कम मूल्य पर हुई है तो कमी को उसी वर्ष कीमत लागत अंतर की अवधि में लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाए. यदि बिक्री मूल्य, निवल बही मूल्य की अपेक्षा अधिक है तो जिस वर्ष में अधिक राशि प्राप्त हुई है उस राशि को लाभ एवं हानि खाते में रिवर्स कर दिया जाता है.

बैंकों को बेची गई वित्तीय आस्तियों तथा निवल वही मूल्य (अर्थात बही मूल्य - किए गए प्रावधान) से कम मूल्य पर बिक्री के मामले मे कमी को उसी वर्ष में लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाएगा. यदि बिक्री मूल्य एनबीवी से अधिक है तो अतिरिक्त प्रावधानों को रिवर्स नहीं किया जाएगा, लेकिन अन्य अनर्जक आस्तियों की बिक्री के कारण कमी / हानि को पूरा करने के लिए प्रयोग में लिया जाएगा.

## 5. अस्थायी प्रावधान

अग्रिमों, निवेश एवं सामान्य उद्देश्यों के निर्माण एवं उपयोग के लिए बैंक की पृथक अस्थायी प्रावधान बनाने की नीति है. किए जाने वाले अस्थायी प्रावधान परिमाण का मूल्यांकन प्रति वर्ष किया जाता है. भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से नीतियों में निर्दिष्ट विशिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत आने वाले आकस्मिक व्यय के लिए अस्थायी प्रावधान का उपयोग किया जाता है.

- Provision is made on Non-fund based facilities of NPA Borrowers by applying 50% Credit conversion factor (CCF). The provision is based on the Asset class of fund based facility of the Borrower
- Bank has also made 100% provision in respect of existing NPA accounts which are more than 6 months old and collateral free viz Auto Loan, Education Loan and Personal Loan .
- With respect to Loan against mortgage of properties which are secured (collateral) and are NPA for more than 2 years, Bank has made 100% provision
- Bank has also made 100% provision in respect of existing NPA accounts viz Loan for Tractors/ tiller/ Power tillers which are 6 month old.

4.4 In respect of Restructured accounts, Provision for diminution in fair value of restructured advances is measured in net present value terms as per RBI guidelines for accounts where total dues to bank are Rupees One crore and above. For other accounts, the provision for diminution in fair value is computed notionally at 5% of total exposure to the bank as per RBI Guidelines.

4.5 In case of sale of financial assets to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitization Company (SC), the bank is following the guidelines issued by Reserve Bank of India. At present, the guideline followed by the Bank is that if the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. Book value less provisions held) the shortfall is debited to the profit and loss account in the same year. If the sale value is higher than the NBV, excess provision is reversed to profit & loss account in the year the amounts are received.

In case of sale of financial assets to banks, and the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. Book value less provisions held) the shortfall is debited to the profit and loss account in the same year. If the sale value is higher than the NBV, excess provision shall be not reversed but will be utilised to meet the shortfall / loss on account of sale of other non-performing financial assets.

## 5 FLOATING PROVISIONS

The Bank has a policy for creation and utilisation of floating provisions separately for advances, investments and general purposes. The quantum of floating provisions to be created is assessed every year. The floating provisions are utilised only for contingencies under extraordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India.

## 6. अचल आस्तियां

6.1 परिसरों और अन्य अचल संपत्तियाँ पारंपरिक लागत (या पुनर्मूल्यांकित राशि, जैसा भी मामला हो), कम संचित मूल्यह्रास और ह्रास से नुकसान, यदि कोई हो, को घटाकर पर दर्शाई गई हैं. लागत में खरीद मूल्य और आस्तियों को उनके इच्छित उपयोग के लिए काम करने की स्थिति में तैयार करने संबंधी लागत शामिल है. उपयोग करने के लिए आस्तियों पर बाद में उपगत किए गए व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब यह ऐसी आस्तियों के/ से भविष्य के लाभ/ कार्य क्षमता को बढ़ाता है. अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ बैंक के लाभ और हानि खाते का हिस्सा हैं.

6. 2 अचल आस्तियों का पुनर्गठन

मौजूदा बाजार मूल्यांकन को दर्शाने के लिए अचल संपत्तियों के पोर्टफोलियो को समय-समय पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है. बैंक के स्वामित्व वाली और शाखाओं, प्रशासनिक कार्यालयों, कर्मचारियों के क्वार्टर आदि के रूप में उपयोग की जाने वाली सभी भूमि और भवन बैंक की अचल संपत्तियों की श्रेणी में स्वयं के परिसर के अंतर्गत वर्गीकृत हैं. पुनर्मूल्यांकन पर मूल्यवृद्धि की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, यदि कोई हो, को प्रारक्षित पूंजी के तहत पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में जमा किया जाता है. पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर अतिरिक्त मूल्यह्रास को लाभ और हानि खाते से प्रभारित किया जाता है तथा पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से अन्य राजस्व रिजर्व में विनियोजित किया जाता है.

6.3 'परिसर' में भूमि तथा निर्माणाधीन भवन का समावेश है.

## 7. आरक्षित निधियां एवं अधिशेष

राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियों में सम्बद्ध देशों में प्रचलित स्थानीय कानूनों के अनुसार विदेशी शाखाओं द्वारा निर्मित सांविधिक आरक्षित निधियों को शामिल किया गया है.

## 8. राजस्व का निर्धारण

8.1 आय (पैराग्राफ 8.2 में उल्लिखित मद से भिन्न)/ व्यय का निर्धारण सामान्यतः उपचय आधार पर किया गया है. विदेशी कार्यालयों के मामले में सम्बद्ध देश जहां विदेशी कार्यालय स्थित है, स्थानीय नियमों के तहत आय/व्यय का निर्धारण किया गया है.

8.2 शुल्क के माध्यम से प्राप्त आय, सभी कमीशन (सरकारी कारोबार और अन्य पक्ष उत्पादों की बिक्री से प्राप्त कमीशन को छोड़कर), गारंटी पर कमीशन, साख पत्र, विनिमय, दलाली तथा अग्रिम बिलों पर ब्याज को वास्तविक वसूली आधार पर लेखांकित गया है. अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगी इकाइयों में शेयरों के लाभांश को वसूली आधार पर लेखांकित गया है.

8.3 अनर्जक अस्तियों/ निवेशों के मामलों में आय की वसूली की अनिश्चितता के कारण ऐसी आय भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार केवल वसूल होने पर ही लेखांकित की गयी है.

8.4 ऐसे पट्टे जहां स्वामित्व का जोखिम एवं लाभ पट्टादाता के पास रहता है उसे एएस 19 (पट्टा देना) के अनुसार परिचालन पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. इस तरह के पट्टे के भुगतान का रिकॉर्ड एएस 19 के अनुसार पट्टा मानदंड के ऊपर लाभ-हानि खाते में स्ट्रेट लाइन आधार पर किया जाता है.

## 6 FIXED ASSETS

6.1 Premises and other fixed assets are stated at historical cost (or revalued amounts, as the case may be), less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Cost comprises the purchase price and any attributable cost of bringing the asset to its working condition for its intended use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalised only when it increases the future benefit / functioning capability from / of such assets. Profit on sale of immovable properties are being formed part of profit and loss account of the Bank.

6.2 Revaluation of Fixed Assets

Portfolio of immovable properties is revalued periodically by an independent valuer to reflect current market valuation. All land and building owned by the Bank and used as branches, administrative offices, staff quarters etc. are grouped under Bank's own premises in fixed assets category. Appreciation as per latest valuation report, if any, on revaluation is credited to Revaluation Reserve under Capital Reserves. Additional Depreciation on the revalued asset is charged to the Profit and Loss Account and appropriated from the Revaluation Reserves to Other Revenue Reserve.

6.3 Premises include land and building under construction.

## 7 RESERVES AND SURPLUS

Revenue and other Reserves include Statutory Reserves created by foreign branches/ subsidiaries as per applicable local laws of the respective countries.

## 8 REVENUE RECOGNITION

8.1 Income (other than item referred in Paragraph 8.2)/ expenditure is generally recognised on accrual basis. In case of foreign offices, income/ expenditure is recognised as per the local laws of the country in which the respective foreign office is located.

8.2 Income by way of Fees, all Commissions (other than on Government business and commission from sale of third party products), Commission on Guarantees, Letter of Credits, Exchange and Brokerage and Interest on Advance Bills are accounted for on realisation basis. Dividend on shares in Subsidiaries, joint ventures and associates is accounted on realisation basis.

8.3 In view of uncertainty of collection of income in cases of Non-performing Assets/Investments, such income is accounted for only on realisation in terms of the RBI guidelines.

8.4 Lease where risks & rewards of ownership are retained by lessor are classified as Operating Lease as per AS 19 (Leases). Lease payments on such lease are recognised in Profit & Loss Account on a straight line basis over the lease tern in accordance with AS 19.

8.5 एनपीए खातों में वसूली का विनियोजन:

समय–समय पर खातों में प्रभावी वसूली (जन धन वसूली अधिनियम के तहत वसूली सहित) निम्न तरीके से विनियोजित होनी चाहिये :

- बैंक द्वारा प्रदत्त या वहन किये गये सभी लागत, कमीशन, प्रभार और व्यय के प्रति
- बैंक पर देय ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, अन्य ब्याज, दंडात्मक ब्याज के प्रति
- मूलधन के भुगतान के प्रति

वाद दायर/ डिक्री खातों में वसूली को निम्नानुसार विनियोजित किया जाना चाहिए:

- संबंधित न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार
- न्यायालय से कोई विशेष आदेश प्राप्त नहीं होने के मामले में गैर वाद दायर खातों में लागू अनुसार

समझौता /एनसीएलटी समाधान के माध्यम से वसूल की गई राशि:

एनसीएलटी के माध्यम से समझौता/ निपटान या समझौता स्वीकृत खातों के मामले में वसूली की राशि का विनियोजन समझौता स्वीकृति / समाधान निपटान के अनुसार किया जाएगा.

**मर्चेन्ट बैंकिंग:**

राजस्व को गतिविधि की प्रकृति के आधार पर तब निर्धारित किया जाता है जबकि प्रतिफल की तर्कसंगत रूप से गणना की जा सके और इसकी वसूली के लिए पर्याप्त तथ्य मौजूद हों.

ए. निवेश बैंकिंग से होने वाली आय में संस्था की विभिन्न गतिविधियों से प्राप्त राजस्व और मूल्यांकन सेवाओं, पुनरीक्षण परियोजना मूल्यांकन, डेब्ट एवं इक्विटी निर्गम प्रबंधन, निवेश बैंकिंग सेवाओं, तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन और लीड अरेंजर सर्विसेज, ऋण समूहन, ऋण–पुनर्संरचना तथा संबन्धित क्षेत्रों से प्राप्त राजस्व सम्मिलित हैं.

बी. ऐसे मामलों में राजस्व, कंपनी और ग्राहक के बीच किए गए समझौता ज्ञापन की नियम एवं शर्तों के अनुरूप असाइनमेंट के विभिन्न स्तरों के पूरा होने तथा इसकी वसूली की निश्चितता का आकलन होने पर जब कभी राशि देय होती है तो इसे उपचित आधार पर निर्धारित किया जाता है.

सी. ब्रोकिंग गतिविधियों से होने वाली आय में एक्सचेंजों में निष्पादित ट्रेड पर प्राप्त ब्रोकरेज शामिल हैं. ब्रोकरेज की गणना स्टांप ड्यूटी, एसटीटी शुल्क, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन प्रभार और लागू अप्रत्यक्ष कर (सेवा कर / जीएसटी) को घटाकर केवल यथोचित आधार पर राशि निर्धारित होने के बाद उपचित आधार पर की गई है.

डी. धनसंपदा प्रबंधन में परामर्श एवं रिसर्च शुल्क से प्राप्त आय और म्यूचुअल फंड वितरण से प्राप्त आय शामिल हैं. म्यूचुअल फंड वितरण से होने वाली आय में म्यूचुअल फंड और अन्य निवेश

8.5 Appropriation of recoveries in NPA accounts :

Recoveries effected in the account (including recovery under Public Money Recovery Act) from time to time should be appropriated in the following manner:

- towards all costs, commission, charges and expenses paid or incurred by the Bank
- towards interest, additional interest, further interest, penal interest due to the Bank
- towards payment of the principal money

Recovery in suit filed/ decreed accounts should be appropriated:

- As per the directives of the concerned Court.
- In the absence of specific directives from the Court, as applicable to non-suit filed accounts.

Recovery by settlement through compromise/NCLT Resolution:

In case of Resolution/Settlement through NCLT or compromise sanctioned account, recovery should be appropriated as per the terms of compromise sanction/ resolution settlement.

**Merchant Banking:**

Revenue is recognized based on the nature of activity, when consideration can be reasonably measured and there exists a reasonable certainty of its recovery.

a. Income from Investment Banking comprises of revenue from different activities of the organization and Includes revenue from Valuation Services, Vetting Project Appraisal, Debt and Equity Issue Management, investment Banking Services, Techno-Economic Viability studies, and Lead Arranger Services, debt syndication, debt restructuring and related areas.

b. The revenue in these cases recognized on the basis of accrual as and when the amount becomes due on the completion of various stages of the assignment as per the terms and Conditions of the Memorandum of Understanding entered into between the Company and the Client and assessing the certainty of its recovery.

c. Income from Broking activities comprises brokerage received on trades executed on the exchanges. The brokerage, net of Stamp Duty, STT Charges, Exchanges Transaction Charge and applicable indirect tax (service tax / GST), is recognized on accrual basis but only after the amount becomes determinable on a reasonable basis.

d. Wealth Management comprises income from advisory and research fees and income from mutual fund distribution. Income from mutual fund

उत्पादों के वितरण पर प्राप्त ब्रोकरेज शामिल हैं. ब्रोकरेज राशि में ट्रेल कमीशन और अपफ्रंट कमीशन दोनों शामिल हैं. इसे राशि के केवल यथोचित आधार पर निर्धारण योग्य होने के बाद ही उपचित आधार पर निर्धारित किया जाता है.

ई. मीयादी जमा से होने वाली आय, जो अल्पावधि के लिए अधिशेष निधियों के निवेश के संबंध में बैंक से प्राप्त ब्याज है, को उपचित आधार पर निर्धारित किया जाता है.

एफ़. कर-मुक्त बॉन्ड से होने वाली आय को, जो एक दीर्घावधि के लिए अधिशेष निधि के निवेश के संबंध में ऐसे लिखतों को जारी करने वाली संस्था से प्राप्त ब्याज है, को उपचित आधार पर निर्धारित किया जाता है.

जी. लिक्विड म्युचुअल फंड से होने वाली आय को उस अवधि में निर्धारित किया जाता है जिसमें निवेश का मोचन किया जाता है और उसकी उगाही की जाती है.

**न्यासी परिचालन:**

ए. म्युच्युअल फंड न्यासिता शुल्क संबंधित योजनाओं से साथ सहमत निर्दिष्ट दरों पर निर्धारित की जाती है जो प्रत्येक योजना की औसत दैनिक निवल आस्तियों पर लागू होती है और सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के तहत निर्दिष्ट सीमा के अनुरूप होती है.

बी. राजस्व का निर्धारण तब किया जाता है जब उसकी अंतिम उगाही/ संग्रहण की पूरी निश्चितता हो.

**आस्ति प्रबंधन:**

ए. निवेश प्रबंधन शुल्क:

निवेश प्रबंधन शुल्क को बड़ौदा म्युचुअल फंड की योजनाओं (कंपनी द्वारा योजनाओं में किए गए निवेश को छोड़कर, इंट्रा-योजना निवेश और योजना की कुछ श्रेणियों के लिए सावधि जमा में निवेश की योजनाओं), की औसत दैनिक निवल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में उपचित आधार पर जीएसटी घटाकर इस प्रकार निर्धारित किया जाता है जैसे कि यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 और किसी भी अन्य संशोधन (विनियम) अथवा संबन्धित योजनाओं के ऑफ़र दस्तावेज़ द्वारा निर्धारित व्यय सीमा से अधिक न हो.

बी. निवेश परामर्श एवं रिसर्च शुल्क :

निवेश परामर्श एवं रिसर्च शुल्क को काउंटर पक्षों के साथ करार की संबंधित शर्तों के अनुरुप निर्धारित किया जाता है.

सी. अन्य आय :

ब्याज आय को उपचित आधार पर लेखांकित किया जाता है.

निवेश की खरीद और बिक्री को ट्रेड की तारीख पर रिकॉर्ड किया जाता है. निवेश पर लाभ/हानि को लाभ और हानि विवरणों में ट्रेड की तारीख पर निर्धारित किया जाता है. निवेश

distribution comprises brokerage received on distribution of mutual funds and other investment products. The brokerage amount includes both Trail Commission and Upfront Commission. It is recognized on accrual basis but only after the amount becomes determinable on a reasonable basis.

e. Income from Term Deposits being the interest received from Bank in respect of the Investment of the surplus funds for a short term period is recognized on accrual basis.

f. Income from Tax-free bonds being the interest received from the entity issuing such instruments in respect of the investment of the surplus fund for a long-term period is recognized on accrual basis.

g. Income from Liquid Mutual Fund is recognized in the period in which the investment is redeemed and realized

**Trustee Operations:**

a. Mutual Fund Trusteeship fee is recognised at specific rates agreed with relevant schemes, applied on the average daily Net Assets of each scheme, and are in conformity with the limits specified under SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.

b. Revenue is recognized when there is reasonable certainity of its ultimate realization /collection.

**Asset Management:**

a. Investment Management fee:

Investment management fee are recognised net of GST on an accrual basis as a percentage of the average daily net assets of schemes of Baroda Mutual Fund(excluding on investments made by the company in the schemes, intra – scheme investments and schemes investment in fixed deposit for certain category of schemes ),such that it does not exceed the expense limit prescribed by the Securities and Exchange Board of India( SEBI) (Mutual Funds) Regulations, 1996 and any further amendments ( the Regulations) or offer document of the respective schemes.

b. Investment Advisory & Research fees:

Investment advisory & research fee are recognised in accordance with the respective terms of contract with counter parties.

c. Other income:

Interest income is accounted on accrual basis.

Purchase and sale of investments is recorded on the trade date. The profit/Loss on sale of

की बिक्री पर लाभ या हानि का निर्धारण सामान्य औसत लागत प्रणाली से किया जाता है.

**क्रेडिट कार्ड परिचालन :**

ए. सेवाओं से प्राप्त राजस्व को उपचित आधार पर निर्धारित किया जाता है, अन्यथा कि अन्य रूप से उल्लिखित हो.

बी. शुल्क आय को तब लेखांकित किया जाता है जब इसे ग्राहक को प्रभारित (बिल) किया जाता है.

सी. अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के मामले में आय की उगाही की अनिश्चितता को देखते हुए ऐसी आय का लेखांकन केवल इनके प्राप्त होने के आधार पर किया जाता है.

डी. बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों से वसूली को ग्राहक से वास्तविक उगाही के आधार पर आय के रूप में निर्धारित किया जाता है.

इ. निधियों के नियोजन पर आय को उपचित आधार पर निर्धारित किया जाता है.

एफ. ऐसे उपचित आय जिन्हें वर्ष के अंत तक बिल नहीं किया गया है, उन्हें जीएसटी जैसे लागू अप्रत्यक्ष करों पर विचार किए बिना अनुमानित आधार पर लेखांकित किया जाता है. ऐसी आय पर लागू अप्रत्यक्ष करों को वास्तविक बिलिंग के वर्ष में लेखांकित किया जाता है.

**जीवन बीमा:**

ए. गैर-लिंक पॉलिसियों के लिए प्रीमियम को पॉलिसीधारकों से देय होने पर आय के रूप में निर्धारित किया जाता है. यूनिट लिंक व्यवसाय के लिए प्रीमियम आय को तब निर्धारित किया जाता है जब संबद्ध यूनिट सृजित हो जाते हैं.

बी. गैर-लिंक परिवर्तनीय बीमा व्यवसाय के लिए, प्रीमियम को प्राप्ति की तारीख पर आय के रूप में निर्धारित किया जाता है.

सी. व्यपगत पॉलिसियों पर प्रीमियम को आय के रूप में निर्धारित किया जाता है जब ऐसी पॉलिसियों को पुनः शुरू किया जाए.

डी. प्रीमियम में शुल्क पर लागू वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) शामिल हैं.

ई. यूनिट लिंक व्यवसाय के मामले में, पॉलिसीधारकों द्वारा भुगतान किए गए टॉप-अप प्रीमियम को एकल प्रीमियम माना जाता है और संबद्ध यूनिट के सृजन पर इसे आय के रूप में निर्धारित किया जाता है.

एफ. यूनिट लिंक पॉलिसियों से आय, जिसमें आस्ति प्रबंधन शुल्क और अन्य प्रभार शामिल हैं, यदि कोई हो, तो इसे यूनिट लिंक फंड से पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार वसूल किया जाता है और देय होने पर निर्धारित किया जाता है.

जी. सत्तांतरित पुनर्बीमा प्रीमियम को पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ संबंधित करार के नियमों और शर्तों के अनुसार प्रीमियम आय के निर्धारण के समय लेखांकित किया जाता है. प्रीमियम में बाद के संशोधनों या निरस्त करने के कारण प्रभाव को उस वर्ष में निर्धारित किया जाता है, जिस वर्ष में वे होते हैं.

investments is recognized in the Statement of profit and loss on the trade date. Profit or loss on sale of investments is determined using simple average cost method.

**Credit Card Operations:**

a. Revenue from services is recognized on accrual basis, unless otherwise stated.

b. Fees income is accounted as and when billed to customer.

c. In view of uncertainty of realization of income in case of Non-Performing Assets (NPA) such income is accounted for only on receipt basis.

d. Recovery from bad debts written off is recognized as income on the basis of actual realization from customer.

e. Income on deployment of funds is recognized on accrual basis.

f. The income accrued but not billed till the year end, are accounted for on estimated basis without considering the applicable indirect taxes like GST. The applicable indirect taxes, on such income are accounted for in the year of actual billing.

**Life Insurance:**

a. Premium for non-linked policies is recognized as income when due from policyholders. For unit linked business, premium income is recognized when the associated units are created.

b. For non-linked variable insurance business, premium is recognized as income on the date of receipt.

c. Premium on lapsed policies is recognized as income when such policies are reinstated.

d. Premium is inclusive of Good and Service Tax (GST)applicable on charges.

e. In case of unit linked business, Top up premiums paid by policyholders are considered as single premium and recognized as income when the associated units are created.

f. Income from unit linked policies, which include asset management fees and other charges, if any, are recovered from the unit linked funds in accordance with terms and conditions of policies and recognized when due.

g. Reinsurance premium ceded is accounted for at the time of recognition of the premium income in accordance with the terms and conditions of the relevant treaties with the reinsurers. Impact on account of subsequent revisions to or cancellations of premium are recognized in the year in which they occur.

एच. निवेश से होने वाली आय को उपचित आधार पर निर्धारित किया जाता है. निवेश पर ब्याज आय को उपचित आधार पर निर्धारित किया जाता है.

आई. ऋण प्रतिभूतियों से संबंधित प्रीमियम में छूट और परिशोधन में वृद्धि को होल्डिंग/परिपक्वता अवधि पर स्ट्रेट-लाइन आधार पर निर्धारित किया जाता है.

जे. लिंक व्यवसाय के अलावा अन्य के संबंध में लाभांश आय को तब निर्धारित किया जाता है जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है. लिंक व्यवसाय के संबंध में लाभांश आय को 'पूर्व-लाभांश तारीख' पर निर्धारित किया जाता है.

के. लिंक व्यवसाय के अलावा अन्य ऋण प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ / हानि, बिक्री की तारीख को व्यय को घटाकर बिक्री प्रतिफल और भारित औसत परिशोधन लागत के बीच का अंतर है. लिंक व्यवसाय के लिए ऋण प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ / हानि बिक्री की तारीख को व्यय को घटाकर बिक्री प्रतिफल और भारित औसत बही लागत के बीच का अंतर है.

एल. इक्विटी शेयरों/म्युचुअल फंड यूनिटों की बिक्री पर लाभ या हानि, व्यय को घटाकर बिक्री प्रतिफल और भारित औसत बही लागत के बीच का अंतर है. यूनिट लिंक व्यवसाय के अलावा लाभ या हानि में "राजस्व और अन्य आरक्षित पूंजी (अनुसूची 2)" और "बीमा व्यवसाय में पॉलिसीधारकों से संबंधित देयताओं (अनुसूची 5)'' के रूप में तुलन पत्र में पूर्व में शामिल उचित मूल्य के संचयी प्रभार शामिल है.

एम. मृत्यु और राइडर के दावों को सूचना मिलने पर लेखांकित किया जाता है. भुगतान किए गए लाभों में पॉलिसी लाभ राशि और दावा निपटान लागत, जहां लागू हो, शामिल हैं.

एन. गैर-लिंक व्यवसाय के लिए वार्षिकी लाभ, मनी बैक पेमेंट्स, सर्वाइवल बेनिफिट और परिपक्वता दावा को देय होने पर लेखांकित किया जाता है. सरेंडर और आहरण का लेखांकन अनुरोध प्राप्त होने पर किया जाता है.

ओ. लिंक किए गए व्यवसाय के लिए, संबंधित यूनिटों को रद्द किए जाने पर परिपक्वता दावों को नियत आधार पर लेखांकित किया जाता है. सरेंडर और निकासी का लेखांकन तब किया जाता है जब संबंधित यूनिटों को रद्द कर दिया जाता है.

पी. उस पर वसूली योग्य पुनर्बीमा को संबंधित दावे की समान अवधि के लिए लेखांकित किया जाता है. न्यायिक प्राधिकारियों के समक्ष विवादित अस्वीकृत दावों को ऐसे दावों के संबंध में उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करते हुए प्रबंधन के विवेक के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है.

क्यू. अधिग्रहण लागत उसके क्रियान्वित होने की अवधि में व्यय हुई लागत है. अधिग्रहण लागत में मुख्य रूप से बीमा मध्यस्थों को कमीशन, चिकित्सा लागत, पॉलिसी की छपाई का खर्च,

h. Income from Investments are recognised on an accrual basis. Interest income on investments is recognised on accrual basis.

i. Accretion of discount and amortisation of premium relating to debt securities is recognised over the holding / maturity period on a straight-line basis.

j. Dividend income, in respect of other than linked business, is recognised when the right to receive dividend is established. Dividend income, in respect of linked business, is recognised on the `ex-dividend date'.

k. Realised gain / loss on debt securities for other than linked business is the difference between the sale consideration net of expenses and the weighted average amortised cost as on the date of sale. Realised gain / loss on debt securities for linked business is the difference between the sale consideration net of expenses and the weighted average book cost as on the date of sale.

l. Profit or loss on sale of equity shares / mutual fund units is the difference between the sale consideration net of expenses and the weighted average book cost.In respect of other than unit linked business, the profit or loss includes the accumulated changes in the fair value previously recognised in Balance Sheet as "Revenue & Other Reserves (Schedule 2)" and "Liabilities relating to Policyholders in Insurance Business (Schedule 5)" respectively, in the Balance Sheet

m. Deaths and rider claims are accounted for on receipt of intimation. Benefits paid consist of policy benefit amounts and claim settlement costs, where applicable.

n. For non linked business, Annuity benefits, money back payments, survival benefit and maturity claims are accounted for when due. Surrender and withdrawals are accounted on the receipt of request.

o. For linked business, Maturity claims are accounted for ondue basis when the associated units are cancelled. Surrenders and withdrawals are accounted for on receipt of intimation when associated units are cancelled.

p. Reinsurance recoverable thereon is accounted for in the same period as the related claim. Repudiated claims disputed before judicial authorities are provided for based on management prudence considering the facts and evidences available in respect of such claims.

q. Acquisition cost is expensed in the period in which they are incurred. Acquisition costs mainly consist

स्टांप शुल्क और पॉलिसी को सोर्स करने और जारी करने में हुए अन्य संबंधित खर्च शामिल हैं. भविष्य में पहले वर्ष के कमीशन के भुगतान पर कर सहित वसूली, यदि कोई हो, तो उसे वसूली के समय लेखांकित किया जाता है.

## 9. कर्मचारियों को लाभ

9.1 भविष्य निधि

बैंक ऑफ़ बड़ौदा पीएफ नियमों के अनुसार भविष्य निधि एक सांविधिक दायित्व है क्योंकि बैंक पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है. बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है. अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है. निधियों का प्रबंधन बैंक ऑफ़ बड़ौदा भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है.

9.2 ग्रेच्यूटी

बैंक ऑफ़ बड़ौदा ग्रेच्यूटी निधि नियमों एवं विनिमयों तथा ग्रेच्यूटी भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार ग्रेच्यूटी देयता एक सांविधिक दायित्व है जो कि ग्रेच्यूटी भुगतान से अधिक है. इसके संबंध में वित्तीय वर्ष की समाप्ति में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किये जाते है. बैंक द्वारा ग्रेच्यूटी के लिए निधि उपलब्ध करायी जाती है एवं इसका प्रबंधन बैंक ऑफ़ बड़ौदा ग्रेच्यूटी निधि ट्रस्ट द्वारा किया जाता है.

9.3 पेंशन

बैंक ऑफ़ बड़ौदा कर्मचारी पेंशन विनियम 1995 के अंतर्गत पेंशन देयता एक निश्चित हितबाध्यता है और इसके संबंध वित्तीय वर्ष की समाप्ति में संचित मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किये जाते हैं. यह उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने 31.03.2010 तक बैंक सेवा ग्रहण की और पेंशन का विकल्प लिया. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन निधि न्यास द्वारा पेंशन देयता का निधियन किया जाता है.

नई पेंशन योजना, जो कि बैंक में 01.04.2010 को अथवा इसके पश्चात सेवा में आने वाले कर्मचारियों पर लागू होती है, एक परिभाषित अंशदायी योजना है. बैंक पूर्व निर्धारित दर पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है और बैंक का दायित्व केवल निर्धारित अंशदान तक ही सीमित है. अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.

9.4 क्षतिपूरित अनुपस्थिति

संचित क्षतिपूरित अनुपस्थिति जैसे कि अर्जित अवकाश (पीएल) तथा अप्रयुक्त चिकित्सा अवकाश का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है.

9.5 अन्य कर्मचारी लाभ

अन्य कर्मचारी लाभ जैसे कि छुट्टी नकदीकरण, छुट्टी रियायत किराया (एलएफसी) और सेवानिवृति पर अतिरिक्त सेवानिवृति लाभ इत्यादि को बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाता है.

विदेशी शाखाओं एवं कार्यालयों के संबंध में कर्मचारियों से संबंधित लाभों को, प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारियों को छोड़कर, संबद्ध देश में लागू कानून के आधार पर मूल्यांकित तथा लेखाकृत किया जाता है.

of commission to insurance intermediaries, medical costs, policy printing expenses, stamp duty and other related expenses to source and issue the policy. Clawback of the first year commission paid, if any, in future are accounted at the time of recovery.

## 9 EMPLOYEE BENEFITS

9.1 PROVIDENT FUND

Provident fund is a statutory obligation as per Bank of Baroda PF Rules as the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates.The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Bank of Baroda Provident Fund Trust.

9.2 GRATUITY

Gratuity liability is a statutory obligation being higher of gratuity payment as per Bank of Baroda Gratuity Fund Rules and Regulations and Payment of Gratuity Act 1972. This is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The gratuity liability is funded by the bank and is managed by Bank of Baroda Gratuity Fund Trust.

9.3 PENSION

Pension liability is a defined benefit obligation under Bank of Baroda Employees Pension Regulations 1995 and is provided for on the basis of actuarial valuation made at the end of the financial year, for the employees who have joined Bank up to March 31, 2010 and opted for pension. The pension liability is funded by Bank of Baroda (Employees) Pension Fund Trust.

New Pension Scheme which is applicable to employees who joined bank on or after April 1, 2010 is a defined contribution scheme, Bank pays fixed contribution at pre determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

9.4 COMPENSATED ABSENCES

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave and unavailed sick leave are provided for based on actuarial valuation.

9.5 OTHER EMPLOYEE BENEFITS

Other Employee benefits such as Leave Encashment, Leave Fare Concession and Additional Retirement Benefit on Retirement are provided for based on actuarial valuation.

In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

## 10 मूल्यह्रास:

10.1 भारत में अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास (निम्न में वर्जित अनुच्छेद 10.3 और 10.4 में जिनका उल्लेख किया गया है, के अलावा) निम्नलिखित टेबल के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार किया जाता है. सिवाय उन पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के, जिनके लिए अनुमानित उपयोग अवधि के आधार पर मूल्यह्रास किया जाता है.

## 10 DEPRECIATION

10.1 Depreciation on Fixed Assets in India [other than those referred in Paragraph 10.3 and 10.4] is provided in accordance with Schedule II to the Companies Act, 2013, as per following table, except in case of revalued assets, in respect of which depreciation is provided on the basis of estimated useful life of these revalued assets

| क्रम सं. Sr. No. | श्रेणी Category | मूल्यह्रास के प्रभावी दर Effective Rate of Depreciation | मूल्यह्रास प्रक्रिया Depreciation Method |
|---|---|---|---|
| 1. | **फर्नीचर एवं फिटिंग्स FURNITURE & FITTINGS** | | |
| | a. फर्नीचर एवं फिटिंग्स Furniture & Fittings | 25.89% | अवलिखित मूल्य Written Down Value |
| | b. वातानुकूलक प्लांट, अन्य प्लांट आदि Air-conditioning Plants, Other Plant etc. | 18.1% | अवलिखित मूल्य Written Down Value |
| | c. सुरक्षित जमा वॉल्ट उपकरण Safe Deposit Vault Equipments | 18.1% | अवलिखित मूल्य Written Down Value |
| | d. कैश वैन, जीप स्कूटर एवं अन्य वाहन Cash Vans, Jeeps, Scooters & Other Vehicles | | अवलिखित मूल्य Written Down Value |
| | - दो पहिया वाहन - Two wheelers | 25.89% | अवलिखित मूल्य Written Down Value |
| | - चार पहिया वाहन - Four Wheelers | 31.23% | अवलिखित मूल्य Written Down Value |
| | e. कार्यालय के उपकरण Office Equipment | 45.07% | अवलिखित मूल्य Written Down Value |
| 2. | बैंक का अपना परिसर BANK'S OWN PREMISES | | अवलिखित मूल्य Written Down Value |
| | - आरसीसी फ्रेम संरचना - RCC Frame Structure | 4.87% | अवलिखित मूल्य Written Down Value |
| | - आरसीसी फ्रेम संरचना के बिना - Without RCC Frame Structure | 9.50% | अवलिखित मूल्य Written Down Value |

10.2 भारत से बाहर अचल आस्तियों पर, (नीचे अनुच्छेद 10.3 में वर्णित को छोड़कर) मूल्यह्रास स्थानीय कानूनों या संबंधित देश में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है.

10.3 भारत और भारत के बाहर कंप्यूटरों व सॉफ्टवेयरों जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर के अभिन्न अंग है, पर मूल्यह्रास भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्ट्रेट लाइन विधि से 33.33% प्रतिवर्ष की दर से प्रदान किया गया है. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो कि हार्डवेयर का अनिवार्य अंग नहीं है, को सीधे ही लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.

10.4 एटीएम पर मूल्यह्रास का प्रावधान स्ट्रेट लाइन पद्धति से 20% प्रतिवर्ष की दर से किया जाता है.

10.5 परिवर्द्धनों पर मूल्यह्रास खरीद / उपयोग की तारीख से अनुपातिक आधार पर उपलब्ध कराया जाता है.

10.6 पट्टे पर धारित जमीन और पट्टे पर धारित जमीन पर किए गए विकास की लागत पट्टा अवधि में चुकता (एमोर्टाईज) की जाती है.

10.2 Depreciation on Fixed Assets outside India [other than those referred to in Para 10.3 below] is provided as per local laws or prevailing practices of the respective territories.

10.3 Depreciation on Computers and Software forming an integral part of Computer Hardware, in and outside India is provided on Straight Line Method at the rate of 33.33% p.a., as per the guidelines of RBI. Computer software not forming part of an integral part of hardware is charged directly to Profit and Loss Account.

10.4 Depreciation on ATMs is provided on Straight Line Method at the rate of 20% p.a.

10.5 Depreciation on additions is provided proportionately from the date of purchase/put to use..

10.6 Cost of leasehold land and leasehold improvements are amortised over the period of lease

10.7 नवीनतम उपलब्ध पुनर्मूल्यांकन के कारण आस्ति के शुद्ध बही मूल्य में वृद्धि को लाभ और हानि खाते के माध्यम से रूट किए बिना पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व खाते में जमा किया जाता है. पुनर्मूल्यांकन अस्ति पर अतिरिक्त मूल्यह्रास, लाभ और हानि खाते में लगाया जाता है और इसे पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व से अन्य राजस्व रिज़र्व में विनियोजित किया जाता है.

10.8 पुनर्मूल्यांकन के समय मूल्यांकन के अनुसार पुनर्मूल्यांकन की गई आस्ति का मूल्यह्रास आस्ति की शेष उपयोगी अवधि पर किया जाता है.

## 11. आस्तियों का मूल्यह्रास

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) पर मूल्यह्रास हानियों (यदि कोई हो) को, आस्तियों के मूल्यह्रास के संबंध में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक 28 ('आस्तियों का मूल्यह्रास') के अनुसार किया जाता है तथा इसे लाभ एवं हानि खाते से प्रभारित किया जाता है.

यदि आंतरिक /बाहरी कारकों के आधार पर मूल्यह्रास का कोई लक्षण दिखाई देता है तो आस्तियों की रखाव लागत राशि की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है. मूल्यह्रास हानि की पहचान वहां की जाती है जहां आस्तियों की रखाव लागत राशि वसूली की राशि से अधिक हो जाती है. वसूली योग्य राशि आस्तियों की निवल बिक्री राशि और उपयोग में लायी जा रही आस्ति के मूल्य से अधिक होती है. उपयोग में लायी जा रही आस्ति के मूल्य का निर्धारण करते समय अनुमानित नकदी प्रवाह को उनके वर्तमान मूल्य में से बट्टा काट कर किया जाता है. इसके लिए पूर्व-कर बट्टा दर का उपयोग किया जाता है जो राशि के समय आधारित मूल्य और आस्ति से संबंधित विशेष जोखिम के वर्तमान बाज़ार मूल्यांकन को प्रदर्शित करता है. मूल्यह्रास के बाद आस्तियों के शेष बची हुई उपयोग अवधि के ऊपर अवमूल्यन उपलब्ध कराया जाता है.

## 12. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

12.1 विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित संव्यवहारों का लेखांकन ''विदेशी मुद्रा विनिमय दरों के परिवर्तन का प्रभाव'', संबंधित भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखामानक (एएस) 11 के अनुरुप किया गया है.

12.2 एएस-11 के अनुसार बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों को ए) एकीकृत परिचालनों एवं बी) पृथक परिचालनों के रुप में वर्गीकृत किया गया है. सभी विदेशी शाखाओं, ऑफ़शोर बैंकिंग इकाइयों, विदेशी अनुषंगियों को पृथक परिचालन एवं विदेशी मुद्रा में घरेलू परिचालनों एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन के रुप में माना जाता है.

12.3 एकीकृत परिचालनों के संबंध में अंतरण:

ए) संव्यवहारों को प्राथमिक तौर पर फेडाई द्वारा सूचित की गयी साप्ताहिक औसत दरों पर रिकार्ड किया जाता है.

बी) विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गयी क्लोजिंग स्पॉट दरों पर अंतरित किया जाता है.

सी) परिणामी विनिमय अंतरों की गणना आय अथवा व्यय के रुप में की गयी है तथा इन्हें तदनुसार लाभ हानि खाते में लेखांकित किया गया है. विदेशी मुद्रा आस्ति देयताओं संबंधी किसी भी भुगतान अथवा रिवर्सल को पिछले सप्ताह की औसत क्लोजिंग

10.7 The increase in Net Book Value of the asset due to latest available revaluation is credited to the Revaluation Reserve Account without routing through the Profit and Loss Account. Additional Depreciation on the revalued asset is charged to the Profit and Loss Account and appropriated from the Revaluation Reserves to Other Revenue Reserve.

10.8 The Revalued Asset is depreciated over the balance useful life of the asset as assessed at the time of revaluation.

## 11 IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment losses (if any) on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised in accordance with AS 28 (Impairment of Assets) issued by the ICAI and charged off to Profit and Loss Account.

The carrying amount of assets is reviewed at each Balance Sheet date if there is any indication of impairment based on internal/external factors. An impairment loss is recognised wherever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risks specific to the asset. After impairment, depreciation is provided on the revised carrying amount of the asset over remaining useful life.

## 12 FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS:

12.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with Accounting Standard (AS) 11, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

12.2 As stipulated in AS-11, the foreign currency operations of the Bank are classified as a) Integral Operations and b) Non Integral Operations. All Overseas Branches, Offshore Banking Units, Overseas Subsidiaries are treated as Non Integral Operations and domestic operations in foreign exchange and Representative Offices are treated as Integral Operations.

12.3 Translation in respect of Integral Operations:

a) The transactions are initially recorded on weekly average rate as advised by FEDAI.

b) Foreign Currency Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

c) The resulting exchange differences are recognized as income or expenses and are accounted through Profit & Loss Account. Any

दरों के आधार पर किया गया है तथा बकाया राशि एवं उस राशि, जिसके लिए भुगतान किया गया है/ रिवर्सल किया गया है, के बीच के अंतर को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया गया है.

डी) व्यापार हेतु धारित बकाया विदेशी मुद्रा हाजिर एवं वायदा संविदाओं के तुलन पत्र की तिथि को 'फेडाई' द्वारा क्रमश: अनुसूचित बंद हाजिर एवं वायदा बाजार संविदा दरों एवं अन्तरिम परिपक्वता संविदाओं को 'इन्टरपॉलेटेड' दरों पर बाजार को चिन्हित किया जाता है. इस प्रकार प्राप्त किए गए एमटीएम मूल्य को, एमटीएम के मौजूदा मूल्य पर भुनाया जाना है. इस एमटीएम का पीवी आधार पर हाजिर एवं वायदा संव्यवहारों के पुर्नमूल्यांकन हेतु उपयोग किया जाता है. इसके फलस्वरूप वायदा मूल्यांकन लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में शामिल किया जाता है.

## 13. आय पर कर

इसमें भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के लेखांकन मानदंड 22 (आय पर करों का लेखांकन) के अनुसार निर्धारित (सम्बद्ध अवधि के लिए लेखा आय तथा कर योग्य आय के बीच भिन्नता से करों के प्रभाव को दर्शाते हुए) आयकर के लिए प्रावधान, आस्थगित कर अथवा क्रेडिट शामिल हैं. आस्थगित कर का आकलन आमदनी एवं खर्च की उन मदों के संबंध में, जो किसी एक अवधि में निर्धारित होती है और जो एक अथवा अधिक परवर्ती अवधियों में प्रत्यावर्तन योग्य हैं, को ध्यान में रखकर किया जाता है. आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं पर कर की गणना अधिनियमित कर दरों पर उन वर्षों की अपेक्षित दरों पर की जाती है जिन वर्षों में इनकी प्राप्ति, रिवर्सल अथवा निस्तारण की संभावना होती है. आस्थगित कर देयताओं एवं आस्तियों पर कर की दरों में परिवर्तन के प्रभाव को उस अवधि की आय विवरणी, जिसमें ऐसे परिवर्तन को अधिनियमित किया गया हो, में हिसाब में लिया जाता है.

## 14. प्रति शेयर अर्जन

बैंक, आधारभूत एवं डाइल्यूटेड प्रति इक्विटी शेयर अर्जन को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक एएस 20 (प्रति शेयर आय) के अनुसार रिपोर्ट करता है. आधारभूत प्रति शेयर अर्जन की गणना, निवल आय की उस अवधि के लिए बकाया भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित कर की गयी है. डाइल्यूटेड प्रति शेयर अर्जन की गणना निवल आय को उस अवधि के लिए बकाया भारित औसत इक्विटी शेयरों एवं उस अवधि के दौरान डाइल्यूटिव सम्भाव्य इक्विटी शेयरों की संख्या के आधार पर की गयी है.

## 15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक 29 (आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान) के अनुसार बैंक द्वारा आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान केवल विगत में हुई किसी घटना के लिए उत्पन्न हुए वर्तमान दायित्व के लिए किया जाता है. यह संभव है कि इस दायित्व के निस्तारण के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता

reversal / payment of foreign currency assets & liabilities is done at the weekly average closing rate of the preceding week and the difference between the outstanding figure and the amount for which reversal / payment is made, is reflected in profit and loss account.

d) Foreign exchange spot and forward contracts outstanding as at the balance sheet date and held for trading, are marked to market at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities. The MTM values thus obtained are discounted to arrive at present value of MTM. This MTM is used to revalue the spot and forward transactions on PV basis. The resulting Forward Valuation profit or loss is included in the Profit & Loss Account.

## 13 TAXES ON INCOME

This comprise of provision for Income tax and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period) as determined in accordance with AS 22 (Accounting for taxes on Income) issued by ICAI. Deferred tax is recognised subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets and liabilities are measured using enacted tax rates expected to apply to taxable income in the years in which the timing differences are expected to be reversed. The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in tax rates is recognised in the income statement in the period of enactment of the change.

## 14 EARNINGS PER SHARE

The bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the AS 20 (Earnings Per Share) issued by the ICAI. Basic earnings per equity share has been computed by dividing net income by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per equity share has been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

## 15 PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

As per AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) issued by the ICAI, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a

हो और तब दायित्व निर्वहन हेतु ऐसी राशि का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है.

आर्थिक हित युक्त संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना के लगभग न होने की स्थिति तक आकस्मिक देयताओं को प्रकट किया जाता है.

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणियों में प्रभारित नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका परिणाम ऐसी आय के निर्धारण के रुप में निकल सकता है जिसकी कभी वसूली संभव न हो.

## 16. सेगमेंट रिपोर्टिंग

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुपालन में बैंक व्यवसाय सेगमेंट को प्राथमिक रिपोर्टिंग सेगमेंट के रुप में और भौगोलिक सेगमेंट को द्वितीयक रिपोर्टिंग सेगमेंट के रुप में मान्यता देता है.

## 17. नकद एवं नकद के समतुल्य

नकद एवं नकद के समतुल्य उपलब्ध नकदी और एटीएम में नकदी, भारतीय रिजर्व बैंक के पास अधिशेष राशि, अन्य बैंकों के पास अधिशेष राशि और मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि (विदेशी मुद्रा में नकद एवं नकद के समतुल्य में प्रभावी विनिमय दरों में परिवर्तन को शामिल करते हुए) शामिल है.

## 18. जीवन बीमा व्यवसाय – अन्य पॉलिसियां

ए . ऋणों का मूल्यांकन कुल बही मूल्य (चुकौतियों को घटाकर) और पूंजीकृत ब्याज के आधार पर किया जाता है, जो क्षति के प्रावधान, यदि कोई हो, के अधीन है. यदि परिपक्वता अवधि 12 महीने से कम है तो ऋण को अल्पावधि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. अल्पावधि के अलावा अन्य ऋणों को दीर्घावधि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

बी. भावी विनियोजन की निधियों को ऐसे अधिशेष को दर्शाने वाली सहभागी निधि में अलग से रखा गया है जिसे शेयरधारक या पॉलिसीधारकों को तुलन पत्र तारीख पर आबंटित नहीं किया गया है. निधि में/से अंतरण, व्यय से अधिक आय की अधिकता या कमी तथा अन्य मदों (मृत्यु, अनियमिता आदि से संबंधित) के कारण अधिशेष/ घाटे के परिणामस्वरूप होगा. भावी विनियोजन के लिए निधि, जब पॉलिसीधारकों को भविष्य में आबंटित की जानी है, तो विनियमन द्वारा निर्धारित अनुपात में शेयरधारक के लाभ और हानि खाते में परिणामस्वरूप अंतरण होगा. लैप्स यूनिट लिंक पॉलिसियों के संबंध में भावी विनियोजन के लिए निधि (एफएफए) के रूप में नियुक्त बीमांकक द्वारा अनुमानित राशि को तुलन पत्र में अलग से रखा जाता है और यह रिवाइवल अवधि की समाप्ति तक शेयरधारकों को वितरण के लिए उपलब्ध नहीं होती है.

सी. कंपनी की बीमांकिक देनदारियों की गणना, बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं की आस्ति, देयताएं और सॉल्वेंसी मार्जिन) विनियम, 2016, इंस्टीट्यूट ऑफ़ एक्चुअरीज ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी गाइडेंस नोट्स तथा सामान्यतः स्थापित बीमांकिक प्रक्रियाओं की आवश्यकताओं के अनुसार की गई है.

reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent Assets are not recognised in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.

## 16 SEGMENT REPORTING

The Bank recognizes the Business Segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

## 17. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents include cash in hand and ATMs, balances with the Reserve Bank of India, balances with other banks and money at call and short notice (including effect of changes in exchange rates on cash and cash equivalents in foreign currency).

## 18. LIFE INSURANCE BUSINESS - OTHER POLICIES

a. Loans are valued at the aggregate of book values (net of repayments) plus capitalised interest subject to provision for impairment, if any. Loan are classified as short term in case the maturity is less than 12 months. Loans other than short term are classified as long term.

b. The funds for future appropriation set aside in the participating fund represent the surplus which is not allocated to the shareholder or policyholders at the balance sheet date. Transfers to and from the fund would arise as a result of excess or deficit of income over expenses and surplus/deficit due to other items of experience (mortality, lapses etc). The funds for future appropriation when allocated in the future to policyholders would give rise to a transfer to the shareholder's profit and loss account in the proportion stipulated by regulation. Amounts estimated by the Appointed Actuary as Funds for Future Appropriation (FFA) in respect of lapsed Unit Linked Policies are set-aside in the balance sheet and are not available for distribution to shareholders until expiry of the revival period.

c. The actuarial liabilities of the company have been calculated in accordance with the requirements of Insurance Act, 1938, Insurance Regulatory and Development Authority (Assets, Liabilities, and Solvency Margin of Insurers) Regulations, 2016, Guidance Notes issued by Institute of Actuaries of India and generally established actuarial practices.

यूनिट लिंक जीवन बीमा संविदाओं के तहत, यूनिट रिज़र्व की गणना मूल्यांकन तारीख पर यूनिट मूल्य का उपयोग करके मूल्यांकन तारीख पर लागू पॉलिसियों को आबंटित यूनिटों के संबंध में की जाती है. मृत्यु और व्यय के लिए गैर–यूनिट देनदारियां एक संभावित सकल प्रीमियम पद्धति का उपयोग करके निर्धारित की जाती हैं, जिसके तहत भावी शुद्ध नकदी प्रवाह को पॉलिसी–दर–पॉलिसी आधार पर मूल्यांकन की तारीख तक डिस्काउंट बैक कर दिया जाता है और यह मूल्यांकन के आधार पर सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है कि कोई भावी नकारात्मक नकदी प्रवाह जो अन्यथा उत्पन्न हों, को समाप्त कर दिया गया है. भावी नकदी प्रवाह को व्यक्त करने में, भावी मृत्यु, भावी चूक, खर्च और यूनिट निधि के लिए निवेश वृद्धि दर और ब्याज दर के संबंध में अनुमान लगाए गए हैं. ये धारणाएं अपेक्षित भावी अनुभव पर आधारित हैं. इन अनुमानों में प्रतिकूल विचलन के लिए उपयुक्त मार्जिन रखा गया है.

निम्नलिखित के संबंध में अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं–

(i) अनर्जित मृत्यु प्रभार

(ii) अनर्जित रुग्णता प्रभार

(iii) व्यय किए गए परंतु रिपोर्ट नहीं किए गए दावे (आईबीएनआर)

(iv) बहाली की अवधि के भीतर लैप्स पॉलिसियां

(v) उन पॉलिसियों के लिए रिज़र्व रखे जाते हैं जिन्हें मूल्यांकन की तारीख के बाद फ्री लुक किया जा सकता है. पॉलिसीधारकों को दिए गए फ्री लुक विकल्प के लिए रिज़र्व की गणना फ्री लुक रद्दीकरण दर का उपयोग कर की जाती है जो बिजनेस सेगमेंट के आधार पर भिन्न होती है.

(vi) आकस्मिकता

(vii) रखरखाव व्यय में अत्यंत वृद्धि

Under unit linked life insurance contracts, unit reserves are calculated in respect of the units allocated to the policies in force at the valuation date using unit values at the valuation date. The non-unit liabilities for mortality and expenses are determined using a prospective gross premium method under which future net cash flows are discounted back to the date of valuation on policy-by policy basis, and is adequate on the valuation basis to ensure that any future negative cash flows which would otherwise arise are eliminated. In projecting the future cash flows, assumptions have been made in respect of future mortality, future lapses, expenses and investment growth rate for unit funds and interest rate. These assumptions are based on expected future experience. Appropriate margins for adverse deviations have been kept in these assumptions.

Additional provisions have been made in respect of

(i) Unearned mortality charges

(ii) Unearned morbidity charges

(iii) Incurred but not reported claims(IBNR)

(iv) Lapsed policies within period of reinstatement.

(v) Reserves are held for the policies which may be free looked after the date of valuation. Reserves for free look option given to policyholders is calculated using a free look cancellation rate which varies depending on the business segment.

(vi) Contingency

(vii) Maintenance Expense Overrun

## अनुसूची – 19 : 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों (सीएफएस) पर नोट

## Schedule-19 Notes on the Consolidated Financial Statements (CFS) for the year ended 31st March 2021

समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) 'समेकित वित्तीय विवरणों के लिए लेखांकन' पर 'समेकित वित्तीय विवरणों के लिए लेखांकन' मानक 21, 'सहयोगियों में निवेश' के लिए लेखांकन मानक 23 और 'संयुक्त उद्यम में ब्याज के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग' पर लेखांकन मानक 27 के अनुरूप तैयार किए गए हैं.

The Consolidated Financial Statements (CFS) are prepared in accordance with Accounting Standard 21 on "Accounting for Consolidated Financial Statements", Accounting Standard 23 on Accounting for "Investment in Associates" and Accounting Standard 27 on "Financial Reporting of Interest in Joint Venture".

1. समूह के समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) में बैंक ऑफ़ बड़ौदा (मूल/ बैंक) और निम्नलिखित अनुषंगियों/ सहयोगियो/ संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण शामिल हैं:

1. The Consolidated Financial Statements (CFS) of the Group comprise the Financial statements of the Bank of Baroda (Parent/Bank) and the following Subsidiaries/ Associates/Joint Ventures:

### 1.1 अनुषंगियां

### 1.1 Subsidiaries

| अनुषंगियों के नाम | Name of subsidiaries | देश, जहां विद्यमान है Country of Incorporation | स्वामित्व का प्रतिशत Percentage of Ownership as on | |
|---|---|---|---|---|
| | | | मार्च 31, 2021 March 31, 2021 | मार्च 31, 2020 March 31, 2020 |
| देशी अनुषंगियां | Domestic Subsidiaries | | | |
| ए) बैंकिंग: | a) Banking: | | | |
| i. नैनीताल बैंक लि. | i. The Nainital Bank Limited | भारत India | 98.57 | 98.57 |
| बी) गैर बैंकिंग: | b) Non-Banking: | | | |
| i. बॉब कैपिटल मार्केट लि. भारत | i. BOB Capital Markets Limited. | भारत India | 100.00 | 100.00 |
| ii. बॉब फाइनैंशिल सॉल्युशन लिमिटेड (पूर्व में बॉब काड्र्स लि.) | ii. BOB Financial Solutions Limited (Formerly known as BOB Cards Limited) | भारत India | 100.00 | 100.00 |
| iii. बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेस लिमिटेड | iii. Baroda Global Shared Services Limited | भारत India | 100.00 | 100.00 |
| iv. बड़ौदा सन टेक्नॉलोजीज लिमिटेड | iv. Baroda Sun Technologies Ltd. | भारत India | 100.00 | 100.00 |
| v. बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड | v. Baroda Asset Management India Limited | भारत India | 100.00 | 100.00 |
| vi. बड़ौदा ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | vi. Baroda Trustee India Private Limited | भारत India | 100.00 | 100.00 |
| विदेशी अनुषंगियां: | Overseas Subsidiaries: | | | |
| ए) बैंकिंग: | a) Banking: | | | |
| i. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बोत्सवाना) लि. | i. Bank of Baroda (Botswana) Limited | बोत्सवाना Botswana | 100.00 | 100.00 |
| ii. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लि. | ii. Bank of Baroda (Kenya) Limited | केन्या Kenya | 86.70 | 86.70 |
| iii. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (युगांडा) लि. | iii. Bank of Baroda (Uganda) Limited | युगांडा Uganda | 80.00 | 80.00 |
| iv. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (गुयाना) आईएनसी | iv. Bank of Baroda (Guyana) Inc. | गुयाना Guyana | 100.00 | 100.00 |
| v. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लि. | v. Bank of Baroda (Tanzania) Limited | तंजानिया Tanzania | 100.00 | 100.00 |

| अनुषंगियों के नाम | Name of subsidiaries | देश, जहां विद्यमान है Country of Incorporation | स्वामित्व का प्रतिशत Percentage of Ownership as on | |
|---|---|---|---|---|
| | | | मार्च 31, 2021 March 31, 2021 | मार्च 31, 2020 March 31, 2020 |
| vi. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (त्रिनिदाद एवं टोबेगो) लि.* | vi. Bank of Baroda (Trinidad &Tobago) Limited.* | त्रिनिदाद एवं टोबेगो Trinidad & Tobago | 0.00 | 100.00 |
| vii. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (घाना) लि.** | vii. Bank of Baroda (Ghana) Limited** | घाना Ghana | 0.00 | 100.00 |
| viii. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लि. | viii. Bank of Baroda (New Zealand) Limited | न्यूजीलैंड New Zealand | 100.00 | 100.00 |
| ix. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूके) लि. | ix. Bank of Baroda (UK) Limited | युनाइटेड किंगडम United Kingdom | 100.00 | 100.00 |
| बी) गैर–बैंकिंग: | b) Non-Banking: | | | |
| i. बॉब (यूके) लिमिटेड*** | i. BOB (UK) Limited*** | युनाइटेड किंगडम United Kingdom | 0.00 | 100.00 |
| ii. बड़ौदा कैपिटल मार्केट्स (युगांडा) लिमिटेड (बैंक ऑफ़ बड़ौदा युगांडा लिमिटेड की अनुषंगी) | ii. Baroda Capital Markets (Uganda) Limited. (Subsidiary of Bank of Baroda Uganda Limited) | युगांडा Uganda | 100.00 | 100.00 |

* दिनांक 26.02.2021 से बंद
** दिनांक 11.06.2020 से बंद
*** दिनांक 22.09.2020 से विघटित

* Discontinued from 26.02.2021
** Discontinued w.e.f 11.06.2020
*** Dissolved w.e.f 22.09.2020

**1.2 सहयोगी:**

समेकित वित्तीय विवरण–पत्रों (सीएफएस) में समाहित सहयोगी इकाइयों के विवरण निम्नलिखित हैं:

**1.2 Associates:**

The particulars of Associates considered in the CFS are as under:

| सहयोगियों के नाम | Name of Associates | देश, जहां विद्यमान है Country of Incorporation | स्वामित्व का प्रतिशत Parent's ownership Interest (%) as on | |
|---|---|---|---|---|
| | | | मार्च 31, 2021 March 31, 2021 | मार्च 31, 2020 March 31, 2020 |
| ए) इन्डो जाम्बिया बैंक लिमिटेड | a) Indo Zambia Bank Limited | जाम्बिया Zambia | 20.00 | 20.00 |
| बी) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | b) Regional Rural Banks | | | |
| i. बड़ौदा यूपी बैंक (पूर्वती बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक)* | i. Baroda U.P. Bank (Formerly known as Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank* | भारत India | 35.00 | 35.00 |
| ii. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (पूर्ववर्ती बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक) | ii. Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank (Erstwhile Baroda Rajasthan Gramin Bank) | भारत India | 35.00 | 35.00 |
| iii. बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक | iii. Baroda Gujarat Gramin Bank | भारत India | 35.00 | 35.00 |

**भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य में बैंक ऑफ़ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा क्रमशः प्रायोजित बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक और पूर्वांचल बैंक को दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में समामेलित किया गया है जिसे बड़ौदा यूपी बैंक कहा जाएगा, जिसका बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित प्रधान कार्यालय गोरखपुर में स्थित होगा.*

*As per the notification issued by Govt of India, Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank, Kashi Gomti Samyut Gramin Bank and Purvanchal Bank sponsored by the Bank of Baroda, Union Bank of India and State Bank of India respectively in the State of Uttar Pradesh are hereby amalgamated w.e.f April 1, 2020 into a single Regional Rural Bank which shall be called as Baroda U.P. Bank with its head office at Gorakhpur under the sponsorship of Bank of Baroda.*

### 1.3. संयुक्त उद्यम: / 1.3. Joint Ventures

| संयुक्त उद्यम नाम | Name of Joint Ventures | देश जहां विद्यमान है Country of Incorporation | स्वामित्व का प्रतिशत Percentage of Ownership | |
|---|---|---|---|---|
| | | | मार्च 31, 2021 March 31, 2021 | मार्च 31, 2020 March 31, 2020 |
| इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लि. | India First Life Insurance Company Limited | भारत India | 44.00 | 43.31 |
| इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी. | India International Bank (Malaysia) Bhd. | मलेशिया Malaysia | 40.00 | 40.00 |
| इंडिया इंफ्राडेब्ट लि. | India Infradebt Limited | भारत India | 40.99 | 40.99 |

### 2. सहयोगियों में निवेश के विवरण: / 2. Particulars of the Investment in Associates:

(राशि ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Cr

| क्र . सं. | विवरण | S. No. | Particulars | मार्च 31, 2021 March 31, 2021 | मार्च 31, 2020 March 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| ए. | सहयोगियों में निवेश की लागत | a. | Cost of Investment in Associates | 256.89 | 227.72 |
| बी. | उपर्युक्त (ए) में शामिल अधिग्रहण पर सुनाम | b. | Goodwill on acquisition included in (a) above | 0.00 | 0.00 |
| सी. | उपरोक्त (ए) में अधिग्रहण पर प्रारक्षित पूंजी | c. | Capital reserve on acquisition included in (a) above | 0.00 | 71.27 |
| डी. | पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि एवं विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि के कारण परिवर्धन | d. | Additions on account of Revaluation reserve & Foreign Currency Translation reserve | 0.00 | 0.00 |
| ई. | अधिग्रहण उपरान्त साख / आरक्षित पूंजी के लाभ (निवल) का अंश | e. | Share of post acquisition profits (Net) of Goodwill/ Capital Reserve | 1,069.62 | 815.32 |
| एफ. | 31 मार्च को निवेश (ए–बी+सी+डी +ई) | f. | Investment as at 31st March (a -b+c+d+e) | 1,326.51 | 1,114.31 |
| जी. | भारत में निवेश | g. | Investment in India | 1,248.30 | 1,065.84 |
| एच. | भारत के बाहर निवेश | h. | Investment outside India | 78.21 | 48.47 |
| आई. | कुल (जी + एच) | i. | Total (g + h) | 1,326.51 | 1,114.31 |

### 3. अनुषंगियों/सहयोगियों के वित्तीय विवरण:

3.1 अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगियों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण उसी रिपोर्टिंग तारीख तक तैयार किया गया है जो मूल कंपनी (बैंक ऑफ़ बड़ौदा) के लिए तैयार की गई तारीख है अर्थात् 31 मार्च 2021, केवल निम्नलिखित को छोड़कर– बैंक ऑफ़ बड़ौदा (युगांडा) लिमिटेड, (इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी बड़ौदा कैपिटल मार्केट्स (युगांडा) लिमिटेड सहित), बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लिमिटेड, बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड, इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी. (आईआईबीएमबी) और इंडो

### 3. Financial Statements of Subsidiaries / Associates:

3.1 The audited financial statements of the Subsidiaries, Joint Ventures and Associates have been drawn up to the same reporting date as that of the Parent i.e. 31st March, 2021 except for Bank of Baroda (Uganda) Ltd, (including its wholly-owned subsidiary Baroda Capital Markets (Uganda) Ltd.), Bank of Baroda (Kenya) Ltd., Bank of Baroda (Tanzania) Ltd., India International Bank (Malaysia) Bhd. (IIBMB) and Indo Zambia Bank Ltd.

जाम्बिया बैंक लिमिटेड, जिनके विवरण यथा 31 दिसंबर, 2020 तक तैयार किये गए हैं. जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है, 1 जनवरी, 2021 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के दौरान कोई महत्वपूर्ण लेनदेन या अन्य गतिविधियां नहीं हैं जिनके लिए उसमें समायोजन की आवश्यकता हो.

3.2 समूह के चालू वित्तीय वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों में बड़ौदा यूपी बैंक, बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इन्डो जाम्बिया बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूके) लिमिटेड, बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लिमिटेड और बैंक ऑफ़ बड़ौदा (त्रिनिदाद एवं टोबेगो) लिमिटेड के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण शामिल हैं.

3.3 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए निम्नलिखित घरेलू सहायक कंपनियों के खाते कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के अधीन हैं:

i. बॉब कैपिटल मार्केट्स लि.

ii. बीओबी फाइनेंसियल सॉल्यूशन्स लि. (पूर्ववर्ती बॉब कार्डर्स् लिमिटेड)

iii. बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लि.

iv. बड़ौदा सन टेक्नोलॉजीज लि.

v. बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट इंडिया लि.

vi. बड़ौदा ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लि.

3.4 सहायक और संयुक्त उद्यमों के संबंध में प्रकटीकरण प्रबंधन के पास उपलब्ध सीमा तक ब्यौरे दिए गए हैं. प्रबंधन की दृष्टि से इन ब्यौरों का उपलब्ध न होना, बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण को प्रभावित नहीं करेगा.

3.5 एएस 21 के अनुसार, खंड 20 समेकित वित्तीय विवरणियां लेनदेन और अन्य समान परिस्थितियों में अन्य गतिविधियों जैसी एकसमान लेखांकन नीतियों का प्रयोग करते हुए तैयार की जानी चाहिए. तथापि, इंडिया फर्स्ट कंपनी में निवेश और राजस्व निर्धारण के संबंध में विभिन्न लेखांकन नीतियों को लागू करना व्यवहार्य नहीं हैं क्योंकि यह आईआरडीए दिशानिर्देशों से शासित है.

## 4. पूंजीगत प्रारक्षित निधियां

पूंजीगत प्रारक्षित निधियों में अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर हुई मूल्य वृद्धि, एचटीएम प्रतिभूतियों की बिक्री पर प्राप्त लाभ (सांविधिक प्रारक्षित निधि के लिए कर और अंतरण का निवल) और भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक की योजना के अंतर्गत निर्यात विकास परियोजनाओं/लघु/मध्यम स्तर के उद्योग व अन्य के लिए औद्योगिक विकास परियोजनाओं के लिए सदस्यता राशि शामिल है.

## 5. करों के लिए प्रावधान

अपील अधिकारियों के निर्णय और सलाहकारों की सलाह पर विधिवत विचार करने के बाद करों के लिए प्रावधान किया गया है.

## 6. प्रारक्षित निधियों में से ड्रा डाउन

**निवेश प्रारक्षित**

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निवेश प्रारक्षिति खाते (यथा 31 मार्च, 2020: रू. 41.58 करोड़) से कोई ड्रा डाउन नहीं हुआ है.

which have been drawn up to 31st December, 2020. As certified by the Management, there are no significant transactions or other events during 1st January, 2021 to 31st March, 2021 requiring adjustment therein.

3.2 The Consolidated financial statements for the current financial year of the Group include unaudited financial statements of Baroda UP Bank, Baroda Gujrat Gramin Bank, Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank, Indo Zambia Bank Ltd., Bank of Baroda (UK) Ltd., Bank of Baroda (New Zealand) Ltd. and Bank of Baroda (Trinidad n Tobago) Ltd.

3.3 The accounts of the following domestic subsidiaries for the year ended 31st March, 2021 are subject to the comments of Comptroller & Auditor General of India under Section 143(6) of the Companies Act, 2013:.

i. BOB Capital Markets Ltd.

ii. BOB Financial Solutions Limited (Formerly known as BOB Cards Ltd.)

iii. Baroda Global Shared Services Ltd.

iv. Baroda Sun Technologies Ltd.

v. Baroda Asset Management India Ltd

vi. Baroda Trustee India Private Ltd

3.4 The disclosures in respect of subsidiaries and joint ventures are given to the extent details available with the management. In view of the management non availability of such details would not materially impact disclosure under the consolidated financial statements of the bank.

3.5 As per AS 21, Clause 20 "Consolidated Financial Statements should be prepared using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. However, In India First Insurance Company, it is not practicable to quantify the impact of different accounting policies with respect to Investment and Revenue recognition because as the same is governed by IRDA guidelines.

## 4. Capital Reserves

Capital Reserve includes appreciation arising on revaluation of immovable properties, profit on sale of HTM securities (net of tax and transfer to Statutory Reserve) and amount subscribed by Government of India under the World Bank's Scheme for Export Development Projects / Industrial Export Projects for small / medium scale industries and others.

## 5. Provision for Taxes

Provision for Taxes has been arrived at after due consideration of decisions of the appellate authorities and advice of counsels.

## 6. Draw Down from Reserves

**Investment Reserve**

During the Financial Year 2020-21, there is no draw down from the Investment Reserve Account (March 31, 2020: ₹. 41.58 Crores).

## 7. अस्थिर प्रावधानीकरण / काउंटर साइक्लिकल प्रावधानीकरण बफर

## 7. Floating Provision/Countercyclical Provisioning Buffer

(राशि ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Cr)

| विवरण | | Particulars | | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| ए. | फ्लोटिंग प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष राशि | a. | Opening balance in the floating provisions account | **556.42** | 485.07 |
| बी. | प्रारम्भिक शेष समायोजन | b. | Opening Balance adjustment | **3.13** | 0.00 |
| सी. | वर्ष के दौरान किए गए समामेलन / प्रावधान पर जोड़ | c. | Addition on Amalgamation/ Prov Made during the year | **0.00** | 71.35 |
| डी. | लेखा वर्ष के दौरान किए गए ड्रा डाउन की राशि | d. | Amount of draw down made during the accounting year | **496.70** | 0.00 |
| ई. | फ्लोटिंग प्रावधान खाते में अंतिम शेष राशि | d. | Closing balance in the floating provisions account | **62.85** | 556.42 |

भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना संदर्भ सं. आरबीआई/2021-22/28 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.10/21.04.048/2021-22 दिनांक 5 मई, 2021 के अनुसार बैंक को यह सूचित किया गया है कि वे अपने संबंधित निदेशक मंडल के पूर्व अनुमोदन से अनर्जक आस्तियों के लिए विशिष्ट प्रावधान किए जाने हेतु 31 दिसंबर, 2020 को उनके द्वारा धारित फ्लोटिंग प्रावधानों/ काउंटरसाइक्लिकल प्रोविजनिंग बफर का 100 प्रतिशत उपयोग कर सकते हैं. बैंक ने अपने निदेशक मंडल से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली है और 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही में अनर्जक आस्तियों के लिए विशिष्ट प्रावधानों की आवश्यकता के पेटे ₹ 496.70 करोड़ के फ्लोटिंग प्रावधान का उपयोग किया है.

8. विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 11 मार्च, 2020 को कोविड-19 के प्रकोप को एक वैश्विक महामारी घोषित किया गया था और इससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई. वित्तीय बाजार में निरंतर अस्थिरता के कारण, बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने ऋण वूसली और उसपर किए गए प्रावधान, निवेश मूल्यांकन, बैंक की अन्य आस्तियों एवं देयताओं की मंजूरी की तारीख तक वित्तीय आर्थिक पूर्वानुमान और उद्योग रिपोर्ट सहित सूचना के आंतरिक और बाहरी स्रोतों पर विचार किया है. कोविड -19 की दूसरी लहर ने अनियमितताओं को और बढ़ा दिया है और इसका प्रभाव विभिन्न नियामक उपायों और अतिरिक्त किए गए उपायों पर निर्भर करेगा. बैंक नियमित रूप से इसकी प्रगति की निगरानी कर रही है और इस दूसरी लहर से उत्पन्न चुनौतियों को कम करने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है.

   कोविड-19 महामारी की वजह से अनिश्चितता को देखते हुए, बैंक भविष्य में आर्थिक स्थिति में उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों की लगातार निगरानी कर रहा है, जिनकी वजह से इन वित्तीय विवरिणयों की मंजूरी की तारीख को अनुमान से भिन्न परिवर्तनों के आधार पर भविष्य में बैंक के परिचालन और इसके वित्तीय परिणामों पर प्रभाव पड़ सकता है.

As per RBI notification Ref No - RBI/2021-22/28 DOR.STR. REC.10/ 21.04.048 /2021-22 dated May 5, 2021 Banks are advised that they are permitted to utilize 100 per cent of floating provisions / countercyclical provisioning buffer held by them as on December 31, 2020 for making specific provisions for non-performing assets with the prior approval of their respective Boards. The Bank has obtained the requisite permission from its Board of directors and has utilized floating provision amounting to ₹ 496.70 Crores against the requirement for specific provisions for non-performing assets in the quarter ended March 31, 2021.

8. The Covid-19 outbreak was declared a global pandemic by the world Health Organization on March 11, 2020 and affected world economy as well as Indian economy. On accounts of continuous volatility in financial market, Bank of Baroda has considered internal and external sources of information including economic forecast and industry report up to date of approval of financial results in determining the impact on various elements of its financial statements including recoverability of advances & provision there on, investment valuation, other assets and liabilities of Bank of Baroda. The second wave of Covid-19 has further added to uncertainties and its impact will depend on various regulatory measures & further measures taken. The bank is regularly keeping a watch on development & taking proactive measures to mitigate the challenges posed by this second wave.

   Given the uncertainty because of COVID -19 pandemic, the Bank is continuously monitoring any material change in future economic conditions which may impact the Bank's operations and its financial results depending on the developments which may differ from that estimated as the date of approval of these financial results.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र दिनांक 27 मार्च, 2020, 17 अप्रैल, 2020 एवं 23 मई, 2020 द्वारा कोविड-19 के लिए विनियामक पैकेज के तहत उपायों की घोषणा की है. दिनांक 17 अप्रैल, 2020 को जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, ऐसे उधारकर्ता खाते के संबंध में जहां आस्ति वर्गीकरण लाभ दिया गया है, वहां बैंक को बकाया अग्रिमों का प्रावधान करने की आवश्यकता है, जो 10% से कम नहीं होना चाहिए. उक्त परिपत्र के अनुसार दी गई रियायतों के विवरण निम्नानुसार हैं:

RBI has announced measures under Regulatory Package for COVID-19 vide its circular dated March 27, 2020, April 17, 2020 and May 23, 2020. In accordance with RBI Guidelines dated April 17, 2020, the Bank was required to make provision of not less than 10% of the outstanding advances in respect of borrower account where asset classification benefit has been granted. Details of relief extended in terms of said circular are as follows:

(राशि ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Cr)

| क्र. सं. | विवरण | S. No. | Particulars | 31.03.2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जहां ऋणस्थगन/ आस्थगन की सुविधा दी गई है, एसएमए/ अतिदेय श्रेणियों में संबंधित राशियां | 1 | Respective amounts in SMA/overdue categories, where the moratorium/deferment was extended | 38045.99 |
| 2 | जहां आस्ति वर्गीकरण का लाभ दिया गया है, वह संबंधित राशि | 2 | Respective amount, where asset classification benefit is extended | 10523.20 |
| 3 (ए) | वित्तीय वर्ष 2020 की चौथी तिमाही के दौरान किए गए प्रावधान. | 3(a) | Provision made during the Q4 FY 2020 | 812.73 |
| 3(बी) | वित्तीय वर्ष 2021 की पहली तिमाही के दौरान किए गए प्रावधान. | 3(b) | Provision made during the Q1 FY 2021 | 1067.40 |
| 4 | स्लिपेज/ खाता बंद करने/ शेष राशि में परिवर्तन के कारण 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान समायोजित प्रावधान | 4 | Provision adjusted during the year ended March 31, 2021 against slippage /account closure/ change in balance | 571.53 |
| 5 | दिनांक 31.03.2021 को अवशिष्ट प्रावधान | 5 | Residual Provision held as on 31.03.2021 | Nil |

– भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय (एससी) ने 3 सितंबर, 2020 के अपने अंतरिम आदेश में, एक जनहित याचिका (भारत संघ और एएनआर) द्वारा एक अंतरिम आदेश दिनांक 03.09.2020 के माध्यम से निर्देश दिया है कि जिन खातों को 31 अगस्त, 2020 तक अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के रूप में घोषित नहीं किया गया है उसे अगले आदेश तक एनपीए के रूप में घोषित नहीं किया जाएगा. उक्त अंतरिम आदेश के आधार पर, बैंक ने 31 दिसंबर, 2020 को घरेलू परिचालन से संबंधित किसी भी खाते, जो 31 अगस्त, 2020 तक एनपीए नहीं था, को एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किया है. सावधानी के तौर पर बैंक ने 31.12.2020 तक ₹ 1522.92 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है. इसके अलावा, ₹ 370.63 करोड़ की कुल ब्याज आय को परिचालन लाभ में गिना गया है और सावधानी के तौर पर ₹ 369.93 करोड़ भी उपलब्ध करवाया गया है, जिसके साथ 31.12.2020 को कुल ₹ 1892.85 करोड़ का कुल प्रावधान किया गया है.

– भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त स्थगन आदेश की वैधता दिनांक 23.03.2021 को समाप्त हो गयी थी. इसके अलावा, दिनांक 07.04.2021 के भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र के निर्देशों के अनुसार, बैंक ने इन उधारकर्ता खातों को 31 मार्च, 2021 को मौजूदा आईआरएसी मानदंडों के अनुसार वर्गीकृत किया है.

– माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 23.03.2021 के आदेश द्वारा निर्देश दिया है कि 01.03.2020 से 31.08.2020 तक की अवधि के लिए ब्याज/चक्रवृद्धि ब्याज/दंडात्मक ब्याज पर ब्याज का कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा और इस तरह के ब्याज को संबंधित उधारकर्ताओं को वापस कर दिया जाएगा.

- In its Interim Order dated September 3, 2020, the Hon'ble Supreme Court of India (SC), In a public interest litigation (Union Of India & Anr) vide an interim order dated 03.09.2020 has directed that the accounts which were not declared as Non- Performing Assets (NPA) till August 31, 2020 shall not be declared as NPA till further orders. Based on the said interim order, the Bank on December 31, 2020 has not classified any account pertaining to Domestic operations as NPA, which was not NPA as of August 31, 2020. As a matter of prudence the Bank made an additional provision of ₹ 1522.92 Crores till 31.12.2020. Further, interest income aggregating to ₹ 370.63 Crores has been reckoned in operating profit and as prudent measure ₹ 369.93 Crores has been provided for, thereby making total provision of ₹1892.85 Crores as on 31.12.2020.

- The above stay order of the Hon'ble Supreme Court of India was vacated on 23.03.2021. Further, in accordance with the instructions of RBI circular dated 07.04.2021, the Bank has classified these borrower accounts as per extant IRAC norms as on March 31, 2021.

- Hon'ble Supreme court, vide order dated 23.03.2021, directed that there shall not be any charge of interest on interest/ compound interest/ penal interest for the period during the moratorium from 01.03.2020 to 31.08.2020 and such interest shall be refunded to the concerned borrowers.

– तदनुसार, बैंक ने इसके लिए ₹ 509.89 करोड़ की अनुमानित देयता सृजित की है और 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए ब्याज आय से इसे घटा दिया है.

## 9. प्रावधान और आकस्मिकताओं के मदवार ब्यौरे

समेकित लाभ व हानि खाते में दर्शाए जाने वाले प्रावधानों और आकस्मिकताओं के मदवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

Accordingly, the Bank has created an estimated liability of ₹ 509.89 Crores towards the same and has reduced the same from interest income for the year ended March 31, 2021.

## 9. Break up of Provisions and Contingencies

The break-up of provisions and contingencies appearing in consolidated Profit & Loss Account is as under:

| विवरण | Particulars | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2021 | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020 |
|---|---|---|---|
| बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण/एनपीए के लिए किए गए प्रावधान | Bad debts written off / Provision made towards NPA | **12,288.48** | **16,806.64** |
| पुनर्संरचित मानक और उप–मानक खातों में छोड़ दिए गए ब्याज के लिए प्रावधान | Provision towards sacrifice of interest in Restructured standard and sub-standard accounts | **260.25** | **(112.16)** |
| देशी जोखिम प्रबंधन के लिए प्रावधान | Provision for Country Risk Management | **(2.19)** | **40.61** |
| करों के लिए प्रावधान (स्थगित कर समेत) | Provision for taxes (including deferred Taxes) | **4,919.27** | **(2,176.09)** |
| निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान | Provision for depreciation on investment | **536.37** | **1,017.42** |
| मानक आस्तियों के लिए प्रावधान | Provision for standard assets | **2,180.80** | **3,122.59** |
| अन्य | Others | **1,045.65** | **33.47** |
| कुल | Total | **21,228.63** | **18,732.48** |

## 10. चुकौती आश्वासन पत्र की स्थिति

i. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जारी चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) बैंक ने चालू वर्ष के दौरान विदेशी/देशीय नियामकों द्वारा अपने विदेशी अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों के परिचालन को समर्थित करने के लिए अपना अनुमोदन प्राप्त करते समय आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में कोई आश्वासन पत्र जारी नहीं किया.

ii. 31 मार्च 2021 को बकाया चुकौती आश्वासन पत्रों की संचयी स्थिति

ए) बैंक द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्रों तथा संचयी वित्तीय जिम्मेदारियों का विवरण निम्नानुसार है: अपने जमाकर्ताओं व अन्य ऋणदाताओं को पूर्ण रूप से स्वामित्व वाली अनुषंगी– बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूज़ीलैंड) लि. के संपूर्ण कर्ज को गारंटीकृत करते हुए रिजर्व बैंक ऑफ़ न्यूज़ीलैंड को 2008–09 के दौरान चुकौती आश्वासन पत्र जारी किया गया. यथा 31 मार्च, 2021 को अनुषंगी की जमा–राशियां (ओवरड्राफ्ट और बैंक के जमा के एवज में ऋण का निवल) ₹ 455.23 करोड़ है तथा बाह्य देयता ₹ 6.09 करोड़ है (यथा 461.32 करोड़ की कुल देयता). यथा 31 मार्च 2021 को अनुषंगी की निवल मालियत ₹ 256.92 करोड़ है. इस संबंध में मूल बैंक पर निवल आकस्मिक देयता ₹ 204.40 करोड़ है.

## 10. Status of Letters of Comfort

i) Letters of Comfort (LOC's) issued during the Current Financial Year. During the current financial year the bank has not issued any Letter of Comfort to meet the requirements of the overseas/Domestic regulators to support the operations of its overseas subsidiaries/joint ventures.

ii) Cumulative position of LOC's outstanding as on March 31, 2021.

a) The LOC issued by the bank in the past and the cumulative financial obligation is as under: LOC issued during 2008-09 to Reserve Bank of New Zealand guaranteeing entire indebtedness of the wholly owned subsidiary - Bank of Baroda (New Zealand) Ltd. to its depositors and other creditors. As on 31st March 2021 the subsidiary's Deposits (net of Overdraft and Loan against Bank's own deposits) are ₹ 455.23 crores and outside liabilities are ₹ 6.09 Crores (i.e. total liabilities of ₹ 461.32 Crores). The net worth of the subsidiary as on 31st March 2021 is ₹ 256.92 Crores. The net contingent liability on the Parent Bank is ₹ 204.40 Crores in this regard.

बी) वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने संयुक्त उद्यम बैंक – इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी (आईआईबीएमबी) में बैंक के 40% शेयरधारिता की सीमा तक बैंक ऑफ़ नेगारा मलेशिया को आश्वासन पत्र जारी किया है. दिनांक 31 मार्च, 2021 को आईआईबीएमबी की कुल जमा राशि ₹ 189.64 करोड़ एवं अन्य देयताएं ₹ 3.95 करोड़ (अर्थात कुल ₹ 193.59 करोड़ की कुल देयताएं ) हैं. दिनांक 31 मार्च, 2021 को आईआईबीएमबी की निवल मालियत ₹ 576.55 करोड है. चूंकि आईआईबीएमबी के वित्तीय वर्ष का अंत 31 दिसंबर को होता है, 31 मार्च, 2021 के आंकड़े अलेखापरीक्षित विवरण से लिए गए हैं.

## 11. एनपीए के लिए संपत्ति के वर्गीकरण एवं प्रावधान में विचलन

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीआर.बीपी.बीसी. नं.32/21.04.018/2018-19, दिनांक 1 अप्रैल, 2019 के अनुसार यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मूल्यांकन किए गए एनपीए हेतु अतिरिक्त प्रावधान, प्रावधानों से पूर्व रिपोर्ट किए गए लाभ के 10% से अधिक होता है और आकस्मिकताएं और/अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अतिरिक्त सकल एनपीए संदर्भित अवधि के लिए प्रकाशित वृद्धिशील सकल एनपीए से 15% अधिक होता है तो बैंकों को विवेकपूर्ण मानदंड से आय निर्धारण, संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण पर विचलनों को प्रकट करना चाहिए. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मूल्यांकन किए गए विवेकपूर्ण मानदंडों से विचलन, उक्त विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर हैं, इसलिए अतिरिक्त प्रकटीकरण की आवश्यकता लागू नहीं होती है.

## 12. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) संबंधी प्रकटीकरण

12.1 अवधि के दौरान निवल लाभ अथवा हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखांकन नीतियों (लेखांकन मानक-5) में परिवर्तन

i) पूर्व अवधि की मदें

वर्ष के दौरान कोई महत्वपूर्ण पूर्व अवधि की आय/ व्यय नहीं है

ii) लेखांकन नीति में परिवर्तन:

बैंक ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण तैयार करने में उन्हीं लेखांकन नीतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है जिनका अनुपालन 31 मार्च, 2020 को समाप्त गत वित्तीय वर्ष के लिए किया गया था.

b) LOC was issued during the year 2010-11 to Bank Negara Malaysia upto our Bank's 40% shareholding in the Joint Venture Bank - 'India International Bank (Malaysia) Bhd (IIBMB). As on 31st March 2021 the deposits of IIBMB are ₹ 189.64 Crores and other liabilities are ₹ 3.95 Crores (i.e. total liabilities of ₹ 193.59 Crores). The net worth of the IIBMB as on 31st March 2021 is ₹ 576.55 Crores. As the financial year end of IIBMB is 31st December, figure of 31st March 2021 have been taken from unaudited statements.

## 11. Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs

As per RBI circular No. DBR.BP.BC. No.32/21.04.018/2018-19 dated April 1, 2019, in case the additional provisioning for NPAs assessed by RBI exceeds 10% of the reported profit before provisions and contingencies and/or additional Gross NPAs identified by RBI exceeds 15% of published incremental Gross NPAs for the reference period then banks are required to disclose divergences from prudential norms on income recognition, asset classification and provisioning. Divergence from prudential norms assessed by the RBI for the year ended 31st March, 2020 are within threshold limits specified above hence the need for additional disclosure does not apply.

## 12. Disclosure in terms of Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

12.1 Net Profit or Loss for the period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies (Accounting Standard -5)

(i) Prior Period Items:

During the year, there were no material prior period income / expenditure items.

(ii) Change in accounting policy:

The Bank has continued to follow the same accounting policies and practices in preparation of Audited financial statements for the year ended March 31, 2021 as followed in the previous financial year ended March 31, 2020.

12.2 एएस 11 – विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन

विदेशी विनिमय परिवर्तन प्रारक्षित में संचयन

12.2 AS 11 – Changes in Foreign Exchange Rates.

Movement of Foreign Currency Translation reserve

(राशि ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Cr)

| विवरण | Particulars | 31 मार्च, 2021 March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 March 31, 2020 |
|---|---|---|---|
| प्रारंभिक शेष | Opening Balance | 3,368.94 | 2,298.39 |
| वर्ष के दौरान जमा | Credited during the year | 35.51 | 1,070.55 |
| वर्ष के दौरान निकासी | Withdrawn during the year | - | - |
| अंतिम शेष | Closing Balance | 3,404.45 | 3,368.94 |

## 12.3 कर्मचारी अनुलाभ (लेखांकन मानक –15)

I. **परिभाषित लाभ योजना (निधिगत बाध्यता – पेंशन, छुट्टी नकदीकरण और ग्रेच्युटी)**

ए) परिभाषित लाभ बाध्यता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

## 12.3 Employee Benefits (Accounting Standard-15.

I. **Defined Benefit Plans (Funded Obligation - Pension, Leave Encashment and Gratuity)**

a) Change in present value of Defined Benefit Obligation.

(राशि ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Cr)

| विवरण | Particulars | पेंशन Pension | | छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment | | ग्रेच्युटी Gratuity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020 | 31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020 | 31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020 |
| आरंभिक परिभाषित लाभ बाध्यता | Opening Defined Benefit Obligation | 22,761.57 | 13,954.53 | 24.48 | 19.72 | 2,717.68 | 1,641.50 |
| आरंभिक समायोजित | Opening Adjusted | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.47 | 0.00 | 4.73 |
| जोड़ें– अधिग्रहण समायोजन | Add: Acquisition Adjustment | 0.00 | 8,425.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 886.07 |
| जोड़ें : ब्याज लागत | Add: Interest Cost | 1,467.97 | 1,461.94 | 1.60 | 1.88 | 170.74 | 160.81 |
| जोड़ें: विगत सेवा लागत | Add: Past Service Cost | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.53 |
| जोड़ें: चालू सेवा लागत | Add: Current Service Cost | 1,639.56 | 1,603.41 | 2.09 | 3.02 | 291.94 | 172.99 |
| घटाएं: प्रदत्त लाभ | Less: Benefits Paid | 2,476.22 | 1,957.39 | 4.17 | 5.36 | 523.72 | 370.03 |
| जोड़ें: बाध्यता पर एक्चूरियल हानि/ (लाभ) | Add: Actuarial loss/ gain (-) on obligation | 1,154.45 | (726.27) | (0.17) | (0.25) | 407.83 | 221.08 |
| अंतिम परिभाषित लाभ बाध्यता | Closing Defined Benefit Obligation | 24547.33 | 22,761.57 | 24.14 | 24.48 | 3,064.47 | 2,717.68 |

बी) उचित मूल्य की योजना आस्ति में परिवर्तन

b) Change in Fair value of Plan Assets

(राशि ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Cr)

| विवरण | Particulars | पेंशन Pension | | छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment | | ग्रेच्युटी Gratuity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020 | 31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020 | 31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020 |
| योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य | Opening Fair Value of plan assets | 21,977.57 | 13,609.10 | 20.81 | 21.86 | 2,220.36 | 1,238.42 |
| आरंभिक समायोजित | Opening Adjusted | 15.00 | (5.30) | 0.03 | 1.92 | 1.21 | (0.01) |
| जोड़ें: योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय | Add: Expected Return on Plan Assets | 9.75 | 7,750.24 | 1.34 | 0.00 | 3.02 | 819.78 |
| जोड़ें: योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय | Add: Expected Return on Plan Assets | 1,638.46 | 1,419.62 | 0.00 | 1.57 | 166.97 | 140.34 |
| जोड़ें: योगदान | Add: Contributions | 963.34 | 1,154.58 | 0.70 | 0.36 | 499.30 | 494.95 |
| घटाएं: प्रदत्त लाभ | Less: Benefits Paid | 2,498.13 | 1,957.39 | 2.69 | 4.66 | 523.72 | 370.03 |
| जोड़ें: एक्चूरियल लाभ/(हानि) | Add: Actuarial gain/(loss) | 45.83 | 6.72 | 0.25 | (0.24) | 29.49 | (103.09) |
| योजना आस्तियों का अंतिम उचित मूल्य | Closing Fair Value of Plan Assets | 22,151.82 | 21,977.57 | 20.44 | 20.81 | 2,396.63 | 2,220.36 |

सी) तुलन पत्र में मान्यता पात्र राशि

c) Amount recognized in the Balance Sheet

(राशि ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Cr)

| विवरण | Particulars | पेंशन Pension | | छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment | | ग्रेच्युटी Gratuity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020 | 31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020 | 31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020 |
| ए) अंतिम परिभाषित लाभ बाध्यता | a) Closing Defined Benefit Obligation | 24,547.33 | 22,761.57 | 24.14 | 24.48 | 3,064.46 | 2,717.68 |
| बी) योजना आस्तियों का अंतिम उचित मूल्य | b) Closing Fair Value of Plan Assets | 22,151.82 | 21,977.58 | 20.44 | 20.81 | 2,396.63 | 2,220.36 |
| सी) अंतर (ए–बी) | c) Difference | 2,395.51 | 783.99 | 3.70 | 3.67 | 667.83 | 497.33 |
| डी) गैर मान्य प्राप्त अंतरण देयता | d) Unrecognized transitional liability | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ई) तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देयता | e) Liability Recognized in the BS | 2,395.51 | 783.99 | 3.70 | 3.67 | 667.83 | 497.63 |

डी) लाभ व हानि खाते में मान्यता प्राप्त राशि

d) Amount recognized in the Profit & Loss Account

(राशि ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Cr)

| विवरण | Particulars | पेंशन Pension | | छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment | | ग्रेच्युटी Gratuity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020 | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020 | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020 |
| ए) चालू सेवा लागत | a) Current Service Cost | 1,639.56 | 1,603.41 | 2.08 | 3.02 | 291.92 | 191.17 |
| बी) विगत सेवा लागत | b) Past Service Cost | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| सी) ब्याज लागत | c) Interest Cost | 1,467.97 | 1,461.94 | 1.48 | 1.75 | 170.69 | 160.81 |
| डी) आयोजित आस्तियों पर अपेक्षित आय | d) Expected Return on Plan Assets | 1,648.70 | 1,457.31 | 1.31 | 1.53 | 170.31 | 140.68 |
| ई) निवल एक्चूरियल हानि/ (लाभ) | e) Net Actuarial Loss/ (gain) | 1,109.11 | (737.31) | (0.34) | 0.08 | 378.72 | 324.54 |
| एफ) वर्ष में मान्यता प्राप्त अंतरण देयता | f) Transitional liability recognized in the year | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| लाभ-हानि खाते में मान्यता प्राप्त व्यय | Expenses Recognized in P&L | 2,567.94 | 870.73 | 2.22 | 3.32 | 671.02 | 535.84 |

ई) प्रिंसिपल एक्चुरियल पूर्वानुमान

e) Principal Actuarial Assumptions

| विवरण | Particulars | पेंशन Pension | | छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment | | ग्रेच्युटी Gratuity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020 | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020 | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020 |
| बट्टा दर | Discount rate | 6.61% - 6.82% | 6.81% - 6.82% | 4.25% - 6.82% | 6.55% - 6.82% | 4.25% - 6.95% | 6.40% - 7.00% |
| वेतन वृद्धि दर | Salary Escalation Rate | 5.00% - 5.50% | 5.00% - 5.50% | 5.00% - 8.00% | 5.00% - 10.00% | 5.00% - 8.00% | 5.00% - 10.00% |
| एट्रीशन दर | Attrition Rate | 2.00% | 2.00% | 2.00% - 38.00% | 2.00% - 31.00% | 2.00% - 38.00% | 2.00% - 18.00% |
| योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय दर | Expected Rate of Return on plan Assets | 7.00% - 7.50% | 6.82% - 7.50% | 4.25% - 7.00% | 7.50% | 4.25% - 6.84% | 6.82% - 7.50% |

II. **परिभाषित लाभ योजनाएं (गैर निधिगत बाध्यता): संचित प्रतिपूर्ति अनुपस्थिति (साधिकारी छुट्टी), ग्रेच्युटी और अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ (एआरबी)**

निम्नलिखित तालिका बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र एक्चुरी द्वारा एक्चुरियल वैल्युशन के अनुसार संचित प्रतिपूर्ति अनुपस्थिति (साधिकारी छुट्टी), ग्रेच्युटी और अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ (एआरबी) की स्थिति को दर्शाती है:

ए) देयता की आरंभिक व समाप्ति पर समायोजन

II. **Defined Benefit Plans (Unfunded Obligation): Accumulating Compensated Absences (Privilege Leave), Gratuity & Additional Retirement Benefits (ARB)**

The following table sets out the status of Accumulating Compensated Absences (Privilege Leave), Gratuity & ARB as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank:

a) Reconciliation of opening and closing balance of liability

| विवरण | Particulars | छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment | | ग्रेच्युटी Gratuity | | एआरबी ARB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020 | 31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020 | 31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020 |
| आरंभिक परिभाषित लाभ बाध्यता | Opening Defined Benefit Obligation | 1,711.62 | 930.39 | 3.10 | 2.53 | 296.51 | 292.79 |
| आरंभिक समायोजित | Opening Adjusted | 0.00 | (2.96) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ें- ब्याज लागत | Add: Interest Cost | 0.09 | 586.71 | 0.21 | 0.20 | 19.18 | 0.00 |
| जोड़ें- चालू सेवा लागत | Add: Current Service Cost | 113.08 | 98.42 | 0.40 | 0.39 | 6.22 | 18.46 |
| जोड़ें- विगत सेवा लागत | Add: Past Service Cost | 234.90 | 233.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| घटाएं- प्रदत्त लाभ | Less: Benefits Paid | 187.39 | 145.14 | 0.10 | 0.25 | 41.26 | 44.15 |
| जोड़ें- बाध्यता पर एक्चूरियल हानि/ (लाभ) | Add: Actuarial loss/(gain) on obligation | (158.53) | 11.13 | (0.04) | 0.24 | 9.78 | 29.41 |
| अंतिम परिभाषित लाभ बाध्यता | Closing Defined Benefit Obligation | 1,713.77 | 1,711.62 | 3.57 | 3.11 | 290.43 | 296.51 |

बी) लाभ व हानि खाते में मान्यता प्राप्त राशि

b) Amount recognized in the Profit & Loss Account

(राशि ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Cr)

| विवरण | Particulars | छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment | | ग्रेच्युटी Gratuity | | एआरबी ARB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020 | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020 | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020 |
| ए) चालू सेवा लागत | a) Current Service Cost | 235.89 | 233.28 | 0.40 | 0.39 | 6.22 | 0.00 |
| बी) विगत सेवा लागत | b) Past Service Cost | (0.28) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| सी) ब्याज लागत | c) Interest Cost | 112.46 | 98.30 | 0.21 | 0.20 | 19.18 | 18.46 |
| डी) निवल एक्चूरिल हानि/ (लाभ) | d) Net Actuarial Loss/ (gain) | (158.53) | 11.13 | (0.04) | 0.24 | 9.78 | 29.41 |
| लाभ हानि खातों में मान्यता प्राप्त व्यय | Expenses Recognized in P&L | 189.54 | 342.71 | 0.57 | 0.85 | 35.18 | 47.87 |

सी) तुलन पत्र में मान्यताप्राप्त देयता/ (आस्ति) की आरंभिक व समाप्ति पर समायोजन

c) Reconciliation of opening and closing liability/(assets) recognized in the Balance Sheet

(राशि ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Cr)

| विवरण | Particulars | छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment | | ग्रेच्युटी Gratuity | | एआरबी ARB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020 | 31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020 | 31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2021 |
| a) आरंभिक परिभाषित लाभ बाध्यता | a) Opening Defined Benefit Obligation | 1,711.61 | 930.39 | 3.10 | 2.50 | 309.58 | 309.58 |
| b) आरंभिक समायोजित | b) Opening Adjusted | 0.00 | (2.96) | 0.00 | 0.00 | -13.07 | 0.00 |
| c) निवल अधिग्रहण लागत | c) Net Acquisition Cost | 0.00 | 586.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d) उपर्युक्तअनुसार व्यय | d) Expenses as above | 189.54 | 342.70 | 0.57 | 0.85 | 35.18 | 0.00 |
| e) प्रदत्त लाभ | e) Benefit paid | 187.39 | 145.15 | 0.10 | 0.25 | 41.26 | 0.00 |
| f) तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता | f) Net Liability Recognized in the Balance Sheet | 1,713.76 | 1,711.61 | 3.57 | 3.10 | 290.43 | 309.58 |

डी) प्रिंसिपल एक्चूरियल एजंप्सन

d) Principal Actuarial Assumptions

| विवरण | Particulars | छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment | | ग्रेच्युटी Gratuity | | एआरबी ARB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020 | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020 | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020 |
| बट्टा दर | Discount rate | 6.65%-7.00% | 6.55%-7.00% | 6.50%-7.00% | 6.55%-7.00% | 6.95% | 6.82% |
| वेतन वृद्धि दर | Salary Escalation Rate | 5.50%-10.00% | 7.00%-10.00% | 6.00%-10.00% | 7.00%-10.00% | 5.50% | 5.50% |
| एट्रीशन दर | Attrition Rate | 2.00%-5.29% | 2.00%-12.12% | 2.00%-5.29% | 2.00%-12.12% | 2.00% | 2.00% |

एक्चूरिलय वैल्यूएशन में भविष्य के वेतन वृद्धि के अनुमान मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग जैसे अन्य प्रासंगिक कारकों का ध्यान रखा जाता है. ये अनुमान बहुत दीर्घकालिक हैं और निकट अतीत के अनुभव / तत्काल भविष्य पर आधारित नहीं हैं. अनुभवजन्य साक्ष्य यह भी बताते हैं कि बहुत लंबे समय में, लगातार उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है. लेखापरीक्षकों ने इन्हीं आंकलन और अनुमानों को आधार बनाया है.

The estimates of future salary growth factored in actuarial valuation take account of inflation, seniority, promotion and other relevant factors such as supply and demand in the employment market. Such estimates are very long term and are not based on limited past experience / immediate future. Empirical evidence also suggests that in very long term, consistent high salary growth rates are not possible. The said estimates and assumptions have been relied upon by the auditors.

## 12.4 खंड रिपोर्टिंग (एएस – 17)

1. **खंड की पहचान:**

I. **प्राथमिक (व्यापार खंड): निम्नलिखित खंड बैंक के प्राथमिक खंड हैं:–**

i. ट्रेजरी

ट्रेजरी खंड में निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी मुद्रा व व्युत्पन्न करार में लेनदेन कारोबार शामिल है. ट्रेजरी खंड के राजस्व में मुख्य रुप से लेनदेन परिचालनों से प्राप्त शुल्क, लाभ या हानि होती है और निवेश पोर्टफोलियो से प्राप्त ब्याज आय शामिल है.

ii. कार्पोरेट/होलसेल बैंकिंग

कॉरपोरेट / होलसेल बैंकिंग खंड में रु 5.00 करोड़ और उससे अधिक मूल्य के ऋण के ऋणकर्ताओं की गतिविधियां शामिल हैं.

iii. खुदरा बैंकिंग

खुदरा बैंकिंग खंड में रु 5.00 करोड़ से कम मूल्य के ऋण के ऋणकर्ताओं की गतिविधियां शामिल हैं.

iv. अन्य बैंकिंग परिचालन

प्राथमिक खंड के अंर्तगत उपरोक्त (i) से (iii) से इतर खंड शामिल हैं.

II) **गौण (भौगोलिक खंड)**

i) घरेलू परिचालन – शाखाएं / कार्यालय जिनका परिचालन भारत में होता है.

ii) विदेशी परिचालन – शाखाएं / कार्यालय जिनका परिचालन भारत के बाहर और जिन विदेशी बैंकिंग इकाइयों का परिचालन भारत में होता है.

III) **खंड राजस्व बाहरी ग्राहकों से राजस्व का प्रतिनिधित्व करता है**

IV) **आय, व्यय, आस्तियों एवं देयताओं का आबंटन**

ट्रेजरी बैंकिंग परिचालन एक अलग इकाई है. ट्रेजरी परिचालन के आय और व्यय सीधे ट्रेजरी सेगमेंट से सम्बद्ध होते हैं.

अन्य सेगमेंट के आय और व्यय को निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

ए) ब्याज आय और ब्याज व्यय का आबंटन क्रमशः होलसेल बैंकिंग परिचालनों हेतु प्राप्त वास्तविक ब्याज और होलसेल बैंकिंग परिचालनों के अग्रिमों के आधार पर किया जाता है.

बी) उपर्युक्त ब्याज आय और व्यय के आबंटन के बाद, प्राप्त/भुगतान किए गए शेष ब्याज को रिटेल बैंकिंग परिचालन में ले जाया जाता है.

सी) अन्य आय / अन्य व्यय, होलसेल बैंकिंग / खुदरा बैंकिंग सेगमेंट द्वारा अर्जित ब्याज आय के अनुपात में आबंटित किए जाते हैं. प्रत्येक सेगमेंट के लिए नियोजित पूंजी को संबंधित सेगमेंट की आस्तियों के अनुपात में आबंटित किया गया है.

बैंक की कुछ सामान्य आस्ति एवं देयताएं हैं, जिन्हें किसी भी सेगमेंट में शामिल नहीं किया जा सकता है, और उन्हें आबंटित माना गया है.

## 12.4 Segment Reporting (AS – 17)

1. Segment Identification:

I. Primary (Business Segment): The following are the primary segments of the Bank:-

i. Treasury

The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio

ii. Corporate / Wholesale Banking

The Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of borrowers having exposure of ₹ 5.00 Crores and above.

iii. Retail Banking

The Retail Banking Segment comprises of borrower accounts having exposure of less than ₹ 5.00 Crores.

iv. Other Banking Operations

Segments not classified under (i) to (iii) above are classified under this primary segment.

II) **Secondary (Geographical Segment)**

i) Domestic Operations - Branches/Offices having operations in India

ii) Foreign Operations - Branches/Offices having operations outside India and offshore banking units having operations in India

III) Segment revenue represents revenue from external customers.

IV) **Allocation of Income, Expenses, Assets and Liabilities**

Treasury banking operation is separate unit. The income and expenses of treasury operations are directly attributable to treasury segment.

The income and expense of other segments are recognised as under:

a) The interest income and interest expense are allocated on the basis of actual interest received for wholesale banking operations and on the basis of advances of wholesale banking operations respectively.

b) After allocation of above interest income and expense, the residual interest received/ paid is attribute to retail banking operations.

c) Other income/ other expenses are allocated in the proportion of Interest income earned by the wholesale banking / retail banking segment. Capital employed for each segment has been allocated proportionately to the assets of the respective segment.

The Bank has certain common assets and liabilities, which cannot be attributed to any segment, and the same are treated as unallocated.

## सेगमेंट संबंधी जानकारी
## भाग ए: कारोबार सेगमेंट

## Segment Information
## Part A – Business Segments

(राशि ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Cr)

| विवरण | Particulars | ट्रेजरी Treasury | | कॉर्पोरेट/होलसेल बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking | | रिटेल बैंकिंग Retail Banking | | अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations | | कुल Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | वि.व.: 2020-21 | वि.व.: 2019-20 | वि.व.: 2020-21 | वि.व.: 2019-20 | वि.व.: 2020-21 | वि.व.: 2019-20 | वि.व.: 2020-21 | वि.व.: 2019-20 | वि.व.: 2020-21 | वि.व.: 2019-20 |
| | | FY : 2020-21 | FY : 2019-20 | FY : 2020-21 | FY : 2019-20 | FY : 2020-21 | FY : 2019-20 | FY : 2020-21 | FY : 2019-20 | FY : 2020-21 | FY : 2019-20 |
| सेगमेंट राजस्व | Segment Revenue | 26,177.15 | 26,871.98 | 29,431.55 | 31,787.11 | 29,823.02 | 30,284.83 | 3,569.46 | 2,142.11 | 89,001.18 | 91,086.03 |
| सेगमेंट परिणाम | Segment Result | 5,245.02 | 4,706.97 | (3,724.84) | (8,521.70) | 10,092.53 | 7,552.39 | 494.68 | 289.73 | 12,107.39 | 4,027.39 |
| अनाबंटित खर्च | Unallocated Expense | - | - | - | - | | - | - | - | 5,640.45 | 5,275.73 |
| परिचालनगत लाभ | Operating profit | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,466.94 | (1,248.34) |
| घटाएं: कर के लिए प्रावधान | Less: Provision for tax | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,919.27 | (2,176.09) |
| विशिष्ट लाभ-हानि | Extra-Ordinary Profit/Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| निवल लाभ | Net Profit | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,547.67 | 927.75 |
| सेगमेंट आस्तियां | Segment Assets | 4,19,082.41 | 4,12,229.22 | 5,20,074.81 | 5,32,131.92 | 2,36,557.79 | 2,37,490.84 | 9,084.82 | 5,157.84 | 11,84,799.83 | 11,87,009.82 |
| अनाबंटित आस्तियां | Unallocated Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,875.96 | 12,932.31 |
| कुल आस्तियां | Total Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,02,675.79 | 11,99,942.13 |
| सेगमेंट देयताएं | Segment Liabilities | 3,90,373.07 | 3,86,084.29 | 4,84,446.97 | 4,98,382.35 | 2,20,352.34 | 2,22,428.38 | 8,462.46 | 4,830.72 | 11,03,634.84 | 11,11,725.75 |
| अनाबंटित देयताएं | Unallocated Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,651.37 | 12,112.10 |
| कुल देयताएं | Total Liabilities | | - | | - | - | - | | - | 11,20,286.21 | 11,23,837.84 |
| नियोजित पूंजी | Capital employed | 28,709.34 | 26144.93 | 35,627.84 | 33749.57 | 16,205.45 | 15062.45 | 622.36 | 327.13 | 81,164.99 | 75284.08 |
| अनाबंटित | Unallocated | - | - | - | - | | - | - | - | 1,224.59 | 820.21 |
| कुल पूंजी | Total Capital | - | - | - | - | - | - | | - | 82,389.58 | 76104.29 |

## भाग बी – भौगोलिक खंड
## Part B – Geographic Segments

| विवरण | Particulars | घरेलू परिचालन Domestic Operations | | अंतर्राष्ट्रीय परिचालन International Operations | | कुल Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | वि.व.: 2020-21 | वि.व.: 2019-20 | वि.व.: 2020-21 | वि.व.: 2019-20 | वि.व.: 2020-21 | वि.व.: 2019-20 |
| | | F.Y. 2020-21 | F.Y. 2019-20 | F.Y. 2020-21 | F.Y. 2019-20 | F.Y. 2020-21 | F.Y. 2019-20 |
| राजस्व | Revenue | 82,593.58 | 82,738.11 | 6,407.60 | 8,347.92 | 89,001.18 | 91,086.03 |
| आस्तियां | Assets | 9,88,164.17 | 9,69,814.47 | 2,14,511.62 | 2,30,127.66 | 12,02,675.79 | 11,99,942.13 |

## 12.5 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (लेखांकन मानक -18)

I. संबंधित पार्टियों के नाम एवं उनके संबंध

संबंधित पार्टियों के ग्रुप :

**ए) अनुषंगिया**

**i) घरेलू बैंकिंग अनुषंगी**

1. नैनीताल बैंक लिमिटेड

**ii) विदेशी बैंकिंग अनुषंगियां**

1. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लिमिटेड
2. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (युगांडा) लिमिटेड
3. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (गुयाना) आईएनसी.
4. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूके) लिमिटेड
5. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड
6. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (त्रिनिदाद और टोबैगो) लिमिटेड (दिनांक 26.02.2021 से बंद कर दिया)
7. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लिमिटेड
8. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बोत्सवाना) लिमिटेड

**i) घरेलू गैर-बैंकिंग अनुषंगियां**

1. बॉब कैपिटल मार्केट लिमिटेड
2. बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड (जिसे पहले बॉब कार्ड्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
3. बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड
4. बड़ौदा सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
5. बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड
6. बड़ौदा ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

ii) विदेशी गैर-बैंकिंग अनुषंगी

1. बॉब (यूके) लिमिटेड (दिनांक 22.09.2020 से विघटन)

iii) विदेशी गैर-बैंकिंग स्टेप-डाउन अनुषंगी

1. बड़ौदा कैपिटल मार्केट (युगांडा) लिमिटेड. (बैंक ऑफ़ बड़ौदा युगांडा लिमिटेड की अनुषंगी)

**बी) सहयोगी इकाइयां**

**i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक**

1. बड़ौदा उत्तर प्रदेश बैंक
2. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
3. बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक

**ii) अन्य**

1. इंडो जांबिया बैंक लिमिटेड

**सी) संयुक्त उद्यम**

1. इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
2. इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी.
3. इंडिया इंफ्राडेब्ट लिमिटेड

## 12.5 Related Party Disclosures (Accounting Standard-18)

I. Name of Related Parties & their relationship Related Parties to the Group:

a) Subsidiaries

i) Domestic Banking Subsidiary

1. The Nainital Bank Limited

ii) Foreign Banking Subsidiaries

1. Bank of Baroda (Kenya) Limited
2. Bank of Baroda (Uganda) Limited
3. Bank of Baroda (Guyana) Inc.
4. Bank of Baroda (UK) Limited.
5. Bank of Baroda (Tanzania) Limited
6. Bank of Baroda (Trinidad & Tobago) Ltd. (Discontinued from 26.02.2021)
7. Bank of Baroda (New Zealand) Ltd.
8. Bank of Baroda (Botswana) Limited

**i) Domestic Non- Banking Subsidiaries**

1. BOB Capital Markets Limited
2. BOB Financial Solutions Limited (formerly known as BOB Cards Ltd)
3. Baroda Global Shared Services Ltd
4. Baroda Sun Technologies Ltd.
5. Baroda Asset Management India Limited
6. Baroda Trustee India Private Limited

ii) Foreign Non- Banking Subsidiary

1. BOB (UK) Ltd. (Dissolved w.e.f 22.09.2020)

iii) Foreign Non- Banking Step-down Subsidiary

1. Baroda Capital Markets (Uganda) Limited. (Subsidiary of Bank of Baroda Uganda Ltd.)

**b) Associates**

**i) Regional Rural Banks**

1. Baroda U P Bank
2. Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank
3. Baroda Gujarat Gramin Bank

**ii) Others**

1. Indo Zambia Bank Limited

**c) Joint Ventures**

1. India First Life Insurance Company Limited
2. India International Bank (Malaysia) Bhd.
3. India Infra Debt Limited

## डी) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (नवीनतम नाम सहित)

## d) Key Management Personnel (Includes the latest Names)

| क्र. सं S. No. | नाम | पदनाम | Name | Designation | पारिश्रमिक Remuneration 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2021 | पारिश्रमिक Remuneration 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री संजीव चड्ढा | प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ. | Shri Sanjiv Chadha | MD & CEO | ₹ 35,39,380/- | ₹ 6,96,137/- |
| 2. | श्री शांति लाल जैन | कार्यपालक निदेशक | Shri Shanti Lal Jain | Executive Director | ₹ 31,57,372/- | ₹ 31,64,877/- |
| 3. | श्री विक्रमादित्य सिंह खीची | कार्यपालक निदेशक | Shri Vikramaditya Singh Khichi | Executive Director | ₹ 35,64,623/- | ₹ 31,75,563/- |
| 4. | श्री मुरली रामास्वामी* | कार्यपालक निदेशक (दिनांक 01.10.2019 से दिसम्बर 2020 तक) | Shri Murali Ramaswami* | Ex-ED (w.e.f. 01.10.2019- Dec 2020) | ₹ 1,09,39,850/- | ₹ 45,05,016/- |
| 5. | श्री अजय कुमार खुराना | कार्यपालक निदेशक | Shri Ajay Kumar Khurana | Executive Director | ₹ 29,90,055/- | 0.00 |
| 6. | श्री देबदत्त चाँद | कार्यपालक निदेशक | Shri Debadatta Chand | Executive Director (w.e.f. 10.03.2021) | ₹ 1,55,527/- | 0.00 |
| 7. | श्री पी एस जयकुमार | पूर्व-प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (12.10.2019 तक) | Shri P S Jayakumar | Ex -MD & CEO (upto 12.10.2019) | 0.00 | ₹ 29,70,048/- |
| 8. | श्रीमती पापिया सेनगुप्ता* | कार्यपालक निदेशक (सितंबर 2019 तक) | Smt. Papia Sengupta* | Ex-ED (up to Sept 2019) | 0.00 | ₹ 74,13,129/- |

**सेवानिवृत्ति लाभ शामिल*

**includes retirement benefits*

लेखो के टिप्पणियों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार, संबंधित पार्टी प्रकटीकरण के लिए बोर्ड के पूर्णकालिक निदेशक प्रमुख प्रबंधन कार्मिक हैं. एएस-17 के अनुसार, वे सभी पूर्णकालिक निदेशक जो नीति निर्धारण के निर्णयों में शामिल हैं, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक हैं.

दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान अपने संबद्ध पक्षों के साथ बैंक के लेनदेन के विवरण निम्नानुसार है:

**संबंधित पार्टियों के साथ संव्यवहारों का विवरण**

In terms of RBI circular on notes to accounts, key management personnel are whole time directors of Board for Related Party Disclosure. As per AS-17, those whole-time directors who are involved in the policy making decisions are Key Management Personnel.

The details of transactions of the Bank with its related parties during the year ended 31 March, 2021 are given below:

**Details of transactions with Related Parties**

(राशि ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Cr)

| क्र. सं S. No. | लेनदेन का स्वरूप | Nature of Transaction | सहयोगी /संयुक्त उद्यम 2020-2021 Associate /JV 2020-2021 | सहयोगी /संयुक्त उद्यम 2019-2020 Associate /JV 2019-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्राप्त ब्याज | Interest Received | 5.43 | 13.31 |
| 2. | एनसीडी पर अर्जित ब्याज | Interest Accrued on NCDs | 7.13 | 7.14 |
| 3. | निवेश | Investment | 155.00 | 155.00 |

संबंधित पक्षों के संबंध में कोई प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, जो कि लेखांकन मानक (एएस) 18 के पैरा 9 के अनुसार राज्य-नियंत्रित उद्यम हैं.

No disclosure is required in respect of related parties, which are "State-controlled Enterprises" as per paragraph 9 of Accounting Standard (AS) 18.

इसके अलावा, एएस 18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके संबंधियों समेत बैंकर-ग्राहक संबंध प्रकार के लेनदेनों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है.

**12.6 लेखांकन मानक -19 "पट्टा":**

प्रभावी पट्टे पर लिए गए परिसर निम्नानुसार हैं:

प्रभावी पट्टों में मूल रूप से कार्यालय परिसर और कर्मचारी निवास शामिल हैं, जिनका नवीनीकरण करना बैंक की इच्छा पर है.

i) निम्नलिखित तालिका में सूचित अवधि के लिए उन परिसरों के भावी किराए के ब्यौरे प्रस्तुत हैं जिनके प्रभावी पट्टे रद्द नहीं किए जा सकते:

Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

**12.6 Accounting Standard-19 "Leases":**

Premises taken on operating lease are given below:

Operating leases primarily comprise office premises and staff residences, which are renewable at the option of the Bank.

i) The following table sets forth, for the period indicated, the details of future rental payments on Premises taken on Non-Cancellable operating leases:

| बाध्यताएं | Obligations | 31 मार्च, 2021 के अनुसार **As on March 31, 2021** | 31 मार्च, 2020 के अनुसार As on March 31, 2020 |
|---|---|---|---|
| एक वर्ष से कम | Less than 1 year | **161.80** | 129.95 |
| 1 वर्ष से 5 वर्ष | 1 to 5 years | **249.00** | 276.77 |
| 5 वर्ष और उससे अधिक | 5 years and above | **254.95** | 279.94 |

ii) प्रभावी पट्टों के लिए लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त पट्टे के भुगतान की राशि ₹ 821.66 करोड़ (विगत वर्ष: ₹ 838.19 करोड़)

बैंक के पास आकस्मिक किराए से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है.

नवीकरण/ खरीद विकल्प और किराया वृद्धि इस प्रकार के करारों में प्रचलित शर्तों के अनुरूप होते हैं. इन करारों में कोई अनुचित प्रतिबंध या दुष्कर शर्तें नहीं होती हैं.

ii) Amount of lease payments recognized in the Profit & Loss Account for operating leases is ₹ 821.66 Crores (Previous Year: ₹ 838.19 Crores)

The Bank does not have any provisions relating to contingent rent.

The terms of renewal/purchase options and escalation clauses are those normally prevalent in similar agreements. There are no undue restrictions or onerous clauses in the agreements.

**12.7 प्रति शेयर आय (लेखांकन मानक-20)**

बैंक लेखांकन मानक-20 - "प्रति शेयर" आय के अनुरूप प्रति इक्विटी शेयर में बुनियादी और डायल्यूटेड आय दर्ज करता है. वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद निवल लाभ को विभाजित करके मूल आय प्रति शेयर की गणना की जाती है.

**12.7 Earnings per Share (Accounting Standard-20)**

The Bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with Accounting Standard 20 - "Earnings per Share". "Basic earnings" per share is computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

(राशि ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Cr

| विवरण | Particulars | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए **For the year ended March 31, 2021** | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020 |
|---|---|---|---|
| वर्ष के आरंभ में शेयर की संख्या | Number of share at the beginning of the year | **4,62,05,66,586** | 264,55,16,132 |
| वर्ष के दौरान जारी शेयर | Shares Issued during the Year | **55,07,95,593** | 197,50,50,454** |
| वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या | Number of share at the end of year | **5,17,13,62,179** | 462,05,66,586 |
| प्रति शेयर मूल आय की गणना करने के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयर | Weighted Average Share used in computing the basic earnings per shares | **4,66,28,19,399** | 4,00,73,03,898 |
| वर्षं के अंत में इक्विटी शेयरों की संभावित संख्या | Potential no. of equity shares as at end of year | **NA** | NA |
| प्रति शेयर डायल्यूटेड आय की गणना के लिए शेयरों की संख्या | Number of share used in computing the diluted earnings per shares | **4,66,28,19,399** | 4,00,73,03,898 |
| कर के बाद निवल लाभ (रु. करोड़ में) | Net profit after tax (₹ in Crores) | **1547.67** | 927.75 |
| मूल अर्जन प्रति शेयर (रु. में) | Basic earnings per share (In ₹) | **3.32** | 2.32 |
| डायल्यूटेड आय प्रति शेयर (रु. में) | Diluted earning per share (In ₹) | **3.32** | 2.32 |
| अंकित मूल्य प्रति शेयर (रु. में) | Nominal value per share (In ₹) | **2.00** | 2.00 |

** समामेलन की योजना के अनुरूप अप्रैल 2019 को 52,42,00,772 पूर्ण प्रदत्त शेयर जारी किए गए और पूर्ववर्ती विजया बैंक के इक्विटी शेयरधारकों को आबंटित किए गए तथा 24,84,51,166 पूर्ण प्रदत्त शेयर जारी किए गए और पूर्ववर्ती देना बैंक के इक्विटी शेयरधारकों को आबंटित किए गए, को शामिल किया गया है.

**includes 52,42,00,772 fully paid up shares issued and allotted to equity shareholders of erstwhile Vijaya Bank and 24,84,51,166 fully paid up shares issued and allotted to equity shareholders of erstwhile Dena Bank on April, 2019, pursuant to scheme of Amalgamation.

**12.8 एएस – 21 (संशोधित) – समेकित वित्तीय विवरण**

बैंक ऑफ़ बड़ौदा (त्रिनिदाद एंड टोबैगो) लिमिटेड, बैंक ऑफ़ बड़ौदा की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी दिनांक 26 फरवरी, 2021 को बंद कर दी गई थी.

**12.9 आय पर करों के लिए लेखांकन (लेखांकन मानक-22)**

**ए. आस्थगित कर आस्तियां**

**12.8 AS – 21 (Revised) – Consolidated Financial Statement**

Bank of Baroda (Trinidad and Tobago) Ltd, wholly owned subsidiary of Bank of Baroda was closed on 26th February, 2021.

**12.9 Accounting for Taxes on Income (Accounting Standard-22)**

**a. Deferred Tax Assets**

| विवरण | Particulars | 31 मार्च, 2021 के अनुसार As on March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 के अनुसार As on March 31, 2020 |
|---|---|---|---|
| आयकर अधिनियम के तहत बही मूल्यह्रास तथा मूल्यह्रास के बीच अंतर | Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act | **428.77** | 560.44 |
| संदिग्ध ऋण एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान | Provision for doubtful debts and advances | **11,747.61** | 16,668.19 |
| अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान | Provision for leave encashment | **432.16** | 643.11 |
| विदेशी मुद्रा संव्यवहार आरक्षित | Foreign Currency Translation Reserve | **255.67** | 462.80 |
| धोखाधड़ी हेतु प्रावधान | Provision for Fraud | **71.55** | 98.30 |
| गैर-बैंकिंग आस्तियों हेतु प्रावधान | Provision for Non Banking Assets | **13.84** | 56.81 |
| अनिर्धारित व्यवसाय हानि | Unabsorbed Business Loss | **0.05** | 2.16 |
| अन्य | Others | **18.94** | 4.74 |
| **कुल आस्थगित कर आस्तियां** | **Total Deferred tax Asset** | **12,968.59** | 18,496.55 |

**बी. आस्थगित कर देयताएं**

**b. Deferred Tax Liabilities**

(राशि ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Cr

| विवरण | Particulars | 31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020 |
|---|---|---|---|
| आयकर अधिनियम के तहत बही मूल्यह्रास तथा मूल्यह्रास के बीच अंतर | Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act | **5.18** | 6.78 |
| आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत कटौतियां | Deduction under section 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961 | **1,810.50** | 2,410.24 |
| उपचित ब्याज परंतु देय नहीं | Interest Accrued but not due | **906.53** | 1,510.11 |
| अन्य | Others | **0.00** | 1.57 |
| **कुल आस्थगित कर देयताएं** | **Total Deferred tax Liability** | **2,722.21** | 3,928.70 |
| **निवल आस्थगित कर देयताएं** | **Net Deferred tax Asset** | **10,246.38** | 14,567.85 |

ए) 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आयकर हेतु प्रावधानों को निर्धारित करते समय बैंक ने कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 के द्वारा लागू किए गए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 बीएए के तहत अनुमन्य न्यूनतम कर दर के विकल्प का प्रयोग

a) While recognising provision for income tax for the year ended 31st March 2021, the Parent Bank has exercised the option of lower tax rate permitted under Section 115 BAA of the Income-tax Act, 1961 as introduced by the

किया है. तदनुसार, बैंक ने उक्त धारा में निर्धारित कर की दर के आधार पर 31 मार्च, 2020 को अपनी आस्थगित कर आस्तियों का पुनर्निर्धारण किया है. इन परिवर्तनों का परिणाम ₹ 3,837.20 करोड़ का एकमुश्त प्रभार है जो बैंक के कर व्यय में शामिल है. बैंक द्वारा लिए गए संगत निर्णय, न्यायिक निर्णयों और बैंक के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर से संबंधित प्रावधानों के लागू नहीं होने के संबंध में कानूनी परामर्श के आधार पर, बैंक द्वारा प्रयोग किए गए इस विकल्प से प्रबंधन को किसी अन्य प्रभाव की उम्मीद नहीं है.

बी) अन्य आस्तियों के अंतर्गत दर्शाए गए अग्रिम कर भुगतान/ स्रोत पर कर कटौती में विभिन्न मूल्यांकन वर्षों के लिए कर मांग से संबंधित बैंक द्वारा प्रदत्त/ विभाग द्वारा समायोजित विवादास्पद राशि शामिल है. ₹ 6,187.58 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5128.14 करोड़) के विवादास्पद आयकर मांग के संबंध में कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है, क्योंकि बैंक के विचार में, कर सलाहकारों के विधिवत राय में और / या ऐसे मुद्दे पर मूल बैंक की स्वयं की अपीलों के निर्णय के मद्देनजर, किए गए परिवर्धन/ अस्वीकृति मान्य नहीं हैं. इन राशियों में धारा 115जेबी (मैट) से संबंधित मांगों के संबंध में विभाग द्वारा विवादित कर (मैट क्रेडिट) के रूप में भुगतान/समायोजित किए गए ₹ 1,135.50 करोड़ भी शामिल हैं, जो बैंक के पक्ष में उपलब्ध न्यायिक घोषणाओं के प्रबंधन आधार की राय में और प्राप्त कानूनी सूचना वापसी योग्य है और इसलिए कोई प्रावधान/बट्टे बंद करना आवश्यक नहीं है.

## 12.10 परिचालन बंद करना (एएस-24)

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, निम्नलिखित विदेशी क्षेत्रों/ अनुषंगियां को बंद कर दिया गया है, विवरण निम्नानुसार हैं:

i. यूके में पूर्ण स्वामित्व वाली गैर-परिचालित अनुषंगी अर्थात् बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूके) लिमिटेड को दिनांक 22.09.2020 को बंद कर दिया गया है.

ii. त्रिनिदाद और टोबैगो में पूर्ण स्वामित्व वाली विदेशी अनुषंगी अर्थात् बैंक ऑफ़ बड़ौदा (त्रिनिदाद और टोबैगो) लिमिटेड दिनांक 26.02.2021 को अंसा मर्चेंट बैंक लिमिटेड को बिकने वाला है.

## 12.11 आस्तियों की हानि (एएस-28)

बैंक के प्रबंधन की राय में, उस वर्ष के दौरान आस्तियों को हानि का कोई संकेत नहीं है जिस पर लेखा मानक 28 – आस्तियों की हानि लागू होता है.

## 12.12 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां (एएस-29):

प्रावधानों का संचलन (अन्य के लिए प्रावधानों को छोड़कर)

Taxation Laws (Amendment) Act, 2019. Accordingly, the Parent Bank has re-measured its Deferred Tax Assets at 31st March, 2020 based on the tax rate prescribed in the said section. The impact of these changes is a one-time charge of ₹ 3,837.20 Crores which is included in Current Tax expenses of the Parent Bank. Based on the consistent stand taken by the Parent Bank, judicial pronouncements and legal advice in relation to non-applicability of the provisions relating to Minimum Alternate Tax to the Bank, the management does not foresee any further implications of this option being exercised by the Bank.

b) Tax Paid in advance/Tax deducted at source appearing under Other Assets includes disputed amount adjusted by the department/paid by the Bank in respect of tax demands for various assessment years. No provision is considered necessary in respect of disputed Income Tax demands of ₹ 6,187.58 Crores (Previous year: ₹ 5,128.14 Crores) as in the bank's view, duly supported by Tax Consultant view and/or decision in bank's own appeals on same issues, additions / disallowances made are not sustainable. These amounts also include ₹ 1,135.50 Crores paid/ adjusted by the department as disputed tax (MAT credit) in relation to the demands relating section 115JB (MAT) which in the opinion of the management basis available judicial pronouncements in favor of the Bank and the legal advice received are refundable and hence no provision/ write off has been considered necessary.

## 12.10 Discontinuing operations (AS-24)

During the financial year 2020-21, the following overseas territories/ subsidiaries have been closed, Details are as under:

i. Wholly owned non-functional subsidiary at UK viz. BOB (UK) Ltd. has been closed on 22.09.2020

ii. Wholly owned overseas subsidiary at Trinidad & Tobago viz. Bank of Baroda (Trinidad & Tobago) Ltd on 26.02.2021 by the way of sale to Ansa Merchant Bank Limited.

## 12.11 Impairment of Assets (AS-28)

In the opinion of the Bank's management, there is no indication of impairment to the assets during the year to which Accounting Standard 28 – "Impairment of Assets" applies.

## 12.12 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (AS-29):

Movement of provisions (excluding provisions for others)

(राशि ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Cr)

| विवरण | Particulars | विधिक मामले / आकस्मिकताएं Legal Cases / Contingencies | |
|---|---|---|---|
| | | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2021 | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020 |
| दिनांक 1 अप्रैल को शेष राशि | Balance as on 1st April | **100.83** | 34.00 |
| प्रारंभिक समायोजन | Opening Adjustment | **110.40** | 8.27 |
| वर्ष के दौरान प्रावधानीकृत/समायोजित | Provided/ Adjustment during the year | **160.62** | 58.56 |
| दिनांक 31 मार्च को शेष राशि | Balance as at 31st March | **371.85** | 100.83 |
| बाहर जाने वाली/ अनियमितताओं का समय | Timing of Outflow / uncertainties | निपटान/क्रिस्टलीकरण का बहिर्गमन Outflow on settlement / crystallization | |

ए) तुलनपत्र की अनुसूची 12 की क्रम संख्या (I) से (VI) में उल्लिखित इस प्रकार की देयताएं न्यायालय के निर्णय/ मध्यस्थता राशि/ न्यायालय से बाहर समझौते/ अपीलों के निपटान के परिणामों, साथ ही जो करार की बाध्यताओं, संबद्ध पक्षों द्वारा की गई मांग से संबंधित राशि पर निर्भर है, ऐसे मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है.

बी) उपभोक्ता न्यायालयों में बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड के खिलाफ दावे दायर किए गए लेकिन ₹ 0.36 करोड़ के कर्ज के रूप में माने नहीं गए (पिछले वर्ष: ₹ 0.22 करोड़)

सी) बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड के खिलाफ आयकर की मांग शून्य (पिछले वर्ष: ₹ 0.77 करोड़).

डी) मेसर्स एसटीसीआई – स्टैंडर्ड चार्टर्ड कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (संयुक्त मर्चेंट बैंकर) ने वर्ष 2010 में बीओबी कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के साथ-साथ जारीकर्ता कंपनी (एसवीपीसीएल लिमिटेड) के विरुद्ध एसपीवीसीएल द्वारा दावाकृत ₹ 15.23 करोड़ की हानि की क्षतिपूर्ति के लिए मामला दर्ज किया गया था. उपरोक्त विवादित मामला माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई के समक्ष लंबित है. प्रबंधन की राय में यह निराधार मुकदमेबाजी है और कंपनी पर कोई देयता नहीं होगी और उनके अनुमान में न्यायालय का निर्णय कंपनी के पक्ष में होगा.

ई) आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी गई है.

एफ) आकस्मिक देयताओं का विवरण

**ए) बैंक के विरुद्ध दावा जिन्हें कर्ज नहीं माना गया है;**

व्यवसाय की सामान्य गतिविधियों में मूल कंपनी और उसके घटक विभिन्न प्रोसीडिंग्स के पक्षकार हैं. यह अपेक्षा नहीं है कि समूह की वित्तीय स्थितियों, परिचालन या नकदी प्रवाह के परिणाम पर ये प्रोसीडिंग्स के परिणाम वस्तुगत प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे. यह समूह विभिन्न कराधान मामलों के लिए पक्षकार है जिसके संबंध में अपील लंबित हैं. इनमें आयकर अधिकारियों द्वारा की गई और बैंक एवं उसकी अनुषंगियों द्वारा विवादित मांग भी शामिल हैं.

**बी) आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश के लिए देयता**

यह आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश के लिए देयता में अदत्त राशि को प्रतिबिंबित करता है.

A) Such liabilities as mentioned at Serial No (I) to (VI) of Schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the outcome of court judgment / arbitration awards / out of court settlement/disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, development and raising of demand by concerned parties respectively. No reimbursement is expected in such cases.

B) Claims filed against BOB Financial Solutions Limited in consumer courts but not acknowledged as debts ₹ 0.36 Crores. (Previous Year: ₹ 0.22 Crore).

C) Income Tax demand against BOB Financial Solutions Limited is Nil (Previous Year: ₹ 0.77 Crores).

D) M/s STCI — Standard Chartered Capital Markets Limited (joint merchant banker) filed a case against BOB Capital Markets Limited in the year 2010 as well as the issuer company (SVPCL Limited) for indemnifying the damage of ₹15.23 Crores claimed by SVPCL Limited. The above disputed matter is pending before the Hon'ble High Court, Mumbai. In the opinion of the management this is a frivolous litigation and there would not be any liability on the company and the case, in all probability, would be decided in the company's favour.

E) Contingent Assets are not recognized in the financial statements.

F) Description of contingent liabilities

**a) Claims against the Bank not acknowledged as debts;**

The parent and its constituents are parties to various proceedings in the normal course of business. It does not expect the outcome of these proceedings to have a material adverse effect on the Group's financial conditions, results of operations or cash flows. The Group is a party to various taxation matters in respect of which appeals are pending. These also include demands raised by income tax authorities and disputed by the Bank and its subsidiaries.

**b) Liability for partly paid investments**

This represents amounts remaining unpaid towards liability for partly paid investments.

**सी) वायदा मुद्रा एवं डेरिवेटिव संविदाओं के कारण देयता**

समूह ने स्वयं और ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा संविदा, मुद्रा ऑप्शन/स्वैप, ब्याज दर/मुद्रा फ्यूचर्स एवं वायदा दर करार किया है. वायदा मुद्रा संविदा अनुबंधित दर पर भावी तारीख को विदेशी मुद्रा के क्रय या विक्रय के लिए प्रतिबद्धता है. मुद्रा स्वैप, लागू हाजिर दरों के आधार पर, दो मुद्राओं में ब्याज/ मूलधन के माध्यम से नकदी प्रवाह को विनिमय के लिए प्रतिबद्धता है. ब्याज दर स्वैप, सावधि और अस्थायी ब्याज दर नकदी प्रवाह के विनिमय के लिए प्रतिबद्धता है. ब्याज दर फ्यूचर्स एक मानकीकृत, एक्सचेंज-ट्रेडड संविदा है जो एक नियत भावी तारीख को एक निश्चित मूल्य पर निश्चित ब्याज दर लेनदेन करने का वचन देती है. वायदा दर करार एक सहमत अवधि के लिए अनुमानित राशि पर डिफरेंशल ब्याज दर के आधार पर एक निश्चित राशि का भुगतान करने या प्राप्त करने के लिए करार है. विदेशी मुद्रा ऑप्शन दो पक्षों के बीच एक करार होता है, जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को नियत समयावधि के भीतर या निर्दिष्ट भावी समय में विशिष्ट मूल्य पर मुद्रा की एक निश्चित राशि खरीदने या बेचने का अधिकार देता है. एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शन संविदा, एक मानकीकृत विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदा है, जो समाप्ति की तारीख पर नियत तारीख पर पूर्व-सहमत मुद्रा दर पर एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में मूल्यवर्गित राशि के विनिमय का अधिकार देता है, परंतु बाध्यता नहीं. मुद्रा फ्यूचर्स वायदा निर्दिष्ट मूल्य पर भविष्य में नियत तारीख को निश्चित अंतर्निहित मुद्रा के क्रय या विक्रय के लिए मानकीकृत, एक्सचेंज-ट्रेडेड संविदा है. अनुमानित राशि को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया जाता है. अपने ग्राहकों के साथ किए गए लेनदेन के संबंध में, यह समूह आम तौर पर इंटरबैंक बाजार में ऑफसेट लेनदेन करता है. इससे अधिक संख्या में बकाया लेनदेन जनरेट होता है और इसलिए पोर्टफोलियो के सकल अनुमानित मूलधन में भारी वृद्धि होती है, जबकि निवल बाजार जोखिम कम है.

**डी) ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटी**

अपनी बैंकिंग गतिविधियों के एक भाग के रूप में, समूह अपने ग्राहकों की ऋण अवस्थिति को बढ़ाने हेतु उनके पक्ष में गारंटी जारी करता है. वह गारंटी इरेवोकेबल एश्योरेंस को दर्शाती है कि ग्राहक के वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने की स्थिति में बैंक उसका भुगतान करेगा.

**ई) स्वीकृति, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व**

इसमें समूह द्वारा अपने ग्राहकों के पक्ष में जारी किए गए दस्तावेजी क्रेडिट और बैंक के ग्राहकों द्वारा आहरित बिल, जिन्हें बैंक द्वारा स्वीकृत और पृष्ठांकित किया गया हैं, को शामिल किया गया है.

**एफ) और अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से (कंटींजेंटली) उत्तरदायी है.**

**c) Liability on account of forward exchange and derivative contracts**

The Group enters into foreign exchange contracts, currency options/swaps, interest rate/currency futures and forward rate agreements on its own account and for customers. Forward exchange contracts are commitments to buy or sell foreign currency at a future date at the contracted rate. Currency swaps are commitments to exchange cash flows by way of interest/principal in two currencies, based on ruling spot rates. Interest rate swaps are commitments to exchange fixed and floating interest rate cash flows. Interest rate futures are standardized, exchange-traded contracts that represent a pledge to undertake a certain interest rate transaction at a specified price, on a specified future date. Forward rate agreements are agreements to pay or receive a certain sum based on a differential interest rate on a notional amount for an agreed period. A foreign currency option is an agreement between two parties in which one grants to the other the right to buy or sell a specified amount of currency at a specific price within a specified time period or at a specified future time. An Exchange Traded Currency Option contract is a standardized foreign exchange derivative contract, which gives the owner the right, but not the obligation, to exchange money denominated in one currency into another currency at a pre-agreed exchange rate on a specified date on the date of expiry. Currency Futures contract is a standardized, exchange-traded contract, to buy or sell a certain underlying currency at a certain date in the future, at a specified price. The notional amounts are recorded as contingent liabilities. With respect to the transactions entered into with its customers, The Group generally enters into offsetting transactions in the interbank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions, and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower.

**d) Guarantees given on behalf of constituents**

As a part of its banking activities, the Group issues guarantees on behalf of its customers to enhance their credit standing. Guarantees represent irrevocable assurances that the Bank will make payments in the event of the customer failing to fulfill its financial or performance obligations.

**e) Acceptances, endorsements and other obligations**

These include documentary credit issued by the Group on behalf of its customers and bills drawn by the Bank's customers that are accepted or endorsed by the Bank.

f) And other items for which Bank is contingently liable.

## 13 नियामकों द्वारा लगाया गया जुर्माना

## 13 Penalty Imposed by Regulators

(राशि ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Cr)

| विवरण | Particulars | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2021 | | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | मामलों की संख्या No of Cases | राशि (करोड़ में) Amount (in Cr) | मामलों की संख्या No of Cases | राशि (करोड़ में) Amount (in Cr) |
| भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाया गया जुर्माना | Penalties Imposed by RBI | **222** | **1.40** | 127 | 5.92 |
| विदेशी टेरिटरी/अनुषंगियों पर उनके संबंधित नियामक द्वारा लगाया गया जुर्माना | Penalties Imposed on Overseas territories/subsidiaries by their respective regulators | **3** | **13.70** | 2 | 0.18 |

## 14 अतिरिक्त प्रकटीकरण:

मूल कंपनी व अनुषंगियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में अतिरिक्त सूचना में प्रकटीकरण जिनका सीएफएस के सटीक और निष्पक्ष दृष्टिकोण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और उन मदों की सूचना जो कोई मायने नहीं रखती उन्हें सीएफएस के प्रकटीकरण में शामिल नहीं किया गया है.

14.1 समूह की संस्थाओं के बीच आपस में अंतर-बैंक/ कंपनी की शेष राशियों का रिकंसिलेशन सतत आधार पर किया जाता है. बैंक के मामले में, अंतर कार्यालय समायोजन में शामिल विभिन्न खाता शीर्षों में डेबिट और क्रेडिट बकाया प्रविष्टियों का प्रारंभिक मिलान दिनांक 31.03.2021 तक पूरा कर लिया गया है, जिसका रिकंसिलेशन किया जा रहा है. अनुषंगी बही खातों का मिलान, अंतर-कार्यालय खातों, माइग्रेशन खातों, अन्य कार्यालय खातों की पुष्टि/ रिकंसिलेशन आदि सतत आधार पर जारी है. प्रबंधन की राय में, वित्तीय विवरणों पर उपरोक्त का, समग्र प्रभाव, यदि कोई हो, महत्वपूर्ण होने की संभावना नहीं है.

14.2 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण पर तैयार करने के लिए आईसीएआई द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरण को अपनाया गया है. तदनुसार, मूल कंपनी और उसकी अनुषंगियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में अतिरिक्त सांविधिक जानकारी का प्रकटन किया गया है जिसका समेकित वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण पर कोई असर नहीं पड़ता है और साथ ही जो मदें वस्तुगत नहीं हैं उनसे संबंधित जानकारी को आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक प्रकटीकरण के मद्देनजर समेकित वित्तीय विवरण में प्रकट नहीं किया गया है.

14.3 वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक ने सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार क्वेलिफाइड इन्स्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के तहत बैंक की विकास योजनाओं और अन्य सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए बैंक की टियर I पूंजी को बढ़ाने के लिए कुल ₹ 4,500.00 करोड़ के ₹ 81.70 प्रति इक्विटी शेयर (₹ 79.70 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम सहित) के निर्गम मूल्य पर ₹ 2 के अंकित मूल्य वाले 55,07,95,593 इक्विटी शेयर जारी और आवंटित किए हैं.

## 14 Additional Disclosures:

Additional information disclosed in the separate financial statements of the Parent and the Subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the CFS and also the information pertaining to the items which are not material, have not been disclosed in the CFS.

14.1 Inter- Bank/Company balances between group entities are being reconciled on an ongoing basis. In case of Bank, initial matching of debit and credit outstanding entries in various heads of accounts included in Inter office Adjustments has been completed up to 31.03.2021, the reconciliation of which is in progress. Balancing of Subsidiary Ledger Accounts, confirmation/ reconciliation of Inter-office accounts, Migration accounts, other office accounts, etc. is in progress on an on-going basis. In the opinion of the management, the overall impact on the financial statements, if any, of the above, is not likely to be material.

14.2 In accordance with current RBI guidelines, the general clarification issued by ICAI has been considered in the preparation of the consolidated financial statements. Accordingly, additional statutory information disclosed in separate financial statements of the parent and its subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the consolidated financial statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the consolidated financial statements in view of the Accounting Standard Interpretation issued by ICAI.

14.3 During the FY 2020-21, the Parent Bank has issued and allotted 55,07,95,593 equity shares having face value of ₹ 2 each at an issue price of ₹ 81.70 per equity shares (including premium of ₹ 79.70 per equity share), under Qualified Institutional Placement (QIP) in accordance with the provisions of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 aggregating to ₹ 4,500.00 Crores for augmenting Bank's Tier I capital to support growth plans of the Bank and for other general corporate purposes.

14.4 भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीआर.संख्या.बीपी.बीसी.62/61.04.048/2019-20 दिनांक 17 अप्रैल 2020 के संदर्भ में बैंक ने 2 खातों में निपटान की अवधि बढ़ा दी है और ऐसे मामलों में बकाया दिनांक 31 मार्च, 2021 तक ₹ 259.40 करोड़ है और बैंक ने इन खातों पर ₹ 51.88 करोड़ का प्रावधान किया है.

14.5 भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2020-21/16 डीओआर.सं.बीपी.बीसी/3/21.04.048/ 2020-21 दिनांक 06 अगस्त 2020 के अनुसार कोविड 19 संबंधित दबाव के लिए निपटान फ्रेमवर्क के तहत लागू निपटान योजना का विवरण.

14.4 In terms of RBI circular No DBR.NO.BP.BC.62/61.04.048/2019-20 dated 17th April 2020 the Bank has extended resolution period in 2 accounts and the outstanding in such cases as on March 31, 2021 is ₹ 259.40 Crores and Bank holds provision of ₹ 51.88 Crores on these accounts.

14.5 Details of Resolution plan implemented under Resolution Framework for COVID 19 related stress as per RBI circular Circular RBI/2020-21/16 DOR.No.BP.BC/3/21.04.048/2020-21 dated 06. August 2020.

(राशि ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Cr)

| उधारकर्ता के प्रकार<br>Type of borrower | ए) इस विंडो के अंतर्गत खातों की संख्या जहां निपटान योजना कार्यान्वित की गई है<br>(A) Number of accounts where resolution plan has been implemented under this window | (बी) योजना के कार्यान्वित किए जाने के पूर्व (ए) में उल्लिखित खाते जिनमें एक्स्पोजर था<br>(B) exposure to accounts mentioned at (A) before implementation of the plan | (सी) का (बी), ऋण की समेकित राशि जिसे अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित किया गया<br>(C) Of (B), aggregate amount of debt that was converted into other securities | (डी) योजना के प्रारंभ किए जाने और कार्यान्वित किए जाने के बीच स्वीकृत की गई अतिरिक्त निधि सहित, यदि कोई हो<br>(D) Additional funding sanctioned, if any, including between invocation of the plan and implementation | (ई) निपटान योजना के कार्यान्वित किए जाने के कारण प्रावधान में वृद्धि<br>(E) Increase in provisions on account of the implementation of the resolution plan |
|---|---|---|---|---|---|
| व्यैक्तिक ऋण / Personal Loans | 7,858 | 1,073.14 | 0.00 | 0.04 | 103.02 |
| कॉर्पोरेट व्यक्ति* / Corporate Persons | 3 | 2,701.30 | 0.00 | 113.76 | 10.33 |
| जिसमें से एमएसएमई / of which, MSMEs | - | - | - | - | – |
| अन्य / Others | - | - | - | - | – |
| कुल / Total | 7,861 | 3,774.44 | 0.00 | 113.80 | 113.35 |

*जैसा कि दिवालिया और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित किया गया है.

14.6 भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र सं. डीबीआर.नं.बीपी.15199 / 21.04.048 / 2016-17 दिनांक 23 जून, 2017 तथा डीबीआर.नं. बीपी.1906 / 21.04.048 / 2017-18 दिनांक 28 अगस्त, 2017 के अनुसार दिवालिया एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों के तहत शामिल खातों के लिए बैंक ने 31 मार्च, 2021 को कुल ₹ 8,297.61 करोड़ (कुल बकाया का 100%) का प्रावधान किया है (पिछले वर्ष: ₹ 10906.17 करोड़ (कुल बकाया का 98.63%).

14.7 बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड 'कंपनी' के निदेशक मंडल ने 13 सितंबर 2019 को समामेलन की समग्र योजना ('योजना") को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी, जिसे बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बीओबी) और बीएनपी परिबास एसेट मैनेजमेंट एशिया लिमिटेड (बीएनपी एशिया) के बीच भारत में अपने आस्ति प्रबंधन और ट्रस्टी कंपनियों का विलय करने जिससे उनके संबंधित व्यवसायों को एकीकृत किया जा सके, के लिए 11 अक्टूबर, 2019 को निष्पादित करार को प्रभावी बनाने के लिए

*As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

14.6 As per RBI letter no. DBR.No.BP.15199/21.04.048/2016-17 and DBR. No. BP. 1906/21.04.048/ 2017-18 dated June 23, 2017 and August 28, 2017 respectively, for the accounts covered under the provisions of Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), the Group is holding total provision of ₹ 8,297.61 Crores (100% of total outstanding) as on March 31,2021 (Previous Year: ₹ 10906.17 Crores (98.63% of total outstanding)).

14.7 The Board of Directors of Baroda Asset Management India Limited 'the Company' on September 13, 2019 granted its "in principle" approval to the Composite Scheme of Amalgamation ('the Scheme"), which was also assented to by the members of the Company on January 28, 2020 to give effect to the agreements executed on October 11, 2019 between Bank of Baroda (BOB) and BNP Paribas Asset Management Asia Ltd (BNP Asia) to merge their Asset Management and Trustee Companies in India, thereby integrate their

भी कंपनी के सदस्यों द्वारा 28 जनवरी, 2020 को मंजूरी दी गई थी. यह योजना 11 फरवरी, 2020 को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में धारा 230 से 232 और अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों के संदर्भ में फाइल की गई थी.

इस योजना में 1 अप्रैल 2019 से (i) बीएनपी परिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (अंतरिती कंपनी I') के साथ कंपनी (अंतरणकर्ता कंपनी) और (ii) बड़ौदा ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ('द अंतरिती कंपनी 2') के साथ बीएनपी परिबास ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ('अंतरणकर्ता कंपनी 2') के समामेलन से संबंधित है और यह योजना में यथा परिभाषित प्रभावी तारीख से लागू होगी.

वर्ष 2020-21 के लिए, कंपनी की वित्तीय विवरणों को कार्यशील संस्थान की धारणा के तहत तैयार किया गया है. सभी आवश्यक विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने के अधीन विलय लेनदेन के लिए अंतिम तिथि [तारीख जो क्रियान्वयन करार में निर्धारित शर्तों के अंतिम की संतुष्टि से 5 (पांच) व्यावसायिक दिन है] वित्तीय वर्ष 2021-22 में होने की उम्मीद है. इस प्रकार योजना का वित्तीय प्रभाव नियत तारीख से प्रभावी करने के लिए एनसीएलटी के आदेश अनुसार उस प्रभावी तारीख को दिया जाएगा.

14.8 पूंजी पर्याप्तता तथा चलनिधि मानक संशोधनों पर विवेकसम्मत दिशानिर्देशों के संबंध में जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.1/21.06.201/2015-16 दिनांक 01 जुलाई, 2015 के साथ पठित बासेल-III पूंजी विनियमन पर जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीबीआर.एनओ.बीपी.बीसी.80/21.06.201/2014-15 दिनांक 31 मार्च, 2015 के अनुसार बासेल-III फ्रेमवर्क के तहत बैंकों को लिवरेज-अनुपात और चलनिधि कवरेज अनुपात सहित यथालागू पिलर-3 प्रकटीकरण करना आवश्यक है. ये विवरण हमारी वेबसाइट "www.bankofbaroda.com" पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं. ये प्रकटीकरण लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा के अधीन नहीं है.

14.9 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को भुगतान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय मूल राशि या ब्याज के भुगतान में देरी का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है, अत: एमएसएमई को विलंबित भुगतान पर ब्याज के भुगतान के लिए प्रकटीकरण लागू नहीं है. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से संबंधित विवरण प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे और जिसे हमने आधार बनाया है.

14.10 भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीआर सं. बीपी.बीसी.92/21.04.048/2015-16 दिनांक 18 अप्रैल, 2016 के अनुसार बैंक ने चार तिमाहियों की अवधि में धोखाधड़ी के लिए देयता प्रदान करने का विकल्प चुना है. तदनुसार, 31 मार्च, 2020 तक कैरी फॉरवर्ड प्रावधान, ₹ 162.91 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 349.51 करोड़ था) है, जिसे बैंक द्वारा आगामी तिमाहियों में परिशोधित किया जाएगा.

14.11 अग्रिमों की रिस्ट्रक्चरिंग-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र (एक बारगी रिस्ट्रक्चरिंग) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018-19 दिनांक 1 जनवरी, 2019 के अनुसरण में 31 मार्च, 2020 तक ₹ 9059.36 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1,734.00 करोड़) के ₹ 1,25,909 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 37,261) एमएसएमई उधार खाते रिस्ट्रक्चर किए गए थे.

14.12 पिछले वर्ष के आंकड़ों को, चालू वर्ष के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यकतानुसार फिर से समूहों में वर्गीकृत किया गया है.

respective businesses. The scheme was filed with National Company Law Tribunal (NCLT) on February 11. 2020 in terms of provisions of Sections 230 to 232 and other applicable provisions of the Act

The scheme provides for the amalgamation of (i) the Company (the Transferor Company) with BNP Paribas Asset Management India Private Limited (the Transferee Company I') and (ii) BNP Paribas Trustee India Private Limited ('the Transferor Company 2') with Baroda Trustee India Private Limited ('the Transferee Company 2') from the appointed date being April 1, 2019, and shall be operative from the effective date as defined in the Scheme.

For the year 2020-21, the financials of the Company have been prepared under the going concern assumption. The closing date [date which is 5 (five) Business Days from the satisfaction of the last of the Conditions Precedent set out in the Implementation Agreement] for the merger transaction is expected to be in Financial Year 2021-22. Subject to receipt of all the required regulatory approvals. As such, the financial impact of the Scheme would be given on such effective date as per the order of the NCLT taking effect from the appointed date.

14.8 RBI Circular DBOD.NO.BP.BC.1/21.06.201/2015-16 dated July 01, 2015 on Basel III. : Capital Regulations read together with RBI circular no DBR. NO.BP.BC. 80/21.06.201/2014-15 dated March 31, 2015 on Prudential Guidelines on Capital Adequacy and Liquidity Standards Amendments requires banks to make applicable Pillar 3 disclosures including leverage ratio and liquidity coverage ratio under the Basel- III framework. These details are being made available on our website "www.bankofbaroda.com". These disclosures have not been subjected to audit by the auditors

14.9 Payment to Micro, Small & Medium Enterprises under the Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006

There have been no reported cases of delayed payments of the principal amount or interest due thereon to Micro, Small & Medium Enterprises and hence disclosure for payment of interest on delayed payments to MSME is not applicable. The details regarding Micro, Small and Medium Enterprises has been provided by the Management and relied upon by us.

14.10 As per the Reserve bank of India (RBI) circular no. DBR No. BP.BC.92/21.04.048/2015-16 dated April 18, 2016 the Group has opted to provide the liability for frauds over a period of four quarters. Accordingly, the carry forward provision as on March 31, 2021 is ₹162.91 Crores (Previous Year: ₹ 349.51 Crores) which is to be amortised in the subsequent quarters by the bank.

14.11 As per the RBI Circular No. DBR.No.BP.BC.18/21.04.048/2018-19 dated January 1, 2019, RBI circular No DOR. No BP. BC. 34/21.04.048/2019-20 dated 11.02.2020, RBI circular No DOR. No BP. BC/4/21.04.048/2020-21 dated 06.08.2020 ₹ 1,25,909 (Previous Year: ₹ 37,261) MSME borrower accounts were restructured till March 31, 2021 amounting to ₹ 9,059.36 Crores (Previous Year: ₹ 1,734.00 Crores).

14.12 Previous year's figures have been regrouped where necessary to conform to current year classification.

# 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण-पत्र
# Statement of Consolidated Cash Flow for the year ended 31st March, 2021

(₹ लाखों में) (₹ in Lakhs)

| | | | | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2021 | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| ए. | **परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह :** | A. | **Cash flow from operating activities:** | | |
| | **कर पूर्व निवल लाभ** | | **Net Profit before taxes** | **64,66,94** | **(12,48,34)** |
| | निम्नलिखित के लिए समायोजन: | | Adjustments for: | | |
| | अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास | | Depreciation on fixed assets | 13,57,30 | 16,97,24 |
| | निवेशों पर मूल्य ह्रास (परिपक्व ऋणपत्रों सहित) | | Depreciation on investments (including on Matured debentures) | 3,17,88 | 10,17,42 |
| | बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण/ अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान | | Bad debts written-off/Provision in respect of non-performing assets | 125,48,73 | 166,91,37 |
| | मानक आस्तियों के लिए प्रावधान | | Provision for Standard Assets | 21,80,80 | 31,22,59 |
| | अन्य मदों के लिए प्रावधान (निवल) | | Provision for Other items (Net) | 12,61,95 | 77,18 |
| | अचल आस्तियों की बिक्री से (लाभ) /हानि (निवल) | | (Profit)/loss on sale of fixed assets (Net) | (2,71,25) | (3,57) |
| | बॉन्ड पर ब्याज हेतु भुगतान/ प्रावधान | | Payment/provision for interest on bonds | 19,14,76 | 16,74,43 |
| | अनुषंगियों / अन्य से प्राप्त लाभांश | | Dividend received from subsidiaries/others | - | - |
| | **पूर्ण योग** | | **Sub total** | **257,77,11** | **230,28,32** |
| | निम्नलिखित के लिए समायोजन : | | Adjustments for: | | |
| | निवेशों में (वृद्धि) / कमी | | (Increase)/Decrease in investments | 77,62,03 | (148,92,29) |
| | अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी | | (Increase)/Decrease in advances | (292,51,26) | (573,63,89) |
| | अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी | | (increase)/Decrease in other assets | 33,39,61 | (75,66,24) |
| | उधार-राशियों में वृद्धि / (कमी) | | Increase/(Decrease)in borrowings | (253,08,46) | 126,03,22 |
| | जमाराशियों में वृद्धि / (कमी) | | Increase/(Decrease) in deposits | 226,81,66 | 311,71,13 |
| | अन्य देयताओं तथा प्रावधानों में वृद्धि /(कमी) | | Increase/(Decrease) in other liabilities and provisions | (5,59,22) | 148,06,08 |
| | प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड का निवल) | | Direct taxes paid (Net of Refund) | (53,28,52) | (2,66,99) |
| | **परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी (ए)** | | **Net cash from operating activities (A)** | **(8,87,05)** | **15,19,34** |
| बी. | **निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह :** | B. | **Cash flow from investing activities:** | | |
| | अचल आस्तियों की खरीद /अंतरण | | Purchase/Transfer in of fixed assets | (27,86,05) | (33,03,37) |
| | अचल आस्तियों की बिक्री/अंतरण | | Sale/ Transfer out of fixed assets | 25,26,85 | 31,66,10 |
| | व्यापार संबंधी निवेशों में परिवर्तन (अनुषंगी एवं अन्य) | | Changes in Trade related investments (Subsidiaries & others) | (2,12,19) | - |

(₹ लाखों में) (₹ in Lakhs)

| | | | | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष<br>**Year ended 31st March 2021** | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष<br>Year ended 31st March 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| | अनुषंगियों/ अन्य से प्राप्त लाभांश | | Dividend received from subsidiaries/others | - | - |
| | समामेलन के परिणाम स्वरूप पूर्ववर्ती विजया बैंक एवं देना बैंक के शेयरधारकों को आंशिक पात्रता के लिए प्रदत्त नकदी | | Cash paid to shareholders of erstwhile Vijaya Bank and Dena Bank towards fractional entitlements consequent to amalgamation | - | (174) |
| | **निवेश संबंधी गतिविधियों से निवल नकदी (बी)** | | **Net cash used in investing activities (B)** | **(4,71,39)** | **(1,39,01)** |
| सी. | **वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह** | C. | **Cash flow from financing activities:** | | |
| | शेयर पूंजी/ शेयर आवेदन राशि/शेयर प्रीमियम | | Share Capital /Share application money/ Share premium | 1,10,16 | 82,93,40 |
| | गैर-जमानती गौण बॉन्ड | | Unsecured Subordinated Bonds | 8,19,10 | 81,09,70 |
| | लाभांश कर सहित प्रदत्त लाभांश | | Dividend paid including dividend tax | - | - |
| | बांड पर ब्याज के संबंध में भुगतान / प्रावधान | | Payment/provision for interest on bonds | (19,14,76) | (16,74,43) |
| | **वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी (सी)** | | **Net cash from financing activities (C)** | **(9,85,50)** | **147,28,67** |
| | **समामेलन के परिणाम स्वरूप प्राप्त नकदी एवं नकदी समतुल्य (डी)** | | **Cash & cash equivalents received on account of amalgamation (D)** | **-** | **170,11,23** |
| | **नकदी एवं नकदी समतुल्य (ए)+(बी)+(सी)+(डी) में निवल वृद्धि** | | **Net increase in cash & cash equivalents (A)+(B)+(C)+(D)** | **(23,43,94)** | **331,20,23** |
| | **वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य** | | **Cash and cash equivalents as at the beginning of the year** | **1310,05,07** | **978,84,84** |
| | **वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य** | | **Cash and cash equivalents as at the end of the year** | **1286,61,13** | **1310,05,07** |

**टिप्पणी:** / **Notes:**

1 नकदी तथा नकदी समतुल्य में बैंक के पास नकदी, भा.रि.बैं. तथा अन्य बैंकों के पास शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर मुद्रा शामिल है।

1 Cash & Cash equivalents includes Cash on hand, Balance with RBI & Other banks and Money at call and Short Notice.

2 नकदी तथा नकदी समतुल्य के घटक / 2 Components of Cash & Cash Equivalents

| | | 31 मार्च 2021 को<br>**As on 31st March 2021** | 31 मार्च 2020 को<br>As on 31st March 2020 |
|---|---|---|---|
| भा.रि.बैं. के पास नकदी एवं शेष राशि | Cash & Balance with RBI | 401,53,72 | 342,44,78 |
| बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि | Balances with Banks and Money at Call and Short Notice | 885,07,41 | 967,60,29 |
| **कुल** | **Total** | **1286,61,13** | **1310,05,07** |

# स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

# Independent Auditors Report

प्रति

**बैंक ऑफ़ बड़ौदा के सदस्यगण**

**समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट**

**राय**

1. हमने **बैंक ऑफ़ बड़ौदा** ("बैंक") के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2021 का समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ और हानि खाता और समाप्त वर्ष हेतु समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य विवरणात्मक जानकारी सहित समेकित वित्तीय विवरणियों (आगे **"समेकित वित्तीय विवरण"** के रूप में संदर्भित) संबंधी नोट का समावेश है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं-

    ए) बैंक के लेखा परीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण;

    बी) 7 घरेलू अनुषंगियों, 2 घरेलू संयुक्त उद्यमों, 5 विदेशी अनुषंगियों और 1 विदेशी संयुक्त उद्यम के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण.

    सी) 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (सहयोगी), 1 विदेशी सहयोगी और 3 विदेशी अनुषंगियों (जिसमें एक बंद कर दी गई अनुषंगी शामिल है) की अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण/ वित्तीय जानकारी.

    बैंक सहित उपर्युक्त संस्थाओं को "समूह" के रूप में संदर्भित किया गया है .

    हमारी राय एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार तथा प्रबंधन द्वारा उपलब्ध करवाए गए अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों, अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और अनुषंगियों एवं सहयोगियों की अन्य वित्तीय सूचनाओं के आधार पर उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 के प्रावधानों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 ('अधिनियम') के संबंधित प्रावधानों, समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों, निदेशों (आरबीआई दिशानिर्देश) के अनुसार अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2021 को समूह के समेकित कार्यों, इसके समेकित लाभ और समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह की स्थिति का सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं.

**राय हेतु आधार**

2. हमने अपनी लेखा-परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा-परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार की है. उन लेखा-परीक्षा मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्व हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्व अनुभाग में विस्तृत रूप से वर्णित है. हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी 'नैतिक आचार

To

**The Members of Bank of Baroda**

**Report on the Audit of Consolidated Financial Statements**

**Opinion**

1. We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of **Bank of Baroda** (the "Bank") which comprise the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2021, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the Consolidated Financial Statements including Significant Accounting Policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "**the Consolidated financial statements**") which includes:

    a) Audited Standalone Financial Statements of the Bank;

    a) Audited Financial Statements of 7 domestic Subsidiaries, 2 domestic Joint Ventures, 5 foreign subsidiaries and 1 foreign Joint Ventures

    b) Unaudited financial statements / financial information of 3 Regional Rural Banks (Associates) , 1 foreign Associates and 3 foreign subsidiaries (including one discontinued subsidiary).

    The above entities together with the Bank are referred to as the 'Group'.

    In our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us and based on the consideration of the reports of the other auditors on separate financial statements of the subsidiaries, Joint Ventures and associates, the unaudited financial statements and other financial information of the subsidiaries and associates as furnished by the management, the aforesaid Consolidated Financial Statements give the information required by the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949, the Accounting Standards issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), the relevant provisions of Banking Regulation Act, 1949 ('the Act"), the circulars, guidelines and directions issued by the Reserve Bank of India ("RBI") from time to time ("RBI Guidelines") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India of their consolidated state of affairs of the Group as at 31st March, 2021, of its consolidated Profit and its consolidated Cash flows for the year then ended.

**Basis for Opinion**

2. We conducted our audit in accordance with the Standards of Auditing ("SAs") issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI"). Our responsibilities under those standards are further

संहिता' के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं तथा आईसीएआई द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता और अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अनुसार भारत में समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा संबंधी प्रासंगिक आचार संहिताओं का अनुसरण करते हैं. हमने इन आवश्यकताओं के अनुरुप अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है. हमारा विश्वास है कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्रस्तुत किया है वे हमारी राय को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं.

**विषयवस्तु का प्रभाव**

3. हम आपका ध्यान निम्नलिखित की ओर आकर्षित करते हैं:

   ए. अनुसूची 19 की नोट संख्या 8 बैंक के परिचालन और वित्तीय विवरणों पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव से संबधित है. यह मूल्यांकन और इस महामारी के परिणाम के प्रबंधन के अनुमान के अनुसार है तथा उन परिस्थितियों पर अत्यधिक निर्भर है जो आने वाले समय में प्रकट हों. बैंक लगातार आर्थिक स्थितियों की निगरानी कर रहा है. बैंक के परिचालन और वित्तीय विवरणों पर कोई भी प्रभाव इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तारीख को अनिश्चित है.

   बी. अनुसूची 19 की नोट संख्या 14.10 का संबंध रू. 16291 लाख के प्रावधानों के आस्थगन से है जो 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान पहचान किए गए कुछ धोखाधड़ी खातों से संबंधित है और भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीआर नं.बीपी.बीसी.92121.04.048/ 2015-16 दिनांक 18 अप्रैल, 2016 के अनुसार आगामी तिमाहियों में लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किए जाने हैं.

   सी) अनुसूची 19 की नोट संख्या 12.9 वर्ष के दौरान बैंक द्वारा धारा 115 बीएए के तहत अपनाए गए कर की कम दर के विकल्प के चयन और इस मामले में आगे कोई प्रभाव नहीं पड़ने संबंधी प्रबंधन के आकलन से संबंधित है.

   डी) अनुसूची 19 की नोट संख्या 14.7 एक ऐसे घटक से संबंधित है जो समामेलन की समग्र योजना के विवरण और स्थिति का वर्णन करता है, जिसे माननीय एनसीएलटी द्वारा 12 फरवरी, 2021 को अनुमोदित किया गया है, परन्तु नियामक अनुमोदन लंबित होने के कारण उसका वित्तीय प्रभाव अभी नहीं दिया गया है और कार्यशील संस्था आधार पर इन वित्तीय विवरणों को तैयार किया गया है.

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं है.

**लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे**

4. हमारे पेशेवर निर्णय के अनुसार लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे वे मुद्दे हैं जो चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे. इन मुद्दों को समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में और इसमें हमारी राय बनाने में पूर्ण उल्लेख किया गया था तथा हम इन मुद्दों में अलग से राय नहीं देते हैं. हमने नीचे वर्णित मामलों को संघटक लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किए गए लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दों के साथ-साथ प्रिंसिपल लेखा परीक्षकों द्वारा निर्धारित किए गए लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दों के संदर्भ में

described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the "Code of Ethics" issued by the ICAI together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Consolidated Financial Statements in India in terms of the Code of Ethics issued by ICAI and the relevant provisions of the Act, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

**Emphasis of Matter**

3. We invite attention to following:

   a) Note no. 8 to Schedule 19 regarding impact of COVID-19 pandemic on Bank's operations and financial Statements, this assessment and the outcome of the pandemic is as made by the management and is highly dependent on the circumstances as they evolve in the subsequent periods. The Bank is continuously monitoring the economic conditions and any impact on the Bank's operations and financial Statements is uncertain as on the date of approval of these financial Statements.

   b) Note no 14.10 to Schedule 19 relating to deferment of provision of ₹ 16291 Lakhs pertaining to certain fraud accounts identified during the year ended March 31, 2021 and to be charged to the Profit & Loss Account in the subsequent quarters , in terms of RBI Circular DBR No. BP.BC.92121.04.048/2015-16 dated April 18, 2016.

   c) Note no. 12.9 to Schedule 19 relating to the option of lower rate of tax under section 115 BAA exercised by the Bank during the year and management assessment of no further implications in the matter.

   d) Note no. 14.7 to Schedule 19 relating to one of the component which describes the details and status of composite scheme of Amalgamation, which is approved by Hon'ble NCLT on February 12, 2021 but financial effect whereof is yet to be given pending regulatory approvals and the basis of preparation of these financial statements on going concern basis.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

**Key Audit Matters**

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion

हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दों के रूप में निर्धारित किया है, जो हमारी राय में महत्वपूर्ण हैं.

**I. अग्रिमों का वर्गीकरण, आय की गणना, गैर-निष्पादक अग्रिमों की पहचान और उनके लिए प्रावधान (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट 4 के साथ पठित अनुसूची 9 का संदर्भ लें)**

बैंक के निवल अग्रिम कुल आस्तियों का 60.14% हैं, जो वित्तीय विवरणों का एक महत्वपूर्ण भाग है. ये अन्य बातों के साथ-साथ आय की गणना, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसी) मानदंडों तथा आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी अन्य परिपत्रों और निदेशों द्वारा शासित होते हैं, जो विदेशी कार्यालयों को छोड़कर, अग्रिमों के निष्पादक और गैर-निष्पादक अग्रिमों (एनपीए) में वर्गीकरण से संबंधित दिशानिर्देश प्रदान करते हैं. विदेशों में अग्रिमों का वर्गीकरण और उनके लिए प्रावधान स्थानीय विनियमों या भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों, जो भी अधिक सख्त हों, के अनुसार किया जाता है. बैंक इन अग्रिमों का वर्गीकरण अपनी लेखांकन नीति के अनुसार आईआरएसी मानदंडों के आधार पर करता है.

निष्पादक और गैर-निष्पादक अग्रिमों की पहचान में उचित पद्धति स्थापित करना शामिल है. बैंक अपनी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (आईटी सिस्टम) अर्थात् कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) में अग्रिमों से संबंधित सभी लेनदेनों का रख- रखाव करता है जो इस बात की भी पहचान करता है कि अग्रिम निष्पादक है या गैर-निष्पादक.

भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा जारी अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करने के अलावा, बैंक के पास अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान करने के लिए भी कुछ नीतियां हैं.

यदि व्यक्तिगत या समेकित रूप से आईआरएसी मानदंडों का उचित रूप से अनुपालन न किए जाने पर इन अग्रिमों के वहन मूल्य (प्रावधानों का निवल) की अधिक गलत बयानी हो सकती है.

साथ ही, आहरण शक्ति की गणना, प्रतिभूति मूल्यांकन के लिए अन्य पक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों की गणना, पुनर्संरचित अग्रिमों के लिए मूल्य में कमी की गणना और ब्याज आय के निर्धारण के कारण अनर्जक अग्रिमों के लिए ऋणकर्ताओं और अग्रणी बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर निर्भरता के कारण हमने प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में उपर्युक्त क्षेत्र को निर्धारित किया है.

**लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रियाएँ**

***प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रिया***

हमने अनर्जक आस्तियों की पहचान करने और उनके लिए प्रावधान हेतु बैंक की प्रणाली का मूल्यांकन किया. हमारे

on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report with reference to the Key Audit Matters identified by the Principal Auditors along with the Key Audit Matters reported by the respective component auditors which, in our opinion, are material.

**I. Classification of Advances, Income Recognition, Identification of and provisioning for non-performing Advances (Refer Schedule 9 read with Note 4 of Schedule 18 to the financial statements)**

The net advances of the Bank constitutes of 60.14%of the total assets, which is the significant part of the financial statements. They are, inter-alia, governed by income recognition, asset classification and provisioning (IRAC) norms and other circulars and directives issued by the RBI from time to time which provides guidelines related to classification of Advances into performing and non-performing Advances (NPA) except in case of foreign offices, classification of advances and provisioning thereof is made as per local regulations or RBI guidelines, whichever is more stringent. The Bank classifies these Advances based on IRAC norms as per its accounting policy followed.

Identification of performing and non-performing Advances involves establishment of proper mechanism. The Bank accounts for all the transactions related to Advances in its Information Technology System (IT System) viz. Core Banking Solution (CBS) which also identifies whether the advances are performing or non-performing.

Besides following the prudential norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning relating to Advances issued by the Reserve Bank of India ("RBI"), the Bank also has certain policies for provisioning on non- performing assets.

The carrying value of these advances (net of provisions) may be materially misstated if, either individually or in aggregate, the IRAC norms are not properly followed.

Further due to reliance placed on data submitted by the borrowers & lead bank for Drawing Power calculations, third party for security valuation, computation of provisions as per various guidelines issued by the RBI, computation of diminution in value for restructured advances and recognition of interest income including in non-performing advances, we determined the above area as a Key Audit Matter.

**Auditors' Responses**

***Principal Audit Procedures***

We assessed the Bank's system in place to identify and provide for non-performing assets.

लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल परीक्षण निम्नानुसार शामिल थे:

ए) हमने अनर्जक आस्तियों, प्रावधान के निर्धारण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और इससे संबंधित बैंक की नीतियों के अनुपालन में सम्मिलित प्रणाली में स्थापित नियंत्रणों, चेक और बैलेंस के बारे में बैंक से जानकारी हासिल की और तदनुसार हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की योजना बनाई.

बी) हमें आवंटित शीर्ष 20 शाखाओं के संबंध में आईआरएसी मानदंड के अनुसार आय की पहचान, निष्पादक और अनर्जक अग्रिमों में वर्गीकरण और प्रावधान के लिए सिस्टम में डेटा इनपुट की सटीकता की हमने जांच की. हमने बैंक द्वारा चयनित अन्य घरेलू और विदेशी शाखाओं के लिए शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्यों पर भी भरोसा किया है.

सी) बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षा, सिस्टम लेखापरीक्षा, ऋण लेखापरीक्षा और समवर्ती लेखा परीक्षा जैसे निगरानी तंत्र की मौजूदगी और प्रभावशीलता की जांच की गई.

डी) समय-समय पर जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों की पहचान और प्रावधान की जांच की गई.

ई) एनपीए की पहचान और आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान की पर्याप्तता के उद्देश्य से प्रबंधन के अनुमानों और निर्णयों का मूल्यांकन और परीक्षण किया गया.

च) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के दौरान पाए गए अपवादों को विधिवत सुधार करना सुनिश्चित किया गया.

**II. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), डेटा का माइग्रेसन और वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित करने वाले नियंत्रण**

वर्ष के दौरान तीन बैंकों के समामेलन के पश्चात समग्र एकीकरण योजना के अनुसार पूर्ववर्ती देना और पूर्ववर्ती विजया बैंक के डेटा को बैंक के डेटा में माइग्रेट कर दिया गया है. बैंक की वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रणाली कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) और सीबीएस से लिंक अन्य आईटी प्रणालियों के प्रभावी कार्य करने पर या स्वतंत्र रूप से काम करने पर अत्यधिक निर्भर हैं.

हमारा ध्यान सिस्टम में फीड करने, माइग्रेट किए गए डेटा की सत्यता, डेटा की शुद्धता और विश्वसनीयता, एक्सेस प्रबंधन और ड्यूटी के विभाजन के तर्क पर केन्द्रित रहा है. ये अंतर्निहित सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे सुनिश्चित करते हैं कि एप्लिकेशन और डेटा में परिवर्तन उचित, अधिकृत, स्पष्ट और निगरानी में हैं, ताकि सिस्टम सटीक और विश्वसनीय रिपोर्ट/ रिटर्न और

Our audit approach consisted testing of the design and operating effectiveness of the internal controls and substantive testing as follows:

a) We had obtained understanding from the Bank about the controls built in the system, checks and balances incorporated with respect to adherence to the RBI guidelines and related Bank's Policies for identification of non-performing assets, provisioning and had accordingly planned our audit procedures.

b) The accuracy of the data input in the system for income recognition, classification into performing and non performing Advances and provisioning in accordance with the IRAC norm in respect of the top 20 branches allotted to us. We have also relied on the work done by the branch auditors for other domestic and foreign branches selected by the Bank.

c) Existence and effectiveness of monitoring mechanisms such as Internal Audit, Systems Audit, Credit Audit and Concurrent Audit as per the policies and procedures of the Bank;

d) Test checked the identification and provisioning of non-performing assets in accordance with RBI Guidelines issued from time to time.

e) Evaluated and tested the management estimates and judgements for the purpose of identification of NPA and adequacy of provision required as per RBI's Prudential norms.

f) Ensured exceptions noticed during our audit procedures are duly corrected.

**II. Information Technology (IT), Migration of Data and controls impacting financial Reporting**

During the year, data of e-Dena & e-Vijaya Bank has been migrated to Bank's data as per the overall integration plan after the merger of three Banks. The Bank's financial accounting and reporting systems are highly dependent on the effective working of the Core Banking Solution (CBS) and other IT systems linked to the CBS or working independently.

Our areas of focus relate to the logic that is fed into the system, accuracy of migrated data, sanctity and reliability of the data, access management and segregation of duties. These underlying principles are important because they ensure that changes to applications and data are appropriate, authorized, cleansed and monitored, so that the system generates accurate and reliable reports/ returns and other financial and non-financial

अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय जानकारी तैयार कर सके जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए उपयोग में लायी जाती हैं.

वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली. बैंक की परिचालन और वित्तीय प्रक्रियाएं दैनिक आधार पर व्यापक मात्रा में जनरेट करती हैं और विविध और जटिल लेनदेन की प्रक्रिया संपादित करती हैं जो आईटी सिस्टम पर अत्यधिक निर्भर हैं. यहां एक ऐसा जोखिम हो सकता है कि स्वचालित लेखांकन प्रक्रियाओं और संबंधित आंतरिक नियंत्रणों को सटीक रूप से डिजाइन और प्रभावी ढंग से परिचालित नहीं किया गया हो. अतः इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना जाता है.

**लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रियाएँ**

***प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रिया***

हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में प्रमुख आईटी एप्लिकेशनों का मूल्यांकन और पहचान शामिल है और टेस्ट परीक्षण के आधार पर सिस्टम से जनरेट की गई रिपोर्ट/ रिटर्न और अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय जानकारी के आधार पर आईटी सिस्टम की डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता की पुष्टि, परीक्षण और समीक्षा करना शामिल है. हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

ए) लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक के आईटी नियंत्रित वातावरण, आईटी नीतियों और डेटा माइग्रेशन दृष्टिकोण को समझा.

बी) यूज़र एवं एप्लिकेशन नियंत्रण, चेंज मैनेजमेंट नियंत्रण और डेटा बैकअप से संबंधित आईटी सामान्य नियंत्रणों का परीक्षण करना.

सी) जहां हमने अतिरिक्त प्रक्रियाओं को करने का निर्णय लिया, वहां हम मैन्युअल क्षतिपूर्ति नियंत्रणों पर निर्भर रहे जैसे कि प्रणालियों और सूचना के अन्य स्रोतों के बीच सामंजस्य या अतिरिक्त जांच करना; पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमने नमूने के आकार को विस्तार दिया है.

डी) सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए कार्य और शाखा लेखापरीक्षा के आधार पर पारित सुधार प्रविष्टियां (एमओसी) पर भरोसा किया गया.

ई) बाह्य वेंडरों की निरीक्षण रिपोर्ट पर भरोसा जहां कहीं भी उपलब्ध कराया गया है.

**III निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, गैर-निष्पादक निवेशों की पहचान और उनके लिए प्रावधान (वित्तीय विवरणों की अनसूची 18 के नोट 3 के साथ पठित अनुसूची 8)**

इस निवेश में विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बांडों, डिबेंचरों, शेयरों, प्रतिभूति रसीदों तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में बैंक द्वारा किए गए निवेश शामिल हैं.

निवेश, बैंक की कुल संपत्ति का 23.44% है. ये भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों द्वारा नियंत्रित होते हैं. भारतीय

information that is used for the preparation and presentation of the financial statements.

Technology (IT) systems used in financial reporting process. The Bank's operational and financial processes generate extensive volume on daily basis and process varied and complex transactions which are highly dependent on IT systems. There is a risk that automated accounting procedures and related internal controls may not be accurately designed and operating effectively, hence considered as a key audit matter.

**<u>Auditors' Responses</u>**

***Principal Audit Procedures***

Our audit procedures includes assessment and identification of key IT applications, and further verifying, testing and reviewing the design and operating effectiveness of the IT system on the basis of reports /returns and other financial and non-financial information generated from the system on a test check basis. Our audit procedures included:

a) Obtained an understanding of the Bank's IT control environment, IT policies and data migration approach during the audit period.

b) Testing IT general controls related to User and Application controls, Change Management Controls and Data backup.

c) Where we identified the need to perform additional procedures, we placed reliance on manual compensating controls; such as reconciliations between systems and other information sources or performing additional testing; extended our sample sizes, to obtain adequate and appropriate audit evidences.

d) Reliance on the work performed by the statutory branch auditors and the rectification entries (MOCs) passed based on branch audits;

e) Reliance on external vendor inspection reports wherever made available.

**III. Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments (Schedule 8 read with Note 3 of Schedule 18 to the financial Statements)**

Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security receipts and other approved securities.

Investments constitute 23.44 per cent of the Bank's total assets. These are governed by the circulars and directives of the RBI. These directions of RBI, inter-alia, cover valuation of investments,

रिज़र्व बैंक के इन निर्देश में अन्य बातों के साथ-साथ निवेशों का मूल्यांकन, निवेशों का वर्गीकरण, गैर-निष्पादक निवेशों की पहचान, आय की तदनुरूपी अमान्यता और इसके प्रति प्रावधान शामिल हैं.

गैर-उद्धत निवेशों और कमजोर कारोबार वाले निवेश का मूल्यांकन बाजार में उतार-चढ़ाव, बेहतर कीमतों की अनुपलब्धता और व्यापक आर्थिक अनिश्चितता के कारण अंतर्निहित जोखिम का क्षेत्र है.

तदनुसार, हमारी लेखा परीक्षा निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादक निवेशों की पहचान और निवेशों से संबंधित प्रावधानों पर केंद्रित रही.

उपरोक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाता है, जिसमें विभिन्न स्रोतों जैसे एफआईएमएमडीए दरें, बीएसई/ एनएसई द्वारा उद्धत दरें, असूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण आदि से डेटा / सूचना का संग्रहण शामिल है.

मूल्यांकन, लेनदेनों की मात्रा, धारित निवेश और विनियामक संकेंद्रण की गंभीरता में शामिल निर्णय सीमा और जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मुद्दे के रूप में निर्धारित किया गया है.

**लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रियाएँ**

***प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रिया***

भारतीय रिज़र्व बैंक (भारतीय रिज़र्व बैंक) के परिपत्रों/ निर्देशों के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारे लेखापरीक्षा संबंधी दृष्टिकोण में मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादक निवेशों (एनपीआई) की पहचान, निवेशों से संबंधित प्रावधान/ मूल्यह्रास के संबंध में आंतरिक नियंत्रण और मूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है.

ट्रेजरी की लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया निम्नलिखित पर केंद्रित है -

ए) हमने मूल्यांकन, वर्गीकरण, एनपीआई की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान/ मूल्यह्रास के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया है और उसे समझा है ;

बी) धारित निवेश के चयनित नमूने के लिए हमने भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों और प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी के लिए पुनः कार्यनिष्पादन के संबंध में मूल्यांकन संबंधी दिशानिर्देश के साथ इनकी सटीकता और अनुपालन की जांच की है. नमूनों का चयन यह सुनिश्चित करने के बाद किया गया कि निवेश की सभी श्रेणियां (प्रतिभूति के स्वरूप के आधार पर) नमूनों में शामिल हैं;

सी) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के आधार पर गैर-उद्धत निवेशों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन परीक्षण किया गया है.

classification of investments, identification of non-performing investments, the corresponding non-recognition of income and provision there against.

The valuation of unquoted investments and thinly traded investments is an area of inherent risk because of market volatility, unavailability of reliable prices and macroeconomic uncertainty.

Accordingly, our audit was focused on valuation of investments, classification, identification of non-performing investments and provisioning related to investments.

The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/information from various sources such as FIMMDA rates, rates quoted on BSE/NSE, financial statements of unlisted companies etc.

Considering the complexities and extent of judgment involved in the valuation, volume of transactions, investments on hand and degree of regulatory focus, we determined the above area as a Key Audit Matter.

**Auditors' Responses**

***Principal Audit Procedures***

Our audit approach towards Investments with reference to the RBI Circulars/directives included the understanding of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of non-performing investments (NPIs), provisioning/ depreciation related to Investments.

Our audit procedures with respect to audit of Treasury, focused on -

a) We evaluated and understood the Bank's internal control system to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of NPIs, provisioning/depreciation related to investments;

b) For the selected sample of investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing valuation for each category of the security. Samples were selected after ensuring that all the categories of investments (based on nature of security) were covered in the sample;

c) Independently test-checked valuation of unquoted investments, based on the financial statements for the year ended March 31, 2020 in terms of the RBI guidelines.

डी) हमने एनपीआई की पहचान और आय के सापेक्ष रिवर्सल एवं प्रावधानों के सृजन का आकलन और मूल्यांकन किया है;

ई) हमने भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार प्रदान किए जाने वाले प्रावधान को बनाए रखने और मूल्यह्रास की फिर से गणना करने के लिए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को अपनाया है. तदनुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेश से नमूनों का चयन किया और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीआई संबंधित परीक्षण किया और एनपीआई के उन चयनित नमूनों को भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार बनाए रखने के प्रावधानों की पुन: गणना की है;

**IV. कुछ मुकदमों के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं का मूल्यांकन, अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए विभिन्न दावों को कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 17 के नोट 15 के साथ पठित अनुसूची 12):**

बैंक ने उक्त के पेटे दायर दावों पर प्रश्न उठाए हैं जिनमें कर और गैर कर मामलों में विभिन्न स्तरों पर लंबित मामले शामिल हैं जो विभिन्न न्यायालयों में/ मंचों पर लंबित हैं और न्यायिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर हैं. प्रबंधन ने ऐसे मामलों में संभावित आउटफ़्लो का मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है.

प्रावधान के स्तर का अनुमान लगाने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है. बैंक का मूल्यांकन मामले के तथ्यों, उनके अपने निर्णय, पिछले अनुभव और विधिक और स्वतंत्र कर सलाहकारों के परामर्श, जहाँ भी आवश्यक हो, से समर्थित है. तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलन-पत्र में प्रस्तुत मामलों की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं.

हमने इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को देखते हुए उपर्युक्त क्षेत्र को प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है, जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है. तदनुसार, हमारी लेखा परीक्षा विचाराधीन विषय-वस्तु के तथ्यों का विश्लेषण करने और संबद्ध निर्णय/ विधिक व्याख्या पर केंद्रित थी.

**लेखा परीक्षक की प्रतिक्रियाएं**

***मुख्य लेखा परीक्षा प्रक्रिया***

- हमने डिजाइन की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया है और कर संबंधी मुकदमे के मामलों के संदर्भ में प्रबंधन के नियंत्रणों की प्रभावशीलता की जांच की है.
- हमने विवादों के संभावित आउटफ्लो और संभावित निष्कर्षों के अनुमान के लिए प्रबंधन की अंतर्निहित धारणा की समीक्षा की है. इन अनिश्चित कर/ कर से इतर स्थितियों पर प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करते समय विधिक अधिमानों और अन्य नियमों पर विचार किया गया है.

d) We assessed and evaluated the process of identification of NPIs and corresponding reversal of income and creation of provision;

e) We carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the circulars and directives of the RBI. Accordingly, we selected samples from the investments of each category and tested for NPIs as per the RBI guidelines and recomputed the provision to be maintained in accordance with the RBI Circular for those selected sample of NPIs;

**IV. Assessment of Provisions and Contingent liabilities including in respect of certain litigations, various claims filed by other parties not acknowledged as debt (Schedule 12 read with Note 15 of Schedule 17 to the financial statements) :**

The Bank has disputed claims against it including matters pending at various levels in Tax and non tax matters which are pending at various courts/forums and are at various stages in the judicial process. The management has exercised significant judgement in assessing the possible outflow in such matters.

There is high level of judgement required in estimating the level of provisioning. The Bank's assessment is supported by the facts of matter, their own judgment, past experience, and advice from legal and independent tax consultants wherever considered necessary. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and state of affairs presented in the Balance Sheet.

We determined the above area as a Key Audit Matter in view of associated uncertainty relating to the outcome of these matters which requires application of judgment in interpretation of law. Accordingly, our audit was focused on analysing the facts of subject matter under consideration and judgments/ interpretation of law involved.

**Auditors' Responses**

***Principal Audit Procedures***

- We have evaluated the appropriateness of the design and tested the operating effectiveness of the management's controls over the tax litigation matters.
- We reviewed the management's underlying assumptions in estimating the possible outflow and the possible outcome of the disputes. The legal precedence and other rulings were considered in evaluating management's position on these uncertain tax /non tax positions.

- इसके अलावा, संभावित आउटफ्लो के लिए प्रबंधन के निर्णयों, औद्योगिक स्तर की विवेचना और अनुमानों तथा ऐसी विवादित कर स्थितियों के संबंध में कंपनी के आंतरिक विशेषज्ञों के मतों को हमने आधार बनाया है.
- महत्वपूर्ण कर से इतर विवादित मामलों के लिए प्रबंधन द्वारा किए गए चयनित मुख्य संप्रेषणों, आंतरिक/बाह्य विधिक मतों/ परामर्शों को पढ़ा और विश्लेषित किया है.
- बैंक/ अन्य कॉर्पोरेट के ऐसे समान मामलों में जहां कहीं भी विधिक निर्णय उपलब्ध थे उन्हें समीक्षित और सत्यापित किया गया है.
- उपयुक्त वरिष्ठ प्रबंधन से चर्चा की और प्रावधानों के अनुमान में प्रबंधन के अंतर्निहित मुख्य धारणाओं का मूल्यांकन किया है.
- कर से इतर विवादित मामलों में संभावित निष्कर्ष के बारे में प्रबंधन के अनुमान का आकलन किया है और ऐसे मामलों में प्रबंधन के निर्णय को आधार बनाया है.

**5. अन्य मामले**

ए) हमने 12 अनुषंगियों और 3 संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की, जिनके वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं में 31 मार्च, 2021 को कुल आस्तियों में समूह का हिस्सा ₹ 4163754 लाख रहा, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व में समूह का हिस्सा ₹ 620985 लाख, कर के पश्चात कुल शुद्ध लाभ/(हानि) में समूह का हिस्सा ₹ 61352 लाख और ₹ 68244 लाख का शुद्ध नकद आउटफ्लो दर्शाया गया है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों, जिनकी लेखा-परीक्षा उनके संबंधित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, में शामिल किया गया है. इन संस्थाओं के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और इन संस्थाओं के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय पूरी तरह से ऐसे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है.

विदेशी अनुषंगियों के मामले में, वित्तीय सूचना उनके संबंधित देशों में सामान्यत: स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार की गई है और उनके संबंधित देशों में लागू सामान्यत: स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के तहत अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित की गई है. कंपनी के प्रबंधन ने ऐसी अनुषंगियों की वित्तीय सूचना को उनके संबंधित देशों में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों से भारत में सामन्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों में रूपांतरित किया है और इन रूपांतरण समायोजनों की अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है. जहां तक भारत के बाहर स्थित ऐसी अनुषंगियों के बकाया शेष का संबंध है, हमारी राय अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और कंपनी के प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित रूपांतरण समायोजन पर आधारित है.

- Further we have relied upon the management judgements, industry level deliberations and estimates for possible outflow and opinion of internal experts of the Company in relations to such disputed tax positions.
- Read and analysed select key correspondences, internal/external legal opinions / consultations by management for key disputed non tax matters.
- Reviewed and verified other legal pronouncements wherever available in similar matters in the case of the Bank/other corporate.
- Discussed with appropriate senior management and evaluated management's underlying key assumptions in estimating the provisions.
- Assessed management's estimate of the possible outcome of the disputed non tax cases and relied on the management judgments in such cases.

**5. Other Matters**

a) We did not audit the Financial Statements of 12 subsidiaries and 3 joint venture whose Financial Statements/ financial information reflect Group's share of total assets of ₹ 4163754 Lakhs as at 31st March, 2021 , Group's share of total revenue of ₹ 620985 Lakhs, Group's share of total net profit/ (loss) after tax of ₹ 61352 Lakhs and net cash outflows of ₹ 68244 Lakhs for the year ended 31st March, 2021, as considered in the consolidated Financial Statements, which have been audited by their respective independent Auditors. The independent auditors' reports on financial statements/financial information of these entities have been furnished to us and our opinion on the consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these entities, is based solely on the report of such auditors.

In the case of Foreign subsidiaries , the financial information has been prepared in accordance with accounting principles generally accepted in their respective countries and has been audited by the other auditors under generally accepted Auditing standards as applicable in their respective countries. The Company's management has converted the financial information of such subsidiaries from accounting principles generally accepted in their respective countries to accounting principles generally accepted in India and these conversion adjustments have been audited by the other auditors. Our opinion in so far as it relates to the balances of such subsidiaries located outside India is based on the report of other auditors and the conversion adjustments prepared by the management of the Company and audited by the other auditors.

बी) हमने 3 अनुषंगियों (बंद कर दी गई 1 अनुषंगी सहित) और 4 सहायकों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की, जिनके वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं में 31 मार्च, 2021 को कुल आस्तियों में समूह का हिस्सा ₹ 1066316 लाख रहा, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व में समूह का हिस्सा ₹ 28686 लाख, कर के पश्चात कुल शुद्ध लाभ/(हानि) में समूह का हिस्सा ₹ 23724 लाख और ₹ 438160 लाख का शुद्ध नकद आउटफ्लो दर्शाया गया है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है. ये वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं और हमें प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए हैं और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक इन अनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण का संबंध है, पूरी तरह से ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना पर आधारित है. हमारी राय में तथा प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण/ वित्तीय सूचना समूह के लिए प्रासंगिक नहीं है.

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय और नीचे दी गई अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, उपरोक्त मामलों के संबंध में किए गए कार्यों और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों पर हमारी निर्भरता के संबंध में संशोधित नहीं है.

सी) इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, संयुक्त उद्यम के स्वतंत्र लेखा परीक्षकों ने अपनी 06 मई, 2021 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से एक असंशोधित राय व्यक्त की है और 'अन्य मामले' खंड में रिपोर्ट किया है कि जीवन पॉलिसियों के लिए देयताओं का बीमांकिक मूल्यांकन लागू है और ऐसी पॉलिसियां जहां प्रीमियम बंद कर दी गई है, वह कंपनी के नियुक्त बीमांकक ("नियुक्त बीमांकक") की जिम्मेदारी है. प्रभावी जीवन पॉलिसियों और ऐसी पॉलिसियों जिनके लिए प्रीमियम बंद कर दिया गया है परंतु 31 मार्च, 2021 तक देयता मौजूद है, के लिए इन देयताओं का बीमांकिक मूल्यांकन, नियुक्त बीमांकक द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है और उनकी राय में, इस तरह के मूल्यांकन के लिए अनुमान, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ('आईआरडीएआई'/प्राधिकरण) और भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा प्राधिकरण की सहमति से जारी दिशा-निर्देशों और मानदंडों के अनुसार हैं. हमने इस संबंध में प्रभावी जीवन पॉलिसियों और ऐसी पॉलिसियों जिनके लिए प्रीमियम बंद कर दिया गया है परंतु कंपनी के वित्तीय विवरणों में यथा शामिल, देयता मौजूद है, के लिए देयताओं के मूल्यांकन पर अपनी राय बनाने हेतु नियुक्त बीमांकक के प्रमाण पत्र को आधार बनाया है.

डी) कोविड-19 महामारी और सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा लगाए गए लॉकडाउन और अन्य प्रतिबंधों के कारण, प्रबंधन

b) We did not audit the Financial Statements of 3 subsidiaries (including one discontinued) and 4 Associates, whose Financial Statements/ financial information reflect Group's share of total assets of ₹ 1066316 Lakhs as at 31st March, 2021, Group's share of total revenue of ₹ 28686 Lakh, Group's share of total net profit/(loss) after tax of ₹ 23724 Lakhs and net cash outflows of ₹ 438160 Lakhs for the year ended 31st March, 2021, as considered in the consolidated Financial Statements. These financial statements are unaudited and have been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated Financial Statements , in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries, associates and joint ventures is based solely on such unaudited Financial Statements/financial information. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Management, these Financial Statements/ Financial information are not material to the Group.

Our opinion on the Consolidated Financial Statements, and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the financial statements certified by the Management.

c) The Independent Auditors of India First Life Insurance Company Ltd., a joint venture, have vide their Audit report dated May 06, 2021 have expressed an unmodified opinion and have reported in the 'Other Matter' section that the actuarial valuation of liabilities for life policies in force and policies where premium has been discontinued is the responsibility of the Company's Appointed Actuary (the "Appointed Actuary"). The actuarial valuation of these liabilities for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but liability exists as at March 31, 2021 has been duly certified by the Appointed Actuary, and in her opinion, the assumptions for such valuation are in accordance with the guidelines and norms issued by Insurance Regulatory and Development Authority of India ('IRDAI'/Authority) and the Institute of Actuaries of India in concurrence with the Authority. We have relied upon the Appointed Actuary's certificate in this regard for forming our opinion on the valuation of liabilities for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but liability exists as contained in the financial statements of the Company.

d) Due to the COVID-19 pandemic and the lockdown and other restrictions imposed by the Government

द्वारा डिजिटल साधनों के माध्यम से उपलब्ध कराए गए उपलब्ध/व्यवहार्य और आवश्यक रिकॉर्ड तक रिमोट पहुंच के आधार पर ऑडिट प्रक्रियाएं पूरी की गई.

ई) 31 मार्च, 2020 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा संयुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा की गई, जिनमें से तीन पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा फर्म हैं और उन्होंने 23 जून, 2020 की अपनी रिपोर्ट के माध्यम से ऐसे वित्तीय विवरणों पर असंशोधित राय व्यक्त की है.

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं है.

**समेकित वित्तीय विवरण से इतर अन्य जानकारियां और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट**

6. बैंक का निदेशक मण्डल अन्य जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है. अन्य जानकारी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट (लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षक रिपोर्ट शामिल नहीं है) शामिल है जो हमें लेखापरीक्षक रिपोर्ट, निदेशक मंडल की रिपोर्ट, मुख्य वित्तीय सूचक और शेयरधारकों की जानकारी जारी होने के समय प्राप्त होती है तथा जिसे इस रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है.

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारियां शामिल नहीं है और हम इस पर किसी तरह का आश्वासन नहीं देंगे.

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी उपरोक्त निर्धारित अन्य जानकारी का अध्ययन करना और ऐसा करते समय यह विचार करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी वस्तुत: असंगत है या हमारे द्वारा लेखा परीक्षा के समय या अन्यथा प्राप्त जानकारी वस्तुतः गलत प्रतीत होती है.

यदि अन्य जानकारी जो कि लेखा परीक्षा की तारीख से पहले प्राप्त हो चुकी थी और हमारे द्वारा उस पर निष्पादित कार्य के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अन्य जानकारियों में वस्तुनिष्ठ अशुद्धियां शामिल हैं, तो हमें तथ्यों को रिपोर्ट में शामिल करने की आवश्यकता होगी. इस संबंध में हमें कोई रिपोर्ट नहीं करना है.

जब हम निदेशक मंडल की रिपोर्ट, मुख्य वित्तीय सूचक और शेयर धारकों की जानकारी को पढ़ते हैं, यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उसमें कुछ वस्तुनिष्ठ अशुद्धियां हैं, तो हमें इस मामले को उन्हें अवगत कराने की आवश्यकता होती है जिन्हें गवर्नेंस का प्रभार दिया गया है.

**समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन एव गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की जवाबदेही**

7. बैंक का निदेशक मण्डल, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 और समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों तथा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन मानकों सहित भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों जैसा कि बैंकों के लिए लागू होता है, के अनुरूप इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जवाबदेह हैं, जो समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन

and local administration, the audit processes were carried out based on the remote access to the extent available/feasible and necessary records made available by the management through digital medium.

e) The consolidated Financial statements of the Bank for the previous year ended March 31,2020 were audited by the joint auditors three of which are predecessor audit firms and have expressed unmodified opinion on such Financial statements vide their report dated June 23, 2020.

Our opinion is not modified in respect of above matters.

**Information Other than the Consolidated Financial Statements and Auditors' Report thereon**

6. The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the Corporate Governance report (but does not include the Consolidated Financial Statements and our auditors' report thereon) which we obtained at the time of issue of this auditors' report and Directors' Report, Key Financial Indicators and Shareholder's Information, which is expected to be made available to us after that date.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Consolidated Financial Statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Consolidated Financial Statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditors' report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

When we read the Directors' Report, Key Financial Indicators and Shareholder's Information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

**Responsibilities of Management and Those Charged With Governance for the Consolidated Financial Statements**

7. The Bank's Board of Directors are responsible for the preparation of these Consolidated Financial Statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flow of the Group in accordance with the accounting principles generally accepted in India including the Accounting Standards specified by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) as applicable to banks, provision of

और समूह के कैश फ्लो का सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं. समूह में सम्मिलित संस्थाओं के संबंधित निदेशक मंडल समूह की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ियों और अन्य विसंगतियों की पहचान एवं उनके निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों के साथ-साथ उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं उनके उपयोग, निर्णय लेने और यह अनुमान लगाने कि ये व्यावहारिक और विवेकपूर्ण हों तथा वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उनकी प्रस्तुति से संबंधित लेखांकन रिकॉर्डों की त्रुटिहीनता और पूर्णता के लिए प्रभावी रूप से परिचालित आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन एवं रखरखाव भी समाहित है, जो सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक मिथ्याकथन से मुक्त हैं, जिसे उपरोक्तानुसार बैंक के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से प्रयोग किया है, के लिए जवाबदेह हैं.

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में समूह में शामिल संस्थान के संबंधित निदेशक मण्डल कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की समूह के संस्थान की योग्यता का मूल्यांकन करने, कार्यशील संस्था से संबंधित विषयों के यथालागू प्रकटीकरण करने, लेखांकन के लिए कार्यशील संस्था आधार का उपयोग करने के लिए जवाबदेह है जब तक कि प्रबंधन का इरादा समूह के संस्थान को लिक्विडेट करने या परिचालन समाप्त करने का न हो या ऐसा न करने के लिए कोई उचित विकल्प न हो.

समूह में शामिल संस्थानों के संबंधित निदेशक मण्डल समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रक्रिया का निगरानी करने के लिए भी जवाबदेह हैं.

**समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी**

8. हमारा उद्देश्य यह भरोसा दिलाना है कि समेकित वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण कोई मिथ्या कथन न हो और ऐसी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट जारी हो जिसमें हमारी राय शामिल हो. उचित भरोसा एक उच्च स्तर का भरोसा होता है लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुरूप की गई लेखा परीक्षा में पहले से मौजूद भौतिक मिथ्या कथन की हमेशा पहचान हो जाए. धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण मिथ्या कथन दृष्टिगोचर होता है और इसे महत्वपूर्ण तब माना जाएगा जब यह संभावना हो कि यह अकेले या समग्र रूप से इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकता है.

   लेखांकन मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशयवाद को बनाए रखते हैं. हम:

   - समेकित वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए महत्वपूर्ण मिथ्या कथन की पहचान और मूल्यांकन, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी प्रक्रियाओं की डिजाइन और कार्यनिष्पादन तथा हमारी राय को उचित आधार प्रदान करने के लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य भी प्राप्त करते हैं. धोखाधड़ी के

Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India ("RBI") from time to time. The respective Board of Directors of the entities included in the Group are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimate that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements that give true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the consolidated financial statements by the Directors of the Bank, as aforesaid.

In preparing the Consolidated Financial Statements, the respective Board of Directors of the entities included in the Group are responsible for assessing the ability of the Group Entity's to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Management either intends to liquidate the Group Entity's or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the entities included in the Group are responsible for overseeing the financial reporting process of the Group.

**Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements**

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Consolidated Financial Statements.

   As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

   - Identify and assess the risks of material misstatement of the Consolidated Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

कारण उत्पन्न हुए महत्वपूर्ण मिथ्या कथनों को न पहचानने का जोखिम त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए जोखिम से ज्यादा बड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में सांठ-गांठ, जानबूझकर छोड़ी गयी त्रुटियाँ, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रणों का उल्लंघन शामिल हो सकता है.

- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों पर विचार भी करते हैं ताकि लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को इस तरह से डिजाइन किया जा सके जो परिस्थितियों के हिसाब से उचित हो.
- प्रबंधन द्वारा उपयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की सटीकता और लेखांकन अनुमानों एवं उससे संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करते हैं.
- प्रबंधन के कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने संबंधी लेखांकन आधार को उपयोग करने के औचित्य का निपटान और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर इसका पता लगाने का काम भी करते हैं कि क्या घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है या वैसी परिस्थितियाँ बनी हैं जिनमें कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की समूह के संस्थान की योग्यता पर सार्थक संदेह व्यक्त किया जा सके. यदि हम निष्कर्ष निकालें कि भौतिक अनिश्चितता की संभावना है तो हमें अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित इस तरह के प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है अथवा क्या इस तरह के प्रकटीकरण हमारी राय को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है. हमारा निष्कर्ष लेखापरीक्षा की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है. तथापि, भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियां समूह के संस्थान के कार्यशील संस्था के रूप में परिचालन को बंद करने का कारण बन सकती हैं.
- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं विषयवस्तु का तथा इस बात का मूल्यांकन करना कि समेकित वित्तीय विवरणों में बुनियादी लेनदेन और घटनाओं की निष्पक्ष प्रस्तुति की जा सके.
- समेकित वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करने के लिए समूह के भीतर ऐसी संस्थाओं या व्यवसाय की गतिविधियों की वित्तीय सूचना पर पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना. हम समेकित वित्तीय विवरण में शामिल ऐसी संस्थाओं की वित्तीय सूचना की लेखा परीक्षा की दिशा, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं, जिनके लिए हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं. समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थानों के लिए, जिन्हें अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा जांचा गया है, उनकी दिशा, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए वैसे अन्य लेखा परीक्षक ही जवाबदेह होंगे. हम केवल अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए ही उत्तरदायी हैं.

हम अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा की योजनाबद्ध विस्तार एवं उसके समय का निर्धारण जिसमें आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कोई कमियों सहित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षो, जिसकी लेखापरीक्षा के दौरान हमने पहचान की है, के संबंध में गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को सूचित करते हैं.

The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group Entity's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Consolidated Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group Entity's to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Consolidated Financial Statements, including the disclosures, and whether the Consolidated Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of such entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of financial information of such entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance of the Bank and such other entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

हम गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को यह बताते हैं कि हमने स्वतंत्रा से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं और इनके साथ हमारी स्वतंत्रता, और जहां भी लागू हो, सावधानियों से संबंधित विषयों और अन्य मामलों, जो तार्किक रूप से विचार में लाये जा सकते हैं, का अनुपालन किया है.

गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को संसूचित विषयों से हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और जो महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा विषय हैं. हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उन विषयों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन उनके सार्वजनिक प्रकटीकरण पर रोक न लगाते हों या जब हम यह निर्णय लेते हैं कि यह विषय हमारी रिपोर्ट में नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसा करने का विपरीत परिणाम होगा और इस तरह की सूचना से सार्वजनिक हित के प्रभावित होने की संभावना होती है.

**अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट**

9. समेकित तुलन पत्र और लाभ-हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार दर्शाए गए हैं.

10. उपर्युक्त पैरा 5 और 6 में उल्लिखित लेखापरीक्षा की सीमाओं और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की अपेक्षाओं के अधीन, हमारी लेखा परीक्षा और अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित तथा अनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों की अन्य वित्तीय जानकारी, जिसे 'अन्य मामले' पैराग्राफ में नोट किया गया है, के यथालागू अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि;

    ए) हमने सभी सूचनाओं एवं व्याख्याओं को अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में प्राप्त किया है जो कि हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है;

    बी) हमारी जानकारी में आए बैंक के संव्यवहार बैंक की शक्तियों के तहत हैं, और

    सी) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त रिटर्न लेखा परीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त पाए गए हैं.

11. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

    ए) हमारी राय में बैंक के पास कानून के अनुसार अपेक्षित उचित लेखाबहियां हैं और उन बहियों की हमारी जांच से यह पता चलता है कि उन शाखाओं जिनका दौरा हमने नहीं किया है, से प्राप्त की गई हैं जो हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त हैं;

    बी ) इस रिपोर्ट में उल्लिखित समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ एवं हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण लेखांकन एवं बहियों तथा उन शाखाओं, जिनका दौरा हमने नहीं किया है, से प्राप्त रिटर्न के अनुसार हैं ;

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Consolidated Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

**Report on other legal and regulatory requirements**

9. The Consolidated Balance Sheet and the Consolidated Profit and Loss Account of the Bank have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.

10. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 5 to 6 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, based on our audit and on the consideration of report of the other auditors on separate financial statements and the other financial information of subsidiaries, associates and joint ventures, as noted in the 'other matter' paragraph, we report, to the extent applicable, that;

    a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

    b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

    c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

11. We further report that:

    a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;

    b) The Consolidated Balance Sheet, Consolidated Profit and Loss account and Consolidated Cash flow statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from branches not visited by us;

सी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा हमें लेखापरीक्षित शाखा कार्यालय के लेखांकन पर रिपोर्ट भेजी गई है और यह रिपोर्ट तैयार करने के लिए हमने उसका उचित अध्ययन किया है; और

डी) हमारी राय में, समेकित तुलन पत्र और समेकित लाभ-हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह के विवरणों का लागू लेखांकन मानकों के अनुसार अनुपालन किया जाता है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के अनुरूप हैं.

c) The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;

d) in our opinion, the Consolidated Balance Sheet, Consolidated Profit and Loss account and Consolidated Cash flow statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

**कृते आर देवेंद्र कुमार एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 114207W
**For R. Devendra Kumar & Associates**
Chartered Accountants
FRN: 114207W

**(नीरज गोलस)**
साझेदार
एम नं.: 074392
यूडीआईएन: 21074392AAAABG1614
**(Neeraj Golas)**
Partner
M. No.: 074392
UDIN:21074392AAAABG1614

**कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएन:000112N
**For Dass Gupta & Associates**
Chartered Accountants
FRN: 000112N

**(अशोक कुमार जैन)**
साझेदार
एम नं.: 090563
यूडीआईएन: 21090563AAAAAT4366
**(Ashok Kumar Jain)**
Partner
M. No.: 090563
UDIN:21090563AAAAAT4366

**कृते व्यास एंड व्यास**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000590C
**For Vyas & Vyas**
Chartered Accountants
FRN: 000590C

**(ओ. पी. व्यास)**
साझेदार
एम नं.: 014081
यूडीआईएन: 21014081AAAAES6796
**(O. P. Vyas)**
Partner
M. No.: 014081
UDIN:21014081AAAAES6796

**कृते दस्साणी एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 009096C
**For Dassani & Associates**
Chartered Accountants
FRN: 009096C

**(उदेश दस्साणी )**
साझेदार
एम नं.:078588
**यूडीआईएन :** 21078588AAAACB7639
**(Udesh Dassani)**
Partner
M. No.: 078588
UDIN:21078588AAAACB7639

**कृते जे काला एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 118769W
**For J. Kala & Associates**
Chartered Accountants
FRN: 118769W

**(जयेश काला)**
साझेदार
एम नं.: 101686
यूडीआईएन :21101686AAAABJ8605
**(Jayesh Kala)**
Partner
M. No.: 101686
UDIN:21101686AAAABJ8605

दिनांक : 29 मई, 2021
स्थान : मुंबई

**Date:** May 29, 2021
**Place :** Mumbai

## समेकित अभिमत सहित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की घोषणा
## Consolidated of Audit Report with Unmodified Opinion

हम इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के समेकित वार्षिक लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में अपरिवर्तित अभिमत शामिल हैं

We hereby declare that Auditors Report on Consolidated Annual Accounts of the Bank for the Financial Year ended 31st March, 2021 contain unmodified opinion.

**इयान डिसूजा**
मुख्य वित्त अधिकारी

**संजीव चड्ढा**
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

**Ian Desouza**
Chief Financial Officer

**Sanjiv Chadha**
Managing Director & CEO

दिनांक: 29 मई, 2021
स्थान: मुंबई

## सीईओ / सीएफओ प्रमाणीकरण

निदेशक मंडल,
बैंक ऑफ़ बड़ौदा,
मुंबई

प्रिय महोदय,

**विषय : 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए सीईओ/ सीएफओ प्रमाणीकरण- समेकित**

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के साथ पठित विनियमन 17(8) के अनुपालन स्वरूप हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं:

ए. हमने वर्ष 2020-21 (समेकित) के लिए वित्तीय विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :

i. इन विवरणों में कोई विषयगत असत्य अभिकथन नहीं है अथवा कोई विषयगत तथ्य छिपाया नहीं गया है अथवा इनमें कोई भ्रामक अभिकथन शामिल नहीं किया गया हैं.

ii. ये अभिकथन/ विवरण बैंक के कार्यकलापों का सही एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा ये विद्यमान लेखा-मानकों, लागू नियमों एवं विनियमों के अनुरूप हैं.

बी. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसे कोई संव्यवहार नहीं किये गये जो धोखाधड़ी में लिप्त हो, गैर-कानूनी हो अथवा बैंक की आचार संहिता के विरुद्ध हो.

सी. हम वित्तीय रिपोर्टिंग से संबद्ध आंतरिक नियंत्रण स्थापित रखने और बरकरार रखने का पूर्ण दायित्व स्वीकार करते हैं. हम यह भी स्वीकार करते हैं कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन/ आकलन किया है तथा हमने लेखापरीक्षकों और लेखा समिति को आंतरिक नियंत्रणों के परिचालन एवं स्वरूप से संबद्ध कमियों, यदि कोई है अथवा जो हमारे अभिज्ञान में है एवं हमने इन्हें दूर करने के लिये जो उपाय किये हैं या प्रस्तावित हैं, की जानकारी दे दी है.

डी. हमने लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित से अवगत कराया है.

i. वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन.

ii. वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा इनका उल्लेख वित्तीय विवरणी की टिप्पणियों में कर दिया गया है; और

iii. हमारी जानकारी में आये धोखाधड़ी संबंधी महत्वपूर्ण मामले तथा उनमें प्रबंधन अथवा किसी कर्मचारी की संलिप्तता, यदि कोई हो, जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में अहम भूमिका हो.

**इयान डिसूज़ा**
मुख्य वित्त अधिकारी

**संजीव चड्ढा**
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

दिनांक: 29.05.2021
स्थान: मुंबई

## CEO / CFO Certification

Board of Directors,
Bank of Baroda
Mumbai

Dear Sirs,

**Re : CEO/CFO Certification for the year ended 31st March 2021 - Consolidated**

Pursuant to Regulation 17(8) read with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirement) Regulations, 2015, we hereby certify that:

a. We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year 2020-21 (Consolidated) and that to the best of our knowledge and belief:

i. These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading:

ii. These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

d. We have indicated to the Auditors and the Audit Committee.

i. Significant changes in internal control over financial reporting during the year.

ii. Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements and

iii. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting

**Ian Desouza**
Cheaf FInancial Officer

**Sanjiv Chadha**
Managing Director & CEO

Date : 29.05.2021
Place : Mumbai

## लाभांश संवितरण नीति

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारक बैंक की शेयर-पूंजी में उनके निवेश पर दो तरीकों से प्रतिफल अर्जित करते हैं:

(1) शेयर की कीमत में वृद्धि के परिणामस्वरूप पूंजीगत मूल्यवृद्धि, एवं

(2) आवधिक लाभांश के रूप में नकद प्रतिफल.

बैंक मानता है कि अपने शेयरधारकों को चलनिधि की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आवधिक लाभांश की आवश्यकता होती है. साथ ही, लाभांश का भुगतान बैंक की भावी संभावनाओं के संकेत के रूप में देखा जाता है. बैंक के ये प्रयास रहते हैं कि अतिरिक्त नकद राशि अपने शेयरधारकों में संवितरित की जाए.

सामान्यतया, बैंक लाभजनक वर्षों में लाभांश का भुगतान करने की अपेक्षा करते हैं. कितनी राशि लाभांश के रूप में संवितरित की जाए, इसका निर्णय निम्नलिखित सहित कई तथ्यों को ध्यान में लेते हुए किया जाता है:

(ए) बैंक का वर्तमान और भविष्य का कार्य-निष्पादन,

(बी) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनिर्दिष्ट पूंजी पर्याप्तता संबंधी आवश्यकता

(सी) बैंक की निवेश एवं विस्तार की योजना, और

(डी) उसके प्रमुख शेयरधारक-भारत सरकार-एवं संस्थागत और खुदरा शेयरधारकों की अपेक्षाएं.

चूंकि बैंक वैश्विक आधार पर परिचालन कर रहा है, उसके लाभांश संबंधी निर्णय घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं वित्तीय स्थितियों और नियामक-आवश्यकताओं पर आधारित होता है.

प्रतिधारित अर्जन का उपयोग बैंक की पूंजीगत आवश्यकताओं तथा अपने निवेश के वित्तपोषण एवं विस्तार संबंधी गतिविधियों के लिए किया जाता है. प्रतिधारित अर्जन अनपेक्षित घटनाओं के संबंध में कुशन उपलब्ध कराता है. बैंक निवेश की मांग के साथ उचित नकद प्रतिफल हेतु शेयरधारकों की आवश्यकता के संतुलन का प्रयास करता है.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी बैंकों के लिए लाभांश के भुगतान के संबंध में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित पात्रता शर्तें निर्धारित की हैं:

- बैंक के पास निम्नलिखित होने चाहिए:
  - ए) पूरे किए गए दो वर्षों के लिए तथा जिस वर्ष के लिए वह लाभांश घोषित करने की प्रक्रिया करता है उस वर्ष के लिए कम से कम 9% का पूंजी से जोखिम वेटेड आस्ति अनुपात (सीआरएआर) तथा
  - बी) शुद्ध एनपीए (गैर-निष्पादक आस्तियां) 7% से कम.
  - सी) यदि बैंक उपर्युक्त सीआरएआर मानदंड की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहा है, परंतु जिस वर्ष के लिए वह लाभांश घोषित करने की प्रक्रिया करता है, उस वर्ष के लिए उसका सीआरएआर कम से कम 9% स्तर पर है, तो उसके शुद्ध एनपीए 5% से कम होने चाहिए.
- लाभांश केवल चालू वर्ष के लाभ से ही भुगतान किया जा सकता है.
- लाभांश पे-आउट अनुपात (अर्थात कर के बाद लाभ से लाभांश का अनुपात) 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए. आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप लाभांश भुगतान अनुपात की अधिकतम अनुमत सीमा हेतु मापदंड का मैट्रिक्स अनुलग्नक ए के रूप में संलग्न है.

भारत सरकार ने निर्धारित किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) न्यूनतम प्रदत्त पूंजी का 20% कर-पश्चात लाभ का 20%-इनमें से जो अधिक हो, कम से कम उतना भुगतान करेंगे. यदि कोई बैंक न्यूनतम लाभांश का भुगतान करने में असमर्थ है तो उसे भारत सरकार से विशिष्ट अनुमति लेनी होगी.

यह नीति इसके नवीकरण किए जाने की तिथि से 3 वर्षों तक वैध रहेगी.

## Dividend Distribution Policy

Bank of Baroda's shareholders earn a return on their investment in the Bank's share capital in two ways:

(1) Capital appreciation resulting from increase in the share price, and

(2) Cash return in the form of a periodic dividend.

The Bank recognizes that its shareholders need periodic dividend to meet their liquidity needs. Also, payment of dividend is seen as a signal of the Bank's future prospects. The Bank endeavors to distribute surplus cash to its shareholders.

Normally, the Bank expects to pay dividend in profitable years. The decision on how much to distribute as dividend takes into consideration a number of factors including:

(a) The Bank's current and prospective financial performance,

(b) Capital adequacy requirements specified by Reserve Bank of India (RBI)

(c) The Bank's investment and expansion plans, and

(d) The expectations of its principal shareholder – the Government of India – and the institutional and retail investors.

Since the Bank has operations worldwide, its dividend decision is based on an assessment of domestic and international economic and financial conditions and regulatory requirements.

Retained earnings are utilized to meet the Bank's capital requirements and finance its investment and expansion activities. Retained earnings also provide a cushion to tide over unexpected events. The Bank strives to balance the demands for investment with the shareholders' need for a fair cash return.

The RBI has laid down the following eligibility conditions, among others, for payment of dividend by all banks:

- A bank should have:
  - (a) capital-to-risk weighted assets ratio (CRAR) of at least 9% for two completed years and the year for which it proposes to declare dividend and
  - (b) Net NPA (non-performing assets) of less than 7%.
  - (c) In case a bank does not meet the above CRAR norm but has CRAR of at least 9% for the year for which it proposes to declare dividend, its Net NPA should be less than 5%.
- Dividend can be paid only out of current year's profits.
- The dividend payout ratio (i.e. the ratio of dividend to profit after tax) cannot exceed 40 per cent. The Matrix of criteria for maximum permissible range of Dividend Payout Ratio as per RBI guidelines is enclosed in Annexure - A

The Government of India has stipulated that Public Sector Banks (PSBs) shall pay a minimum of 20% of paid-up capital or 20% of post-tax profits, whichever is higher. In case a bank is unable to pay the minimum dividend, it should seek specific permission of the Government of India.

The Policy will remain valid for 3 years from the date of renewal.

**अनुलग्नक – ए**

लाभांश भुगतान अनुपात की अधिकतम अनुपात सीमा हेतु मापदंड का मैट्रिक्स.

(भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. आरबीआई/2004-05/451; डीबीओडी.एनओ.बीपी.बीसी.88 / 21.02.067 / 2004-05 दिनांक 04 मई, 2005 के अनुसार)

**Annexure – A**

Matrix of Criteria for maximum permissible range of Dividend Payout Ratio

(As per RBI Circular No. RBI/2004-05/451; DBOD.NO.BP.BC. 88 / 21.02.067 / 2004- 05 dated May 04, 2005)

| श्रेणी / Category | सीआरएआर / CRAR | निवल एनपीए अनुपात / Net NPA Ratio | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | शून्य Zero | शून्य से अधिक लेकिन 3% से कम तक More than zero but less than 3% | 3% से लेकर 5% से कम तक From 3% to less than 5% | 5% से लेकर 7 % से कम तक From 5% to less than 7 % |
| | | लाभांश भुगतान अनुपात की सीमा / Range of Dividend Payout Ratio | | | |
| ए<br>A | पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक के लिए 11% या अधिक<br>11% or more for each of the last 3 years | 40 तक<br>Up to 40 | 35 तक<br>Up to 35 | 25 तक<br>Up to 25 | 15 तक<br>Up to 15 |
| बी<br>B | पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक के लिए 10% या अधिक<br>10% or more for each of the last 3 years | 35 तक<br>Up to 35 | 30 तक<br>Up to 30 | 20 तक<br>Up to 20 | 10 तक<br>Up to 10 |
| सी<br>C | पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक के लिए 9% या अधिक<br>9% or more for each of the last 3 years | 30 तक<br>Up to 30 | 25 तक<br>Up to 25 | 15 तक<br>Up to 15 | 5 तक<br>Up to 5 |
| डी<br>D | वर्तमान वर्ष में 9% या अधिक<br>9% or more in the Current year | 10 तक<br>Up to 10 | | 5 तक<br>Up to 5 | शून्य<br>Nil |

# नोटिस 2020-21 / Notice 2020-21

## बैंक ऑफ़ बड़ौदा

**प्रधान कार्यालय:** अलकापुरी, बड़ौदा – 390 007
**कॉर्पोरेट कार्यालय:** बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, "जी" ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051
(**वेबसाइट:** www.bankofbaroda.in)

## Bank of Baroda

**Head Office:** Alkapuri, Baroda – 390 007
**Corporate Office:** Baroda Corporate Centre, C-26, "G" Block, Bandra Kurla Complex Bandra (East), Mumbai 400 051
(**Website:** www.bankofbaroda.co.in)

### नोटिस

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कार्यवाही के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारकों की 25वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) से गुरुवार, दिनांक 08 जुलाई, 2021 को पूर्वाह्न 11.00 बजे किया जाएगा:

**आम कार्यवाही:**

**मद संख्या 1:**

बैंक के 31 मार्च, 2021 के तुलनपत्र, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखे, लेखों में समाहित अवधि के कार्यनिष्पादन तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना, अनुमोदन प्रदान करना व इन्हें स्वीकार करना.

**विशेष कार्यवाही:**

**मद संख्या 2: पूंजी-अर्जन योजना 2021-22**

निम्नलिखित संकल्प पर एक **विशेष संकल्प** के रूप में विचार करना एवं उचित पाए जाने पर उसे पारित करना.

"**संकल्प पारित किया जाता है** कि जहां भी आवश्यक हो, शेयरधारकों के अनुमोदन सहित सांविधिक/विनियामक अनुमोदन के अध्यधीन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम),राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (योजना) एवं बैंक ऑफ़ बड़ौदा (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 1998 के प्रावधानों के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक **("आरबीआई")**, भारत सरकार **("जीओआई")**, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड **("सेबी")** और / अथवा इस बारे में यथा अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदनों, सहमतियों, स्वीकृतियों, यदि कोई हों, के अध्यधीन एवं ऐसी शर्तों, निबंधनों और आशोधनों के अध्यधीन जो ऐसे अनुमोदन की स्वीकृति में उनके द्वारा यथा विहित किए जाएं और जिसके लिए बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमति प्रदान की जाए तथा इन विनियमों यथा सेबी (इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिसक्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियमन 2018 (आईसीडीआर विनियमन), सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियनम 2015 यथा संशोधित, विदेशी विनिमय प्रबंधन (भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति के द्वारा प्रतिभूति जारी या अंतरण) विनियमन, 2017, यथा संशोधित, आरबीआई, सेबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत अधिसूचनाओं/परिपत्रों और स्पष्टीकरणों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 एवं अन्य सभी लागू विधियों और सभी

### NOTICE

NOTICE is hereby given that the 25th Annual General Meeting of the Shareholders of Bank of Baroda will be held through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) on Thursday, 08th July, 2021 at 11.00 a.m. to transact the following business:

**ORDINARY BUSINESS:**

**Item Number 1:**

To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2021, Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2021, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

**SPECIAL BUSINESS:**

**Item Number 2: Capital Raising Plan 2021-22**

To consider and if thought fit to pass the following resolution as a **Special Resolution.**

"**RESOLVED THAT** subject to Statutory/Regulatory approvals including Shareholders' approval wherever required as per applicable laws/regulations, authority be and is hereby given pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Bank of Baroda (Shares and Meetings) Regulations, 1998 and other applicable provisions, if any, and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("**RBI**"), the Government of India ("**GOI**"), the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**"), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (ICDR Regulations), SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Securities by a Person Resident Outside India), Regulation, 2017 as amended and in accordance with the applicable rules, regulations, guidelines, circulars and clarifications if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/ circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other competent authorities

अन्य संगत प्राधिकारियों से समय-समय पर विहित विनियमनों और ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीबद्धता करारों के अनुसरण में जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, बैंक के शेयरधारकों की सहमति है एवं इसके द्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके पश्चात इसे "बोर्ड" कहा जाएगा जिसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल समझी जाएगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित इसके अधिकारों का प्रयोग करने के लिए गठित हो अथवा इसके पश्चात गठित की गयी हो) को भारत में या भारत के बाहर दस्तावेज द्वारा या प्रोस्पेक्टस द्वारा या ऐसे किसी दस्तावेज द्वारा ₹ 2000/- करोड़ (₹ दो हजार करोड़) की अतिरिक्त पूंजी को ऐसी संख्या में, ₹ 2/- प्रत्येक के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर के एक अथवा अधिक बार में सृजन, ऑफ़र, जारी और आबंटित कर (उस समय लागू विधि द्वारा अनुमति प्राप्त वैसे श्रेणी के व्यक्तियों और इश्यू के वैसे भाग को प्रतिस्पर्धी आधार पर और किसी फर्म को आबंटन के आरक्षण के प्रावधान सहित) प्राप्त करने के लिए अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) / फॉलो ऑन पब्लिक निर्गम (एफपीओ) / अधिकार निर्गम/एडीआर-जीडीआर/इक्विटी का निजी प्लेसमेंट/अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा अन्य किसी प्रणाली या इनके मिश्रण से बाजार मूल्य के प्रीमियम/रियायत जो वर्तमान चुकता इक्विटी शेयर पूंजी बैंक के ₹ 3000/- करोड़ की कुल प्राधिकृत पूंजी के अंतर्गत हो, जो कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ए) के अनुरूप बैंक की प्राधिकृत पूंजी की उच्चतम सीमा है और इस प्रकार जारी किए जाएं कि केन्द्र सरकार की शेयर धारिता हमेशा बैंक की इक्विटी पूंजी के 52% से कम न हो.

**"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि** प्रतिभूतियों का ऐसा निर्गम, ऑफर या आबंटन अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी)/ फॉलो ऑन पब्लिक निर्गम (एफपीओ) / अधिकार निर्गम/एडीआर-जीडीआर/ इक्विटी का निजी प्लेसमेंट/ अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा अन्य किसी प्रणाली या इनके मिश्रण से उपयुक्त कानूनों द्वारा प्रदत्त, अति-आबंटन विकल्प और ऐसे किसी ऑफर के साथ या उसके बिना प्रतिभूतियों का निर्गम, स्थानन और आबंटन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं हस्तातंरण) अधिनियम, 1970, सेबी (पूंजी का निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएं), अधिनियम, 2018 **("आईसीडीआर विनियम")** के प्रावधानों के अनुरूप और सेबी, आरबीआई तथा ऐसे अन्य प्राधिकारी जैसा भी उपयुक्त समझा जाए, द्वारा जारी दिशानिर्देशों और ऐसे समय या समयों में इस तरह से और ऐसे नियम व शर्तों पर किया जाए, जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार उचित समझे".

**"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि** जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयर उन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाएंगे, जहाँ बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए गए हैं."

**"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि** उपर्युक्त निर्गम/निर्गमों के संबंध में ऐसी कीमत या कीमतों को तय करने का समस्त प्राधिकार बोर्ड के पास होगा जो आईसीडीआर अधिनियमों में संबद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की गई कीमतों से कम न हों, इस तरह से और जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, अग्रणी प्रबंधकों के साथ विचार-विमर्श से और/या हामीदारों और/या अन्य सलाहकारों और/या इस प्रकार के नियम व शर्तों के अनुसार जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार से आईसीडीआर अधिनियमों, अन्य अधिनियमों और किसी और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों और/या, चाहे प्रस्तावित निवेशक बैंक में वर्तमान शेयरधारक हैं या नहीं."

from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot in one or more tranches (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of offer document (s) /prospectus or such other document (s), in India or abroad such number of equity shares of face value of ₹ 2/- each of the Bank including premium aggregating up to ₹ 2000/- crore (Rupees Two Thousand crore) by way of various modes such as Qualified Institutions Placement (QIP) / Follow on Public Offer (FPO) / Rights Issues / ADR - GDR / Private Placement of Equity / Compulsorily Convertible Debentures or any other mode or combinations of these at such premium/discount to the market price which together with the existing Paid-up Equity share capital shall be within the total authorized capital of the Bank of ₹ 3000 crore, being the ceiling of the Authorized Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 52% of the total paid-up Equity capital of the Bank.

**"RESOLVED FURTHER THAT**, such issue, offer or allotment of Securities may also be by way of Qualified Institutions Placement (QIP) / Follow on Public Offer (FPO) / Rights Issues / ADR - GDR / Private Placement of Equity / Compulsorily Convertible Debentures or any other mode or combinations of these as may be provided by applicable laws, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment of securities be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 **("ICDR Regulations")** and all other applicable guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

**"RESOLVED FURTHER THAT**, the Equity Shares to be issued shall be listed with the stock exchanges where the existing equity shares of the Bank are listed."

**"RESOLVED FURTHER THAT**, in respect of the aforesaid issue/s, the Board shall have the absolute authority to decide, such price or prices not below the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations, in such manner and wherever necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors, and/or such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, and/or whether or not the proposed investor(s) are existing shareholders of the Bank."

**आगे यह संकल्प पारित किया गया कि** आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के मुताबिक अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन के मामले में-

क) प्रतिभूतियों का आबंटन आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अंतर्गत आने वाले अर्हता प्राप्त संस्थागत खरीददारों को ही किया जाएगा, इस प्रकार की प्रतिभूतियों का पूरी तरीके से भुगतान होगा और ऐसे प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प के दिन से 365 दिनों के भीतर या ऐसे किसी समय में पूरा हो जाएगा, जिसकी आईसीडीआर अधिनियम में समय-समय पर अनुमति दी गई है.

ख) बैंक आईसीडीआर विनियम के विनियमन 176(1) के प्रावधानों का अनुसरण करेगा जिसमें न्यूनतम कीमत पर पांच प्रतिशत तक के बट्टे पर शेयर देने का प्राधिकार दिया गया है.

ग) प्रतिभूतियों की न्यूनतम कीमत निर्धारित करने की संबंधित तारीख आईसीडीआर विनियमन के अनुसार होगी."

**"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि** बोर्ड को यह प्राधिकार और शक्ति होगी कि वह प्रस्ताव में किसी ऐसे आशोधन को स्वीकार करे जो भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड/ऐसे स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर्स सूचीबद्ध हैं, अथवा ऐसे प्राधिकारियों द्वारा निर्गम (इश्यू), आबंटन और उनकी सूचीबद्धता के लिए उनके अनुमोदन, सहमति, अनुमति और स्वीकृति प्रदान करते/देते समय अपेक्षित अथवा अधिरोपित हों और जैसी बोर्ड द्वारा सहमति दी जाए."

**"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि** यदि उपरोक्त प्रतिभूतियां एनआरआई, एफआईआई और/या अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को जारी और आबंटित की जा रही हैं तो वह विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होगा, जैसा कि लागू होता है, परंतु अधिनियम और अन्य विनियामकों के तहत स्थापित उपर्युक्त समग्र सीमाओं के भीतर, जैसा भी लागू है, के अधीन होगी."

**"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि** जारी किए जाने वाले नए उक्त इक्विटी शेयर्स बैंक ऑफ बड़ौदा (शेयर व बैठक) अधिनियम, 1998 यथा संशोधित के अधीन होंगे और मौजूदा इक्विटी शेयर के साथ समरुप रैंक के होंगे और उन सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित किए गए, लाभांश, यदि कोई हो, के लिए हकदार होंगे जो ऐसी घोषणा के समय पर प्रवृत्त हों."

**"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि** इस संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड प्राधिकृत हो, और उसे इसके लिए प्राधिकृत किया जाता है कि वह किसी अग्रणी प्रबंधक(प्रबंधकों), बैंकर(बैंकरों), हामीदार(रों), डिपोजिटरी(यों), कानूनी सलाहकार(रों) और ऐसी सभी एजेंसियों, जो उपर्युक्त प्रतिभूतियों को ऑफर करने और ऐसे सभी संस्थाओं तथा एजेंसियों को कमीशन, ब्रोकरेज, शुल्क या ऐसे किसी अन्य तरीके से लाभ प्रदान करने, और इन एजेंसियों के साथ ऐसे सभी प्रबंधों, समझौतों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि को बनाने व उनको निष्पादित करने से संबद्ध हो या उसमें शामिल हो के साथ ऐसी व्यवस्था करे व उसे निष्पादित करे."

**"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि** उपर्युक्त को लागू करने के लिए बोर्ड को, अग्रणी प्रबंधकों, अंडरराइटरों, सलाहकारों तथा/या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों से परामर्श करके एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह निर्गम(मों), जिसमें ग्राहकों की वो श्रेणी भी शामिल हैं जिनके लिए प्रतिभूतियों का आबंटन किया गया, प्रत्येक अंश में उनकी आबंटित संख्या, निर्गम कीमत (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य, प्रतिभूति के जारी/

**"RESOLVED FURTHER THAT** in case of a qualified institutions placement pursuant to Chapter VI of the ICDR Regulations

a) the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutions Buyers within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 365 days from the date of passing this resolution, or such other time as may be permitted under the ICDR Regulations from time to time.

b) The Bank is pursuant to proviso to Regulation 176(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price.

c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations."

**"RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or where the Debt Securities to be issued are proposed to be listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

**"RESOLVED FURTHER THAT** the issue and allotment of aforesaid Securities, if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act and by other regulators, as applicable"

**"RESOLVED FURTHER THAT** the said new equity shares to be issued shall be subject to the Bank of Baroda (Shares and Meetings) Regulations,1998 as amended and shall rank in all respects *pari-passu* with the existing equity shares of the Bank including dividend, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

**"RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository (ies) ), Legal Advisor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of aforesaid Securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies."

**"RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and / or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the aforesaid Securities are to be allotted, their number to be allotted in each tranche,

संपरिवर्तन, वारंट/शोधन के प्रयोग पर प्रीमियम राशि, ब्याज दर, शोधन अवधि, इक्विटी शेयरों/अधिमानी शेयरों की संख्या या संपरिवर्तन करने पर अन्य प्रतिभूतियाँ या प्रतिभूतियों के शोधन या रद्द करना, कीमत, प्रतिभूतियों को निर्गम/संपरिवर्तन करने पर प्रीमियम या छूट, ब्याज दर, संपरिवर्तन की अवधि, रिकॉर्ड तिथि का नियतन या बही बंदी तथा संबंधित या सहायक मामले, भारत तथा/या विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्धता का निर्धारण कर सकता है, जैसा बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार में उचित समझे."

**"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि** उपर्युक्त प्रतिभूतियों का, जो कि अभिदत्त नहीं हैं, बोर्ड के पूर्ण विवेकाधिकार से उस प्रकार से निपटान किया जा सकता है जैसा बोर्ड उचित समझे तथा जैसा विधि द्वारा स्वीकार्य हो."

**"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि** इस संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वे ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करे जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित एवं वांछनीय हों और वह ऐसे किसी सवाल, दिक्कत अथवा संदेह का निपटान करे जो शेयरों/प्रतिभूतियों को जारी करने के बारे में उत्पन्न हो सकते हैं और वह सभी दस्तावेजों और तहरीरों को अंतिम रुप देने और निष्पादित करने के लिए ऐसे सभी कृत्य, कार्य मामले और चीजें करे जो आवश्यक, वांछनीय अथवा समीचीन हों जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में उपयुक्त, उचित और वांछनीय समझे जाएं और यह भी कि इसके लिए शेयरधारकों की कोई और सम्मति अथवा अनुमोदन लेना अपेक्षित नहीं है और यह अभिप्राय है कि शेयरधारकों की ओर से यह माना जाएगा कि उन्होंने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा अभिव्यक्त रुप से उसको अपना अनुमोदन दे दिया है."

**"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि** बोर्ड को एतद् द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह उपर्युक्त संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड की पूंजी प्राप्ति समिति/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशक (कों) को, इसमें प्रदत्त सभी अधिकारों अथवा किन्हीं अधिकारों को प्रत्यायोजित करें."

**मद संख्या 3: आगे लाई गई हानि के समंजन हेतु शेयर प्रीमियम खाते से विनियोजन**

निम्नलिखित संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में विचार किया जाना और उचित होने पर इसे पारित करना.

"बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम) की धारा 3 (2 बीबीए), बैंकिंग विनियमन अधिनियमन, 1949 (बीआर एक्ट) के अनुच्छेद 17(2), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व प्रकीर्ण प्रावधान) योजना, 1970 जिसे वित्तीय सेवाएं विभाग के राजपत्र अधिसूचना क्रमांक सीजी–डीएल-ई-23032020-218862 (एस.ओ.1200ई) दिनांक 23.02.2020 में राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण प्रावधान) संशोधन अधिनियम, 2020, यथासंशोधित, के रूप में संदर्भित किया गया है, के अनुच्छेद 21, जिसमें सभी वैधानिक संशोधन अथवा उनका पुन विनियमन शामिल है, के तहत भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार एवं ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिनका इस संबंध में अनुमोदन आवश्यक है, के अधीन रहते हुए बैंक की 31 मार्च, 2021 तक की ₹ 11,048.44 करोड़ की संचित हानि को समंजन की तारीख को बैंक के शेयर प्रीमियम खाते में बकाया शेष का उपयोग करते हुए समंजित करने के लिए एतद् द्वारा बैंक के शेयरधारकों की सहमति प्रदान करने तथा इसे चालू वित्तीय वर्ष

issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/ exercise of warrants/ redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares /preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and / or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit."

**"RESOLVED FURTHER THAT** such of the aforesaid Securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

**"RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue, of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution."

**"RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Capital Raising Committee of the Board/Managing Director & Chief Executive Officer or to the Executive Director/(s) to give effect to the aforesaid Resolutions."

**Item Number 3: Appropriation from share premium account towards offsetting carry forward loss**

To consider and if through fit, to pass the following resolution as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to Section 3(2BBA) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 ("Act"), Section 17 (2) of the Banking Regulation Act, 1949 (`BR Act'), Clause 21 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, vide the Department of Financial Services Gazette notification no. CG-DL-E-23032020-218862 (S.O. 1200 E) dated 23.03.2020 referred to as Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Amendment Scheme, 2020, as amended, including any statutory amendments or re-enactments thereof and subject to the approvals of Reserve Bank of India, Government of India and such other authorities as may be necessary in this regard, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to set off the bank's accumulated losses of ₹ 11,048.44 crore as at 31st March, 2021 by utilizing the balance standing to the credit of Share Premium Account of

2021-22 के दौरान लेखे में लेने का निश्चय किया जाता है."

"इसके अतिरिक्त यह भी निश्चय किया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी किए जाने के लिए बोर्ड अथवा बोर्ड की किसी समिति अथवा इस उद्देश्य के लिए प्राधिकृत अधिकारियों को अपने विवेकानुसार इस संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई अथवा शंकाओं के समाधान के लिए आवश्यक अथवा वांछनीय समस्त कृत्य, कार्य, मामलों तथा अन्य चीजों के लिए प्राधिकृत किया जाता है"

**मद संख्या 4: एक शेयरधारक निदेशक का निर्वाचन**

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (इसके बाद जिसे "विनियमन अधिनियम" कहा गया है) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (इसके बाद इसका उल्लेख "योजना" के रूप में किया गया है) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (इसके बाद इसे "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 9 (3)(i) और अधिनियम की धारा 19 के अनुसार निर्मित बैंक ऑफ़ बड़ौदा आम (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 (इसके बाद इसका उल्लेख "विनियम" के रूप में किया गया है) तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अशासकीय निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में भारत सरकार (इसका उल्लेख **भारत सरकार के दिशानिर्देशों** के रूप में किया गया है तथा आगे अन्य संशोधन, यदि कोई हो) द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2015 तथा दिनांक 20 जुलाई 2016 को जारी दिशानिर्देशों के साथ पठित, भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबीआर.एपीपीटी. सं. 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02 अगस्त 2019 (इसका उल्लेख **"भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना"** के रूप में किया गया है तथा आगे अन्य संशोधन, यदि कोई हो) के अनुसार बैंक के केंद्रीय सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से, जिनके वैध नामांकन प्राप्त हुए हैं, एक निदेशक का चुनाव करना तथा चुनाव के बाद निम्नलिखित संकल्प पारित करना :

**"यह संकल्प पारित किया जाता है** कि संबद्ध योजना के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 (3)(i), उसके अंतर्गत निर्मित विनियमों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना एवं भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसरण में केंद्रीय सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से एक निदेशक का चुनाव किया गया है जिन्हें एतद्द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है जो निर्वाचन की तारीख के अगले दिन से अपना कार्यभार संभालेंगे और कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने तक अपने पद पर बने रहेंगे/बनी रहेंगी."

कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा

**संजीव चड्ढा**
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान: मुंबई
दिनांक:

**नोट:**

**1. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक**

- कोविड 19 महामारी के प्रकोप के कारण देश भर में लागू लॉकडाउन की स्थिति और सामाजिक दूरी के अलावा आवाजाही पर प्रतिबंधों के मद्देनजर, एमसीए (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय) ने अपने आम परिपत्र

Bank as on the date of set off and take the same into account during current Financial year 2021-22."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above resolution, the Board or a Committee of the Board or officials for the same purpose be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may at its absolute discretion deem necessary or desirable and to settle any question, difficulties or doubts that may arise in this regard."

**Item Number 4: Election of One Shareholder Director**

To elect ONE Director from amongst the Shareholders of the Bank, other than the Central Government, in respect of whom valid nominations are received in terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the "Act") read with the Banking Regulation Act, 1949 (here in after referred as "the Regulation Act"), the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the "Scheme") and the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as "the Regulations") made pursuant to Section 19 of the Act, and Notification Nos. DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "RBI Notification" and further amendments thereto, if any) read with Guidelines dated 25th March 2015 and dated 20th July 2016 issued by Government of India for consideration as Non Official Directors of Public Sector Banks (hereinafter referred to "GOI Guidelines "and further amendments thereto, if any) and pass the following resolution:-

**"RESOLVED THAT** one Director elected from amongst Shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with relevant Scheme, Regulations made thereunder, RBI Notification and GOI Guidelines, be and is hereby appointed as the Director of the Bank to assume office from the day next to the date of election and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption".

FOR BANK OF BARODA

**Sanjiv Chadha**
Managing Director & CEO

Place: Mumbai
Date: 07 June, 2021

**NOTES:**

**1. ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)**

- In view of the prevailing lock down situation across the country due to outbreak of the COVID-19 pandemic and restrictions on the movements apart from social

संख्या 2/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 के माध्यम से कंपनियों को 31.12.2021 तक की अवधि तक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से अपनी एजीएम आयोजित करने की अनुमति प्रदान की है. एमसीए द्वारा जारी उपर्युक्त परिपत्रों के अनुरूप ही सेबी ने भी सूचीबद्ध कंपनियों को अपने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 के माध्यम से रियायतें दी हैं.

- उपर्युक्त प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक की वार्षिक आम बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से किया जा रहा है. **25वीं एजीएम के आयोजन का स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय, बड़ौदा समझा जाए.**

**2. प्रॉक्सी और अधिकृत प्रतिनिधि/ प्रतिनिधियों की नियुक्ति:**

उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार, इस एजीएम बैठक में उपस्थित रहने तथा शेयरधारकों के लिए वोट देने हेतु प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा शेयरधारकों के लिए उपलब्ध नहीं होगी.

हालांकि, कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी / इकाई के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने या मतदान करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसे विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने सबंधी संकल्प की एक प्रति, संबंधित बैठक जिसमें इसे पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा मूल प्रति के रूप में सत्यापित कर इसे raju.sv@kfintech.com; / companysecretary.bcc@bankofbaroda.com पर बैठक की तारीख से 4 दिन पूर्व अर्थात् 03 जुलाई 2020 को सायं 4.00 बजे अथवा इससे पहले नहीं भेज दी जाती है.

**3. व्याख्यात्मक विवरण**

मद संख्या 2, 3 एवं 4 पर बैठक की कार्यवाही के संबंध में भौतिक तथ्यों को निर्धारित करने वाला व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है.

**4. एजीएम प्रतिभागिता**

बैंक ने केफिन टेक्नॉलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (KFin Technologies Private Limited), रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स को वार्षिक आम बैठक के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु तथा एजीएम के आयोजन के लिए एटेंडेंट इनेब्लर्स के लिए नियुक्त किया है.

वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम के परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसार:

ए) शेयरधारक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कनेक्ट करने के लिए उन्हें प्रदान की गई लॉगिन क्रेडेंशियल के जरिए बैठक में भाग ले सकते हैं. बैठक स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है.

बी) शेयरधारक की ओर से उपस्थित होने और वोट डालने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति संबंधी सुविधा उपलब्ध नहीं है.

सी) निकाय कॉर्पोरेट्स वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से ई-एजीएम में उपस्थित रहने के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने और भाग लेने तथा ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के लिए पात्र हैं.

- शेयरधारक नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक शुरू होने के 15 मिनट पहले

distancing, MCA (Ministry of Corporate Affairs) vide General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, companies are permitted to hold their AGM through VC/OAVM till the period 31.12.2021. SEBI has also in line with the aforesaid circulars issued by MCA, granted relaxations to listed entities vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021.

- In compliance with the above provisions, Annual General Meeting of the Bank being conducted through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM). **The deemed venue for the 25th AGM shall be the Head Office, Vadodara of the Bank.**

**2. Appointment of Proxies and Authorised Representative(s):**

Pursuant to the aforesaid Circulars the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the shareholders is not available for this AGM.

However, No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company/entity unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been sent by email to raju.sv@kfintech.com; / companysecretary.bcc@bankofbaroda.com not later than four days before the date of meeting i.e. on or before 4.00 p.m. on 03rd July 2021.

**3. EXPLANATORY STATEMENT**

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting at item no. 2, 3 & 4 is annexed hereto.

**4. AGM Participation**

The Bank has appointed KFin Technologies Private Limited, Registrars and Transfer Agents, to provide Video Conferencing facility for the Annual General Meeting and the attendant enablers for conducting of the AGM.

Pursuant to the provisions of the circulars of AGM on the VC / OAVM:

a) Shareholders can attend the meeting through log in credentials provided to them to connect to Video Conferencing. Physical attendance of the Shareholders at the Meeting venue is not required.

b) Appointment of proxy to attend and cast vote on behalf of the Shareholder is not available.

c) Body Corporates are entitled to appoint authorised representatives to attend the AGM through VC/OAVM and participate thereat and cast their votes through e-voting.

- The Shareholders can join the AGM 15 minutes before the time of the

एजीएम में शामिल हो सकते हैं. ई-एजीएम में फीफो (FIFO) आधार पर 1000 तक शेयरधारक भाग ले सकते हैं

- बड़े शेयरधारकों (2% या अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारकों), प्रवर्तकों, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्षों, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षकों आदि के संबंध में एजीएम में फीफो के आधार पर प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
- एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों (सदस्यों के लॉगिन) की गिनती बैंक ऑफ़ बड़ौदा आम (शेयर और बैठक) विनियम, 1998 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से की जाएगी.
- एजीएम आयोजन संबंधी नोटिस को बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर अपलोड किया गया है. नोटिस को स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों, बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी एक्सेस किया जा सकता है. यह ई-वोटिंग एजेंसी मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (M/s KFin Technologies Private Limited) की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com/ पर भी उपलब्ध है.

**5. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई-एजीएम से जुड़ने हेतु शेयरधारकों के लिए निर्देश:**

- शेयरधारक को मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (KFin Technologies Private Limited) द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी. शेयरधारक इसे https://emeetings.kfintech.com/ पर रिमोट ईवोटिंग क्रेडेंशियल्स का प्रयोग करते हुए “AGM-Video Conference & Streaming” आइकॉन पर क्लिक कर एक्सेस कर सकते हैं. लॉगिन करने के बाद, शेयरधारकों को संबंधित कार्यक्रम और बैंक का नाम चुनना होगा. कृपया ध्यान दें कि जिन शेयरधारकों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं.
- सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए गूगल क्रोम /फायरफॉक्स के साथ लैपटॉप /स्मार्ट फोन के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.
- साथ ही, ऐसे शेयरधारक जो बैठक में बोलना चाहते हैं उन्हें कैमरा को ऑन (ऑन रखने की अनुमति) रखना होगा और अच्छी स्पीड वाली इंटरनेट सेवा का उपयोग करना होगा ताकि बैठक के दौरान किसी तरह के व्यवधान से बचा जा सके. शेयरधारक पहले भी उसी पोर्टल में“स्पीकर रजिस्ट्रेशन” के तहत उपलब्ध कराये गए विकल्प के माध्यम से अपने वीडियो को रिकॉर्ड और अपलोड कर सकते हैं.

commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. Upto 1000 Shareholders will be able to join on a FIFO basis to the AGM.

- There will no restrictions on account of FIFO entry into AGM in respect of large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc.
- The attendance of the Shareholders (Shareholders logins) attending the AGM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under the Bank of Baroda General (Shares and Meeting) Regulations, 1998.
- The Notice calling the AGM has been uploaded on the website of the Bank at www.bankofbaroda.in. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively is also available on the website of e-voting agency M/s KFin Technologies Private Limited at the website address https://evoting.kfintech.com

**5. INSTRUCTIONS FOR THE SHAREHOLDERS FOR ATTENDING THE AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING:**

- Shareholder will be provided with a facility to attend the AGM through video conferencing platform provided by KFin Technologies Private Limited. Shareholders may access the same at https://emeetings.kfintech.com by clicking the Icon of “AGM-Video Conference & Streaming” by using the remote evoting credentials. Upon login, shareholders need to select respective event details and name of the Bank. Please note that the Shareholders who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice.
- Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops/Smart phones with Google Chrome/ Firefox for better experience.
- Further Shareholders who wish to speak at the Meeting will be required to allow Camera, and hence use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting. The Shareholders can also record and upload their video in advance through the option provided in the same portal under “Speaker Registration”

- कृपया नोट करें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट या लैपटॉप या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से जुड़े सदस्यों को उनके अपने नेटवर्क में अप-डाउन के चलते ऑडियो/वीडियो में खराबी (बंद/रुक-रुक कर आने) की समस्या का सामना करना पड़ सकता है. अतः उपर्युक्त समस्याओं से बचने के लिए स्टेबल वाई-फ़ाई या लैन कनेक्सन का उपयोग करें.
- कृपया नोट करें कि समस्या /विचार/प्रश्नों का जवाब केवल तभी दिया जाएगा जब शेयरधारक के पास कट ऑफ तारीख अर्थात् 01 जुलाई 2021 तक शेयर धारित हों. "एजीएम क्वेश्चन" विंडो 03 जुलाई 2021 को प्रातः 10:00 बजे सक्रिय किया जाएगा जो 05 जुलाई 2021 को सायं 5:00 बजे तक खुला रहेगा.
- वार्षिक आम बैठक में बोलने और प्रश्न पूछने के इच्छुक सदस्यों को https://evoting.kfintech.com/ पर लॉग-इन करना होगा और **"स्पीकर रजिस्ट्रेशन"** पर क्लिक कर अपने नाम डीमैट खाता संख्या /फोलियो संख्या ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या का उल्लेख करते हुए सबमिट करना होगा. स्क्रीन पर एक संदर्भ संख्या प्रदर्शित होगा जिसे एजीएम में प्रश्न एवं उत्तर सत्र के दौरान रिकॉल करने के लिए रखा जाना चाहिए. **ऐसे शेयरधारकों, जिन्होंने 03 जुलाई 2021 से 05 जुलाई 2021 की अवधि के दौरान अपने आप को स्पीकर के रूप में पंजीकृत किया है, उन्हें केवल अपने विचार रखने /प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी.**
- ऐसे शेयरधारक जो विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में भाग लेने में असमर्थ हैं वे एजीएम की कार्यवाही का लाइव वेबकास्ट अपने रिमोट ई-वोटिंग विवरणों का उपयोग करते हुए केफिंटेक की ई-वोटिंग वेबसाइट https://emeetings.kfintech.com पर लॉगिन कर देख सकते हैं.

**6. मतदान का अधिकार**

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 की उपधारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय सरकार से भिन्न संबद्ध नये बैंक का कोई भी शेयरधारक स्वयंधारित शेयरों के संबंध में **बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत** से अधिक मताधिकार प्रयुक्त करने का पात्र नहीं होगा.

बैंक ऑफ बड़ौदा आम (शेयरों एवं बैठकें) विनियमन,1998, यथा संशोधित, के विनियम 10 के अनुसार, यदि शेयर दो या उससे अधिक व्यक्तियों के नाम पर हैं तो मतदान के लिए रजिस्टर में अंकित प्रथम व्यक्ति को उन शेयरों का एकलधारक समझा जायेगा. अतः यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर हैं तो प्रथम व्यक्ति ही एजीएम बैठक में भाग लेने का पात्र है और केवल वह ही रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम बैठक में वोटिंग, यदि वोटिंग के अधिकार का प्रयोग रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा नहीं किया जाता है, कार्यसूची पर मत देने का पात्र होगा.

**7. रिमोट ई-वोटिंग तथा वार्षिक समान्य बैठक में वोट के लिए निर्दिष्ट तारीख - शेयरधारकों के रजिस्टर का बंद होना :**

बैंक ऑफ बड़ौदा आम (शेयर एवं बैठकें) संशोधन विनियमन, 2008, के विनियम 12, के साथ पठित (सूचीयन बाध्यता एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) सेबी विनियमन, 2015 की विनियम संख्या 42 तथा

- Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
- Please note that, Shareholder's queries/views/questions will be responded to, only if, the shareholder continues to hold the shares as on the cut-off date i.e., 01st July 2021. The "AGM Questions" window shall be activated from 10.00 AM on 03rd July 2021 till 5.00 PM on 05th July 2021.
- Shareholders intending to speak and raise questions at the AGM, may log into https://evoting.kfintech.com and click on "**Speaker Registration**" by mentioning the demat account number/folio number, city, email id, mobile number and submit. A reference number shall be displayed on the screen which may be preserved for recalling during the Q&A session in the AGM meeting. **Those shareholders who have registered themselves as speakers during 03rd July 2021 to 05th July 2021, will only be allowed to express their views/ask questions.**
- Shareholders who are not able to join this Meeting over **video conferencing will** be able to view the live webcast of proceedings of AGM by logging on the e-voting website of Kfintech at https://emeetings.kfintech.com using their remote e-voting credentials.

**6. Voting Rights:**

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.**

As per Regulation 10 of the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the AGM) and vote on the Agenda either through remote e-voting or voting at the AGM, if voting right is not exercised through remote e-voting.

**7. Cut-Off Date for remote e-voting and voting at the AGM - Closure of Register of Shareholders:**

Pursuant to Regulation 12 of Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Amendment Regulations, 2008, read with Regulations 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Rule 20 of Companies (Management and Administration)

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसरण में, बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण रजिस्टर **शुक्रवार, 02 जुलाई 2021 से गुरुवार, 08 जुलाई 2021 तक (दोनों दिन सहित)** 25 वीं वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से बंद रहेगा. तदनुसार वे शेयरधारक जिनके पास **गुरुवार, 01 जुलाई, 2021** (निर्दिष्ट तारीख) तक के शेयर हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में वोटिंग के माध्यम से बैठक में भाग लेने तथा बैठक के एजेंडा 1, 2 एवं 3 के लिए मत देने के लिए सक्षम होंगे.

8. **एक शेयरधारक निदेशक के चुनाव हेतु विनिर्दिष्ट /कट-ऑफ तारीख:**

नोटिस में उल्लिखित अनुसार केंद्र सरकार के निदेशक से भिन्न बैंक के एक अन्य निदेशक के चुनाव अर्थात **नामित करने, चुनाव लड़ने और मतदान करने** के उद्देश्य से चुनाव में भाग लेने वाले शेयरधारकों की सूची को अंतिम रूप से तैयार करने के उद्देश्य से **शुक्रवार, 04 जून, 2021** को विनिर्दिष्ट /कट-ऑफ तारीख के रूप में निर्धारित करने के निर्णय लिया गया है.

9. **रिमोट ई-वोटिंग**

सेबी के (सूचीयन करार एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में, आपके बैंक को, शेयरधारकों को बैठक के नोटिस में उल्लेखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है. इस विषय में शेयरधारकों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है:

ए. बैंक ने ई–वोटिंग प्लेटफार्म उपलब्ध कराने हेतु केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को रिमोट ई- वोटिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है.

बी. **रिमोट ई–वोटिंग हेतु पोर्टल सोमवार, 05 जुलाई, 2021 को सुबह 9.00 बजे से बुधवार, 07 जुलाई, 2021 को शाम 5.00 बजे तक पूरे समय खुला रहेगा (दोनों दिन सहित).**

सी. **रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है.**

इस **निर्दिष्ट तारीख अर्थात गुरुवार, 01 जुलाई, 2021** को मूर्त या अमूर्त (डिमैटेरिलाइज्ड) रूप में बैंक के शेयर धारित करने वाले शेयरधारक कार्यसूची मद संख्या 1, 2 एवं 3 के लिए इलेक्ट्रानिक रूप से अपना वोट दे सकेंगे.

इस **निर्दिष्ट तारीख अर्थात शुक्रवार, 04 जून, 2021** को मूर्त या अमूर्त (डिमैटेरिलाइज्ड) रूप में बैंक के शेयर धारित करने वाले शेयरधारक कार्यसूची मद संख्या 4 के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट दे सकेंगे.

डी. **आरटीए पोर्टल के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग के लिए अनुदेश (डिमैट एवं फिजीकल शेयरधारकों के लिए) निम्नानुसार हैं:-**

i. जो शेयरधारक उपर्युक्त कट-ऑफ़-डेट को वोट देने हेतु पात्र हैं, ई-वोटिंग के लिए **05 जुलाई, 2021** को सुबह 9 बजे पोर्टल खुलने पर निम्नलिखित यूआरएल का उपयोग करें : *https://evoting.kfintech.com*

ii. लॉग-इन क्रेडेंसियल की अर्थात नोटिस के साथ संलग्न उपस्थिति पर्ची में उल्लिखित यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्रविष्ट करें.

Rules, 2014, the Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Friday, 02nd July 2021 to Thursday, 08th July 2021 (both days inclusive)** for the purpose of 25th Annual General Meeting. Accordingly, the shareholders holding Bank's Shares as on **Thursday, 01st July 2021** will be authorized to attend and vote for the Agenda 1, 2 & 3 of the meeting either through remote e-voting or voting at the AGM.

8. **Specified/Cut-Off Date for Election of One Shareholder Director:**

It has been decided to fix **Friday, 04th June 2021** as Specified/Cut-Off Date for the purpose of determining the list of Shareholders entitled to participate in the Election i.e. to **Nominate, Contest and Vote** for the Election of ONE Director from amongst the Shareholders of the Bank other than the Central Government, as mentioned in the Notice.

9. **Remote E-Voting**

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, your Bank is pleased to provide remote e-voting facility to enable Shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice of the meeting. Shareholders are informed as under in this regard:

a) The Bank has appointed **KFIn Technologies Private Limited as the remote e-voting agency** to provide the e-voting platform.

b) **The Portal will open for remote e-voting at 9.00 a.m. on Monday, 05th July 2021 and will remain open throughout on all the days up to 5.00 p.m. on Wednesday, 07th July 2021 (both days inclusive).**

c) **Remote e-voting is optional**.

Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the **Cut – off Date i.e. Thursday, 01st July 2021,** may cast their vote electronically for Agenda item 1, 2 & 3.

Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the **Cut – off Date i.e. Friday, 04th June 2021,** may cast their vote electronically for Agenda item 4.

d) **The instructions for remote e-voting through RTA website (for Demat and Physical Shareholders) are as under:**

i. The Shareholders eligible to vote as on the aforesaid Cut-Off Date(s), to use the following URL for e-voting: https://evoting.kfintech.com on opening of the same on **05th July 2021** at 9.00 a.m.

ii. Enter the login credentials i.e., user id and password mentioned in the Attendance Slip annexed on this Notice.

iii. उपयुक्त रूप से ब्यौरा दर्ज करने के बाद लॉग-इन पर क्लिक करें.

iv. आप 'पासवर्ड बदलें' मेनू में पहुंचेंगे, जहां आपको अनिवार्यतः अपना पासवर्ड बदलना होगा. नये पासवर्ड में एक 'अपर केस' (A से Z), एक लॉअर केस (a से z), एक अंक (0-9) तथा एक विशेष कैरेक्टर सहित न्यूनतम 8 कैरेक्टर होंगे. सिस्टम आपको पहली बार लॉगिन करते समय पासवर्ड बदलने हेतु तथा मोबाइल नं. ई- मेल जैसे संपर्क के ब्यौरे में कोई अद्यतन जानकारी देनी हो तो उसे दर्ज करने हेतु कहेगा. आप यदि अपना पासवर्ड भूल गये हैं, तो उसे पुनः प्राप्त करने हेतु अपनी पसंद के गोपनीय प्रश्न और उत्तर की प्रविष्टि भी कर सकते हैं. **यह दृढतापूर्वक सिफारिश की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य को न बताएं और इसे गोपनीय रखने हेतु अत्यंत सावधानी बरतें.**

v. आपको नये क्रेडेंसियल से पुनः लॉग-इन करना होगा.

vi. सफलतापूर्वक लॉग-इन के बाद, सिस्टम आपको EVEN अर्थात **बैंक ऑफ़ बड़ौदा** का चयन करने हेतु निर्देश देगा. वोटिंग पृष्ठ पर, **निर्दिष्ट तारीख** (कार्यसूची मद 1, 2 एवं 3 के लिए 01 जुलाई, 2021 और कार्यसूची मद 4 के लिए 04 जून, 2021) पर शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या प्रदर्शित होगी. कार्यसूची मद 1 एवं 2 के लिए शीर्ष पर ASSENT अथवा DISSENT को क्लिक करने के द्वारा शेयरधारक के पास पर सभी संकल्पों के लिए एक बार में ही वोट करने का विकल्प होगा. वैकल्पिक तौर पर आप प्रत्येक संकल्प के लिए ASSENT अथवा DISSENT पर क्लिक कर अलग –अलग वोट कर सकते हैं. पुष्टि करने हेतु "OK" पर क्लिक करें, अन्यथा परिवर्तन करने हेतु "CANCEL" पर क्लिक करें. कार्यसूची मद 4 के लिए शेयरधारक के पास अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट करने का विकल्प होगा. आप केवल एक उम्मीदवार का चयन कर सकते हैं. **एक बार पुष्टि करने के बाद आप वोट में परिवर्तन नहीं कर सकते. वोटिंग अवधि के दौरान, शेयरधारक संकल्प पर वोट देने के पूर्व कितनी भी बार लॉग-इन कर सकता है.**

vii. एक से अधिक फोलियो/डिमैट खाता रखने वाले शेयर धारकों को प्रत्येक फोलियो /डिमैट खाते के लिए अलग से वोटिंग प्रक्रिया करना होगा. **तथापि, शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ई) के अधीन, भारत सरकार के अतिरिक्त अन्य कोई शेयरधारक को, बैंक की कुल शेयरधारिता के 10% से अधिक के लिए वोट करने की अनुमति नहीं होगी.**

viii. उपर्युक्त अनुरूप पोर्टल बंद हो जाएगा एवं बंद होने पर यह सुविधा तत्काल समाप्त हो जाएगी.

iii. After entering the details appropriately, click on LOGIN.

iv. You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, email etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. **It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.**

v. You need to login again with the new credentials.

vi. On successful login, the system will prompt you to select the EVEN i.e., **Bank of Baroda.** On the voting page, the number of shares as held by the shareholder as on the **Cut-off Date** (01st July 2021 for Agenda Item 1, 2 & 3 and 04th June 2021 for Agenda Item 4) will appear. For Agenda Item 1 & 2, Shareholder will have option to vote for all the Resolutions in one go at the TOP by click on ASSENT or DISSENT. Alternatively you may vote individually for each Resolution separately by clicking ASSSENT or DISSENT for each Resolution. Click OK to confirm else CANCEL to modify. For Agenda item 4. Shareholder will have option to vote for the candidates of your choice. You can select only one Candidate **Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted on the resolutions.**

vii. Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folio / demat account. **However, Shareholders may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no Shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.**

viii. The portal will close as aforesaid and the facility will be disabled immediately on the closure.

ix. बैंक ने मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमणयन एंड कं., कंपनी सचिव को रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया को उचित एवं पारदर्शी तरीके से संचालित करने हेतु संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है.

x. संस्थागत शेयरधारक (अर्थात व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि) जो वोट देने हेतु प्राधिकृत हों, उन्हें विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के अनुप्रमाणित हस्ताक्षरों सहित संबद्ध बोर्ड संकल्प/प्राधिकार-पत्र की स्कैंड (पीडीएफ/जेपीजी) प्रति scrutinizer@snaco.net पर ई- मेल के माध्यम से संवीक्षक को भेजनी अपेक्षित है.

xi. ऐसे शेयरधारक, जो 25वीं एजीएम के लिए नोटिस/वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के प्रेषण हेतु कट-ऑफ़-डेट एवं ई-वोटिंग हेतु कट-ऑफ़-डेट के बीच शेयर प्राप्त करते हैं तथा अपना ई-मेल आईडी अपने संबंधित डीपी के पास रजिस्टर करते हैं, उन्हें इस संबंध में आरटीए के माध्यम से सूचना दी जाएगी. ऐसे अन्य शेयरधारक विवरण प्राप्त करने हेतु बैंक की वेबसाइट देखें.

xii. आपका यदि कोई प्रश्न हो तो आप https://evoting.karvy.com पर डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) तथा शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूज़र मैन्यूअल का अवलोकन कर सकते हैं अथवा मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट :बैंक ऑफ़ बड़ौदा), सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32 गाचीबोवली, फाइनांशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद- 500 032 के उप महाप्रबंधक श्री एस वी राजू से ई-मेल raju.sv@kfintech.com एवं दूरभाष संख्या 1800 345 4001 (टोल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं.

**इ) डिपॉजिटरी के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग के लिए अनुदेश निम्नानुसार है:**

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर 2020 के अनुसार डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरीज या डिपॉजिटरी सहभागी के साथ रखे गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है. शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आईडी अपडेट करें.

**डिपॉजिटरी** के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों द्वारा रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया:

ix. The Bank has appointed M/s S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

x. Institutional Shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory (ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail : scrutinizer@snaco.net

xi. Shareholders acquiring Shares between the Cut –Off Date for dispatch of the Notice for 25th AGM / Annual Report 2020-21 and the Cut-Off Date for E-voting and have registered their e-mail IDs with their respective DP, shall be sent communication by RTA in this regard. Such other Shareholders may visit Bank's website to get the details.

xii. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual for Shareholders available at the download section of https://evoting.kfintech.com or contact Mr. S.V. Raju, DGM of Kfin Technologies Pvt. Ltd, (Unit: Bank of Baroda), Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad – 500 032 at e-mail raju.sv@kfintech.com at phone no. 1-800-309-4001 (toll free).

**e) <u>The instructions for remote e-voting through Depositories are as under:</u>**

In terms of SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Procedure for remote e-voting by Individual Shareholders holding securities in Demat mode with **Depositories:**

| लॉगिन प्रणाली- सीडीएसएल | लॉगिन प्रणाली- एनएसडीएल |
|---|---|
| 1) उपयोगकर्ता, जिन्होंने सीडीएसएल ईजी/ईजीएस्ट सुविधा के विकल्प का चयन किया है, अपने मौजूदा यूजर आईडी तथा पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं. बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा. उपयोगकर्ताओं को ईजी/ईजीएस्ट में लॉगिन करने के लिए यूआरएल है. https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login या www.cdslindia.com पर जाएं. लॉगिन आइकन पर क्लिक करें तथा नए सिस्टम Myeasi का चयन करें.<br>2) सफल लॉगिन के बाद ईजी/ईजीएस्ट उपयोगकर्ता पात्र कंपनियों के लिए, जहां कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार ई-वोटिंग चल रही है, ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे. ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर उपयोगकर्ता को रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने तथा मीटिंग के दौरान वोटिंग के लिए ई-वोटिंग पृष्ठ दिखाई देगा. इसके अतिरिक्त सभी सेवा प्रदाताओं अर्थात सीडीएसएल/एनएसडीएल /कार्वी/लिंक इन टाइम की प्रणाली तक पहुंचने के लिए लिंक उपलब्ध कराए गए है, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सके.<br>3) यदि उपयोगकर्ता ईजी/ईजीएस्ट पर पंजीकृत नहीं है, तो https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर पंजीकरण का विकल्प उपलब्ध है.<br>4) वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रविष्ट कर सीधे ई-वोटिंग पेज तक पहुंच सकते हैं. प्रणाली डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल तथा ई-मेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को अधिप्रमाणित करेगा. सफल अधिप्रमाणन के बाद, उपयोगकर्ता ई-वोटिंग विकल्प देखने, जहां ई-वोटिंग चल रही है तथा सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक सीधे पहुंचने में सक्षम होगा. | 1) मौजूदा IDeAS उपयोगकर्ता अपने वैयक्तिक कंप्यूटर या अपने मोबाइल पर एनएसडीएल की ई-सेवा वेबसाइट अर्थात https://eservices.nsdl.com पर जा सकते हैं. ई-सर्विस होम पेज पर 'IDeAS' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध 'लॉगिन' में 'लाभार्थी स्वामी' के आइकन पर क्लिक करके आपको अपना मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करने को कहा जाएगा. सफल अधिप्रमाणन के बाद वैल्यू ऐडेड सेवाओं के अंतर्गत आप ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे. ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत "Access to e-voting" पर क्लिक करें, तब आप ई-वोटिंग के पेज को देख पाएंगे. कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवाप्रदाता के नाम पर क्लिक करें, तब आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने एवं मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए, ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा.<br>2) अगर आप IDeAS ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है तो पंजीकरण विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है. "आइडियाज़ पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण" या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें.<br>3) एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं. अपने वैयक्तिक कंप्यूटर या मोबाइल पर वेब ब्राउजर में निम्नलिखित यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप कर खोलें एक बार ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज खुलने पर आइकन पर क्लिक करें. एक नई स्क्रीन प्रदर्शित होगी. आपको आपका यूजर आईडी (अर्थात एनएसडीएल के साथ धारित डीमैट खाते का 16 अंकों का खाता संख्या) पासवर्ड /ओटीपी तथा सत्यापन कोड जो स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, दर्ज करना होगा. |

| **Login Method – CDSL** | **Login Method – NSDL** |
|---|---|
| 1) Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The URL for users to login to Easi / Easiest are https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or visit www.cdslindia.com and click on Login icon and select New System Myeasi.<br>2) After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by company. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers i.e. CDSL/NSDL/KARVY/LINKINTIME, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly.<br>3) If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration<br>4) Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers. | 1) Existing IDeAS user can visit the e-Services website of NSDL Viz. https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. On the e-Services home page click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' section , this will prompt you to enter your existing User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services under Value added services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.<br>2) If your are not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select "Register Online for IDeAS Portal" or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp<br>3) Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL |

| | |
|---|---|
| | सफल अधिप्रमाणन के बाद आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा. जहां आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करने पर आपको रिमोट ई-वोटिंग के दौरान या वर्चुअल मीटिंग/वोटिंग में शामिल हो कर वोटिंग की अनुमति प्रदान की जाएगी. |

**महत्वपूर्ण नोट:**

सदस्य, जो अपना यूजर आईडी / पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि उल्लिखित वेबसाइट पर उपलब्ध यूजर आईडी भूल गए/ पासवर्ड भूल गए के विकल्प का उपयोग करें.

**डीमैट रूप में प्रतिभूतियों को रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी अर्थात सीडीएसएल तथा एनएसडीएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी मामले के लिए हेल्पडेस्क.**

| लॉगिन प्रकार | हेल्पडेस्क विवरण |
|---|---|
| **सीडीएसएल** के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक | लॉगिन के दौरान तकनीकी समस्या का सामना कर रहे सदस्य सीडीएसएल हेल्पडेस्क पर helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेज कर या 022- 23058738 और 22-23058542-43 पर संपर्क करते हुए. |
| **एनएसडीएल** के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखते वाले वैयक्तिक शेयरधारक. | लॉगिन के दौरान तकनीकी समस्या का सामना कर रहे सदस्य एनएसडीएल हेल्प डेस्क पर evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध 1800 1020 990 तथा 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते है. |

एफ) डिपॉजिटरी सहयोगी के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं:

**डिपॉजिटरी सहभागी** के साथ डीमैट मोड में रखी गई प्रतिभूतियों के वैयक्तिक शेयरधारकों द्वारा रिमोट ई-वोटिंग की प्रणाली.

आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/ सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी सहभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं. सफलतापूर्वक लॉगिन करने पर आप ई-वोटिंग विकल्प देख सकते हैं. ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने के उपरांत आपको सफल अधिप्रमाणन के बाद एनएसडीएल/ सीडीएसएल की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां आप ई-वोटिंग सुविधा विकल्प देख सकते है. कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवाप्रदाता के नाम पर क्लिक करने पर आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान, या वर्चुअल मीटिंग/वोटिंग में शामिल होकर वोटिंग के लिए ई-वोटिंग सेवाप्रदाता की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा.

**10. वार्षिक आम बैठक में चुनाव प्रक्रिया**

कार्यसूची की मदों पर वोटिंग, रिमोट ई-वोटिंग तथा बैठक में वोटिंग के माध्यम से होगी. जो रिमोट ई-वोटिंग विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं वे बैठक की तारीख को ई-एजीएम में आयोजित किए जाने वाले वोटिंग में अपना वोट देने के पात्र होंगे.

| | |
|---|---|
| | Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. |

**Important note:**

Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned website.

**Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL**

| Login type | Helpdesk details |
|---|---|
| Individual Shareholders holding securities in Demat mode with **CDSL** | Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.comor contact at 022-23058738 and 22-23058542-43. |
| Individual Shareholders holding securities in Demat mode with **NSDL** | Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 |

f) The instructions for remote e-voting through Depository Participants are as under:

Procedure for remote e-voting by Individual Shareholders holding securities in Demat mode with **Depository Participants:**

You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. After Successful login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

**10. VOTING PROCESS AT THE AGM**

The voting on the agenda items shall be done by remote e-voting as well as by voting at the AGM. Those who do not exercise the option of remote e-voting shall be entitled to participate in the voting to be conducted at the AGM on the date of the meeting.

**11. रिमोट ई- वोटिंग / बैठक में वोटिंग के संवीक्षक**

बैंक ने इस उद्देश्य के लिए मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कं., कंपनी सचिव और स्वतंत्र सलाहकार को नियुक्त किया है जो बैठक की कार्यसूची की सभी मदों के संदर्भ में बैठक के दौरान आयोजित होने वाली रिमोट ई-वोटिंग एवं ई-वोटिंग दोनों के लिए संवीक्षक के रूप में भी कार्य करेंगे.

**12. रिमोट ई-वोटिंग तथा बैठक में वोटिंग का परिणाम**

ई-एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग तथा मतदान के समेकित परिणाम की घोषणा दो कार्यदिवसों के भीतर या बैठक के अंत में की जाएगी तथा इसे बैंक, स्टॉक एक्सचेंज और केफिन टेक्नॉलॉजिस प्रा. लिमिटेड की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा.

**13. पते में परिवर्तन / लाभांश अधिदेश**

क) लाभांश के भुगतान के लिए बैंक एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत बैंक खाते और संबंधित डिपॉजिटरी से आरटीए द्वारा डाउनलोड किए गए विवरण का उपयोग करेगा. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि डीमैट खाते में पंजीकृत उनके बैंक विवरण संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी के साथ अद्यतन होने चाहिए जिससे कि बही बंदी के शुरू होने से पूर्व अद्यतन स्थिति प्राप्त की जा सके. बैंक या इसके रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से बैंक विवरण या बैंक अधिदेश में किसी परिवर्तन हेतु सीधे प्राप्त किसी भी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकता है. इस प्रकार का कोई भी परिवर्तन केवल सदस्यों के डिपॉजटरी सहभागी को ही सूचित किया जा सकता है.

ख) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि उनके पते में परिवर्तन हो तो इसकी सूचना वैध दस्तावेजी साक्ष्य और औपचारिक अनुरोध पत्र के साथ तत्काल बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट अर्थात मैसर्स केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद को दें. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को अपने पते में किसी प्रकार के परिवर्तन को **अपने संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी** के साथ ही रजिस्टर करना चाहिए, **बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है.**

ग) शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट के साथ किसी भी प्रकार के पत्र-व्यवहार में अपने संबंधित फोलियो नंबर (उनके लिए, जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं) और अपना डीपी आईडी/ग्राहक आईडी नंबर (उनके लिए, जिनके पास शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं) का उल्लेख अवश्य करें.

**14. फोलियो का समेकन**

जिन शेयरधारकों के पास एक से अधिक खाते में अपने समरूप नाम से भौतिक शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट को शेयर प्रमाण-पत्रों के साथ ऐसे खातों के लिए लेजर फोलियो की सूचना दें ताकि बैंक एक ही खाते में सभी धारित शेयरों का समेकन कर सके. पृष्ठांकन संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने के बाद सदस्यों को शेयर प्रमाण पत्र यथासमय लौटा दिए जाएंगे.

**11. SCRUTINIZERS AT REMOTE E-VOTING / VOTING AT THE MEEETING**

M/s S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries and Independent Consultant appointed for the said purpose by the Bank shall also act as Scrutinizer for both remote evoting and e-voting in respect of the agenda items of the meeting.

**12. RESULTS OF REMOTE EVOTING AND VOTING AT THE MEEETING**

The consolidated results of remote e-voting and voting at the AGM will be announced within two working days or at the end of the Meeting and will also be hosted on the websites of the Bank, Stock Exchanges and Kfin Technologies Pvt. Ltd.

**13. CHANGE OF ADDRESS / DIVIDEND MANDATE:**

a) The Bank for sending Notices / communications will use the details of address registered with the NSDL/CDSL and downloaded by RTA from the respective Depository. Shareholders holding shares in electronic form are hereby informed that their address registered in Demat Account should be updated with respective Depository Participant so as to get updated immediately. The Bank or its Registrar and Share Transfer Agent cannot act on any request received directly from the Shareholders holding shares in electronic form for any change of address. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Shareholders.

b) Shareholders holding shares in physical form are requested to advise any change of address along with a valid documentary evidence and formal request application duly signed immediately to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, i.e. Kfin Technologies Private Limited, Hyderabad. Shareholders holding shares in electronic form must register change in address **with their respective Depository Participant only** and **not to the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.**

c) Shareholders are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic/demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

**14. CONSOLIDATION OF FOLIOS:**

The Shareholders holding shares in physical form in identical order of names in more than one account are requested to intimate to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, the ledger folio of such accounts together with the share certificates to enable them to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the Shareholders after making necessary endorsement in due course.

15. **भौतिक रूप में शेयर धारिता का अभौतिकीकरण- एक विशेष अनुरोध:**

सेबी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 12/2019 दिनांक 27.03.2019 के माध्यम से यह निर्णय लिया है कि प्रतिभूतियों के ट्रांसमीशन अथवा ट्रांसपोजिशन को छोड़कर **प्रतिभूतियों के अंतरण संबंधी अनुरोध पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि 01.04.2019 से ऐसी प्रतिभूतियां किसी डिपॉजिटरी के साथ अभौतिक रूप में नहीं रखी जाएं.** अतः हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपने भौतिक शेयरों को तुरंत अभौतिक रूप में परिवर्तित करा लें.

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सभी शेयरधारक अपनी शेयर धारिता का अभौतिकीकरण करने अपने उस संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी से संपर्क कर सकते हैं जहां उनका अपना डीमेट खाता है. अभौतिकीकरण के लाभ निम्नलिखित हैं: (i) बाधारहित अंतरण (ii) शेयर प्रमाण पत्रों की गुमशुदगी से बचाव (iii) लाभांश/ कॉर्पोरेट लाभों को सीधे व त्वरित जमा कराया जा सकता है (iv) नामांकन सुविधा (v) एएसबीए/ आईपीओ आदि के जरिए सीधा आवेदन आदि.

16. **पिछले वर्ष का दावा न किए गए/भुगतान न किए गए लाभांश, यदि कोई हो**

शेयरधारकों से अनुरोध है कि यह ध्यानपूर्वक नोट कर लें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) तथा वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 के माध्यम से बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम,1970 में संशोधन के फलस्वरुप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे उक्त अधिनियम लागू होने के फलस्वरुप भुगतान हेतु /दावा हेतु शेष लाभांश की राशि तथा उक्त अधिनियम लागू होने के बाद घोषित लाभांश "अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित करें.

"अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित राशि और अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि में अदावाकृत /अदत्त राशि को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 (सी) (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125) के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना अपेक्षित है और उसके पश्चात इस संबंध में भुगतान के लिए कोई दावा बैंक को या निधि को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2013-14 (अंतरिम) तक घोषित किए गए अदत्त लाभांश को पहले ही आईईपीएफ को अंतरित कर दिया है. वित्तीय वर्ष 2013-14 (अंतिम) से आगे के अदत्त लाभांश के अंतरण के लिए भविष्य की निर्दिष्ट तारीखों को नीचे दिया गया है.

| क्र. सं. | वित्तीय वर्ष | लाभांश – अंतरिम / अंतिम | आईईपीएफ को अंतरित करने की निर्दिष्ट तारीख/ आरटीए या बैंक को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | बैंक ऑफ़ बड़ौदा | पूर्ववर्ती विजया बैंक | पूर्ववर्ती देना बैंक |
| 1 | 2013-2014 | अंतिम | 25 जुलाई, 2021 | 20 अगस्त, 2021 | 02 अगस्त 2021 |
| 2 | 2014-2015 | अंतिम | 29 जुलाई, 2022 | 27 जुलाई, 2022 | 01 अगस्त, 2022 |
| 3 | 2015-2016 | शून्य | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 4 | 2016-2017 | अंतिम | 06 अगस्त, 2024 | 29 जुलाई, 2024 | लागू नहीं |
| 5 | 2017-2018 | अंतिम | लागू नहीं | 04 अगस्त, 2025 | लागू नहीं |
| 6 | 2018-2019 | शून्य | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 7 | 2019-2020 | शून्य | लागू नहीं | | |

जिन शेयरधारकों ने पिछले वर्षों अर्थात वित्तीय वर्ष 2013-14 (अंतिम) से अपने लाभांश पत्रों का नकदीकरण न कराया हो अथवा लाभांश पत्र उन्हें प्राप्त

15. **DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS – A SPECIAL REQUEST:**

SEBI vide its Press Release No. 12/2019 dated 27.03.2019 has decided that except in case of transmission or transposition of securities, **requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository w.e.f. 01.04.2019**. Hence, we request the shareholders to kindly Demat their physical holding immediately.

For dematerialization, shareholders may contact their respective Depository Participant, where they maintain their respective de-mat account. Benefits of dematerialization are as follows: i) Hassle free transfer ii) No threat of loss of share certificate iii) Direct and prompt credit of Dividend / Corporate benefits iv) Nomination facility v) Direct application through ASBA/ IPO, etc.

16. **UNCLAIMED/UNPAID DIVIDEND, IF ANY OF PREVIOUS YEARS:**

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to amendment in Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide "The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) And Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, Public Sector Banks are required to transfer amount remaining unpaid/ unclaimed in dividend accounts of earlier years on the commencement of the aforesaid Act, and also dividend declared after the commencement of the said Act, to "Unpaid Dividend Account".

The amount transferred to the said "Unpaid Dividend Accounts" and remaining unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) established under Section 205 (C) of the Companies Act, 1956 (Section 125 of Companies Act, 2013) and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof to the Bank or the Fund. The Bank has already transferred unpaid dividend declared up to FY 2013-14 (Interim) to IEPF. For the details of unpaid dividend from FY 2013-14 (Final) onwards, the details about future due dates for transfer are given below:

| Sr. No. | Financial Year | Dividend –Interim / Final | Due Dates for Transfer to IEPF/Last Date by which the claim should reach RTA or the Bank | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Bank of Baroda | eVijaya Bank | eDena bank |
| 1 | 2013-2014 | Final | 25th July, 2021 | 20th August 2021 | 02nd August 2021 |
| 2 | 2014-2015 | Final | 29th July, 2022 | 27th July 2022 | 01st August 2022 |
| 3 | 2015-2016 | NIL | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |
| 4 | 2016-2017 | Final | 06th August, 2024 | 29th July 2024 | Not Applicable |
| 5 | 2017-2018 | Final | Not Applicable | 04th August 2025 | Not Applicable |
| 6 | 2018-2019 | NIL | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |
| 7 | 2019-2020 | NIL | Not Applicable | | |

The Shareholders who have not en-cashed their dividend warrants for the previous years, i.e. from FY 2013-14 (Final)

न हुए हों, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे बैंक के रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट अथवा बैंक के निवेशक सेवाएं विभाग, मुंबई से निम्नलिखित पते पर संपर्क करें:

| केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड | निवेशक सेवाएं विभाग |
| --- | --- |
| (यूनिट – बैंक ऑफ़ बड़ौदा)<br>सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32,<br>गाचीबोवली, फायनेंशियल डिस्ट्रिक्ट,<br>नानाक्रमगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल,<br>हैदराबाद – 500 032<br>ई-मेलः einward.ris@kfintech.com<br>वेबसाइटः **https://www.kfintech.com**<br>टोल फ्री नं. 1800 345 4001 | बैंक ऑफ बड़ौदा, 7 वां तल,<br>बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, सी-26, जी ब्लॉक,<br>बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व)<br>मुंबई - 400051<br>ई-मेल :- investorservices@bankofbaroda.com |

17. **शेयरधारकों से अनुरोध**

कृपया नोट करें कि वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 की प्रतियां, जिन शेयरधारकों ने अपनी ई-मेल आईडी संबंधित डिपोजीटरी/आरटीए/बैंक के साथ पंजीकृत करवा रखी हैं उन्हें ई-मेल द्वारा सॉफ्ट कापी के रूप में भेज दी गई हैं. वार्षिक रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट अर्थात www.bankofbaroda.in पर भी उपलब्ध है.

शेयरधारक, जो 25वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में वार्षिक रिपोर्ट 2020 -21 से संबंधित प्रश्न पूछना चाहते हैं / स्पष्टीकरण प्राप्त करने के इच्छुक हैं वे अपने प्रश्न / समस्या लिखित में विधिवत हस्ताक्षरित (डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी / फोलियो सं. के साथ) कर इस प्रकार भेजें कि बैंक को 05 जुलाई, 2021 तक अथवा उससे पहले प्राप्त हो जाए.

18. **ऐसे शेयरधारक जिनके ई-मेल पते डिपोजीटरी के साथ या भौतिक फोलियो आरटीए के साथ पंजीकृत नहीं हैं उनके द्वारा वार्षिक रिपोर्ट, ई-एजीएम नोटिस और ई–वोटिंग अनुदेश प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया:**

कोविड 19 महामारी के खतरे को देखते हुए और एमसीए और सेबी के परिपत्रों के अनुपालन में बैंक ने शेयर धारकों के पंजीकृत ई-मेल पते पर वार्षिक रिपोर्ट, ई-एजीएम की नोटिस और ई-वोटिंग को केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजा है. अतः ऐसे शेयरधारक जिन्होंने अभी तक अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वे निम्नलिखित प्रक्रिया के माध्यम से अपने ई-मेल पते को पंजीकृत कर लें.

- ऐसे शेयरधारक जिन्होंने अपने ई-मेल पते और पते एवं बैंक के विवरण सहित मोबाइल नंबर को पंजीकृत किया /नहीं किया है वे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर धारित होने पर डिपॉजिटरी साझेदार से और भौतिक रूप में शेयर धारित होने पर बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क करें और अपने विवरणों को वैध /अद्यतन कराएं.
- शेयर धारक जिन्होंने अपने ई-मेल पते को पंजीकृत नहीं किया है और परिणामस्वरूप वार्षिक रिपोर्ट, ई एजीएम की नोटिस और ई-वोटिंग की नोटिस प्राप्त नहीं कर सके हैं ऐसे शेयर धारक अस्थायी रूप से अपने ई-मेल पते और मोबाइल नंबर को बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को उपलब्ध कराकर इस लिंक https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx पर क्लिक कर इसे प्राप्त कर सकते

onwards are advised to approach the Bank's Registrar and Share Transfer Agent or at Bank's Investors' Services Department at Mumbai on the following address :

| KFin Technologies Pvt. Ltd. | Investors' Services Department |
| --- | --- |
| (Unit :- Bank of Baroda)<br>Selenium Tower B, Plot No. 31 & 32<br>Gachibowli, Financial District,<br>Nanakramguda, Serilingampally Mandal,<br>Hyderabad – 500 032<br>Email id - einward.ris@kfintech.com<br>Website: https://www.kfintech.com<br>Toll free number - 1- 800-309-4001 | Bank of Baroda, 7th Floor,<br>Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block,<br>Bandra Kurla Complex, Bandra (E)<br>Mumbai - 400 051.<br>E-mail - investorservices@bankofbaroda.com |

17. **REQUEST TO SHAREHOLDERS**:

Please note that copy of the Annual Report- 2020-21 has been sent in soft copy by emails to those Shareholders who have registered their email ids with the respective Depository/ RTA/Bank. The Annual Report is also hosted on the Bank's website i.e. "www.bankofbaroda.in"

Shareholders desirous of asking questions / queries pertaining to Annual Report 2020-21 in the 25th AGM may send their questions / queries in writing, duly signed (with DP ID / Client ID / Folio No.) so that the same be received to the Bank, on or before **05th July 2021**.

18. **PROCEDURE FOR OBTAINING THE ANNUAL REPORT, AGM NOTICE AND E-VOTING INSTRUCTIONS BY THE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL ADDRESSES ARE NOT REGISTERED WITH THE DEPOSITORIES OR WITH RTA ON PHYSICAL FOLIOS:**

On account of threat posed by COVID-19 and in terms of the MCA and SEBI Circulars, the Bank has sent the Annual Report, Notice of AGM and e-Voting instructions only in electronic form to the registered email addresses of the shareholders. Therefore, those shareholders who have not yet registered their email address are requested to get their email addresses registered by following the procedure given below:

- Those shareholders who have registered/not registered their mail address and mobile nos including address and bank details may please contact and validate/update their details with the Depository Participant in case of shares held in electronic form and with the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Private Limited in case the shares held in physical form.
- Shareholders who have not registered their mail address and in consequence the Annual Report, Notice of AGM and e-voting notice could not be serviced. Shareholders may temporarily get their email address and mobile number provided with the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Private Limited, by clicking the link: https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx for sending the

हैं. शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि ई-मेल पते और मोबाइल नंबर को दर्ज करने के लिए दी गई प्रक्रिया का पालन करें ताकि वार्षिक रिपोर्ट, ई-एजीएम की नोटिस और ई-वोटिंग संबंधी अनुदेशों की सॉफ्ट कॉपी के साथ-साथ यूजर आईडी और पासवर्ड भेजा जा सके. किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए शेयरधारक einward.ris@kfintech.com पर संपर्क कर सकते हैं.

- शेयर धारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे वार्षिक रिपोर्ट और ई-एजीएम की नोटिस को डाउनलोड करने के लिए बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in या रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट की वेबसाइट को विजिट करें.
- वैकल्पिक रूप से सदस्य वार्षिक रिपोर्ट, ई-एजीएम की नोटिस और ई-वोटिंग अनुदेश को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फोलियो के मामलें में ई-मेल पते, मोबाइल नंबर, स्व-सत्यापित पैन प्रति, क्लाईंट मास्टर प्रति के साथ हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन प्रति तथा भौतिक फोलियो के मामले में शेयर प्रमाणपत्र की प्रति के साथ हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन प्रति को ई-मेल अनुरोध के माध्यम से einward.ris@kfintech.com पर भेज सकते हैं.

*विशेष ध्यानाकर्षण हेतु अनुरोध:*

भारत सरकार द्वारा आंरभ की गई हरित पहल को सफल बनाने हेतु उन सभी शेयरधारकों, जिन्होंने संबंधित डिपॉजिटरी /आरटीए/बैंक के साथ अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं करवाया है, से अनुरोध है कि ई-मेल द्वारा वार्षिक रिपोर्ट एवं अन्य पत्र प्राप्त करने हेतु इस नोटिस में उल्लिखित पैरा 16 के अंतर्गत दिए गए पते/ ई-मेल आईडी पर ई-मेल भेजकर/लिखित रूप में अनुरोध कर संबंधित डिपॉजीटरी में अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत करवाएं.

**व्याख्यात्मक विवरण**

**मद संख्या 2 – पूंजी योजना 2021-22**

निदेशक मंडल द्वारा लिए गए निर्णय / लिए जा सकने वाले निर्णय के अनुसार व्यवसाय आस्तियों में विस्तार करने के लिए बेसल III के दिशानिर्देशों के अंतर्गत न्यूनतम पूँजी एवं लीवरेज अनुपात आवश्यकता की पूर्ति करने के उद्देश्य से बैंक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन 2018 और अद्यतन संशोधनों तथा इस संबंध में सेबी/भारतीय रिज़र्व बैंक के अन्य लागू विनियमों/ दिशानिर्देशों के अनुसार अर्हता प्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी)/ फॉलो ऑन पब्लिक निर्गम (एफपीओ)/ अधिकार निर्गम/ एडीआर-जीडीआर/ इक्विटी का निजी प्लेसमेंट/ अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर जैसे विविध प्रणालियों या अन्य किसी प्रणाली या इनके मिश्रण के जरिए आम इक्विटी जुटाने का प्रस्ताव करता है. क्यूआईपी के माध्यम से प्रतिभूतियां जारी करने के ऐसे मामले भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन 2018 के अध्याय VI के अनुरूप होने चाहिए.

वर्तमान संकल्प बैंक के निदेशक मंडल को उपयुक्त समय, प्रक्रिया, प्रीमियम और अन्य शर्तों पर इक्विटी शेयर जारी करने हेतु सक्षम बनाने के उद्देश्य से प्रस्तावित है.

विशेष संकल्प के अनुसार में इक्विटी शेयरों के प्रस्तावित निर्गमन सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुरुप होंगे.

same. Shareholders are requested to follow the process as guided to capture the email address and mobile number for sending the soft copy of the notice and e-voting instructions along with the User ID and Password. In case of any queries, shareholder may write to einward.ris@kfintech.com.

- Shareholders are also requested to visit the website of the Bank at www.bankofbaroda.in or the website of the Registrar and Transfer Agent for downloading the Annual Report and Notice of the AGM.
- Alternatively Shareholder may send an e-mail request at the email id einward.ris@kfintech.com along with scanned copy of the signed copy of the request letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio for sending the Annual report, Notice of AGM and the e-voting instructions.

*SPECIAL ATTENTION REQUESTED:*

*In order to support the green initiatives by Government of India, Shareholders who have not registered their email IDs with their respective Depositories/RTA/Bank, are requested to do so with their respective Depositories or by sending emails/ request in writing to the RTA/Bank at the address/email ID stated at para no. 16 in this Notice in order to receive Annual Report and other communications over mail.*

**EXPLANATORY STATEMENT**

**Item Number 2 – Capital Plan 2021-22**

In order to meet the Minimum Capital and Leverage Ratio requirements under the BASEL- III guidelines for expansion of business assets, as decided / may be decided by the Board, the Bank proposes to raise common equity by way of Qualified Institutions Placement (QIP) / Follow on Public Offer (FPO) / Rights Issues / ADR - GDR / Private Placement of Equity / Compulsorily Convertible Debentures or any other mode or combinations of these, in accordance with Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2018 and as amended up to date and other applicable Regulations / Guidelines of SEBI/RBI in this regard. In the event of such issuance of securities is undertaken by way of QIP, the same will be in accordance with Chapter VI of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2018.

The present resolution is proposed in order to enable the Board of Directors of the Bank to issue equity shares at an appropriate time, mode, premium and other terms.

The proposed issuance of Equity Shares in terms of the Special Resolution will be in conformity with the provisions of all applicable laws.

किसी भी निदेशक, बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदारों को उपर्युक्त संकल्प (पों) में हितबद्ध या संबद्ध नहीं समझा जाएगा.

हमारे बैंक का कोई भी प्रवर्तक या निदेशक भगौड़ा आर्थिक अपराधी या इरादतन चूककर्ता नहीं होना चाहिए.

निदेशक मण्डल प्रस्तावित विशेष संकल्प को पास करने की सिफ़ारिश करता है.

**मद सं. 3 - आगे ले जाई गई (कैरी फॉरवर्ड) हानि के समंजन हेतु शेयर प्रीमियम खाते से विनियोजन**

31 मार्च, 2021 को बैंक को कुल ₹ 11048.84 करोड़ रूपए की संचित हानि हुई है जबकि इस दौरान बैंक के तुलन पत्र में प्रतिभूति प्रीमियम राशि ₹ 42,360,57 करोड़ रही. इन संचित हानियों को प्रतिभूति प्रीमियम खाते में समान राशि से समायोजित किया जाना प्रस्तावित है. उपर्युक्त प्रस्तावित प्रतिभूति प्रीमियम में कमी को अनुमोदित किए जाने पर 31 मार्च, 2021 को बैंक को हुई संचित हानि में कमी आएगी.

इस प्रस्तावित समंजन से बैंक की वित्तीय स्थिति सही एवं उचित रूप से सामने आएगी और प्रति शेयर बही मूल्य, इक्विटी पर रिटर्न, प्रति शेयर आय आदि जैसे किसी भी अनुपात को प्रभावित नहीं करेगा.

इस समंजन से बैंक को अपने वितरण योग्य रिजर्व में सुधार लाने में सहायता मिलेगी. इससे बैंक अपने वास्तविक वित्तीय विवरण का प्रतिनिधित्व करने में भी सक्षम होगा जिससे इसके शेयरधारक लाभान्वित होंगे क्योंकि उन्हें उनकी शेयरधारिता का बेहतर मूल्य प्राप्त होगा और बैंक द्वारा दिए जाने वाले लाभांश के भुगतान के रूप में शेयरधारकों को लाभ के अवसरों की संभावना का भी पता लग सकेगा. यह प्रस्ताव बैंक को समयबद्ध रूप में अपनी टर्न अराउंड योजनाओं को पूरा करने हेतु बेहतर स्थिति में स्थापित करेगा.

राष्ट्रीयकृत बैंक(प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के अनुच्छेद 21 के अनुसार बैंक अपने शेयर प्रीमियम खाते से इस अधिनियम की धारा 3(2बीबीए) में यथा संदर्भित चुकता पूंजी में कमी लाने हेतु प्रक्रिया का अनुपालन करके किसी राशि को विनियोजित कर सकता है. इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 3(2बीबीए) के अनुसार बैंक समय - समय पर सार्वजनिक निर्गम, राइट निर्गम अथवा बोनस जारी करके अथवा अधिमान्य आबंटन या निजी प्लेसमेंट द्वारा जुटाई गई प्रदत्त पूंजी है. वोट देने के हकदार शेयरधारकों की आम बैठक में पारित संकल्प द्वारा व्यक्तिगत रूप से मतदान करना अथवा जहां कहीं भी प्रौक्सी अनुमत हो वहां इसके द्वारा एवं इस प्रस्ताव के पक्ष में डाले गए वोटों की संख्या से कम से कम 3 गुना होने पर इसके हकदार एवं मतदाता शेयरधारकों द्वारा इस प्रस्ताव के विरूद्ध अपनी चुकता पूंजी में कमी कर सकता है.

चूंकि संचित हानियों को समायोजित करने के उद्देश्य से बैंक के शेयर प्रीमियम खाते के प्रस्तावित उपयोग को पूंजी में हुई कमी के रूप में स्वीकार किया जाएगा अत: एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से बैंक के शेयरधारकों का अनुमोदन लिया जा रहा है.

None of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforesaid resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

None of the promoters or directors of our Bank are fugitive economic offender or willful defaulter.

The Board of Directors recommends the passing of the proposed Special Resolution.

**Item Number 3 – Appropriation from share premium account towards offsetting carry forward loss**

As on March 31, 2021, Bank is having a balance of accumulated losses of ₹ 11,048.44 crore as against the Securities Premium amount of ₹ 42,360.57 crore in the Balance Sheet. It is proposed to set off the accumulated losses with an equal amount lying in the Securities Premium Account. The effect of the aforesaid proposed Securities Premium reduction, if approved and finalized would be that the accumulated losses as on 31st March 2021 will accordingly stand reduced.

The proposed set off will present the true and fair view of the financial position of the Bank and will not affect any ratios such as Book Value per share, Return on Equity (ROE), Earning per Share (EPS) etc.

The said set off will help the Bank to improve its distributable reserves. The Bank will also be able to represent its true financial which would benefit shareholders as their holding will yield better value and also enable the Bank to explore opportunities to the benefit of the shareholders of the Bank including in the form of dividend payment as per the applicable provisions within a reasonable timeframe. The proposal will also put the Bank in a better position to achieve its turnaround plans in a time-bound manner.

In terms of Clause 21 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Bank may appropriate any sum from its share premium account by following the same procedure for reduction of paid-up capital referred to in Section 3 (2BBA) of the Act. Further, in terms of Section 3(2BBA) of the Act, the Bank may, from time to time and after any paid-up capital has been raised by public issue or right issue or by issue of bonus shares or preferential allotment or private placement by resolution passed at the general meeting of shareholders entitled to vote, voting in person, or where proxies are allowed, by proxy, and the votes cast in favour of the resolution are not less than three times the number of votes, if any, cast against the resolution by the shareholders so entitled and voting, reduce its paid-up capital in any way.

As the proposed utilization of Share Premium Account of the Bank for the purpose of setting off accumulated losses would be deemed to be a capital reduction, approval of the shareholders of the Bank by way of a Special Resolution is being sought.

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुच्छेद 17(2) में दर्शाए गए प्रावधान के अनुसार यदि बैंक शेयर प्रीमियम अथवा राजस्व रिजर्व खाते से कोई राशि विनियोजित करता है, तो ऐसे विनियोग की तिथि से 21 दिनों के अंदर रिजर्व बैंक को रिपोर्ट करेगा जिसमें इससे संबंधित परिस्थितियों को दर्शाया जाएगा. बैंक द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर इस आवश्यकता का अनुपालन किया जाएगा.

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र. आरबीआई/2006/132 डीबीओडी बीपी. बीसी.सं 31/21.04.018 /2006-07 दिनांक 20 सितंबर, 2006 के अनुसार सांविधिक आरक्षित निधियों अथवा किसी अन्य रिजर्व निधियों से विनियोग से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन आवश्यक है.

तदनुसार बैंक द्वारा इसका अनुमोदन लिया जाएगा. शेयर प्रीमियम खाते में की गई कटौती जिसमें शेयर प्रीमियम खाते में जमा राशि को कम करके लाभ/ हानि खाते में डेबिट बैलेंस का सेट ऑफ शामिल है, इसका तात्पर्य बैंक द्वारा अपने शेयरधारकों को कोई मुआवजा देना नहीं होगा. तदनुसार प्रीमियम खाते में कमी के पश्चात बैंक की इक्विटी पूंजी संरचना एवं शेयरधारिता का पैटर्न अपरिवर्तित रहेगा.

| क्रम सं | संवर्ग | शेयर प्रीमियम खाते में कमी से पूर्व | | शेयर प्रीमियम खाते में कमी पश्चात | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | धारित इक्विटी शेयरों की सं | शेयरधारिता का प्रतिशत | धारित इक्विटी शेयरों की सं | शेयरधारिता का प्रतिशत |
| 1 | प्रमोटर की धारिता- भारत सरकार | 330,81,84,689 | 63.97% | 330,81,84,689 | 63.97% |
| 2 | गैर प्रमोटर का धारिता- पब्लिक | 186,31,77,490 | 36.03% | 186,31,77,490 | 36.03% |
| | कुल | 517,13,62,179 | 100.00% | 517,13,62,179 | 100.00% |

विशेष संकल्प के अनुसार बैंक की संचित हानि का प्रस्तावित समंजन सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप होगा.

बैंक के किसी भी निदेशक, महत्वपूर्ण प्रबंधकीय व्यक्ति एवं उनके रिश्तेदारों को बैंक में उनकी शेयरधारिता यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर उपर्युक्त प्रस्ताव में इच्छुक अथवा संबंधित नहीं माना जाएगा.

किसी भी निदेशक, बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदारों को उपर्युक्त संकल्प (पों) में हितबद्ध या संबद्ध नहीं समझा जाएगा.

निदेशक मण्डल प्रस्तावित विशेष संकल्प को पास करने की सिफ़ारिश करता है.

**मद सं. 4 - बैंक के एक शेयरधारक निदेशक का चयन**

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा (9) (3) (i) के अनुसरण में, वर्तमान में हमारे बैंक के निदेशक मंडल में निम्नलिखित दो निदेशक शेयरधारकों, भारत सरकार को छोड़कर, का प्रतिनिधित्व करते हैं:

i. श्रीमती सौंदरा कुमार (24.12.2020 से 23.12.2023 तक प्रभावी)

ii. श्री श्रीनिवासन श्रीधर (12.12.2018 से 11.12.2021 तक प्रभावी)

Section 17 (2) of the Banking Regulation Act, 1949 provides that where the Bank appropriates any sum or sums from the Share Premium or Revenue Reserve Accounts, it shall within twenty-one days from the date of such appropriation, report the fact to the Reserve Bank, explaining the circumstance relating to such appropriation. The Bank will comply with this requirement within the prescribed time period. In terms of RBI Circular No. RBI/2006-07/132; DBOD. BP.BC. No.31/21.04.018/2006-007 dated September 20, 2006, prior approval of Reserve Bank of India is required before appropriation is made from the statutory reserves or any other Reserves.

Accordingly, Bank will be seeking the approval for the same. The reduction of Share premium Account which involves set off of debit balance in P & L account by reducing the amount standing to the credit of the Share Premium Account does not entail discharge of any consideration by the Bank to its shareholders. Accordingly, the Bank's equity capital structure and shareholding pattern post reduction of Premium Account will remain unchanged.

| Sr. No. | Category | Prior to the Reduction of Share Premium Account | | After the Reduction of Share Premium Account | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Number of Equity Shares Held | Percentage of shareholding | Number of Equity Shares Held | Percent-age of share-holding |
| 1 | Promoter's Holding-Government of India | 330,81,84,689 | 63.97% | 330,81,84,689 | 63.97% |
| 2 | Non-Promoter Holding: Public | 186,31,77,490 | 36.03% | 186,31,77,490 | 36.03% |
| | Total | 517,13,62,179 | 100.00% | 517,13,62,179 | 100.00% |

The proposed Set Off of the Accumulated Losses of the Bank in terms of the Special Resolution will be in conformity with the provisions of all applicable laws.

None of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforesaid resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

The Board of Directors recommends the passing of the proposed Special Resolution.

**Item Number 4 – Election of One Shareholder Director**

Pursuant to section (9) (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, at present the Board of Directors of our Bank has following Two Directors representing Shareholders other than the Central Government:

i. Smt. Soundara Kumar (w.e.f. 24.12.2020 to 23.12.2023)

ii. Shri Srinivasan Sridhar (w.e.f. 12.12.2018 to 11.12.2021)

मार्च 2021 में बैंक द्वारा हाल ही में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के बाद बैंक में सार्वजनिक शेयरधारिता 28.40% से बढ़कर 36.03% हो गई है, जिससे बैंक केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से 3 (तीन) निदेशकों का चयन करने हेतु पात्र हो गया है. इस प्रकार बैंक को एक और शेयरधारक निदेशक चुनने का अधिकार है. इस दिशा में, निदेशक मंडल ने केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से एक निदेशक का चुनाव कराने का निर्णय लिया है. (शेयरधारक निदेशक)

अतः शेयरधारक (केंद्र सरकार को छोड़कर) विभिन्न तथा उपयुक्त संबद्ध अधिनियम, योजना, विनियम, अधिसूचना एवं दिशानिर्देशों में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार अपना नामांकन भेजने के लिए पात्र हैं.

शेयरधारक निदेशक का चुनाव या तो बैंक को शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत नामांकन की जांच और निदेशक मण्डल की नामांकन समिति द्वारा उन्हें **'उपयुक्त एवं समुचित'** स्थिति में पाए जाने के बाद अथवा तत्पश्चात् वार्षिक आम बैठक में चुनाव के बाद होगा. इस तरह चुने गए निदेशक अपने चुनाव के दिन से अगले दिन को अपना पदभार संभालेंगे और तीन वर्षों की अवधि तक अपने पद पर रहेंगे.

**निदेशक के चयन हेतु अन्य प्रावधान :**

**ए. विधिक प्रावधान**

इस विषय में लागू विभिन्न अधिनियम/विनियमन/योजना/अधिसूचना के प्रावधान नीचे तालिका में दिए गए हैं :-

| अधिनियम/ विनियम/ योजना/ अधिसूचना | आवश्यक प्रावधान | संक्षिप्त विवरण |
|---|---|---|
| बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 | धारा 5 (एन-ई)<br>धारा 16 (1)<br>धारा 20 | ➢ महत्वपूर्ण लाभ<br>➢ आम निदेशकों का निषेध<br>➢ बैंक के किसी भी निदेशक की ओर से ऋण या अग्रिम की स्वीकृति पर प्रतिबंध |
| बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 | धारा 3 (2ई)<br>धारा 9 (3)(आई)<br>धारा 9 (3ए) (ए) से (सी)<br>धारा 9 (3एए) व<br>धारा 9 (3एबी)<br>धारा 9 (3बी)<br>धारा 13(2) | ➢ वोट देने के अधिकार पर प्रतिबंध<br>➢ शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या<br>➢ कतिपय क्षेत्रों में विशेष ज्ञान<br>➢ कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा/ होगी जब तक कि उसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित ट्रैक रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा के मानदंड पर या अन्य निर्धारित किसी मानदंड पर उपयुक्त नहीं पाया जाता.<br>➢ ऐसे चुने गए निदेशक जो उक्त अधिनियम की धारा 9 (3ए) व 9(3एए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें हटाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का अधिकार<br>➢ निष्ठा एवं गोपनीयता बरतने संबंधी कर्तव्य |

The Public Shareholding in the Bank after the recent Qualified Institutions Placement (QIP) by the Bank in March 2021, has increased from 28.40% to 36.03% there by entailing the Bank to elect 3 (three) Directors from Shareholders other than the Central Government. Thus the Bank is entitled to elect one more Shareholder Director. Towards this end, the Board of Directors have decided to conduct Election of One Director from amongst Shareholders other than the Central Government. (Shareholder Director)

The Shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Act, Scheme, Regulations, Notification and Guidelines.

The Shareholder Director will be elected either after the scrutiny of the nominations which the Shareholders submit to the Bank and determination of his/her **'Fit & Proper'** Status by the Nomination and Remuneration Committee of the Board / Board of Directors or subsequent election at the Annual General Meeting. The Shareholder Director so elected shall assume office from the day next to the day of his election and shall hold office for a period of three years.

**OTHER PROVISIONS FOR ELECTION OF DIRECTOR:**

**A. LEGAL PROVISIONS**

The following table indicates the provisions contained in various Acts/ Regulation/ Scheme/Notifications applicable in this regard:

| ACT/SCHEME/ REGULATIONS/ NOTIFICATIONS | IMPORTANT PROVISIONS | SHORT PARTICULARS |
|---|---|---|
| The Banking Regulation Act, 1949 | Section 5 (n-e)<br>Section 16 (1)<br>Section 20 | ➢ Substantial Interest<br>➢ Prohibition of Common Directors<br>➢ Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors |
| The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 | Section 3 (2E)<br>Section 9(3)(i)<br>Section 9(3A) (A) to (C)<br>Section 9(3AA) &<br>Section 9(3AB)<br>Section 9(3B)<br>Section 13(2) | ➢ Restriction on voting rights<br>➢ No. of directors to be elected by the shareholders<br>➢ Special knowledge in certain fields<br>➢ No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe.<br>➢ Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act.<br>➢ Obligation as to fidelity and secrecy |

| अधिनियम/ विनियम/ योजना/ अधिसूचना | आवश्यक प्रावधान | संक्षिप्त विवरण |
|---|---|---|
| राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 | खंड 9 (4)<br>खंड 10<br>खंड 11<br>खंड 11ए<br>खंड 11 बी<br>खंड 12 (8) | ➢ निर्वाचित निदेशकों का कार्यकाल<br>➢ बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने की अयोग्यताओं के बारे में<br>➢ निदेशक कार्यालय को खाली करना<br>➢ निर्वाचित निदेशक को पद से हटाया जाना<br>➢ निर्वाचित निदेशक के कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति को भरा जाना<br>➢ निदेशकों द्वारा कुछ निश्चित क्षेत्रों, जिसमें उनकी रूचि है, का प्रकटीकरण |
| बैंक ऑफ़ बड़ौदा आम (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 (2008 तक संशोधित) | विनियम 10<br>विनियम 61<br>विनियम 63<br>विनियम 64<br>विनियम 65<br>विनियम 66<br>विनियम 67<br>विनियम 68<br>विनियम 69<br>विनियम 70 | ➢ संयुक्त धारकों के अधिकारों का उपयोग<br>➢ आम बैठकों में वोट देना<br>➢ आम बैठकों में चुने जाने वाले निदेशक<br>➢ शेयरधारकों की सूची<br>➢ चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन<br>➢ नामांकनों की जांच<br>➢ चुनाव विवाद<br>➢ वोटिंग अधिकारों का निर्धारण<br>➢ विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा वोट किया जाना<br>➢ प्रॉक्सी |

| | | |
|---|---|---|
| भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबीआर. नियुक्ति.सं: 9/ 29.67.001/ 2019-20 दिनांक 02.08.2019 | बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3एए) तथा 9 (3एबी) के अनुसरण में | राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में निर्वाचित निदेशकों के लिए समुचित एवं उपयुक्तता मानदंड |
| दिनांक 3 सितम्बर, 2013 के कार्यालय ज्ञापन के साथ पठित भारत सरकार के पत्र सं.एफ.न.16/51/2012-बीओ.आई. दिनांक 28 अप्रैल, 2015 तथा 20 जुलाई, 2016 के साथ पठित कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित अंशकालिक अशासकीय निदेशकों की नियुक्ति के लिए दिनांक 25 मार्च, 2015 को भारत सरकार द्वारा जारी किए गए संशोधित दिशानिर्देश, यदि कोई हों. | | बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3)(i) के अनुसार शेयरधारक निदेशक के रूप में चयनित उम्मीदवारों के उपयुक्त एवं समुचित स्थिति का निर्धारण करते समय निदेशक मंडल की नामांकन एवं परिश्रमिक समिति द्वारा इन दिशानिर्देशों को भी ध्यान में रखा जाएगा. |
| भारतीय रिज़र्व बैंक का मास्टर परिपत्र दिनांक 1 जुलाई, 2015. | | निदेशकों के संबंधियों को ऋण एवं अग्रिमों की स्वीकृति |
| सेबी (सूचीयन दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 | | स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में प्रावधान |

| ACT/SCHEME/ REGULATIONS/ NOTIFICATIONS | IMPORTANT PROVISIONS | SHORT PARTICULARS |
|---|---|---|
| The Nationalized Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 | Clause 9(4)<br>Clause 10<br>Clause 11<br>Clause 11A<br>Clause 11B<br>Clause 12(8) | ➢ Term of office of elected directors<br>➢ Disqualifications from being elected as a Director of the Bank<br>➢ Vacation of office of Director<br>➢ Removal from office of an elected Director<br>➢ Filling of casual vacancy in the office of an elected Director<br>➢ Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested. |
| Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (Amended up to 2008) | Regulation 10<br>Regulation 61<br>Regulation 63<br>Regulation 64<br>Regulation 65<br>Regulation 66<br>Regulation 67<br>Regulation 68<br>Regulation 69<br>Regulation 70 | ➢ Exercise of rights of joint holders<br>➢ Voting at General Meetings<br>➢ Directors to be elected at General Meetings<br>➢ List of Shareholders<br>➢ Nomination of candidates for election<br>➢ Scrutiny of nominations<br>➢ Election disputes<br>➢ Determination of voting rights<br>➢ Voting by duly authorized representative<br>➢ Proxies |

| | | |
|---|---|---|
| RBI Notification No. DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 | Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 | Fit and Proper criteria for elected directors on the board of nationalized banks |
| Revised Guidelines issued by the Government of India approved by Appointment Committee of the Cabinet for appointment of part time non official director dated 25th March 2015 read with GOI letter F.No.16/51/2012-BO.I. Dated 28th April 2015 and dated 20th July 2016 read with OM dated 3rd September 2013 and subsequent amendments thereto, if any. | | These guidelines be kept in mind by the Nomination and Remuneration Committee of the Board while carrying out determination of Fit and Proper Status of the Candidates to be elected as Shareholder Director pursuant to Section 9(3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. |
| RBI Master Circular dated 1st July 2015 | | Granting loans and advances to relatives of Directors |
| SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 | | Provisions relating to Independent Director |

शेयरधारकों की सुविधा के लिए अधिनियम, विनियमन अधिनियम, योजना/ विनियम के संबद्ध अंशों के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबीआर.नियुक्ति.सं. 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02.08.2019 तथा भारत सरकार के दिशानिर्देश बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.co.in पर प्रदर्शित किए जाएंगे जो उपयोगकर्ता द्वारा देखे/ डाउनलोड किए जा सकते हैं. ऐसे सारांश इच्छुक उम्मीदवारों को उनके द्वारा नामांकन फॉर्म प्रस्तुतिकरण के लिए निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात 23 जून, 2021 को अथवा उससे पहले उनके कॉर्पोरेट कार्यालय स्थित कंपनी सचिव, बैंक ऑफ़ बड़ौदा को संबोधित अनुरोध प्राप्त होने पर companysecretary.bcc@bankofbaroda.com पर ई- मेल के माध्यम से भी भेजे जाएंगे.

**बी. चुनाव में भागीदारी :**

जैसा कि पहले ही दर्शाया गया है कि ऐसे शेयरधारक जिनके नाम **विनिर्दिष्ट/ नियत तारीख** अर्थात **शुक्रवार, 04 जून, 2021** को एनएसडीएल/ सीएसडीएल द्वारा प्रस्तुत शेयरधारकों/लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर पर अंकित हैं, वे सभी केंद्र सरकार के अलावा, शेयरधारकों में से निदेशकों के चुनाव में भागीदारी अर्थात **नामित करने, चुनाव लड़ने एवं वोट देने** की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं.

यह नोट किया जाए कि केंद्र सरकार निदेशक के चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र नहीं है, परंतु पर्यवेक्षक के रूप में एजीएम में उपस्थित रहेंगे.

**सी. बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने हेतु अयोग्यताएं**

(1) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 10 की शर्तों के अनुसार, कोई भी ऐसा व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने और निदेशक होने के लिए अयोग्य होगा:

ए) यदि उसे, किसी समय दिवालिया करार कर दिया गया हो या उसने लेनदारों का भुगतान रोका हुआ हो या प्रशमन किया हो; अथवा

बी) यदि उसे विकृत दिमाग का पाया गया हो अथवा उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो, अथवा

सी) यदि उसे फौजदारी न्यायालय द्वारा नैतिक चरित्रहीनता के अपराध के कारण दण्डित किया गया हो, अथवा

डी) यदि वह, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप धारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथा परिभाषित किसी अनुषंगी बैंक के तहत लाभ का पद धारण करता है/ करती है, सिवाय इसके कि वह बैंक में अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खंड (ई) और (एफ) के तहत बैंक के कर्मचारियों में से नामित किए गए पूर्णकालिक निदेशक का पद धारण करता है/ करती है. इसमें प्रबंध निदेशक तथा निदेशक भी शामिल हैं.

(2) यदि वह भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना डीबीआर.नियुक्ति.सं. 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02.08.2019 और भारत सरकार के दिशानिर्देशों सं. एफ.नं. 16/51/2012-बीओ.आई दिनांक 28 अप्रैल 2015 और दिनांक 20 जुलाई 2016 के साथ पठित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 03 सितंबर 2013 के मानदंडों के अनुसार उपयुक्त एवं समुचित व्यक्ति नहीं पाया जाता है.

For the convenience of the Shareholders, the relevant extracts from the Act, Regulation Act, the Scheme/ Regulation as well as RBI Notifications No. DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 and GOI Guidelines will be hosted in the Bank's website.www.bankofbaroda.co.in. which can be viewed/downloaded by the user. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Company Secretary, Bank of Baroda at their Corporate Office at "companysecretary.bcc@bankofbaroda.com" on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. **23rd June 2021**.

**B. PARTICIPATION IN ELECTION:**

As already indicated earlier, such of those Shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL as on the **Specified/Cut- Off Date** i. e., on **Friday, 04th June 2021** shall be entitled to participate i.e. **nominate, contest and vote** in election of directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

It may be noted that, Central Government is not entitled to participate in the election of Director, but may attend the AGM as an Observer.

**C. DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK**

(1) In terms of Clause 10 of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:

a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or

b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or

d) if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.

(2) If he/she is not found to be 'Fit and Proper' person in terms of notifications of Reserve Bank of India DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 and Government of India guidelines no. F.No.16/51/2012-BO.I. Dated 28th April 2015 and dated 20th July 2016 read with OM dated 3rd September 2013.

### डी. अवधि

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 9(4) के अनुसार निर्वाचित निदेशक तीन वर्ष तक पद पर रहेगा और पुन:चुनाव के लिए पात्र होगा.

बशर्ते, वह निदेशक अपने पद पर लगातार छ: वर्ष से अधिक की अवधि तक न रहा हो.

### ई. बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु अपेक्षित योग्यता

1. अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार वह उम्मीदवार, जो बैंक का शेयरधारक है तथा धारा 9 (3)(i) के तहत बैंक का निदेशक बनना चाहता हो, उसे-

   ए) निम्नलिखित में से किसी एक अथवा एक से अधिक विषय में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए:

      i. कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
      ii. बैंकिंग
      iii. सहकारिता
      iv. अर्थशास्त्र
      v. वित्त
      vi. विधि
      vii. लघु उद्योग
      viii. किसी अन्य विषय का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव, जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी हो.

      (भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 नवंबर, 2016 के अपने परिपत्र सं. डीबीआर.नियुक्ति.बीसी. सं.39/29.39.001/2016-17 के माध्यम से बैंक में निदेशक के रूप में व्यक्तियों की नियुक्ति पर विचार करने के लिए निम्नलिखित को शामिल करने हेतु विशेषज्ञता का विस्तार किया है. (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान एवं निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन (v) कारोबार प्रबंधन)

   बी) जो जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो, अथवा

   सी) किसानों, कामगारों एवं शिल्पकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो.

2. अधिनियम की धारा 9 (3एए) और भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार वह उम्मीदवार जो बैंक का शेयरधारक है तथा बैंक का निदेशक बनना चाहता है, उसे "उपयुक्त एवं समुचित" हैसियत वाला होना चाहिए.

   अधिनियम की धारा 9 (3एबी) के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी उपधारा 3(एए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया है, **"उपयुक्त एवं समुचित"** हैसियत का निर्धारण करने वाले प्राधिकारी, उस निर्धारण की प्रणाली, उस निर्धारण के

### D. TENURE

In terms of Clause 9 (4) of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, an elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election.

Provided no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years

### E. QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

(1) In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall

   a) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely:-

      i. agriculture and rural economy
      ii. banking
      iii. co-operation
      iv. economics
      v. finance
      vi. law
      vii. small scale industry
      viii. any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank

      (RBI vide its circular no.DBR.Appt. BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 has extended the fields of specialization to include (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management, for persons who could be considered for appointment of director in the banks)

   b) represents the interest of depositors; or

   c) represents the interest of farmers, workers and artisans

2. In terms of Section 9(3AA) of the Act and RBI Notification a candidate being a shareholder of the Bank, who desires to be a Director of the Bank, should possess **'Fit and Proper'** status.

   In terms of Section 9(3AB) of the Act, the Reserve Bank may also specify in the notification issued under sub-section 3(AA), the Authority to determine the 'Fit and Proper' status, the manner of such determination, the procedure

लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा ऐसे अन्य मामले जो उससे प्रासंगिक हों या आवश्यक समझे जाएं को ध्यान में रखें.

इसके अलावा निर्वाचित निदेशक द्वारा प्रसंविदा विलेख निष्पादित किया जाना चाहिए तथा इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट वार्षिक घोषणा प्रस्तुत करनी चाहिए.

**एफ. भारतीय रिज़र्व बैंक की "उपयुक्त एवं समुचित" मानदंड संबंधी अधिसूचना**

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा(3एए) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना डीबीआर.नियुक्ति.सं: 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त, 2019 जारी की है, जिसमें बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के अंतर्गत बैंकों के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में निर्वाचित हुए व्यक्तियों द्वारा पूरे किए जाने वाले उपयुक्त एवं समुचित मानदंडों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है.

**अधिसूचना की मुख्य बातें**

**"उपयुक्त एवं समुचित"** स्थिति आदि का निर्णय करने संबंधी प्राधिकार, पद्धति/प्रक्रिया एवं मानदंड निम्नानुसार हैं:

**ए) प्राधिकार :**

बैंकों से अपेक्षित है कि वे एक "नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति" [इसके बाद से समिति कहा जाएगा) का गठन करें जिसमें निदेशक मंडल [इसके बाद से बोर्ड कहा जाएगा) से तीन गैर-कार्यपालक निदेशक शामिल होंगे. एसबीआई अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (सी)/बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत निदेशकों के रूप में निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की "उपयुक्त एवं समुचित" स्थिति का निर्धारण करने हेतु समुचित सावधानी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए इस समिति में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक और कम से कम एक निदेशक जोखिम प्रबंधन समिति से होना चाहिए.

**बी) पद्धति एवं प्रक्रिया :**

बैंकों को अपना नामांकन दाखिल करने वाले व्यक्तियों से आवश्यक सूचना एवं घोषणा एवं वचनपत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त कर लेना चाहिए. समिति को चुने जाने वाले व्यक्तियों के मामले में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख के बाद बैठक करनी चाहिए और निर्णय करना चाहिए कि निम्नांकित मानदंडों के आधार पर निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की उम्मीदवारी को स्वीकार किया जाए या नहीं. समिति के विचार विमर्श को औपचारिक कार्यवृत्त के रूप में रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए और यदि वोटिंग हुई हो तो उसे भी नोट किया जाना चाहिए. हस्ताक्षरित घोषणा में दी गई सूचना के आधार पर समिति उम्मीदवारिता को स्वीकार करने या अन्यथा संबंधी निर्णय लेगी तथा जहां कहीं आवश्यक हो, समुचित प्राधिकारी/व्यक्तियों की टिप्पणी लेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उम्मीदवार निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करता है.

to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

Further the elected Director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

**F. RBI'S 'FIT AND PROPER' CRITERIA Notification**

Reserve Bank of India (RBI), in exercise of powers conferred on it under sub-sections (3AA ) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980 has issued notification DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02nd August 2019 laying down specific "Fit and Proper" Criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Board of the Banks under the provisions of Section 9 (3)(i) of the Banking Companies ( Acquisition &Transfer of Undertakings) Act 1970/1980.

**Salient Features of the Notification**

The Authority, Manner/ Procedure and Criteria for deciding the **"Fit and Proper"** status etc., are as under:

**a) Authority:**

The Bank is required to constitute a Nomination and Remuneration Committee [hereinafter referred to as the Committee] consisting of a minimum of three non-executive directors from amongst the Board of Directors [hereinafter referred to as Board], out of which not less than one-half shall be independent directors and should include at least one Shareholder from Risk Management Committee of the Board, for undertaking a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of the persons to be elected as directors under sub-section (c) of Section 19 of the SBI Act/clause (i) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980.

**b) Manner and procedure:**

The banks shall obtain necessary information, and a declaration & undertaking, in the prescribed format. from the persons who file their nominations for election. The Committee shall meet after the last date prescribed for acceptance of nominations and determine whether or not the person's candidature should be accepted, based on the criteria mentioned below. The Committee's discussions shall be properly recorded as formal minutes of the meeting and the voting, if done, shall also be noted. Based on the information provided in the signed declaration, the Committee shall decide on the acceptance or otherwise of the candidature and shall make references, where considered necessary, to the appropriate authority / persons, to ensure that the candidate conforms to the requirements indicated.

**सी) मानदंड :**

नामांकन एवं परिश्रमिक समिति को प्रस्तावित उम्मीदवारों की **'उपयुक्त एवं समुचित'** हैसियत का निर्धारण बोर्ड के निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर करना चाहिए: -

(i) **आयु –** निर्वाचन के लिए नामांकन की प्रस्तुति हेतु उम्मीदवार की आयु तय की गई कट-ऑफ तारीख तक 35 से 67 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

(ii) **शैक्षणिक योग्यता –** उम्मीदवार को कम से कम स्नातक होना चाहिए.

(iii) **अनुभव तथा विशेषज्ञता का क्षेत्र –** उम्मीदवार के पास भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीआर.नियुक्ति. बीसी.सं 39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवंबर, 2016 के साथ पठित एसबीआई अधिनियम की धारा 19A(a)/ बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 (3A)(A), जैसा भी मामला हो, में निर्धारित किसी एक या अधिक विषय पर विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए.

(iv) अयोग्यता: एसबीआई अधिनियम, 1955 की धारा 22 / राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970/80 के खंड 10 में निर्धारित "निदेशकों की अयोग्यता" के अतिरिक्त;

ए) उम्मीदवार को किसी बैंक या भारतीय रिज़र्व बैंक या वित्तीय संस्था (एफआई) या बीमा कंपनी या किसी अन्य बैंक की होल्डिंग एनओएफएचसी के बोर्ड का सदस्य नहीं होना चाहिए.

स्पष्टीकरण: इस उप-पैरा या उप-पैरा (सी) के उद्देश्य से "बैंक" से आशय बैंकिंग कंपनी, समकक्ष न्यू बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से है.

बी) किराया खरीद, वित्तपोषण, राशि उधार, निवेश, लीजिंग या अन्य पैरा-बैंकिंग कार्यकलापों से जुड़े हुए व्यक्ति को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा. हालांकि, ऐसी संस्थाओं के निवेशकों को निदेशक की नियुक्ति से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, यदि वह इन कंपनियों में प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं रखता हो.

**c) Criteria**

The Nomination and Remuneration committee should determine the **'fit and proper'** status of the proposed candidates based on the broad criteria as mentioned hereunder:

(i) **Age** – The candidate's age should be between 35 to 67 years as on the cut-off date fixed for submission of nominations for election.

(ii) **Educational qualification** – The candidate should at least be a graduate.

(iii) **Experience and field of expertise** – The candidate shall have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the matters enumerated in section 19A(a) of the SBI Act / section 9(3A)(A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, as the case may be, read with RBI Circular DBR.Appt.BC No 39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016.

(iv) **Disqualifications:** In addition to 'Disqualifications of Directors' as prescribed in Section 22 of the SBI Act, 1955 / Clause 10 of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/80:

(a) The candidate should not be a member of the Board of any bank or the Reserve Bank or a Financial Institution (FI) or an Insurance Company or a NOFHC holding any other bank.

*Explanation*: For the purpose of this sub-para and sub-para (c), the expression "bank" shall include a banking company, a corresponding new bank, State Bank of India, a co-operative bank and a regional rural bank.

(b) A person connected with hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para banking activities shall not be considered for appointment as elected director on the board of a PSB. However, investors of such entities would not be disqualified for appointment as directors if they do not enjoy any managerial control in them.

सी) किसी भी व्यक्ति को, जो पहले बैंक/वित्तीय संस्था/ भा.रि.बैं./ बीमा कंपनी के बोर्ड में लगातार या अलग-अलग समय पर किसी भी श्रेणी में -6- वर्ष निदेशक के रूप में सेवा कर चुका है, उसे बैंक के बोर्ड में निर्वाचित/पुनर्निर्वाचित नहीं किया जा सकता.

डी) उम्मीदवार को स्टॉक ब्रोकिंग के व्यवसाय में शामिल नहीं होना चाहिए.

ई) उम्मीदवार को संसद या राज्य विधानसभा या नगर निगम या नगरपालिका या अन्य स्थानीय निकायों (अन्य स्थानीय निकायों से अर्थ है अधिसूचित क्षेत्र परिषद, नगर परिषद, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद आदि निकाय) के सदस्य के पद पर नहीं होना चाहिए.

एफ) उम्मीदवार को ऐसे सनदी लेखाकार फर्म का साझेदार नहीं होना चाहिए जो जिस बैंक के लिए नामांकन किया गया है उसमें वर्तमान में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के साथ सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक के रूप में कार्य कर रहा हो.

जी) उम्मीदवार को ऐसे सनदी लेखाकार फर्म का साझेदार नहीं होना चाहिए जो वर्तमान में सांविधिक शाखा लेखापरीक्षक या समवर्त्ती लेखापरीक्षक के रूम में कार्य कर रहा हो.

(v) **अवधि -** निर्वाचित निदेशक का कार्यकाल तीन वर्ष के लिए होगा और वह पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा: बशर्ते वह निदेशक लगातार या अलग-अलग समय पर -6- वर्ष से अधिक समय तक निदेशक के रूप में सेवा नहीं देगा.

**(vi) व्यावसायिक प्रतिबंध**

ए) उम्मीदवार का संबंधित बैंक के साथ न ही व्यावसायिक संबंध होना चाहिए और न ही उसे ऐसी गतिविधियों में शामिल होना चाहिए जो उस बैंक के व्यावसायिक हितों को (विधिक सेवाएं, सलाहकार सेवाएं आदि सहित) नुकसान पहुंचाए.

बी) उम्मीदवार का बैंक या किसी अन्य बैंक की होल्डिंग नॉन-ऑपरेटिव फाइनेंसियल होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी)) के साथ पेशेवर संबंध नहीं होना चाहिए.

बशर्ते कि निर्वाचन के लिए नामांकन दर्ज करते समय उम्मीदवार का बैंक के साथ ऐसा संबंध मद (बी) के तहत अपेक्षा को पूरा करता है, उम्मीदवार समिति के समक्ष यह घोषणा प्रस्तुत करेगा कि यदि निदेशक के रूप में उसका निर्वाचन होता है

(c) No person may be elected/ re-elected on the Board of a bank if he/she has served as director in the past on the board of any bank/FI/RBI/Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently.

(d) The candidate should not be engaging in the business of stock broking.

(e) The candidate should not be holding the position of a Member of Parliament or State Legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies (other local bodies means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc.).

(f) The candidate should not be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any nationalised bank or State Bank of India.

(g) The candidate should not be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the bank in which nomination for election is filed.

(v) **Tenure** – An elected director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election: Provided that no such director shall hold office for a period exceeding six years, whether served continuously or intermittently.

(vi) **Professional Restrictions –**

(a) The candidate should neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the concerned bank nor should be engaged in activities which might result in a conflict of business interests with that bank.

(b) The candidate should not be having any professional relationship with a bank or any Non-Operative Financial Holding Company (NOFHC) holding any other bank.

Provided that a candidate having any such relationship with a bank at the time of filing nomination for election shall be deemed to be meeting the requirement under item (b), the candidate shall submit a declaration to the Committee that such relationship

तो बैंक के साथ ऐसे संबंध से अलग हो जाएगा और निर्वाचन पश्चात बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त होने से पहले ऐसे संबंध से अलग हो जाएगा.

(vii) **ट्रैक रिकॉर्ड तथा निष्ठा** – उम्मीदवार को किसी विनियामक या पर्यवेक्षक प्राधिकारी/ एजेंसी, या कानून प्रवर्तन एजेंसी से प्रतिकूल नोटिस न दिया गया हो और उसे किसी ऋणदाता संस्थान का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए.

**बैंकों को निर्वाचित निदेशक से निम्नलिखित प्राप्त करना चाहिए:**

ए) ऐसे व्यक्ति के निदेशक पद धारण करने से पहले संलग्न निर्धारित प्रारूप में निष्पादित प्रसंविदा विलेख;

बी) प्रति वर्ष 31 मार्च को एक आम घोषणापत्र जिसमें यह उल्लिखित हो कि ऐसे व्यक्ति द्वारा पहले उपलब्ध कराई गई सूचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है.

सी) यदि निर्वाचित निदेशक द्वारा सूचित किया जाता है कि पूर्व में उपलब्ध कराई गई सूचना में परिवर्तन हुआ है, तो बैंक ऐसे निदेशक से नया अनुलग्नक प्राप्त करेगा जिसमें ऐसे परिवर्तनों को शामिल किया गया हो.

**बैंक यह भी सुनिश्चित करेगा कि:**

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 का अनुपालन किया जाता है. साथ ही,

ए) निर्वाचित सीए निदेशक उसकी फर्म के ग्राहकों के उचित प्रकटीकरण और उसके स्वयं/ फर्म के ग्राहकों से संबंधित बैंक के क्रेडिट/ निवेश संबंधी निर्णयों में सहभागिता न करने सहित सुरक्षा उपायों की एक प्रणाली बनाएं. निर्वाचित सीए निदेशक के लिए यह आवश्यक हो जाना चाहिए कि वह पूरी प्रक्रिया से स्वयं को अलग रखें और इस आशय से एक प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करें.

बी) निर्वाचित निदेशक के लिए यह आवश्यक है कि वह निदेशक के रूप में व्यक्तिगत रूप से स्वयं को उन संस्थाओं सहित जिनमें वह रुचि रखते हैं, से दूर रखते हुए तथा बैंक के क्रेडिट / निवेश निर्णयों में प्रतिभागिता न करते हुए व्यावसायिक संस्थाओं में अपने हितों और डायरेक्टरशिप का पूर्ण और उचित प्रकटीकरण करें.

(सी) ऐसे व्यक्ति जो उस बैंक के निर्वाचित निदेशक हैं, को ऐसे निदेशक के रूप में पद छोड़ने के पश्चात दो साल की अवधि के लिए कोई भी पेशेवर कार्य आबंटित नहीं किया जाएगा.

**जहां निर्वाचित निदेशक:**

(ए) निम्नलिखित में विफल होते हैं
- (i) वचन विलेख या घोषणा प्रस्तुत करने में; या
- (ii) उचित प्रकटीकरण करने में; या
- (iii) जहां उनका हित निहित हो वहां ऋण / निवेश संबंधी निर्णयों में सहभागिता से बचने में; या

(बी) अपूर्ण या गलत प्रकटीकरण करते हैं, या

(सी) ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं, जो उन्हें उपर्युक्त उल्लिखित मानदंडों के अनुसार 'उपयुक्त एवं समुचित नहीं' के रूप में

with the bank shall be severed if he is elected as a director, and upon being elected, severs such relationship before appointment as a director of the bank.

(vii) **Track record and integrity -** The candidate should not be under adverse notice of any regulatory or supervisory authority/agency, or law enforcement agency and should not be a defaulter of any lending institution.

**The banks shall obtain from the elected director:**

(a) a Deed of Covenant executed in the format annexed in prescribed format, before such person assumes office of director;

(b) a simple declaration every year as on 31st March to the effect that the information already provided by such person has not undergone any change.

(c) Where the elected director informs that there is change in the information provided earlier, the bank shall obtain from such director a fresh Annexure incorporating the changes.

**The banks shall also -**

Ensure compliance to Section 20 of the Banking Regulation Act, 1949. In addition,

(a) Put in place a system of safeguards, including proper disclosure of the elected CA director's/ his firm's clients, and not participating in bank's credit/investment decisions involving his/firm's clients. The elected CA director should be required to compulsorily dissociate himself from the entire process and sign a covenant to this effect.

(b) Require the elected director to make a full and proper disclosure of his interests and directorships in business entities, with the director personally distancing himself from and not participating in the bank's credit/investment decisions involving entities in which he is interested.

(c) Not allot any professional work to a person who was an elected director of that bank, for a period of two years after demitting office as such director.

**Where the elected director**:

(a) fails to
- (i) submit the Deed of Covenant or declaration; or
- (ii) make proper disclosures; or
- (iii) refrain from participating in credit/investment decisions, where he is interested; or

(b) makes incomplete or incorrect disclosures, or

(c) involves in such activities that render him/her 'not fit and proper' as per the criteria mentioned

घोषित करते हैं, ऐसे निदेशक को एसबीआई अधिनियम की धारा 19ए की उप-धारा (2)/ बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/ 1980 की धारा 9 की उप-धारा (3एए) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने वाला माना जाएगा और वे इसके परिणामों के लिए उत्तरदायी होगें.

समिति नए निदेशक (नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति) के रूप में निर्वाचन के इच्छुक उम्मीदवारों के नामांकन की जांच करते समय उपर्युक्त उल्लिखित संशोधित मानदंडों का अनुपालन करेगीं. तथापि, मौजूदा निर्वाचित निदेशकों को पूर्व-संशोधित मानदंडों के अनुसार अपनी वर्तमान शर्तों को पूरा करने की अनुमति दी जा सकती है.

**जी) भारत सरकार के दिनांक 25 मार्च, 2015 एवं 8 जुलाई 2016 के दिशानिर्देश**

इसके अलावा भारत सरकार के पत्र दिनांक 3 सितंबर 2013 द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार, बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति शेयरधारक निदेशक की **"उपयुक्त तथा समुचित स्थिति"** का निर्धारण करते समय अशासकीय निदेशकों (एनओडी) के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों को भी ध्यान में रखेगी. भारत सरकार ने 25 मार्च, 2015 को दिशानिर्देशों में संशोधन किया है तथा अपने पत्र दिनांक 28 अप्रैल, 2015 के साथ पठित दिनांक 8 जुलाई 2016 के संशोधन द्वारा सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भेजा है जिसका सारांश निम्नलिखित है:

**ए) आम**

1. नामांकन संबद्ध अधिनियमों/ नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए.
2. नामिति की उपयुक्तता आम शैक्षणिक योग्यता, विशेषज्ञता, ट्रैक रिकार्ड, निष्ठा आदि की शर्तों के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए. सत्यनिष्ठा तथा उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए आपराधिक रिकार्ड, वित्तीय स्थिति, वैयक्तिक कर्जों के लिए की गई दीवानी कार्रवाई, व्यावसायिक निकायों में प्रवेश की अनुमति न देना या वहां से निकाल देना, विनियामकों तथा ऐसे ही निकायों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध तथा पिछले संदेहात्मक व्यवसाय व्यवहारों आदि को आधार बनाया जाना चाहिए.

**बी) अनुभव**

1. आमतः कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, कार्पोरेट कानून, जोखिम प्रबंधन, उद्योग एवं आईटी के क्षेत्र में विशेष शैक्षणिक प्रशिक्षण प्राप्त या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों पर विचार किया जाएगा. उद्योग में वरिष्ठ पद पर 20 वर्ष के अनुभव, संबंधित क्षेत्र में प्रतिष्ठित विशेषज्ञता (प्रतिष्ठित संगठन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया हो, किसी घाटे में चल रहे संगठन को उबारकर मुनाफे में लाया हो) को वरीयता दी जाएगी.
2. सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, जिनका कुल अनुभव 20 वर्ष का हो और संयुक्त सचिव या उससे

above, such director shall be deemed to be not fulfilling the requirements of sub-section (2) of section 19A of the SBI Act / sub-section (3AA) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 and shall be liable for the consequences thereof.

The Committee shall adopt the revised criteria stated above while scrutinizing the nomination of candidates seeking election as new directors (appointment/re-appointment). However, existing elected directors may be allowed to complete their current terms as per the pre-revised criteria.

**G. GOI GUIDELINES DATED 25th MARCH 2015 & DATED 20TH JULY 2016**

Further as advised by GOI, vide its letter dated 3rd September 2013 the Nomination and Remuneration Committee of the Board may keep in mind guidelines issued by GOI for Non Official Directors (NOD), while determining **"Fit and Proper Status"** of the Shareholder Director also. The GOI has forwarded revised guidelines dated 25th March 2015 to Public Sector Banks vide its letter dated 28th April 2015 read with amendments dated 8th July 2016, the gist of which is as under:

**a) General**

1. Nominations will be made keeping in view the provisions of the relevant Acts/Rules.
2. The suitability of nominees may be assessed in terms of formal qualifications and expertise, track record, integrity etc. For assessing integrity and suitability, information on criminal records, financial position, civil actions undertaken to pursue personal debts, refusal of admission to or expulsion from professional bodies, sanctions applied by regulators and similar bodies and previous questionable business practices etc. will be relied upon.

**b) Experience**

1. Persons with special academic training or practical experience in the fields of agriculture, rural economy, banking, cooperation, economics, business management, human resources, finance, corporate law, risk management, industry and IT will ordinarily be considered. 20 years of industry experience at a senior position, established expertise in respective areas (successfully led a reputed organization, brought turnaround in a failing organization) would be preferred.
2. Retired senior Government officials with total experience of 20 years and minimum

ऊपर के स्तर पर न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव हो. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सेवानिवृत्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ कार्यपालक निदेशक सेवानिवृत्ति के एक वर्ष बाद. पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों/ कार्यपालक निदेशकों की उस सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के बोर्ड में, जहां से वे सेवानिवृत्त हुए हैं, अशासकीय निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा. सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ कार्यपालक निदेशक, जो अभी सेवा में हैं, को किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के बोर्ड में अशासकीय निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा.

3. प्रमुख बैंकिंग प्रबंधन संस्थानों के शिक्षाविद निदेशक और प्रोफेसर जिन्हें 20 वर्ष से अधिक का अनुभव हो.

4. 20 वर्ष का अनुभव (लेखापरीक्षा अनुभव के अलावा) रखने वाले सनदी लेखाकारों को भी वरीयता दी जाएगी.

5. हालांकि मामले की मेरिट के आधार पर विशिष्ट मामलों में वित्तमंत्री के अनुमोदन से अनुभव संबंधी मानदंडों में छूट दी जा सकती है.

6. जहां तक संभव हो, महिलाओं तथा अजा/ अजजा के व्यक्तियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है.

**सी) शिक्षा**

अशासकीय निदेशक (एनओडी) बिजनेस प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, वित्त, मानव संसाधन और सूचना प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता के साथ कम से कम स्नातक होना चाहिए.

**डी) आयु**

निदेशक की आयु, सर्च/ नामांकन समिति और पारिश्रमिक समिति द्वारा की गई सिफारिश की तारीख को 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

**ई) कार्य अनुभव**

पेशेवर व्यक्तियों/शिक्षाविदों को विशिष्ट क्षेत्र में आमतः 20 वर्षों का अनुभव होना चाहिए.

**एफ) अयोग्यता**

i. यदि कोई निदेशक पहले से ही किसी भी श्रेणी के अंतर्गत किसी बैंक/ वित्तीय संस्थान (एफआई)/ भारतीय रिज़र्व बैंक/ बीमा कंपनी में निदेशक के रूप में कार्यरत हो, तो उसे किसी अन्य बैंक/ वित्तीय संस्था/ भारतीय रिज़र्व बैंक/ बीमा कंपनी में एनओडी के रूप में नामांकन पर विचार न किया जाएगा.

ii. किराया खरीद, वित्तपोषण निवेश, लीजिंग या अन्य पैरा-बैंकिंग कार्यकलापों से जुड़े हुए व्यक्ति सांसद (एमपी), विधायक (एमएलए), पार्षद (एमएलसी) तथा स्टॉक ब्रोकर को बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं/ भारतीय रिज़र्व बैंक/ बीमा कंपनियों के निदेशक मंडल में अशासकीय निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा. किराया खरीद, वित्तपोषण निवेश, लीजिंग या अन्य पैरा-बैंकिंग कार्यकलापों से जुड़े हुए निवेशकों को अशासकीय

10 years of experience at Joint Secretary and above level. Retired CMDs/EDs of Public Sector Banks after one year of retirement. The ex-CMDs/EDs will not be considered for appointment as NOD on the Board of the PSB from which they have retired. Serving CMDs/EDs of PSB will not be considered as NOD on the Board of any other PSB.

3. Academicians Directors of premier Management Banking Institutes and Professors having more than 20 years of experience.

4. Chartered Accountants with 20 years' experience (excluding audit experience) would also be preferred.

5. However, the experience criteria may be relaxed with the approval of the Finance Minister in exceptional cases based on merits of the case.

6. As far as possible representation may also be given to women and the persons belonging to SC/ST community.

**c) Education**

An NOD should at least be a graduate in any stream preferably with specialization in Business Management, Risk Management, Finance, Human Resources and IT.

**d) Age**

The age of the Director, on the date of recommendation by Search/Nomination and Remuneration Committee should not be more than 67 years.

**e) Work Experience**

Professionals/academicians should ordinarily have 20 years of work experience in their particular field.

**f) Disqualifications**

i. A director already on a Bank/Financial Institution (FIs)/RBI/Insurance Company, under any category, may not be considered for nomination as NOD in any other Bank/ FI/RBI/Insurance Company.

ii. Persons connected with hire purchase, financing investment, leasing and other para-banking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers will not be appointed as non-official directors on the boards of Banks/FIs/RBI/Insurance Companies. Investors in a hire purchase, financing investment, leasing and other para banking activities would not be disqualified for

निदेशक की नियुक्ति से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, यदि वह इन कंपनियों में प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं रखता हो.

ii. ऐसे व्यक्ति को जो पहले बैंक/ वित्तीय संस्थान/ भारतीय रिज़र्व बैंक/ बीमा कंपनी के निदेशक मण्डल में लगातार किसी भी श्रेणी में दो कार्यकाल या -6- वर्ष, जो भी अधिक हो, निदेशक के रूप में सेवा कर चुका है, एनओडी के रूप में पुनः नामांकित नहीं किया जा सकता.

iii. एक सनदी लेखाकार यदि उनका/ उसका फर्म वर्तमान में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के साथ सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्य कर रहा हो.

iv. एक सनदी लेखाकार यदि उनका/ उसका फर्म किसी बैंक में सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में कार्य कर रहा हो.

**जी) अवधि**

किसी भी एनओडी को बैंक/ वित्तीय संस्थान/ भारतीय रिज़र्व बैंक/ बीमा कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित नहीं किया जा सकता है, यदि वह निदेशक पहले से ही किसी अन्य बैंक/ वित्तीय संस्थान/ भारतीय रिज़र्व बैंक/ बीमा कंपनी के बोर्ड में नियमित -6- वर्षों तक लगातार या अलग-अलग समय पर एनओडी/ शेयर धारक निदेशक रहा है.

**एच) व्यावसायिक प्रतिबंध**

राष्ट्रीयकृत बैंक योजना (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 10(डी) के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में लाभ के ऑफिस के साथ-साथ व्यावसायिक प्रतिबंध के मामले का अलग से परीक्षण किया जाएगा.

**आई) क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व**

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मण्डल में देश के सभी छः जोन- उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य तथा उत्तर-पूर्व से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए.

## एच. शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण

शेयरधारकों का रजिस्टर, बैंक के प्रधान कार्यालय में सहायक महाप्रबंधक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, केवाईसी-एएमएल विभाग, प्रधान कार्यालय, 7वां तल, बड़ौदा भवन, आर एस नं. 576, आरसी दत्त रोड, सेंटर पॉइंट के सामने, अलकापुरी, वडोदरा (गुजरात) – 390007 के पास **14 जून 2021 से 23 जून 2021** तक सभी कार्य दिवसों (बैंक अवकाश, रविवार तथा दूसरे एवं चौथे शनिवार के अलावा) अर्थात सोमवार से शुक्रवार तथा पहले और तीसरे शनिवार को **दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक** शेयरधारकों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा ताकि शेयरधारकों के रजिस्टर के किसी भाग से वांछित सूचना प्राप्त कर सकें.

यदि कोई शेयरधारक उपर्युक्त की प्रति या चयनित/अंश की कंम्प्यूटर द्वारा मुद्रित प्रति चाहता है तो उसे संबद्ध अंश के प्रत्येक 1000 शब्दों अथवा उसके भाग हेतु ₹ 5/- की दर से राशि के भुगतान करने पर प्रदान किया जाएगा.

## आई. शेयरधारकों की सूची

जैसा कि बैंक ऑफ़ बड़ौदा (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 के विनियम 64 में वर्णित और संशोधित किया गया है, शेयरधारकों की सूची की एक

appointment as NOD, if they are not having any managerial control in such companies.

iii. No person may be re- nominated as an NOD on the Board of a Bank/FI/RBI/Insurance Company on which he/she has served as Director in the past under any category for two terms or six years whichever is longer.

iv. A Chartered Accountant if his/her firm is currently engaged in any Public Sector Bank as a Statutory Central Auditor.

v. A Chartered Accountant if his/her firm is currently engaged in the Bank as a Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor.

**g) Tenure**

An NOD would not be considered for nomination as a Director on the Board of a Bank/FI/RBI/ Insurance Company if such Director has already been a NOD / Shareholder-Director on the board of any other Bank/FI/RBI/Insurance Company for six years, whether continuously or intermittently.

**h) Professional Restriction**

The issue of professional restriction vis-à-vis office of profit in any Public Sector Bank under clause 10(d) of the Nationalized Banks Scheme (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 may be separately examined.

**i) Regional Representation**

Efforts should be made to ensure representation of all the six zones of the country – North, South, East, West, Central and North-East on the boards of Public Sector Banks taken together.

## H. INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of Shareholders will be open for inspection by the Shareholders, at the Head Office of the Bank with the office of the **Assistant General Manager,** Bank of Baroda, KYC-AML Department, Head Office, 7th Floor, Baroda Bhawan, R. S. No. 576, R C Dutt Road, Opp. Centre Point, Alkapuri, Vadodara (Gujarat)-390007 on all working days from **14th June 2021 to 23rd June 2021** (other than Second and Fourth Saturdays, Sundays and Bank Holidays) i.e., Monday to Friday and first and third Saturdays between **2.00 pm to 4.00 pm** for the purpose of enabling the contestants to take extracts of any part from the Register of the Shareholders.

If any shareholder requires a copy or computer print of select / part information of the same shall be supplied to him on payment at the rate of ₹ 5/- for every 1,000 words or fractional part thereof required to be copied.

## I. LIST OF SHAREHOLDERS

As provided in Regulation 64 of the Bank of Baroda (Shares and Meetings) Regulations 1998, as amended,

प्रति (इलेक्ट्रॉनिक रूप में) बैंक के प्रधान कार्यालय, वडोदरा/ कॉर्पोरेट कार्यालय, मुंबई में 14 जून, 2021 से उपलब्ध होगी और वह "बैंक ऑफ़ बड़ौदा" के पक्ष में देय किसी अनुसूचित बैंक या प्रत्यक्ष क्रेडिट द्वारा जारी ₹ 50,000/- (केवल पचास हजार रुपए) के मांग ड्रॉफ्ट/ पे ऑर्डर के माध्यम से शेयरधारकों द्वारा खरीद हेतु उपलब्ध होगी. इच्छुक उम्मीदवार को उपर्युक्त सूची खरीदने के लिए एक अनुरोध पत्र **मुख्य महाप्रबंधक (परिचालन एवं सेवाएं), बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सातवां तल, बड़ौदा भवन, आर. सी. दत्त रोड, सेंटर प्वॉइंट के सामने, अलकापुरी, वडोदरा- 390 007/ कंपनी सचिव, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, 7वां तल, कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई 400051** को प्रस्तुत करना होगा तथा यह वचन पत्र देना होगा कि उक्त सूची का उपयोग निर्वाचन में कैनवास करने के लिए किया जाएगा तथा उसका अन्य उदेश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा.

**जे. निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों का नामांकन**

निदेशक के रूप में निर्वाचन के लिए उम्मीदवार का नामांकन निम्न शर्तों के अध्यधीन स्वीकार्य होगा:

ए) विनियमन के विनियम 65 की शर्तों के अनुसार वह **विनिर्दिष्ट/ अंतिम तारीख शुक्रवार, 4 जून, 2021** को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के कम से कम 100 (एक सौ) शेयरों का शेयरधारक हो और बैठक की तारीख तक और उसके बाद यदि निर्वाचित किया जाता है तो उसके बाद भी उसे न्यूनतम 100 शेयरों का शेयरधारक होना चाहिए.

बी) उक्त अधिनियम के अंतर्गत निदेशक निर्वाचित करने के लिए नामांकन लिखित रूप में किया गया हो और वह कम से कम **एक सौ पात्र शेयरधारकों** अथवा यथाविधि उनके अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो, बशर्ते कि नामांकन यदि किसी ऐसे शेयरधारक द्वारा किया गया हो, जो एक कंपनी है और उक्त कंपनी के निदेशकों द्वारा संकल्प पारित किया गया हो, तो संकल्प पारित करने वाली बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की एक प्रति, जिसे सत्य प्रति के रूप में अभिप्रमाणित किया गया हो, **मुख्य महाप्रबंधक (परिचालन), बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सातवां तल, बड़ौदा भवन, आर. सी. दत्त रोड, सेंटर प्वॉइंट के सामने, अलकापुरी, वडोदरा- 390 007/ कंपनी सचिव, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, 7वां तल, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई 400051** को भेजी जाएगी और ऐसी प्रति को उस कंपनी की ओर से किया गया नामांकन माना जाएगा.

सी) शेयरधारकों (न्यूनतम 100) द्वारा किए गए वैध नामांकन के साथ किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार अथवा सब-रजिस्ट्रार ऑफ़ एश्योरेंस अथवा किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी अधिकारी अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित नोटिस में दिए गए नामांकन एवं घोषणा के नमूने के अनुसार यह घोषणा शामिल होनी चाहिए कि वह नामांकन को स्वीकार करता है

a copy of the List of Shareholders (in electronic form) will be available at the Head Office, Vadodara / Corporate Office, Mumbai of the Bank from **14th June 2021** for purchase by Shareholders on payment of ₹ 50,000/-(Rupees Fifty Thousand only) by Demand Draft/Pay Order of Scheduled Bank or direct credit in favor of "Bank of Baroda". The candidates desirous of purchasing the said list shall have to give a request letter addressed to **Chief General Manager (Operations), Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Bhawan, R.C.Dutt Road, Opp. Centre Point, Alkapuri, Vadodara 390 007 / The Company Secretary, Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400051** with an undertaking that the list will be used in canvassing for the election and shall not be used for any other purpose whatsoever.

**J. NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION:**

The nomination of a candidate for election as a Director shall be accepted provided:

a) In terms of Regulation 65 of the Regulations, he / she is a Shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares of the Bank as on **Friday 04th June 2021** being the **Specified/Cut-Off Date** of reckoning for participation in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his/her tenure, if he/she is elected.

b) The valid nomination in writing signed by at least **One Hundred Shareholders** entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by Shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall be dispatched to the Head Office of the Bank addressed to the **Chief General Manager (Operations), Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Bhawan, R.C.Dutt Road, Opp. Centre Point, Alkapuri, Vadodara 390 007 / The Company Secretary, Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400051** and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.

c) The valid nominations by the Shareholders (Minimum 100) are to be accompanied by a declaration by the candidate as per the specimen form of nomination and declaration furnished in this notice duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer

और निर्वाचन में खड़े होने के लिए इच्छुक है और यह कि वह अधिनियम अथवा विनियम अधिनियम अथवा उक्त योजना अथवा विनियमन या भारत सरकार के लागू दिशानिर्देशों के तहत निदेशक के लिए अयोग्य नहीं है और साथ ही वह अपने व्यक्तिगत विवरण (बायो डाटा) को उपयुक्त रूप में हस्ताक्षरित करते हुए और यह प्रतिज्ञा करते हुए घोषणा करेगा कि यह विवरण उसके अधिकतम ज्ञान व जानकारी में सत्य व उपयुक्त है और साथ ही यह भी शपथ पत्र देगा कि वह बाद में भी ऐसे मामलों में जो सूचना, तदनुरूप घोषणा की दृष्टि से प्रासंगिक है, उससे बैंक को पूरी तरह अवगत कराएगा.

डी) वह नामांकन प्राप्त होने की अंतिम तारीख अर्थात **23 जून, 2021 तक** बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों के अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 या राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 या बैंक ऑफ़ बड़ौदा आम (शेयर एवं बैठकें) विनियम 1998 (जैसा कि अब 'विनियम' के रूप में संदर्भित होगा) के तहत अयोग्य न हो और उसके बाद वह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अशासकीय निदेशकों की नियुक्त के संबंध में 25 मार्च, 2015 तथा 20 जुलाई 2016 को भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों अथवा निदेशक के चुनाव के संबंध में समय-समय पर जारी ऐसे अन्य निर्देशों के साथ पठित, भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबीआर.एपीपीटी.नं. 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02.08.2019 के अनुसार निदेशक मण्डल की नांमाकन समिति द्वारा 'उपयुक्त एवं समुचित' पाया गया हो.

ई) नामांकन पत्र और घोषणा पत्र विनियमन द्वारा निर्धारित हैं और नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप में दिए गए है. (संपूर्ण नोटिस, जिसमें यह प्रोफार्मा भी शामिल है, बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.com पर भी उपलब्ध है.

**के. नामांकन फार्म की प्रस्तुति :**

शेयरधारकों में से केंद्र सरकार को छोड़कर, बैंक के निदेशक हेतु चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारकों को इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूपों में विधिवत भरे हुए निम्नलिखित दस्तावेज **सीलबंद लिफाफे में** जिस पर **'बैंक ऑफ़ बड़ौदा निदेशकों का चयन- जुलाई 2021'** लिखा हो, उसे व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक/कुरियर के माध्यम से **मुख्य महाप्रबंधक (परिचालन एवं सेवाएं) को संबोधित करते हुए बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सातवां तल, बड़ौदा भवन, आर. सी. दत्त रोड, सेंटर प्वॉइंट के सामने, अलकापुरी, वडोदरा- 390 007/ कंपनी सचिव, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सातवां तल, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई 400051** को वार्षिक आम बैठक की निर्धारित तारीख से कम से कम 14 कार्य दिवस पूर्व अर्थात **23 जून, 2021 को सायं 4:00 बजे तक** या इससे पूर्व प्रस्तुत कर देना चाहिए.

ए) विधिवत रूप से भरा गया घोषणा पत्र;

बी) निर्वाचन में भाग लेने हेतु पात्र न्यूनतम 100 शेयरधारकों से वैध नामांकन फॉर्म

of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he / she accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he / she is not disqualified either under the Act or Regulation Act or the Scheme or the Regulations or applicable GOI guidelines from being a Director along with his / her personal details (bio data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his / her knowledge and belief and also his / her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.

d) As on **23rd June 2021** , being the last date for receipt of nominations, he / she is not disqualified under the Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 or the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as "the Regulations") and thereafter has been found "Fit and Proper" by the Nomination and Remuneration Committee of the Board in terms of the Notification No. DBR.Appt. No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 of Reserve Bank of India read with Guidelines dated 25th March 2015 and 20th July 2016 issued by the Government for Non Official Directors of the Public Sector Banks or such other directives as may be issued from time to time for being elected as a Director.

e) The nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulation as per the **proforma annexed** to this notice (The proforma is also available on the Bank's website: www.bankofbaroda.in)

**K. SUBMISSION OF NOMINATION FORMS**

Shareholders desirous of contesting the election of the Director of the Bank from amongst the Shareholders, other than the Central Government, should submit following documents in formats annexed to this notice, in a **sealed envelope** superscribing thereon **"Bank of Baroda Election of Directors – July 2021"** in person or through Regd. Post / Courier addressed to the **Chief General Manager (Operations), Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Bhawan, R.C.Dutt Road, Opp. Centre Point, Alkapuri, Vadodara 390 007 / / The Company Secretary, Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400051** so as to reach on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the AGM i.e., on or before **4.00 p.m., on 23rd June 2021**:

a) Duly filled in Declaration Form;

b) Valid Nomination Forms minimum of hundred Shareholders entitled to participate in the election;

सी) इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप में व्यक्तिगत सूचना, घोषणा पत्र तथा वचन पत्र के साथ-साथ संबंधित दस्तावेज, प्रमाण-पत्र अर्थात स्व-प्रमाणित बायोडाटा, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र, बैंक के लिए उपयुक्त अनुभव आदि की प्रतियां संलग्न हो.

डी) उक्त नामांकन फार्म व अन्य दस्तावेज सभी तरह से पूर्ण होने चाहिए और ऐसा न होने पर नामांकन अस्वीकार किया जा सकता है.

**एल. नामांकनों की जांच तथा निदेशकों का चुनाव**

ए) नामांकनों की जांच नामांकन प्राप्त होने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख के बाद प्रथम कार्य दिवस को अर्थात् 24 जून, 2021 को बैंक द्वारा नामांकनों के स्वीकार्य नियम एवं विनियमों के तहत की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया गया तो उसका कारण दर्ज करने के पश्चात उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा.

बी) वैध नामांकन भी भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड/ निदेशक मण्डल की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) द्वारा जांच किए जाने के अधीन हैं. चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों और भारत सरकार के दिशानिर्देशों द्वारा लागू किए गए प्रतिबंध समान स्वरूप के हैं, अत: बैंक उम्मीदवारों की उपयुक्त एवं समुचित स्थिति का निर्धारण करते समय दोनों में से जो अधिक सख्त हों, उस पर विचार कर सकता है.

सी) बैंक नामांकन की जांच के समय या/बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा सूचित किए अनुसार उम्मीदवारों से उनकी उम्मीदवारी से संबंधित आगे की जानकारी और दस्तावेजों की मांग कर सकता है.

डी) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा जांच किए जाने के बाद, यदि चुनाव द्वारा भरी जाने वाली एक रिक्ति हेतु केवल एक ही वैध नामांकन प्राप्त होता है तो इस प्रकार नामित उम्मीदवार/रों को उसी समय से निर्वाचित समझा जाएगा और उसका नाम तथा पता निर्वाचित निदेशक के रूप में प्रकाशित किया जाएगा. ऐसी किसी स्थिति में अथवा किसी भी नामांकन के वैध नहीं पाए जाने पर वार्षिक आम बैठक में निर्वाचन आयोजित नहीं किया जाएगा. नए चुने गये निदेशक चुनाव की तारीख के अगले दिन से अपना पदभार ग्रहण करेंगे तथा पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहेंगे.

ई) यदि वैध नामांकन की संख्या एक से अधिक हो तो चुनाव होने की दशा में उम्मीदवारों के नाम समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे और चुनाव में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले अर्थात रिमोट ई-वोटिंग तथा मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार निर्वाचित होंगे और उनके नाम बैठक में घोषित किए जाएंगे तथा समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित किया जाएंगे.

c) Personal Information, Declaration and Undertaking in the formats annexed to the Notice together with the connected documents, testimonials, **viz. self-attested copies of Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience relevant to the Bank, etc**.,

d) The said nomination forms and other documents should be complete in all respects failing which, the nominations are liable to be rejected.

**L. SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS:**

a) Nominations shall be scrutinized on **24th June 2021**, the first working day following the last date fixed for the receipt of the nominations in terms of applicable laws and regulations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons thereof.

b) Valid Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination & Remuneration Committee (NRC) of the Board / Board of Directors, as the case may be, in terms of the RBI Directions and GOI Guidelines. As restriction imposed by RBI Direction and GOI Guidelines are similar in nature, the Bank may consider the stricter of the two while determining the Fit & Proper status of the Candidates.

c) The Bank may at the time of scrutiny of Nominations or as advised by the Nomination and Remuneration Committee of the Board / the Board of Directors seek further information, documents from the candidates in support of his / her candidature.

d) After the scrutiny by the Nomination and Remuneration Committee, if there is only **One** valid nomination/s for one vacancy to be filled by the election, the candidate/s so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his/ her name/s and address shall be published as so elected. In such an event or in case no nomination is found valid, the election in Annual General Meeting will not be conducted. The newly elected director will assume office from the day next to the date of Election and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption.

e) If there are more than One valid nominations, the names of the candidates shall be published in the newspapers and Election will be held and candidate having the majority of the votes i.e. aggregate of remote E-voting and E-voting at the meeting will be deemed to have been elected and his/her name will be announced and published in newspapers.

**एम. उम्मीदवारी वापस लेना**

यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है, तो वह **दिनांक 03 जुलाई, 2021** को बैंक के कामकाज के घंटों की समाप्ति से पहले, अर्थात **शाम 4.00 बजे तक** किसी भी समय, **मुख्य महाप्रबंधक (परिचालन), बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सातवां तल, बड़ौदा भवन, आर. सी. दत्त रोड, सेंटर प्वॉइंट के सामने, अलकापुरी, वडोदरा- 390 007/ कंपनी सचिव, बैंक ऑफ़ बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई 400051** को संबोधित हस्ताक्षरित पत्र भेज कर या gm.ops.ho@bankofbaroda.com अथवा companysecretary.bcc@bankofbaroda.com पर स्कैन तथा हस्ताक्षरित पत्र का ई-मेल भेजकर अपना नामांकन वापस ले सकता है.

**एन. विवाद**

यदि कोई विवाद उत्पन्न होगा, तो बैंक ऑफ़ बड़ौदा आम (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998, यथा संशोधित के विनिमय 67 के अनुसार उसे निपटाया जाएगा.

**ओ. उद्धरण**

लागू अधिनियम/ योजना/ विनियम/ अधिसूचना/ भारत सरकार के दिशानिर्देशों के संबद्ध हिस्सों के उद्धरण शेयरधारकों के लाभार्थ बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर प्रदर्शित किया गया है. जो शेयरधारक चुनाव लड़ना चाहते हैं वे इसे डाउनलोड कर सकते हैं अथवा इसकी प्रति मंगवाने के लिए बैंक के कंपनी सचिव companysecretary.bcc@bankofbaroda.com को लिख सकते हैं और इसे प्राप्त कर सकते हैं.

**पी. निदेशकों का हित**

बैंक के निदेशक अपनी शेयरधारिता की सीमा तक तथा ऐसे निदेशक जिन्होंने नामांकन दर्ज किए हैं, कारोबार की उक्त मदों से उन्हें सरोकार है या उसमें उनका हित है ऐसा समझा जाएगा.

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा

**(संजीव चड्ढा )**
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान: मुंबई
दिनांक: 07 जून, 2021

**M. WITHDRAWAL OF CANDIDATURE**

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank i.e. **on or before 4.00 p.m. on 03rd July 2021** by sending a signed letter addressed to **Chief General Manager (Operations), Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Bhawan, R.C.Dutt Road, Opp. Centre Point, Alkapuri, Vadodara 390 007 / The Company Secretary, Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400051** or sending scanned and signed letter over e-mail at gm.ops.ho@bankofbaroda.com; OR alternately companysecretary.bcc@bankofbaroda.com.

**N. DISPUTES**

If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended.

**O. EXTRACTS**

Extracts of the relevant portions of the applicable Act / Scheme / Regulations / Notification/ GOI Guidelines are posted on Bank's website: www.bankofbaroda.in for the benefit of the Shareholders. Shareholders desirous of contesting elections may download the same or write to the Company Secretary of the Bank at companysecretary.bcc@bankofbaroda.com and obtain the same.

**P. INTEREST OF DIRECTORS**

Directors of the Bank to the extent of their shareholding and such Directors who file their nominations may be deemed to be concerned or interested in the aforesaid items of business.

By Order of the Board of Directors
For BANK OF BARODA

**Sanjiv Chadha**
Managing Director & CEO

Place : Mumbai
Date 07 June, 2021

क्र सं.

# नामांकन फार्म

प्रति,

**प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी**
बैंक ऑफ़ बड़ौदा
प्रधान कार्यालय,
वडोदरा.

प्रिय महोदय,

## निदेशक का चुनाव

आपके दिनांक ____________, मई 2021 के एजीएम नोटिस के संदर्भ में, मैं श्री/सुश्री _______________________________________ _ ____________ बैंक ऑफ़ बड़ौदा का शेयरधारक, **शुक्रवार 04 जून, 2021** अर्थात निर्वाचन में भाग लेने की विनिर्दिष्ट/ कट ऑफ तारीख को प्रत्येक ₹ 2/- के ________________________ इक्वटी शेयरों का धारक, एतद् द्वारा श्री/सुश्री ________________________ सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी ______ __________________________निवासी ________________________________________________ को **गुरुवार, दिनांक 08 जुलाई, 2021** को होनेवाली बैंक के शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (i) में दिए गए प्रावधान के अनुसार बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु नामित करता हूं/करती हूं.

| | |
|---|---|
| नाम | |
| हस्ताक्षर | |
| धारित शेयरों की संख्या | |
| पंजीकृत फोलियो नं.<br>(यदि अभौतिक रूप में न हो) | |
| डी.पी. आई.डी. नं.<br>एवं ग्राहक आई.डी. नं. (यदि अभौतिक रूप में हो.) | |
| स्थान | |
| तारीख | |

**टिप्पणी :**

क) यदि नामांकन किसी कार्पोरेट निकाय शेयरधारक द्वारा किया गया हो, तो नामांकन फार्म के साथ निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प की अधि प्रमाणित प्रति संलग्न की जानी चाहिए और उस पर, जिस बैठक में इसे पारित किया गया हो, उसके अध्यक्ष के हस्ताक्षर होने चाहिए.

ख) उम्मीदवार का नामांकन करने वाले शेयरधारक के हस्ताक्षर, बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए.

ग) यदि उपर्युक्त में से कोई कॉलम रिक्त छोड़ा गया या विवरण असत्य पाया गया तो नामांकन रद्द किया जा सकता है.

**Sr. No.** ____________

**NOMINATION FORM**

To
**Managing Director & CEO,**
Bank of Baroda
Head Office,
Vadodara.

Dear Sir,

**ELECTION OF DIRECTOR**

With reference to your AGM Notice dated ___________ May 2021, I, ______________________________ a Shareholder of Bank of Baroda holding ___________ equity shares of ₹ 2/- each fully paid up as on **Friday, 04th June 2021** i.e., the Specified/Cut-Off Date for participating in the Election, do hereby nominate Shri / Smt. ______________________ ______________________ son / daughter / wife of ______________________ residing at ______________________ ____________________________________________ for being elected as a Director of Bank of Baroda representing the Shareholders of the Bank as provided in Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Annual General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on **Thursday, 08th July 2021**.

| | |
|---|---|
| **Name** | |
| **Signature** | |
| **No. of Shares Held** | |
| **Regd. Folio No.**<br>**(if not dematerialized)** | |
| **DP ID No. & Client ID No.**<br>**(If dematerialized)** | |
| **Place** | |
| **Date** | |

**Notes:**

a) In case nomination is made by a Shareholder who is a body corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed at the meeting of the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.

b) Signature of the Shareholder nominating the candidature should match with the specimen signature available with the Share Transfer Agent of the Bank.

c) If any of the columns above is left blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.

# घोषणा पत्र

मैं, श्री/श्रीमती ______________________ सुपुत्र/ सुपुत्री/ पत्नी/ श्री/ श्रीमती ______________________

______________________, निवासी ______________________

एतद्द्वारा पुष्टि करता /करती हूं कि :-

ए) मैं 04 जून, 2021 अर्थात निर्वाचन में भाग लेने की विनिर्दिष्ट/ कट ऑफ तारीख को बैंक के 2/- रुपये प्रति शेयर वाले ......................... इक्विटी शेयरों का शेयरधारक हूं और घोषणा करता हूं कि यदि बैंक के निदेशक के रूप में चुन लिया जाता हूं, तो उसकी अवधि की समाप्ति तक शेयरधारिता रहेगी.

बी) मुझे* (i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था (ii) बैंकिंग (iii) सहकारिता (iv) अर्थशास्त्र (v) वित्त (vi) विधि (vii) लघु उद्योग अथवा अन्य किसी विषय, सूचना प्रौद्योगिकी/ भुगतान एवं निपटान प्रणाली/ मानव संसाधन/ जोखिम प्रबंधन/ व्यवसाय प्रबंधन आदि का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव है जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा और मैं अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3ए के अनुसार जमाकर्ताओं अथवा किसानों, कामगारों और दस्तकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूं/ करती हूं और उसके साक्ष्य के रूप में, मैं इसके साथ संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करता हूं/ करती हूं, और **(*जो लागू न हो उसे काट दें)**

सी) मैं नामांकन क्रमांक ....................................................................................स्वीकार करता हूं/ करती हूं; और

डी) मैं बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक के निर्वाचन में उम्मीदवार बनना चाहता/ चाहती हूं; और

ई) मैं, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना, 1970, यथा संशोधित बैंक ऑफ़ बड़ौदा आम (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 1998 के प्रावधानों के अधीन और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित अधिसूचना तथा भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अशासकीय निदेशकों के संबंध में जारी मानदंडों के तहत बैंक के निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं हूं और

एफ) मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत अयोग्य नहीं हूं; तथा

जी) मैं न कोई लाभ का पद धारण करता हूं/ करती हूं अथवा न ही मैं किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथा परिभाषित किसी अनुषंगी बैंक का कर्मचारी हूं.

**साथ ही मैं घोषणा करता हूं:**

एच) मुझे कभी भी दिवालिया करार नहीं किया गया है और मैंने कभी भी अपने लेनदारों का भुगतान नहीं रोका या उनके साथ ऋण निपटान समझौता नहीं किया है; तथा

आई) मुझे कभी भी विक्षिप्त नहीं पाया गया है और न ही कभी किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हैं और न ही कभी नैतिक भ्रष्टता के किसी जुर्म में किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किया गया है; तथा

जे) मुझे कभी किसी आर्थिक अधिकारी या न्यायिक दंडाधिकारी या उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित नहीं किया गया है; तथा

के) मैं चयन होने के पश्चात बैंक के साथ अपने पेशेवर रिश्ते, यदि कोई हो, को समाप्त करूंगा तथा बैंक के साथ निदेशक के रूप में अपनी कार्यभार अवधि के दौरान और उसके बाद के दो वर्षों की अवधि के लिए कोई पेशेवर रिश्ता नहीं रखने का वचन देता हूं.

एल) मैं पहले भी किसी बैंक या भारतीय रिज़र्व बैंक या वित्तीय संस्था या किसी बीमा कंपनी या एनओएफ़एचसी धारक किसी अन्य बैंक के बोर्ड में निदेशक मंडल में निदेशक नहीं हूं.

एम) मैं किसी किराया खरीद, वित्तपोषण, राशि उधार देने, निवेश, लिजिंग तथा अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों से जुड़ा हुआ नहीं हूं;

एन) मैं पहले भी किसी बैंक/ वित्तीय संस्थान/ भारतीय रिज़र्व बैंक/ किसी बीमा कंपनी के बोर्ड में निदेशक मंडल में किसी भी श्रेणी के अंतर्गत लगातार या अलग-2 समय पर -6- वर्षों के लिए निदेशक नहीं रहा हूं.

ओ) मैं स्टॉक ब्रोकिंग कारोबार में शामिल नहीं हूँ.

पी) मैं सांसद या राज्य विधानमंडल या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों (अन्य स्थानीय निकायों से तात्पर्य ऐसे निकाय अर्थात अधिसूचित क्षेत्र परिषद, नगर परिषद, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद, आदि) का पद पर कार्यरत नहीं हूँ.

**DECLARATIONS**

I, ______________________________ son/daughter/wife of Shri/Smt ______________________________

resident of ______________________________________________________________

______________________________hereby confirm that :

**a.** I am a Shareholder holding ……………… equity shares of ₹ 2/- each of the Bank as on **04th June 2021**, i.e., the Specified/Cut-Off Date for participating in the election, and undertake to hold the shares till the end of the tenure, if elected as a Director of the Bank;

**b.** *I have special knowledge or practical experience in (i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance (vi) law,(vii) small scale industry, or any other matter the special knowledge of IT/Payment & Settlement Systems/Human Resources/Risk Management/Business Management etc. and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank) and I represent the interest of the depositors or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials, and

**(*Delete whichever is not applicable.)**

**c.** I accept the nominations numbering ……………………; and

**d.** I am willing to contest for the election of Director of BANK OF BARODA; and

**e.** I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Bank of Baroda General (Shares & Meetings) Regulations, 1998 as amended, relevant Notifications issued by RBI and Guidelines issued by GOI with regard to Non Official Directors of Public Sector Banks and

**f.** I am not disqualified under Section 164 of the Companies Act, 2013; and

**g.** I neither hold any office of profit nor I am an employee of any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959.

**I further declare that :**

**h.** I have not been at any time adjudicated as an insolvent or have suspended payment or has compounded with my creditors; and

**i.** I have not been found of unsound mind and stands so declared by a competent court and have not been convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude; and

**j.** I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other court; and

**k.** I will severe professional relationship, if any, with the Bank forthwith on getting elected and will not undertake any professional relationship with the Bank during my tenure as Director and for a period of two years thereafter; and

**l.** I am not a member of the Board of any bank or the Reserve Bank or a Financial Institution (FI) or an Insurance Company or a NOFHC holding any other bank.

**m.** I am not connected with hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para banking activities;

**n.** I have not served as director in the past on the board of any bank/FI/RBI/Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently.

**o.** I am not engaging in the business of stock broking.

**p.** I am not holding the position of a Member of Parliament or State Legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies (other local bodies means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc.)

क्यू) मैं सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक के रूप में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के साथ वर्तमान में कार्य कर रहे किसी सनदी लेखाकार फर्म में भागीदार नहीं हूं.

आर) मैं बैंक ऑफ़ बड़ौदा के सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में वर्तमान में कार्य कर रहे सनदी लेखाकार फर्म में भागीदार नहीं हूं जिसमें चुनाव के लिए नामांकन प्रस्तुत किया गया है.

एस) मेरा बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ न तो कोई व्यावसायिक संबंध है (विधिक सेवाओं, सलाहकार सेवाओं आदि सहित) और न ही मैं उन गतिविधियों में शामिल हूं, जिसके परिणामस्वरूप बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ व्यावसायिक हितों का टकराव हो सकता है.

टी) मेरा किसी बैंक या किसी एनओएफ़एचसी धारक कोई अन्य बैंक के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है और निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण से पहले निर्वाचित होने पर बैंक के साथ संबंध को समाप्त करने का वचन देता हूं.

यू) मैं किसी विनियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण/ एजेंसी या कानून प्रवर्तन एजेंसी के प्रतिकूल नोटिस के अधीन नहीं हूं और मैं किसी भी उधार देने वाली संस्था का चूककर्ता नहीं हूं.

वी) मैं निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से पहले नियम पत्र विलेख (भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र दिनांक 02.08.2019 के निर्धारित प्रारूप में) निष्पादित करने का वचन देता हूं;

डबल्यू) मैं बैंक को पूरी तरह से, यथाशीघ्र, घटनाओं, यदि कोई हो, जो इस घोषणा के बाद होने वाली जानकारी से संबंधित है, जो कि सूचना प्रदान करने के लिए प्रासंगिक है, और बैंक के निदेशक के रूप में मेरे चयन पर नियम पत्र विलेख निष्पादित करने का वचन देता हूं; तथा

एक्स) मैं, सेबी (सूचीयन करार तथा प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, 2015 यथा संशोधित के संबंधित प्रावधानों को बैंक में निदेशक बने रहने तक पालन करूंगा.

वाई) मैं अपना व्यक्तिगत विवरण संलग्न कर रहा हूं जो कि मेरी अधिकतम जानकारी में और विश्वास के अनुसार सही एवं पूर्ण हैं.

ए) मैं अन्य कंपनी/ बैंक में वर्तमान में तथा पहले रहे अपने निदेशक कार्यकाल का विवरण नीचे दे रहा हूं:

| कंपनी/बैंक का नाम | निदेशक के रूप में विवरण अर्थात कार्यकाल, निदेशक के पद का स्वरूप, अवधि आदि |
|---|---|
| | |
| | |

(आवश्यक हो तो अतिरिक्त शीट लगाएं)

बी. मैं अपना व्यक्तिगत विवरण संलग्न कर रहा हूं जो कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही एवं पूर्ण हैं.

| | |
|---|---|
| नाम | |
| हस्ताक्षर | |
| मोबाइल नंबर | |
| ई-मेल आईडी | |
| शेयरों की संख्या | |
| पंजीकृत फोलियो नं.<br>(यदि अभौतिक न हो) | |
| डीपी आईडी नं. एवं ग्राहक आईडी नं. (यदि अभौतिक हो) | |
| स्थान | |
| तारीख | |

**नोटः उम्मीदवार इस घोषणापत्र में दिए गए विवरण को डिलीट/संशोधित कर सकते हैं**

उपर्युक्त घोषणा पत्र पर मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया है.

______________________________

न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या एश्योरेंसेस के उप रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित/अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या बैंक ऑफ़ बड़ौदा या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर.

q. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any nationalised bank or State Bank of India.

r. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the Bank of Baroda in which nomination for election is filed.

s. I neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the Bank of Baroda nor I am engaged in activities which might result in a conflict of business interests with Bank of Baroda.

t. I am not having any professional relationship with a bank or any NOFHC holding any other bank and undertake sever the relationship with the Bank if elected before assuming charge as a director.

u. I am not under adverse notice of any regulatory or supervisory authority/agency, or law enforcement agency and I am not defaulter of any lending institution.

v. I undertake to execute Deed of Covenant (in the prescribed format of RBI circular dated 02.08.2019) before assuming office as a director;

w. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank; and

x. I undertake to comply with the relevant provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended till I hold the position as a Director of the Bank; and

y. I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete in all respects, and

a. I give below the details of my present as well as past directorship details in other companies / banks:

| Name of the Company / Bank | Directorship details viz. tenure, nature of directorship, period etc. |
|---|---|
| | |
| | |

(add additional rows / sheets if necessary)

b. I enclose my personal details which are to the best of knowledge and belief true and complete in all respects; and

| | |
|---|---|
| Name | |
| Signature | |
| Mobile Number | |
| Email ID | |
| No. of shares | |
| Regd. Folio No.<br>(if not dematerialized) | |
| DP ID No. & Client ID No.<br>(if dematerialized) | |
| Place | |
| Date | |

**Note: Candidates may delete / modify the statement/s contained in this declaration.**

The above declaration was signed before me.

________________________________

Signature with seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or Bank of Baroda or any Nationalized Bank.

बैंक का नाम: बैंक ऑफ़ बड़ौदा

**प्रस्तावित निदेशक द्वारा घोषणा एवं वचनपत्र**

(उपयुक्त अनुलग्नकों सहित)

यहां पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **दिनांक ........................2021 को उपयुक्त अनुलग्नकों सहित उम्मीदवार द्वारा घोषणा एवं वचनपत्र** | | | | | |
| **I** | | **उम्मीदवार का व्यक्तिगत विवरण** | | | |
| | ए | नाम | प्रथम नाम | मध्य नाम | अंतिम नाम |
| | बी | वर्तमान पता | | | |
| | सी | राष्ट्रीयता | | | |
| | डी | जन्म तिथि (तिथि/माह/वर्ष) और उस तारीख को आयु | - - / - - / - - - - आयु: - - वर्ष - - माह - - - दिन | | |
| | ई | शैक्षणिक योग्यताएं | | | |
| | एफ | निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) | | | |
| | जी | आधार संख्या | | | |
| | एच | (i) स्थायी खाता संख्या(पैन):<br>(ii) आयकर सर्कल/वार्ड का नाम और पता, जहां प्रस्तावित निदेशक की कर (आयकर अधिकार क्षेत्र) फाइल की जाती है :<br>(iii) पिछले 3 वर्षों के लिए फाइल की गई विवरणी (यों) और करों के भुगतान का विवरण | फाइल करने की तारीख<br>भुगतान की गई कर की राशि (रुपए में) | | |
| | आई | स्थायी पता | | | |
| | जे | ई-मेल का पता/ वैकल्पिक ई-मेल का पता:<br>एसटीडी कोड सहित दूरभाष संख्या:<br>मोबाइल संख्या: | | | |

Name of Bank: Bank of Baroda

**Declaration and Undertaking by a Proposed Director**

**(with appropriate enclosures)**

Affix passport size photo here

| **Declaration & Undertaking by the Candidate with enclosures as appropriate as on __________2021** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **I** | | **Personal details of Candidate** | | | |
| | a | Name | First Name | Middle Name | Last Name |
| | | | | | |
| | b | Present Address | | | |
| | c | Nationality | | | |
| | d | Date of Birth (dd/mm/yyyy) and Age as on date | - - / - - / - - - - Age: - - years - - months - - - days | | |
| | e | Educational Qualifications | | | |
| | f | Director Identification Number (DIN) | | | |
| | g | Aadhaar Number | | | |
| | h | (i) Permanent Account Number (PAN):<br>(ii) Charge where the proposed director is assessed to tax (Income Tax jurisdiction) / name and address of Income Tax Circle / Ward:<br>(iii) Details of filing of return(s) and payment of taxes for past 3 years | Date of filing | Amount of tax paid (INR) | |
| | i | Permanent Address | | | |
| | j | E-mail Address/ Alternate e-mail Address:<br>Telephone Number with STD code:<br>Mobile Number: | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | के | संबद्ध ज्ञान तथा अनुभव<br>[ बैंकिंग कंपनियों के लिए उपयोगी विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीआर.एपीपीटी.बीसी सं. 39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवंबर, 2016 के साथ पठित<br>• बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए(2),<br>• बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 (3ए)<br>• एसबीआई अधिनियम, 1955 की धारा 19ए(ए),<br>जैसा भी मामला हो, का संदर्भ लें.] | |
| | एल | वर्तमान व्यवसाय (पदनाम, संगठन का नाम और अनुभव के संबंध में संक्षिप्त विवरण) | |
| | एम | जहां कार्य किया है उस संगठन (नों) का पूरा पता, नियुक्ति की तारीख, अवमुक्ति की तारीख (कारणों सहित), पदनाम आदि सहित विगत न्यूनतम दस वर्षों को शामिल करते हुए पिछला व्यवसाय. | |
| | एन | सनदी लेखकार के मामले में, निम्नलिखित सूचना दें:<br>(i) आईसीएआई की सदस्यता संख्या<br>(ii) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के साथ पंजीकरण की तारीख<br>(iii) पंजीकृत फर्म/फ़र्मों का नाम और पता<br>(iv) फर्म/फ़र्मो द्वारा वर्तमान में किए गए लेखा परीक्षण /परीक्षणों के विवरण | |
| | ओ | शाखा और खाता संख्या (बचत / चालू / ऋण खाते) सहित बैंकर(रों) का नाम जहां वह प्राथमिक खाता धारक है.<br>डीमैट खाता(ते) यदि कोई हो, तो उसका विवरण (प्रति संलग्न करें) | बैंक का नाम \| शाखा \| खाते का प्रकार \| खाता संख्या |
| | पी | सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) से व्यापक क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सभी मॉड्यूल सहित) | |
| | क्यू | कोई अन्य सूचना जो बैंक के निदेशक मंडल से संबंधित हो | |
| II | | **प्रस्तावित निदेशक से संबंधित संबंध** | |
| | ए | बैंक से जुड़े संबंधियों की सूची, यदि कोई हो [कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उप-धारा (77) और कंपनी (परिभाषा की विशिष्टता) के नियम 2014 के नियम 4 का संदर्भ लें] | |

| बैंक का नाम | शाखा | खाते का प्रकार | खाता संख्या |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

<table>
<tr><td></td><td>k</td><td>Relevant Knowledge and Experience<br>[Refer<br>• Section 10A(2) of Banking Regulation Act, 1949,<br>• Section 9(3A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980<br>• Section 19A(a) of the SBI Act, 1955,<br>as the case may be, read with RBI Circular DBR. Appt. BC No 39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 on Special knowledge or practical experience useful to banking companies]</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>l</td><td>Present occupation (designation, name of the organisation and brief write-up on experience)</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>m</td><td>Previous occupation covering minimum of past ten years, with complete address of the organisation(s) worked in, date of joining, date of relieving (including reasons), designation, etc.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>n</td><td>In case of a Chartered Accountant, indicate the following:<br>(i) Membership Number of ICAI<br>(ii) Date of registration with the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)<br>(iii) Name and Address of the registered firm/s<br>(iv) Details of the Audit/s presently undertaken by the firm/s</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>o</td><td>Name of the banker(s) with Branch and Account Numbers (savings/current /loan accounts) where he/she is the primary account holder.<br>Details of Demat account(s) held if any (attach copy)</td><td><table><tr><td>Name of the Bank</td><td>Branch</td><td>Type of A/c</td><td>A/c Number</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td></td><td>P</td><td>Comprehensive Credit Information Reports (including all modules) from all the Credit Information Companies (CICs)</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>q</td><td>Any other information relevant to Directorship of the Bank</td><td></td></tr>
<tr><td>II</td><td></td><td>Relevant Relationships of<br>of proposed director</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>a</td><td>List of Relatives, if any, who are connected with any bank [Refer Sub-Section (77) of Section 2 of the Companies Act, 2013 and Rule 4 of the Companies (Specification of Definition) Rules, 2014]</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>बी</td><td>(i) प्रतिष्ठानों की सूची, यदि कोई हो, जिनमें उसका हित निहित रहा हो (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 184 का संदर्भ लें). बैंकों / एनबीएफसी / कंपनियों / कार्पोरेट निकायों / फर्मों / व्यक्तियों के संघ आदि के नामों का उल्लेख अलग से किया जाना चाहिए.<br>(ii) ऐसी संस्थाएं जिनमें वह लाभकारी स्वामित्व रखता हो/रखती हों [कंपनी अधिनियम, 2013 धाराएं 89 और 90 का संदर्भ लें और एमसीए के लागू महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामित्व संबंधी नियमों का भी संदर्भ लें]<br>(iii) न्यासों की सूची जिसमें न्यासी के रूप में पद ग्रहण किया गया हो.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>सी</td><td>प्रस्तावित और मौजूदा प्रतिष्ठानों की सूची, जिनमें उन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (एनई) * के प्रयोजन के तहत पर्याप्त हित रखने वाले के रूप में माना गया हो.<br>“पर्याप्त हित" (i) एक कंपनी के संबंध में इसका अर्थ, किसी व्यक्ति अथवा उसके पति-पत्नी अथवा अवयस्क बच्चे द्वारा एकल या सामूहिक रूप से किसी कंपनी के शेयरों में लाभभोगी हित धारिता, जिस पर अदा की गई रकम ₹ 5 लाख से अधिक हो अथवा कंपनी की चुकता (प्रदत्त) पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक है, इसमें जो भी कम हो;<br>(ii) एक फ़र्म के संबंध में इसका अर्थ, किसी व्यक्ति अथवा उसके पति-पत्नी अथवा अवयस्क बच्चे द्वारा एकल या सामूहिक रूप से किसी कंपनी के शेयरों में लाभभोगी हितधारिता, जो उक्त फ़र्मों के सभी भागीदारों द्वारा अभिदत्त पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करता हो;</td><td><table>
<tr><td>कंपनी/ फ़र्म का नाम</td><td></td></tr>
<tr><td>निगमीकरण का क्षेत्र</td><td></td></tr>
<tr><td>शेयरों की संख्या</td><td></td></tr>
<tr><td>प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य</td><td></td></tr>
<tr><td>धारित शेयर का कुल अंकित मूल्य</td><td></td></tr>
<tr><td>कुल पीयूसी की % शेयर धारिता</td><td></td></tr>
<tr><td>लाभकारी हित (मूल्य के साथ-साथ % में)</td><td></td></tr>
<tr><td>क्या संस्थान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत एक कंपनी है.</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td></td><td>डी</td><td>विदेशों में निगमित और भारत में व्यावसायिक स्थल वाले संस्थानों में धारिता</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>ई</td><td>बैंक / एनबीएफसी / किसी अन्य कंपनी का नाम जिनमें वह बोर्ड का सदस्य/ सलाहकार है अथवा रहा है (उस अवधि का विवरण देते हुए, जिसके दौरान उस कार्यालय का पद ग्रहण किया गया हो/किया गया था)</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>एफ</td><td>निधि और गैर-निधि सुविधाएं, यदि कोई हो, जिनका उसने और/अथवा उपर्युक्त II (बी) से (डी) में सूचीबद्ध इकाइयों ने वर्तमान में बैंक से उपयोग किया हो.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>जी</td><td>ऐसे मामले, यदि कोई हों, जहां उसने अथवा उपर्युक्त II (बी) से (डी) में सूचीबद्ध इकाइयों ने बैंक/ किसी अन्य बैंक/ एनबीएफसी/ किसी अन्य ऋणदाता संस्थान से ऋण सुविधाओं की चुकौती में चूक की है अथवा विगत 10 वर्षों में चूक हो चुकी हो.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>एच</td><td>ऐसे मामले, यदि कोई हों, जहां वह एक चूककर्ता हैं या किसी बैंक/ एनबीएफ़सी/ किसी अन्य उधार देने वाले संस्थान द्वारा इरादतन चूककर्ता के रूप में घोषित किया गया है.</td><td></td></tr>
<tr><td>III</td><td></td><td>व्यावसायिक उपलब्धियों का रिकार्ड</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>ए</td><td>निदेशक पद से संबंधित व्यावसायिक उपलब्धियां</td><td></td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | b | (i) List of entities, if any, in which he/she is considered as being interested (Refer Section 184 of the Companies Act, 2013). Names of the banks/ NBFCs/ companies/ bodies corporate/ firms / association of individuals etc. should be mentioned separately.<br>(ii) Entities in which he/she holds beneficial ownership [Refer Sections 89 & 90 of Companies Act, 2013 and also refer to applicable Significant Beneficial Ownership Rules of MCA]<br>(iii) List of Trusts in which the position as Trustee is held. | |
| | c | List of entities, existing and proposed, in which he/she is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne)* of the Banking Regulation Act, 1949.<br>*"substantial interest" (i) in relation to a company, means the holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, in the shares thereof, the amount paid up on which exceeds five lakhs of rupees or ten percent of the paid-up capital of the company, whichever is less; (ii) in relation to a firm, means the beneficial interest held therein by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, which represents more than ten per cent of the total capital subscribed by all the partners of the said firm;* | Name of the company / firm \|<br>County of incorporation \|<br>Number of shares \|<br>Face value of each shares \|<br>Total face value of share holding \|<br>Shareholding as % of total PUC \|<br>Beneficial interest (in value as well as % terms) \|<br>Whether the entity is a section 8 company under Companies Act 2013 \| |
| | d | Holdings in entities incorporated abroad and having a place of business in India | |
| | e | Name of Bank/NBFC/any other company in which he / she is or has been a member of the Board / Advisor (giving details of period during which such office is/was held) | |
| | f | Fund and non-fund facilities, if any, presently availed of by him / her and / or by entities listed in II (b) to (d) above from the bank | |
| | g | Cases, if any, where he/she or entities listed in II (b) to (d) above are in default or have been in default in the past 10 years in respect of credit facilities obtained from the bank/ any other bank/ NBFC/any other lending institution. | |
| | h | Cases, if any, where he/she is a defaulter or has been declared as a wilful defaulter by any bank/NBFC/any other lending institution. | |
| **III** | | **Records of professional achievements** | |
| | A | Professional achievements relevant for the directorship | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **IV.** | | **उम्मीदवार के विरूद्ध कार्रवाइयां, यदि कोई हो** | |
| | ए | यदि वह किसी व्यावसायिक संस्था/ निकाय का सदस्य है तो उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण यदि कोई विचाराधीन हो अथवा शुरू की गई हो अथवा उसके विरूद्ध पहले दोषसिद्धि के फलस्वरूप हो अथवा क्या वह किसी समय किसी व्यवसाय/धंधे को शुरू करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है. | |
| | बी | पूर्व में उनके और /अथवा उपरोक्त II (बी) और (ई) में सूचीबद्ध किसी इकाई के विरूद्ध आर्थिक कानून और विनियमों का उल्लंघन करने के लिए दोषसिद्धि के फलस्वरूप लंबित अथवा शुरू किए गए अभियोजनों का विवरण, यदि कोई हो. | |
| | सी | उनके विरूद्ध पूर्व में लंबित अथवा शुरू किए गए अथवा दोषसिद्धि के फलस्वरूप आपराधिक अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो | |
| | डी | क्या निदेशक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 के अंतर्गत किसी भी प्रकार की अयोग्यताओं के कारण अयोग्य ठहराया गया है | |
| | ई | क्या वह अथवा II (बी) और (ई) में उल्लिखित किसी इकाई को सरकारी विभाग अथवा एजेंसी द्वारा किसी अंवेषण के अध्यधीन रखा गया है? | |
| | एफ | क्या उनको कभी कस्टम/एक्साइज/आयकर/विदेशी विनिमय/ राजस्व प्राधिकारियों द्वारा नियमों/विनियमों/विधायी अपेक्षाओं के उल्लंघन के लिए दोषी पाया गया है? यदि ऐसा है तो विवरण दें. | |
| | जी | क्या वह कभी सेबी, आईआरडीए, पीएफआरडीए आदि जैसे विनियामकों के समक्ष प्रतिकूल नोटिस में आए हैं? **(हालांकि उम्मीदवार द्वारा विनियामकों के ऐसे आदेशों तथा निष्कर्षों के बारे में कॉलम में उल्लेख करना संभव नही होगा जो बाद में समग्र निरस्त / प्रत्यावर्तित कर दिए गए, तथापि ऐसे मामलों का उल्लेख करना अनिवार्य होगा जो न्यायाधिकारिता की सीमितता अथवा अभाव जैसे तकनीकी कारणों और मेरिट पर न होने के कारण प्रतिवर्तित/ निरस्त किये गए हों. यदि विनियामक का आदेश अस्थायी रूप से रोक दिया गया हो और अपील/न्यायिक प्रक्रिया लंबित हो तो उसका उल्लेख किया जाना चाहिए)** | |
| **V.** | | **मद क्र. I से IV के संबंध में अन्य कोई स्पष्टीकरण/सूचना और 'उपयुक्त एवं समुचित' पाए जाने के लिए संबंधित अन्य कोई सूचना.** | |

**वचनपत्र**

मैं पुष्टि करता/ करती हूं कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास में सही और पूर्ण है. मैं बैंक को उपरोक्त सूचनाओं से संबद्ध ऐसी सभी घटनाओं, जो कि मेरी नियुक्ति के पश्चात होती हैं, की जानकारी यथासंभव शीघ्र ही उपलब्ध करवाने का वचन देता/देती हूं. मैं बैंक के लेखापरीक्षा कार्य से खुद को दूर रखने और संस्थाओं जिसमें मैं दिलचस्पी रखता हूं में शामिल बैंक के ऋण/ निवेश संबंधी निर्णयों में भाग नहीं लेने का वचन देता/देती हूं.

मैं बैंक के सभी निदेशकों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले वचन विलेख को निष्पादित करने का भी वचन देता/देती हूं.

| IV | | **Proceedings, if any, against the Candidate** | |
|---|---|---|---|
| | a | If the he/she is a member of a professional association / body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him / her or whether he / she has been banned from entry of at any profession / occupation at any time. | |
| | b | Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her and / or against any of the entities listed in II (b) to (e) above for violation of economic laws and regulations | |
| | c | Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her | |
| | d | Whether the director attracts any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Company's Act, 2013? | |
| | e | Whether he/she or any of the entities at II (b) and (e) above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency? | |
| | f | Whether he/she at any time been found guilty of violation of rules / regulations / legislative requirements by customs / excise / income tax / foreign exchange / other revenue authorities, if so give particulars | |
| | g | Whether he/she at any time has come to the adverse notice of any regulator such as SEBI, IRDAI, PFRDA, etc. ***(Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed / set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal / setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate / court proceedings are pending, the same also should be mentioned).*** | |
| V | | **Any other explanation / information in regard to items I to IV and other information relevant for judging 'fit and proper'** | |

**Undertaking**

I confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above. I undertake to distance myself from the bank audit work and not participate in the bank's credit/ investment decisions involving entities in which I am interested.

I also undertake to execute the Deed of Covenant as required to be executed by all the directors of the bank.

Place :

Date : Signature of Candidate

स्थान:
दिनांक: उम्मीदवार के हस्ताक्षर

अनुलग्नक:
नोट :
जहां पर्याप्त जगह न हो, वहां क्रमानुसार अनुबंध में समुचित संदर्भ के साथ सूचना संलग्न करें.
प्रत्येक पृष्ठ (अनुबंधों सहित) पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर होने चाहिए.

नामांकन और पारिश्रमिक समिति/ नामांकन समिति की राय/टिप्पणी

| | | |
|---|---|---|
| **स्थानः** | | **अध्यक्ष के हस्ताक्षर** |
| **दिनांकः** | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| समिति सदस्य के हस्ताक्षर | समिति सदस्य के हस्ताक्षर | समिति सदस्य के हस्ताक्षर |

स्थान:
दिनांक:

Enclosures:

Note:

Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexures in chronological order and with appropriate cross reference.

Each page (including annexures) is required to be signed by the candidate.

Observations / Remarks of the Nomination and Remuneration Committee / Nomination Committee:

| | | |
|---|---|---|
| **Place:** | | **Signature of the Chair** |
| **Date:** | | |

| | | |
|---|---|---|
| Signature of Committee Member | Signature of Committee Member | Signature of Committee Member |

Place :

Date :

## हरित पहल - शेयर धारकों से अपील

**नोटिस / वार्षिक रिपोर्ट तथा**
**अन्य पत्राचार ई-मेल के माध्यम से प्राप्त करना**

**डिमैट खातों में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे** अपने डिमैट खातों में ई-मेल आईडी दर्ज करें.

**भौतिक रुप से शेयर रखनेवाले शेयर धारकों से अनुरोध है कि -**

अपनी सहमति हेतु इस पत्र के नीचे दिये गये भाग को भरकर तथा उस पर हस्ताक्षर करके उसे हमारे रजिस्ट्रार के पास नीचे लिखे पते पर भिजवा दें -
मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लि.
(यूनिट : बैंक ऑफ बड़ौदा)
सेलेनियम टॉवर बी, प्लाट क्र. 31 व 32,
गाचीबोवली, फाइनांसियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा,
सेरीलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद - 500 032.
फोन नं. 1-800-309-4001 (टोल फ्री)
ई-मेल : einward.ris@kfintech.com

## GREEN INITIATIVE-APPEAL TO SHAREHOLDERS

**TO GET NOTICES / ANNUAL REPORTS & OTHER COMMUNICATION THROUGH E-MAIL**

**Shareholders holding Shares in Demat accounts are requested to:** register an email ID in their Demat A/cs.

**Shareholders holding Shares in Physical form are requested to:**

send their consent by filling up and signing the perforated portion of this communication to our Registrars at their address given hereunder :
M/S KFin Technologies Private Ltd.,
(Unit: Bank of Baroda),
Selenium Tower B, Plot No.-31&32, Gachibowli,
Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal,
Hyderabad - 500 032.
Phone No. 1-800-309-4001 (Toll Free)
E-mail : einward.ris@kfintech.com

### बैंक ऑफ बड़ौदा की हरित पहल

दिनांक
मेसर्स केफिन प्राइवेट लि.
(यूनिट : बैंक ऑफ बड़ौदा)
सेलेनियम टॉवर बी, प्लाट क्र. 31 व 32,
गाचीबोवली, फाइनांसियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा,
सेरीलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद - 500 032.

प्रिय महोदय,

मैं / हम ______________________ बैंक ऑफ बड़ौदा कार्पोरेट गवर्नेंस के पर्यावरण सुरक्षा (हरित पहल) उपायों के एक प्रयास के रुप में बैंक ऑफ बड़ौदा से सभी संदेश अपने नीचे दिए गए ई-मेल आईडी के माध्यम से प्राप्त करना चाहता हूं / चाहते हैं. मेरे / हमारे पास बैंक के ______________ शेयर भौतिक रुप में हैं.

फोलियो नम्बर : ______________

ई मेल आईडी : ______________

मैं / हम इस आशय का वचन देता हूं / देते हैं कि मेरे / हमारे ई मेल के माध्यम से प्राप्त संदेश को सही, विधिक तथा बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा हमें भेज गए दस्तावेजों की समुचित एवं पर्याप्त सुपुर्दगी माना जाएगा. मैं / हम यह भी वचन देता हूं / देते हैं कि यदि किसी तकनीकी / अन्य कारणों से मेरा / हमारा ई-मेल हमें सही रुप में प्राप्त न होने के कारण संदेश प्राप्त नहीं हो पाता है तो हम बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके किसी कर्मचारी, रजिस्ट्रार अथवा इसके कर्मचारियों को उत्तरदायी नहीं ठहरायेंगे.

______________

प्रथम धारक के हस्ताक्षर

### GREEN INITIATIVE OF BANK OF BARODA

Date:
M/S KFin Technologies Private Ltd.,
(Unit: Bank of Baroda),
Selenium Tower B, Plot No.-31&32,
Gachibowli, Financial District, Nanakramguda,
Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500 032

Dear Sir,

I/ We ______________________ holding ________ shares of Bank of Baroda in physical form, intend to receive all communication from Bank of Baroda through our email ID given hereunder, as a part of Green Initiative under Corporate Governance of Bank of Baroda.

Folio Number: ______________

Email ID: ______________________

I/ We also undertake that the communication received through my/ our email ID will be treated as proper, legal and sufficient delivery of documents sent to us by Bank of Baroda. I/ We further undertake that we would not hold Bank of Baroda, any of its employees, Registrars or its employees, responsible in case the communication is not properly received at my/ our email ID due to any technical/ other failures.

______________

Signature of First Holder

## प्रभावी व तत्काल सेवाओं के लिए शेयरधारकों से अपील

1. **कृपया अपने भौतिक शेयर को डीमैट करें**
2. **कृपया लाभांश इलैक्ट्रॉनिक / सीधे अपने बैंक खाते में जमा करने के लिए अपना मैनडेट रजिस्टर करें**
3. **कृपया ई- मेल के माध्यम से सन्देश पाने के लये अपना ई-मेल आईडी रजिस्टर करें**

### अभौतिकीकरण (डिमटेरियलाइजेशन) के लाभ

1. शेयर सर्टिफिकेट के खोने का कोई डर नहीं
2. शेयर स्थानांतरण शुल्क अथवा स्टांप शुल्क खर्च नहीं
3. आसान / बाधा रहित स्थानांतरण/ संचरण
4. नामांकन संभव
5. लाभांश सीधे आपके बैंक खाते में जमा
6. अस्बा (एएसबीए) / आईपीओ आवेदन संभव

### इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से लाभांश भुगतान के लिए मैनडेट पंजीकृत कराने के लाभ

1. लाभांश भुगतान की तारीख को ही लाभांश प्रत्यक्ष जमा होना
2. लाभांश वारंट में देरी/ अप्राप्ति / पुनर्वैधता की कोई समस्या नहीं

### ई- मेल आईडी पंजीकृत कराने के लाभ

1. भारत सरकार की हरित पहल का हिस्सा बनें
2. कार्पोरेट सूचनाएं तत्काल प्राप्त करना जिसमें एजीएम व ईजीएम/ वार्षिक रिपोर्ट / छमाही सूचना इत्यादि की तत्काल प्राप्ति भी शामिल है

## Appeal to Shareholders for Efficient & Prompt Services

1. **Please Demat your Physical Shares**
2. **Please register your Mandate for Electronic / direct credit of Dividend amount in your Bank A/c**
3. **Please register your E-mail ID for receiving communications through E-mail**

### Benefits of Dematerialization

1. No threat of loss of Share Certificate
2. No Share Transfer Fees or Stamp Duty Expenses
3. Easy / hassle free Transfer / Transmission
4. Nomination possible
5. Dividend directly credited to your Bank A/c
6. ASBA/IPO Application possible

### Benefits of Registering Mandate for payment of Dividend through Electronic Mode

1. Direct credit of dividend on Dividend payment date itself
2. No problem of late / non-receipt / revalidation of Dividend Warrants

### Benefits of Registering E-mail ID

1. Be a part of Green Initiative of Government of India (GOI)
2. Immediate receipt of Corporate communication including Notice of AGM & EGM / Annual Reports / Other communication.

# NOTES

## बैंक ऑफ बड़ौदा

इक्विटी शेयरों पर लाभांश के भुगतान के लिए अधिदेश
(इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से)

1. प्रथम शेयरधारक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :

2. पता :

3. शेयरधारक की फोलियो संख्या (भौतिक रूप में धारिता के लिए) :
डी. पी. आईडी / ग्राहक आईडी संख्या (इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारिता के लिए)

4. बैंक खाते का विवरण :

क. बैंक का नाम :

ख. शाखा का नाम एवं शहर का पिन कोड :

ग. खाता संख्या (जैसा कि चेक बुक में दिया गया है) :

घ. खाता प्रकार (कृपया टिक करें) : बचत बैंक ☐ चालू ☐ नकद उधार ☐
(बचत बैंक खाता/चालू खाता या नकद–उधार खाता)

ङ. आईएफएससी कोड :

च बैंक द्वारा जारी माइकर चेक में मुद्रित बैंक और शाखा की 9 अंकीय कोड़ सं. : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

5. कृपया पहचान के प्रमाण स्वरूप अपने पैन कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित फोटो प्रति तथा कोड संख्या की सत्यता की जांच के लिए अपने उपर्युक्त खाते से संबंधित, आपके बैंक द्वारा जारी चेक के पन्ने की फोटो कापी/ कोरा रद्द किया गया चेक संलग्न करें.

### घोषणा

मैं एतद्द्वारा यह घोषित करता/ती हूं कि उपर्युक्त विवरण सही व पूर्ण हैं. यदि अपूर्ण जानकारी के कारणों से लेनदेन में देरी होती है या यह प्रभावी नहीं होता है तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा/गी.

स्थान : प्रथम धारक के हस्ताक्षर

दिनांक :

---

**टिप्पणी** :

1. **यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए हैं** : कृपया फार्म पूर्णतया भर कर इस पर हस्ताक्षर करें तथा इसे अद्यतन करने हेतु अपेक्षित दस्तावेजों सहित अपने प्रतिभागी डिपॉजिटरी को प्रस्तुत करें.
2. **यदि शेयर भौतिक रूप में रखे गए हैं** : कृपया फार्म पूर्णतया भर कर इस पर हस्ताक्षर करें तथा इसे अपेक्षित दस्तावेजों सहित रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) अर्थात केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31 व 32, गाचीबोवली, फाइनांशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद–500 032 अथवा बैंक ऑफ बड़ौदा, निवेशक सेवाएं विभाग, सातवां तल, बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, सी–26,जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400 051 के पते पर भेज दें.

# BANK OF BARODA

Mandate for Payment of Dividend on Equity Shares
(Through Electronic Mode)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | | First Shareholder's Name (in Block Letters) | : |
| 2. | | Address | : |
| 3. | | Shareholder's Folio number (for holding in physical form)<br>D. P. ID / Client ID number (for holding in electronic form) | : |
| 4. | | Particulars of Bank Account | : |
| | A. | Bank Name | : |
| | B. | Branch Name & City Pin Code | : |
| | C. | Account No.<br>(as appearing on the cheque book) | : |
| | D. | Account Type (please Tick) :<br>(SB Account / Current A/c. or Cash Credit A/c) | : SB ☐ Current ☐ Cash Credit ☐ |
| | E. | IFSC Code | : |
| | F. | 9 Digit Code No. of the Bank<br>Branch appearing on the MICR<br>Cheque issued by the Bank | : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |

5. Please attach a self-attested photocopy of your PANCARD as Proof of Identity alongwith a photocopy of a Cheque leaf / blank cancelled cheque issued by your Bank relating to your above account for verifying the accuracy of the Code numbers

## DECLARATION

I, hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not affected at all for reasons of incomplete information, I would not hold Bank of Baroda responsible.

Place: Signature of the First Holder

Date:

Note:

1. **If the shares are held in electronic mode:** Please complete the form, sign and submit alongwith the required documents to your Depository Participant for necessary updation.
2. **If the shares are held in physical mode:** Please complete the form, sign and mail alongwith the required documents at the address of Registrar and Transfer Agent (RTA), i.e. KFin Technologies Private Limited, Selenium Tower B, Plot No.-31&32, Gochibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500 032 OR at Bank of Baroda, Investors' Services Dept. 7th Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

**प्रधान कार्यालय**
बड़ौदा भवन, आर.सी. दत्त रोड,
अलकापुरी, बड़ौदा – 390007
फ़ोन: (0265) 2316010

**कॉर्पोरेट सेंटर**
बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, प्लॉट नंबर. सी–26, ब्लॉक जी,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051
फ़ोन: (022) 6698 5000–04 (पीबीएक्स)

**HEAD OFFICE**
Baroda Bhavan, R C Dutt Road,
Alkapuri, Baroda - 390007
Ph : (0265) 2316010

**CORPORATE CENTRE**
Baroda Corporate Centre, Plot No. C-26, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400051
Ph : (022) 6698 5000-04 (PBX)

Getting closer to our customers by serving them better, resolving their queries and keeping them updated.

Empowering our customers by promoting products & services through online videos.

Interacting, engaging and connecting with our audience and building a following with our potential customers.

Aiming to become a part of our customer's everyday life and help them create beautiful stories.

Developing meaningful connections because, strong bonds go a long way.